लोक प्राधिकारी – आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मैनुअल संख्या 1 : संगठन की विषिश्टियां कृत्य और कर्तव्य

ए. आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय का संगठन

आबकारी आयुक्त, जो कि भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिनियम मान में एक वरिश्ठ अधिकारी है, के साथ दो अपर आबकारी आयुक्त सहायक के रूप में कार्य करते हैं। अपर आबकारी आयुक्तों में से एक आबकारी सेवा से है जो कि अपर आबकारी आयुक्त के रूप में पदनामित है, यह या तो एक वरिष्ठ पी0 सी0 एस0 अधिकारी होता है या एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी को अपर आबकारी आयुक्त– (अनुज्ञापन एवं औद्योगिक विकास) के रूप में पदनामित किया जाता है । आबकारी आयुक्त के साथ दो संयुक्त आबकारी आयुक्त भी सहायक के रूप में कार्य करते हैं । इनमें से एक आबकारी इन्टैलिजैन्स ब्यूरो का प्रभारी होता है तथा दूसरा संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय का । वर्तमान में अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) के पद तथा एक संयुक्त आबकारी आयुक्त का पद रिक्त है। आबकारी आयुक्त का कार्यालय निम्न अनुभागों में विभाजित है, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :–

1. स्थापना एवं कार्मिक विभाग :–

यह अनुभाग उप आबकारी आयुक्त के अधीन कार्य करता है तथा एक सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक उसके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। यह राज्य के आबकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रषिक्षण, तैनाती व स्थानान्तरण, प्रोन्नति, वेतन, भविश्य निधि, छुट्टी एवं पेंषन इत्यादि का कार्य देखता है। यह राज्य के आबकारी अधिश्ठानों की पदक्रम सूची तैयार करने व रखने तथा साथ ही विभाग के अधिकारी जो आबकारी आयुक्त के नियन्त्रण में कार्य करते हैं तथा उस स्टाफ के, जिसका नियुक्ति प्राधिकारी आबकारी आयुक्त है, की सेवा पंजी, व्यक्तिगत पत्रावली तथा चरित्र पंजी रखने के लिये भी उत्तरदायी है। निलंबन व विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित मामले भी इसी अनुभाग द्वारा देखे जाते हैं । अपने उच्च अधिकारियों के आदेषों द्वारा व्यथित आबकारी कर्मियों द्वारा फाईल की गयी अपील व अभ्यावेदनों को भी इसी अनुभाग द्वारा देखा जाता है । खरीददारी, स्टोर्स व पुस्तकालय से संबंधित कार्य भी इसी अनुभाग को सौंपा गया है। वर्तमान में, स्टाफ की कमी के कारण सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक के पद रिक्त हैं ।

2. ब्यूरो का आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो स्टाफ व इसकी षक्तियाँ :–

आबकारी इन्टैलिजेन्स ब्यूरो, आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर एक संयुक्त आबकारी आयुक्त के अधीन कार्य करता है। संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी आयुक्त के निर्देषन व नियन्त्रण में कार्य करता है। उसको अपने कार्यपालक प्रषासकीय कार्यों में एक आबकारी उपायुक्त व एक आबकारी निरीक्षक सहायता करते हैं। ब्यूरो में तैनात अधिकारियों व आबकारी निरीक्षक का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण राज्य तक विस्तारित है तथा आबकारी विभाग द्वारा प्रषासित किसी भी अधिनियम

के अधीन आबकारी दुकानों के निरीक्षण, तलाषी, गिरफ्तारी, जांच पड़ताल के संबंध में वे क्रमषः संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी उपायुक्त, सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक की षक्तियों का प्रयोग करते हैं । आबकारी निरीक्षक, ब्यूरो के कार्यालय का प्रभारी भी होता है जि पर अपने कार्य के साथ साथ, ब्यूरो पर तैनात सहायकों के कार्य के पर्यवेक्षण का भी प्रभार होता है ।

सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, संयुक्त आबकारी आयुक्त/आबकारी इन्टैलीजेन्स ब्यूरो के निर्देषन व नियन्त्रण के अधीन कार्य करता है।

वर्तमान में स्टाफ की कमी के कारण सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक पद रिक्त हैं ।

ब्यूरो के कृत्य

ब्यूरो के उद्देष्य में, राज्य के विभिन्न जनपदों व अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों व स्वयं एवं स्वापक इन्टैलिजैन्स ब्यूरो के मध्य आबकारी विभाग द्वारा प्रषासनिक कानूनों के विरूद्ध अपराधों व तस्करों से संबंधित आबकारी आंकड़ो व सूचना का संग्रह, समाकलन व प्रसारण सम्मिलित है। इस प्रयोजन हेतु अपराधिक इन्टैलिजैन्स गजट के साथ एक मासिक आबकारी परिषिष्ट का ब्यूरो द्वारा प्रकाषन व सभी संबंधित लोगों को इसकी आपूर्ति प्रस्तावित है ।

ब्यूरो पर मादक पदार्थों, अफीम व अन्य स्वापक औषधियों के अन्तर्राज्यीय थोक तस्करों को खोजने तथा महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाने व जांच पड़ताल के उत्तरदायित्व का भी प्रभार है ।

अपराध से संबंधित सूचना व आंकड़ों के रखरखाव व प्रसारण के अतिरिक्त, यह ब्यूरो मादक पदार्थों की वैध खपत के रूझान पर लगातार नजर रखता है तथा इस प्रकार राज्य के प्रत्येक मद्य निवारक क्षेत्र में आबकारी राजस्व पर भी नजर रखता है। यह सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा आदेषित विभागीय कर्मचारियों के विरूद्ध षिकायतों की जांच की प्रगति पर भी नजर रखता है तथा इसके द्वारा आबकारी राजस्व में लीकेज के परिनिर्धारण हेतु कार्य कुषलता बढ़ाने के लिये व आबकारी प्रषासन चुस्त बनाने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर किये गये विभिन्न उपायों को व्यवस्थित किया जाता है ।

3. अनुज्ञापन अनुभाग :–

यह अनुभाग आबकारी अनुज्ञप्तियों के व्यवस्थापन उनके निर्माण व उनकी संस्वीकृति को देखता है । इस अनुभाग का प्रभारी आबकारी उपायुक्त है जिसके सहायकों में एक सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी निरीक्षक है । इस अनुभाग का मुख्य कार्य आबकारी राजस्व में वृद्धि के उद्धेष्य से आबकारी दुकानों के वार्षिक व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति बनाना तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से उसे लागू करना है। देषी मद्य व विदेषी मदिरा की खुदरा दुकानों का वार्षिक व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त के निर्देष एवं नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों की संख्या निर्धारित की जाती है । जिन दुकानों को अनावष्यक समझा जाता है उन्हें बन्द कर दिया जाता है तथा जहां इसकी आवष्यकता हो वहां नई दुकान खोली जाती है । वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन व्यवस्थापन किया जाना है उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है तथा संबंधित अधिकारियों को विधिवत् सूचित किया जाता है । व्यवस्थापन की तिथि या तिथियाँ आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाती है। व्यवस्थापन पर कड़ी नजर रखी

जाती है ताकि दुकानों का व्यवस्थापन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष व उचित तरीके से हो सके । डिस्टिलरीज व अन्य व्यक्तियों को थोक लाइसेन्स जारी कर देषी मद्य व विदेषी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु भी व्यवस्था की जाती है । दूसरे राज्यों को मांग के निर्यात तथा मांग के निर्यात से अधिकतम राजस्व सुनिष्चित करने के लिये आवेदन ग्रहण किये जाते हैं । उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त यह अनुभाग अन्य विभिन्न अनुज्ञप्तियों जैसे विकृत मद्य, आसवनियों, मद्य निर्माण षालाओं, मदिरा निर्माणषालाओं (विन्टीनरीज) उत्पादक फैक्टरियों (बौटलिंग प्लान्ट्स) इत्यादि के निर्माण का कार्य देखता है ।

4. अल्कोहॉल अनुभाग :–

इस अनुभाग हेतु आबकारी उपायुक्त का एक पद संस्वीकृत है जो कि अल्कोहॉल के उत्पादन तथा षीरे का आबंटन तथा अल्होहॉल का वितरण देखने के लिये है । इस अनुभाग का समस्त पर्यवेक्षण आबकारी उपायुक्त (उत्पादन/वितरण) को सौंपा गया है । यह अनुभाग पीने योग्य तथा औद्योगिक उद्देष्य हेतु अल्कोहॉल के उत्पादन तथा वितरण पर नियन्त्रण रखता है। उत्पादन प्रभारी आबकारी उपायुक्त यह सुनिष्चित करता है कि षीरे भंडारण हेतु चीनी मिलें पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध करा रही हैं तथा षीरे की गुणवत्ता में कमी न आये इसके लिये सभी आवष्यक उपाय करता है । पूर्व में, यह अनुभाग मोटर स्पिरिट, डीजल आयल तथा अल्कोहॉल पर क्रय कर/बिक्री कर के संग्रह का भी कार्य देखता था किन्तु वर्ष 2000–2001 से यह कार्य व्यापार कर विभाग को सौंप दिया गया है।

वर्तमान में, स्टाफ की कमी के कारण इस अनुभाग में सहायक आबकारी आयुक्त व आबकारी का पद रिक्त है ।

5. तकनीकी अनुभाग :–

यह अनुभाग संयुक्त आबकारी आयुक्त (मुख्यालय के अधीन कार्य करता है) जिसको इस कार्य में एक तकनीकी अधिकारी सहायता करता है। यह औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पादन–षुल्क) अधिनियम 1955 व उ0प्र0 स्वापक औषधि नियमावली–1986 तथा विकृत स्पिरिट व विषेष विकृत स्पिरिट को कब्जे में रखने हेतु उ0 प्र0 की अनुज्ञप्तियों के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में तथा अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी मामलों में आबकारी आयुक्त को सलाह देता है । इस अनुभाग का कार्य औषधीय वस्तुओं को सभी बन्धनकारी व अबन्धनकारी उत्पादनों, सभी अल्कोहॉल आधारित उद्योगों व डिस्टिलरीज पर तकनीकी नियन्त्रण रखना तथा जब जहां आवष्यक हो उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को सलाह देना है ।

विभागीय प्रयोगषाला :–

आबकारी आयुक्त मुख्यालय में एक विभागीय प्रयोगषाला भी कार्यरत रहती है जिसमें षीरे, आर0 एस0, एस0डी0एस0, ई0 एन0 ए0 व देषी मद्य एवं विदेषी मदिरा, चीनी मिलों, डिस्टिलरीज व जिलों के निवारक स्टाफ द्वारा प्रेषित चासनी व अन्य सामग्री का परीक्षण किया जाता है। यह संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय के नियन्त्रण में कार्य करती है जिसमें तकनीकी अधिकारी व अन्य स्टाफ सहायता करता है ।

वर्तमान में तकनीकी अधिकारी का पद रिक्त है ।

6. विधिक अनुभागः—

यह अनुभाग एक आबकारी उपायुक्त (अनुज्ञापन) के अधीन कार्य करता है । इस अनुभाग का कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय में फाईल की गयी समादेष याचिकाओं व अपीलों के विरोध हेतु प्रभावी पैरवी करना है। उ0 प्र0 सेवा न्यायाधिकरण में सेवा मामलों में विभाग में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा फाईल की गयी याचिकाओं का भी विभाग की ओर से लिखित ब्यान फाईल कर तथा पैरवी करके इस अनुभाग द्वारा विरोध किया जाता है । उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त यह अनुभाग विभिन्न जनपदों में विभाग से सम्बन्धित दीवानी मुकदमों में भी पैरवी करता है ।

7. लेखा परीक्षा व लेखा अनुभाग :—

लेखा परीक्षा व लेखा अनुभाग राज्य की वित्त व लेखा सेवा में वित्त अधिकारी के अधीन कार्य करता है । इस अनुभाग का उद्देष्य वित्तीय पुस्तिका वौल्यूम—1 भाग—1 बे अध्याय ग्टप्प्.। में समाविष्ट प्रावधानों के अनुरूप वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिष्चित करना व अन्य वित्तीय कार्यो का निष्पादन करना है । यह अनुभाग महालेखाकार की रिपोर्ट में उठाई गयी आपत्तियों का निपटारा करता है तथा लोक लेखा समिति से सम्बन्धित मामलों में आवष्यक कार्यवाही करता है । यह बजट तैयार करता है, विभाग के आहरण और संवितरण अधिकारियों को बजट में प्रदान अनुदान उपलब्ध कराता है । यह आबकारी प्राप्तियों के संकलन, पुराने बकायों का परीक्षण करने, उनकी वसूली हेतु कार्यवाही करने तथा यदि वे पूर्ण रूप से अवसूलीय हैं तो उन्हें बट्टे खाते में डालने के लिये भी उत्तरदायी है ।

बी. आचंलिक, क्षेत्रीय व फील्ड अधिकारी

1. आंचलिक कार्यालय :—

वर्तमान में विभाग में कोइ आंचलिक या क्षेत्रीय/प्रभागीय पद स्वीकृत नही है ।

2. क्षेत्रीय कार्यालय :—

वर्तमान में, विभाग में स्वीकृत, सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन के दो प्रभागीय पद हैं— एक गढ़वाल में व एक कुमाऊं में। प्रवर्तन स्टाफ का विवरण निम्नांकित है :—

सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन गढ़वाल/कुमाऊं प्रत्येक में दो क्षेत्रीय प्रवर्तन दस्ते हैं। आबकारी उपराधों के निवारण व नियन्त्रण हेतु हरिद्वार व उधमसिंह नगर जिलों के लिये दो जनपदीय प्रवर्तन दस्तों की स्थापना प्रस्तावित है। एक प्रवर्तन दस्ते में आबकारी निरीक्षक तथा आठ आबकारी हेड कान्सटेबल्स/ कान्सटेबल्स का भी समावेष होता है। आबकारी अपराधों का पता लगाने के अतिरिक्त, दस्ते का सहायक आबकारी आयुक्त, उप/संयुक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी इन्टैलिजैन्स ब्यूरों के निर्देषन व नियन्त्रण के अधीन आबकारी स्टाफ व आबकारी अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध षिकायतों की जांच भी करवाता है ।

3. फील्ड अधिकारी :—

आबकारी आयुक्त के सामान्य नियन्त्रण व निर्देषन के अधीन एक जिले में आबकारी विभाग का प्रषासन जिले के कलक्टर के प्रभाराधीन होता है। सहायक आबकारी आयुक्त के पद का पूर्णकालिक विभागीय अधिकारी जिले के प्रभारी के रूप में तैनात किया जाता है जो कलक्टर के अधीनस्थ जिले के आबकारी प्रषासन हेतु उत्तरदायी होता है । वह आबकारी विधियों व नियमों के प्रवर्तन हेतु भी उत्तरदायी होता है । उसे आबकारी मामलों की जांच पड़ताल व अभियोजन का पर्यवेक्षण भी करना होता है। अनुज्ञापित विक्रेताओं पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के लिये उससे आबकारी दुकानों, बन्धनकारी माल गोदामों, बन्धनकारी व अबन्धनकारी फार्मेसियों, चीनी के कारखानों, डिस्टिलरीज व ब्रुअरीज के निरीक्षण की अपेक्षा भी की जाती है। उनके कार्य के निरीक्षण द्वारा व अपने अधीन स्टाफ के कार्य की प्रगति पर निगाह रखता है । वे जनपदीय आबकारी कार्यालय का प्रभारी है तथा वहां तैनात लिपिकीय स्टाफ के कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है ।

एक जनपद आबकारी सर्किल में बंटा होता है । प्रत्येक सर्किल एक आबकारी निरीक्षक के अधीन होता है । आबकारी निरीक्षक, दुकानों के परिवेक्षण तथा आबकारी स्वापक व उन विभिन्न अपराधों जिनसें विभाग को निपटना होता है, के निवारण व अभियोजना हेतु तैनात किये जाते हैं । एक आबकारी निरीक्षक जिसे निवारक कार्य सौंपा गया है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सभी आबकारी व्यवस्थाओं का बारिकी से अध्ययन करें तथा कानून के सभी संदिग्ध अपवचनों के परिमाण व स्वभाव की जांच पड़ताल करें। वह आबकारी राजस्व के संग्रह से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है किन्तु यह उसका कर्त्तव्य है कि वह मादक पदार्थों की बिक्री व राजस्व संग्रह पर नजर रखे तथा किन्ही आदेषों की उपेक्षा या बकायों में वृद्धि को कलक्टर व उसके सहायक आबकारी आयुक्त के संज्ञान में लाये। आबकारी निरीक्षक द्वारा पता लगाये गये अपराधों का निपटारा जिले के नियमित विधि न्यायालयों द्वारा किया जाता है। आबकारी निरीक्षक को उसके कार्य में प्रत्येक सर्किल में हेड कान्सटेबल/ कान्सटेबल सहायता करते हैं ।

आबकारी निरीक्षक, लिपिकों व कान्सटेबल की सहायता से निम्नलिखित कार्य निष्पादन हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में भी तैनात किये जाते हैं :–

1. डिस्टिलरीज :–

पीने योग्य, व्यवसायिक यो औद्योगिक अल्कोहॉल के उचित उत्पादन तथा नियमों के अनुरूप भण्डारन के मामले में किसी डिस्टिलरी का प्रभारी होने पर आबकारी निरीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह यह देखे कि जारी किये जाने से पहले सारी स्पिरिट पर उत्पादन कर का उचित रूप से भुगतान कर दिया गया है या बौंड के अधीन जारी होने वाले मामलों में यह देखे कि उदग्रहणीय कर की राषि बौंड द्वारा कवर कर ली गयी है। उसे यह भी देखना चाहिये कि निर्धारित लेखे को नियन्त्रित रखा जाये ।

2. बंधित मालगोदाम :–

किसी बंधनकारी मालगोदाम का प्रभारी होने पर आबकारी का पहला कर्त्तव्य यह देखना है कि जारी किये जाने से पहले सभी स्पिरिट्स व ड्रग्स पर (बंधनकारी फार्मेसी के मामलों में) कर सही

कर का भुगतान कर दिया गया है । उसे स्पिरिट के मापन, भंडारण पर भी नियन्त्रण रखना चाहिये ताकि निर्धारित हिसाब उचित रूप से रखा जा सके तथा उसे सभी सावधानियाँ व उपाय तुरन्त प्रभावी करना चाहिये ।

3. बंधनकारी कारखाने :–

औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–षुल्क) अधिनियम, 1955 तथा उसके अर्न्तगत निर्मित नियमों के अधीन आबकारी निरीक्षक, परिक्षेत्र से अल्कोहॉल समाविष्ट किसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियों तथा स्वापक ड्रग्स को बाहर निकाले जाने से पहले कर व अर्थदंड, यदि कोई हो, के सही संग्रह हेतु उत्तरदायी है । उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह यह सुनिष्चित करे कि जिससे निर्मितियों का निर्माण होना है उस सामग्री मे अल्कोहॉल मिलाई जाये ।

4. ब्रुअरीज :–

किसी ब्रुअरी का प्रभारी होने आबकारी निरीक्षक का पहला कर्त्तव्य यह देखना है कि जारी किये जाने से पहले बीयर पर सही कर का भुगतान कर दिया गया है तथा अनुबन्ध के अधीन जारी किये जाने के मामले में उद्ग्रहीत कर की राषि बौंड द्वारा कवर की जाये। उसे बीयर के मापन, भंडारण व जारी किये जाने पर नियन्त्रण रखना चाहिये व उत्पादन का पर्यवेक्षण भी करना चाहिये।

5. बोतल भराई संयंत्रः–

बोतल भराई षुल्क तथा आबकारी करों को जमा करने के पष्चात् भारत में निर्मित विदेषी मदिरा के उत्पादन, इसकी बोतल भराई व विक्रय के परिवेक्षण हेतु उ0 प्र0 कारखाना नियम 1997 के अधीन ऐसे संयंत्रों में भी आबकारी निरीक्षक तैनात किये जाते हैं ।

6. जाँच चौकियाँ :–

मादक पदार्थों, स्वापकों, षीरों व स्पिरिट्स के अवैध दुर्व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिये राज्य की अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर 13 जाँच चौकियाँ स्वीकृत हैं । प्रत्येक जाँच चौकी पर अधीनस्थ स्टाफ के साथ एक आबकारी निरीक्षक तैनात किया जाता है ।

7. सी एस डी डिपो :–

ऐसे डिपो लाईसेन्स षुल्क व आबकारी कर का विधिवत् भुगतान करने के पष्चात् मिलिटरी यूनिट कैन्टीन्स को आपूर्ति व विक्रय हेतु आबकारी नियमों के अधीन लाइसेन्स्ड हैं।

8. निवारक सर्किल :–

ये आबकारी व स्वापक अपराधों का पता लगाने व अभियोजन हेतु तैनात किये जाते हैं ।

9. षक्कर कारखाने :–

षक्कर कारखानो में उत्पादित षीरे के भण्डारण व वितरण पर उचित परिवेक्षण हेतु तथा उ0 प्र0 षीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 के प्रावधानों तथा उसके अधीन नियमों के प्रवर्तन हेतु इनमें आबकारी उप निरीक्षक तैनात किये जाते है।

विभाग का निम्नतम कर्मी हेड कान्सटेबल/कान्सटेबल है जो कि आबकारी निरीक्षक को डिस्टिलरीज, ब्रुअरीज, बंधित मालगोदामों, बंधित कारखानों में उसके कार्य के दौरान निवारक जाँच

पड़ताल, अभियोजन तथा अन्य विविध कार्यों में सहायता करता है । किसी मामलें में आबकारी कानून का उल्लंघन पकड़ में आने पर आबकारी कानून के प्रावधानों के अधीन, आबकारी कान्सटेबल तलाषी लेने व गिरफ्तार करने में कार्यपालक कर्त्तव्य भी निभाता है ।

10. उत्तरांचल राज्य में निर्माण से पूर्व व उसके पष्चात् विभाग में समय–समय पर स्वीकृत पदों तथा कर्मचारियों का विवरण निम्नांकित है :–

आबकारी विभाग में स्वीकृत, कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण,मुख्यालय एवं फील्ड स्तर पर

(दिनांक 30.04.2009 तक की स्थिति)

क0 सं0	पदनाम	वेतनमान	राज्य गठन के पष्चात कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल कार्यरत पदों की संख्या (संवर्गवार)	कुल रिक्त पदों की संख्या (संवर्गवार)
क	ख	ग	घ	ड	च
1	आयुक्त	80000 नियत	01	01	–
2	अपर आयुक्त, प्रषासन	37400–67000	01	00	01
3	अपर आबकारी आयुक्त, विभागीय	37400–67000	01	–	01
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त	15600–39100	02	01	01
5	उप आबकारी आयुक्त	15600–39100	04	03	01
6	सहायक आबकारी आयुक्त	15600–39100	23	13	10
7	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100	01	01	–
8	प्राविधिक अधिकारी	15600–39100	01	01 प्रतिनियुक्ति	–
9	वैयक्तिक सहायक	9300–34800	01	–	01
10	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	9300–34800	01	–	01
11	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	9300–34800	03	–	03
11	लेखाकार	9300–34800	01	–	01
12	वरिश्ठ सम्प्रेक्षक	9300–34800	01	–	01
13	आबकारी निरीक्षक	9300–34800	73	33	40
14	मुख्य सहायक	5200–20200	12	00	12
15	प्रवर सहायक	5200–20200	14	–	14
16	आषुलिपिक	5200–20200	04	01	03
17	सहायक लेखाकार	5200–20200	15		15
18	कनिश्ठ सम्प्रेक्षक	5200–20200	01	–	01
19	उप आबकारी निरीक्षक	5200–20200	42	36	06
20	कनिश्ठ सहायक	5200–20200	17	33	16(सरप्लस)
21	प्रधान आबकारी सिपाही	5200–20200	61	34	27
22	वाहन चालक	5200–20200	21	14	07
23	आबकारी सिपाही	5200–20200	190	69	121
24	आबकारी सिपाही, (भूतपूर्व सैनिक नियत वेतन पर)	(नियत वेतन) भू०सै०कल्याण नि० (उपनल) द्वारा निर्धारित	24	24	00
25	प्रयोगषाला सहायक	4400–7400	01	–	01
26	अनुसेवक	4400–7400	50	26	24
यो ग			566	289	277

(डी०वी०सिंह)
उप आबकारी आयुक्त,/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्मिक एवं अधिष्ठान,
मुख्यालय,देहरादून।

मुख्यालय का वर्तमान ढॉचा

दिनांक 30.04.2009

आबकारी आयुक्त (आई०ए०एस०)

अपर आबकारी आयुक्त

संयुक्त आबकारी आयुक्त,मुख्यालय

- लाईसेंसिग अनुभाग
  - वित्त अधिकारी
  - विधि अनुभाग
  - लेखाकार
  - लेखाकार
  - सम्प्रेक्षक
  - सम्प्रेक्षक
    - 1 उपायुक्त
    - 2. स०आ०आ०
    - 3. आ०नि०
- कार्मिक/अधिष्ठान
  - प्राविधिक अनुभाग
  - प्रयोगशाला अनुभाग
    - 1 उपायुक्त
    - 2 स०आ०आ०
    - 3 आ०नि०
- उत्पादन अनुभाग
  - वितरण अनुभाग
  - (शीरा/अल्कोहल)
    - 1 उपायुक्त
    - 2 स०आ०आ०
    - 3 आ०नि०
- प्राविधिक
  - अधिकारी
- वरिष्ठ
  - सहायक
  - वरिष्ठ
  - कनिष्ठ

अपर आबकारी आयुक्त

संयुक्त आबकारी आयुक्त ई०आई०बी०/प्रवर्तन इकाईयां/जाचॅ चौकी

1.उपायुक्त
2.सहायक आबकारी आयुक्त
3.आबकारी निरीक्षक/ प्र०आ०सि०/आ०सिपाही

आबकारी अधिसूचना केन्द्र अनुभाग प्रवर्तन दल,जॉच चौकियां सांख्यिकी अनुभाग
क०सहायक–1

राजपत्रित		अराजपत्रित	
पदनाम	स्वीकृत पद	पदनाम	स्वीकृत पद
1. आयुक्त	01	1. व्यक्तिक सहा०(अधीनस्थ)	01
2. अपर आयुक्त	02	2. आबकारी निरीक्षक	04
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त	02	3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	01
4. उप आबकारी आयुक्त	04		03
5. सहायक आबकारी आयुक्त	04	4. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	01
6. वरिष्ठ वित्त अधिकारी	01		02
7. प्राविधिक अधिकारी	01	5. लेखाकार	01
योगः–	15	6. सहायक लेखाकार	01
		7. वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	04
		8. कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	12
		9. आशुलिपिक	02
		10.मुख्य सहायक	06
		11.प्रधान आबकारी सिपाही	09
		12.आबकारी सिपाही	16
		13.वाहन चालक	63
		14. चतुर्थ श्रेणी	
		योगः–	

नोटः– वर्तमान में 03 उपायुक्त एवं 01 सहायक आबकारी आयुक्त हैं,जिन्हे निम्नानुसार कार्य आवंटित किया गया है:–

सर्व श्रीः–	
1. अनिल कुमार शर्मा,उपायुक्त	विधि/सूचना का अधिकार अधिनियम,स्टोर व परचेज तथा ई०आई०बी०
2. टी०पी०सिंह,उपायुक्त	शीरा उत्पादन एवं वितरण
3. डी०वी०सिंह,उपायुक्त	कार्मिक एवं अधिष्ठान
4. सतीश चन्द्र गुप्ता,सहा०आ०आयुक्त	लाईसेंस व एल्कोहल उत्पादन एवं वितरण

दिनांक 30.04.2009 तक की स्थिति

<table>
<tr><td colspan="8">फील्ड स्तर पर आबकारी प्रशासन</td></tr>
<tr><td colspan="5">सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (13)</td><td colspan="3" rowspan="2">सहायक आबकारी आयुक्त–6 (प्रभारी प्रवर्तन इकाई/चैक पोस्ट)</td></tr>
<tr><td>आ०नि० अपराध निरोधक क्षेत्र (40)</td><td>आ०नि०, सी०एल०–2 एफ०एल०–2</td><td>आ०नि० सी०एस०डी० डिपो (1)</td><td colspan="2">आ०नि० (आसवनी/बाटलिगं प्लान्ट) (4)</td></tr>
<tr><td>आ०नि०,फार्मेसी/ औद्योगिक इकाई</td><td>आ० नि० बाण्डेड मैनुफैक्चरी (एल 1)</td><td>आ०नि० एफ०एल०–2 (2)</td><td>आ०नि० बी०डब्लू० एफ०एल०–2 (1)</td><td>उप आबकारी निरीक्षक चीनी मिलें (10)</td><td>आ०नि० प्रवर्तन (6)</td><td>आ०नि० चैक पोस्ट (6)</td></tr>
<tr><td colspan="8">राजपत्रित/अराजपत्रित</td></tr>
<tr><td colspan="2">पदनाम</td><td colspan="2">स्वीकृत पदों की संख्या</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">1. सहायक आबकारी आयुक्त
2. आबकारी निरीक्षक
3. उप आबकारी निरीक्षक
4. सहायक लेखाकार
5. प्रवर सहायक
6. कनिष्ठ सहायक
7. प्रधान आबकारी सिपाही
8. आबकारी सिपाही
9. आबकारी सिपाही,भू०पू०सैनिक
10. वाहन चालक
11. चतुर्थ श्रेणी</td><td colspan="2">19
69
42
13
14
17
59
180
24
12
34</td><td colspan="4">06 आबकारी निरीक्षकों को भारत सरकार द्वारा अंतिम आवंटन में उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित किया गया है। परन्तु इनके द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी होनें के कारण उत्तराखण्ड राज्य में सेवा करनें हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है,जो उत्तराखण्ड शासन स्तर पर विचाराधीन है।</td></tr>
</table>

उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः1061/एक–44(1)/2001, देहरादूनः 14 फरवरी, 2001
अधिसूचना

सा0प0नि0–003

तत्कालीन प्रभाव से उत्तरांचल राज्य के आबकारी विभाग जिसका मुख्यालय देहरादून में होगा की स्थापना तथा आबकारी विभाग के पुनर्गठन की राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विभाग की संरचना एवं पदों की संख्या संलग्न कर दी गयी है।

संलग्नकः यथोपरि

आज्ञा से

(सुभाश कुमार)
सचिव आबकारी
उत्तरांचल शासन

संलग्नक–1

आबकारी विभाग उत्तरांचल का संगठन

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	उत्तरांचल राज्य सृजन से पूर्व स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विपरीत कार्यरत	पुनर्गठन के तहत प्रस्तावित पद	कार्यरत में से उत्तरांचल विकल्पधारी	विकल्प धारियों के अतिरिक्त कार्यरत में से उत्तरांचल के मूल निवासी	विकल्प धारी एवं उत्तरांचल के मूल निवासी से भिन्न कार्मिक	विकल्पधारी एवं उत्तरांचल के मूल निवासी से भिन्न कार्मिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10 (5–9)
1	सचिव/आबकारी आयुक्त	सचिव वेतनमान	–	–	01	–	–	–	–
2	अपर /संयुक्त सचिव/आबकारी आयुक्त	अपर/सं0 सचिव वेतन0	–	–	01	–	–	–	–
3	संयुक्त आबकारी आयुक्त	12000–16500	01	01	01	01	–	01	–
4	वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी	वित्त एवं लेखाधिकारी वेतनमान	–	–	01	–	–	–	–
5	उप आबकारी आयुक्त	10000–15200	02	02	02	02	–	01	–
6	सहायक आबकारी आयुक्त	8000–13500	15	14	14	05	01	06	08
7	प्राविधिक अधिकारी	8000–13500	–	–	01	–	–	–	–
8	आबकारी निरीक्षक	5000–8000	44	30	30	06	06	12	18
9	उप आबकारी निरीक्षक	3200–4900	09	06	06	03	01	04	02
10	वरिश्ठ लिपिक	4000–6000	02	02	02	01	–	01	01
11	आषुलिपिक	4000–6000	02	02	02	–	–	–	02
12	सहायक लेखाकार	4000–6000	02	02	02	–	–	–	02
13	कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	19	16	16	06	06	12	04
14	प्रधान आबकारी सिपाही	3050–4590	57	57	57	14	39	55	04
15	वाहन चालक	3050–4590	15	11	10	05	03	08	02
16	आबकारी सिपाही	2750–4400	143	105	105	29	58	57	18
17	चतुर्थ श्रेणी	2550–3250	15	15	15	09	06	15	–
योग			326	262	265	81	120	201	61

सलंग्नक–2

आबकारी विभाग,उत्तराखण्ड का ढॉचा
आबकारी आयुक्त (आई०ए०एस०संवर्ग से)
अपर आबकारी आयुक्त (पी०सी०एस०संवर्ग से)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी (वित्त एवं लेखा संवर्ग)

मुख्यालय				फील्ड
उत्तर प्रदेश से विकल्प प्राप्त				
1. उप आबकारी आयुक्त	02	01	सहायक आबकारी आयुक्त	12
2. सहायक आबकारी आयुक्त	02	01	आबकारी निरीक्षक	30
3. प्राविधिक अधिकारी	01	–	उप आबकारी निरीक्षक	06
4. सहायक लेखाकार	01	–	कनिष्ठ सहायक	14
5. वरिष्ठ लिपिक कम डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	–	प्रधान आबकारी सिपाही	16
6. आशुलिपिक	02	–	वाहन चालक	07
7. कनिष्ठ लिपिक कम कनिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर	02	–	आबकारी सिपाही	–
8. वाहन चालक	03	–	–	–
9. चतुर्थ श्रेणी	04	04	–	–
योगः–	19	06		231

(सचिव/आबकारी आयुक्त एवं संयुक्त सचिव/अपर सचिव
अपर आबकारी आयुक्त तथा संयुक्त सचिव आबकारी आयुक्त एवं वित्त
नियंत्रक/लेखाधिकारी को सम्मिलित कर)

	मुख्यालय	फील्ड	योग
अधिकारी	07	12	19
कर्मचारी	36	234	270

संलग्नक–3

उत्तराखण्ड राज्य के गठन से पूर्व संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त कार्यालय में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

30.04.2009

संयुक्त आबकारी आयुक्त	उप आबकारी आयुक्त	सहायक आबकारी आयुक्त	सहायक लेखाकार	वरिष्ठ लिपिक	आशुलिपिक	कनिष्ठ लिपिक	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी	कुल योग
स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	
01	02	02	02	02	02	04	03	05	23

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात आबकारी विभाग,उत्तराखण्ड में मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र०सं०	प्दनाम	स्वीकृत पद (मुख्यालय स्तर पर)	प्रस्तावित पदों की संख्या/मुख्यालय एवं जनपद स्तरों पर (शासन स्तर पर विचाराधीन)
1	आयुक्त	01	02
2	अपर आयुक्त, प्रषासन	01	–
3	अपर आबकारी आयुक्त, विभागीय	01	–
4	संयुक्त आबकारी आयुक्त	02	02
5	उप आबकारी आयुक्त	04	02
6	सहायक आबकारी आयुक्त	04	–
7	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	01	–
8	प्राविधिक अधिकारी	01	–
9	वैयक्तिक सहायक	01	01 पद वैयक्तिक साहयक ग्रेड–1 एवं 06 पद वैयक्तिक ग्रेड–2
10	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1	01	–
11	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–2	03	02 प्रशासनिक अधिकारी,ग्रेड–2
11	लेखाकार	02	–
12	वरिश्ठ सम्प्रेक्षक	01	–
13	आबकारी निरीक्षक	04	34 पद आबकारी निरीक्षक एवं 26 पद उप आबकारी निरीक्षक
14	मुख्य सहायक	12	08 पद मुख्यालय एवं 17 पद प्रवर सहायक 25 पद कनिष्ठ सहायक
16	आषुलिपिक	04	06 पद आशुलिपिक ग्रेड–1 एवं 04 पद आशुलिपिक ग्रेड–2
17	सहायक लेखाकार	02	
18	कनिश्ठ सम्प्रेक्षक	01	
21	प्रधान आबकारी सिपाही	02	31
22	वाहन चालक	09	09
23	आबकारी सिपाही	06	138
25	प्रयोगषाला सहायक	01	–
26	टनुसेवक	16	–

संलग्नक–4

आबकारी विभाग का प्रस्तावित जिला स्तरीय (फील्ड) संगठन

प्रस्तावित पदों का विवरण

क्रमांक/जनपद	जनपद के अन्तर्गत कुल सेक्टर/ सर्किल/ आसवनी बंधित शराब गोदाम	सहायक आबकारी आयुक्त		आबकारी निरीक्षक		उप आबकारी निरीक्षक		लिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर		प्रधान आबकारी सिपाही		आबकारी सिपाही		वाहन चालक		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी		कुल योग	
		पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0	पुरू स्त्री0	न0 स्त्री0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. नैनीताल	2 सेक्टर 1 गोदाम	01	01	03	03	—	—	02	01	02	02	13	09	01	01	01	01	23	18
2 उधमसिंहनगर	2 सर्किल 2 आसवनी	03	01	06	04	06	03	02	02	06	06	15	11	01	01	01	01	42	31
3. बागेश्वर	1 सर्किल	01	01	01	01	—	—	01	01	02	02	02	02	01	01	01	01	09	09
4. चम्पावत	1 सर्किल	01	01	01	01	—	—	01	01	02	02	02	02	—	—	—	—	08	08
5. अल्मोडा	2 सर्किल	01	01	02	02	—	—	01	01	03	03	06	05	01	—	01	01	15	13
6. पिथोरागढत्र	2 सर्किल	01	01	04	02	—	—	01	01	05	05	09	07	01	—	—	—	21	17
7. देहरादून	1 सेक्टर, 2 सर्किल, 1 गोदाम, 1 आसवनी	02	01	09	05	01	01	02	01	07	07	22	12	02	01	01	01	46	29
8. पौड़ी गढ़वाल	2 सर्किल	01	01	02	02	—	—	01	01	03	03	13	09	01	01	01	01	22	18
9. रूद्रप्रयाग	1 सर्किल	01	01	01	01	—	—	01	01	02	02	02	02	01	—	01	01	09	08
10. टिहरी गढ़0	2 सर्किल	—	—	02	02	—	—	—	—	03	03	13	09	—	—	—	—	18	14
11. उत्तरकाशी	2 सर्किल	—	—	04	02	—	—	—	—	04	04	12	08	—	—	—	—	20	14
12. चमोली	1 सर्किल	—	—	03	01	—	—	—	—	03	03	09	07	—	—	—	—	15	11
13. हरिद्वार	2 सर्किल, 1 गोदाम, सर्किल के साथ गोदाम सम्बद्ध	01	01	02	02	02	02	01	01	05	05	09	08	01	01	—	01	21	21
14. प्रवर्तन इकाई नैनीताल	(नैनीताल, उधमसिंहनगर, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा)	01	01	02	01	—	—	01	01	04	04	08	07	01	01	01	01	18	16
16. प्रवर्तन इकाई देहरादून	(देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार)	01	01	01	01	—	—	01	01	04	04	08	07	01	—	01	01	18	15
कुल योग		15	12	44	30	09	06	15	13	57	57	143	105	12	07	10	11	305	242

आज्ञा से

(सुभाश कुमार)
सचिव, आबकारी

नोट–1. शासन के पत्र संख्या 632/तेइस/2005/29/2004 दिनांक 27–4–2006 (छायाप्रति संलग्न, के अन्तर्गत प्राविधिक सहायक जो कमांक 19 पर अंकित है के पद को शासन द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस प्रकार अब 534 पद स्वीकृत रह गये हैं।

2.वित्त अधिकारी के पद पर वित्त सेवाओं से अधिकारी कार्यरत हैं।

3. वर्तमान में कुल 51 आबकारी निरीक्षक कार्यरत/उपलब्ध हैं, जिनमें से पदोन्नति के उपलब्ध 15 पदों के विपरीत केवल 3 कार्यरत हैं तथा सीधी भर्ती के उपलब्ध 58 पदों के विपरीत 48 आबकारी निरीक्षक कार्यरत हैं। इन 48 आबकारी निरीक्षकों में 6 आबकारी निरीक्षक तैनाती हेतु प्रतीक्षारत हैं। (शारीरिक मापदण्डों के पूर्ण न होने एवं शिथिलीकरण के संदर्भ में शासन को संदर्भित एवं शासकीय निर्देशों की प्रतीक्षा में।) तथा 3 आबकारी निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सीधी भर्ती के कुल 39 आबकारी निरीक्षक कार्यरत हैं।

4 शासन की नीति के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य आंदोलनकारियों को भी जिलाधिकारियों से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर एवं निःशक्त (समूह ग श्रेणी के अन्तर्गत चिन्हित) व्यक्तियों को निम्नानुसार सेवायोजित किया है, जिनको उपरोक्त कार्यरत में सम्मिलित किया जा चुका है–

	राज्य आन्दोलनकारी	निःशक्त
1. उप आबकारी निरीक्षक	–05	00
2. कनिष्ठ लिपिक	–03	01
3. वाहन चालक	–05	00
4. आबकारी सिपाही	–03	00
5. अनुसेवक	–07	02

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून

संख्याः1521/एस0टी0/अधि0–कार्य–विभा0/देहरादूनःदिनांक 20 फरवरी, 2002

कार्यालय ज्ञाप

आबकारी विभाग के मुख्यालय में नियुक्त/कार्यरत अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन पूर्व कार्यालय आदेश सं0 1319/एस0टी0/अधि0/कार्य0–विभा0 दिनांक 04.10.2001 द्वारा किया गया था। श्री एस0के0 गोयल, स0आ0आयु0/जिला आबकारी अधिकारी का हरिद्वार स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप मुख्यालय के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है–

1. श्री धीरेन्द्र वर्मा, संयुक्त आबकारी आयुक्त–श्री वर्मा, संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा निम्न कार्य सम्पादित कराये जायेंगे–

संयुक्त आबकारी आयुक्त के समस्त दायित्वों का निर्वहन।

वित्त, लोक सेवा समिति, आडिट, बजट संबंधी समस्त कार्य वित्त अधिकारी से सम्पादित/निस्तारित कराना।

मुख्यालय पर कार्यरत सभी अधिकारियों एवं स्टाफ पर नियंत्रण के रूप में सभी नैत्यिक कार्यों का निस्तारण।

आबकारी नीति 2002–03 को समय से तैयार करवाना।

2. श्री के0बी0 जौहरी, उप आबकारी आयुक्त– इनके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित कराये जायेंगेः–

लाइसेसिंग

विधि

विधानसभा प्रश्न आदि

अपीलें

नीतिकरण प्रकरण

सांख्यिकी संबंधी प्रकरण

प्राविधिक तथा लैब संबंधी कार्यों को प्राविधिक अधिकारी से सम्पादित करवाना।

उप आबकारी आयुक्त का एक पद रिक्त होने के कारण इनके अधीन निम्न कार्य अतिरिक्त कार्यभार के रूप में रहेंगे।

कार्मिक एवं अधिश्ठान

ई0आई0बी0

आहरण एवम् वितरण

3. श्री कुन्दन लाल, वित्त अधिकारी–इनके द्वारा निम्न कार्यों का निश्पादन कराया जायेगा–

वित्त एवं बजट समिति के मामले।

लोक लेखा समिति के मामले।

आडिट संबंधी प्रकरण।

बजट प्राप्ति/वितरण।

राजस्व प्राप्तियां।

कार्मिक विभाग के वित्त संबंधी मामले।

अनुज्ञापियों से विभिन्न प्रकार की जमा धनराशि का सत्यापन।

4. हर्शवर्धन चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा निम्न दायित्वों का सम्पादन कराया जायेगाः–

कार्मिक एवं अधिश्ठान।

लाइसेंसिंग।

उत्पादन एवं वितरण।

5. श्री धर्मवीर सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित कराये जायेंगे–

प्रवर्तन।

ई0आई0बी0।

दैनिकी।

विधिध जांचें।

बैठक प्रभारी।

6. प्राविधिक अधिकारी श्री राजीव लोचन शर्मा–इनके द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे–

प्राविधिक कार्य।

लैब संबंधी कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त समस्त अधिकारी समय–समय पर आयुक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। राजस्व वसूली तथा तत्संबंधी प्रकिया के लिए सभी जनपदों हेतु मुख्यालय के अधिकारी एवं विशेश रूप से जनपद देहरादून के लिए संयुक्त आबकारी आयुक्त एवम् हरिद्वार के लिए उप आबकारी आयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में उत्तरदायित्व निभायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(चन्द्र सिंह)
आयुक्त

संख्याः1522–27/एस0टी0/अधि0/कार्य0–विभा0/मुख्यालय तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
मुख्यालय में तैनात सभी अधिकारीगण।
समस्त जिला आबकारी अधिकारी।
समस्त संबंधित अनुभाग।
गार्ड पत्रावली हेतु

(चन्द्र सिंह)
आयुक्त

प्रतिलिपिः— सचिव, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग के अवलोकनार्थ।

आयुक्त, आबकारी

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

संख्याः208/आबकारी/105/2002/ देहरादून : दिनांक : 13 सितम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि राज्य में अवैध मदिरा एवं अन्य मादक वस्तुओं की तस्करी एवं बिक्री के नियंत्रण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तर प्रदेश एक्ट संख्या–4 सन् 1910) जो यथा उत्तरांचल राज्य में भी प्रभावी है, के अधीन मदिरा का अवैध व्यापार रोकने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य की सीमाओं पर जांच चौंकियों का स्थापित किया जाना आवश्यक है।

अतएव उपर्युक्त अधिनियम की धारा–10 (2)(घ) सपठित धारा 86 उ0प्र0 पुर्नगठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं0 29/2001) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल दिनांक अगस्त, 2002 से उत्तरांचल राज्य में नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर जांच चौकियां स्थापित करने का निर्देश देते हैं।

अनुसूची

क0 सं0	जनपद का नाम	सड़क का नाम	गांव/कस्बा या नगर जिसके निकट जांच चौकी स्थापित की जायेगी, का नाम	निकटतम नगर का नाम तथा उससे जांच चौकी की दूरी
1	हरिद्वार	रूड़की से मुजफ्फरनगर (दिल्ली–नीति पास राष्ट्रीय राजमार्ग)	मंगलौर	रूड़की से 11 से 12 किमी0 के मध्य।
2	हरिद्वार	रूडकी से सहारनपुर (राष्ट्रीय मार्ग संख्या–74)	भगवानपुर	रूड़की से 13 से 14 किमी0 के मध्य।
3	हरिद्वार	हरि,द्वार से नजीबाबाद (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या–74)	कांगड़ी	हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर हरिद्वार 5 किमी0 से 6 किमी0 के मध्य।
4	उधम सिंह नगर	नैनीताल से बरेली	सुतइया	किच्छा से 6 से 7 किमी0 के मध्य।
5	उधम सिंह नगर	रूद्रपुर से रामपुर (नैनीताल दिल्ली रोड़)	रूद्रपुर	रूद्रपुर से 1 से 2 किमी0 के मध्य।
6	उधम सिंह नगर	काशीपुर से मुरादाबाद मार्ग	शाहगंज	काशीपुर से 7 से 8 किमी0 के मध्य।
7	उधम सिंह नगर	बाजपुर से मुरादाबाद मार्ग	महेशपुरा	बाजपुर से 4 से 5 किमी0 के मध्य।

8	उधम सिंह नगर	टनकपुर से पीलीभीत मार्ग	मंझौला	खटीमा से 12 से 13 किमी0 के मध्य।
9	देहरादून	देहरादून से दिल्ली मार्ग	आशारोड़ी	देहरादून से 11 से 12 किमी0 के मध्य।
10	देहरादून	विकासनगर–सहारनपुर मार्ग	तिमली	विकासनगर से सहारनपुर को ओर विकासनगर से 12 से 13 किमी0 के मध्य
11	देहरादून	हर्बटपुर से पौंटा साहिब मार्ग	कुल्हाल	हर्बटपुर से 10 से 11 किमी0 के मध्य।
12	चम्पावत	बनबसा से महेन्द्रनगर (नेपाल मार्ग पर)	बनबसा	ब्नबसा से 1 से 2 किमी0 के मध्य।
13	पौड़ी गढ़वाल	कोटद्वार से नजीबाबाद मार्ग	कौड़िया	कोटद्वार से 1 से 2 किमी0 के मध्य।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः208(1)/आबकारी– तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को समचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोउ, माजरा, देहरादून।
2. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. मण्डलायुक्त, कुमायूं, मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढवाल।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल।
6. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि उक्त गजट की 100 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
अनुसचिव।

(118)

उत्तराखण्ड में अर्न्तराज्य चैक पोस्टों पर विभागीय स्वीकृत पदों का विवरण

जनपद का नाम	चैक पौस्ट का नाम	आबकारी निरीक्षक		उप आबकारी निरीक्षक		आबकारी सिपाही					योग	
						विभागीय			भू0पू0सै0			
							कार्यरत					
		स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	आब0 सिपाही	पी. आर. डी.	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्य
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
देहरादून	आशारोहड़ी	1	—	1	1	2	—	—	2	2	6	3
	तिमली	1	—	1	1	2	—	1	2	1	6	3
	कुल्हाल	1	—	1	1	2	—	1	2	2	6	4
हरिद्वार	नारसन	1	—	1	1	2	—	—	2	1	6	2
	भगवानपुर	1	—	1	1	2	—	1	2	1	6	3
	कुंआहेड़ी	1	—	1	1	2	—	1	2	2	6	4
पौड़ी गढ़वाल	कौडिया	1	—	1	1	2	—	2	2	2	6	5
उधमसिंह नगर	महेशपुरा	1	—	1	1	2	—	1	2	1	6	3
	शहागंज	1	—	1	1	2	1	—	2	1	6	3
	रूद्रपुर	1	—	1	1	2	—	1	2	—	6	2
	सुतैया	1	—	1	1	2	—	1	2	1	6	3
	मझोला	1	—	1	1	2	—	—	2	—	6	1
चम्पावत	बनबसा	1	—	1	1	2	—	1	—	—	4	2
योग		13	0	13	13	26	1	10	24	14	76	38

संख्याः / 65 / आब0 / 80 /
2002

प्रेशक,
बी0सी0 चंदोला,
सचिव
उत्तरांचल शासन
सेवा में,
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल देहरादून
आबकारी अनुभाग देहरादूनःदिनांक : 16 जनवरी, 2003
विषयः आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) के लिए लेखानुभाग हेतु पदों का सृजन एवं धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आबकारी विभाग के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) के आडिट एवं लेखानुभाग हेतु पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्नांकित अस्थाई पदों की उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में 28 फरवरी, 2003 तक यदि ये पद इसमें पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिए जाएं, श्री राज्यपाल महोदय सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रमांक	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	लेखाकार	01	5000–150–8000
2	वरिष्ठ सम्प्रेक्षक	01	5000–150–8000
3	कनिष्ठ सम्प्रेक्षक	01	4000–100–6000

2. उपरोक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. उक्त पदों के साथ–साथ उक्त पदधारकों के वेतनादि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 3,64,000/– (रूपये तीन लाख चौसठ हजार) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्रमांक	मद नाम	धनराशि (हजार रूपये में)
1	01– वेतन	1,68
2	03– महंगाई भत्ता	76
3	06– अन्य भत्ते	1,20
	(रूपये तीन लाख चौसठ हजार मात्र)	योग– 3,64

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–8 के लेखा शीर्षक–'2039–राज्य उत्पादन शुल्क–00–आयोजनेत्तर– 001–निदेशन तथा प्रशासन–03 अधिष्ठान–' के अन्तर्गत उपरोक्त उल्लिखित प्रस्तर–3 की प्राथमिक ईकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1767/वि0अ0–3/02 दिनांक 13–1–03 में प्राप्त उनके सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह)
उप सचिव

संख्या/65 (1)/आब0/तद् दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
3. वित्त अनुभाग–3
4. वित्त अनुभाग–2

आज्ञा से,

5. गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह)
उप सचिव

संख्या–153 / आब0 / 105 / 2002–2003

प्रेशक,

बी0सी0 चन्दोला
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादून दिनांकः 18 फरवरी, 2003

विशयः उत्तरांचल राज्य में आबकारी विभाग की 13 जॉच चौकियों की स्थापना के उपरान्त पद सृजन तथा धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक में आबकारी अनुभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 208 / आबकारी / 105 / 2002 दिनांक 13.9.2002 की ओर आपका ध्यान आकृश्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आबकारी विभाग के अन्तर्गत फील्ड स्टाफ के पूर्व स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 13 जॉच चौकियों के निमित्त निम्नांकित अस्थाई पदों की उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 28 फरवरी, 2003 तक बशर्ते कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाएं सृजित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्श प्रदान करते हैंः–

क0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	आबकारी निरीक्षक	13	5000–150–8000
2	आबकारी सिपाही	50	2750–70–3800–75–4400

2. उपरोक्त पद धारकों को (संविदा के पदों को छोड़कर) शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
3. आबकारी सिपाही के 50 पदों के विपरीत 24 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों को रू0 2700 / – प्रतिमाह के नियत वेतन पर संविदा के आधार पर रखा जायेगा और शेश पदों पर ही नई नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रकिया / दिशा निर्देश कार्मिक व न्याय विभाग की सहमति से विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे। संविदा में नियुक्ति से पूर्व इनसे न्याय विभाग द्वारा विधीक्षित लीज डीड निश्पादित करा ली जायेगी।

4. उक्त पदों के साथ–साथ उक्त पद धारकों के वेतनादि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू0 17,43,000/– (रू0 सत्रह लाख तैतालीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क0सं0	मद का नाम	धनराशि (हजार रूपये में)
1	01–वेतन	6,88
2	03–मंहगाई भत्ता	3,45
3	06– अन्य भत्ते	2,30
4	07–मानदेय	4,80
योग		17,43

(रू0 सत्रह लाख तैतालीस हजार मात्र)

5. उक्त व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, बजट मैनुअल, मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा और अवशेश बची धनराशि वित्तीय वर्श के अन्त पर शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
6. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्श 2002–03 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–8 के लेखाशीर्शक ''2039–राज्य उत्पादन शुल्क–00–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04 भट्टियां–00'' के अन्तर्गत उपरि उल्लिखित प्रस्तर–4 की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2360/वि0अ0–3/02 दिनाक 23.01.2003 मैं प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0सी0 चंदोला)
सचिव

संख्याः153(1)/आब0–तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।

वरिश्ठ कोशाधिकारी, देहरादून।

वित्त अनुभाग–3

गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)

अनुसचिव

आबकारी अनुभाग

संख्याः267 / आबकारी / 105 / 2002–03 / देहरादूनः दिनांकः 31 मार्च, 2003

कार्यालय ज्ञाप

आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर रखे जाने की प्रकिया का निर्धारण।

उत्तरांचल राज्य में नवसृजित आबकारी विभाग की जांच चौकियों में आबकारी सिपाहियों की तात्कालिक आवश्यकता को दृश्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय भूतपूर्व सैनिकों को संविदा पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित प्रकिया अवधारित किये जाने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर अधिकतम छः माह तक के लिए की जायेगी जिसे आवश्यकतानुसार आगे लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. संविदा के अनुबंध की शर्तों सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न है जो प्रत्येक नियुक्त भूतपूर्व सैनिक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व भरकर प्रस्तुत किया जायेगा।
3. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों को शासन द्वारा इन वर्गों के लिए नियत किये गये आरक्षण की सीमा तक अन्य बातें समान होने पर उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
4. नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक का पंजीकरण उत्तरांचल के किसी जिले के सैनिक कल्याण परिशद कार्यालय में होना आवश्यक है।
5. संविदा के आधार पर कुल परिलब्धियां रू0 2700 / – मात्र देय होंगी, जो इन्हें मिल रही पेंशन की धनराशि तथा उस पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राहत की धनराशि के अतिरिक्त होगी।
6. सेवा के दौरान किसी कार्यवाही पर आबकारी सिपाही की मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार को मिलने वाले लाभ संविदा पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य नहीं होंगे।

हस्ताक्षर अपठित
(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः267 (1) आब0–तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. वरिश्ठ कोशाधिकारी देहरादून।
4. उप आबकारी आयुक्त (कार्मिक अनुभाग)

हस्ताक्षर अपठित
(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः780–92/पांच–ई0आई0बी0(01) 2003–04

प्रेशक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांकः अप्रैल 29, 2003

विशय :– अन्तर्राज्यीय चैक पोस्टों पर चैकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में।

राज्य में विभिन्न जनपदों में कुल 13 आबकारी चैक पोस्ट की स्थापना की गयी है, जिन पर स्टॉफ भी नियुक्त किया जा चुका है। चैक पोस्टों के निरीक्षणों के समय यह देखने में आया कि उपस्थित स्टॉफ के द्वारा जांच किये जा रहे वाहनों का विवरण चैक पोस्टों पर समान रूप से प्रविश्टियां नहीं की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में समरूपता को बनाये रखने के लिए निम्नलिखित निर्देष दिये जा रहे हैं :–

1. एक पंजिका, जिसका प्रारूप संलग्न है, में सभी प्रकार के वाहनों की चैकिंग की प्रविश्टियां अंकित की जायेगी।
2. दूसरी पंजिका में निर्धारित प्रारूप में आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों एवं नियमावलियों के अन्तर्गत आने वाली मादक वस्तुओं एवं अन्य पदार्थो से सम्बन्धित प्रविश्टियां की जायेंगी। मादक वस्तुओं एवं अन्य पदार्थो जिनका परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5/6 आदि) द्वारा प्रवर्तित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है, से सम्बन्धित परिवहन पासों (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5/6 आदि) पर चैक पोस्ट पर

वाहन के चैक किये जाने के प्रमाण स्वरूप परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5/6 आदि) पर चैक पोस्ट की मोहर व चैक करने वाले कर्मचारी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। परिवहन पास (एम0एफ0–4, पी0डी0–25, 26, एफ0एल0–बी11, बी0डब्लू0एल0–7, एफ0एल0–36, एम0ए0–5/6 आदि) का विवरण, इस पास के अन्तर्गत परिवहन किये जाने वाले पदार्थ/मादक वस्तु का विवरण का अंकन पंजिका में किया जायेगा। यदि कोई विसंगति चैक पोस्ट पर पायी जाती है, तो सम्बन्धित वाहन को चैक पोस्ट पर रोक दिया जायेगा और चैक पोस्ट के स्टाफ द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक/जिला आबकारी अधिकारी के संज्ञान में लाया जायेगा, जिनके द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

3. जिला आबकारी अधिकारी मादक वस्तुओं एवं अन्य ऐसे पदार्थो के आयात एवं निर्यात परमिट जारी करते समय सम्बन्धित आयात/निर्यात पास में परिवहन पास में उस चैक पोस्ट का आवष्यक रूप से उल्लेख करेंगें, जिस मार्ग से परेशण गुजरेगा।
4. सम्बन्धित आयात परमिट के आधार पर परेशण जनपद में प्राप्त होने सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी, बंधित गोदाम/बंधाधीन गोदाम/बी0डब्लू0एफ0एल0–2/ एफ0एल0–2/आसवनी/चीनी मिल/एफ0एल0एम0–3 इस तथ्य को सुनिष्चित करेंगें कि प्रष्नगत परेशण निर्धारित मार्ग से ही आया है और उस पर जनपद में पड़ने वाली चैक पोस्ट पर चैकिंग कर ली गयी है, उसके उपरान्त ही सम्बन्धित परेशण का पंजिका में प्रविश्टि की जायेगी।
5. यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हो जिसमें वाहन चालक परेशण को निर्धारित चैक पोस्ट से चैक कराकर नहीं लाया है अथवा प्रष्नगत परेशण परिवहन पास की वैधता अवधि के भीतर नहीं है, तो उससे लिखित कारण पूछा जाये कि किन परिस्थितियों में वह निर्धारित मार्ग से विचलित हुआ,

और उसकी समुचित जांचोपरान्त ही सम्बन्धित परेशण को प्राप्त किया जाये।

6. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे निर्धारित प्रारूप में पंजिका एवं अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिष्चित करायेंगें और समय समय पर चैक पोस्टों का निरीक्षण करेंगें और उसमें अपनी प्रविश्टि अंकित करेंगें।
7. जबतक चैक पोस्टों पर आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिसके क्षेत्र में चैक पोस्ट स्थापित हुई है, उन चैक पोस्टों के प्रभारी निरीक्षक रहेगें एवं चैक पोस्टों के कार्यो एवं दायित्वों का सम्पादन सुनिष्चित करायेगें।

यह आदेष तत्काल प्रभावी होंगें।

(बी0सी0चन्दोला)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्याः793–855/पांच–ई0आई0बी0(01)2003–04/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ।
2. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
3. प्रभारी अधिकारी, आसवनियां/बाटलिंग यूनिट, उत्तरांचल।
4. समस्त आबकारी निरीक्षक, प्रभारी चैक पोस्ट, उत्तरांचल।
5. समस्त प्रभारी उप आबकारी निरीक्षक, चीनी मिलें, उत्तरांचल।

(बी0सी0चन्दोला)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी चैक पोस्ट प्रारूप–1

चैक पोस्ट का नाम :–

तिथि	वाहन चैकिंग का समय	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेषन नम्बर	वाहन में ले जा रहे सामान का विवरण	कहां से लाया गया	कहां ले जाया जा रहा है	ड्राईवर के हस्ताक्षर	उपस्थित आबकारी निरीक्षक/सिपाही के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आबकारी चैक पोस्ट प्रारूप–2

चैक पोस्ट का नाम :–

तिथि	क्रमांक	वाहन का प्रकार	रजिस्ट्रेषन नम्बर	परिवहन किये जा रहे मादक वस्तु/पदार्थ का नाम	कहां से लाया गया	कहां ले जाया जा रहा है	परिवहन पास संख्या एवं तिथि	क्या निर्धारित वैधता अवधि के भीतर है	ड्राईवर के हस्ताक्षर	उपस्थित आबकारी निरीक्षक/सिपाही के हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

संख्याः486/आब0/35/2003

प्रेशक,

विपिन चन्द्र चन्दोला,
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल
देहरादून।

आबकारी अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 18 जुलाई, 2003

महोदय,

उपर्युक्त विशयक आपके पत्र संख्याः1402/अधि.–एक–96/चालक, दिनांक 14 मई, 2003 के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आबकारी विभाग में वाहन चालकों की कमी के कारण निरीक्षण/आकस्मिक चैकिंग आदि कार्यों को सुचारू रूप से कराये जाने के लिए 10 वाहन चालकों की तात्कालीन आवश्यकता की पूर्ति भूतपूर्व सैनिक सहायता केन्द्र, हैडक्वार्टर उत्तरांचल सब एरिया, देहरादून द्वारा की जायेगी। उनके द्वारा वाहन चालक के रूप में प्रत्येक वाहन को रू0 3500/– मात्र (रू0 तीन हजार पांच सौ मात्र) की दर से नियत धनराशि पर भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध कराये जायेंगे

एवं धनराशि का भुगतान भूतपूर्व सैनिक कल्याण केन्द्र, उत्तरांचल, सब एरिया, देहरादून को सीधे किया जायेगा। विभाग में यह व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर अधिकतम एक वर्श या नियमित चयन होने तक जो भी पहले पड़ता हो तक की जायेगी। पूरे माह (अवकाश के दिनों को भी सम्मिलित करते हुए) वाहन चालक की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भूतपूर्व सैनिक सहायता केन्द्र देहरादून की होगी और माह में वाहन चालक की अनुपस्थिति के दिवसों के लिए समानुपातिक दर से कटौती की जायेगी।

कृपया विभाग में 10 वाहन चालकों की व्यवस्था हेतु भूतपूर्व सैनिक सहायता केन्द्र, देहरादून को सूचित करने का कश्ट करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कश्ट करें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्श 2003–04 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत लेखा शीर्शक ''2039–राज्य उत्पाद शुल्क–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिश्ठान एवं 04–भट्टियों'' की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–695/वि0अनु0–3 दिनांक 10 जुलाई, 2003 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विपिन चन्द्र चन्दोला)
सचिव

संख्याः486(1)/आब0–तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
वरिश्ठ कोशाधिकारी, देहरादून।
लै0 क0 पी0एस0 वर्मा, काउन्सिलर, भूतपूर्व सैनिक सहायता केन्द्र, हैडक्वार्टर, देहरादून।
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, देहरादून।
निदेशक, सैनिक कल्याण, देहरादून।
वित्त अनुभाग–3
गार्ड फाइल।,

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या:211 / एस0टी0 / अधिश्ठान देहरादून दिनांकः जून 16, 2004

कार्यालय ज्ञाप

षासनादेष संख्या 1061 दिनांक 14.2.2001 के द्वारा आबकारी विभाग में अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) का पद स्वीकृत है तथा पुनः विभागीय ढांचे में षासनादेष संख्या 865 दिनांक 22.8.2003 के द्वारा अपर आबकरी आयुक्त (विभागीय) का पद स्वीकृत किया गया है। तात्कालीन प्रभाव से अपर आबकारी आयुक्त के इन दो पदों के मध्य निम्न प्रकार कार्य विभाजन किया जाता है:–

1. अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन)– इनके अधीन निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाता है:–

1. प्रषासन तथा कार्मिक एवं अधिश्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।
2. शीरा / अल्कोहल की नीति निर्धारण तथा उसका अनुश्रवण एवं नियंत्रण सम्बन्धी समस्त कार्य।
3. मुख्यालय पर सामानय व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. जांच तथा विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त कार्य।
5. वित्त, लेखा एवं आडिट सम्बन्धी समस्त कार्य।
6. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा सन्दर्भित अपीलों की सुनवाई व निस्तारण।
7. ई0आई0बी0 से सम्बन्धित समस्त कार्य।
8. निर्दिश्ट मामलों / जनपदों निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य।
9. आबकारी आयुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

3. अपर आबकारी आयुक्त (विभागीय)– इनके अधीन निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जायेगाः–

1. आबकारी नीति निर्धारण एवं उनके कियान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य तथा देषी / विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन एवं उससे सम्बनिधत समस्त प्रकार के कार्य।

2. समस्त प्रकार के लाइसेंस की नीति निर्धारण, लाइसेंस निर्गमन सम्बन्धी कार्य।
3. प्राविधिक एवं औद्योगिक विकास सम्बन्धी समस्त कार्य।
4. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा संदर्भित अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण।
5. निर्दिश्ट मामलों/जनपदों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य।
6. आबकारी आयुक्त की ओर से अति महत्वपूर्ण मुकदमों में मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिषपथ पत्र लगाने तथा पैरवी से सम्बन्धित कार्य।
7. विधि अनुभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य।
8. आबकारी आयुक्त आयुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

चूंकि वर्तमान में विभाग में अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) के पद पर कोई अधिकारी तैनात नहीं है एवं पद रिक्त है। अतः अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) के पद का कार्यभार भी अपर आबकारी आयुक्त (विभागीय) अपने कार्यों के साथ–साथ अग्रिम आदेषों तक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में करेंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः212–30/एस0टी0/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, आबकारी उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
3. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
4. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
5. गार्ड फाइल।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः231/एस0टी0/अधिश्ठान देहरादून दिनांकः जून 16, 2004

कार्यालय ज्ञाप

तत्कालीन आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून के आदेश संख्या 1521 दिनांक 20 फरवरी, 2002 के द्वारा आबकारी आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन कियिा गया था। उत्तरोत्तर कार्य में वृद्वि एवं विभिन्न प्रकार के न्याय विवादों को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि मुख्यालय में अधिकारियों के मध्य कार्य का पुनः आबंटन कर दिया जाये। इस संबंध में मुख्यालय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को दृश्टिगत रखते हुए निम्नलिखित 6 अनुभागों का सृजन किया जाता है जिनके द्वारा उनके नाम के नीचे अंकित कार्यों का सम्पादन किया जायेगाः–

1. लाइसेंस अनुभागः–

- वार्शिक आबकारी नीति निर्धारण एवं समय–समय पर तत्संबंधी संशोधन विशयक कार्य।
- आसवनी, बाटलिं प्लान्ट, गैसोहाल/एथेनॉल प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना, उत्पान, बाटलिंग, मार्केटिंग आदि के अनुज्ञापन एवं उनके नवीनीकरण तथा मानिटरिंग आदि से संबंधित समस्त कार्य।
- विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2), बाण्डेड बेयर हाउस (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0– 2/2बी) संबंधी समस्त कार्य।
- देशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन, बंधित गोदाम, मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।
- देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन, व्यवस्थापन, आपूर्ति, निरीक्षण एवं तत्संबंधी समस्त प्रकार के कार्य।
- होलोग्राम छपाई, आपूर्ति एवं अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्य।
- मिलट्री कैन्टीनों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन एवं रियायती रम की बिकी संबंधी समस्त कार्य।
- बार/क्लब बार अनुज्ञापन (एफ0एल0–6/7) जारी करना, नवीनीकरण, लासेंस फीस एवं तत्संबंधी समस्त कार्य।
- विभिन्न सैन्य इकाइयों को विभिन्न सैन्य समारोहों में प्रयुक्त होने वाली विदेशी मदिरा एवं बियर पर देय अभिकर में छूट देने संबंधी कार्य।

- विभिन्न मादक पदार्थों से संबंधित अभिकर/एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए लाइसेसिंग प्रणालियों से संबंधित नीतियों का निर्धारण, कियान्वयन, समीक्षा एवं आवश्यक सुझावों को तैयार करना।

2. अधिश्ठान/कार्मिक अनुभाग–

- राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के अधिश्ठान संबंधी मामले, अधियाचन, नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रत्यावेदन निस्तारण, स्थानांतरण, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रषासनिक कार्यवाही आदि सेवा संबंधी समस्त कार्य।
- अधिश्ठान से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं को निस्तारण, सेवा नियमावली बनाना एवं संषोधन संबंधी कार्य।
- कार्मिकों की वैयक्तिक पत्रावलियों, सेवा पुस्तिकाओं एवं चरित्र पंजियों का रख–रखाव।

3. उत्पादन/वितरण (शीरा/अल्कोहल) अनुभागः–

- वार्शिक शीरा नीति का निर्धारण, शीरा नियंत्रण, शीरा निधि, शीरा आयात–निर्यात संबंधी कार्य।
- चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे का मूल्य एवं शीरा संबंधी अन्य सभी कार्य।
- राज्याधीन आसवनियों में अल्कोहल उत्पादन संबंधी कार्य।
- राज्य में उत्पादित अल्कोहल के वितरण (राज्य के आबंटन, उपभोग, निर्यात आदि) पर नियंत्रण एवं समीक्षात्मक कार्य।
- अल्कोहल आयात संबंधी समस्त कार्य।
- 9–ए–आसवनियों में अल्कोहल का (रेक्टिफाइड स्प्रिट/विकृत सुरा/विशेश सुरा/ई0एन0ए0/ एब्सोल्ट एल्कोहल) का उत्पादन, वितरण (निर्यात/बिकी) आदि से संबंधित कार्य।
- 10–सी–मोटर स्प्रिट/डीजल ऑयल/अल्कोहल (सेल्स परचेज) एक्ट 1939 एवं नियमावली, 1977 के प्राविधानों का नियंत्रण संबंधी कार्य।
- डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट अनुज्ञापन, रासायनिक इकाईयों को एफ0एल0–39, एफ0एल0–40, एफ0एल0–41 व अन्य लाइसेंस स्वीकृति/नवीनीकरण, कन्ट्रोल एवं इनसे संबंधित समस्त कार्य।

ई0आई0बी0/प्रवर्तन अनुभाग–

- परिवाद संबंधी समस्त कार्य यथा शिकायतों का निस्तारण, विभागीय जांच, सतर्कता जांच आदि से संबंधित समस्त कार्य।

- जनपद स्तर पर विभागीय प्रवर्तन कार्यवाही, उपभोग, अभियोगों की समीक्षा एवं मानिटरिंग।
- एम0डी0ओ0 की सूचना संकलन/प्रेशण संबंधी कार्य।
- करापवंचना, विधि जांचों की समीक्षा व निस्तारण।
- प्रवर्तन इकाइयों की मानिटरिंग, मुख्यालय से संचालित किये जाने वाले समस्त प्रवर्तन अभियानों की रूपरेखा तय करना एवं मानिटरिंग।
- विशेष प्रवर्तन अभियानों की समीक्षा, मदिरा की दुकानों का निरीक्षण एवं समीक्षा व नियंत्रण।
- 10–डी–आबकारी आबजैक्शनल एडवरटाइजमेन्ट अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियंत्रण संबंधी कार्य।

लेखा/वित्त/आडिट अनुभाग–

- विभागीय बजट संबंधी कार्य।
- बजट प्राप्ति/वितरण, राजस्व प्राप्ति की मानिटरिंग।
- जनपदीय कार्यालयों का आडिट संबंधी कार्य।
- मुख्यालय का आडिट महालेखाकार से करवाना।
- आडिट आपत्तियों का निराकरण।
- लोक लेखा समिति संबंधी कार्य।
- सांख्यिकी कार्य।

6. प्राविधिक अनुभाग–

- प्रदेश के सभी बंधित/अबंधित औशधि निर्माणशालाओं, सुरासव, विकृत सुरा, एल्कोहल पर आधारित उद्योगों/मदिरा, शीरा के नमूनों की जांच आदि का कार्य।
- उक्तवत् जांच कार्य हेतु प्रयोगशाला का रख–रखाव आदि का कार्य।

7. विधि संबंधी कार्य–

उक्तवत् अनुभागों द्वारा अपने–अपने अनुभागों से सम्बन्धित विधि संबंधी कार्य जैसे पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल, मा0 उच्च न्यायलय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में वादों की पैरवी करना एवं तत्संबंधी कार्य किये जायेंगे। इसकी मानिटरिंग अपर आबकारी आयुक्त द्वारा की जायेगी।

उपरोक्तानुसार सृजित अनुभागों का कार्य विभाजन मुख्यालय में उपलब्ध अधिकारियों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता हैः–

1. श्री के0बी0 जौहरी, उप आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा लाइसेंस अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा तथा पत्रावलियां अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

2. श्री हर्शवर्धन चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा अधिश्ठान/कार्मिक अनुभाग, उत्पादन/वितरण (शीरा/अल्कोहल) अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा तथा पत्रावलियां अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

3. श्री एस0के0 गोयल, सहायक आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा ई0आई0बी0/प्रवर्तन अनुभाग एवं प्राविधिक अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा तथा पत्रावलियां अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

4. श्री बी0पी0एस0 त्यागी, वित्त अधिकारी–इनके द्वारा लेखा/वित्त/आडिट अनुभाग से संबंधित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा तथा पत्रावलियां अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपने–अपने अनुभागों से संबंधित विधि संबंधी समस्त कार्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सम्पादित कराये जायेंगे जिसकी मानिटरिंग अपर आबकारी आयुक्त द्वारा की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का तात्कालिक प्रभाव से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः 232–38/एस0टी0/अधिश्ठान/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेशितः–

1. अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः158—ग्टप्;1द्धध्9;17द्धध्2004

प्रेशक,

डा0 आर0एस0 टोलिया
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

3. मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल

4. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

5. समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग — देहरादूनः दिनांक 04 अगस्त, 2004

विशयः शासकीय/अर्द्धशासकीय अधिश्ठानों/सार्वजनिक उपकमों में कतिपय पदों पर पूर्व सैनिक उद्यम लि0 से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि सेना सेवा से मुक्त किये गये अधिकारियों एवं कार्मिकों के पुर्ननियोजन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार तत्पर है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन पुर्नवासन महानिदेशालय पूर्व सैनिकों के लिए गठित किया गया है। राज्य स्तर पर निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुर्नवासन कार्यालय गठित है। पूर्व सैनिकों का पुर्नवासन, पुर्ननियोजन अथवा स्वतः रोजगार के माध्यम से किया जाता है। राज्य अधीन सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराया गया है।

सभी राज्यों में समय–समय पर संविदा के आधार पर मानव शक्ति की आवश्यकता महसूस की गयी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक राज्यों में पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्य इकाइयां गठित की गयी हैं। पूर्ववर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण निगम कार्यरत हैं। मार्च, 2004 में उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) का गठन किया गया है तथा कम्पनी ने व्यावसायिक गतिविधियां आरम्भ कर दी हैं।

भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के सार्वजनकि उद्यम विभाग ने भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों को जारी कियेि गये अपने परिपत्र में निर्देशित किया है कि यदि सार्वजनिक उपकमों द्वारा संविदा के आधार पर सुरक्षाकर्मी नियोजित किये जाते हैं तो ऐसे सुरक्षा कर्मचारी ही नियोजित किये जायें जो महानिदेशक, पुर्नवासन द्वारा प्रायोजित हो अथवा जो सम्बन्धित राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित हो। उक्त निर्देशों में यह भी स्पश्ट किया गया है कि पुर्नवासन महानिदेशालय अथवा राज्य पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 द्वारा प्रायोजित पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सुरक्षा कर्मी नियोजित करने हेतु संबंधित सार्वजनिक उपकम को किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के निर्देशों में यह स्पश्ट किया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पुर्नवासन महानिदेशालय द्वारा संविदा पर रखे जाने वाले सुरक्षाकर्मी के लिए निश्चित की गयी दरों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए।

उत्तरांचल में लगभग सभी विभागों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है। निर्धारित प्रकिया के अनुसार रिक्त स्वीकृत पदों को पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की कार्यवाही गतिमान है, परन्तु तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्थाई रूप से कार्मिकों की आवश्यकता विद्यमान है। इसे दृश्टिगत रखते हुए, उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) को निर्देशित किया गया है कि वे अर्हता प्राप्त पूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिश्ठानों/सार्वजनिक उपकमों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (उपसुल) ने सूचित किया है कि वे इस पत्र के संलग्नक में दर्शाये गये श्रेणी के कार्मिकों को संविदा पर उपलब्ध करा सकता है। संलग्नक में प्रत्येक श्रेणी के कार्मिक के सम्मुख 'उपसुल' को प्रतिमाह देय धनराशि इंगित की गयी है। पूर्ण माह हेतु कार्मिकों की आवश्यकता न होने की स्थिति में 15 दिन अथवा उससे ऊपर की अवधि के लिए पूर्ण माह हेतु निश्चित की गयी धनराशि देय होगी और यदि कार्मिकों की सेवायें 15 दिन से कम दिन के लिए प्राप्त की गयी है तो निश्चित धनराशि का आधा भाग देय होगा। संलग्नक में श्रेणीवार कर्मचारी की मासिक अवधि के लिए देय धनराशि के अतिरिक्त 'उपसुल' को मासिक धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) के रूप में देय होगी। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विधि अनुसार यदि कोई आय कर निर्धारित किये जाते हैं तो वे भी देय होंगे। 'उपसुल' द्वारा इस आदेश के अधीन उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को सप्ताह में 6 दिन 8 घण्टे की ड्यूटी देनी होगी। राश्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी

जयन्ती) को छोड़ते हुए अन्य सार्वजनिक अवकाशों के दौरान भी इन कार्मिकों को ड्यूटी देनी होगी। यदि किसी कारण इनको अवकाश की आवश्यकता पड़ती है तो 'उपसुल' प्रतिस्थानी कर्मचारी उपलब्ध करायेगा। 'उपसुल' द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं उपसुल की होगी तथा किसी कार्मिक को उपसुल को लौटा दिया जायेगा तथा उपसुल उसके स्थान पर प्रतिस्थानी कार्मिक उपलब्ध करायेगा। उपसुल द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों के द्वारा अपने किसी कृत्य अथवा लापरवाही से क्षति पहुंचाई जाती है तो ऐसी क्षति की पूर्ति के लिए उपसुल जिम्मेदार होगा।

इस पत्र के संलग्नक में दर्शाये गये कार्मिकों की श्रेणी में किसी कार्मिक की आवश्यकता हो तो सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिश्ठान, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपकम, सोसाइटी, आयोग अपनी मांग कर्नल (अ0प्र0) श्री पी0एस0 वर्मा, सामान्य महाप्रबंधक , उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 (वर्तमान दूरभाश सं0–0135–2665659, वर्तमान पता–बी–89 सेक्टर–4, डिफेंस कालोनी, देहरादून) को भेज सकते हैं।

उपसुल से उपरोक्तानुसार संविदा पर संलग्नक में दर्शाये गये कार्मिकों की सेवा प्राप्त करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

संविदा पर रखे गये इन कार्मिकों को कोई भी ओवर टाइम अनुमन्य नहीं होगा।

भवदीय,

(डा0 आर0एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

सख्याः158–ग्टप्;1द्धध्.9;17द्धध्2004 /तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

बिग्रेडियर (अ0प्र0) रमेश भाटिया, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, कचहरी कैम्पस, उत्तरांचल देहरादून।

निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से

(एस0 के0 मुट्टु)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

शासन के पत्र सख्याः158—ग्टप्;1द्धध्.9;17द्धध्2004 /8.4.2004 का अनुलग्नक

श्रेणीवार कार्मिकों हेतु अनुमोदित दरें

कार्मिकों की श्रेणी	धनराशि रूपये में
चौकीदार (सशस्त्र)	5400.00
चौकीदार (लाठी, सीटी एवं टार्च सहित)	4700.00
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4000.00
लिपिक (कम्प्यूटर पर टंकण तथा एम0एस0 आफिस का ज्ञान)	5700.00
चालक (लाइसेंस युक्त)	5400.00

संख्याः 900 / ग्टप्;1द्ध.3ध्05.09;102द्धध्02

प्रेशक,

एस0के0 मुट्टू
प्रमख सचिव एवं आयुक्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तरांचल शासन

मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल

समस्त सरकारी
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

समस्त जिलाधिकारी
उततरांचल।

प्रबन्ध निदेशक
उपसुल।

समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तरांचल।

सैनिक कल्याण (समाज कल्याण) देहरादून दिनांक 28 मई, 2005

विशयः शासकीय/अर्धशासकीय अधिश्ठानों/सार्वजनिक उपकमों/सरकारी विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थाओं/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं/फोरेस्ट ट्रस्ट अस्पताल/मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी/टिहरी डेम प्रोजेक्ट में कतिपय पदों पर उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 से संविदा पर कार्मिक प्राप्त करने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल सरकार के शासनादेश सख्याः158—ग्टप्;1द्धध्9;17द्धध्2004 /दिनांक 4.8.2006 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं—

(क) विभागाध्यक्ष उक्त शासनादेश के आधार पर/कार्मिकों को विभागीय रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संविदा पर सुरक्षा, तकनीकी तथा विविध सेवाओं में कार्मिकों को उपसुल से सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) सरकार के श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा वेतन/महंगाई भत्ते में वर्श में दो बार जो वृद्धि की गयी है, शासनादेश में संलग्न वेतनमान में सम्मिलित कर तदनुसार कार्मिकों को देय होगी।

(ग) सर्विस चार्ज तत्काल प्रभाव से 12 प्रतिशत की दर से देय होगा।

(घ) सरकार के वित्त विभाग द्वारा जो भी सर्विस टैक्स समय–समय पर निर्धारित/संशोधित होगा तदनुसार सर्विस टैक्स, कार्मिकों की श्रेणीवार जो कि शासनादेश के साथ संलग्न है, देय होगा।

भवदीय,

(एस0के0 मुट्टु)
प्रमुख सचिव

शासन के पत्र सं0: 900/ग्टप्;1द्ध.3ध्05.09;102द्धध्02/दिनांक: 24.05.05 का अनुलग्नक

श्रेणीवार कार्मिकों हेतु अनुमोदित दरें प्रतिमाह

क0 सं0	कार्मिकों की श्रेणी	धनराशि (रूपये में)	सर्विस चार्ज 12 प्रति0	योग	सर्विस टैक्स 10.2 प्रतिशत	उपसुल को कुल देय धनराशि
1	चतुर्थ श्रेणी	4000	480	4480	48.96	4529
2	चौकीदार (लाठी, सीटी एवं टार्च सहित)	4700	564	5264	536.92	5800
3	चौकीदार (सशस्त्र)	5400	648	6048	616.89	6665
4	सुपरवाइजर/गार्ड कमाण्डर	6250	749.96	7000	713.96	7714
5	तकनिकी ग्रेड–2/ड्राईवर	5400	648	6048	66.09	6114
6	तकनिकी ग्रेड–1	5700	683.94	6383.44	69.76	6453
7	लिपिक (एम0एस0ओ0 का ज्ञान)/ कम्प्यूटर डाटा इन्ट्री आपरेटर/ कम्प्यूटर आपरेटर/मिटर रिडर/डाटा फिडर/डी0ई0ओ0/टेलीफोन टैक्नीशियन/एकाउन्टेंट/स्टोर कीपर	6550	786	7339	8017	7416
8	स्टेनो एवम कम्प्यूटर आपरेटर	7350	882	8232	90	8322
9	अस्टिेन्ट एडमिन0 औफिसर/अस्टिेन्ट प्रोजेक्ट औफिसर/कनिश्ठ अभियन्ता	8036	964	9000	98.37	9099
10	एडमिन0 औफिसर/रिजनल प्रोजेक्ट आफिसर	18794	2255	21050	230	21280
11	मुख्य एडमिन0 औफिसर/मुख्य प्रोजेक्ट औफिसर	20963	2516	23478	257	23735

भारत सरकार, वित्त विभाग रैविन्यु तथा टैक्स यूनिट के पत्रांकः बी–2/08/2004 टी0आर0यु0 दिनांक 09/2004 के अन्तर्गत सर्विस टैक्स 10.2 प्रतिशत देय है। सिक्योरिटी सर्विसेज में सर्विस चार्ज योग पर देय होगा तथा अन्य पर सर्विस टैक्स, केवल सर्विस चार्ज देय होगा।

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः 8773/अधिश्ठान/ देहरादूनः नवम्बर 21, 2004

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0 231/एस0टी0/अधिश्ठान दिनाक 16 जून, 2004 के द्वारा आबकारी मुख्यालय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के दृश्टिगत आबकारी आयुक्त कार्यालय में 6 अनुभागों का सृजन करते हुए आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन किया गया था। वर्तमान में विभाग में वादों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ने के कारण पूर्व में सृजित 6 अनुभागों के अतिरिक्त 1 और अनुभाग विधि अनुभाग सृजित किया जाता है। इस प्रकार अब आबकारी मुख्यालय में अनुभागों की कुल 7 हो जायेगी। अतः इन अनुभागों के कार्य का विभाजन मुख्यालय में स्वीकृत 4 उप आबकारी आयुक्तों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता हैः–

1. उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंस) :– उप आबकारी आयुक्त लाइसेसिंग के अधीन लाइसेंस अनुभाग से संबंधित कार्य रहेंगे, जो निम्न प्रकार हैंः–

- वार्शिक आबकारी नीति निर्धारण एवं समय–समय पर तत्संबंधी संशोधन विशयक कार्य।
- आसवनी, बाटलिं प्लान्ट, गैसोहाल/एथेनॉल प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना, उत्पान, बाटलिंग, मार्केटिंग आदि के अनुज्ञापन एवं उनके नवीनीकरण तथा मानिटरिंग आदि से संबंधित समस्त कार्य।
- विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2), बाण्डेड बेयर हाउस (बी0डब्ल्यू0एफ0एल0– 2/2बी) संबंधी समस्त कार्य।
- देशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन, बंधित गोदाम, मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण संबंधी समस्त कार्य।
- देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अनुज्ञापन, व्यवस्थापन, आपूर्ति, निरीक्षण एवं तत्संबंधी समस्त प्रकार के कार्य।
- होलोग्राम छपाई, आपूर्ति एवं अनुरक्षण संबंधी समस्त कार्य।
- मिलट्री कैन्टीनों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन स्वीकृति संबंधी कार्य, उनके द्वारा विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री के अनुज्ञापन एवं रियायती रम की बिक्री संबंधी समस्त कार्य।

- बार/क्लब बार अनुज्ञापन (एफ0एल0–6/7) जारी करना, नवीनीकरण, लाईसेंस फीस एवं तत्संबंधी समस्त कार्य।
- विभिन्न सैन्य इकाइयों को विभिन्न सैन्य समारोहों में प्रयुक्त होने वाली विदेशी मदिरा एवं बियर पर देय अभिकर में छूट देने संबंधी कार्य।
- विभिन्न मादक पदार्थों से संबंधित अभिकर/एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए लाइसेसिंग प्रणालियों से संबंधित नीतियों का निर्धारण, कियान्वयन, समीक्षा एवं आवश्यक सुझावों को तैयार करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त उप आबकारी आयुक्त लाइसेसिंग के अधीन विधि अनुभाग से संबंधित कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

2. उप आबकारी आयुक्त (अधिश्ठान/कार्मिक)

इनके अधीन अधिश्ठान/कार्मिक अनुभाग से संबंधित कार्यों का सम्पादन किया जायेगा, जो निम्नवत् हैः–

- राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के अधिश्ठान संबंधी मामले, अधियाचन, नियुक्ति, प्रोन्नति, प्रत्यावेदन निस्तारण, स्थानांतरण, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रषासनिक कार्यवाही आदि सेवा संबंधी समस्त कार्य।
- अधिश्ठान से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाओं को निस्तारण, सेवा नियमावली बनाना एवं संषोधन संबंधी कार्य।
- कार्मिकों की वैयक्तिक पत्रावलियों, सेवा पुस्तिकाओं एवं चरित्र पंजियों का रख–रखाव।
- आहरण–वितरण का कार्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त उप आबकारी आयुक्त के अधीन, जब तक मुख्यालय में प्राविधिक अधिकारी की नियुक्ति/व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक, प्राविधिक अनुभाग का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा।

3. उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन/वितरण (शीरा/अल्कोहल)

इनके अधीन उत्पादन/वितरण (शीरा/अल्कोहल) अनुभाग से संबंधित कार्यों का निश्पादन किया जायेगा जो निम्न प्रकार हैः–

- वार्शिक शीरा नीति का निर्धारण, शीरा नियंत्रण, शीरा निधि, शीरा आयात–निर्यात संबंधी कार्य।
- चीनी मिलों द्वारा उत्पादित शीरे का मूल्य एवं शीरा संबंधी अन्य सभी कार्य।
- राज्याधीन आसवनियों में अल्कोहल उत्पादन संबंधी कार्य।

- राज्य में उत्पादित अल्कोहल के वितरण (राज्य के आबंटन, उपभोग, निर्यात आदि) पर नियंत्रण एवं समीक्षात्मक कार्य।
- अल्कोहल आयात संबंधी समस्त कार्य।
- 9–ए–आसवनियों में अल्कोहल का (रेक्टिफाइड स्प्रिट/विकृत सुरा/विशेश सुरा/ई0एन0ए0/ एब्सोल्ट एल्कोहल) का उत्पादन, वितरण (निर्यात/बिक्री) आदि से संबंधित कार्य।
- 10–सी–मोटर स्प्रिट/डीजल ऑयल/अल्कोहल (सेल्स परचेज) एक्ट 1939 एवं नियमावली, 1977 के प्राविधानों का नियंत्रण संबंधी कार्य।
- डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट अनुज्ञापन, रासायनिक इकाईयों को एफ0एल0–39, एफ0एल0–40, एफ0एल0–41 व अन्य लाइसेंस स्वीकृति/नवीनीकरण, कन्ट्रोल एवं इनसे संबंधित समस्त कार्य।

4. उप आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0/प्रवर्तन)

इनके अधीन ई0आई0बी0/प्रवर्तन अनुभाग से संबंधित कार्यों का निश्पादन किया जायेगा जो निम्न प्रकार हैः–

- परिवाद संबंधी समस्त कार्य यथा शिकायतों का निस्तारण, विभागीय जांच, सतर्कता जांच आदि से संबंधित समस्त कार्य।
- जनपद स्तर पर विभागीय प्रवर्तन कार्यवाही, उपभोग, अभियोगों की समीक्षा एवं मानिटरिंग।
- एम0डी0ओ0 की सूचना संकलन/प्रेशण संबंधी कार्य।
- करापवंचना, विधि जांचों की समीक्षा व निस्तारण।
- प्रवर्तन इकाइयों की मानिटरिंग, मुख्यालय से संचालित किये जाने वाले समस्त प्रवर्तन अभियानों की रूपरेखा तय करना एवं मानिटरिंग।
- विशेष प्रवर्तन अभियानों की समीक्षा, मदिरा की दुकानों का निरीक्षण एवं समीक्षा व नियंत्रण।
- 10–डी–आबकारी आबजैक्शनल एडवरटाइजमेन्ट अधिनियम 1976 के अन्तर्गत नियंत्रण संबंधी कार्य।

उपरोक्तानुसार 4 उप आबकारी आयुक्तों के कार्य का प्रभार आबकारी मुख्यालय में वर्तमान में उपलब्ध 3 उप आबकारी आयुक्तों के मध्य निम्न प्रकार विभाजित किया जाता हैः–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, उप आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा उप आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी/प्रवर्तन) के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

2. श्री हर्शवर्धन चतुर्वेदी, सहायक आबकारी आयुक्त–इनके द्वारा उप आबकारी आयुक्त (अधिश्ठान/कार्मिक) के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा तथा जब तक मुख्यालय में चौथे उप आबकारी आयुक्त के पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन/वितरण (शीरा/अल्कोहल) के पद के दायित्वों का भी निर्वहन अतिरिक्त रूप से किया जायेगा।

3. श्री टी0पी0 सिंह, उप आबकारी आयुक्त– इनके द्वारा उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

उप आबकारी आयुक्त लाइसेसिंग से संबंधित समस्त पत्रावलियां तथा विधि एवं प्राविधिक अनुभाग से संबंधित समस्त पत्रावलियां संयुक्त आबकारी आयुक्त के माध्यम से अपर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी। अपर आबकारी आयुक्त समस्त पत्रावलियां आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

उप आबकारी आयुक्त अधिश्ठान/कार्मिक (प्राविधिक अनुभाग को छोड़कर) उप आबकारी आयुक्त उत्पादन/वितरण तथा उप आबकारी आबकारी आयुक्त ई0आई0बी0/प्रवर्तन से संबंधित समस्त पत्रावलियां सीधे अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेंगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त लेखा/वित्त/आडिट का कार्य पूर्व की भांति वित्त अधिकारी के अधीन रहेगा जो अपनी पत्रावलियां अपर आबकारी आयुक्त के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त

संख्याः 8774–84/अधिश्ठान तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेशितः–

1. अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
2. श्री के0बी0 जौहरी, संयुक्त आबकारी आयुक्त।
3. श्री अनिल कुमार शर्मा/श्री हर्शवर्धन चतुर्वेदी/श्री टी0पी0 सिंह, उप आबकारी आयुक्त।
4. श्री बी0पी0एस0 त्यागी, वित्त अधिकारी।
5. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त

संख्याः 8786 / अधिश्ठान तद्दिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन के संज्ञानार्थ प्रेशित।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त

उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग–2

संख्याः1388 / ग्ग.2 / 2004 देहरादून, 11 अक्टूबर, 2004

सा0प0नि0–16

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1997 जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल में प्रवृत्त है, की धारा 3(1) (दो) के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय उक्त धारा 3(1) में उल्लिखित आरक्षण का प्रतिशत संलग्न अनुसूची में उल्लिखित पदों यथा समय–समय पर संशोधित पर सीधी भर्ती के प्रकम पर लागू करने की एतद्द्वारा सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनुसूची

विभाग का नाम	पदनाम	वेतनमान	विकलांगता जिसके लिए चिन्हित किया गया है क. दृश्टिहीनता या कम दृश्टि ख. श्रवणह्रास ग. चलनकिया संबंधी निःशक्ता या प्रमस्तिश्कीय अंगपात।
1. आबकारी	1. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	2. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	3. चपरासी / चौकीदार	2550–3200	ग
2 व्यापार कर	1. व्यापार कर अधिकारी	8000–13500	ग
	2. व्यापार कर अधिकारी	5500–9000	ग
	3. संख्याधिकारी	8000–13500	ग
	4. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	5. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	6. अन्वेषक एवं संगणक	4500–7000	ग
	7. सुपरवाइजर	4000–6000	ग
	8. डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050–4590	ग
	9. लेखा परीक्षक	4000–6000	ग
	10. लेखा / कैशियर	4500–7000	ग
	11. हा0 प्रोग्रामर / कन्सोल आपरेटर	4500–7000	ग
	12. सेवक / चौकीदार	2550–3200	ग
3. मनोरंजन कर विभाग	1. मनोरंजन कर निरीक्षक श्रेणी–2	4500–7000	ग
	2. कनिष्ठ लिपिक	3050–4500	ग
	3. चपरासी	2550–3200	ग
4. स्टाम्प एवं निबंधक विभाग	1. उप निबन्धक	6500–10500	ग
	2. चतुर्थ श्रेणी	3050–4590	ग
5. निर्वाचन विभाग	1. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग

	2. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ग
6. पर्यटन विभाग	1. सहायक स्वागत अधिकारी	4500–7000	क
	2. टंकक/लिपिक सह–डाटा इन्ट्री आपरेटर	3050–4590	ग
7. नियोजन विभाग	1. अनुसेवक	2550–3200	ख
	2. कनिश्ठ सहायक	3050–4590	ग
	3. आशुलिपिक	4500–7000	ग
	4. अन्वेशक	4500–7000	ग
	5. आशुलेखन	4000–6000	ग
8. पशुपालन विभाग	1. प्रयोगशाला सहायक	4500–7000	ख
	2. अन्वेशक कम संगणक/ सांख्यिकी सहायक	3200–3900	ख
	3. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ख एवं ग
	4. चारा सहायक	3200–3900	ख
	5. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ख
9. सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	1. अधिकारी	8500–14600	ग
	2. सहायक अधिकारी	4000–6000	ग
	3. कनिष्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	4. चपरासी	2550–3200	ख
10. उद्यान एवं खाद्य प्रसंकरण	1. उद्यान निरीक्षक	4500–7000	ख
	2. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ख
	3. उद्यान पर्यवेक्षक	3200–4990	ख
11. सहकारिता	1. वर्गीकरण पर्यवेक्षक	3050–4500	ग
	2. राजकीय पर्यवेक्षक	3200–4900	ग
	3. सहकारी निरीक्षक	4500–7000	ग
	4. सहयोगी	2550–3200	ग
12. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	1. कनिश्ठ लिपिक/कम्प्यूटर सहायक	3050–4590	ग
	2. चपरासी	2550–3200	ग
13. संस्कृति विभाग खेल विभाग	1. लिपिक कम टंकक	3050–4590	ग
	2. सहायक माली	2550–3200	ख
	3. ग्राउण्ड स्टॉफ	2550–3200	ख
14. सिंचाई विभाग	1. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ख
	2. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	3. प्रारूपकार	4000–6000	ख
	4. रनर	2550–3200	ग
	5. चपरासी	2550–3200	ख एवं ग
	6. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
15. पंचायती राज	1. स0वि0आ0 (प)	4500–7000	ग
	2. ग्राम पंचायत अधिकारी	3050–4590	ग
	3. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
16. श्रम सेवायोजन एवं प्रौद्योगिकी विभाग	1. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	2. चपरासी/चौकीदार	2550–3200	ग
	3. प्रधानाचार्य श्रेणी–2	8000–13500	ग
	4. अनुदेशक	5000–8000	ग
	5. जिला सहायक सेवायोजन अधिकारी	6500–10500	ग
	6. अनुदेशक शिक्षण केन्द्र	4500–7000	ग
	7. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	8. कार्यशाला परिचर	2550–3200	ग
	9. चौकीदार	2550–3200	ग
	10. स्वीपर/चौकीदार	2550–3200	ग
	11. भण्डार परिवार	2550–3200	ग
17. पेयजल विभाग	1. लेखा एवं राजस्व उप सहायक	3050–4590	ग

	सामान्य लेखा		
	2. अनुचर/अर्दली/चौकीदार	2550–3200	ख
	3. श्रेणी–क	12000–16500	ग
	4. श्रेणी–ख	8000–13500	ग
	5. श्रेणी–ग	6500–10500	ग
	6. श्रेणी–घ	3050–4590	ग
	7. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
18. माध्यमिक शिक्षा	1. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय विशिश्ट बी0टी0सी0 के	4500–7000	ग
	माध्यम से	4500–7000	ग
	2. सहायक अध्यापक प्राथमिक		
	विद्यालय विशिश्ट बी0टी0सी0 के	3000 मानदेय	ग
	माध्यम से	4500–7000	ग
	3. शिक्षा मित्र	4500–7000	ग
	4. उर्दू अध्यापक		
	5. सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर बी0टी0सी0	5500–9000	ग
	6. सहायक अध्यापक एल0टी0		
19. प्राविधिक शिक्षा	1. सहायक अध्यापक फार्म मशनरी एवं पावर इंजीनियरिंग	8000–13500	ग
	2. सहायक अध्यापक इरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजी0	8000–13500	ग
	3. सहायक अध्यापक स्वायल वाटर कन्जर्वेसी इंजीनियर्स	8000–13500	ग
	4.सहायक अध्यापक पोस्ट हावेस्ट एण्ड प्रोसेस इंजी0	8000–13500	ग
	5. सहायक अध्यापक मैकेनिकल इंजी0	8000–13500	ग
	6. सहायक अध्यापक प्रोडक्शन इंजी0	8000–13500	ग
	7. सहायक अध्यापक इलेक्ट्रीकल	8000–13500	ग
	इंजी0	8000–13500	ग
	8. सहायक अध्यापक इलेक्ट्रोनिक्स		
	एण्ड कम्प्यूनिकेशन इंजी0	8000–13500	ग
	9. सहायक अध्यापक कम्प्यूटर इंजी0	8000–13500	ग
	10. सहायक अध्यापक सिविल		
	इंजीनियरिंग	4500–7000	ग
	11. प्रवक्ता	3050–4590	ग
	12. एम0जी0ए0	3050–4590	ग
	13. प्रयोगशाला सहायक	2550–3290	ग
	14. परिचर/माली/स्वच्छकार	2550–3290	ग
	15. लाईब्रेरी बुक लिफ्टर		
20. उच्च शिक्षा विभाग–1	1. प्रवक्ता हिन्दी	8000–13500	क व ख
	2. प्रवक्ता अंग्रेजी	8000–13500	क व ख
	3. प्रवक्ता संस्कृत	8000–13500	क व ख
	4. प्रवक्ता भूगोल	8000–13500	ग
	5. प्रवक्ता अर्थशास्त्र	8000–13500	ग
	6. प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र	8000–13500	क व ख
	7. प्रवक्ता समाजशास्त्र	8000–13500	क व ग
	8. प्रवक्ता इतिहास	8000–13500	क व ग
	9. प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र	8000–13500	क व ग
	10. प्रवक्ता मनोविज्ञान	8000–13500	ग
	11. प्रवक्ता गृह विज्ञान	8000–13500	ग
	12. प्रवक्ता बी0एड	8000–13500	ग

	13. प्रवक्ता संगीत	8000–13500	क व ग
	14. प्रवक्ता वाणिज्य	8000–13500	ग
	15. प्रवक्ता गणित	8000–13500	ग
	16. प्रवक्ता भौतिक विज्ञान	8000–13500	ग
	17. प्रवक्ता रसायन विज्ञान	8000–13500	ग
	18. प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान	8000–13500	ग
	19. प्रवक्ता जन्तु विज्ञान	8000–13500	ग
	20. लिपिक	3050–4590	ग
	21. तबला वादक	3050–4590	क व ग
	22. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ख
	23. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	24. पुस्तकालयाध्यक्ष	8000–13500	ख व ग
	25. प्रयोगशाला सहायक	3200–4900	ग
	26. इलैक्ट्रीशियन/मैकेनिक/तकनीशियन	3050–4590	ख
21. लोक निर्माण विभाग	1. वित्त नियंत्रक	8000–13500	ख व ग
	2. भू–वैज्ञानिक	8000–13500	ख व ग
	3. सहायक अभि0 सिविल (वि0या0)	8000–13500	ख व ग
	4. सहायक वास्तुविद्	8000–13500	ख व ग
	5. कनिश्ठ अभियन्ता	4500–7000	ख व ग
	6. मानचित्रकार	5000–8000	ख व ग
	7. आशुलिपिक	5000–8000	ग
	8. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	9. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ख
	10. सहायक लेखाकार	5000–8000	ख
	11. विधि सहायक	2550–3200	ख
	12. रेखाकार	2750–4400	ख व ग
	13. अमीन	2550–3200	ख व ग
	14. अनुसेवक	2550–3200	ख व ग
	15. डाक रनर	2550–3200	ख
22. चिकित्सा विभाग–2	1. चिकित्साधिकारी पुरूश/महिला	8000–13500	ग
	2. दन्त शल्यक	8000–13500	ग
	3. चिकित्साधिकारी सा0स्वा0 केन्द्र	8000–13500	ग
	4. उपचारिका	5000–8000	ग
	5. लैब टैक्नीशियन	4000–6000	ग
	6. डार्करूम सहायक	3050–4590	ग
	7. बी0सी0जी0 टैक्नीशियन	3200–4900	ग
	8. नेत्र सहायक	4500–7000	ग
	9. फिजियोथैपिसट	5000–8000	ग
	10. एन.एम0ए0	3200–4900	ग
	11. डेन्टल हाईजिनिस्ट	4500–7000	ग
	12. टी0बी0 स्वास्थ्य परिदर्शक	4000–6000	ग
	13. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	14. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	15. खाद्य निरीक्षक	4500–7000	ग
	16. औशधि निरीक्षक	5000–8000	ग
	17. अन्वेशक कम संगणक	4500–7000	ग
	18. स्टोर कीपर कम क्लर्क	3050–4590	ग
	19. अवर अभियन्ता	5000–8000	ग
	20. एक्स–रे–टैक्नीशियन	3050–4590	ग
	21. फार्मेसिस्ट	4500–7000	ग
	22. ए0एन0एम0	3200–4900	ग

23. शहरी विकास/आवास विभाग	1. लिपिकीय वर्ग	3050–4590	ग
	2. अनुसेवक	2550–3200	क
	3. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
24. मत्स्य विभाग	1. मछुआ	2610–3540	ख
25. डेरी विकास	1. लेखाकार	4000–6000	ग
	2. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	3. सहयोगी	2550–3200	ख
26. ग्रामीण अभियंत्रण सेवा	1. आशुलिपिक ग्रेड–3	4000–6000	ग
	2. कनिश्ठ सहायक/कम्प्यूटर सहायक	3050–4590	ग
	3.चपरासी/पत्रवाहक/चौकीदार/ स्वच्छकार	2550–3200	ख
	4. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
27. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग	1. लेखा परीक्षक	4000–6000	ख
	2. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
28. कृशि विभाग	1. डाटा इन्ट्री आपरेटर	4500–7000	ख एवं ग
	2. आशुलिपिक	4000–6000	ग
	3. सहायक लेखाकार	4000–6000	ख एवं ग
	4. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	5. अनुरक्षक	3050–4590	ख एवं ग
	6. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ग
	7. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
29. ऊर्जा विभाग	1. कार्यालय सहायक तृतीय	4200–6400	ग
	2. चपरासी/दफ्तरी	3050–4590	क
	3. स्वीपर	3050–4590	क तथा ख
	4. कनिश्ठ अभियन्ता	5000–8000	ग
30. जल विद्युत विभाग	1. कार्मिक अधिकारी	8550–13500	ग
	2. लेखाधिकारी	8550–13500	ग
	3. सहायक कम्पनी सचिव	8550–13500	ग
	4. वन रोपण एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	8550–13500 4500–7000	ग ग
	5. सहायक लेखाकार	4200–6400	ग
	6. आशुलिपिक श्रेणी–3	4200–6400	ग
	7. कार्यालय सहायक–तृतीय	4200–6400	ख/ग
	8. सहायक लाइब्रेरियन	4200–6400	ग
	9. मानचित्रकार/कम्प्यूटर आपरेटर	4200–6400	ग
	10. सहायक भण्डारपाल	3500–5455	ग
	11. अनुरेखक (ट्रेसर)	3200–4900	ग
	12. कुक	3050–4590	ग
	13. चपरासी/रन/फाइलर	5000–8000	ग
	14. कनिश्ठ अभियन्ता		
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा)	1. चिकित्साधिकारी	8000–13500	ग
	2. फार्मेसिस्ट	4500–7000	ग
	3. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	4. बार्ड बॉय	2550–3200	ग
	5. अर्दली	2550–3200	ग
	6. स्वीपर	2550–3200	ग
32. आयुर्वेदिक एवं यूनानी	1. अधीक्षक फार्मेसी	10000–15200	ग
	2. प्राचार्या/अधीक्षक	10000–15200	ग
	3. प्रोफेसर	10000–15200	ग
	4. क्षे0आ0एवं यूनानी अधि0	10000–15200	ग
	5 लेखाधिकारी	8000–13500	ग
	6. प्रबन्धक फार्मेसी	8000–13500	ग

	7. रीडर	8550–14600	ग
	8. चिकित्साधिकारी	8000–13500	ग
	9. प्रवक्ता	8000–13500	ग
	10. रेडियोलॉजिस्ट	8000–13500	ग
	11. ऐनेस्थेथिस्ट	8000–13500	ग
	12. वैज्ञानिक अधिकारी	8000–13500	ग
	13. कार्यालय अधीक्षक	5000–8000	ग
	14. औशधि निरीक्षक	5000–8000	ग
	15. लेखाकार	5500–9000	ग
	16. स्टेनो (आशुलिपिक)	4000–6000	ग
	17. वरिश्ठ सहायक	4500–7000	ग
	18. वरिश्ठ लिपिक	4000–6000	ग
	19. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	20. चीफ फार्मेसिस्ट	5000–8000	ग
	21. फार्मेसिस्ट	4500–7000	ग
	22. मैटर्न	5500–9000	ग
	23. सहायक मैटर्न	5000–8000	ग
	24. सिस्टर ट्यूटर	5000–8000	ग
	25. सिस्टर	5000–8000	ग
	26. स्टाफ नर्स	5000–8000	ग
	27. एक्स–रे टैक्नीशियन	4500–7000	ग
	28. डार्क रूम सहायक	3050–4590	ग
	29. प्रयोगशाला सहायक	4500–7000	ग
	30. विवेचन	5000–8000	ग
	31. पुस्तकालयाध्यक्ष	5000–8000	ग
	32. वैज्ञानिक सहायक	5000–8000	ग
	33. फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट	5000–8000	ग
	34. जूनियर कैमिस्ट	4500–7000	ग
	35. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ग
33. समाज कल्याण	1. प्रधानाचार्य	6500–10500	ग
	2. संगीत अध्यापक	975–1840	ग
	3. अधीक्षक (आश्रम) विद्यालय/गृह	5000–8000	ग
	4. छात्रावास अधीक्षक	4500–7000	ग
	5. काफ्ट अध्यापक	3200–4900	ख
	6. कला अध्यापक	4000–6000	ख एवं ग
	7. कनिश्ठ लिपिक	4500–7000	ख एवं ग
	8. चतुर्थ श्रेणी	2550–3200	ख एवं ग
	9. सहायक अध्यापक	4500–7000	ग
	10. सहायक अध्यापक (सी0टी0)	4000–6000	ग
	11. सहायक अध्यापक (एच0टी0सी0)	3200–4900	ग
34. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग	1. लेखाकार	5000–8000	ग
	2. लेखालिपिक	4000–6000	ग
	3. स्टेनो ग्रेड–डी	4000–6000	ग
	4. अनुवेशक/संगणक	4000–6000	ग
	5. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
35. राजस्व विभाग	1. कनिश्ठ लिपिक	3050–4590	ग
	2. सहायक स्वागती	3050–4590	ग
	3. कुर्सी बुनकर	2550–3200	क
36. सचिवालय प्रशासन विभाग	1. प्रवर वर्ग सहायक	5500–9000	क, ख एवं ग
	2. अवर वर्ग सहायक	4500–7000	क, ख एवं ग
	3. टंकक	3050–4590	क, ख एवं ग
	4. सहायक लेखाकार	4000–6000	क, ख एवं ग

	5. वैयक्तिक सहायक 6. अनुसेवक 7. फर्राश	5500–9000 2550–3200 2550–3200	क, ख एवं ग क, ख एवं ग क, ख एवं ग
37. होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग	1. चिकित्सा अधिकारी 2. फार्मेसिस्ट 3. कनिश्ठ लिपिक 4. वार्ड बॉय 5. अर्दली 6. स्वीपर	8000–135000 4500–7000 3050–45000 2550–3200 2550–3200 2550–3200	ग ग ग ग ग ग

आज्ञा से–

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव।

कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तराचंल

संख्या 7001/अधि0–एक0– /स्वीकृत पदों का विवरण/दिनाकंःदिसम्बर 17, 2005

कार्यालय ज्ञाप

फील्ड स्तर पर अधिकरी/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों का विवरण												
क0सं0	जनपद का नाम	कार्यालय/क्षेत्र का नाम	सहायक आबकारी आयुक्त	आबकारी निरीक्षक	उप आबकारी निरीक्षक	सहायक लेखाकार	कनिश्ट लिपिक	प्रधान आबकारी सिपाही	आबकारी सिपाही	वाहन चालक	अनुसेवक	योग
1	देहरादून	कार्यालय	01	–	–	01	02	–	–	01	02	07
	अपराध निरोधक क्षेत्र	सेक्टर–1 देहरादून	–	01	–	–	–	02	04	–	–	07
		सेक्टर–2 देहरादून,न0सृ0	–	01	–	–	–	02	04	–	–	07
		क्षेत्र–मसूरी	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–3 ऋशिकेष	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–4 चकराता,त्यूणी,न0सृ0	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		बंधित षराब गोदाम	–	01	–	–	01	–	01	–	–	03
		दून वैली आसवनी	–	01	–	–	01	–	01	–	–	03

		एफ0एल0 2,न0सृ0	—	01	—	—	—	—	01	—	—	02
		बाण्ड,न0सृ	—	01	—	—	—	—	01	—	—	02
		गोल्डमन,न0सृ0	—	01	—	—	01	—	01	—	—	03
		बाटलिगं प्लान्ट,न0सृ0										
		सी0एस0डी0	—	01	—	—	—	—	—	—	—	01
		डोईवाला चीनी मिल	—	—	01	—	—	—	01	—	—	02
		जनपद का योगः—	01	11	01	01	05	07	23	01	02	52
2	हरिद्वार	कार्यालय	01	—	—	01	02	—	—	01	02	07
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र—1,हरिद्वार	—	01	—	—	—	02	04	—	—	07
		क्षेत्र—2 रूडकी	—	01	—	—	—	02	04	—	—	07
		क्षेत्र—3 लक्सर,न0सृ0	—	01	—	—	—	01	03	—	—	05
		दून वैली ब्रेवरीज	—	—	—	—	—	—	01	—	—	01
		एफ0एल0—2,न0 सृ0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		बाण्ड,न0सृ0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		लक्सर चीनी मिल	—	—	01	—	—	—	01	—	—	02
		इकबालपुर चीनी मिल	—	—	01	—	—	—	01	—	—	02
		उत्तम चीनी मिल	—	—	01	—	—	—	01	—	—	02
		बंधित गोदाम	—	—	—	—	01	—	—	—	—	01
		जनपद योगः—	01	03	03	01	03	05	16	01	02	35
3	पोडी गढवाल	कार्यालय	01	—	—	01	02	—	—	01	02	07
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र—1,पौडी	—	01	—	—	—	02	03	—	—	06
		क्षेत्र—2 कोटद्वार	—	01	—	—	—	01	04	—	—	06
		क्षेत्र—3 थेलीसैण न0सृ0	—	01	—	—	—	01	03	—	—	05
		क्षेत्र—4यमकेष्वर, न0सृ0	—	01	—	—	—	01	03	—	—	05
		योगः—	01	04	—	01	02	05	13	01	02	29
4	रूद्रप्रयाग	कार्यालय	01	—	—	01	01	—	—	01	02	06
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र—1	—	01	—	—	—	01	03	—	—	05
		योगः—	01	01	—	01	01	01	03	01	02	11
5	चमोली	कार्यालय	01	—	—	01	01	—	—	—	02	05
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र—1,चमोली	—	01	—	—	—	01	03	—	—	05
		क्षेत्र—2 कर्णप्रयाग,न0सृ0	—	01	—	—	—	01	02	—	—	04

		क्षेत्र–3 जोषीमठ न0सू0	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		योगः–	01	03	–	01	01	03	07	–	02	18
6	उ0काषी	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	–	02	05
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1उ0काषी	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–2पुरोला	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		क्षेत्र–3 बडकोट,न0सू	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		क्षेत्र–4 डुण्डा,न0सू0	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		योगः–	01	04	–	01	01	04	09	–	02	22
7	टिहरी	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	–	02	05
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1,टिहरी	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–2 नरेन्द्रनगर,	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		क्षेत्र–3 कीर्तिनगर न0सू0	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		योगः–	01	03	–	01	01	03	07	–	02	18
8	उधमसिहं नगर	कार्यालय	01	–	–	01	02	–	–	01	02	07
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1,रूद्रपुर	–	01	–	–	–	02	04	–	–	07
		क्षेत्र–2 खटीमा	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–3 काषीपुर,न0सू0	–	01	–	–	–	01	04	–	–	06
		क्षेत्र–4 बाजपुर,न0सू	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		बाजपुर आसवनी	–	01	–	–	01	–	01	–	–	03
		आई0जी0एल0क ाषीपुर	–	01	–	–	01	–	01	–	–	03
		काषीपुर चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		किच्छा चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		नादेही चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		सीतारगंज चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		बाजपुर चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		गदरपुर चीनी मिल	–	–	01	–	–	–	01	–	–	02
		एफ0एल0एम0–3	–	–	–	–	01	–	–	–	–	01
		योगः–	01	06	06	01	05	05	22	01	02	49
9	नैनीताल	कार्यालय	01	–	–	01	02	–	–	01	02	07
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1नैनीताल	–	01	–	–	–	02	04	–	–	07

		क्षेत्र–2 हल्द्वानी	–	01	–	–	–	02	03	–	–	06
		क्षेत्र–3 रामनगर न0सू0	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		बंधित गोदाम	–	01	–	–	01	–	01	–	–	03
		एफ0एल0–2 विदेषी मदिरा,न0सू0		01		–	–	–	01	–	–	02
		हाईकोर्ट ड्यूटी हेतु	–	–	–	–	01	–	–	–	–	01
		योगः–	01	05	–	01	04	05	12	01	02	31
10	अल्मोडा	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	01	02	06
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1 अल्मोडा	–	01	–	–	–	02	03	–	–	06
		क्षेत्र–2 रानीखेत	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–3 विक्या सौण,न0सू0	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		योगः–	01	03	–	01	01	04	09	01	02	22
11	बागेष्वर	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	01	02	06
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1बागेष्वर	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		योगः–	01	01	–	01	01	01	03	01	02	11
12	पिथौरागढ	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	01	02	06
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1 पिथौरागढ	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–2 डी0डी0हाट	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		क्षेत्र–3 धारचूला,न0सू	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		क्षेत्र–4 मुनस्यारी,न0सू	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		योगः–	01	04	–	01	01	04	09	01	02	23
13	चम्पावत	कार्यालय	01	–	–	01	01	–	–	01	02	06
	अपराध निरोधक क्षेत्र	क्षेत्र–1 चम्पावत	–	01	–	–	–	01	03	–	–	05
		क्षेत्र–2 टनकपुर	–	01	–	–	–	01	02	–	–	04
		योगः–	01	02	–	01	01	02	05	01	02	15
14	मण्डलीय प्रवर्तन	गढवाल(पौडी)	01	01	–	–	01	01	04	01	02	11
		कुमायूं (नैनीताल)	01	01	–	–	01	01	04	01	02	11
	जनपदीय प्रवर्तन	देहरादून	01	01	–	–	–	02	03	–	01	08
		हरिद्वार	01	01	–	–	01	02	03	–	01	09
		नैनीताल	01	01	–	–	–	02	03	–	02	08
		उधमसिहंनगर	01	01	–	–	01	02	03	–	01	09
		योगः–	06	06	–	–	04	10	20	01	09	56
		कुल योगः–	19	56	10	13	31	59	158	12	36	394
अर्न्तराज्य चैक पोस्टों पर विभागीय स्वीकृत पदों का विवरण												

जनपद का नाम	चैक पोस्ट का नाम	सहायक आबकारी आयुक्त	आबकारी निरीक्षक	उप आबकारी निरीक्षक	सहायक लेखाकार	कनिष्ट लिपिक	आबकारी सिपाही	वाहन चालक	अनुसेवक	योग	
							विभागीय	भू0पू0 सै0			
देहरादून	आषारोहडी	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	तिमली	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	कुल्हाल	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
हरिद्वार	नारसन	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	भगवानपुर	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	कॉगडी	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
पौडी गढवाल	कौडिया	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
उधमसिहंनगर	महेषपुरा	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	षहागंज	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	रूद्रपुर रोड	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	सुतैया	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
	मझोला	—	01	—	—	—	02	02	—	—	05
चम्पावत	बनबसा	—	01	—	—	—	02	—	—	—	03
	योगः—	—	13	—	—	—	26	24	—	—	63

संख्याः 7002—19/अधि0एक0—173/पदों का विवरण/दिनांकःदिसम्बर 17, 2005

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेशित—

1. सचिव आबकारी, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
3. उप आबकारी आयुक्त, कार्मिक एवं अधिश्ठान, मुख्यालय देहरादून/समस्त उपायुक्त, मुख्यालय।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल/प्रभारी प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
6. गार्ड फाइल

हस्ताक्षर अपठित

(डा0 के0बी जौहरी)
प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून वृहस्पतिवार, 02 मार्च, 2006 ई0
फाल्गुन 11, 1927 शक सम्वत

उत्तरांचल शासन, आबकारी अनुभाग
संख्याः346 / ग्ग्ग्ग / 2004 / 150 / 2002–टी0सी0, देहरादून, 02 मार्च, 2006
अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा0प0नि0–01

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्ति का प्रयोग करके और इस विशय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेषों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल सहायक आबकारी आयुक्त सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा षर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

भाग–एक सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तरांचल समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति –– उत्तरांचल सहायक आबकारी सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ख' के पद समाविश्ट हैं।

3. परिभाशाएं –– जब तक विशय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो इस नियमावली में, ––

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) ''भारत का नागरिक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ग) ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है,

(घ) ''सरकार'' से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ड) ''राज्यपाल'' से उत्तरांचल का राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(च) ''सेवा का सदस्य'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेषों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल आबकारी समूह ''क'' सेवा से है ;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पष्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेषों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(ञ) ''भर्ती का वर्श'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्श की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग–दो––संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग ––(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेष न दिये जायें निम्नलिखित होगीः–

पद का नाम	पदों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
सहायक आबकारी आयुक्त	14	09

परन्तु ––

(प) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(पप) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जो वह उचित समझे ।

भाग–तीन––भर्ती

5. भर्ती का स्रोत –– (1) सेवा में पदों पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी आबकारी निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्श के प्रथम दिवस को इस रूप में 15 वर्श की सेवा (जिसमें अस्थाई सेवा भी सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा की जायेगीः–

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्श में पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पात्रता के क्षेत्र में ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त आबकारी निरीक्षकों, जिन्होंने भर्ती के वर्श

के प्रथम दिवस को उस रूप में 08 वर्श की सेवा पूर्ण कर ली हो, सम्मिलित करके विस्तार किया जा सकता है।

6. आरक्षण —— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेषों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–– भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों का अवधारण ––नियुक्ति प्राधिकारी वर्श के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी यदि कोई हो अवधारित करेगा।

8. भर्ती की प्रक्रिया –– (1) सहायक आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येश्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगाः–

(1) सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक उत्तरांचल शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न हो, और	सदस्य
(3) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येश्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिश्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येश्ठता के क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच –– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येश्ठता

9. नियुक्ति –– मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों।

10. परिवीक्षा ––(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्श की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिश्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्श से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्श से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोश प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा का परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता हैं।

11.स्थायीकरण – (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि ––

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोशजनक बताया जाय और

(ख) उसकी सत्यनिश्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

12. ज्येश्ठता –– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी।

भाग छः –– वेतन इत्यादि

13. वेतनमान –– (1) सेवा में किसी पद पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो, नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सहायक आबकारी आयुक्त का वेतनमान रू0 8000–275–13500 है।

भाग सात –– अन्य उपबन्ध

14. पक्ष–समर्थन –– सेवा या पद के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिष से भिन्न किसी अन्य सिफारिष पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

15. अन्य विशयों का विनियमन –– ऐसे विशयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिश्ट रूप से इस नियमावली या विषेश आदेषों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते।

16. सेवा की षर्तो में षिथिलता –– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की षर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विषिश्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, मामलें में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेष द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी षर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उस मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवष्यक समझे, अभिमुक्ति या उसे शिथिल कर सकती है।

17. व्यावृत्ति –– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों के अन्य विषेश श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्याः 8975–87/अधि0–एक/154बी/2005–06 दिनांकः 06 मार्च 2006

प्रेषक

अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/
जिला आबकारी अधिकारी
उत्तरांचल।

विषयः जनपद में आबकारी विभाग में तैनात भूतपूर्व सैनिक (वाहन चालक एवं चैक पोस्टों पर तैनात के संबंध में)

जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि विभाग में संविदा एवं नियत वेतन पर पूर्व में नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों को दिनांक 17–11–2005 से शासनादेश संख्याः153/आब0/105/2002–03 दिनांक 18–2–2003 के क्रम में एवं शाासनादेश 158–ग्टप्(1)/9(17)/2004 दिनांक 4–8–2005 व शासनादेश संख्याः 900 ग्टप् (1)–3/05–09 (102)/05 दिनांक 24–5–2005 के अन्तर्गत उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 देहरादून के माध्यम से ही वेतन का भुगतान किया जाना है।

इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि तत्काल आपके जनपद में ड्राइवर के रूप में/चैकपोस्ट पर तैनात भूतपूर्व सैनिकों को उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 देहरादून से अथवा कुमाऊं मण्डल में उनकी हल्द्वानी स्थित शाखा में उपस्थित होकर उपसुल से एक एग्रीमेन्ट करने तथा पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अपना एकाउन्ट खोलने एवं एकाउन्ट नम्बर से उपसुल को अवगत कराने के तत्काल निर्देश दे दिये जायें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि ऐसे तैनात भूतपूर्व सैनिकों की उपस्थिति की सूचना प्रत्येक माह की 24वीं तिथि तक (पिछले मास की 24वीं तिथि से चलित मास की 23वीं तिथि तक) की सूचना उपसुल को सीधे ही प्रेषित कर दी जाये तथा उसकी प्रति इस कार्यालय को भी सूचनार्थ प्रेषित की जाये। ऐसे तैनात किये गये भूतपूर्व सैनिकों के जॉबचार्ट की प्रति भी अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इससे अपने अधीनस्थ आबकारी निरीक्षक/चैकपोस्ट निरीक्षकों को भी अवगत कराना एवं अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 के0बी0 जौहरी)
प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त

उत्तरांचल, देहरादून

संलग्नकः यथोपरि

भूतपूर्व सैनिकों से उपलब्ध कार्मिकों के लिए जॉब चार्ट

1. वाहन चालक एवं आबकारी सिपाही के पद पर तैनात किये गये कार्मिक अपने नियंत्रक अधिकारी के अधीन रहते हुए उनके निर्देशानुसार कार्य करेंगें।
2. अवकाश उपस्थिति वेतन –
   (1) इन कार्मिकों को केवल राष्ट्रीय अवकाश दिवसों के अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा। साप्ताहिक अवकाश नियंत्रक अधिकारी राजकीय कार्यो के निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत कर सकेंगें।
   (2) यदि कोई कार्मिक अवकाश पर जाने का इच्छुक है तो उसे पूर्व में इस प्रकार से 'उपसुल' को सूचित करना होगा, जिससे 'उपसुल' उस कार्मिक के स्थान पर प्रतिस्थानी उपलब्ध करा सके और प्रतिस्थानी के सम्बन्धित नियुक्त स्थान पर पहुंचने पर ही वह कार्यमुक्त हो सकेगा। उपसुल ऐसे प्रतिस्थापनी की सूचना सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेगा।
   (3) सम्बन्धित जनपद के सहायक आबकारी अधिकारी ऐसे कार्मिकों की माह में उपस्थिति की सूचना प्रत्येक माह की 23वीं तिथि को (पूर्व माह की 24वीं तिथि से संचालित माह की 23वीं तिथि तक) उपस्थिति की सूचना सीधे ही 'उपसुल' को भेजते हुए मुख्यालय को भी अवगत करायेंगें, जिसके आधार पर 'उपसुल' सम्बन्धित कार्मिक का वेतन का भुगतान करेगा।
3. कार्य/कार्यविधि का निर्धारण –
   (1) चैक पोस्टों पर कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी प्रत्येक दिवस में शिफ्टवार, जो सामान्यतया निम्न होगी, इस प्रकार लगायी जायेगी कि प्रत्येक शिफ्ट में न्यूनतम 2 कार्मिक एक विभागीय एवं एक 'उपसुल' द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक कार्यरत रहेगा।

      प्रथम शिफ्ट 0600 – 1400 भ्ते (प्रातः शिफ्ट)

      द्वितीय शिफ्ट 1400 – 2200 भ्ते (दोपहर शिफ्ट)

      तृतीय शिफ्ट 2200 – 0600 भ्ते (रात्रि शिफ्ट)

यह रोस्टर नियंत्रक अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के द्वारा अनुमोदित होगा और चैक पोस्ट पर उपलब्ध रखा जायेगा।

(2) चैक पोस्टों पर अनुरक्षित पंजिकाओं में वांछित सूचनाओं/प्रविष्टियों का अंकन चैक पोस्ट पर तैनात विभागीय/उपसुल द्वारा उपलब्ध कार्मिक करेगा।

यदि किसी ऐसे वाहन को आबकारी नियमों के उल्लंघन पास/परमिट की शर्तो के उल्लंघन के कारण रोका जाता है तो आवश्यक कागजातों को कब्जे में लेंगें व उपलब्ध पास/परमिट/अन्य ऐसे रोके जाने के मिमो को तैयार किया जायेगा और तत्काल ही चैक पोस्ट प्रभारी नियंत्रक आबकारी निरीक्षक/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करेंगें और तदुपरान्त/तद्नुसार अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

4. अनुशासन –

उपसुल द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारियों के नियमोचित आदेशों की अवज्ञा के प्रकरण के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी अपने जनपद के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया जायेगा जो सीधे उपसुल/जनपद के सैनिक कल्याण बोर्ड को/उपसुल के क्षेत्रीय कार्यालय, जो हल्द्वानी में अवस्थित है, को शीघ्रता से अवगत करायेंगें और उपसुल द्वारा ही ऐस कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही की जोयगी और उपसुल ऐसे कार्मिक के स्थान पर शीघ्रताशीघ्र दूसरे प्रतिस्थापनी को उपलब्ध करायेंगें।

उपसुल द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की अनुशासनहीनता की स्थिति के लिए केवल उपसुल ही उत्तरदायी होगा और उपसुल ही उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

5. चैक पोस्टों पर कार्यरत आबकारी निरीक्षक/कर्मचारी पूर्व में आयुक्तालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अनुपालन पूर्ववत सुनिश्चित करते रहेंगे (प्रति संलग्न)।

उत्तरांचल शासन, आबकारी अनुभाग
संख्याः864 / ग्यारह / 2005 / 111 / 2005 देहरादूनः दिनांक 6.6.2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षक्ति का प्रयोग करके और इस विशय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेषों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की षर्तो की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा–नियमावली 2006

भाग–एक सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ––(1) यह नियमावली उत्तरांचल समूह ''क'' सेवा नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति –– उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'क' के पद समाविश्ट हैं।

3. परिभाशाएं –– जब तक विशय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल न हो इस नियमावली में, ––

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य राज्यपाल से है ;

(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये ;

(ग) ''संविधान'' का तात्पर्य ''भारत का संविधान'' से है ;

(घ) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;

(ड) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;

(च) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेषों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तरांचल आबकारी समूह ''क'' सेवा अभिप्रेत है ;

(ज) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पष्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेषों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ;

(झ) ''भर्ती का वर्श'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्श की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग–दो––संवर्ग

4. सेवा का संवर्ग ––(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जबतक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेष न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या उतनी ही होगी, जितनी नीचे दी गयी है :–

पद का नाम	संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
अपर आबकारी आयुक्त	–	1	1
संयुक्त आबकारी आयुक्त	1	1	2
उप आबकारी आयुक्त	2	2	4

परन्तु ––

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

भाग–तीन––भर्ती

5. भर्ती का स्रोत –– (1) अपर आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त आबकारी आयुक्तों, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा (जिसमें अस्थायी/स्थानापन्न सेवा भी सम्मिलित है) पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

परन्तु यदि कोई उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्तों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

(2) संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप आबकारी आयुक्तों, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

(3) उप आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक आबकारी आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने–अपने पदों पर इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

परन्तु यदि कोई उपयुक्त या पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त सहायक आबकारी आयुक्तों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

6. आरक्षण –– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेषों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–– भर्ती की प्रक्रिया

7. रिक्तियों का अवधारण ––नियुक्ति प्राधिकारी वर्श के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

8. भर्ती की प्रक्रिया –– (1) अपर आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयेाग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 2002 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) उप आबकारी आयुक्त व संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येश्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(एक) सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न न हो	सदस्य
(तीन) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल	सदस्य

(3) नियुक्त प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची ज्येश्ठता कम में तैयार करेगा और उन्हें उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो आवश्यक समझें जांए चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उप नियम (3) में निर्दिश्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

11. स्थायीकरण– (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोशजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यनिश्ठा प्रमाणित कर दी जाये, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोशणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

12. ज्येश्ठता– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येश्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येश्ठता नियमावली 2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येश्ठता कम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग पांच –– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येश्ठता

9. नियुक्ति –– (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

10. परिवीक्षा ––(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्श की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिश्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा–अवधि एक वर्श से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्श से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोश प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग छः –– वेतन इत्यादि

13. वेतनमान –– (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है।

पद का नाम	वेतनमान
(1) उप आबकारी आयुक्त	रू0 10000–325–15200
(2) संयुक्त आबकारी आयुक्त	रू0 12000–375–16500
(3) अपर आबकारी आयुक्तं	रू0 14300–400–18300

भाग सात –– अन्य उपबन्ध

14. पक्ष–समर्थन –– सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिष से भिन्न किसी अन्य सिफारिष पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

15. अन्य विशयों का विनियमन –– ऐसे विशयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिश्ट रूप से इस नियमावली या विषेश आदेषों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्य कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होंगे।

16. सेवा की षर्तो में षिथिलता –– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की षर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विषिश्ट मामलें में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामलें में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेष द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्ति या उसे षिथिल कर सकती है।

17. व्यावृत्ति –– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों के अन्य विषेश श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्याः864/ग्ग्ग्/01/111/2002–टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक मुद्रण एवं लेख सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की जनपद–हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेशित कि कृपया नियमावली का प्रकाशन असाधारण गजट के दिनांक 2006 के विधायी परिशिश्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन, राजपुर रोड, देहरादून तथा 250 प्रतियां आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

आज्ञा से

(जी0बी0 औली)
संयुक्त सचिव

संख्याः864/ग्ग्ग्/01/111/2002–टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जी0बी0 औली)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेशितः–

1. प्रभारी अपर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।
3. समस्त उप आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।
4. गार्ड फाइल

5. अधिश्ठान अनुभाग–1, मुख्यालय।

(उप आबकारी आयुक्त)
कार्मिक एवं अधिश्ठान, मुख्यालय

जन–सामान्य तक सूचनाओ एवं अभिलेखों की पहुँच

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (परिशिष्ट–च)	प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण मे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सम्बन्धों के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिको के सूचना के अधिकारी की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में है।
लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी (परिशिष्ट–छ)	2. विभाग की समस्त प्रशासनिक इकाईयों मे अधिनियम की धारा 5(1) धारा 5(2) एवं धारा 19(1) के अन्तर्गत क्रमशः लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों का नामांकन किया गया है।
सूचना हेतु प्राप्त अनुरोध पत्रों का पंजीकरण एवं निस्तारण	3. नागरिकों से प्राप्त सूचना के अनुरोधों का पंजीकरण यथास्थिति पार्वाकिंत शासनादेश में दिये गये किसी एक प्रारूप मे किया जायेगा। सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर

पर सूचना के अनुरोध को प्राप्त करने की स्थिति में उसे लोक सूचना अधिकारी को शीघ्रताशीघ्र परन्तु विलम्बतः 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप में अग्रेषित करेगा।

3.1 अनुरोधकर्ता को सूचना का अनुरोध का प्राप्ति पत्र आवेदन शुक्ल की रसीद सहित दिया जायेगा, यदि अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का हो तो उससे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शासनादेश संख्या 146/ग्ग्ए;3द्ध ळ/ 3.2 2006 दिनांक 22 मार्च 2006 (परिशिष्ट–ण्ण्)

3.2 अधिनियम की धारा 6 के अधीन सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी यथासम्भव शीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। यदि लोक सूचना अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम 2005 अधिसूचना सूख्या 266/ग्ग्ण्/205 –9(31) दिनांक 13.10. 2005

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ्ज्ञ देय फीस एवं अभिलेखों की छायाप्रतियां अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित अधिसूचना के अनुसार शुल्क देय होगा।

शासनादेश संख्या 165/ मू/ग्ग्ए;13द्ध ळ. 2;2द्ध/ 3.2 2006 दिनांक 31 मार्च 2006 (परिशिष्ट–प्ट एवं परिशिष्ट– ट)

5. यदि लोक सूचना अधिकारी के पास किसी ऐसी सूचना दिये जाने का अनुरोध प्राप्त होता है जो तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित है और तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है तो ऐसी दशा में लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होन के पांच दिनो के भीतर, ऐसे तीसरे पक्षकार को इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा और इस बारे में

कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित रूप में या मौखिक रूप मे निवेदन करने के लिए तीसरे पक्षकार को आमंत्रित करेगा एवं सूचना के प्रकटन के बारे में कोई निर्णय करते समय तीसरे पक्षकार के उत्तर को ध्यान में रखेगा।

पर व्यक्ति सूचना

5.1 तीसरे पक्षकार को ऐसी सूचना के प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरे पक्षकार से सम्बन्धित सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात 40 दिन के भीतर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किये जाये या नहीं और अपने निर्णय की सूचना लिखित में तीसरे पक्षकार को भी देगा। लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्षकार को यह भी सूचित करेाग कि उसे निर्णय से असंतुष्ट होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां 30 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार है।

6. अपील करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अथवा लोक सूचना अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों अंदर विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। सम्बन्धित अपीलीय अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाता है कि किन्ही अपरिहार्य कारणों से अपीलकर्ता अपनी अपील की याचिका निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो तो उक्त समय सीमा के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है।

प्रथम अपील धारा 19(1)

6.1 लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत यदि तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना अनुरोधकर्ता को देने के सम्बन्ध में निर्णय दिया गया है। इस आदेश से प्रभावित तीसरा पक्ष, आदेश की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभागीय अपीलीय अधिकारी के यहां अपील कर सकता है।

6.2 विभागीय अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील का निस्तारण, याचिका की तिथि से 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन	7.	अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अधीन विभाग की सभी प्रशासनिक इकाईयों में लोक प्राधिकारी घोषित हैं, के द्वारा 17 बिन्दुओं पर सूचनायें संकलित कर प्रत्येक बिन्दु पर मैनुअल बनाये जायेंगें। उक्त सभी मैनुअल पर सी0डी0 तैयार कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग के प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर उक्त मैनुअल की हार्ड प्रति एवं साफ्ट प्रति उपलब्ध रहेगी।
(उत्तरांचल सूचना आयेाग परिपत्र संख्या 65 / उ0सू0 आ0 / मु0सू0आ0 / 2005 दि0 06.12.2005) (परिशिष्ट–टप)	7.1	उक्त मैनुअल यथास्थिति प्रत्येक वर्ष के अन्त में अद्यावधि किये जायेंगें तथा मैनुअल सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण अवलोकनार्थ बराबर उपलब्ध रहेंगें।
मासिक प्रगति प्रतिवेदन	8.	सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25(3) के अधीन उपबन्ध (क) से (ड) के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं पर विभाग की प्रत्येक लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी इकाई मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च लोक प्राधिकारी को प्रेषित करेंगें। विभाग में निदेशालय स्तर से ऐसे प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन को संकलित कर उत्तरांचल सूचना आयोग को प्रत्येक माह दसवीं तारीख तक प्रेषित किया जाना होगा।
	8.1	सूचना आयोग इन मासिक प्रगति प्रतिवेदन का उपयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में करेगा।
सूचना पट्ो को प्रदर्शित करना	9.	जन सामान्य की सुविधा हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर नामित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नाम पदनाम तथा दूरभाष नम्बर प्रदर्शित करते हुए सूचना पट्ट लगाये जायेंगें।
लोक प्राधिकारियों द्वारा आयोग स्तर से प्राप्त	10.	आयेाग में धारा 18(1) के अधीन प्राप्त शिकायतों एवं धारा 19(3) के अन्तर्गत प्राप्त दूसरी अपील पर लोक प्राधिकारी को

शिकायतों एवं अपीलों पर कार्यवाही		जारी नोटिस को प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर पर एक पृथक पंजिका में दर्ज किया जायेगा। इस पंजिका में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर लोक प्राधिकारी स्तर पर समय–समय पर की गयी कार्यवाही का दिनांक सहित अंकन किया जायेगा।
द्वितीय अपील राज्य सूचना आयेाग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 अधिसूचना संख्या 305/ग्ग्प्/2005–9 (33) 2005 दिनांक 13.12.2005 (परिशिष्ट–टप्)	11.	अधिनियम की धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील दायर करने राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम 2005 का पालन किया जायेगा।

परिशिष्ट – ८

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सारांश

विस्तार – अध्याय – 1

भौगोलिक – इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत में है (जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा अपना सूचना स्वातन्त्रय अधिनियम 2004 पारित किया गया है)

अधिकारिता – इसके अन्तर्गत ऐसे लोक प्राधिकार जो कि केन्द्रीय सरकार या संघ या राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित (जिसमें पंचायत नगर निगम तथा अन्य स्थानिक निकाय शामिल है) सम्मिलित होंगे। कोई ऐसो निकाय जो उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों के स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन अथवा उसके द्वारा मुख्यतया (नइेजंदजपंससल) वित्त पोषित हो शामिल होगा। यह कानून सभी गैर सरकार संगठनों पर भी लागू होगा जो कि उपर्युक्त उल्लिखित सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यतः वित्त पोषित हो।

अन्य निकाय – निजी संगठन अथवा निकाय जिनकी सूचना किसी प्रवृत्त विधि के अन्तर्गत किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में हो पर भी यह अधिनियम लागू होगा।

प्रवृत्त धारा– 1

इसके अधिकांश उपलब्ध इसके अधिनिमय को एक सौ बीसवें दिन प्रवृत्त होंगे। कुछ उपलब्ध जैसे सूचना प्रकटीकरण का तात्कालिक दायित्व, लोक सूचना अधिकारियों तथा केन्द्र एवं राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। सूचना स्वातन्त्रय अधिनियम 2002 तत्काल प्रभाव से निरसित किया जायेगा।

सूचना का तात्पर्य धारा 2

रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने, मॉडल तथा सामग्री एवं आंकड़े जो इलेक्ट्रानिक रूप में रखे गये हों।

सूचना के अधिकार का तात्पर्य :

- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार।
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार।
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार।
- इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गयी सूचना प्राप्त करने का अधिकार।

- ऐसी सूचना का अधिकार, जिसका प्रकटीकरण जनहित में हो।
- ऐसी सूचना जिसको यथास्थिति संसद द्वारा किसी राज्य विधान मण्डल को दिये जाने में इन्कार नहीं किया जा सकता उसे किसी व्यक्ति को देने से इन्कार नहीं किया जायेगा।

सूचना कितनी पुरानी : धारा 8

कुछ अपवादों को छोड़कर किसी घटना या वृतान्त या विषय से सम्बन्धित सूचना जो अनुरोध किये जाने की तारीख से 20 वर्ष पूर्व तक की हो, मांगी जा सकती है।

किस–किस सूचना को प्रकट नहीं किया जायेगा – धारा 8

1. सूचना जो भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित तथा विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो।
2. सूचना जिससे कि किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता है।
3. सूचना, जिसके प्रकटन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो या जिसके प्रकटअन से किसी न्यायालय का अवमान होता है।
4. सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा सम्मिलित हो, जिसके प्रकटन से किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियेागी स्थिति को जनहित में नुकसान होता हो।
5. सूचना जो किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी (थ्पकनबपंतल त्मसंजपवद) में उपलब्ध है। यदि ऐसी सूचना के प्रकटन में विस्तृत लोक हित निहित है तो इस सूचना के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. सूचना जो कि किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो।
7. यदि सूचना के प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता हो।
8. किसी सूचना के स्रोत अथवा सहायक स्रोत से सम्बन्धित सूचना जो कि विधि के लागू किये जाने या सुरक्षा कारणों से उपलब्ध करायी गई हो।
9. यदि सूचना के प्रकट करने से अन्वेषण या अभियोजन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती हो।
10. मंत्रिमण्डल के कागज पत्र, जिसमें मंत्रिमण्डल के सदस्यों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं) परन्तु मंत्री परिषद के निर्णय तथा उनके कारण निर्णय करने के पश्चात सार्वजनिक किये जाने हैं।
11. व्यक्तिगत या निजी सूचना जो व्यापक जनहित में हो का निर्णय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किया जाना है।

आंशिक प्रकटीकरण – धारा – 10

अभिलेख के उस भाग तक आंशिक पहुंच अनुदत्त की जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अर्न्तदिष्ट नहीं है, जिसे इस अधिनियम के अधीन प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।

कौन सी संस्थायें अपवर्जित हैं ? – धारा 24 व अनुसूची

केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत स्थापित अभिसूचना और सुरक्षा संगठन जैसे अभिसूचना ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण खण्ड, राजस्व असूचना निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक असूचना ब्यूरो, परिवर्तन निदेशालय, विशेष सीमान्त बल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल, विशेष सेवा ब्यूरो, इसी प्रकार की इकाईयां जो कि राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गयी हों भी शामिल होंगी। राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में संस्थायें अधिसूचित की जायेंगी।

सक्षम प्राधिकारी : धारा 2

- केन्द्र में लोक सभा का अध्यक्ष अथवा राज्यों में विधान सभा का अध्यक्ष।
- राज्य सभी के सभापति या विधान परिषद की दशा में उसका सभापति।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
- केन्द्र के स्तर पर राष्ट्रपति।
- राज्य के स्तर पर राज्यपाल।

लोक प्राधिकारी : धारा 2

- संविधान द्वारा या उसके अधीन संसद अथवा राज्य विधानमण्डलों द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित प्राधिकारी या निकाय।
- केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन निकाय।
- सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या मुख्यतया वित्त पोषित निकाय या संगठन।
- ऐसे गैर सरकार संगठन जो सरकार द्वारा (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) मुख्यतया वित्त पोषित हों।

तीसरा पक्षकार : धारा 2

सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति। इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी सम्मिलित है।

लोक प्राधिकारी द्वारा तात्कालिक प्रकटन (च्तवंबजपअम क्पेबसवेनतम ठल च्नइसपब ।नजीवतपजल) धारा – 4

1. संगठनक की विशिष्टियां, कृत्य और कृतव्य।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।
3. निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के स्तर सहित)।
4. कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम।
5. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना।
6. दस्तावेजों जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गो के अनुसार विवरण।
7. नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।
8. बोर्डो, परिषदों, सिमतियों और अन्य निकायों का विवरण साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक।
11. प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)
12. अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों (नइेपकल च्तवहतंउउमे) के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।
13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकरों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण।
14. किसी इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे।
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गयी है तो उसका भी विवरण।
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टयां।
17. अन्य कोई विशेष जो निर्धारित किया जाय।

उपर्युक्त सभी प्रकाशन तत्काल प्रकाशित किये जायेंगें तथा किसी भी दशा में अधिनियम के एक सौ बीस दिन के भीतर प्रकाशन अनिवार्य है। इन प्रकाशनों को प्रतिवर्ष अपडेट किया जायेगा।

लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य : धारा 4

1. स्वतः (नवउवजव) आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को अनुरक्षित करेगा तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार समुचित समय में कम्प्यूटरीकृत करके सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से सूचना को सुलभ करायेगा।
2. अपनी नीति बनाते समय और निर्णय की घोषणा के समय सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।
3. अपने प्रशासनिक या न्यायिकल्प निर्णयों के कारण उपलब्ध करायेगा।
4. किसी परियोजना को प्रारम्भ करने या किसी नीति या कार्ययोजना को तैयार करने या आम जनता के लिए कानून बनाने अथवा प्रभावित व्यक्ति को सामग्री के तात्कालिक प्रकटन के लिए यह ध्यान में रखेगा कि यह प्रकटन स्थानीय भाषा ओर क्षेत्र में संसूचना की अत्यन्त प्रभावी प्रदत्त प्रपत्रों में भी उपलब्ध हो। समस्त सूचनायें निःशुल्क अथवा लागत मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें।

लोक सूचना अधिकारी (पी0आई0ओ0) : धारा 5

1. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से लोक सूचना अधिकारियों को नामित करेगा।
2. लोक प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से सहायक अथवा लोक प्राधिकारियों को उपखण्डों अथवा उप जिला खण्डों के स्तर पर अभिहित करेगा।

लोक सूचना अधिकारियो के कर्तव्य : धारा 7 व 11

1. वे व्यक्ति जो प्रार्थना पत्र लिखने में असमर्थ हो पी0आई0ओ0 उनकी सहायता करेगा।
2. समय सीमा, शुल्क तथा अपीलीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को अवगत करायेगा।
3. किसी को साधारणतया उसी रूप में सूचना उपलब्ध करायेगा जिसमें वह मांगी गई हो, जब तक वह उपलब्ध संसाधनों तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण की दृष्टि से असंभव न हो।
4. किसी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में ऐसी अस्वीकृति के कारणों को सूचित करेगा। साथ ही वह अविधि जिसके भीतर अस्वीकृति के विरूद्ध अपील की जा सकेगी और समुचित अपीलीय प्राधिकारी के सम्बन्ध में संसूचित करेगा।

5. यदि सूचना जो कि प्रकट किये जाने हेतु आवेदित की गई है जो कि किसी तीसरे पक्षकार द्वारा प्रदाय की गई है अथवा तीसरे पक्षकार द्वारा उसे गोपनीय माना गया है पी0आई0ओ0 ऐसे तीसरे पक्षकार को पांच दिन के भीतर लिखित सूचना देगा। तृतीय पक्षकार को लोक सूचना अधिकारी के समक्ष नोटिस प्राप्ति के 10 दिन के भीतर प्रत्यावेदन (लिखित या मौखिक) दिये जाने का अवसर दिया जायेगा। पी0आई0ओ0 तृतीय पक्षकार के पक्ष को विचार में लेने के पश्चात मूल आवेदक को सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेगा।

सूचना अभिप्राप्त के अनुरोध की प्रक्रिया : धारा 6

1. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है तो वह लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी या क्षेत्र की राजभाषा में ओवदन करेगा।
2. सूचना मांगे जाने काकारण विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
3. ऐसा शुल्क जो विहित हो, दें (यदि गरीबी रेखा से नीचे रह रहा हो तो कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा)

समय सीमा धारा : धारा 7

1. इच्छित सूचना आवेदन करने के 30 दिन के भीतर उपलब्ध होगी।
2. सूचना यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से है तो वह अनुरोध प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।
3. सूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को इस धारा में निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि के संगणना करने के प्रयोजन के लिए आपवर्जित किया जाय।
4. यदि तीसरे पक्षकार का हित निहित है तो सूचना न देने की अवधि 40 दिन होगी। (30 दिन का समय तथा तीसरे पक्षकार को प्रत्यावेदन के लिए दिया गया 10 दिन का समय)
5. यदि 30 दिन के अवधि तक प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही न हो तो वह अस्वीकृत की तरह मान लिया जायेगा।

शुल्क धारा – 7

1. विहित फीस युक्तियुक्त होगी।
2. यदि आगे और अधिक शुल्क (फीस) ली जाये तो उसका ब्यौरा लिखित में दिया जायेगा।
3. प्रार्थी पी0आई0ओ0 द्वारा अवधारित फीस के पुनर्विलोकन की अपील समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कर सकता है।
4. ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

5. यदि सूचना के प्रत्युत्तर समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होता है तो सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

पहुंच को अस्वीकृत करने के अन्य अधिकार : धारा 9

सूचना के किसी अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है जहां पहुंच उपलब्ध करवाने के ऐसे अनुरोध में राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिवयाधिकार का उल्लंघन अन्तवर्लित है।

अपीलीय प्राधिकारी : धारा 19

1. बाह्य अपील (प्रथम अपील)– ऐसा कोई व्यक्ति जो यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से संतुश्ट नहीं है तो वह ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी से प्रथम अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति में ज्येश्ठ पंक्ति का है।
2. बाह्य अपील (द्वितीय अपील) दूसरी अपील प्रथम अपील के निर्माण के 90 दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को दी जायेगी।
3. अपील संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत किये जाने की न्यायोचित ठहराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की होगी।
4. अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जायेगा, जो उसके फाईल किये जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक न हों।
5. आयोग का निर्णय आबद्धकर होगा, परन्तु विधि के किसी बिन्दु पर अपील उच्च न्यायालय में दायर की जा सकेगी।

राज्य सूचना आयोग : धारा–15

1. राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनाधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे रखे जायें।
2. राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा निर्दिश्ट मंत्री से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जायेगी।
3. राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय संबंधित राज्य में कहीं भी हो सकता है तथा इसके अन्य कार्यालय राज्य के विभिन्न स्थानों में होंगे।
4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। राज्य सूचना आयुक्त के वेतन एवं भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे।

केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों व कार्य ाधरा 15 व 16, केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें कि–

क. जो कि इस कारण से अनुरोध प्राप्त करने में असमर्थ रहा है कि लोक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है।

ख. जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गयी जानकारी तक पहुंच के लिए इन्कार कर लिया है।

ग. जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिश्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है।

घ. जिसमें ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गयी है जो कि अनुचित समझता है।

ड. जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रमण में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गयी है।

च. कोई अन्य विशय जो कि विधि के अनुसार सूचना प्राप्त करने से संबंधित हो।

2. यदि कोई युक्ति युक्त आधार हों तो जांच करने का अधिकार।

3. केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में सिविल न्यायालय की शक्तियां निम्न प्रकार होंगीः

क. किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।

ख. दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।

ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना।

घ. किन्हीं न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना।

ड. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना और

च. कोई अन्य विशय, जो विहित किया जाये।

4. इस अधिनियम के अंतर्गत जांच हेतु सभी अभिलेख केन्द्रीय मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को यथास्थिति उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें वे अभिलेख भी शामिल होंगे जिन्हें सूचना के प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है।

5. लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है–

क. किसी यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना, जहां वे नियुक्त न हों।

ख. सूचनाओं का प्रकाशन।

ग. अभिलेखों के रखे जाने के प्रबन्ध और उनके विनाश से संबंधित नियमों में आवश्यक परिवर्तन करना।

घ. सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के प्राविधानों में वृद्वि करना।

ड. इस अधिनियम के अनुसरण में लोक प्राधिकारी के प्राविधानों में वृद्वि कराना।

च. लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना।

छ. इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करना।

ज. अपील करना।

शास्ति या दण्ड धारा–20

प्रत्येक लोकसूचना अधिकारी को निम्नलिखित कारणों से रू. 250 प्रतिदिन (रूपये पच्चीस हजार अधिकृत) के दण्ड का भुगतान करना होगाः–

क. सूचना हेतु आवेदन पत्र स्वीकार न करने पर,

ख. बिना समुचित कारणों से सूचना देने में विलम्ब करने पर,

ग. गलत ध्येय से सूचना देने हेतु इन्कार करने पर,

घ. जानबूझकर, अपूर्ण, असत्य व भ्रामक सूचना देने पर,

च. मांगी गयी सूचना नश्ट करने पर,

छ. सूचना देने की प्रकिया को किसी प्रकार से बाधित करने पर,

केन्द्र में एवं राज्य स्थापित सूचना आयोग उपरोक्त दण्ड आरोपित कर सकते हैं एवं संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की भी संस्तुति कर सकते हैं।

मा0 न्यायालयों के क्षेत्राधिकार धारा–23

इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये आदेशों के विरूद्ध आवेदन/वाद सुनने का अधिकार माननीय न्यायालयों को नहीं दिया गया है (किन्तु चूंकि सूचना का जनअधिकार मौलिक अधिकारी की श्रेणी में है अतः इस अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतों को ग्रहण करने का अधिकार मा0 उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के पास है)

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कतिपय कार्यधारा–26

1. अधिनियम के प्रचार–प्रसार हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम आम जनता के लिए तैयार करने।

2. लोक प्राधिकारियों को ऐसे शैक्षिक कार्यकमों को विकसित करने व आयोजित करने में सहयोग करना।
3. जनता को सही सूचना ससमय प्रदान करने को प्रोत्साहन देना।
4. प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
5. अपनी राजकीय भाशा में आम लोगों के लिए एक न्मेमत ळनपकम तैयार कर उसका व्यापक प्रसार।
6. लोकसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, पते, सम्पर्क, विवरण एवं अन्य सूचनायें तथा सूचनाओं के लिये निर्धारित शुल्क आवेदन पद अस्वीकृत होने पर उपलब्ध विकल्प आदि।

नियम बनाने की शक्ति धारा 27/28

केन्द्र व राज्य सरकार एवं सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के कियान्वयन हेतु नियम गठित करने की शक्तियां हैं।

संख्या 146 / सु0 / ग्ग्ए;3द्धळ. / 2006

प्रेशक,

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सामान्य प्रशासन अनुभाग दिनांक 27 मार्च, 2005

विशयः सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रकिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी हो गया है। शासन स्तर पर इसके कियान्वयन के लिए व्यापक तैयारियां पहले ही की जा चुकी हैं। विभागों व अन्य लोक प्राधिकरणों में अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और विभागीय अपील अधिकारियों का नामांकन हो चुका है। सभी स्तरों पर अधिकारियों का अधिनियमों के प्राविधानों की जानकारी देने के लिए कार्यशालायें आयोजित की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों की सुविधा के लिए शासन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005–मार्गदर्शिका का भी प्रकाशन किया गया है जिसकी प्रतियां सभी विभागों को प्रेशित कर दी गयी है।

इन तैयारियों को दृश्टिगत रखते हुए लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना के अनुरोधों का निस्तारण सुगमन से किये जाने की अपेक्षा की गयी है, लेकिन प्रारम्भिक अनुभवों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने में कुछ कठिनाईयां आ रही हैं जिनका मुख्य कारण प्रकिया की अस्पश्टता व विभाग एवं लोक प्राधिकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था का नहीं होना माना जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि सूचना के अनुरोधों पर व्यवस्थित, तत्काल व सुगम कार्यवाही करने की कार्यविधि सम्बन्धी निर्देश जारी किये जायें जिससे इस संबंध में किसी भी तरह की अनिश्चितता न बनी रहे और सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रकिया में सम्बन्धी अस्पश्टता दूर हो सके। इस संदर्भ में कृपया अपने अधीन लोक प्राधिकारी इकाइयों एवं लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. सूचना के अनुरोधकर्ताओं के लिए सुविधा कक्ष की स्थापनाः

अधिकांश षंकायें सूचना के इच्छुक व्यक्तियों से वार्ता कर दूर की जा सकती है। संभव है कि बातचीत के बाद सूचना के औपचारिक अनुरोध की आवश्यकता ही न पड़े। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में जहां भी लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित है, सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सूचना का अधिकार नाम का एक पृथक मार्गदर्शक या सुविधा कक्ष ;थ्ंबपसपजंजपवद ब्वनदजमतद्ध की स्थापना की जानी आवश्यक है। जिन कार्यालयों में स्वागत कक्ष पहले से ही स्थापित है उनमें इन्हीं स्वागत कक्षों में सूचना का अधिकार सम्बन्धी जानकारी देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए स्वागत कक्षा के एक हिस्से में चाहते हैं ? तद्नुसार सूचना के अनुरोध का आवेदन तैयार करवाकर वांछित सूचना या अनभिज्ञता के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक सूचनाओं के लिए अनुरोध न करे। स्वागत कक्ष के अतिरिक्त, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रतीक्षा कक्ष या कार्यालय में उपलब्ध कामन स्पेस ;ब्वउउवद ैचंबमद्ध को भी सुविधा कक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। इनमें विभागीय सूचनाओं से संबंधित 17 मैनुवल्स, विभाग का वार्शिक प्रतिवेदन, कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका व आम जनता के उपयोग की अन्य सूचनायें भी रखी जा सकती है।

2. अनुरोध पत्रों के पंजीकरण का प्रारूपः

सूचना के अनुरोधों का विधिवत पंजीकरण किया जाना आवश्यक है। इसके आधार पर ही सूचना के अधिकार सम्बन्धी कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट लोक प्राधिकारी, प्रशासकीय विभाग एवं राज्य स्तर पर तैयार की जा सकेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों एवं लोक प्राधिकरणों में सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण की समान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से अनुरोधों के पंजीकरण के लिए तीन प्रारूप संलग्न किये जा रहे हैं (संलग्नक 1, 2, 3) प्रथम प्रारूप सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर पर पंजीकरण के लिए, दूसरा प्रारूप लोक सूचना पंजीकरण के लिए विहित है। सभी विभागाध्यक्षों व लोक प्राधिकारियों को चाहिए कि सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण के लिए विभाग/लोक प्राधिकरण स्तर पर विहित प्रारूपों के अनुसार सूचना का अनुरोध पंजीकरण पंजिका व सूचना के लिए अपील किया जाना चाहिए ताकि स्वतः प्रगति रिपोर्ट तैयार हो सके एवं अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सूचना आयोग को प्रगति विवरण पत्र भेजा जा सके।

प्रविश्टि के बाद प्रत्येक सप्ताह/सुविधानुसार उस धनराशि को विभागीय राजस्व शीर्शक के अधीन राजकोश में जमा करेंगे।

3. अनुरोध पत्रों के पंजीकरण की व्यवस्थाः—

प्रारम्भिक अनुभवों से यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी की अनुपस्थिति में सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी

उपलब्ध नहीं होता है या उपस्थित व्यक्ति अनुरोध पत्र लेने से मना कर देता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचना का अधिकार सुविधा कक्ष में हर समय कोई न कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहें। अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना का अनुरोध पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है। तथापि जहां पर कार्यालयाध्यक्ष या वरिश्ठ अधिकारी लोक सूचना अधिकारी नामित है, वहां वे अपनी सहायता के लिए किसी दूसरे अधिकारी/कर्मचारी या स्वागत अधिकारी को सूचना के अनुरोध पत्र को प्राप्त करने व उसके पंजीकरण की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यह सुनिश्चित करना लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व होगा कि उनकी अनुपस्थिति में भी सूचना के अनुरोध पत्रों को प्राप्त व पंजीकृत किया जाये। इस दिशा में समुचित व्यवस्था करने लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर ही ऐसी शिकायतों को दूर कर दें ताकि किसी को भी सूचना अनुरोध पत्रों के प्राप्त न किये जाने की शिकायत किसी अन्य स्तर पर करने की आवश्यकता ना पड़े तथा सुगमता से आवेदन पत्र आगन्तुकों द्वारा जमा कराया जा सके।

4. सूचना शुल्क लेखांकन की प्रकियाः

सूचना के अनुरोध पत्रों के साथ 10/– रू0 आवेदन शुल्क प्राप्त किया जाना है। गरीबी रेखा के नीचे के अनुरोधकर्ताओं से कोई शुल्क नहीं दिया जाना है। मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क नकद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से ही दिया जा सकता है। इस विशय पर वित्त विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/ग्टप्;7द्ध/2005 दिनांक 14 अक्टूबर 2005 द्वारा शुल्क प्राप्त करने और उसके लेखांकन की विस्तृत प्रकिया सुझायी गयी है। फिर भी इस संबंध में यह स्पश्ट किया गया है कि सूचना के अनुरोधकर्ता द्वारा नकद अथवा विभाग/लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी के नाम का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक प्रस्तुत कर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क प्राप्त न होने पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा ट्रेजरी फार्म 385 पर शुल्क प्राप्ति की रसीद निर्गत की जानी है। इसके लिए सभी लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए कि अपने जनपद की ट्रेजरी से उक्त प्रपत्र की रसीद बुक प्राप्त कर लें और विभागीय और विभागीय आहरण वितरण अधिकारी की ओर से शुल्क प्राप्ति रसीद निर्गत करें।

यही प्रकिया अतिरिक्त शुल्क को प्राप्त करने के लिए अपनाई जायेगी। शुल्क से प्राप्त धनराशि लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी विभागीय आहरण वितरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो कि विभाग की रोकड़ बही में इस अधिनियम के अंतर्गत शुल्क जमा करने की प्रकिया को और सरलीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

5. सूचना के अनुरोधों पर कार्यवाहीः

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के बाद मार्गदर्शिका में दी गयी प्रकिया के अनुसार उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित कर यथास्थिति 30, 35 या 45 दिनों के अन्दर अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जानी है। इस प्रकिया के विभिन्न चरणों में सम्भावित पत्राचार को समरूप बनाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र निर्धारित कर संलग्न किये जा रहे हैं–

संलग्नकः4 सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध के अग्रेशण का प्रपत्र।

संलग्नकः5 सूचना के अनुरोधों का पावति प्रपत्र का

संलग्नकः7 तीसरे पक्षधर को सूचना का प्रपत्र

संलग्नकः8 सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र।

संलग्नकः9 अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना का प्रपत्र।

संलग्नकः10 अनुरोधकर्ता को सूचना प्रेशित करने सम्बन्धी प्रपत्र।

यथा संभव पत्राचार लोक सूचना में इन प्रपत्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी यदि आवश्यक समझें तो विभाग के वरिश्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रयास किया जाये कि किसी भी स्थिति में सूचना के अधिकार के अन्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराने में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। सभी विभागध्यक्षों/लोक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने व सूचना देने व उसके पंजीकरण आदि की उपरोक्त प्रकिया को यदि आवश्यक हुआ तो विभागीय विशिश्टताओं/व्यवहारिकता के अनुरूप संशोधित कर उपयोग करेंगे, जिसमें सूचना देने की प्रकिया में कोई भ्रम विभागीय अधिकारियों में न रहे। साथ ही अनुरोधकर्ताओं को भी निश्चित प्रकिया व प्रारूप का ज्ञान होने में कम से कम कठिनाई हो।

भवदीय

(एम रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्याः146(1)सू0/ग्ग्ए;13द्धळ./2006–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं, उत्तरांचल।
2. समस्त अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/लोक प्राधिकारी, उत्तरांचल शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. स्टाफ आफिसर–मुख्य सचिव।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।

7. राज्य समन्वयक सूचना का अधिकार प्रकोश्ठ

8. गार्ड फाइल

आज्ञा से

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

संलग्नक 1
सहायक लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0 सं0	अनुरोधकर्ता प्राप्ति तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पूर्ण पता	दूरभाश संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	सम्बन्धित विभाग/अनुभाग का नाम	आवेदन षुल्क का भुगतान (रू0)	लोक सूचना अधिकारी को अग्रेशण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9

संलग्नक 2
लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0 सं0	अनुरोध पत्र प्रप्ति की तिथि	अनुरोधकर्ता का नाम	पत्राचार का पता	दूरभाश संख्या (यदि हो)	मांगी गई सूचना का विवरण	आवेदन षुल्क का भुगतान (रू0)	अतिरिक्त षुल्क (रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8

कुल षुल्क रू0	अनुरोध अस्वीकार करने पर उसका कारण	अतिरिक्त षुल्क की सूचना की तिथि	अतिरिक्त षुल्क प्राप्ति की तिथि	तीसरे पक्ष को सूचित करने की तिथि (यदि आवष्यक समझा जाय)	तीसरे पक्ष से उत्तर प्राप्ति की तिथि	अनुरोध पर अंतिम आदेष	आदेष निर्गत करने की तिथि
9	10	11	12	13	14	15	16

संलग्नक 3
विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण का प्रस्तावित प्रारूप

क0	अपील के लिए अनुरोध पत्र	विभाग/अनुभाग	अपील से	लो0सू0अ0 के	अपील स्वीकृत	विभागीय अपील	अपीलकर्ता को

सं0	अनुरोध पत्र प्राप्ति तिथि	का नाम	सम्बन्धित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	आदेष का संक्षिप्त विवरण	/ अस्वीकृत	अधिकारी के आदेष की तिथि	आदेष पत्र निर्गत करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8

संलग्नक 4

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अनुरोध को अग्रेशित करने का प्रपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....

.....

प्रेशक

.....

.....

.....

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,

.....

.....

अनुरोधकर्ता का नाम.....

.....पत्राचार का पता.....

.....वर्गः बी0पी0एल0 / ए0पी0एल0.....

.....अनुरोध प्राप्ति की तिथि.....

.....अग्रेशण की तिथि.....

.....मांगी गई

सूचना का विशय.....

....

.....

सम्बन्धित विभाग / अनुभाग का नामः.....

.....

सूचना षुल्क का मात्रा रू0.....

.....

अन्य विवरण (यदि कोई हो).....

.....

संलग्नकः अनुरोध पत्र की मूल प्रति

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 5
अतिरिक्त षुल्क के लिए सूचना का पपत्र

कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....
.....

विशय : अतिरिक्त षुल्क जमा करने के सम्बन्ध में
श्री/श्रीमती.....
.....
.....

कृपया अपने दिनांक.....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करे। आपके द्वारा मांगी गई सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारित दरों के आधार पर रू0.....
.....अतिरिक्त षुल्क देया होता है।

अतिरिक्त षुल्क का विवरण

क0सं0	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराषि

अतः उक्त धनराषि को यथाषीध्र बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक जो विभाग के लेखा/वित्त अधिकारी के नाम बना हो प्रेशित करें/अथवा कार्यालय में नकद जमा करें/करवा दे।

मांगी गई सूचना को उपलब्ध कार्यवाही, उक्त अतिरिक्त षुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त षुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नही गिना जायेंगा।

हस्ताक्षर

लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय मुहर

संलग्नक 6
तीसरे पक्षधर की सूचना के लिए प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....
.....
.....
.....
.....
.....

संलग्न श्री/श्रीमती.....
.से प्राप्त सूचना के अनुरोध पत्र की एक प्रति आपको इस आषय से भेजी जा रही है कि इस विशय में यदि आपको कुछ कहना हो तो आप अपना पक्ष इस पत्र की तिथि के 10 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को लिखकर या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर मौखिक रूप में प्रस्तुत करें।

यदि आपकी ओर से इस पत्र के विशय में 10 दिन के अन्दर हमें कोई सूचना प्राप्त नही होती है तो यह मान लिया जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नही कहना है।

संलग्न : अनुरोध पत्र की प्रतिलिपि

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 7

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तान्तरण के लिए प्रपत्र

पत्रावली संख्या : दिनांक :

लोक सूचना अधिकारी/
.....
.....

संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र आपको इस आषय से प्रेशित है कि इसमें मांगी गई सूचना आपके विभाग/उपकम से सम्बन्धित है।

कृपया अनुरोधकर्ता को वांछित सूचना अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

संलग्नक :–सूचना का अनुरोधपत्र मूल रूप में:

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संख्या
प्रतिलिपि सूचनार्थ :
श्री/श्रीमती : .....
.....

लोक सूचना अधिकारी

संलग्नक 8
कार्यालय का नाम व पता
सूचना का अनुरोध प्राप्ति पत्र

पत्रावली संख्या.....

श्री / श्रीमती.....
निवासी.....
.....
.....

से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना का अनुरोध पत्र रू0.....आवेदन षुल्क के साथ प्राप्त किया।

अनुरोधकर्ता गरीबी रेखा से निम्न आय वर्ग का है अतः आवेदन षुल्क देय नही है।

संलग्नकः षुल्क रसीद,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुहर

संलग्नक 9
अनुरोध को अस्वीकार करने की सूचना प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या.....

.....
.....

कृपया अपने दिनांक.....के सूचना के अनुरोध पत्र का संदर्भ ग्रहण करे। आपके अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया गया है।

(1) .....
(2).....
(3).....

इस आदेष के विरूद्ध यदि आप चाहें तो विभाग के उच्च अधिकारी व अपील अधिकारी जिनका पता नीचे दिया गया है, से इस पत्र की प्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर–अन्दर अपनी अपील कर सकते है।

अपील अधिकारी का पता

.....
.....

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नक–10
अनुरोधकर्ता को सूचना देने सम्बन्धी प्रपत्र
कार्यालय का नाम व पता

पत्रावली संख्या..... दिनांक.....
....

श्री / श्रीमती.....
.....
.....

कृपया अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित अपने सूचना के अनुरोध संख्या.....दिनांक.....
.....का संदर्भ ग्रहण करें।

1. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना का विवरण संलग्न है।
2. निम्नलिखित आंशिक सूचनायें संलग्न की जा रही हैंः–

(1)

(2)

(3)

5. इस आदेश के अन्तर्गत दी गयी जानकारी से यदि असंतुश्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अन्दर विभाग के अपील अधिकारी जिनका पता निम्नवत् है, अपील दाय कर सकते हैं।

अपील अधिकारी का पता

.....

.....

भवदीय,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय की मुहर

संलग्नकः उपर्युक्त के अनुसार सूचना का विवरण।

।ददमगनतम.ग्टप्प

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्याः266/ग्ग्प्प/2005–9(1)
सचिवालय, देहरादून
दिनांक : 13 अक्टूबर, 2005
अधिसूचना

राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22/2005) की धारा 27 की उपधारा–(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भः

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 है।
2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. परिभाशायेंः– इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों।
   (क) 'अधिनियम' से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अभिप्रेत है।
   (ख) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
   (ग) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाशित नहीं हैं किन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में परिभाशित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
4. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 दस की फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
5. धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा
   (क) ए–3 या ए–4 आकार के पृश्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू0 दो प्रति पृश्ठ और इससे बड़े आकार के पृश्ठ हेतु वास्तविक लागत।
   (ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी। उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट (अथवा उसके नाम) हेतु पांच की फीस का भुगतान किया जाना होगा।

(ग) प्रदेशों एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।

6. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त लेखाधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।

(क) डिस्केट अथवा फ्लॉपी पर सूचना दिये जाने हेतु रू0 पचास प्रति फ्लॉपी/डिस्केट और

(ख) किसी मुद्रित प्रकाश के दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृश्ठ के लिए दो रूपये।

(डी0के0 कोटिया)
सचिव

।ददमगनतम.स्प्ट

उत्तरांचल शासन
सूचना अनुभाग
संख्याः165/मू0/ग्ग्प्;13द्धळ.2;2द्ध/2006
देहरादून : दिनांक : 31 मार्च 2006
अधिसूचना

राज्यपाल का अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर 2005 को निम्नवत् संशोधन करने की सहर्श स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्–

विघमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
प्रस्तर–3 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 की फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक आदि के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।	प्रस्तर–3 अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना मांगे जाने हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक प्राधिकारी के अधीन चिन्हित लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय रू0 10.00 (रू0 दस मात्र) की फीस, उचित रसीद के प्रति नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

पृश्ठांकन संख्याः16500/मू0/ग्ग्प्;13द्धळ.2;2द्धध्2006/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, विधानसभा, विधान भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़ देहरादून, उत्तरांचल।
5. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
8. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, उत्तरांचल।

9. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल शासन।
10. प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगम/उपकम/स्वायत्तशासी संस्थायें/परिशद।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
12. समस्त वरिश्ठ कोशाधिकारी, उत्तरांचल।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि कृपया इस अधिसूचना को राजकीय गजट असाधारण के विधायी परिशिश्ट, भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 29 मार्च, 2006 में प्रकाशित कर 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।
16. राज्य समन्वयक, सूचना प्रकोश्ठ, सचिवालय।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कश्ट करें।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संतोशी बड़ोनी)
अनुसचिव

लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त उत्तरांचल
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
मैनुअल संख्या 1 : संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

विधिक इतिहास

मादक वस्तुओं पर नियंत्रण तथा कराधान के इतिहास के उचित एवं गहन अध्ययन हेतु उसे निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. हिन्दू काल
2. मुस्लिम काल
3. अंग्रेजी काल
4. स्वतन्त्रता के बाद का काल

1. हिन्दू काल

वेदों में सुरा के साथ ऋशियों में सोमपान के प्रचलन का भी उल्लेख है जो एक पौधे की पत्तियों से काढ़े की तरह बना पेय था। यह 'सोम' पौधा 'हैम्प' पौधे से मिलता जुलता था, इस बिन्दु पर भारी मतभेद है, किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में सुरा के अतिरिक्त अन्य मादक वस्तुओं का प्रयोग था।

मनुस्मृति–मनुस्मृति हिन्दू विधि का सर्वोच्च प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है इसके अध्याय 9 के श्लोक 225 तथा 226 में कहा गया है कि राजा मदिरा बनाने वालों को नगर से निकाल दे। इसके अध्याय 11 के ष्लोक 93–94 में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के लिए सुरापान का निशेध है। इसके अध्याय 9 के ष्लोक 237 में मद्यपि के मस्तक पर मधुपान का चिन्ह लोहा तपाकर अंकित करने के दण्ड का उल्लेख है। याज्ञवल्क स्मृति में भी सुरापान के लिए कठोर दण्ड का प्राविधान है।

कौटिल्य अर्थषास्त्र–कौटिल्य के अर्थषास्त्र के प्रकरण 41 अध्याय 25 में सुराध्यक्ष षीर्श के अन्तर्गत कहा गया है कि आबकारी विभाग के अध्यक्ष (सुराध्यक्ष) का कर्तव्य सुरा के व्यापार का प्रबन्ध करना है। शराब के विकय के स्थान की व्यवस्था तथा अन्य आबकारी नियमों का भी उल्लेख है। विवाह आदि में सुराध्यक्ष की अनुमति से मदिरा के निर्माण का प्राविधान है। बिना अनुमति के मदिरा बनाने पर यथोचित दण्ड दिया जाता और टैक्स लिया जाता।

मनुस्मृति के अध्याय टप्प में राजस्व के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख है किन्तु उनमें मादक वस्तुओं से राजस्व प्राप्त करना सम्मिलित नहीं है। अन्य स्मृतियों में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इस काल में मादक वस्तुओं पर कर लगाने की परंपरा रही हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शराब पर टैक्स लिये जाने की बात कही गयी है, किन्तु न तो उससे पूर्व और न बाद में मादक वस्तुओं पर कर लेने की प्रणाली विकसित ही हुई।

2. मुस्लिम काल

मुस्लिम काल में पेय मदिरा पर शुल्क लगाने का प्रयास किया गया था किन्तु यह स्पश्ट नहीं है कि किस सीमा तक मादक वस्तुओं को राज्य के सीधे नियंत्रण में लाया गया। औरंगजेब के समय में राजस्व का संग्रह सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच गया था। कैट्रन के हिस्टोरिक जनरलेएम्पायर मुगल में औरगंजेब के समय के विभिन्न प्रान्तों के राजस्व के स्रोतों का उल्लेख है किन्तु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे विदित हो कि मादक वस्तुओं पर कोई कर लगाया जाता रहा। इसके विपरीत औरंगजेब के अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को लिखे पत्रों के संग्रह की फारसी की किताब के अनुसार औरंगजेब के पौत्र ने ताड़ी पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। किन्तु औरंगजेब ने स्वीकार नहीं किया। बाद में मुस्लिम शासन के अन्तिम काल में देश के कुछ भाग में मदिरा के व्यवसाय पर किसी प्रकार का टैक्स लगाया गया। यह जमीदारों द्वारा तब शायद आबकारी शीर्श के अन्तर्गत संग्रह किया जाता रहा, जब देश मुस्लिम शासन के हाथों से ईस्ट इंडिया कम्पनी के कब्जे में आया।

3. अंग्रेजी काल

प.1600 से 1772 तक

प्लासी (1757) और बक्सर (1764) की लडाईयां जीतने पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी, जो 1600 में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के अन्तर्गत बनी थी और भारत में व्यापार हेतु आयी थीं, वस्तुतः बंगाल का शासक बन गई। 1765 में शाह आलम, जिसे कम्पनी ने मुगल सम्राट की गद्दी का सही दावेदार स्वीकार किया, ने कम्पनी की बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का प्रशासन दिया। इस कार्य को कम्पनी ने अपने सेवकों द्वारा 1772 तक किया।

प्प.1772 से 1856 तक

रेगूलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने पर, बंगाल की सरकार स्थापित हुई, जिसमें एक गवर्नर–जनरल तथा चार पार्शद थे और इसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का कार्य भी मिला। इन प्रान्तों में कम्पनी के समय से शराब पर सायर जमीदारों के जरिये वसूल किया जा रहा था, उसे सरकार ने 19 अप्रैल, 1790 की सामान्य विज्ञप्ति द्वारा स्वयं अपने सीधे नियंत्रण तथा प्रबन्ध में ले लिया क्योंकि निम्न वर्ग के लोगों में मद्यपान की बुराई बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और आदेश दिया कि शराब भविश्य में बिना कलेक्टर से लाईसेंस लिये नहीं बेची जायेगी और सिवाय गवर्नमेन्ट, के किसी के द्वारा शराब पर टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा। इसेक बाद 14 जनवरी 1971 का आबकारी रेगूलेशन (जिसे ब्रिटिश इण्डिया का प्रथम आबकारी रेगूलेशन कहा गया है) आया, जिसका मुख्य प्राविधान था कि डिस्टलरियों तथा शराब के विक्रेताओं को प्रदान किये लाईसेंसों पर टैक्स लिया जायेगा तथा टैक्स की दरें स्थानीय परिस्थितियों के

अनुसार नियमित की जायेंगी। शराब के निर्माण तथा विकय के लाईसेंसों पर कलेक्टरों द्वारा निर्धारित दरों पर दैनिक टैक्स लगाया गया।

रेगूलेशन नं0 ग्ग्प्ट, 1993 द्वारा ताड़ी, भांग, चरस तथा अन्य मादक भेशजों पर टैक्स लगाया गया और उनके निर्माण तथा विकय हेतु लाईसेंस आवश्यक कर दिया गया।

गांजा तथा अन्य मादक भेशजों पर ड्यूटी रेगूलेशन टप्ए 1800– द्वारा गांजा तथा अन्य मादक भेशजों के विकय पर उनकी शक्ति और गुण के अनुसार दैनिक शुल्क (ड्यूटी) लगाई गयी। रेगूलेशन प्प्, 1802 द्वारा योरोपीयन ढंग से बनाई जाने वाली स्प्रिट के प्रत्येक स्टिल पर ड्यूटी लगाई गई।

रेगूलेशन ग्ए 1813– द्वारा प्राविधान किया गया कि प्रत्येक नगर या कस्बे, जहां कलेक्टर या सहायक कलेक्टर नियुक्त हैं, वहां जमीन का एक स्थान घेर लिया जायेगा और उसे सदर डिस्टलरी कहा जायेगा जिसके भीतर शराब के विकेताओं द्वारा षराब बनाई जायेगी। सदर डिस्टलरी के क्षेत्र के चार कोस के भीतर कोई कच्ची भट्टी नहीं चलाई जायेगी। ब्रिटिष इण्डिया के षेश क्षेत्रों में कच्ची भट्टी प्रणाली लागू थी। सदर डिस्टलरियों में उत्पादित शराब पर बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा निर्धारित दर पर ड्यूटी लगायी जाती थी।

रेगूलेशन टप्ए 1824– प्रथम बार योरोपीयन प्रणाली के अन्तर्गत चलाई जाने वाली डिस्टलरियों में उत्पादित स्प्रिट पर स्टिल हैड ड्यूटी लिये जाने का उल्लेख करता है। इसमें योरोप, अमेरिका या अन्य देशों में बनी स्प्रिट के विकय पर रिटेल डयूटी लेने का भी उल्लेख है।

;पपपद्ध 1857 से 1904 तक

1857 की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त ला दी। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1858 के प्रभावी होने पर, ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश साम्राज्ञी का स्वामित्व हो गया।

1861 में सदर डिस्टलरी प्रणाली अवध के चीफ कमिश्नर के सूबे तथा अगले वर्श आगरा के उत्तरीय प्रदेश में लागू कर दी गयी। आगे चलकर उत्तरीय प्रदेशों तथा अवध से मिलकर आगरा अवध का संयुक्त प्रान्त बना।

सदर डिस्टलरी प्रणाली के विशय में–1862–63 की रेवेन्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रणाली किसी को भी, जो निर्माण करना चाहता है, प्रति गैलन स्टिल हैड पर ड्यूटी लगाकर निर्माण करने की अनुमति देती है और इस प्रकार बिना विकय से कोई मतलब रखे सरकार को षराब के न्यूनतम मूल्य निष्चित करने में सहायता करती है।

जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है स्टिल हैड ड्यूटी शब्दों का प्रयोग पहले पहल 1924 के रेगूलेशन में किया गया है।

1802 के रेगूलेशन, जिसमें योरोपीयन डिस्टलरियों में उत्पादित स्प्रिट पर ड्यूटी आरोपित करने का प्राविधान है तथा 1813 के रेगूलेशन जिसमें सदर डिस्टलरियों में देशी तरीके से उत्पादित स्प्रिट पर ड्यूटी लेने का प्राविधान है, से स्पश्ट है कि स्टिल हैड ड्यूटी शराब के उत्पादन पर लगायी जाने वाली ड्यूटी है। चूंकि यह ड्यूटी स्टिल हैड पर (यानी जैसे ही शराब बन जाती है) लगायी जाती इसे स्टिल हैड ड्यूटी कहा गया है और यह ड्यूटी और कुछ नहीं है सिवाय उसके जिसे बाद के वर्शों में एक्साइज ड्यूटी कहा गया है। एक्साइज ड्यूटी शब्दों का प्रयोग एक्साइज (स्प्रिट) एक्ट 1863 में किया गया है।

हाईड्रोमीटर का प्रयोग– पहले ड्यूटी बिना शराब की ताकत निश्चित किये लगायी जाती रही किन्तु 1868–69 में सभी जिलों में हाइड्रोमीटर सप्लाई किये गये और ड्यूटी ताकत को निश्चित कर लगाये जाने लगी। विभिन्न सूबों में विभिन्न एक्साइज एक्ट लागू हुए।

एक्साइज एक्ट 1871 गवर्नर जनरल द्वारा पारित हुआ और यह उत्तर पश्चिमी सूबे, अवध के सूबे, पंजाब, सेन्ट्रल प्राविसेज, ब्रिटिश वर्मा तथा कुर्गे में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम द्वारा शराब तथा मादक भेशजों, जिसमें अफीम सम्मिलित नहीं थी, की एक्साइज ड्यूटी, लाईसेंस फीस एवं परिवहन, कब्जे में रखना, विकय, आयात, निर्यात शासित हुए। फुटकर लाईसेंसों को तय करने के लिए 1878 में नीलाम प्रणाली लागू हुई। ओपियम एक्ट 1878 प्रभावी हुआ। तदनन्तर एक्साइज एक्ट, 1871 की जगह एक्साइज एक्ट 1881 प्रभावी हुआ उसके स्थान पर एक्साइज एक्ट ग्प्प्, 1896 प्रभावी हुआ। 'यह एक्ट यूनाइटेड प्रार्विसेज लौज एमेण्डमेन्ट एक्ट, 1906 द्वारा संशोधित हुआ। समस्त भारत में शराब चाहे वह पीने योग्य हो या नहीं, पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती रही।

बीयर पर एक्साइज ड्यूटी आरोपित करने के लिए एक्साइज माल्ट लिकर एक्ट, 1890 प्रभावी हुआ।

1896 तक सदर डिस्टलरी प्रणाली समाप्तप्राय हो गयी। स्थानीय डिस्टलरियों को आपूर्ति का सन्तोशजनक साधन बनाने के लिए उनमें सुधार की नीति अपनाई गयी। स्थानीय डिस्टलरियों ने अपनी बिल्डिंग बना ली और अंग्रेजी पैटर्न के प्लांट लगा लिये। साथ ही साथ बंधित गोदामों की स्थापना हुई, जहां से स्प्रिट की आपूर्ति होने लगी। सिवाय कुछ भाग को छोड़कर जहां कच्ची भट्टी प्रणाली लागू रही, पूरे उत्तर पश्चिम सूबे तथा अवध के सूबे में डिस्टलरी प्रणाली लागू हो गयी।

यूनाइटेड प्राविसेस (डेजिग्नेषन) एक्ट 1902 द्वारा–चीफ कमिष्नर अवध, द्वारा प्रषासित राज्य क्षेत्र तथा लेफ्टीनेण्ट गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित उत्तर पश्चिमी सूबे को मिलाकर संयुक्त प्रान्त आगरा तथा अवध नाम दे दिया गया।

;पअद्ध 1904 से 1920 तक

1905 की आबकारी नीति–भारत सरकार ने अपने प्रस्ताव संख्या 5001– एक्साइज दिनांक 7 सितम्बर, 1905 द्वारा सूबे की सरकार के लिए आबकारी नीति निर्धारित की जिसे संक्षेप में न्यूनतम उपभोग के साथ–साथ अधिकतम राजस्व की नीति कहा गया है।

इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905– उपरोक्त 7 सितम्बर,1905 के प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने एक समिति गठित की, जिसे इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905 कहा गया है और उससे अपेक्षा की कि वह प्रत्येक सूबे के आबकारी प्रशासन का इस दृश्टि से परीक्षण करे कि सामान्य नीति जो निर्धारित की गयी है वो पूर्णतम व्यावहारिक कार्यान्वयन करने में किस सीमा तक समर्थ है और स्थानीय सरकारों से परामर्श कर ऐसे सुझाव, जो स्थानीय परिस्थितियों में वांछनीय हो और अन्यत्र जो सफल पाये गये हों के प्रकाश में, दें। इस समिति ने जो सामान्य तथा सूबे विषेश के लिए सिफारिषें की उनका सारांष इसकी रिपोर्ट के अध्याय ग्ट में दिया गया है। समिति को यह भी आदेष दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि नार्दन इण्डिया एक्साइज एक्ट (एक्ट 12, 1896) की जो कमियां नोटिस में आयी है, को देखते हुए इस एक्ट को निरस्त कर नया एक्ट अधिनियमित करना आवश्यक है और मुख्य परम्परायें इंगित करे जिस पर नया विधान आवष्यक है। समिति ने 1896 के एक्ट मं संशोधन करने हेतु सुझाव दिये और मद्रास तथा बम्बई को छोड़कर सारे भारत के लिए एक कानून की सिफारिश की, जिसके लिए एक ड्राफ्ट एक्साइल बिल दिया और यह आशा व्यक्त की आगे मद्रास और बम्बई भ्ज्ञी इसे अपना लेंगे। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशें मानकर यह निर्णय लिया कि समस्त भारत के लिए एक सामान्य एक्साइज एक्ट बनाने के स्थान पर प्रत्येक सूबा अपने लिए विधान बनाये।

1908 में सेंट्रल डिस्टलरी सिस्टम का स्थान कांट्रेक्ट सप्लाई सिस्टम ने लिया। कांट्रेक्ट सप्लाई सिस्टम के अन्तर्गत किसी विषेश क्षेत्र में बंधित गोदामों से देशी शराब या भेशजों की आपूर्ति एक संविदाकार को दी जाती है, जिसका चयन सप्लाई के रेट्स के टेन्डर मांग कर किया जाता है।

इण्डियन एक्साइज कमेटी, 1905 के ड्राफ्ट एक्साइज बिल के आधार पर यूनाइटेड प्राविसेस एक्साइज बिल 1909 तैयार किया गया जिसकी स्वीकृति लेफ्टीनेण्ट गवर्नर ने 18.12. 1909 को दी तथा इण्डियन कौंसिल एक्ट, 1861 की धारा 45 के अन्तर्गत गवर्नर जनरल की

आवश्यक स्वीकृति 24.2.1990 को प्राप्त हुई। तदनन्तर यह राजपत्र में 12 जून 1910 में प्रकाशित होने पर प्रभावी हुआ।

यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के पूर्व डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी ली जाती रही। यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 के अधिनियमित होने पर भी डिनेचर्ड स्प्रिट पर ड्यूटी लगाना जारी रहा। सूबे की सरकार ने डिनेचर्ड स्प्रिट पर मूल्येन साढ़े सात प्रतिशत की दर पर ड्यूटी लगायी। डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी लेना यू0पी0 गवर्नमेंट ने विज्ञप्ति संख्याः202/तेरह दिनांक मार्च 6, 1917 द्वारा बन्द कर दिया।

जब यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 पारित किया गया था तब केन्द्र तथा सूबों के बीच विधायी शक्ति का सीमांकित विभाजन नहीं था। प्रथम बार गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1919, द्वारा कतिपय विशय निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में रखे गये और सूबों को केन्द्र से अर्ध स्वतंत्रता, उन्हें कुछ राजस्व के स्रोत तथा पृथक विधायी क्षेत्र आबंटित कर, प्रदान की गयी। 1919 के एक्ट की धारा 45 ए तथा 129 के अधीन, गवर्नर जनरल इनकोसिल ने सेक्रेटरी आफस्टेट इन कौंसिल की स्वीकृति से डिवील्यूशन, रूल्स, 1920 प्रख्यापित किये, जो उत्तर प्रदेश एक्ट दिनांक दिसम्बर 25, 1920 में पृश्ठ 2017–2031 पर प्रकाशित हुए। इस नियमावली की प्रविश्टि 16 निम्नानुसार है–

''16 एक्साइज, अर्थात अलकोहल युक्त शराब तथा मादक भेशजों का उत्पादन, निर्माण, कब्जे में रखना, परिवहन, क्रय एवं विक्रय तथा ऐसे पदार्थों पर और उनके सम्बन्ध में एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस का आरोपण किन्तु अफीम के मामले में कृशि, निर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय को छोड़ कर''।

उपरोक्त से स्पश्ट है कि सभी ऐल्कोहाली लिकर चाहे वह मानव उपभोग के लिए ही हो या न हो, पर एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस का आरोपण तथा नियंत्रण के विशय सूबे की सरकार की को अन्तरित कर दिये गये। जहां तक मादक भेशजों का सम्बन्ध है, केवल अफीम की कृशि, निर्माण तथा निर्यात के लिए विक्रय केन्द्रीय सरकार पर रहा किन्तु इसको छोड़कर सभी मादक भेशजों की एक्साइज ड्यूटीज तथा लाईसेंस फीस एवं उनेक निर्माण, परिवहन आदि पर नियंत्रण सूबे की सरकार को अन्तरित कर दिये गये।

उपरोक्त प्रविश्टि में शब्द अन्तरराज्यीय आयात या निर्यात जो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की उद्देशिका में है, नहीं है। सीमा शुल्क सरहद को पारकर आयात तथा निर्यात का विशय भी सूबे की सरकार को अन्तरित नहीं किया गया।

;टद्ध 1921 से 1949 तक

मूल यू0पी0 एक्साइज एक्ट, 1910 में मादक भेशजों की धारा 3(1) में दी परिभाशा में (1) गांजा, (2) भांग और (3) चरस, कोकीन तथा नोवाकीन तथा इन पदार्थों से बनी निर्मितियां सम्मिलित थी। डेंजरस (अनिश्टकर) ड्रग्स (भेशज) एक्ट (अधिनियम), 1930 (इम्पीरियल एक्ट प्, 1930) के प्रभावी होने पर मादक भेशज षब्द की परिभाशा संकुचित हो गयी और उसमें गांजा, भांग और चरस और उनसे बनी निर्मित ही सम्मिलित रह गयी।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि संयुक्त प्रान्त की सूबे की सरकार ने 1917 में डिनेचर्ड स्प्रिट पर एक्साइज ड्यूटी को समाप्त कर दिया किन्तु जनवरी 1937 की विज्ञप्ति द्वारा डिस्टलरियों से डिनेचर्ड स्प्रिट की निकासी पर बैडफीस लगा दी।

गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट 1935–ने संविधान को विषुद्ध ऐकिक से परिसंघीय प्राय संविधान में परिवर्तित कर दिया। यह 1 अप्रैल 1937 से प्रभावी हुआ। भारत का परिसंघ जिसमें सूबे, भारतीय रियासतें जो इसमें सम्मिलित हुई तथा चीफ कमिश्नरों के सूबे सम्मिलित थे, घोशित हुआ ब्रिटिष साम्राज्ञी की ओर से परिसंघ का प्रशासनिक अधिकार गवर्नर जनरल द्वारा प्रयोग किया गया, जिसने सेक्रेटरी आफ स्टेट के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य किया। परिसंघीय विधान मंडल में गवर्नर जनरल तथा दो सदन, जो क्रमशः राज्य सभा तथ्ज्ञा लोक सभा कहे गये थे। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट ने अपनी विधायी शक्तियों को केन्द्र तथा सूबों में इस एक्ट की सातवीं अनुसूची में दी गयी तीन सूचियों अर्थात सूची 1–संघ सूची, सूची 2–राज्य सूची तथा सूची 3–समवर्ती सूची में विभाजित कर दिया था। गवर्मेंट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की विधायी योजना के अनुसार, विनियमित करने वाली शक्तियों को कर आरोपित करने वाली शक्तियों से पृथक कर दिया गया था जिसके लिए सूची–2 (राज्य सूची) की प्रविश्टियां 31 तथा 40 को उद्घृत किया जाता है–

''31. मादक लिकर तथा स्वापक भेशज, अर्थात मादक लिकर, अफीम तथा अन्य स्वापक भेशजों का उत्पादन, निर्माण, कब्जे में रखना, परिवहन, क्रय तथा विक्रय किन्तु जहां तक अफीम का सम्बन्ध है, सूची–1 के अधीन तथा विश तथा भेशजों का सम्बन्ध है सूची–3 के प्राविधानों के अधीन।''

''40. सूबे में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क–

क– मानवीय उपभोग के लिए एलकोहली लिकर।

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औशधियां तथा स्वापक पदार्थ,

ग–ऐसी औशधियां निर्मितियां जिनमें एलकोहाल या इस प्रविश्टि के उप पैरा, ख का कोई पदार्थ अन्तर्विश्ट है।

सूची–1 (संघीय सूची) की प्रविश्टि 45 में भारत में विनिर्मित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क सिवाय मानवीय उपभोग के लिए एलकोहाली लिकर तथा ऐसी औशधीय निर्मितियों के, जिनमें एलकाहल, अफीम, इण्डियन हैम्प तथा स्वापक औशधियां सम्मिलित हैं। इससे स्पश्ट है कि गवर्मेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के पूर्व सभी एलकोहली लिकर पर उत्पाद शुल्क सूबे की सरकार द्वारा लिया जा सकता था चाहे वह पेय हो या अपेय। किन्तु गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के प्रभावी होने पर केवल मानवीय उपभोग के लिए एलकोहली लिकर तथा औशधीय निर्मितियां जिनमें एलकोहल अन्तर्विश्ट है, पर ही एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) लिया जा सकता था।

गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट,1935 की धारा 293 के अन्तर्गत विज्ञापित एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के प्राविधानों में जो परिवर्तन हुए उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है।

4–स्वतंत्रता के बाद का काल

भारतीय संविधान– जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी हुआ तब मादक द्रव्यों के नियंत्रण तथा कियमन तथा उन पर एक्साइज ड्यूटीज से सम्बन्धित राज्य की विधायी शक्तियों में आगे परिवर्तन हुआ। भारतीय संविधान ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 की विधायी प्रविश्टियों को योजना का अनुसरण किया है। सातवीं अनुसूची की सूची–2 (राज्य सूची) में दो प्रविश्टियां संख्या 8 तथा 51 हैं, जिनमें से एक नियंत्रण तथा विनियमन के लिए और दूसरी एक्साइज ड्यूटीज (उत्पाद शुल्क) आरोपित करने के लिए है, जो निम्नवत् है–

8. ''मादक लिकर, अर्थात मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय''।

''51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्य विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्न दर से प्रति शुल्क–

क– मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औशधियां तथा स्वापक पदार्थ

किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी औशधियां और प्रसाधन विनिर्मितियां हैं, नहीं जिनमें ऐल्कोहल या इस प्रविश्टि के उपपैरा–ख का कोई पदार्थ अन्तर्विश्ट है।''

अनुसूची–टप्प् की सूची–1 (संघीय सूची) की प्रविश्टि 84 को भी नीचे दिया जाता है–

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क जिसके अन्तर्गतः–

क– मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहली लिकर,

ख– अफीम, इण्डियन हैम्प तथा अन्य स्वापक औशधियां तथा स्वापक पदार्थ नहीं है, किन्तु ऐसी औशधीय प्रीय और प्रसाधन निर्मितियां है, जिसमें एल्कोहाल या इस प्रविश्टि के उप पैरा–ख का कोई पदार्थ अन्तर्विश्ट है।

उपरोक्त प्रविश्टियों से स्पश्ट है कि राज्य विधान मण्डल केवल मानवीय उपभोग के लिए अलकोहली लिकर पर एक्साइज डयूटीज न लगाने हेतु कानून बना सकती है। अलकोहाली लिकर जो मानवीय उपभोग के लिए नहीं है उसके विशय में पार्लियामेंट कानून बना सकती है जिसके सम्बन्ध में स्थिति वैसी ही रही, जैसी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट 1750 के अन्तर्गत थी। गर्वमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट 1735 के अन्तर्गत औशधीय निर्मितियों जिनमें एल्कोहाल अन्तर्विश्ट है, पर राज्य एक्साइज ड्यूटी ले सकती थी किन्तु संविधान के प्रभावी होने पर औशधीय तथा प्रसाधन निर्मितियां जिनमें एल्कोहाल अफीम, इण्डियन हैम्प और अन्य स्वापक औशधीय अन्तर्विश्ट हो, पर एक्साइज ड्यूटी लेने का विशय राज्य से ले लिया गया और इसे केन्द्र को दे दिया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि संविधान की धारा–277 के प्राविधानों के अनुसार औशधियों तथा प्रसाधन निर्मितियां जिनमें अलकोहल तथा अफीम, इण्डियन हैम्प तथा अन्य स्वापक अन्तर्विश्ट थी, पर एक्साइज ड्यूटीज राज्य द्वारा उदगृहीत की जाती रही जब तक संसद द्वारा विधि द्वारा उपबन्ध नहीं कर लिया। पार्लियामेन्ट ने औशधीय और प्रसाधान निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) इसकी अनुसूची में दी गयी दरों पर संग्रह करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

सूची दो की प्रविश्टि 8 में अभिव्यक्ति ''मादक (इन्टोक्जी के रिंग)'' लिंकर का निर्वाचन बलसारा केस में बम्बई उच्च न्यायालय ने किया थ कि इस तात्पर्य लिकर जो जैसा है वैसा ही मानव उपभोग के योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने उस केस में अपील होने पर उसके विपरीत मत व्यक्त किया था। इसी मत के आधार पर सिंथेटिक्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड के केस (1980(2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 441) के निर्णय में डिनेचर्ड स्प्रिट पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगायी गयी बैड फीस विधिमान्य कही गयी थी। उपरोक्त मत पर उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की अधिसंख्यक खण्डपीठ ने पुनः विचार किया। जब 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मत व्यक्त किया था तब औद्योगिक अलकोहल के पूर्ण उपभोग के विशय में जागरूकता नहीं थी। नये अनुभव तथा विकास के प्रकाश मैं सिंथेटिक एण्ड कैमीकल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए0आई0आर0 1990 सुप्रीम कोर्ट 1927 में यह मत व्यक्त किया गया कि उपर्युक्त प्रविश्टि 8 में मादक लिंकर का तात्पर्य मानव द्वारा उपभोग योग्य लिंकर होना चाहिए और बलसारा के केस में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त मत सही है। इसलिए यह औद्योगिक अलकोहल पर टैक्स को सहारा नहीं दे सकती। समस्त एक्साइज ड्यूटीज सिवाय उन मदों के जो सूची–1 की प्रविश्टि

84 में विनिर्दिश्टतया अपवादित है, केन्द्रीय विधान मण्डल की कर लगाने वाली शक्ति के अन्तर्गत आती है। राज्य विधान मण्डल को जो शक्ति स्रोत प्राप्त है वह सूची–2 की प्रविश्टि 51 के अन्तर्गत परिसीमित है।

औद्योगिक अल्कोहल के क्षेत्र में कर लगाने का प्राविधान नहीं है। राज्य औद्योगिक एलकोहल पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के अधिनियम के प्राविधान जो औद्योगिक एल्कोहाल पर टैक्स या प्रभार लगाते हैं असंवैधानिक है। किन्तु औद्योगिक एलकोहाल पर उस फीस का लगाना प्रभावित नहीं होगा जहां ऐसी परिस्थितियां हैं जो स्थापित करती है कि फीस जो लगायी जानी है, के लिए तत्प्रतित (क्विड प्रोको) है।

अफीम, इण्डियन हैंप और अन्य स्वापक औशधियों तथा स्वापक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लेने के लिए राज्यों की अनुसूची टप्प् की सूची–2 की प्रविश्टि 51 द्वारा अधिकृत किया गया है। मादक द्रव्यों के विनियमन तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविश्टि 19 सुसंगत है, जो निम्नवत् है–

19. अफीम के संबंध में सूची–1 की प्रविश्टि 59 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विश।'

प्रविश्टि 19 में दी गयी मदों पर राज्य विधान मंडल तथा संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं। स्वापक औशधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 संसद द्वारा स्वापक औशधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संकियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम में स्वापक औशधि से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्ततृण तथा सभी विनिर्मित औशधियां हैं। कैनेबिस (हैम्प) से अभिप्रेत है चरस, गांजा तथा प्राविधान यू0पी0 एक्साइज एक्ट के प्राविधानों से कठोरतर है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 81 के अनुसार चरस और गांजा के विशय में स्वापक औशधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 लागू है और यू0पी0 एक्साइज एक्ट 1910 के प्राविधान गांजा और चरस से सम्बन्धित संकियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए लागू नहीं है।

(स्रोत–मनुस्मृति कौटिल्य अर्थशास्त्र, श्री शशि शेखर राय का 18 अगस्त, 1894 का इण्डियन हैम्प ड्रग्स कमीशन की रिपोर्ट 1893–94 में लेख, ब्रिटिश काल के विविध रेगूलेशन तथा एक्ट, इण्डियन एक्साइज कमिटी रिपोर्ट, 1905, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 तथा संविधान आदि)

9. अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के सही तात्पर्य तक पहुंचने हेतु कानूनी निर्वचन के सिद्वान्तों सुविज्ञ होना आवश्यक है। कानूनी निर्वचन के सिद्वान्तों को दिया जा रहा है–

1. सामान्य सिद्वान्त

2. निर्वचन के मौलिम नियक

क– विधान मंडल के आशय की अभिव्यक्ति करना।

ख– अक्षरशः अर्थान्वयन

ग– उदार या कठोर अर्थान्वयन

घ– सान्दर्भिक अर्थन्वयन

ड.– रिश्टि का नियम

च– कल्याणकारी अर्थान्वयन

छ– साम्यापूर्ण अर्थान्वयन

ज. सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन

3. निर्वचन के सहायक नियम

क– विशमता, अर्थहीनता, कठिनाई, व्यतिरिक्तता तथा विरोध।

ख– लोप के कारण का सिद्वान्त।

ग– विवक्षित तौर पर अर्थान्वयन।

घ– तत्कालीन व्यवस्था।

ड.– एक ही प्रकृति की अभिव्यक्ति।

च. विशिश्ट उपबन्ध सामान्य से प्रबल।

छ–विवक्षित निसरन का सिद्वान्त।

ज– विधिक कल्पना।

झ– आज्ञापक या निदेशात्मक।

ट– संयोजक या वियोजक।

4. आन्तरित सहायतायें

क– सामान्य।

ख– शीर्शक या उपशीर्शक।

ग– परिभाशा खण्ड।

घ– स्पश्टीकरण।

ड.– पार्श्व टिप्पणी/धारा के शीर्श

च– सर्वोपरि खण्ड।

छ– उद्देशिका।

ज– परन्तुक।

5. बाह्य सहायतायें–

क– विधायी इतिहास।

ख– शब्दकोश के अर्थ।

ग–विदेशी निर्णय तथा पाठ्य पुस्तकें।

घ–अन्य कानून।

6. निर्वचन उपधारणायें।

7. भूतलक्षी प्रभाव।

8. विषेश कानून या उपबन्ध–

क– कराधान का कानून।

ख– दाण्डिक कानून।

।जिमत ब्तमंजपवद व िन्जजंतंदबींस

उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का पुर्नगठन करते हुए उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। वित्तीय वर्ष 2000–01 में उत्तर प्रदेश के समय प्रचलित अधिनियम प्रभावी रहे। उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात आबकारी विभाग का ढांचा मंत्री परिषद की बैठक में स्वीकृत किया गया जो शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2001 से प्रभावी हुआ। वर्ष 2001–02 की आबकारी नीति मंत्री परिषद के अनुमोदन के पश्चात शासनादेश संख्याः1357 दिनांक 28 फरवरी 2001 के द्वारा घोषित कर अधिसूचित की गयी। आबकारी नीति निम्नवत् हैः–

अधिसूचना

सा0 प0 नि.–2002

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग के आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2001–2002 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोषित करते हैं–

यह गजट में उसके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नवीन व्यवस्थाः–

1. मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन अभिकर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किया जायेगा
2. मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2001–2002 में दुकान की वास्तविक बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और यह राशि देशी मदिरा के सम्बन्ध में न्यूनतम रू0 दो लाख एवं अधिकतम दस लाख रू0 तथा विदेशी मदिरा के सम्बन्ध में न्यूनतम रू0 एक लाख एवं अधिकतम रू0 दस लाख होगी।
3. चूंकि आबकारी राजस्व का मुख्य अंश उपभोग आधारित अभिकर होगा, अतः अभिकर व अनुज्ञापन शुल्क की दरों को इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा

जिससे कि उपभोग के आधार पर आगामी वर्ष में अपेक्षित वृद्वि सुनिश्चित की जा सके।

4. मदिरा की दुकानों की संख्या में वर्ष 2001–2002 के दौरान कोई वृद्वि नहीं की जायेगी यथा आवश्यकता क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत दुकानों के स्थान में यथा नियम परिवर्तन किया जा सकेगा किन्तु पूर्व निषिद्ध स्थलों के साथ–साथ यात्रा मार्गों के मेन रोड पर मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जायेगी।

5. उत्तरांचल राज्य के निवासियेां को मदिरा की दुकानों के आबंटन पर प्राथमिकता दी जायेगी।

6. आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा दुकान संचालित करने की हैसियत के सम्बन्ध में कठोर जांच करायी जाने की प्रकिया नियत की जायेगी और दुकान का सबलेटिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी। सबलेटिंग की स्थिति पायी जाने पर अनुज्ञापन शुल्क जब्त करते हुए अनुज्ञापन निरस्त करने के कठोर नियम बनाये जायेंगे।

7. राज्य अन्तर्गत प्रतिवर्ष देशी मदिरा के लगभग सात करोड़ खाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूषण बढ़ने के साथ–साथ पशु हानि की घटनायें भी हो रही है जिस पर नियंत्रण हेतु पॉली पाउच के प्रयोग को पूर्णतः निषिद्ध किया जाना अनिवार्य है, किन्तु बड़ी संख्या में कांच की बोतलों की एक साथ व्यवस्था न होने तथा प्रदेश की देशी मदिरा के गोदामों की सीमित बोतल भराई क्षमता को दृष्टि में रखते हुए पॉली पाउच का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से ही बन्द किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम चरण 1 अप्रैल, 2001 से 3 माह तक 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी पॉली पाउच में और 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी बोतलों में दी जायेगी। तदुपरान्त 1 जुलाई, 2001 से देशी मदिरा की समस्त निकासी बोतलों में ही दी जायेगी।

8. वर्तमान में 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सादा तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मसालेदार देशी मदिरा बेची जा रही है जिसके स्थान पर 1 अप्रैल, 2001 से 32 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली कन्ट्री रम देशी मदिरा की दुकानों से बेची जायेगी।

9. उत्तरांचल के जिन जनपदों में वर्तमान में परमिट की व्यवस्था है, वहां बाहर से आये पर्यटकों को बिना परमिट के भी विदेशी मदिरा बेची जा सकेगी।

10. अभिकर की चोरी तथा मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा।

11. राज्य के बाहर की आसवनियों द्वारा इस राज्य में अपनी मदिरा के ब्राण्ड बेचने हेतु बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 खोलने की व्यवस्था की गयी है, अतः इस निमित्त वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क रू0 दस लाख रखा गया है। जबकि बीयर के लिए बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् रू0 पांच लाख, विदेशी मदिरा का अभिकर पूर्ववत् रू0 48/– प्रति ए0एल0 तथा राज्य की आसवनियों को अपनी विदेशी मदिरा का ब्राण्ड बेचने हेतु लिये जाने वाले अनुज्ञापन एफ0एल0–1 का अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् 2.5 लाख निर्धारित किया गया है किन्तु जनपद में थोक विदेशी मदिरा के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 के अनुज्ञापन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

12. पर्यटन व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 'बार' के अनुज्ञापन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

13. सेना को मदिरा/बीयर की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी गयी है और इसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।

14. राज्य अन्तर्गत भांग की दुकान का व्यवस्थापन पूर्णतः बन्द कर दिया गया है और एतद्विषयक किसी दुकान के संचालन की अनुमति नहीं दी गयी है।

15. नवीन उपर्युक्त आबकारी नीति के कियान्वयन हेतु पृथक से नियमावली बनायी जा रही है।

लोक प्राधिकारी– आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 2 : अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

आबकारी विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियम एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों उपनियमों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित किये गये हैं –

1. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) यथा संशोधित एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियां।
2. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) एवं शीरा नियंत्रण नियमावली 1974 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित)
3. नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज एक्ट 1985 एवं उत्तर प्रदेश नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज नियमावली 1986 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)
4. अफीम धुम्रपान अधिनियम 1934 एवं एतद्विषयक नियमावली (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित)
5. मैडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साईज ड्यूटी) एक्ट 1955 एवं एतद्विषयक नियमावली 1957 (उत्तरांचल में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित)
6. स्प्रिचुअस प्रिपरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट 1955 एवं एतद्विषयक नियमावली 1956 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)
7. उत्तर प्रदेश मादक वस्तु (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1976 एवं एतद्विषयक नियमावली (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित)
8. प्वाईजन एक्ट 1919 एवं तत्सम्बन्धी यू0पी0 प्वाईजन्स (रेगुलेशन ऑफ पजेशन एण्ड सेल) रूल्स 1921 यथासंशोधित नियमावली 1989 एवं यथा संशोधित नियमावली 1994 (उत्तरांचल में यथा लागू) के अन्तर्गत मिथाईल अल्कोहल के दुरूपयोग के निवारण हेतु।

9. मोटर स्प्रिट, डीजल ऑयल, अल्कोहल कराधान अधिनियम 1939 एवं एतद्विषयक नियमावली 1977।

उक्त संख्या–9 पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंकित अधिनियम एवं नियमावली प्रशासनिक नियंत्रण नियमावली के नियम 3 के अन्तर्गत वर्ष 2000–01 से (1–4–2000 से) व्यापार कर विभाग को दे दिया गया जिसके कारण अब उत्तरांचल में भी उक्त अधिनियम एवं नियमावली का प्रशासनिक नियंत्रण व्यापार कर विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है।

उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमावलियों के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त के अधीन रहते हुए विभाग के अधिकारियों (एडीशनल कमिश्नर, ज्वाइन्ट कमीश्नर, डिप्टी कमीश्नर, एसिस्टेन्ट कमीश्नर, एक्साईज इन्सपेक्टर, एक्साईज सब इन्सपेक्टर, प्रधान आबकारी सिपाही) के विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अन्तर्गत अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है –

क्र.	अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व	उ0प्र0 आबकारी एक्ट 1910 एवं आबकारीमैनुअल खण्ड प्रथम	एम0एण्ड टी पी. – एक्ट– 1955 एवं नियमावली	स्प्रिचुअश प्रिपरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट 1955	शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964	एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 एवं नियमावली 1986
1.	पावर टू एन्टर एण्ड इस्पेक्ट दि प्लेस आफ मैन्युफैक्चर एण्ड सेल ऑफ एनटाक्सीकेन्ट	धारा–48 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	नियम–110 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–8(1)(ए) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–14(1)(ए) उप आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–42 (नारकोटिक्स ड्रग्स) धारा–44 कोका प्लान्ट अफभ्म, पौपी के सम्बन्ध में आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
2.	पावर आफ इन्वेस्टीगेशन ऑफ ओफेन्स	धारा–49 आ बकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–10/16 आबकारी निरीक्षक	धारा–8(3) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–14(3) उप आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–53 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
3.	पावर आफ एरेस्ट एण्ड डिटेन्शन	धारा–50 सभी आबकारी अधिकारी (अपराध अन्तर्गत धारा–60 (ए एण्ड जी))	धारा–9 उप आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी (नियम 113, 114, 121)	धारा–8(1)(डी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–14(1)(सी) उप आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–42,43,44 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
4.	पावर ऑफ सीजर	धारा–50 सभी आबकारी अधिकारी	नियम–113, 114 एवं 121 उप अबाकारी निरीक्षक	धारा–8(1)(सी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के	धारा–14(1)(बी) व धारा–15 उप आबकारी	धारा–42,43,44 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के

		(अपराध अन्तर्गत धारा–60 (ए एण्ड जी))	व उससे उपर के अधिकारी	अधिकारी	निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	अधिकारी
5.	पावर आफ कलेक्टर टू इशू वारन्ट ऑफ अरेस्ट	धारा–51				
6.	पावर आफ कलेक्टर/ मजिस्ट्रेट टू इशू सर्च वारंट	धारा–52				धारा–41 1. मेट्रो पोलोटियन मजिस्ट्रेट 2. राजपत्रित अधिकारी एक्साईज डिपार्टमेन्ट
7.	पावर आफ कलेक्टर/ आफिसर आफ एक्साईज डिपार्टमेन्ट टू सर्च विदाउट वारेन्ट	धारा–53 आबकारी निरीक्षक या उनसे उपर के अधिकारी		धारा–8 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी		धारा–42 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी इस प्रतिबन्ध के साथ कि तत्काल राजपत्रित अधिकारी को सूचना दिये जाने पर
8.	पावर आफ कन्फिसकेशन	धारा–72 जिला मजिस्ट्रेट	नियम–126 आबकारी निरीक्षक /मजिस्ट्रैट व उससे उपर के अधिकारी			धारा–45, 61, 62 एवं 63 मजिस्ट्रेट द्वारा
9.	पावर आफ कम्पाउडिंग	धारा–74 जिला आबकारी अधिकारी व सहायक आबकारी आयुक्त व उससे उपर के अधिकारी	आबकारी आयुक्त व उसके उपर के अधिकारी	धारा–42 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी इस प्रतिबन्ध के साथ कि तत्काल राजपत्रित अधिकारी को सूचना दिये जाने पर।	धारा–16 शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त	

क्र.	अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व	मोटर स्प्रिट डीजल आयल अल्कोहल कराधान अधिनियम 1939 एवं नियमावली 1977	प्वाईजन एक्ट 1919 सपठित एतद्विषयक यू0पी0 प्वाईजन्स (रेगूलेशन ऑ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली 1989 एवं 1994 (मिथाईल अल्कोहल से सम्बन्धित)	उत्तर प्रदेश इन्टॉक्सीकेटिंग लीकर (औब्जेक्शीनेबल एडवर्टाईजमेन्ट) एक्ट 1976	यूनाईटेड प्रोवीन्स ओपियम स्मोकिंग एक्ट 1934 एवं एतद्विषयक नियमावली
1.	पावर टू एन्टर एण्ड इस्पेक्ट दि प्लेस आफ मैन्युफैक्चर एण्ड सेल ऑफ एनटाक्सीकेन्ट	धारा–10(1)(ए) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	–	–	–

2.	पावर आफ इन्वेस्टीगेशन ऑफ ओफेन्स	धारा–10(बी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	नियम–17(एच) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–8 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–21 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
3.	पावर आफ एरेस्ट एण्ड डिटेन्शन	धारा–10(1)(सी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	नियम–17(एच) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–5 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–21 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
4.	पावर ऑफ सीजर	धारा–10(1)(बी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	नियम–17(एफ) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–5 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	धारा–21 आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
5.	पावर आफ कलेक्टर टू इशू वारन्ट ऑफ अरेस्ट	–	–	–	–
6.	पावर आफ कलेक्टर/ मजिस्ट्रेट टू इशू सर्च वारंट	–	धारा–7 प्वाईजन एक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	–	धारा–19 मजिस्ट्रेट
7.	पावर आफ कलेक्टर/ आफिसर आफ एक्साईज डिपार्टमेन्ट टू सर्च विदाउट वारेन्ट	–धारा–10(1)(डी) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी	–	–	धारा–19(ए) आबकारी निरीक्षक व उससे उपर के अधिकारी
8.	पावर आफ कन्फिसकेशन	धारा–11 मजिस्ट्रेट द्वारा	नियम–17 (एफ) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	–	धारा–24 मजिस्ट्रेट
9.	पावर आफ कम्पाउडिंग	धारा– 13 के पठित नियम 3 (6) के अन्तर्गत सहायक आबकारी आयुक्त या उससे उपर के अधिकारी	–	धारा–10 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	–

नोट – उ0प्र0 मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल एवं अल्कोहल कराधान अधिनियम 1939 एवं तद्विषयक नियमावली 1977 के नियम 3 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2000 से प्रशासनिक नियंत्रण व्यापार कर विभाग को दिये जाने का निर्णय उ0प्र0 शासन द्वारा लिया गया था। उत्तरांचल राज्य 09.11.2000 को सृजित होने के उपरान्त से ही उपरोक्तानुसार इस अधिनियम एवं नियमावली का प्रशासनिक नियंत्रण व्यापार कर विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सेल टैक्स/परजेच टैक्स की वसूली भी मॉनिटरींग/समीक्षा/संकलन व्यापार कर विभाग द्वारा की जा रही है।

आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, देहरादून के आदेश

संख्याः5042/पांच–ई0आई0बी0/उत्तरदायित्व निर्धारण/प्र0आ0सि0/आ0सि0–2001 दिनांक 10.9.2001

आबकारी विभाग में अभी तक प्रधान आबकारी सिपाहियों के लिए कोई अलग से दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्धारण नहीं किया गया था एतद्द्वारा प्रधान आबकारी सिपाहियों के लिए दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है।

(1) अपराध निरोधक क्षेत्रों में/प्रवर्तन ईकाइयों में क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के नियंत्रण में रहते हुए निम्नानुसार कार्यों का निर्धारण किया जाता है–

1. कार्यालय से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव व अद्यावधिक प्रविश्टियों का पूर्ण करना (वरिश्ठ प्रधान आबकारी सिपाही द्वारा)
2. दूसरे प्रधान आबकारी सिपाही को न्यायालय में अभियोगों की पैरवी, मुखबरी, दबिशों के आयोजनों में आबकारी निरीक्षक को सहयोग प्रदान किया जाना, अभियोजन कार्यों में सहयोग प्रदान करना होगा। रोड़, चैकिंग/वाहन चैकिंग, स्वतंत्र रूप से करने पर फर्द आदि तैयार करना होगा।

(2) चीनी मिलों द्वारा–

प्रभारी उप आबकारी निरीक्षक के नियंत्रण में रहते हुए चीनी मिलों में निम्न दायित्व/कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है–

1. चीनी मिलों में शीरा सम्भरण हेतु दिन प्रतिदिन आने वाले टैंकरों की डायरी का तैयार किया जाना तथा उसमें टैंकर के आने/जाने का समय, पास नम्बर आदि की प्रविश्टियों का अंकन किया जाना।
2. टैंकरों का खाली/भराई के उपरान्त तुलवाये जाते समय उपस्थित रहना।
3. बिना प्रभारी उप निरीक्षक के हस्ताक्षर कराये पासों के टैंकरों को मिल गेट से बाहर न जाने दिया।

(3) आबकारी सिपाही पूर्व की भांति आबकारी निरीक्षकों के नियन्त्रणाधीन अपने दायित्वों/कर्तव्यों का पालन करेंगे।

हस्ताक्षर अपठित
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः5043–5060/पांच–ई0आई0बी0/उत्तरदायित्व निर्धारण/प्र0आ0सि0/आ0सि0–2001/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
2. समस्त आबकारी निरीक्षक/उप आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
3. समस्त प्रधान/आबकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त अनुभागाधिकारी मुख्यालय।
5. अनुभाग प्रभारी, गार्ड फाइल हेतु।

हस्ताक्षर अपठित
(अनिल कुमार शर्मा)
अपर आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या:211/एस0टी0/अधिश्ठान देहरादून दिनांकः जून 16, 2004

कार्यालय ज्ञाप

षासनादेष संख्या 1061 दिनांक 14.2.2001 के द्वारा आबकारी विभाग में अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) का पद स्वीकृत है तथा पुनः विभागीय ढांचे में षासनादेष संख्या 865 दिनांक 22.8.2003 के द्वारा अपर आबकरी आयुक्त (विभागीय) का पद स्वीकृत किया गया है। तात्कालीन प्रभाव से अपर आबकारी आयुक्त के इन दो पदों के मध्य निम्न प्रकार कार्य विभाजन किया जाता है:–

1. अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन)– इनके अधीन निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जाता है:–

10. प्रषासन तथा कार्मिक एवं अधिश्ठान सम्बन्धी समस्त कार्य।
11. शीरा/अल्कोहल की नीति निर्धारण तथा उसका अनुश्रवण एवं नियंत्रण सम्बन्धी समस्त कार्य।
12. मुख्यालय पर सामानय व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कार्य।
13. जांच तथा विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त कार्य।
14. वित्त, लेखा एवं आडिट सम्बन्धी समस्त कार्य।
15. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा सन्दर्भित अपीलों की सुनवाई व निस्तारण।
16. ई0आई0बी0 से सम्बन्धित समस्त कार्य।
17. निर्दिश्ट मामलों/जनपदों निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य।
18. आबकारी आयुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

3. अपर आबकारी आयुक्त (विभागीय)– इनके अधीन निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन किया जायेगाः–

9. आबकारी नीति निर्धारण एवं उनके कियान्वयन सम्बन्धी समस्त कार्य तथा देषी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन एवं उससे सम्बनिधत समस्त प्रकार के कार्य।
10. समस्त प्रकार के लाइसेंस की नीति निर्धारण, लाइसेंस निर्गमन सम्बन्धी कार्य।

11. प्राविधिक एवं औद्योगिक विकास सम्बन्धी समस्त कार्य।

12. आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा संदर्भित अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण।

13. निर्दिश्ट मामलों/जनपदों में निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्य।

14. आबकारी आयुक्त की ओर से अति महत्वपूर्ण मुकदमों में मा0 उच्च न्यायालय, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिषपथ पत्र लगाने तथा पैरवी से सम्बन्धित कार्य।

15. विधि अनुभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य।

16. आबकारी आयुक्त आयुक्त द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।

चूंकि वर्तमान में विभाग में अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) के पद पर कोई अधिकारी तैनात नहीं है एवं पद रिक्त है। अतः अपर आबकारी आयुक्त (प्रषासन) के पद का कार्यभार भी अपर आबकारी आयुक्त (विभागीय) अपने कार्यों के साथ–साथ अग्रिम आदेषों तक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में करेंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

संख्याः212–30/एस0टी0/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

6. सचिव, आबकारी उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7. अपर आबकारी आयुक्त, आबकारी मुख्यालय, देहरादून।
8. मुख्यालय के समस्त अधिकारी।
9. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाइल।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

संख्याःए–10548ःअधिश्ठान/च इलाहाबादःदिनांकः 14 दिसम्बर, 2000,

कार्यालय ज्ञाप

आयुक्तालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये पूर्व आदेशों को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा विभिन्न स्तर से विभागीय अधिकारियों को निम्नलिखित वित्तीय/प्रशासनिक अधिकार प्रतिनिधायनित किये जाते हैं, जो तत्काल से प्रभावी होंगे।

अधिकार की पद्धति	प्राधिकारी अधिकारी
(1) जनपद में अथवा प्रवर्तन कार्यालय में नियुक्त आबकारी सिपाहियों, प्रधान आबकारी सिपाहियों, वाहन चालकों, कनिश्ठ लिपिकों, ताड़ी सुपरवाइजरों, उप आबकारी निरीक्षकों तथा आबकारी निरीक्षकों को 30 दिन तक उपार्जित अवकाश, साधारण वेतनवृद्धि, वेतन निर्धारण, सामान्य भविश्य निधि से सामान्य निश्कासन स्वीकृत करना तथा आबकारी सिपाहियों व प्रधान आबकारी सिपाहियों का जनपद के अन्तर्गत स्थानांतरण।	सहायक आबकारी आयुक्त जनपद तथा सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन
(2) प्रभार में नियुक्त वरिश्ठ लिपिकों/सहायकों आशुलिपिकों को 30 दिवस तक उपरोक्त अवकाश की स्वीकृति, वेतन निर्धारण, सामान्य भविश्य निधि से सामान्य निश्कासन तथा प्रभार के अन्तर्गत तैनात आबकारी सिपाहियों, ताड़ी पर्यवेक्षकों, कनिश्ठ लिपिकों, उप आबकारी निरीक्षकों व आबकारी निरीक्षकों का प्रभार के अन्दर शासन एवं आयुक्तालय की स्थानांतरण नीति/आदेश के अन्तर्गत स्थानांतरण	चार्ज के उप आबकारी आयुक्त।
(3) सहायक आबकारी आयुक्त, जनपद/प्रवर्तन	जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त
(4) जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त तथा मुख्यालय के समस्त राजपत्रित अधिकारियों के 30 दिन तक के उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा अर्द्ध वेतन पर अवकाश की स्वीकृति, साधारण वेतन वृद्वि, यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर, सामान्य भविश्य निधि के सामान्य निश्कासन, भवन निर्माण एवं वाहन अग्रिम की स्वीकृति तथा वाहनों को निश्प्रयोज्य घोशित करना	अपर

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः1469 / ग्ग्ग्/ 2005 / 24 / 2004 / देहरादूनः दिनांकः29 अक्टूबर, 2005

कार्यालय आदेश

उत्तरांचल आबकारी विभाग में कार्यरत संयुक्त आबकारी आयुक्त श्री के0बी0 जौहरी को अपने वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ–साथ अपर आबकारी आयुक्त के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए एतद्द्वारा अग्रेत्तर आदेशों तक नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जाता है।

श्री जौहरी को उक्त कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्याः1469(1) / ग्ग्ग्/ 2005 / तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड माजरा, देहरादून।
5. सचिव लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7. सम्बन्धित अधिकारी
8. वरिश्ठ कोशाधिकारी, देहरादून
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
10. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
12. कार्मिक अनुभाग–2
13. निदेशक, एन0आई0सी0
14. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि वह कृपया इसे आगामी गजट में प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0 औली)
संयुक्त सचिव

संख्याः977 / ग्गए;13द्धळ / 2005

प्रेशक,

एम0 रामचन्द्रन
मुख्य सचिव
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तरांचल।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांकः08 दिसम्बर, 2005

विशय : विभागाध्यक्षों एवं मण्डलीय स्तर के अधिकारियों द्वारा मण्डल/जनपद भ्रमण पर विभागीय कार्यकमों के संबंध में मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों से विचार–विमर्श किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मण्डलीय समीक्षा बैठकों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि विभागध्यक्षों एवं मण्डलीय अधिकारियों द्वारा मण्डलीय/जनपद भ्रमण के दौरान विभागीय कार्यकमों के सम्बन्ध में मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों से विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को विभागों के विभिन्न कार्यकमों एवं उनकी प्रगति एवं कियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की जानकारी नहीं हो पा रही है। यह स्थिति उचित नहीं है। इस संबंध में शासकीय नियम संग्रह 1981 के संस्करण के प्रस्तर 36 का उद्हरण निम्नवत हैः

36ण भ्मंक वि कमचंतजउमदज ;वद जवनतद्ध जव उममज ब्वउउपेपवदमते ंदक क्पेजतपबज डंहपेजतंजमे. भ्मंक वि कमचंतजउमदजे ूीमद अपेपजपदह कपेजतपबजे ीवनसक ं हमदमतंस तनसम जांम जीम वचचवतजनदपजल वि बवदमिततपदह ूपजी जीम डंहपेजतंजम ;दक ूीमद जीम कपेजतपबज पे ं कपअपेपवदंस ीमंकुनंतजमतेए ूपजी जीम ब्वउउपेपवदमत ं ूमससद्ध वद जीम अंतपवने नइरमबजे बवददमबजमक ूपजी जीमपत कमचंतजउमदजंस पदेचमबजपवदे पद वतकमत जव समंतद जीम अपमू वि जीम कपेजतपबज ंदक कपअपेपवदंस वपिबमते ंदक जव इतपदह जव जीमपत ंजजमदजपवद उल उंजजमते ूीपबी ंतम वि पउचवतजंदबमण गगग गगगण

2. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविश्य में जब भी आप क्षेत्र भ्रमण पर जायें तो संबंधित मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियेां को अपने भ्रमण के कार्यकम की पूर्व सूचना प्रेशित करें एवं उनसे विभागीय कार्यकमों पर चर्चा करें। इसी प्रकार मण्डलीय अधिकारियों द्वारा जनपद भ्रमण की जिलाधिकारी को पूर्व जानकारी देते हुए उनसे भेंट करके विभागीय कार्यों व गतिविधियों के बारे में वार्ता कर ली जाये, ताकि मण्डल/जनपद स्तर पर विभाग से संबंधित

समस्त कार्यक्रमों की अद्यावधिक समस्त जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को उपलब्ध हो सके और कार्यक्रमों के कियान्वयन में उनसे यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सके। कृपया इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय

(एम0 रामचन्द्रन)
मुख्य सचिव

संख्याः 977(1)/ग्ग्ए;13द्धळ/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त प्रमुख सचिव/सचिवगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेशित कि वे अपने स्तर से अपने विभागाध्यक्षों एवं मण्डलीय अधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कश्ट करें, साथ ही विभागीय समीक्षा बैठकों में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में की गयी कार्यवाहियों का भी अनुश्रवण करने का कश्ट करें।

3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल उत्तरांचल एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल को इस आशय से कि वे कृपया विभागाध्यक्षों/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा वार्ता हेतु अनुरोध किये जाने पर तत्परत से वार्ता करने का कश्ट करें।

4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 36/ग्ग्ग्/2005/126/2005 देहरादूनःदिनांकः9 जनवरी, 2006

सचिवालय अनुदेश 1982 के नियम–15 में निहित व्यवस्था के तहत आबकारी विभाग से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण निम्नवत् सुनिश्चित किया जायेगा–

1. मा0 मंत्री जी को प्रस्तुत किये जाने वाले एवं उनके स्तर से निस्तारित किये जाने वाले विशय।

1. नीति सम्बन्धी प्रकरण।
2. ऐसे प्रकरण जिनमें मा0 मंत्री परिशद द्वारा विचार/निर्णय लेना है।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें मा0 मंत्री जी को अवगत कराया जाना है अथवा अनुमोदन लेना हो, यथा आबकारी विभाग के श्रेणी–प्रथम एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों के सामान्य अधिश्ठान विशयक प्रकरणों को छोड़कर शेश समस्त प्रकरण।
4. नियम/अधिनियमों का संशोधन।
5. विभागीय सेवा नियमावलियों तथा अन्य नियमावलियों का प्रख्यापन एवं संशोधन।
6. विधान सभा प्रश्न तथा विभिन्न नियमों के अन्तर्गत ग्राहय सूचनायें, विधानसभा की विभिन्न समितियों के मामले।
7. जिन सरकारी सेवा के नियुक्ति प्राधिकारी महामहिम राज्यपाल है, उनके संदर्भ में विभागीय कार्यवाही/निलम्बन की कार्यवाही करने, दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने एवं श्रेणी एक के अधिकारियों के चयन/प्रोन्नत तथा प्रतिकूल प्रविश्टियों का विलोपन किया जाना।
8. ऐसे सभी प्रकरण जिनमें महामहिम श्री राज्यपाल की ओर से आदेश/निर्देश/अध्यादेश/अधिसूचना निर्गत की जानी हो।
9. विभाग से संबंधित भूमि हस्तांतरण के मामले।
10. विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा/भ्रमण के मामले।
11. विभागीय परिसम्पत्तियों के अर्जन/निस्तारण सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामले।
12. लोक लेखा समिति के प्रकरणों में व्याख्यात्मक टिप्पणी का प्रेशण।
13. सरकारी सेवकों के किसी भी श्रेणी के मामले जिनमें मा0 मंत्री जी द्वारा आख्या की अपेक्षा की गयी हो।
14. श्रेणी–ब एवं उससे उच्च स्तर की नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण तथा लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति हेतु श्रेणी– ब एवं उससे उच्च स्तर के अधियाचनों का प्रेशण।
15. ऐसा कोई भी प्रकरण जिसमें मा0 मंत्री जी द्वारा विशेश तौर पर अवगत होने की अपेक्षा की जाये।

2. प्रमुख सचिव/सचिव स्तर से निस्तारित किये जाने विशय–

1. नई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति बजट प्राविधान/वित्तीय स्वीकृतियां/योजनाओं/परियोजनाओं की स्वीकृति।
2. उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/अधिकरण के वाद/रिट याचिकायें/अवमानना याचिका के प्रकरण।
3. शासन के परामर्शीदात्री विभागों तथा कार्मिक/न्याय/वित्त को भेजे जाने वाले प्रस्ताव।
4. लोक सेवा सम्परीक्षा को टिप्पणी का प्रेशण।
5. राज्य स्तर पर निर्मित विभिन्न समितियों को भेजने वाली सूचनायें।

6. केन्द्रीय/राज्य एवं अन्य सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
7. जिन मामलों में विभागाध्यक्ष निर्णय लेने के लिए सक्षम है, लेकिन अपने स्तर से नहीं निपटा पा रहे हों, ऐसे समस्त प्रकरण।
8. श्रेणी–ब एवं उससे निम्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिश्ठान सम्बन्धी समस्त प्रकरण।
9. श्रेणी– ब एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य अधिश्ठान संबंधी समस्त कार्य।
10. सामान्य प्रकृति के अन्य मामले।

उक्त कार्य वितरण मा0 आबकारी मंत्री जी से अनुमोदित हैं।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

संख्याः 36(1)/ब्ब्ब्/05 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
3. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन।
6. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7. गोपन (मंत्री–परिशद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव

लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 3 :

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कार्मियों द्वारा अपने कार्यो के सम्पादन के लिये प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेष, निर्देषिका और अभिलेखों की सूचना :–

विभाग में उपरोक्त कृत्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित अधिनियम/मैनुअल उपलब्ध हैं, जिनका उत्तरांचल में उपान्तरण एवं अनुकूलन किया जा चुका है –

1. एक्साईज मैनुअल वॉल्युम–1, जिसमें यूनाईटेड प्रोविन्स एक्साईज एक्ट 1910 (यथा अनुकूलित/यथा संशोधित) एवं एतद्विषयक नियमावलियां/उपनियम/आदेश अनुदेश संकलित हैं।
2. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–2, जिसमें विभाग में विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों का समावेश है।
3. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–3, जिसमें शीरा अधिनियम 1964 (यथा संशोधित एवं अनुकूलित) एवं नियमावली 1974 (यथा अनुकूलित एवं संशोधित), ओपियम स्मोकिंग एक्ट 1934 एवं नियमावली, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेस एक्ट 1985 एवं नियमावली 1986 समावेशित की गयी है।
4. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–4, (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमें मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रीपरेशन्स (एक्साईज ड्यूटी) एक्ट 1955 एवं एतद्विषयक नियमावली 1956 तथा स्प्रिचुअस प्रीपरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट 1655 एवं एतद्विषयक नियमावली को समावेशित किया गया है।

5. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–5 (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमें आसवनियों, चीनी मिलों आदि के सम्बन्ध में तकनीकी प्रक्रियाओं/जानकारियों को समावेशित किया गया है।

6. एक्साईज मैनुअल वॉल्यूम–6 (यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित), जिसमें विभिन्न विभागीय सेवा नियामवलियां यथा ग्रुप–ए (अधिकारी) सेवा नियमावली, सहायक आबकारी आयुक्त, सेवा नियमावली, आबकारी अधीनस्थ सेवा नियमावली व अन्य संवर्गो की सेवा नियामवलियां समावेशित की गयी हैं।

7. इसके अतिरिक्त शासकीय आदेशों का संकलन (एम0जी0ओ0), वित्तीय हस्त पुस्तिकाएं, उत्तरांचल में प्रख्यापित सेवानियमावलियां आदि उपलब्ध हैं।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रति उपलब्ध है।

9. उक्त अधिनियम के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 27.06.2005, उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 26.05.2005 एवं उसके साथ संलग्न सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य–मुख्य बिन्दुओं का सार एवं उक्त अधिनियम के अनुपालनार्थ तैयार किये जाने वाले कार्यकलापों की सूचना, जिसमें विभिन्न मैनुअलों को तैयार किया जाना, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारियों का चिन्हिकरण किया जाना व अन्य सूचनाएं दी गयी हैं, उपलब्ध है।

10. जैसा कि विशय सूची में उल्लेख किया गया है कि विभाग द्वारा संशोधित अधिनियमों, नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि का समावेश इस मैनुअल–5 में किया गया है।

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः826 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–एक, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–एक, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–एक) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–एक), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–एक, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 826(1)/आबकारी/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः827 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–दो, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–दो, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–दो) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–दो), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।
2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–दो, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 827(1)/आबकारी/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः828 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–तीन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–तीन, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–तीन) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–तीन), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–तीन, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 828(1)/आबकारी/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः830 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–चार, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–चार, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–चार) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–चार), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–चार, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 830(1) / आबकारी / 2002 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः831 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–पांच, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–पांच, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–पांच) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–पांच), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–पांच, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 831(1)/आबकारी/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

संख्याः832 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः दिनांकः नवम्बर 08, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–छः, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–छः, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–छः) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ–(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–छः), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा। (2) यह तत्काल लागू होगा।
2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना– उत्तर प्रदेश एक्साइज मैनुअल, वाल्यूम–छः, में जहां–जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां–वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 832(1)/आबकारी/2002/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तरांचल शासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को उनके सूचनार्थ।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. आबकरी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि उक्त आदेश को गजट में प्रकाशित कर उसकी 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

20 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 439/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 443/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान अधिनियम, 1934 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 444/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा यू0पी0 पावर अल्कोहल एक्ट, 1940 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 445/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 वर्श 1964) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 446/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 03 वर्श 1976) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन

आबकारी अनुभाग

अधिसूचना

23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 448/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955,), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955, में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल एक्ट, 1955 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 450/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा प्रिवेन्शन आफ इल्लिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साईकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज, एक्ट, 1988 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 451/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अफीम धूम्रपान नियमावली, 1935 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या /पांच–ई0आई0बी0–108/अवैध कृशि/अफीम, भांग,कोका–2008 दे0दूनदि0ः फर0 08

प्रेशकः
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।
सेवा में,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन,
आबकारी अनुभाग,
सचिवालय, देहरादून।

विशय : अफीम एवं भांग की अवैध कृशि से सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विशयक महानिदेषक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली के पत्र संख्या ग्ग्ट/1/2007/च–ब दिनांक 13.11.2007 एवं तत्क्रम में षासन के पत्र संख्या 08/ग्ग्ध्ध्/2008/161/2002 देहरादून दिनांक 09.01.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, जिसके अन्तर्गत अफीम एवं भांग के पौधों के अवैधानिक उत्पादन पर रोक लगाने, उसको समूल नश्ट करने एवं इसकी नियमित समीक्षा किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई हैः–

1. अफीम एवं भांग की अवैध कृशि/खेती से सम्बन्धित नियमों/प्रावधानों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाये।
2. ग्राउन्ड लेविल के रेवेन्यू, पुलिस, जंगलात विभाग के कार्मिकों को उनके अधिकारों एवं दायित्वों का बोध कराते हुए उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऐसे स्थानों जहां अफीम एवं भांग की अवैध कृशि/खेती की जाती हो, चिन्हित कराने हेतु निर्देष दिये जायें।
3. जनवरी/फरवरी, 2008 व इसके आगे के माह में ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं मार्च,2008 की अवधि में कृशि एवं भांग की खेती की समूल नश्टीकरण की कार्यवाही की जाये।
4. इस दिषा में जन सामान्य को विधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाऐ एवं इस निमित अवैध कृशि/उत्पादन के सम्बन्ध में षास्तिओं (दण्ड) के प्रावधानों, एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985 की धारा 46 एवं 47, से भी अवगत कराया जाये।

क्रमषः.....2

उक्त आदेषों के अनुपालन में सभी जिलाधिकारियों एवं जिला आबकारी अधिकारियों को एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की सम्बन्धित धाराओं एवं

प्रावधानों से अवगत कराते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देष निर्गत कर दिये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकृत अन्य विभागों के अधिकारियों को निर्देषित किये जाने हेतु षासन स्तर से निर्देष दिये जाने होंगे।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की धारा–46 के अन्तर्गत प्रत्येक भूधारक (स्ंदक व्दमत) को अफीम, भांग व कोका के पौधों की कृशि/उत्पादन किये जाने की सूचना देना एवं धारा–47 के अन्तर्गत प्रत्येक पंच, सरपंच व प्रधान के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा–42 में प्राधिकृत सम्बन्धित विभागों को सूचना देना बाध्यकारी रूप से आवष्यक है।

एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की धारा–16 के अन्तर्गत कोका प्लांट की अवैध कृशि, धारा–18 के अन्तर्गत अफीम डोडे की अवैध कृशि एवं धारा–20 के अन्तर्गत भांग के पौधों की अवैध कृशि के लिये दण्ड के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिनियम के उक्त प्रावधानों के सारांष की एक प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की धारा–42 के अन्तर्गत अन्य प्राधिकृत विभागों यथा सेन्ट्रल एक्साइज, नारकोटिक्स, कस्टमस, रेवेन्यू इंटेलिजेन्स, पैरा मिलेट्री फोर्सेस एवं आर्मड फोर्सेस आदि, राज्य पुलिस एवं रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के लिये षासन स्तर से उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देष निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का कश्ट करें।

संलग्नकः उक्तानुसारजी।

भवदीय,

¼Mk0 j.kohj
flag½
vkcdkjh vk;qDr]

एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले दण्ड के प्रावधान

ैमबजपवद	वमिदबम	फनंदजपजल	च्नदपेीउमदज	
			डपदपउनउ च्नदपेीउमदज	डंगपउनउ च्नदपेीउमदज
1	2	3	4	5
15	प्सससमहंस चतवकनबजपवदए चवेमेपवदए जतंदेचवतजए पउचवतज पदजमत `जंजमए मगचवतज पदजमत`जंजमए`समए चनतबींम `दक ूतमीवनेपदह वि	;द्ध प्दअवसअपदह `उंसस ुनंदजपजलण्		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव `पग उवदजी वत पिदम नचजव जमद जीवनेंदक तनचममे वत इवजीण्

	चवचचल ेजतूं			
17	प्सससमहंस उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतज पउचवतज पदजमत ेजंजमए मगचवतज पदजमत ेजंजमए वत नेम वि चतमचंतमक वचपनउ	;इद्ध फनंदजपजल समेमत जींद बवउउमतबपंस ुनंदजपजल इनज हतमंजमत जींद ेउंसस ुनंदजपजलण		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव जमद लमंते ंदक पिदम नचजव वदम संी तनचममेण
21	प्सससमहंस उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतज पउचवतज पदजमत ेजंजमए मगचवतज पदजमत ेजंजमए वत नेम वि ंदल उंदनबिजनतमक कतनह वत ंदल चतमचंतंजपवद बवदजंपदपदह ंदल उंदनबिजनतमक कनतहण	;बद्ध पदअवसअपदह बवउउमतबपंस ुनंदजपजल	त्पहवतवने पउचतपेवदउमद ज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममेण	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय चतवअपकमक जींज बवनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण
22	प्सससमहंस उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतज पउचवतज पदजमत ेजंजमए मगचवतज पदजमत ेजंजमए वत नेम वि ंदल चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबम	ेपद ैमबजपवद 15ए 16 ंदक 21		
23	प्सससमहंस पउचवतज पदजव प्दकपंए मगचवतज तिवउ प्दकपं पदजमत ैजंजमए वत जतंदेपचउमदज वि दंतबवजपब कतनहे ंदक चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबमण			
16	प्सससमहंस बनसजपअंजपवद वि बवबं चसंदज वत हंजीमतपदह वि ंदल चवतजपवद वि ं बवबं चसंदज वत चतवकनबजपवदए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतजए पउचवतज पदजमत ैजंजमए मगचवतज पदजमत ैजंजमए वत नेम वि बवबं समंअमेण			त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव जमद लमंते ंदक पिदम नजचव वद संी तनचममेण
18	प्सससमहंस बनसजपअंजपवद वि जीम वचपनउ चवचचल वत चतवकनबजपवदए उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतजए पउचवतज पदजमत ैजंजमए मगचवतज पदजमत ैजंजमए वत नेम वि वचपनउ	;द्ध प्दअवसअपदह ेउंसस ुनंदजपजल		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव ेपग उवदजी वत पिदम नचजव जमद जीवनेंदक तनचममे वत इवजीण

ैमबजपवद	वमिदबम	फनंदजपजल	च्नदपीउमदज	
			डपदपउनउ च्नदपीउमदज	डंगपउनउ च्नदपीउमदज
1	2	3	4	5

		;इद्ध प्दअवसअपदह बवउउमतबपंस ुनंदजपजल	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममेण	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय चतवअपकमक जींज बवनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण
		;बद्ध प्द ंदल वजीमत बेंम		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव जमद लमंते ंदक पिदम नचजव वदम संी तनचमम
19	म्उइम्रसमउमदज वत वजीमतूपेम पससमहंस कपेचवेंस वि वचपनउ चतवकनबमक वत चंतज जीमतमवण्		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममेण	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय चतवअपकमक जींज बवनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण
20	;द्ध प्ससमहंस बनसजपअंजपवद वि दल बंददंइपे चसंदज			त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममेण
	;इद्ध च्तवकनबजपवदए उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेसमए चनतबींमए जतंदेचवतजए पउचवतज पदजमत ैजंजमए मगचवतज पदजमत ैजंजम वत नेम वि बंददंइपे	;।द्ध प्दअवसअपदह ेउंसस ुनंदजपजलण्		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि ेपग उवदजी वत पिदम नचजव जमद जीवनेंदक तनचममे वत इवजी
		;ठद्धप्दअवसअपदह ुनंदजपजल समेमत जींद बवउउमतबपंस ुनंदजपजल इनज हतमंजमत जींद ेउंसस ुनंदजपजल		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममे
		;ब्द्ध प्दअवसअपदह बवउउमतबपंस ुनंदजपजल	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममे	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय च्तवअपकमक जींज ब्वनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण

छवजमरू. ष्ब्वउउमतबपंस ुनंदजपजलष् पद तमसंजपवद जव छंतबवजपब क्तनहे ंदक चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबमेए उमंदे ंदक ुनंदजपजल हतमंजमत जींद जीम ुनंदजपजल ेचमबपपिमक इल जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजम ;मबजपवद 2 अपपंद्ध ष्ेउंसस ुनंदजपजलष् पद तमसंजपवद जव छंतबवजपब क्तनहे ंदक चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबमेए उमंदे ंदल ुनंदजपजल समेमत जींद जीम ुनंदजपजल ेचमबपपिमक इल जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजम ;मबजपवद 2गगगपपपंद्धण्

ैमबजपवद	वमिदबम	फनंदजपजल	च्नदपीउमदज	
			डपदपउनउ च्नदपीउमदज	डंगपउनउ च्नदपीउमदज
1	2	3	4	5
24	प्सस्मह्ंस मदह्ंहमउमदज पद वत बवदजतवससपदह जतंकम ूमतमइल ं दंतबवजपब कतनह पे वइजंपदमक वनजेपकम प्दकपं ंदक ेनचचसपमक जव ंदल चमतेवद वनजेपकम प्दकपं ूपजीवनज जीम चतमअपवने ंनजीवतप्रंजपवद वि जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज वत पद बवदजतंअमदजपवद वि बवदकपजपवदे वि ंनजीवतप्रंजपवदण		त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय च्तवअपकमक जींज ब्वनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय च्तवअपकमक जींज ब्वनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण
25	।ससवूपदह चतमउपेमेए ंदपउंस वत बवदअमलंदबम जव इम नेमक वत बवउउपेपवद वि ंद वमिदबम इल ंदल वजीमत चमतेवद	च्नदपीउमदज चतवअपकमक वित जींज वमिदबमण		
25।	ब्वदजतंअमदजपवद वि वतकमते उंकम नदकमत ैमबजपवद 9।			त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय च्तवअपकमक जींज ब्वनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण
26	;द्ध व्उपेपवद जव उंपदजंपद ंबबवनदजे वत जव ेनइउपज तमजनतदेए ;इद्ध पिसनतम जव चतवकनबम सपबमदबमए चमतउपज वत चें ;बद्ध ाममचपदह सिेम ंबबवनदजे वत उंापदह सिेम ेजंजमउमदज ंदक ;कद्ध ूपससनिससल कवपदह ंबज पद इतमंबी वि बवदकपजपवदे वि सपबमदबम इल जीम सपबमदेमम वत ीपे ेमतअंदजण			प्उचतपेवदउमदज नचजव जीतमम लमंते वत पिदम वत इवजीण
27	;द्ध ब्वदेनउचजपवद वि बवबंपदमए उवतचीपदम वत कपंबमजलसउवतचीपदम वत ंदल वजीमत दंतबवजपब कतनह वत ंदल चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबम ेचमबपपिमक पद जीपे इमींसि इल ब्मदजतंस ळवअमतदउमदजण ;इद्ध ब्वदेनउचजपवद वि दंतबवजपब कतनह वत चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबम वजीमत जींद ेचमबपपिमक पद ब्संनेम;द्धण			त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज नचजव वदम लमंत वत ूपजी पिदम नचजव जूमदजल जीवनेंदक तनचममे वत इवजीण प्उचतपेवदउमदज नचजव ेपग उवदजी वत पिदम नचजव जमद जीवनेंदक तनचममे वत इवजीण
27।	थ्दंदबपदह कपतमबजसल वत		त्पहवतवने	त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वि

	पदकपतमबजसल पससपबपज जतंपिब ंदक ींतइवतपदह वमिदकमतेण		पउचतपेवदउमद ज वि जमद लमंते ंदक पिदम वि वदम संी तनचममेण	जूमदजल लमंते ंदक पिदम वि जूव संी तनचममेय च्तवअपकमक जींज ब्वनतज उंलए वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमकए पउचवेम पिदम मगबममकपदह जूव संी तनचममेण

ैमबजपवद	वमिदबम	फनंदजपजल	च्नदपींउमदज	
			डपदपउनउ च्नदपींउमदज	डंगपउनउ च्नदपींउमदज
1	2	3	4	5
28	।जजमउचज जव बवउउपज वमिदबम	च्नदपींइसम ूपजी चनदपींउमदज चतवअपकमक वित जींज वमिदबमण		
29	।इमजउमदज ंदक बतपउपदंस बवदेचपतंबलण	च्नदपींइसम ूपजी चनदपींउमदज चतवअपकमक वित जींज वमिदबमण		
30	च्तमचंतंजपवद इल ंदल चमतेवद जव कव वत वउपज जव कव ंदलजीपदह ूीपबी बवदेजपजनजम ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत ैमबजपवद 19ए 24 ंदक 27। ंदक वित बवउउपजजपदह वमिदबम पदअवसअपदह बवउउमतबपंस ुनंदजपजल वि ंदल दंतबवजपब कतनह वत चेलबीवजतवचपब ेनइेजंदबम ूीमद तिवउ जीम बपतबनउेजंदबमे पज उंल तमेंवदंइसल इम पदमिततमक जींज ीम ूे कमजमतउपदमक जव बंततल वनज ीपे पदजमदजपवद जव बवउउपज जीम वमिदबमण	च्नदपींइसम ूपजी तपहवतवने पउचतपेवदउमदज दवज समे जींद वदम ींसि वि उपदपउनउ जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम ींसि वि जीम उंगपउनउ जमतउ ंदक पिदम दवज समे जींद वदम ींसि वि जीम उंगपउनउ ंउवनदज इनज उंल मगजमदक जव वदम ींसि वि उंगपउनउ ंउवनदजण		
31	म्दींदबमक चनदपींउमदज ंजिमत चतमअपवने बवदअपबजपवद वित जीम ेमबवदक वत मअमतल ेनइेमुनमदज वमिदबमेण	च्नदपींइसम ूपजी ;1द्ध त्पहवतवने पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम ींसि वि उंगपउनउ जमतउ वि पउचतपेवदउमदज ंदक पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम ींसि वि जीम उंगपउनउ ंउवनदज वि पिदमण ;2द्ध ीमद सपंइसम वित चनदपींउमदज जमतउ वि पउचतपेवदउमदज ंदक उपदपउनउ ंउवनदज वि पिदमए जीम उपदपउनउ चनदपींउमदज ींसस इम वदम ींसि वि जीम उपदपउनउ पउचतपेवदउमदज ंदक वदम ींसि वि जीम उपदपउनउ ंउवनदज वि पिदमण		

छवजम रू जीपे ेमबजपवद ंसेव चतवअपकमे जींज पि ंदल चमतेवद पे बवदअपबजमक इल ं बवउचमजमदज बवनतज वनजेपकम प्दकपंए ेनबी चमतेवद ींसस इम कमंसज ूपजी वित जीम चनतचवेमे वि जीपे ेमबजपवदए े पिम ीं इममद बवदअपबजमक इल ं बवनतज वि प्दकपंण

31।	प िंदल चमतेवद पे बवदअपबजमक व िजीम बवउउपेपवद वएि वत ंजजमउचज जव बवउउपज वत इमजउमदज व िवत बतपउपदंस बवदेचपतंबल जव बवउउपज ंदल व िजीम वमिदबम चनदपींइसम नदकमत ैमबजपवद 19ए ैमबजपवद 24 ंदक ैमबजपवद 27। ंदक वित वमिदबमे पदअवसअपदह बवउउमतबपंस ुनंदजपजल व िदंतबवजपब कतनह वत चेलबीवजतवचपब `नइेजंदबमए पे `नइेमुनमदजसल बवदअपबजमक व िजीम बवउउपेपवद व िवत ंजजमउचज जव बवउउपज वत इमजउमदज व िवत बतपउपदंस बवदेचपतंबलए जव बवउउपज ंद वमिदबम तमसंजपदह जव दृ ;द्ध च्तवकनबजपवदए उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए जतंदेचवतज ंदक जतंदेपचउमदज व िदंतबवजपब कतनहे ंदक चेलबीवजतवचपब `नइेजंदबमेए पदअवसअपदह ुनंदजपजल मुनंस वत मगबममकपदह ुनंदजपजल `चमबपपिमक पद जीम जंइसम पद ैमबजपवद 31।ण थ्दंदबपदहए कपतमबजसल वत पदकपतमबजसलए ंदल व िज बजपअपजपमे `चमबपपिमक पद ब्संनेम ;द्धण	च्नदपींइसम ूपजी कमंजी
32	वमिदबम वित ूपबी दव चनदपेउमदज पे चतवअपकमक	ैपग उवदजी पउचतपेवदउमदज वत पिदम वत इवजी

एन0डी0पी0एस0 एक्ट, 1985 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं उनके अधिकार एवं दायित्व

ैमबजपवद	च्वूमत ंदक ंनजीवतपजल	।नजीवतप्रमक वपिबमते
41	;1द्ध च्वूमत जव पेनम ूततंदज वित जीम ततमेज व िंदल चमतेवद वत वित जीम `मंतबी व िंदल इनपसकपदहए बवदअमलंदबमे वत चसंबमण	;पद्ध । डमजतवचवसपजंद डंहपेजतंजम वत ंडंहपेजतंजम व िजीम पितेज बसें वत ंदल उंहपेजतंजम व िजीम `मबवदक बसेंए `चमबपंससल मउचवूमतमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजण
	;2द्ध च्वूमत जव ंनजीवतप्रम वपिबमत `नइवतकपदंजम जव ीपउ जव ततमेज ंदल चमतेवद वत वित जीम `मंतबी व िंदल इनपसकपदहए बवदअमलंदबम वत चसंबमए ूीमजीमत इल कंल वत दपहीजण	2;पद्ध वपिबमते व िहंमजजम तंदा व िजीम ब्मदजतंस म्गबपेमए छंतबवजपब बनेजवउेए त्मअमदनमए प्दजमससपहमदबम वत ंदल वजीमत कमचंतजउमदज व िजीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज पदबसनकपदह च्तं उपसपजंतल वितबमे वत जीम ंतउमक वितबमे ं मउचवूमतमक इल जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदजण ;पपद्ध वपिबमते व िजीम त्मअमदनमए क्तनह बवदजतवसए म्गबपेम वत वजीमत क्मचंतजउमदज इवअम जीम तंदा व िं चमवद मउचवूमतमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजण
42	च्वूमत जव मदजमत ंदक `मंतबी ंदल इनपसकपदहए बवदअमलंदबम वत मदबसवेमक चसंबम ंदक `मप्रम ंतजपबसमे सपंइसम जव बवदपिबंजपवद इमजूममद `नदतपेम ंदक `नदेमज ूपजीवनज ूततंदज वत ंनजीवतप्रंजपवद ंजिमत तमबवतकपदह तमेंवदेए ूीमद जीमतम पे तमेंवद जव इमसपमअम जींज ूततंदज बंददवज इम वइजंपदमक ूपजीवनज ंवितकपदह वचचवतजनदपजल जव जीम वमिदकमत पजे मेबंचम वत बवदबमंस मअपकमदबम व िजीम वमिदबमण	;1द्ध वपिबमत व िजीम ब्मदजतंस म्गबपेमए छंतबवजपबेए ब्नेजवउेए त्मअमदनम प्दजमससपहमदबम वत ंदल वजीमत क्मचंतजउमदज व िब्मदजतंस ळवअमतदउमदज वत ठवतकमत `मबनतपजल वितबम `नचमतपवत पद तंदा जव ं चमवद वत बवदेजंइसमए ंनजीवतप्रमक इल जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज पद जीपे इमींसण्ि ;2द्ध वपिबमते व िंतमअमदनमए क्तनह ब्मदजतंस ंदक म्गबपेम क्मचंतजउमदजे ंनजीवतप्रमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद जीपे इमींसण्ि
43	चवूमत व िमप्रनतम व िदंतबवजपब कतनह ंदक चेलबीवजतवचपब `नइेजंदबम ंसवदह ूपजी ंदपउंसए बवदअमलंदबम ंदक ंतजपबसम सपंइसम	।दल वपिबमत व िंदल व िजीम कमचंतजउमदज उमदजपवदमक पद `मबजपवद 42ण

	जव बवदपिबंजपवदए ंदक वि कमजमदजपवदए ेमंतबी वत ततमेज वि ंदल चमतेवद पद चनइसपब चसंबमण	
44	च्वूमत वि मदजतलए ेमंतबीए ेमप्रनतम ंदक ततमेज पद वमिदबमे तमसंजपदह जव बवबं चसंदजए वचपनउ चवचचल ंदक बंददंइपे चसंदजण	च्तवअपेपवदे वि मबजपवद 41ए 42 ंदक 43 ींससए ं ति ं उंल इमए ंचचसलण
49	च्वूमत जव ेजवच ंदपउंस वत बवदअमलंदबम वत पद जीम बेंम वि ंपत बतंजि बवउचमस पज जव संदकए ंदक ेमंतबी जीम बवदअमलंदबम ंदक ंदल हववके वद जीम ंदपउंस ंदक पद बवदअमलंदबमण	।दल वमिबमत ंनजीवतप्रमक नदकमत ेमबजपवद 42ण
53ण	च्वूमत वि ंद वमिबमत पद बींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवद वित जीम पदअमेजपहंजपवद वि जीम वमिदबमे नदकमत जीम ।बजण	;1द्ध वमिबमते वि जीम ब्मदजतंस म्गबपेमए छंतबवजपबेए ब्नेजवउेए त्मअमदनम प्दजमससपहमदबम वत ठवतकमत ैमबनतपजल थ्वतबम वत ंदल बसें वि ेनबी वमिबमते मउचवूमतमक इल जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदजण ;2द्ध वमिबमते वि जीम क्मचंतजउमदज वि कतनह बवदजतवसए तमअमदनम वत मगबपेम वत ंदल बसें वि ैनबी वमिबमते ंनजीवतप्रमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजण

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 452/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946) अनुकूलन एवं
उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946), अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा यू0पी0 पावर अल्कोहल रूल्स, 1946 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 453/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957),अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 454/आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968, उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968,) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968,) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (अपील तथा पुनरीक्षण) नियमावली, 1968 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 455 ाबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली—1969 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 456 आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 457 आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश स्वापक औशधि नियमावली, 1986 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 458 आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल (यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा यू0पी0 मैचुरेशन आफ स्प्रिट फार मैनुफेचुरिंग इण्डियन मेड फारयेन लिकर रूल्स, 1994 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 459 आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा बंधित गोदाम नियमावली, 2000 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग

अधिसूचना
23 जुलाई, 2002 ई0

संख्याः 460 आबकारी/84/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

तथा, चूंकि, यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है,

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्श निर्देश देते हैं कि यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा :—

उत्तरांचल (यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारम्भ—

(1) यह आदेश उत्तरांचल यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना—

यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 में जहां—जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां—वहां ''उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल में संशोधन—

दिनांक 09.11.2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा यू0पी0 स्प्रिचुअस प्रिपेरेशन्स (इन्टर स्टेट ट्रेड एण्ड कामर्स) कन्ट्रोल रूल्स, 1957 में समय—समय पर किये गये संशोधन वैध होंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0
अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्याः459 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2002
देहरादून 21 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधानसभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910(संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21.12.2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 16, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्श में विधानसभा द्वारा अधिनियमित)

उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 01 अक्टूबर, 2002 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्याः4, सन् 1910 की धारा 60, 63 व 68 का संशोधन–

2. उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 60, 63 व 68 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 60, 63 व 68 को रख दिया जायेगा अर्थातः–

धारा–60 का संशोधन–

60. अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति–– (1) जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का, अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या फीस का उल्लंघन करके––

(क) चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

(ख) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है, या

(ग) भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भाग का संग्रह या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक भेशज निर्मित किया जा सकता है, या

(घ) कोई आसवनी, यवासवनी या दाक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है या

(ड) किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, वर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

(च) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, दाक्षावनी या भाण्डारगार से कोई वस्तु हटाता है, या

(छ) विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बन्द करता है, या

(ज) धारा–61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है, या

(झ) धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है, तो उसे कारवास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्श तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड (झ) के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि किसी मादक वस्तु के सम्बन्ध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीय होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि के दस गुने या 5000/– रूपये से, जो भी अधिक हो, कम न होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है, उसे कारावास का, जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्श तक हो सकता है, दण्ड दिया जायेगा और अर्थदण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और दस हजार रूपये तक हो सकता है।

(3) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा–63 का संशोधन–

03. अवैध रूप से आयात की गयी मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति–जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिणाम

में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया है या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद–शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास या दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्श तक हो सकता है अथवा अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और दस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

धारा–68 का संशोधन–

68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो–– जो व्यक्ति इस अधिनियम के, अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्य लोप का, जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा न की गयी हो, दोशी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और दस हजार रूपये तक हो सकता है।

निरसन–3 अध्यादेश संख्या 08, वर्श 2002 एतद्द्वारा निरसित समझा जाये।

आज्ञा से

(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, वृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0
पौश 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्याः479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधानसभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28.12.2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन)

अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003)

(भारत गणराज्य के चौवनवें वर्श में अधिनियमित)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 24 जून, 2003 में प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या–16, सन् 2002 की धारा 60 (2) के अंश का विलोपन

2. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशो का विलोपन–

''या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है।''

आज्ञा से

(बी0 लाल)
सचिव।

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–2, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अध्यादेश)
देहरादून, मंगलवार, 13 मार्च, 2004 ई0
फाल्गुन 22, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्याः2/विधायी एवं संसदीय कार्य/2001
देहरादून 13 मार्च, 2001

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय ने संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 दिनांक 13 मार्च, 2001 को प्रख्यापित किया और यह उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2 पर 2001 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001

(उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2 सन् 2001)

(भारत गणराज्य के बावनवें वर्श में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तरांचल राज्य के लिए अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

अतएव अब संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) यह अध्यादेश संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2001 कहा जायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त होगा।

अधिनियम सं0–4 सन् 1910 की धारा 12 का संशोधन–

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 12 की उपधारा (3) को निकाल दिया जायेगा।

धारा–28 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ड़) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थातः

(क) धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ पर प्रतिशुल्क–

मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) शराब सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधियों तथा भेशजों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(बी) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अलकोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में	600 रूपये प्रति बल्क लीटर

	आयोजित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर)	
3	भारत में यवासवित बियर	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
4	भाग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(सी) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परश्किृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृष मालूम हो, और शोधित स्प्रिट	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(डी) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्शित, संगृहीत उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क–		
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(ई) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क–		
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर

2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर

(सुरजीत सिंह बरनाला)
राज्यपाल, उत्तरांचल
आज्ञा से
इरशाद हुसैन, सचिव

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपांतरित)

अध्याय–1

प्रारम्भिक तथा परिभाशायें

धारा–1. संक्षिप्त नाम–

(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 कहलाएगा, और

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण (उत्तरांचल) में होगा।

धारा–2. अनुसूची में उल्लिखित अतिनियमितियां उसके स्तम्भ 4 में निर्दिश्ट सीमा तक निरसित की जाती है।

धारा–3. जब तक विशय या प्रसंग में कोई बात विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में–

परिभाशाएंः–

(1) आबकारी राजस्व– का तात्पर्य उस राजस्व से है जो शराब अथवा मादक भेशजों के सम्बन्ध में इस अधिनियम के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन आरोपित या आदिश्ट किसी शुल्क, फीस, कर, अर्थदण्ड (विधि न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड से भिन्न), या जब्ती से प्राप्त हो या प्राप्त होने योग्य हो,

(2) आबकारी अधिकारी–का तात्पर्य कलेक्टर या किसी ऐसे अधिकारी या व्यक्ति से है जो धारा 10 के अधीन नियुक्त या शक्तियों से विनिहत किया गया हो।

(3) आबकारी आयुक्त–का तात्पर्य उस अधिकारी से है जो धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन (राज्य सरकार) द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(3क) उत्पाद शुल्क और प्रतिशुल्क–का तात्पर्य यथास्थिति, किसी ऐसे उत्पाद शुल्क/प्रति शुल्क से है जो (संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 की (प्रविश्टि 51) में उल्लिखित है।

(4) { } अधिनियम संख्या 2, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

'मैनुफैक्टरी' का तात्पर्य ऐसी इकाई जो आसवनी से भिन्न और जिसमें भारत निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन व बोतलों में भराई हो।

यू0पी0 एक्साइज (एमेण्डमेन्ट) एक्ट 1997 की धारा–2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) { } अधिनियम संख्या 2, 1978 की धारा 2 द्वारा निकाला गया।

(6) ताड़ी–का तात्पर्य किण्वित या अकिण्वित ऐसे रस से है जो नारियल, ताड़, खूजर या किसी अन्य प्रकार के पाम वृक्ष से निकाला गया हो,

(7) पचवई–का तात्पर्य किण्वित चावल, बाजरा या किसी अन्य अनाज, चाहें उसमें कोई अन्य द्रव मिश्रित हो अथवा नहीं, तथा उससे प्राप्त किसी द्रव से है, चाहे वह अवमिश्रित हो अथवा अवमिश्रित न हो।

(8) स्प्रिट–का तात्पर्य किसी ऐसी शराब से है, जिसमें आसवन द्वारा प्राप्त अलकोहल विद्यमान हो, चाहे वह विकृत हो अथवा न हो।

(9) विकृत–का तात्पर्य मानव उपभोग के अयोग्य ऐसी रीति से बना देने से है जिसे (राज्य सरकार) अधिसूचना द्वारा तदर्थ विहित करे। जब यह सिद्ध कर दिया जाये कि किसी स्प्रिट में कोई पदार्थ किसी ऐसे परिमाण में विद्यमान है जो विकृतीकरण के प्रयोजनार्थ (राज्य सरकार) द्वारा विहित किया गया हो, तो न्यायालय यह उपधारणा कर सकता है कि ऐसी स्प्रिट विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट विद्यमान है या वह विकृत स्प्रिट से प्राप्त की गयी है।

(10) बियर–में एल, स्टाउट, पीर्टर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वित शराब सम्मिलित है।

(11) शराब–का तात्पर्य मादक शराब से है और इसके अन्तर्गत वाइन की स्प्रिट, स्प्रिट, वाइन, ताड़ी, पचवई, बियर और वे सभी द्रव जिनमें अलकोहल सम्मिलित या विद्यमान हो तथा कोई ऐसा पदार्थ भी है जिसे (राज्य सरकार) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा शराब घोशित करे।

(12) मादक भेशज–का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

1 भांग– कैनेबिस सेटाइवा एल के पौधे की पत्तियां, छोटे–छोटे डंठल तथा फूलों या फलों के शीर्श भाग और इसमें उसके सभी रूप सम्मिलित है जो भांग, सिद्वि या गांजा के नाम से ज्ञात है।

2 चरस–अर्थात भांग के पौधे से प्राप्त गाढ़ा द्रव (रेसिन) जिसके सम्बन्ध में संबेश्टन (पैकिंग) और परिवहन के लिए आवश्यक प्रहस्तन से भिन्न कोई किया न की गयी हो,

3 मादक भेशज के उपर्युक्त रूपों में से किसी रूप का, निश्प्रभावित पदार्थों के साथ या उनके बिना, कोई मिश्रण या उससे तैयार किया गया कोई पेय, और

4 कोई अन्य मादक या पिनक लाने वाला पदार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मादक भेशज घोशित करे, किन्तु जो अनिश्टकर, औशधि द्रव्य अधिनियम, 1930 की धारा 2 में यथा परिभाशित, अफीम, कोका की पत्ती या निर्मित औशधि न हो।

(13) मादक वस्तु–का तात्पर्य इस अधिनियम में यथा–परिभाशित किसी शराब या मादक भेशज से है।

(14) { } एडेण्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा निकाला गया।

(15) { } एडेण्टेशन आफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा निकाला गया।

(16) विकय–व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित विकय में दान स्वरूप अन्तरण से भिन्न कोई अन्तरण सम्मिलित है।

(17) आयात–का तात्पर्य भारत में आयात के सिवाय राज्य में इस प्रकार लाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाशित सीमाशुल्क सरहद को पार करके लाने से भिन्न हो।

(18) निर्यात– का तात्पर्य राज्य के बाहर इस प्रकार ले जाने से है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा परिभाशित सीमा शुल्क सरहद को पार करके बाहर ले जाने से भिन्न है।

(19) परिवहन–का तात्पर्य राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से है।

(20) निर्माण–में ऐसी प्रत्येक प्रकिया, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, सम्मिलित है जिसके द्वारा कोई मादक वस्तु उत्पादित या तैयार की जाये और इसमें पुनः आसवन तथा शराब के परिषोधन, सुस्वादकरण, सम्मिश्रण तथा रजित करने की प्रत्येक किया भी सम्मिलित है।

(20)क. खेती–व्याकरण सम्बन्धी परिवर्तनों सहित खेती का तात्पर्य बीज से किसी पौधे को उगाना है और इसके अन्तर्गत पौधे के बढ़ने के दौरान में उसी देखभाल या उसका संरक्षण करना भी है।

(21) बोतल में बन्द करना–का तात्पर्य विकय के प्रयोजनों के लिए पीपे या अन्य बर्तन से बोतल या अन्य पात्र में अन्तरित करने से है चाहे इसमें परिषोधन की कोई प्रकिया प्रयुक्त हो अथवा नहीं तथा बोतल में बन्द करने के अन्तर्गत बोतल में फिर से बंद करना भी सम्मिलित है।

(22) स्थान–में मकान, भवन, दुकान (कमरा), बूथ, तम्बू तथा जलयान सम्मिलित है।

(22)क. उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ–का तात्पर्य निम्नलिखित से है–

क. मानव उपभोग के लिए कोई अल्कोहलिक शराब, या

ख. कोई पिनक लाने वाला भेशज।

(23) { } अधिनियम संख्या 3, 1914 द्वारा धारा 3 की उपधारा 23 बढ़ायी गयी और अधिनियम संख्या 2, 1930ई0 की धारा 40 तथा अनुसूची 2 द्वारा निकाली गयी।

धारा 4. राज्य सरकार की यह घोशित करने की शक्ति कि 'शराब' किसे समझा जाये–(1). राज्य सरकार इस अधिनियम के या इसके किसी भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी भी वस्तु को 'शराब' घोशित कर सकती है।

(2) देशी शराब तथा विदेशी शराब– (राज्य सरकार) इसी प्रकार से इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए यह भी घोशित कर सकती है कि कमशः देशी शराब और विदेशी शराब किसे समझा जाये।

धारा 5. { }अधिनियम संख्या ,, 1930 की धारा–40 तथा अनुसूची–2 द्वारा निकाली गयी।

धारा 6. फुटकर बिकी की सीमा घोशित करने की राज्य सरकार की शक्ति–

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा या तो सम्पूर्ण राज्य या उसमें समाविश्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में और सामान्यतया केताओं या केताओं के किसी निर्दिश्ट वर्ग के विशय में, तथा सामान्यतया किसी निर्दिश्ट अवसर के लिए यह घोशित कर सकती है कि किसी मादक वस्तु की कितनी मात्रा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फुटकर बिकी की सीमा होगी।

(2) थोक बिकी–किसी 'मादक वस्तु' की किसी मात्रा में बिकी जो उस मात्रा से अधिक हो जिसे राज्य सरकार ने उपधारा (1) के अधीन फुटकर बिकी की सीमा घोशित की हो, 'थोक बिकी' समझा जायेगा।

धारा 7. पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में मादक वस्तु– जब कोई मादक वस्तु किसी व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में उक्त व्यक्ति के कारण हो तो उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के कब्जे में समझा जायेगा।

स्पश्टीकरण–लिपिक या सेवक के रूप में अस्थायी रूप से या किसी विशेश अवसर पर सेवायोजित कोई व्यक्ति इस धारा के अर्थान्तर्गत लिपिक या सेवक है।

धारा 8. अधिनियमितियों का अपवाद–अनुसूची में उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अधिनियम में अन्तर्बिश्ट कोई बात सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878, केन्टीनमेन्ट्स ऐक्ट, 1889 या इण्डियन टेरिफ ऐक्ट 1894 ई0 या उनके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

अध्याय–2

अधिश्ठान तथा नियंत्रण

धारा 9. { } सं0प्रा0 अधिनियम संख्या 2, 1923 ई0 धारा 3 द्वारा निकाली गयी।

धारा10. जिलों में आबकारी विभाग का प्रशासन–

(1) जब तक 'राज्य सरकार' अन्यथा निर्देश न दे, किसी जिले में आबकारी विभाग का प्रशासन उस जिले के कलेक्टर के प्रभार में होगा।

(2) राज्य सरकार की शक्ति–'राज्य सरकार' सम्पूर्ण उत्तरांचल पर या उसमें समाविश्ट किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र पर लागू होने वाली अधिसचूना द्वारा–

क. आबकारी आयुक्त नियुक्ति करने के विशय में–कोई अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो एतद्पश्चात् 'आबकारी आयुक्त' के रूप में अभिदिश्ट किया जायेगा और जो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा।

ख. कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करने के विशय में–लाईसेंस देने वाली परिशद संघटित कर सकती है या आबकारी विभाग के प्रशासन के संबंध में या तो कलेक्टर के साथ–साथ या उसके अधीन या अपवर्जन में ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, कलेक्टर की समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा उसके समस्त या उनमें से किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

ग. अधिकारियों की कतिपय कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत किये जाने के विशय में–अधिकारी को धारा 48 तथा 64 (क) में

उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है तथा अधिकारियों और व्यक्तियों को धारा 50 में उल्लिखित कार्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

घ. आबकारी विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किये जाने के विशय में–इस अधिनियम के अधीन आबकारी विभाग में ऐसे वर्ग के अधिकारियों को तथा ऐसे पदनामों, शक्तियों और कर्तव्यों, सहित जिन्हें राज्य सरकार उचित समझें नियुक्त कर सकती है तथा उन क्षेत्रों को परिभाशित कर सकती है जिनके भीतर ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन किया जा सकेगा।

ड. आबकारी अधिकारियों से भिन्न अधिकारियों द्वारा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किये जाने के आदेश का दिया जाना–आदेश दे सकती है कि इस उपधारा के खण्ड घ के अधीन आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को अभ्यर्थित समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों या उनमें से किन्हीं शक्तियों तथा कर्तव्यों का इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी विभाग के अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा।

च. अपनी शक्तियों को प्रति–निहित करने के विशय में–नियम बनाने के सम्बन्ध में धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्ति के सिवाय इस अधिनियम के अधीन अपनी समस्त या उनमें से किन्हीं शक्तियों को आबकारी आयुक्त को प्रतिनिहित कर सकती है।

छ. शक्तियों को वापस लेने के विशय में–किसी अधिकारी या व्यक्ति से आबकारी विभाग के प्रशासन के संबंध में किन्हीं या समस्त शक्तियों को वापस ले सकती है।

ज. शक्तियों को प्रतिनिहित करने की अनुज्ञा दिये जाने के विशय में–ऐसी अधिसूचना में निर्दिश्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा प्रतिनिहित किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

धारा 11. अपील और पुनरीक्षण–

(1) कलेक्टर और प्रत्येक अन्य आबकारी अधिकारी (जो आबकारी आयुक्त नहीं है), इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों के संबंध में आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में होगा और इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों के विरूद्ध अपील, राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित बनाये गये नियमों द्वारा विहित रीति से, आबकारी आयुक्त, को की जा सकेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई अपील ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसे व्यथित व्यक्ति द्वारा, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया जाये और जब तक कि अपीलकर्ता ने यथास्थिति, कर फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोशजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि अपील प्राधिकारी ऐसे विशेश और पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की ऐसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकता है।

(2) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन करने पर, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में दिये गये किसी आदेश से संबंधित अभिलेख को किसी ऐसे आदेश की शुद्धता वैधता या औचित्य या ऐसी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के लिए मांग सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे आदेश या कार्यवाही की परिश्कृत, उलटना या पुनर्विचार के लिए पुनः प्रेशित करना चाहिये तो वह तदनुसार आदेश दे सकती है।

प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसे अपना अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आबकारी आयुक्त के आदेश के तीस दिन के भीतर न दिया जाये और जब तक कि कोई अपील जहां वह ग्राह्य हो, दायर न कर दी गयी हो और आबकारी आयुक्त द्वारा निपटा न दी गयी हो।

प्रतिबंध यह भी है कि पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक ने, यथास्थिति, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों की, यदि कोई हो, विवादग्रस्त राशि की कम से कम 25 प्रतिशत धनराशि की अदायगी का संतोशजनक सबूत प्रस्तुत न कर दिया हो। प्रतिबंध यह भी है कि राज्य सरकार उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कर, फीस, शास्ति या अन्य देयों को किसी विवादग्रस्त राशि के संबंध में पूर्ववती प्रतिबन्धात्मक खण्ड की अपेक्षाओं को अधित्यक्त या शिथिल कर सकती है।

अध्याय–3

आयात, निर्यात तथा परिवहन

धारा 12– मादक वस्तुओं का आयात–

(1). कोई मादक वस्तु तब तक आयात न की जायेगी जब तक कि–

क. राज्य सरकार ने उसके आयात के लिए या तो सामान्य या विशेश अनुज्ञा न दे दी हो,

ख. ऐसी शर्तें यदि कोई हो जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, पूरी न कर दी गयी हों और

ग. धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद शुल्क यदि कोई हो का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बंध–पत्र निश्पादित न कर दिया गया हो।

(2). उपधारा–1 किसी ऐसे पदार्थ पर लागू न होगी जो भारत में आयात किया गया हो और जो इस प्रकार आयातित होने पर इण्डियन टैरिफ ऐक्ट 1894 अथवा सी कस्टम ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद–शुल्क का भागी हो।

(3) उपधारा–1 के खण्ड क और ख ऐसी शराब पर लागू न होंगे जो भारत में निर्मित की गयी हो और धारा 4 के अधीन विदेशी शराब घोशित की गयी हो।

धारा 13. मादक वस्तुओं का निर्यात तथा परिवहन– किसी भी मादक वस्तु का तब तक निर्यात या परिवहन न किया जायेगा जब तक कि–

क. धारा 28 के अधीन आरोपित उत्पाद–शुल्क यदि कोई हो, या

ख. यदि उस वस्तुत का पहले ही आयात किया गया था तो उसके आयातन पर इण्डियन टेरिफ एक्ट 1894 या सी कस्टम ऐक्ट, 1878 के अधीन

आरोपित उत्पाद–शुल्क का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए वंध पत्र निश्पादित न कर दिया गया हो।

धारा 14. { } उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1972 की धारा 2 द्वारा निकाली गयी।

धारा 15. आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए पास आवश्यक है– किसी भी मादक वस्तु का ऐसे परिमाण, जिसे 'राज्य सरकार' अधिसूचना द्वारा या तो सामान्यतया सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसमें समाविश्ट किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विहित करें, से अधिक परिमाण में अगली अनुवर्ती धारा के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये पास के सिवाय आयात, निर्यात या परिवहन नहीं किया जायेगा।

प्रतिबंध यह है कि विकृत स्प्रिट से भिन्न दत्त शुल्क विदेशी शराब की दशा में, ऐसे पासों से अभिमुक्ति दे दी जायेगी जब तक कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में अन्यथ निर्देश न दें।

प्रतिबंध यह भी है कि जब तक राज्य सरकार अन्यथा निर्देश न दे, किसी ऐसी मादक वस्तु के परिवहन के लिए पास अपेक्षित न होगा जो तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये पास के अधीन राज्य की परिसीमाओं के बाहर किसी स्थान से उक्त परिसीमाओं के बाहर किसी अन्य स्थान को निर्यात किया गया हो।

धारा 16. आयात, निर्यात तथा परिवहन के लिए पासों का दिया जाना–मादक वस्तुओं के आयात, निर्यात या परिवहन के लिए पास कलेक्टर द्वारा दिये जा सकते हैं।

ऐसे पास निश्चित अवधियों के लिए और निश्चित प्रकार की मादक वस्तुओं के लिए या तो सामान्य प्रकार के हो सकते हैं या केवल निर्दिश्ट अवसरों तथा विशिश्ट परेशणों के लिए विशेश प्रकार के हो सकते हैं।

अध्याय–4
निर्माण, कब्जा तथा विकय

धारा 17 इस अधिनियम क उपबन्ध के अधीन निर्माण करने के सिवाय मादक वस्तुओं के निर्माण का निशेध–(1). सिवाय कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए–

क. कोई भी मादक वस्तु निर्मित न की जायेगी।

ख. भांग के पौधे कैनेविस सैटाइवा की खेती न की जायेगी।

ग. भांग के पौधे कैनेविस सैटाइवा के किसी भी ऐसे भाग का, जिससे कोई मादक भेशज निर्मित किया जा सकता हो, संग्रह न किया जायेगा।

घ. विकय के लिए किसी भी शराब को बोतल में बन्द न किया जायेगा, और

ड. कोई भी व्यक्ति ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए किसी प्रकार के सामान, भभका, बर्तन औजार या उपकरण का न तो प्रयोग करेगा, न अपने पास या न कब्जे में रखेगा।

(2) सिवाय धारा 18 के अधीन आबकारी आयुक्त, द्वारा तदर्थ दिये गये लाईसेंस के प्राधिकार और उसके निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए कोई भी आसवनी, मैनुफैक्टरी अथवा यवासवनी न तो निर्मित की जायेगी या न चलाई जायेगी।

धारा18. आसवनियों तथा भण्डारगारों की स्थापना या उनके लिए लाईसेंस दिया जाना– आबकारी आयुक्त–

क. ऐसी आसवनी स्थापित कर सकता है जिसमें धारा 17 के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस के अधीन स्प्रिट का निर्माण ऐसी शतो[पर किया जा सकता है जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे।

ख. इस प्रकार स्थापित किसी आसवनी को बन्द कर सकता है।

ग. किसी आसवनी, यवासनी अथवा मैनुफैक्टरी के निर्माण के लिए तथा उसे चलाने के लिए लाइसेंस ऐसी शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझें दे सकता है।

घ. ऐसा भण्डारगार स्थापित कर सकता है या उसके लिए लाइसेंस दे सकता है जिसमें कोई मादक वस्तु उत्पाद शुल्क का भुगतान किये बिना जमा की जा सकती हो और रखी जा सकती हो और

ड. इस प्रकार स्थापित किसी भण्डारगार को बन्द कर सकता है।

धारा 19. आसवनी आदि से मादक वस्तुओं का हटाया जाना–कोई मादक वस्तु इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी आसवनी, यवासवनी, मैनुफैक्टरी, भण्डारागार या संग्रह करने के किसी अन्य स्थान से तब तक न हटायी जायेगी तब तक कि उत्पादन शुल्क यदि कोई हो, का भुगतान न कर दिया गया हो या उसके भुगतान के लिए बन्ध पत्र निश्पादित न कर दिया गया हो।

धारा 20. राज्य सरकार द्वारा विहित परिमाण से अधिक परिमाण में मादक वस्तुओं को सिवाय परमिट के कब्जे में रखने के निशेध–

1. कोई भी व्यक्ति जो किसी मादक वस्तु का निर्माण खेती, संग्रह या विकय करने के लिए लाईसेंस प्राप्त न हो, अपने कब्जे में कोई मादक वस्तु किसी ऐसे परिमाण से जिसे राज्य सरकार ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिकी की सीमा घोशित की हों, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण में नहीं रखेगा।

2. { } उत्तर प्रदेश अधिनियम 30, 1978 द्वारा (1.5.72 से प्रभावी) निकाला गयी।

3. कोई लाईसेंस प्राप्त, विकेता अपने लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत, स्थान से भिन्न स्थान में अपने कब्जे में कोई मादक वस्तु ऐसे परिमाण से जिसे राज्य सरकार ने धारा 6 के अधीन फुटकर बिक्री की सीमा घोशित की हो, कलेक्टर द्वारा तदर्थ दिये गये परमिट के सिवाय, अधिक परिमाण न रखेगा।

4. { } निकाल दिया गया।

धारा 20 ए. { } निकाल दिया गया।

धारा 20 बी. { } निकाल दिया गया।

धारा21. लाइसेंस प्राप्त किये बिना मादक वस्तुओं के विकय का निशेध–कलेक्टर से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी मादक वस्तु का विकय नहीं किया जायेगा, प्रतिबंध यह है कि–

1. कोई व्यक्ति जिसे धारा 17 के अधीन भांग के पौधे की खेती करने या उसका संग्रहण करने का लाइसेंस प्राप्त हो, इस पौधे के उन भागों का जिनसे कोई मादक भेशज निर्मित किया जा सकता हो, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के अधीन उसका व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त हो या किसी ऐसे अधिकारी को जिसे आबकारी आयुक्त विहित करे, लाइसेंस के बिना विकय कर सकता है।

2. राज्य (उत्तरांचल) के एक से अधिक जिलों में विकय करने का लाइसेंस केवल आबकारी आयुक्त द्वारा ही दिया जायेगा।

3. { } निकाल दिया गया।

धारा22. इक्कीस वर्श से कम आयु के व्यक्तियों को विकय किये जाने का निशेध– कोई लाइसेंस प्राप्त विकेता और कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे विकेता के सेवायोजन में हो और उसकी ओर से कार्य करता हो, किसी शराब या मादक भेशज को किसी ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्यक्षतः इक्कीस वर्श से कम

आयु का हो, चाहे उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने के लिए ओर चाहे विकेता के भू–गृहादि पर या उसके बाहर उपभोग के लिए न तो बेचेगा या न उसे देगा।

धारा23. इक्कीस वर्श से कम आयु के व्यक्तियों को तथा महिलाओ को सेवायोजित करने का निशेध–

1. कोई व्यक्ति जो अपने भू–गृहादि पर उपभोग के निमित्त शराब बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भुगृहादि व्यवसाय के लिए खुले रखे जाते हों, ऐसे भू–गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा ऐसे शराब या स्प्रिट का उपभोग किया जाता हो, इक्कीस वर्श से कम आयु किसी व्यक्ति को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित करने की अनुज्ञा देगा।

2. कोई व्यक्ति जो अपने भू–गृहादि पर उपभोग के निमित्त विदेशी शराब बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो, उन घंटों के दौरान जिनमें ऐसे भू–गृहादि व्यवसाय के लिए खुले रखे जाते हों, आबकारी आयुक्त की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे भू–गृहादि के किसी ऐसे भाग में जिसमें जनसाधारण द्वारा शराब का उपभोग किया जाता तो किसी महिला को या तो पारिश्रमिक सहित अथवा पारिश्रमिक के बिना न तो सेवायोजित करेगा या न सेवायोजित अनुज्ञा देगा।

3. उपधारा–2 के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा लाइसेंस पर पृश्ठांकित की जायेगी और उसे परिश्कृत किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है।

धारा24. निर्माण आदि के एकान्तिक विशेशाधिकार का दिया जाना–धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी भी व्यक्ति को किसी स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी देशी शराब या मादक भेशज का–

1. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनों ही के लिये, या

2. थोक या फुटकर विक्रय के लिए, या

3. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने या दोनो ही के लिए फुटकर बिक्री के लिए एकान्तिक विशेशाधिकार का लाइसेंस दे सकता है।

धारा24ए. विदेशी शराब के संबंध में बिक्री करने का एकान्तिक विशेशाधिकार देना–

1. धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आबकारी आयुक्त किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र मं किसी विदेशी शराब का–

क. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों ही के लिए, या

ख. निर्माण करने या थोक सम्भरण करने, या दोनों के ही लिये और फुटकर बिक्री के लिए, या

ग. थोक या फुटकर विक्रेताओं को थोक विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए, या

घ. दुकानों पर केवल भू–गृहादि के बाहर उपयोगार्थ फुटकर बिक्री के लिए एकान्तिक या अन्य विषेशाधिकार के लिए लाइसेंस या लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।

2. किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा 1 के खण्ड घ के अधीन कोई लाइसेंस या लाइसेन्सों के लिए स्वीकृत किये जाने से उसी क्षेत्र में होटलों और रेस्ट्रां में उनके ही भू–गृहादि में उपभोग के निमित्त विदेशी शराब की फुटकर बिक्रीके लिए लाइसेंस के स्वीकृत किये जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. जहां उसी अवधि के लिए किसी क्षेत्र के संबंध में उपधारा–1 के खण्ड–घ के अधीन एक से अधिक लाइसेंस, स्वीकृत करने का प्रस्ताव हो, वहां प्रत्येक ऐसे लाइसेंसों के लिए भावी प्रार्थियों को प्रस्ताव की अग्रिम सूचना दी जायेगी।

4. इस धारा के अधीन एकान्तिक या अन्य विशेशाधिकार के लिए लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में धरा 25 और धारा 39 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 24 के अधीन एकान्तिक विशेशाधिकार के लिए कोई लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के संबंध में लागू होते हैं।)

धारा 24 ख. शंकाओं का निवारण–शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा घोशित किया जाता है कि–

क. राज्य सरकार को देशी शराब और विदेशी शराब के निर्माण और विकय का एकान्तिक अधिकार या विशेशाधिकार है,

ख. धारा 41 के खण्ड–ग में लाइसेंस फीस के रूप में वर्णित धनराशि राज्य सरकार द्वारा ऐसा अधिकार या विशेशाधिकार स्वीकृत किये जाने के लिए वास्तव में किराया या प्रतिफल है।

ग. राज्य में आबकारी विभाग के अध्यक्ष के रूप में आबकारी आयुक्त को ऐसी फीस अवधारित या वसूल करते समय, राज्य सरकार की ओर से और के लिए कार्य करने वाला समझा जायेगा।

धारा25. सैनिक केन्टोनमेंट्स में शराब निर्माण तथा विकय– किसी सैनिक कैन्टोन्मेन्ट की परिसीमाओं के भीतर और उन परिसीमाओं से ऐसी दूरी के भीतर जिसे केन्द्रीय सरकार किसी मामले में विहित करे। शराब के निर्माण या विकय के लिए या धारा–24 के अधीन शराब के संबंध में एकान्तिक विशेशाधिकार के लिए कोई लाइसेंस तब तक न दिये जायेंगे जब तक कि समादेशाधिकारी सहमति न दें।

धारा26. एकान्तिक विशेशाधिकार का गृहीता पट्टे पर उठा सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है–अपने लाइसेंस की शर्तों के अधीन रहते हुए किसी एकान्तिक विशेशाधिकार का गृहीता अपना सम्पूर्ण विशेशाधिकार या उसका कोई भाग पट्टे पर दे सकता है या अभ्यर्पित कर सकता है किन्तु ऐसे विशेशाधिकार

या उसके किसी भाग का कोई पट्टेदार या अभ्यर्थित किन्हीं अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग न करेगा जब तक गृहीता द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर आबकारी आयुक्त ने उसे कोई ऐसा लाइसेंस न दे दिया हो।

धारा 27.एकान्तिक विशेशाधिकार के गृहीता द्वारा उसको देय धनराशियों की वसूली–यथापूर्वोवत कोई गृहीता पट्टेदार या अभ्यर्पिती अपने अधीन किसी व्यक्ति से गृहीता, पट्टेदार या अभ्यर्पिती के रूप में उसको देय कोई धनराशि इस प्रकार वसूल कर सकता है मानों वह क्षेत्रपति और काश्तकार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन वसूल होने योग्य बकाया लगान हो।

अध्याय–5

उत्पाद–शुल्क और फीस

धारा 28.उत्पादशुल्कारीप्य पदार्थ पर उत्पाद शुल्क–1. किसी ऐसे उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ पर यथास्थिति उत्पाद–शुल्क या प्रति शुल्क ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे या तो सामान्यतया या किसी निर्दिश्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए आरोपित किया जा सकता–

क. जो धारा 12–1 के उपबन्धों के अनुसार आयात किया गया हो, या

ख. जो धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किया गया हो, या

ग. जिसका परिवहन किया गया हो, या

घ.जो धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित किया गया हो, जिसकी खेती की गयी हो या जिसे संग्रहित किया गया हो, या

ड. जो धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित हो।

निम्नलिखित प्रतिबंध यह है कि–

1. उत्पाद–शुल्क किसी ऐसे पदार्थ पर इस प्रकार आरोपित नहीं किया जायेगा जो भारत में आयात किया गया हो और इस प्रकार आयातित होने पर इंडियन टैरिफ एक्ट–1894 अथवा सी कस्टम्स ऐक्ट, 1878 के अधीन उत्पाद–शुल्क का भागी हो।
2. निकाल दिया गया।

स्पश्टीकरण– इस धारा के अधीन उत्पाद शुल्क विभिन्न दरों से उन स्थानों के अनुसार जहां उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ उपभोग के लिये ले जाया जाने वाला हो, या ऐसे पदार्थों की परिवर्ती सान्द्रता और गुण के अनुसार आरोपित किया जा सकता है–

(2) 'राज्य सरकार' उपर्युक्त उत्पाद–शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रतिशुल्क (काउन्टर वेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिश्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी।

(3) ऐसा शुल्क एतद्पश्चात उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगाः–

(ए) धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति–शुल्कः–

मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) शराब सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधियों तथा भेशजों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(बी) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अलकोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयोजित शराब के सदृश मालूम हो (बियर को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भारत में यवासवित बियर	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
4	भाग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(सी) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क या प्रतिशुल्क		
मद	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर

संख्या		
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृष मालूम हो, और शोधित स्प्रिट	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(डी) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्शित, संगृहीत उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क–		
मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75 रूपये प्रति किलोग्राम
(ई) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क–		
मद संख्या	उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90 रूपये प्रति बल्क लीटर

2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिश्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औशधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औशधि तथा भेशज को छोड़कर)	600 रूपये प्रति बल्क लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो	600 रूपये प्रति बल्क लीटर

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के खण्ड (ई) में सारणी में मद 2 (ए) के सामने हुए एल, बियर, पोर्टर, साइडर और अन्य किण्वित शराब पर शुल्क की अधिकतम दर 4 जून, 1975 से 5 रूपये प्रति लीटर समझी जायेगी और 4 जून, 1975 को या इसके पश्चात जारी की गयी कोई अधिसूचना जो इस उपधारा के उपबन्धों के अनुरूप हो, विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेगी मानों इस उपधारा के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

धारा28. क.कतिपय दशाओं में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का आरोपण–

1. जहां किसी यवासनी में, आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, परीक्षण करने पर स्टाक में स्प्रिट या बीयर का परिमाण स्टाक लेखे में प्रदर्शित परिमाण से अधिक पाया जाये, वहां यवासवक से अधिक परिमाण पर धारा–28 के अधीन निर्धारित सामान्य दर पर उत्पाद शुल्क का देनदार होगा।
2. जहां ऐसे परीक्षण पर स्प्रिट या बियर का परिमाण स्टाक लेख में प्रदर्शित परिमाण से कम पाया जाये और यह कमी (यवासवीन में वाश्पन, सलेज और

अन्य प्रासंगिकता के कारण हानि को पूरा करने के लिए और बोतल में भरे और भण्डार में रखने से हुई हानि को पूरा करने के लिए भी दी गयी) दस प्रतिशत की छूट सीमा से अधिक हो जाये, वहां आबकारी आयुक्त दस प्रतिशत से अधिक की ऐसी कमी के संबंध में उत्पाद शुल्क की साधारण दर के एक सौ प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण उत्पाद शुल्क की साधारण दर के अतिरिक्त करेगा।

धारा29. वह रीति जिसके अनुसार उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा–ऐसे नियमों अधीन रहते हुए जिन्हें आबकारी आयुक्त भुगतान का समय, स्थान और रीति विनियमित करने के लिए विहित करे, ऐसा उत्पाद शुल्क निम्नलिखित एक या एकाधिक प्रकार से लगाया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे–

(क) धारा 12 (1) के अधीन आयात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में

1. या तो आयात के प्रान्त में या निर्यात के प्रान्त या राज्य क्षेत्र में भुगतान करके, या

2. धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भण्डारागार से विकय के लिए जारी किये जाने पर भुगतान करके,

(ख) धारा 13 के अधीन निर्यात किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में में या तो निर्यात के प्रान्त में या आयात के प्रान्त या राज्य क्षेत्र में भुगतान करके,

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थों की दशा में–

1. उस जिले में भुगतान करके जहां से उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ का परिवहन किया जाने वाला हो, या

2. धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भाण्डारागार से विकय के लिये जारी किये जाने पर भुगतान करके,

(ग) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित मादक भेशजों की दशा में–

1. धारा 17 (1) (क) के उपबन्धों के अधीन दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत जारी किये गये परिमाण पर उपशुल्क भारित करके,

2. जहां कोई मादक भेशज धारा 17 (1) (ख) और (ग) के उपबन्धों के अधीन दिय गये लाइसेंस के अन्तर्गत खेती किये गये या संगृहीत भांग (कैनेबिस सैटाइवा) से निर्मित हो तो खेती के प्रति एकड़ पर उपशुल्क लगाकर या संगृहित मात्रा पर उपशुल्क भारित करके,

(ड.) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी में या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित स्प्रिट या बियर की दशा में–

1. यथास्थिति, आसवनी या यवासवनी में उत्पादितया उससे जारी किये गये परिमाण पर या धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या लाइसेंस प्राप्त भाण्डारागार से जारी किये गये परिमाण पर उपशुल्क धारित करके,

2. यथास्थिति, प्रयुक्त सामानों के परिमाण अथवा धोवन या वर्ट के क्षीणन की मात्रा पर आकलित तुल्यांक के ऐसे मापकम के अनुसार जिसे (राज्य सरकार) विहित करके, उपशुल्क भारित करके,

प्रतिबंध यह है कि यदि भुगतान धारा 18 (घ) के अधीन स्थापित या या लाइसेंस प्राप्त भाण्डारागार से विकय के लिए किसी उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थ के जारी होने पर किया जाये, तो वह उत्पाद शुल्क की दस दर से होगा जो पदार्थ पर उस दिनांक को प्रवृत्त हो जबकि वह भण्डारागार से जारी किया जाये।

धारा30. एकान्तिक विशेशाधिकार के लिए भुगतान–

1. इस अध्याय के अधीन लगाये जाने वाले किसी उत्पाद शुल्क के बजाय या उसके अतिरिक्त राज्य सरकार या उसकी ओर से आबकारी आयुक्त धारा 24 या धारा 24–क के अधीन किसी एकान्तिक या अन्य विशेशाधिकार के लिए लाइसेंस दिये जाने के प्रतिफल स्वरूप किसी राशि का भुगतान स्वीकार कर सकता है।

2. उपधारा 1 के अधीन देय धनराशि या तो नीलाम द्वारा या टेंउर आमंत्रित करके या अन्य प्रकार से निश्चित की जा सकती है या लाइसेंस के अधीन किये गये विकय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है या उपर्युक्त रीतियों से अंशतः निश्चित और अंशतः निर्धारित की जा सकती है।

3. 1 अप्रैल 1983 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्श के लिए, धारा 24 (ए) के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन के लिए निर्धारित धनराशि के अतिरिक्त, ऐसे अनुज्ञापन पर बिकी के आधार पर ऐसेस्ड ;lेमेमकद्ध की गयी धनराशि, जो एसेस्ड ;lेमेमकद्ध फीस कहलायेगी, समस्त प्रकार की स्प्रिट, वाईन, लिकर तथा कार्डियेल की प्रत्येक क्वार्ट बोतल पर 5 रूपये प्रति बोतल की दर से तथा बियर स्टाउट तथा समस्त किण्वित शराब की प्रति मानक क्वार्ट बोतल पर 60 पैसे की दर से विदेशी मदिरा के थोक विकेताओं द्वारा वसूली जायेगी।

धारा 30क. संविधान के आरम्भ होने के समय लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्कों के संबंध में अपवाद–

1. जब तक (संसद) द्वारा कोई प्रतिकूल व्यवस्था न की जाये, (राज्य सरकार) कोई ऐसा अपवाद शुल्क लगाना जारी रख सकती है जिस पर यह धारा लागू होती हो और जिसे वह (संविधान) के आरम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस अध्याय के अधीन विधिपूर्वक लगा रही थी।

2. उत्पाद शुल्क, जिन पर यह धारा लागू होती है, निम्नलिखित है–

क. कोई उत्पाद शुल्क जो ऐसी मादक वस्तुओं (या औशधीय या प्रसाधनिक विनिर्मितियों के विशय में हो जिनमें अलकोहल हो) और इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत उत्पाद शुल्कारोप्य न हों, और

ख. कोई उत्पाद शुल्क जो भारत के बाहर उत्पादित तथा (उत्तरांचल) में आयातित किसी उत्पाद–शुल्कारोप्य पदार्थ के विशय में हो, चाहे वह पदार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा यथापरिभाशित सीमा शुल्क सरहद के पार से आयातित हो अथवा नहीं।

3. इस धारा की कोई बात (राज्य सरकार) को कोई ऐसा उत्पाद शुल्क लगाने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी, जो इस (राज्य) में उत्पादित या निर्मित सामानों तथा इसी प्रकार के ऐसे सामानों के बीच जो इस प्रकार उत्पादित या निर्मित न किये गये हों, पूर्वोक्त के पक्ष में विभेद करे अथवा जो (राज्य) के बाहर उत्पादित या निर्मित सामानों की दशा में, किसी एक क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित सामानों तथा किसी दूसरे क्षेत्र में निर्मित या उत्पादित इसी प्रकार के सामान के बीच विभेद करे।

अध्याय–6

लाइसेन्स, परमिट तथा पास

धारा 31.लाइसेंस आदि के प्रपत्र तथा उनकी शर्तेः–

इस अधिनियम के अधीन दिया गया प्रत्येक लाइसेंस, परमिट या पास–

क. ऐसी फीसों, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर,

ख. ऐसे निर्बन्धनों और ऐसी शर्तों के अधीन दिया जायेगा।

ग. ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जैसा कि आबकारी आयुक्त तदर्थ या तो सामान्यतया या किसी विशेश दशा में निर्देश दें और

घ. ऐसी अवधि के लिए और उस रीति से जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, दिया जायेगा।

धारा 32.इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त लाइसेंस के संबंध में अपवाद–

ऐसा प्रत्येक लाइसेंस जो एक्साइज एक्ट, 1896 की किसी धारा के अधीन दिया गया हो और जो इस अधिनियम के आरम्भ होने के समय प्रवृत्त हो, इस अधिनियम की तदुनुरूप धारा के अधीन दिया गया समझा जायेगा और (जब तक वह इस अध्याय के अधीन पहले ही रद्द, निलम्बित, वापस या समर्पित न कर दिया गया हो) उस अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जिसके लिए वह दिया गया था।

धारा 33लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की प्रतिरूप अनुबंध आदि के निश्पादन की अपेक्षा करने की शक्ति–

इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला कोई प्राधिकारी लाइसेंस गृहीता से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने लाइसेंस की अनुकृति के अनुरूप प्रतिरूप अनुबंध निश्पादित करे तथा ऐसे अनुबंध के पालनार्थ ऐसी प्रतिभूति दे या

प्रतिभूति के बदले में ऐसी धनराशि जमा करे जैसी की ऐसा प्राधिकारी उचित समझे।

धारा 34. लाइसेंसों आदि की रद्द या निलंबित करने की शक्ति–

1. ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार विहत करे इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस, परमिट या पास देने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलम्बित कर सकता है–

   क. यदि उसके धारक द्वारा देय किसी उत्पाद शुल्क या फीस का यथाविधि भुगतान न किया गया हो, या

   ख. उस दशा में जब ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के धारक द्वारा उनके सेवकों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे लाइसेंस, परमिट या पास के निबंधनों या शर्तों में से किसी निबंधन या शर्त का उल्लंघन किया गया हो, या

   ग. यदि उसका धारक इस अधिनियम के अधीन या राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का (या अनिश्टकर औशधि द्रव्य अधिनियम 1930 क अधीन) या मर्चेन्डाइज मार्क्स एक्ट 1889 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 तक (दोनों धारायें सम्मिलित करके) के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोश ठहराया गया हो, या

   घ. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी एकान्तिक विशेशाधिकार के गृहीता क आवेदन पत्र पर लाइसेंस, परमिट या पास दिया गया हो, तो ऐसे गृहीता द्वारा लिखित रूप से अधियाचन करने पर, या

ड. यदि लाइसेंस या परमिट की शर्तों में इच्छानुसार इस प्रकार रद्द या निलंबित किये जाने की व्यवस्था की गयी हो।

2. जब किसी व्यक्ति द्वारा धृत कोर्ठ लाइसेंस, परमिट या पास उपधारा–1 के खन्ड–क, ख या ग के अधीन रद्द किया जाये, तो पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या ओपियम ऐक्ट, 1878 के अधीन (राज्य सरकार) द्वारा या उसके प्राधिकार से ऐसे व्यक्ति को दिये गये किसी अन्य लाइसेंस, परमिट या पास को रद्द कर सकता है।

3 इस धारा के अधीन लाइसेंस, आदि के रद्द या निलम्बित किये जाने के लिए कोई प्रतिकर या धनराशि के प्रतिदान का दावा न किया जा सकेगा–धारक इस धारा के अधीन अपने लाइसेंस, परमिट या पास के रद्द या निलम्बित किये जाने के लिए न तो किसी प्रतिकर के और न ही उसके संबंध में भुगतान की गयी किसी फीस या जमा की गयी किसी धनराशि के प्रतिदान का हकदार होगा।

धारा 35 लाइसेंसों को रद्द करने की अग्रेत्तर शक्ति–

1. जब कभी इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी यह समझे कि ऐसा लाइसेंस धारा 34 में निर्दिश्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से रद्द किया जाना चाहिये तो वह उसके संबंध में पन्द्रह दिनों के लिए देय फीस के बराबर राशि प्रेशित करेगा और लाइसेंस को या तो–

क. ऐसा करने के अपने अभिप्राय की पन्द्रह दिन की लिखित नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने पर, या

ख. बिना नोटिस दिये तुरन्त ही रद्द कर सकता है।

2 रद्द किये जाने की दशा में प्रतिकर–यदि कोई लाइसेंस उपधारा 1 के खन्ड–ख के अधीन रद्द कर दिया जाये तो यथापूर्वोक्त प्रेशित राशि के अतिरिक्त

लाइसेंसधारी को प्रतिकर के रूप में ऐसी और राशि का भुगतान किया जायेगा जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्देश दे।

3. फीस जमा की गयी धनराशि का प्रतिदान—जब इस धारा के आधीन कोई लाइसेंस रद्द कर दिया जाये तो उसके संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम भुगतान की गयी कोई फीस या जमा की गयी कोई धनराशि राज्य सरकार को देय धनराशि यदि कोई हो, काटकर उसे प्रतिदान की जायेगी।

धारा 36 फुटकर बिक्री के लाइसेंस का समर्पण—

इस अधिनियम के अधीन फुटकर बिक्री के किसी लाइसेंस का धारक लाइसेंस समर्पित करने के अपने अभिप्राय की अपने द्वारा कलेक्टर को दिये गये एक माह की लिखित नोटिस की अवधि व्यतीत हो जाने पर उसे और उस संपूर्ण अवधि के लिए जिसमें लाइसेंस जारी रहता, यदि ऐसा समर्पण न कर दिया गया होता, लाइसेंस के निमित्त देय फीस भुगतान करने पर अपना लाइसेंस समर्पित कर सकता है।

प्रतिबंध यह है कि यदि आबकारी आयुक्त का यह समाधान हो जाये कि ऐसा लाइसेंस समर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह समर्पण कर दिये जाने पर इस प्रकार देय धनराशि या उसका कोई अंश उसके धारक को प्रेशित कर सकता है।

स्पश्टीकरण—इस धारा में यथाप्रयुक्त शब्द 'लाइसेंस का धारक' में वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसका लाइसेंस के निमित्त टेन्डर या बोली स्वीकार हो चुकी हो, यद्यपि उसे वास्तव में लाइसेंस प्राप्त न हुआ हो।

धारा 36 क. नवीनीकरण और प्रतिकर अधिकार पर रोक—

कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, ऐसे लाइसेंस नवीनीकरण के लिए कोई दावा न कर सकेगा या न उसे समाप्त किये जाने पर या उसके नवीनीकृत न किये जाने पर प्रतिकर के लिए दावा कर सकेगा।

धारा 37. लाइसेंस आदि से प्राविधिक अनियमिततायें—

1. इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेंस केवल इस कारण अविधिमान्य न समझा जायेगा कि उसमें या उसके दिये जाने से पूर्व की गयी किसी कार्यवाही में कोई प्राविधिक दोश, अनियमितता या लोप है।

2. प्राविधिक दोश, अनियमितता या लोप क्या है, इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

अध्याय–6 क

मद्यनिशेध के सम्बन्ध में विशेश उपबन्ध

धारा 37 क. मादक, वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने या कब्जे में रखने या उसका उसका उपभोग करने का निशेध–

1. उपधारा 4 के उपबन्धों के आधीन रहते हुए राज्य या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निशिद्ध होगा।

2. धारा 20 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा–4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिश्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेश के व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपवादों के यदि कोई विनिर्दिश्ट किये जायें, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिश्ट की जाये, निशिद्ध होगा।

3. राज्य में मद्यनिशेध का कमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार, निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय–समय पर इस निमित्त भिन्न–भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात–

   क. किसी क्षेत्र का स्वरूप यथा–

      एक. सरकार का मुख्यालय, या
      दो. विद्या केन्द्र, या
      तीन. तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या
      चार. पर्वतीय क्षेत्र, या
      पांच. औद्योगिक क्षेत्र, या
      छः. मद्यनिशेध वाले क्षेत्र में लगा हुआ क्षेत्र, या

सात. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की बस्ती, या

ख. स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुश्टितल और जीवन स्तर भी है, या

ग. स्थानीय जनमत या

घ. कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोक हित में सारवान हो।

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों की, जिनके आधार पर कोई विशिश्ट क्षेत्र मद्यनिशेध लागू करने के लिए किसी समय चुना जाये, उल्लिखित करना अपेक्षित है।

4. उपधारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वह क्षेत्र जिसमें उपधारा 1 के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, ओर जिसमें उपधारा (2) के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निशेध का प्रसार किया जाये और वह दिनांक जिसमें किसी क्षेत्र में मद्यनिशेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिश्ट करे।

5. किसी मद्यनिशेध क्षेत्र के संबंध में उपधारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेश आदेश द्वारा उपधारा 4 के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिए, कब्जे में रखने या उसका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के संबंध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है–

क. प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य,

ख. मद्यनिशेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी,

ग. मद्यनिशेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री,

घ. जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिसमें औशधीय प्रयोजनों के लिए कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो।

ड. धारा 17, 18, 21 और 24 के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति

च. रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्यनिशेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेशण,

छः. औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औशधीय या धार्मिक प्रयोजन।

6. किसी छूट या शिथिलीकरण के संबंध में उपधारा 5 के अधीन दी जाये, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेश आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिश्ट किया जाये, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है।

7. उपधारा 4 में अभिदिश्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्यनिशेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के संबंध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा ओर उसके संबंध में लाइसेंस धारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गयी धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई घटाकर लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के संबंध में धारा 35 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा।

8. जहां उपधारा 7 के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाये वहां लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त सामान्य या विशेश आदेश द्वारा निर्देश दे।

प्रतिबन्ध यह है कि 1 मई 1972 को प्रारम्भ होने वाली और 25 जून, 1978 के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध होगी, जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होता।

अध्याय–7

सामान्य उपबन्ध

धारा 38 माप, बाट तथा परीक्षण यंत्र–

प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस के अधीन कोई मादक वस्तु निर्मित करता है या उसका विकय करता है–

क. ऐसे माप, बांट या यन्त्र जिन्हें आबकारी आयुक्त विहित करें, की स्वयं व्यवस्था करने और उन्हें अच्छी दशा में रखने और

ख. यदि ऐसे माप, बांट और यन्त्र विहित किये गये हों, तो तदर्थ यथाविधि अधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा अधियाचन किये जाने पर किसी भी समय ऐसी मादक वस्तु का जो उसके कब्जे में हो, ऐसी रीति से माप लेने, तौल लेने या उसे परीक्षित करने, जैसा कि उक्त आबकारी अधिकारी अपेक्षा करे, के लिए बाध्य होगा।

धारा 38 क. आबकारी राजस्व के बकाया पर ब्याज–

1. जहां किसी आबकारी राजस्व का भुगतान करके उसके देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर न किया यगा हो, वहां चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्श से अनधिक दर पर जैसी विहित की जाये, ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक देय होगा–

प्रतिबंध यह है कि जब तक कोई उच्चदर विहितन की जाये, ब्याज की दर अट्ठारह प्रतिशत प्रतिवर्श होगी–

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि ऐसे आबकारी राजस्व के संबंध में, जो उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1985 के प्रारम्भ होने के पूर्व देय हो गया हो, उक्त दर पर ब्याज ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से देय होगा, यदि आबकारी राजस्व का भुगतान उक्त दिनांक के तीन मास के भीतर न किया जाये।

स्पश्टीकरण–इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसमें किसी करार नीलामी के निबन्धनों या उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन), 1985 के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दायर कियै गये वादों या कार्यवाहियों में न्यायालय की किसी डिक्री को जो उक्त दिनांक के पूर्व पारित की गयी हो या उक्त दिनांक के पश्चात पारित की जाये, के अधीन ब्याज के भुगतान पर प्रभाव डालता है।

2. ऐसे ब्याज की वसूली पर धारा 39 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के आबकारी राजस्व की वसूली पर लागू होते हैं।

धारा 39 आबकारी राजस्व की वसूली–

सम्पूर्ण आबकारी राजस्व जिसमें वे धनराशियां भी सम्मिलित हैं, जो आबकारी राजस्व से सम्बन्धित किसी संविदा के कारण किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय हों, उस व्यक्ति से जो प्रथमतः उसे भुगतान करने का जिम्मेदार हो या उसके प्रतिभू से यदि कोई हो, भू–राजस्व के बकाया के रूप में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा लोक मांगों की वसूली के लिए व्यवस्थित रीति से वसूल किया जा सकता है। लाइसेन्स धारक द्वारा भुगतान करने में चूक किये जाने की दशा में कलेक्टर उस प्रदान को जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, भुगतान में चूक करने वाले के जोखिम पर प्रबन्ध में ले सकता है या उसको जब्त घोशित कर सकता है और भुगतान में चेक करने वाले व्यक्ति के जोखिम तथा हानि पर उसको पुनः विकय कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 24 के अधीन दिये गये किसी एकान्तिक विशेशाधिकार का लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना न तो जब्त किया जायेगा या न इसका पुनः विकय किया जायेगा।

धारा 40– राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व संबंधित तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

   प्रतिबंध यह है कि यह समझा जायेगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा बनायी गयी उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली 1968, जैसा कि वह समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी है, जब तक राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत बनायी गयी है।

2. विशेशतः और पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकती है–

   क. धारा 10(2) (ज) अधीन { } आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा किन्हीं शक्तियों को प्रतिनिहित किये जाने के लिए विनियमित करने के लिए,

   ख. आबकारी विभाग के अधिकारियों की शक्तियों तथा कर्तव्यों को विहित करने के लिए,

   ग. अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रकिया विहित करना,

   घ. किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात, परिवहन या उसे कब्जे में रखने के लिए विनियमित करने के लिए,

ङ. उन अवधियों तथा क्षेत्रों को, जिनके लिए तथा उन व्यक्तियों को, जिन्हें किसी मादक वस्तु के थोक या फुटकर विक्रय के लिए लाइसेंस दिया जाये, विनियमित करने के लिए,

च. किसी क्षेत्र के निमित्त ऐसे विक्रय का कोई लाइसेंस दिये जाने से पूर्व अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा सुनिश्चित किये जाने वाले विशयों को विहित करने के लिए,

छः. किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को किसी मादक वस्तु का विक्रय करने का निशेध करने के लिए,

ज. साक्षियों को खर्चा देने और समय की हानि के लिए उन व्यक्तियों को, जो धारा 49 के अधीन इस आधार पर छोड़े गये हों कि उन्हें अनुचित रूप से गिरफ्तार किया गया था और उन व्यक्तियों को, जिनपर मैजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का आरोप लगाया गया हो, किन्तु वे दोशमुक्त हो गये हों, प्रतिकर देने के लिए,

झ. धारा 49 के उपबन्धों के अधीन दूर से साक्षियों को आहूत करने की आबकारी अधिकारियों की शक्ति को विनियमित करने के लिए,

ञ. उन आबकारी अधिकारियों को, जिन्हें तथा उस रीति को, जिसके अनुसार धारा 56 के अधीन सूचना या सहायता दी जानी चाहिए घोशित करने के लिए,

ट. अपने व्यवसाय में किसी भी हैसियत से सहायता देने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को लाइसेंस धारक द्वारा सेवायोजित किये जाने का निशेध करने के लिए,

ठ. लाइसेंस प्राप्त किसी भू–गृहादि में या उसके समीप नशे में रहने, जुआ खेलने और उत्पाती आचरण करने को और ऐसे भू–गृहादि के दुश्चरित्र व्यक्तियों के एकत्र होने या रहने को रोकने के लिए,

ड. अधिनियम के अधीन वसूल की गयी शमन फीस में से उसके पचास प्रतिशत तक कलेक्टर द्वारा और वसूल किये गये अर्थदण्ड में से उसके पचास प्रतिशत तक मामले पर विचारण करने वाले मैजिस्ट्रेट द्वारा, अधिकारिकों, अधिकारियों या इत्तिला देने वालों को इनाम देने के लिए।

3. { } निकाल दिया गया।

धारा–40 आबकारी आयुक्त की नियम बनाने की शक्ति–

आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुए निम्नलिखित नियम बना सकता है–

क. ऐसे मादक वस्तु के निर्माण, सम्भरण, भण्डारकरण या विक्रय को, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है, विनियमित करना–

1. ऐसे पदार्थ के निर्माण, सम्भरण, भाण्डारकरण या विक्रय के लिए किसी स्थान का परिनिर्माण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसकी मरम्मत करना, उसका विरीक्षण, पर्यवेक्षण प्रबन्ध करना और उस पर नियंत्रण रखना तथा उसमें अनुरक्षित किये जाने वाले उपस्कर, औजार और उपकरण

2. भांग के पौधे (कैसेविस सैटाइवा) की खेती करना,

3. भांग के पौधे (कैसेविस सैटाइवा) के उन भागों का संग्रहण करना जिनसे कोई मादक भेशज निर्मित किया जा सकता हो और उनसे किसी मादक भेशज का निर्माण करना।

ख. किसी (मादक वस्तु) को भाण्डारगार में जमा किये जाने और किसी ऐसे भाण्डागार से या किसी आसवनी या यवासवनी से किसी मादक वस्तु के हटाये जाने को विनियमित करना,

ग. किसी मादक वस्तु के किसी लाइसेंस, परमिट या पास के लिए जिसमें धारा 24 या धारा 24 के अधीन किसी एकांतिक या अन्य विषेशाधिकार के लिए किया गया कोई प्रतिफल भी सम्मिलित है या उसके भण्डारकरण के लिए देय फीस का माप–मान या उसे निश्चित करने की रीति विहित करना,

(प्रतिबंध यह है कि इस खण्ड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि यह राज्य सरकार को समय–समय पर अधिसूचना द्वारा कोई ऐसा विशेशाधिकार स्वीकृत किये जाने के प्रतिफल के भाग के रूप में कोई फीस,जिसके अन्तर्गत विक्रय बैण्ड फीस भी है, लगाने से रोकती है।)

स्पश्टीकरण

1. विभिन्न वर्गों के लाइसेन्स, परमिट, पास या भण्डारकरण के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस उपखण्ड के अधीन फीस विभिन्न दरों पर विहित की जा सकती है।

2. ऐसी फीस या प्रतिफल निश्चित करने की रीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक रीति भी है, अर्थात–

(1) नीलाम

(2) टेण्डर आमंत्रित करना,

(3) लाइसेंस, परमिट या पास के अधीन किये गये विक्रय या उठाये गये कोटा के आधार पर निर्धारण।

घ. किसी उत्पाद शुल्क या फीस के भुगतान का समय, स्थान और रीति को विनियमित करना,

ड. उन निर्बन्धनों को, जिनके अधीन तथा उनकी शर्तों को जिनके अनुसार कोई लाइसेंस, परमिट या पास दिया जा सकता है जिनमें निम्नलिखित विशयों के लिए व्यवस्था सम्मिलित है, विहित करना–

1. किसी (मादक वस्तु) के साथ किसी ऐसी वस्तु को, जो दुर्गन्धयुक्त और आपत्तिजनक समझी जाये, सम्मिश्रण करने का निशेध करना,

2. किसी लाइसेंस प्राप्त निर्माता या लाइसेंस प्राप्त विकेता द्वारा किसी शराब की उच्च सान्द्रता को कम करके उसे निम्न सान्द्रता का बनाने को विनियमित करना या उसका निशेध करना,

3. उस सान्द्रता, मूल्या या परिमाण को जिससे अधिक या कम किसी मादक वस्तु का विक्रय या सम्भरण न किया जायेगा तथा उस परिमाण को जिससे अधिक विकृत स्प्रिट कब्जे में न रखी जा सकेंगी, निश्चित करना तथ्ज्ञा किसी मादक वस्तु के गुण व मानदण्ड विहित करना,

4. नकद विक्रय के सिवाय अन्यथा विक्रय का निशेध करना,

5. उन दिनों या घंटों को निश्चित करना जिनमें कोई लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि खुले रखे जायें या खुले न रखे जायें और ऐसे भु–गृहादि को विशेश अवसरों पर बन्द रखना,

6. उन भू–गृहादि के स्वरूप का विशिश्ट विवरण जिनमें किसी मादक वस्तु का विक्रय किया जाये तथा ऐसे भू–गृहादि में प्रदर्शित किये जाने वाले नोटिस,

7. लाइसेंस धारकों द्वारा रखे जाने वाले लेखों का प्रपत्र तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां, और

8. लाइसेंसों के अन्तरण का विनियमन।

च. 1. उस प्रकिया को घोशित करना जिसके अनुसार { निकाला गया}

भारत में निर्मित स्प्रिट विकृत की जायेगी।

3. अपने अधिकारियों के अभिकरण द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ऐसी स्प्रिट की विकृति कराना।

4. यह सुनिश्चित करना कि ऐसी स्प्रिट विकृत की गयी है या नहीं,

छ. किसी ऐसी मादक वस्तु को, जो प्रयोग के लिए अयोग्य समझी जाये, नश्ट करने की या अन्य प्रकार से उसके निस्तारण की व्यवस्था करना।

ज. जब्त किये गये पदार्थों के निस्तारण को विनियमित करना।

अध्याय–8

ताड़ी के निर्माण सम्भरण और विकय के संबंध में विशेश उपबन्ध

धारा–42. ताड़ी का निर्माण–

सिवाय इस लाइसेंस के प्राधिकार तथा उसके निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो कलेक्टर द्वारा तदर्थ या धारा 45 के उपबन्धों के अधीन दिया जाये, उन स्थानीय क्षेत्रों में जहां राज्य सकार इस प्रकार अधिसूचित करे–

क. ताड़ी पैदा करने वाला कोई वृक्ष छिद्रित न किया जायेगा,

ख. किसी वृक्ष से ताड़ी न निकाली जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह घोशित कर सकती है कि ये उपबन्ध उन वृक्षों पर लागू न होंगे जो ऐसी विशेश दशाओं में, जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित की जाये, छिद्रित किये गये हों या जिनसे ताड़ी निकाली गयी है।

धारा 43. ताड़ी का विकय–

यथापूर्वोक्त किसी ऐसे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी वृक्ष से निकाली गयी ताड़ी का अधिकार प्राप्त हो उस ताड़ी का बिना लाइसेंस के विकय ऐसे व्यक्ति को कर सकता है जिसे इस अधिनियम के अधीन ताड़ी का निर्माण करने या विकय करने का लाइसेंस प्राप्त हो।

धारा 44. धारा 42 के उपबन्धों से उस क्षेत्र को जिसमें ताड़ी के निर्माण आदि के लिए एकान्तिक विशेशाधिकार दिया गया हो, विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति– यदि धारा 24 के उपबन्धों के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र में ताड़ी निर्मित करने, सम्भरित करने या उसका विकय करने करने के लिए एकान्तिक विशेशाधिकार का लाइसेंस दिया गया हो

तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि धारा 42 के उपबन्ध ऐसे क्षेत्र पा लागू न होंगे।

धारा–45. ताड़ी निर्माण के लिए एकान्तिक विशेशाधिकार गृहीता द्वारा लाइसेंस दिया जाना–यदि धारा 24 के अधीन ताड़ी के निर्माण के लिए एकान्तिक विशेशाधिकार का लाइसेंस दिया गया तो राज्य सरकार यह घोशित कर सकती है कि ताड़ी निकालने के लिए लाइसेंस गृहीता की लिखित अनुज्ञा का वही बल और प्रभाव होगा जो धारा 42 के अधीन कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिये लाइसेंस का हो।

धारा–46. ताड़ी पर उत्पाद शुल्क– धारा 42 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अधीन निर्मित किसी ताड़ी पर कोई उत्पाद शुल्क ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश देगी या तो सामान्यतया या किसी निर्दिश्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए लगाया जा सकता है। { ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाये, कर द्वारा लगाया जायेगा और इसकी दर धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिश्ट सिद्वान्तों को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जायेगी और प्रति वृक्ष एक वर्श या उसके भाग के लिए साठ रूपये से अधिक न होगा}

धारा–47. नियम बनाने की शक्ति– विशेषतः तथा पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें धारा 42 के उपबन्ध लागू किये गये हों, ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों के छिद्रण और ऐसे वृक्षों से ताड़ी निकालने, ऐसे वृक्षों को चिन्हित करने और ऐसे चिन्हों के अनुरक्षण को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है।

अध्याय–9

अधिकारियों आदि की शक्तियां तथा कर्तव्य

धारा–48. निर्माण के तथा विक्रय के स्थानों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति–

आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंकित का न हो जिसे राज्य सरकार विहित करे या यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जिसमें कोई लाइसेंस प्राप्त निर्माणकर्ता किसी मादक वस्तु का निर्माण करता हो या उसका भण्डारकरण करता हो किसी भी समय दिन अथवा रात्रि में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और किसी ऐसे स्थान में जिसमें किसी लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा कोई मादक वस्तु विक्रय के लिए रखी जाती हो, ऐसे घंटों के भीतर जब विक्रय करने की अनुज्ञा हो तथा किसी अन्य समय में जब वह खुला हो, किसी भी समय प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसे स्थान में पाये गये किन्हीं सामानों, भभकों, बर्तनों, औजारों, उपकरणें या मादक वस्तु की जांच कर सकता है, परीक्षण कर सकता है, माप ले सकता है या तौल सकता है और किन्हीं ऐसे मापों, बांटों या परीक्षण यन्त्रों का, जिनके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वे खोटे हैं, अभिग्रहण कर सकता है।

धारा–49. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों का अन्वेशण करने की कतिपय अधिकारियों की शक्तियां–

1. कोई पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में किसी उप निरीक्षण से निम्न पंक्ति का न हो तथा आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे राज्य सरकार विहित करे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध का अन्वेशण कर सकता है जो उस क्षेत्र की परिसीमाओं

के भीतर किया गया हो जिसमें ऐसा अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

2. कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अन्वेशण के संबंध में उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसका थाने का प्रभारी अधिकारी दण्ड प्रकिया सहिता 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन किसी संज्ञेय मामले मे प्रयोग कर सकता है ओर यदि ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा तदर्थ विशेश रूप से अधिकृत किया गया हो तो वह बिना किसी मजिस्ट्रेट को अभिदेश किये और उन कारणों से जिन्हें वह लिखित रू प में अभिलिखित करें किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही रोक सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी ऐसे अपराध से, जिसके सम्बन्ध में उसने अन्वेशण किया हो, सम्बन्धित हो या जिसे सम्बन्धित होने की संभावना होने की कल्पना की जाती हो।

धारा–50 गिरफ्तार करने, अभिग्रहण करने और निरूद्ध करने की शक्तियां–

आबकारी, पुलिस, नमक, अफीम या भू–राजस्व विभाग का कोई भी अधिकारी, जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो जिसे और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार विहित करे और यथाविधि तदर्थ अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति बिना वारन्ट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय अपराध करता हुआ पाया जाये, और किसी ऐसे मादक वस्तु को या किसी अन्य सामान को अभिगृहीत और निरूद्ध कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जब्त किये जाने योग्य है और किसी ऐसे व्यक्ति को और किसी ऐसे जलयान, गाड़ी, पशु, पात्र या आवरण को निरूद्ध कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है जिस पर या जिसमें उसे ऐसे सामान के होने के संदेह करने का उचित कारण हो।

धारा–51 गिरफ्तारी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर की शक्ति–

कलेक्टर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारन्ट जारी कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने धारा 60, धारा 62, धरा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया है।

धारा–52 तलाशी का वारन्ट जारी करने की कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की शक्ति–

यदि प्राप्त सूचना के आधार पर कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 60, धारा 62 या धारा 63 या धारा 65 के अधीन कोई दण्डनीय अपराध किया गया है या किये जाने की संभावना है तो वह किसी ऐसी मादक वस्तु, सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरणें की तलाशी के लिए वारन्ट जारी कर सकता है जिसके संबंध में अभिकथित अपराध किया गया हो या किये जाने की संभावना हो।

धारा–53 बिना वारन्ट के तलाशी लेने की कलेक्टर या आबकारी विभाग के अधिकारी की शक्ति–

1. जब कभी कलेक्टर को या आबकारी विभाग के ऐसे अधिकीर को जो उस पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो, जिसे राज्य सरकार विहित करे या ऐसे पुलिस अधिकारी को जो पंक्ति में उप निरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहो यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 60, धारा 61, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किसी स्थान में किया गया है, किया जा रहा है या किये जाने की संभावना है और अपराधी को भाग जाने या अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी का वारन्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह किसी भी समय, दिन अथवा रात्रि में, ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है।

प्रतिबंध यह है कि कलेक्टर से भिन्न कोई अधिकीर जो इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करे, ऐसे स्थान में प्रवेश करने से पूर्व यथापूर्वोक्त अपने विश्वास के कारणों को अभिलिखित करेगा।

2. अभिग्रहण करने, निरूद्ध करने, तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की अग्रेत्तर शक्तियां–यथापूर्वोक्त कलेक्टर या अन्य अधिकारी ऐसे स्थान में पायी गयी किसी ऐसी वस्तु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हापे कि वह इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य है और ऐसे स्थान में पाये किसी ऐसे व्यक्ति को निरूद्ध कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो उसे गिरफ्तार कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह यथापूर्वोक्त अपराध का दोशी है।

धारा–54 गिरफ्तारी, तलाशियों आदि के संबंध मे प्रकिया–

गिरफ्तारियों, तलाशियों, तलाशी के वारन्टों, गिरफ्तार किये व्यक्तियों को प्रस्तुत करने तथा अपराधों का अन्वेशण करने के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाहियों पर यथा शक्य लागू होंगे।

प्रबिन्ध है कि धारा 60, { निकाल दिया गया} धारा 61, (धारा 62, धारा 64 क या धारा 65) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अन्वेशण बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के किया जा सकता है तथा 51 अथवा धारा 52 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किये गये किसी वारन्ट का निश्पादन किसी ऐसे अध्किारी द्वारा किया जा सकता है जिसका कलेक्टर द्वारा उस प्रयोजन के लिए चयन किया जाये।

धारा–55 कपितय अपराध अजमानतीय होंगे–

धारा 60 की उपधारा 2, धारा 62 और धारा 64–क के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अर्थान्तर्गत अजमानतीय होंगे।

धारा–56 आबकारी विभाग के अधिकारियों को अपराधों की सूचना देने तथा उनकी सहायता करने का कतिपय विभागों के अधिकारियों का कर्तव्य–

पुलिस, नमक, अफीम तथा भू–राजस्व विभाग का प्रत्येक अधिकारी आबकारी विभाग के अधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के ऐसे समस्त उल्लंघनों की जो उसकी जानकारी में आये, तूरन्त सुचना देने के लिए और ऐसे अधिकारी द्वारा निवेदन किये जाने पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में आबकारी विभाग के किसी अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होगा।

धारा–57 स्वामी, अध्यासी, लेखपाल या ग्राम्य पुलिस कर्मचारियों का कुछ बातों की सूचना देने का कर्तव्य–

प्रत्येक व्यक्ति जिसके स्वामित्व अथवा अध्यासन में कोई ऐसी भूमि या भवन हो जिस पर या जिसमें किसी मादक वस्तु का कोई अवैध निर्माण हुआ हो, या किन्हीं ऐसे पौधों की कोई अवैध खेती या संग्रहण हुआ हो जिनसे मादक भेशज तैयार किया जा सकता हो और ऐसे स्वामी या अध्यासी का अभिकर्ता और ऐसे जलयान या गाडी का, जिसमें इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी मादक वस्तु का निर्माण किया जाये, प्रत्येक स्वामी, और प्रत्येक लेखपाल अथवा ग्राम पुलिस कर्मचारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसी भूमि या भवन स्थित हो अथवा जलयान या गाडी पायी जाये तत्सम्बन्धी सूचना जानकारी में आने पर सिवाय उस दिशा में जबकि उसके द्वारा ऐसा न करने के लिए उचित कारण हो, तुरन्त ही किसी मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस अथवा राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को देने के लिए बाध्य होगा।

धारा–58थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिगृहीत सामानों को प्रभार में लेने का कर्तव्य–

थाने के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत समस्त सामानों को जो उसे दिये जायें, किसी मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का आदेश

होने तक अपने प्रभार में ले लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और आबकारी विभाग के किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसे सामानों के साथि थाने तक जाये या जो इस प्रयोजन के लिए अपने वरिश्ठ अधिकारी द्वारा प्रति नियुक्त किया जाये, ऐसे सामानों पर अपनी मुहर लगाने और उनके तथा उनसे नमूने लेने की अनुज्ञा देगा। इस प्रकार लिये गये समस्त नमूनों पर थाने के प्रभारी अधिकारी की भी मुहर लगायी जायेगी।

धारा–59 लोक शांति के निमित्त दुकानें बंद करने की शक्ति–

जिला मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारी को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि कोई भी दुकान जिसमें किसी मादक वस्तु का विकय किया जाता हो ऐसे समयों पर या ऐसी अवधि के लिए बन्द रखी जाये जिसे वह लोक शांति बनाये रखने के लिए आवश्यक समझे।

यदि किसी ऐसी दुकान के समीप्य में कोई दंगा होने की या व्यक्तियों का अवैध जमाव होने की आशंका हो या वह हो जाये तो किसी भी श्रेणी का मजिस्ट्रेट या कांस्टेबिल से उच्च पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो उपस्थित हो, ऐसी दुकान को उस अवधि के लिए बन्द रखने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई ऐसा दंगा हो जाये या व्यक्तियों का अवैध जमाव हो जाये तो लाइसेंसधारी ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में बिना किसी आदेश के दुकान बन्द कर देगा।

अध्याय–10
अपराध और शास्ति

धारा–60.अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, कब्जा, विक्रय आदि के लिए शास्ति–

1. जो व्यक्ति इस अधिनियम का या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश का अथवा इसके अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके–

   क. चरस से भिन्न किसी मादक वस्तु का आयात, निर्यात या परिवहन करता है या उसको अपने कब्जे में रखता है, या

   ख. भांग (कैनेबिस सैटाइवा) की खेती करता है, या

   ग. भांग (कैनेबिस सैटाइवा) के किसी ऐसे भांग का संग्रह या विक्रय करता है, जिससे कोई मादक भेशज निर्मित किया जा सकता है, या

   घ. कोई आसवनी, यवासवनी या द्राक्षासवनी निर्मित करता है या चलाता है, या

   ड. किसी प्रकार का कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए प्रयुक्त करता है या अपने पास या अपने कब्जे में रखता है, या

   च. इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त, स्थापित या चालू किसी आसवनी, यवासवनी, द्राक्षासवनी या भाण्डारगार से कोई मादक वस्तु हटाता है, या

   छ. विक्रय के लिए किसी शराब को बोतल में बंद करता है, या

   ज. धारा 61 में व्यवस्थित दशा के सिवाय किसी मादक वस्तु का विक्रय करता है,

झ. धारा 42 के अधीन अधिसूचित क्षेत्रों में ताड़ी पैदा करने वाले वृक्षों से ताड़ी चुआता है या निकालता है,

तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो दो वर्श तक हो सकता है और अर्थदण्ड दिया जायेगा जो खण्ड झ के अधीन अपराध की स्थिति में ऐसे उत्पाद शुल्क की धनराशि जो, यदि ऐसी मादक वस्तु के संबंध में इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अनुसार या इसके अधीन प्राप्त लाइसेंस, परमिट या पास के अनुसार कार्यवाही की गयी होती तो उद्ग्रहणीत होती, के दस गुने से कम न होगा और किसी अन्य स्थिति में ऐसे उत्पाद–शुल्क की धनराशि के दस गुने या पांच हजार रूपये से, जो भी अधिक हो कम न होगा।

2. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश या इस अधिनियम के अधीन प्राप्त किसी लाइसेंस, परमिट या पास का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का निर्माण करता है, उसे कारावास का जो छः मास से कम नहीं होगा और जो तीन वर्श तक हो सकता है दण्ड दिया जायेगा और अर्थदण्ड भी दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

3. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश का उल्लंघन करके किसी मादक वस्तु का उपभोग करता है उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा–60 क. कोकीन से सम्बन्धित कोई अपराध करने के स्थान का प्रयोग करने पर शक्ति { } निकाल दिया गया।

धारा–60 ख. कोकीन से सम्बन्धित अपराधों से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति{ } निकाल दिया गया।

धारा–61 इक्कीस वर्श से कम आयु के व्यक्तियों के साथ अवैध रूप से बेचने अथवा इक्कीस वर्श से कम आयु के व्यक्तियों या महिलाओं को सेवायोजित करने के

लिए शक्ति–यदि कोई लाइसेंस प्राप्त विक्रेता अथवा उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति–

क. धारा 22 का उल्लंघन करके कोई शराब या मादक भेशज किसी ऐसे व्यक्ति को बेचता है या देता है जो स्पश्टतः इक्कीस वर्श से कम आयु का हो, या

ख. धारा 23 का उल्लंघन करके अपने लाइसेंस प्राप्त भू–गृहादि के किसी भाग में जिसका उल्लेख उक्त धारा में किया गया है, इक्कीस से कम आयु के किसी व्यक्ति को या किसी महिला को, सेवायोजन में रखता है अथवा सेवायोजित करने की अनुज्ञा देता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो एक हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा– 62 विकृत स्प्रिट को मानव उपभोग के योग्य बनाने के लिए शास्ति–

जो कोई किसी ऐसी स्प्रिट को, चाहे वह भारत में निर्मित हुई हो या नहीं, जो विकृत हो गयी हो, मानव उपभोग के योग्य बनाता है या बनाने का प्रयास करता है या कब्जे में कोई ऐसी विकृत स्प्रिट रखता है जो मानव उपभोग के योग्य बनायी गयी हो या जिसके संबंध में उसे इस योग्य बनाने का कोई प्रयास किया गया हो तो उसे ऐसी अवधि के लिए जो छः माह से कम नहीं होगी और जो तीन वर्श तक हो सकती है कारवास का दण्ड दिया जायेगा और यह अर्थदण्ड से भी जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दन्डनीय होगा।

स्पश्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ यह उपधारणा की जायेगी कि कोई स्प्रिट जिसके बारे में यह साबित हो जाये कि उसमें किसी मात्रा में विकारक तत्व हैं, विकृत स्प्रिट है या उसमें विकृत स्प्रिट मिला है या वह विकृत स्प्रिट व्युत्पन्न है।

धारा–63. अवैध रूप से आयात की गयी मादक वस्तु आदि को कब्जे में रखने के लिए शास्ति–

जो कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के कोई मादक वस्तु किसी परिमाण में अपने कब्जे में यह जानते हुए कि उसे अवैध रूप से आयात किया गया है, उसका परिवहन किया गया है या उसे निर्मित किया गया या यह जानते हुए कि उस पर विहित उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, रखे तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो एक वर्श तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

धारा–64 लाइसेंसधारी या उसके सेवक द्वारा कतिपय कार्यों के लिए शास्ति–

जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस, परमिट या पास को धारक होते हुए हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए और उसकी ओर से कार्य करते हुए–

क. किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर जो इस प्रकार मांगने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत हो ऐसा लाइसेंस परमिट या पास प्रस्तुत नहीं करता है, या

ख. लाइसेंस, परमिट या पास की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करक जानबूझकर कोई ऐसा कार्य या कार्यलोप करता है जिसके संबंध में इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्ध न हो, या

ग. ऐसे मामले, जिसके लिए धारा 60 में उपबन्ध है, से भिन्न किसी मामले में धारा 40 के अधीन बनाये गये किसी नियम का जानबूझ कर उल्लंघन करता है उसे,

प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अर्थदण्ड, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जायेगा।

धारा–64 क. लाइसेंस प्राप्त विक्रेता या निर्माता द्वारा अपमिश्रण आदि के लिए शास्ति–

1. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाइसेंस धारक होते हुए, या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए अपने द्वारा विक्रीत या निर्मित मादक वस्तु में कोई हानिकारक भेशज या कोई अनुपयुक्त तत्व जिससे उसकी वास्तविकता या आभाशित मादकता या सान्द्रता बढ़ने की संभावना हो या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा निशिद्ध कोई पदार्थ मिलाता है या मिलाने की अनुज्ञा देता है तो जब ऐसा मिश्रण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 के अधीन अपमिश्रण के अपराध की कोटि में न आता हो, उसे कारावास का दण्ड जो छः मास से कम न होगा और जो तीन वर्श तक हो सकता है और अर्थदण्ड भी, जो एक हजार रूपये से कम न होगा और जो दो हजार तक हो सकता है, दिया जायेगा।

2. जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी मादक वस्तु के विक्रय या निर्माण के लिए लाइसेंस धारक होते हुए या ऐसे धारक के सेवायोजन में होते हुए किसी ऐसी शराब जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह देशी शराब है, विदेशी शराब के रूप में विक्रय करता है या विक्रयार्थ रखता है या प्रदर्शित करता है उसे कारावास का दण्ड जो तीन वर्श तक हो सकता है और अर्थदण्ड जो दो हजार रूपये तक हो सकता है, दिया जायेगा।

   प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड निम्नलिखित से कम न होगाः–

   (क) प्रथम अपराध के लिए तीन मास का कारावास और दो सौ रूपया का अर्थदण्ड, और

   (ख) प्रत्येक द्वितीय और अनुवर्ती अपराधों के लिए छः मास का कारावास और पांच सौ रूपये का अर्थदण्ड।

धारा–65 कैमिस्ट की दुकान आदि में उपभोग करने के लिए शास्ति–

1. यदि कोई केमिस्ट, औशधि विक्रेता, औशधिक या कोई औशधालय रखने वाला किसी ऐसी मादक वस्तु को जिसे यथार्थ रूप में औशधीय प्रयोजन के लिए औशधियुक्त न किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके व्यवसाय में सेवयोजित न हो, अपने व्यवसाय के भू–गृहादि में उपभोग किये जाने की अनुज्ञा देता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो छः माह तक हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो दो हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।
2. यदि कोई व्यक्ति जो पूर्ववत् प्रकार से सेवायोजित न हो ऐसे भू–गृहादि में किसी ऐसी मादक वस्तु का उपभोग करता है तो उसे अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है।

धारा–66 कर्तव्य पालन करने से इंकार करने पर आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति–

किसी ऐसे आबकारी अधिकारी को, जो बिना वैध कारण के अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने से परिविरत हो जाये या उनका पालन करने से इंकार कर दे या उनका पालन न करे जब तक आबकारी आयुक्त द्वारा उसे ऐसा करने की अभव्यक्ति रूप में लिखित अनुज्ञा न दी गयी हो या जब तक उसने अपने वरिश्ठ अधिकारी को ऐसा करने के अपने अभिप्राय का दो माह का नोटिस न दे दिया हो, कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह क हो सकता है या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, या दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

धारा–67 क्षोभकारी तलाशी आदि लेने वाले आबकारी अधिकारी के लिए शास्ति–

यदि कोई आबकारी अधिकारी–

(क) सन्देह के उचित कारणों के बिना किसी स्थान में प्रवेश करता है, उसका निरीक्षण करता है या उसकी तलाशी लेता है अथवा उसमें प्रवेश करवाता है, उसका निरीक्षण करवाता है या उसकी तलाशी लिवाता है, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य किसी पदार्थ को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने के बहाने किसी व्यक्ति की किसी सम्पत्ति को क्षोभकारी और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करता है, या

(ग) किसी व्यक्ति को क्षोभकारी या अनावश्यक रूप से निरूद्ध करता है उसकी तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है तो उसे ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह या अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच सौ रूपये अथवा दोनों दण्ड दिये जायेंगे।

धारा–68. ऐसे अपराधों के लिए शास्ति जिनकी अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो–

जो व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये आदेश के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में किसी कार्य का या साभिप्राय कार्य लोप का जिसकी इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो दोशी हो, उसे प्रत्येक कार्य या कार्यलोप के लिए अर्थदण्ड दिया जायेगा जो पांच हजार रूपये से कम नहीं होगा और जो दस हजार रूपये तक हो सकता है।

धारा–69 पूर्व दोश सिद्वि के पश्चात बर्द्धित दण्ड–

यदि कोई व्यक्ति धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 65 के अधीन या उन धाराओं के उपबन्धों के अधीन जैसे कि वे समय–समय पर थे दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले सिद्व दोश ठहराये जा चुकने के पश्चात इन धाराओं में से किसी धारा के अधीन दण्डनीय अपराध करता है और सिद्व दोश ठहराया

जाता है तो वह उस दण्ड से दुगुना दण्ड पाने का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन पहली दोश सिद्वि पर आरोपित किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि धारा 60 की उपधारा (1) या धाारा 63 या धारा 65 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोश सिद्वि की स्थिति में अर्थदण्ड सहित कम से कम तीन मास की अवधि के कारवास का दण्ड दिया जायेगा और धारा 60 की उपधारा (2) या धारा 62 के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिए दोश सिद्वि की स्थिति में अर्थ दण्ड सहित कम से कम एक वर्श की अवधि के कारावास का दण्ड दिया जायेगा।

अग्रेत्तर प्रतिबंध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसे अपराध के लिए, जिस पर अन्यथा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 के अधीन सरसरी तौर पर विचार किया जा सकता हो, इस प्रकार विचार किये जाने में कोई रूकावट नहीं डालेगी।

धारा–69 क. कतिपय अपराधों करने से परिवर्तन के लिए प्रतिभूति की मांग करना–

1. जब कभी कोई व्यक्ति धारा 60 की उपधारा 1 के खण्ड–ख, खण्ड–घ, खण्ड–ड. या खण्ड छः या उपधारा 2 या धारा 62 के उपबन्धों के अधीन दण्डनी किसी अपराध के लिए सिद्ध दोश हो, तो ऐसे व्यक्ति को दोशी सिद्ध करने वाला न्यायालय उसे दण्डादेश देते समय यह आदेश दे सकता है कि वह तीन वर्श से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसा वह निर्देश दे, उक्त उपबन्धों के अधीन दण्डयीन किसी अपराध को करने से परिवर्जन के लिए प्रतिभूतियों सहित अथवा बिना प्रतिभूतियों के ऐसी धनराशि का जो उसके साधनों के अनुपात में हों, एक बन्ध–पत्र निश्पादित करें।
2. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 ई0 अधिनियम संख्या 2, 1974 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे बन्ध–पत्र से सम्बद्ध समस्त विशयों पर लागू होंगे मानों कि वह बन्ध–पत्र शान्ति बनाये रखने के लिए उक्त संहिता की धारा 106 के अधीन दिये गये आदेश से निश्पादित बन्ध पत्र हों।

धारा– 69 ख. दुश्प्रेरण के लिए शास्ति–

जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुश्प्रेरण करता है उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, दोश सिद्धि पर ऐसे दुश्प्रेरण के लिए वही दण्ड दिया जायेगा जो मूल अपराध के लिए उपबन्धित है, चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुश्प्रेरण के फलस्वरूप दिया गया हो अथवा नहीं।

धारा– 69 ग. कम्पनियों द्वारा अपराध–

1. यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय उसका व्यवसाय चलाने के लिए कम्पनी का प्रभारी तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो और साथ ही कम्पनी भी अपराध के दोशी समझी जायेगी और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा।

2. उपधारा 1 में दी गयी किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, मैनेजिंग एजेन्ट, सेकेटरीज एवं ट्रेजरर्स अथवा अधिकारी भी उस अपराध का दोशी माना जायेगा तथा तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पश्टीकरण– इस धारा के प्रयाजनों के लिए–

(ए) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ भी है, और

(बी) फर्म के संबंध में 'निदेषक' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

धारा–70 अपराधों का संज्ञान–

1. कोई मजिस्ट्रैट तब तक कि–

   ए. उसकी अपनी जानकारी या सन्देह न हो अथवा किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाये धारा 60 (धारा 63, धारा 64क) या धारा 65 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, या

   बी. कलेक्टर या उसके द्वारा सामान्य या विशेश आदेश द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी आबकारी अधिकारी द्वारा परिवाद या रिपोर्ट न की जाये धारा 64, धारा 66, धारा 67 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, संज्ञान न करेगा।

2. राज्य सरकार की विशेश स्वीकृति के बिना कोई मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा जब तक कि अभियोजन उस दिनांक के जब तक अपराध किया जाना अभिकथित हो, पश्चात् एक वर्श के भीतर न संस्थित किया जाये।

धारा–71 कुछ मामलों में अपराधों के किये जाने के संबंध में उपधारणा–

धारा 60 के अधीन प्रत्येक अभियोजन में जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न कर दिया जाये, यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त व्यक्ति ने निम्नलिखित सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन दण्डनीय अपराध किया है–

क. किसी मादक वस्तु या

ख. ताड़ी से भिन्न किसी मादक वस्तु के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के किसी भभके, बर्तन, औजार या उपकरण, या

ग. किन्हीं ऐसे सामानों, जिस पर किसी मादक वस्तु के निर्माण के संबंध में प्रकिया की गयी हो या जिनसे कोई मादक वस्तु निर्मित की गयी हो, जिन्हें अपने कब्जे में रखने के संबंध में वह कोई संतोशजनक कारण बताने में असमर्थ हो,

और इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस, परमिट या पास का धारक तथा वास्तविक अपराधी भी धारा 60, धारा 62, धारा 63 या धारा 64 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए, जो उसके सेवायोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, दण्ड का भागी होगा मानों उस अपराध को उसने स्वयं किया हो, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि ऐसे अपराध को किये जाने से रोकने के लिए उसे सभी सम्यक् और उचित पूर्वोपाय किये थे–

प्रतिबंध यह है कि सिवाय उस दशा में जब कि अर्थदण्ड का भुगतान करने में चूक की जाय, वास्तविक अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति को कारावास का दण्ड न दिया जायेगा।

धारा–71 क. क्षमा आदि से संबंधित उपबन्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों पर लागू होंगे–

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 306 और 308 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त संहिता की धारा 306 में उल्लिखित अपराधों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

धारा–72 कौन सी वस्तु जब्त किये जाने के योग्य होंगी–

1. जब कभी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया हो तो–

   क. ऐसी प्रत्येक मादक वस्तु जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया गया हो,

   ख. ऐसा प्रत्येक भभका, बर्तन, औजार या उपकरण और समस्त सामान जिनके द्वारा उक्त अपराध किया गया हो,

   ग. प्रत्येक मादक वस्तु जो विधिपूर्वक आयात की गयी हो, जिसका परिवहन किया गया हो, जो निर्मित की गयी हो, कब्जे में रखी गयी हो या

खण्ड–क के अधीन जब्त की जाने योग्य किसी मादक वस्तु के साथ–साथ या उसके अतिरिक्त बेच दी गयी हो,

घ. प्रत्येक पात्र सवेश्टन और आवरण जिसमें यथापूर्वोक्त कोई मादक वस्तु या कोई सामान, भभका, बर्तन, औजार या उपकरण हो या ऐसे पात्र या संवेश्टन की किसी अन्य अन्तर्वस्तु यदि कोई हो के साथ पाया जाये और

ड. प्रत्येक पशु, गाडी, जलयान या अन्य वाहन जो ऐसे पात्र या संवेश्टन में लाने ले जाने के लिए प्रयोग किया जाये, जब्त किये जाने योग्य होगा।

2. जहां इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किसी वस्तु या पशु का अधिग्रहण किया जाये और कलेक्टर का ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे यह समाधान हो जाये कि कोई अपराध किया गया है जिसके कारण ऐसी वस्तु या पशु उपधारा 1 के अधीन जब्त किये जाने योग्य हो गया है वहां वह ऐसी वस्तु या पशु को जब्त करने का आदेश दे सकता है चाहे ऐसे अपराध के लिए अभियोजन संस्थित किया गया हो या नहीं ?

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) में निर्दिश्ट किसी वस्तु (मादक वस्तु को छोड़कर) या पशु की स्थिति में इसके स्वामी को विकल्प दिया जायेगा कि वह वस्तु या पशु की जब्ती के बदले में उसके अभिग्रहण के दिनांक को उसका जो बाजारी मूल्य रहा हो उससे अधिक ऐसा अर्थदण्ड दे, जिसे कलेक्टर पर्याप्त समझे।

3. जहां अधिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिग्रहीत वस्तु का जिसके अन्तर्गत कोई पशु, गाड़ी, जलयान या वाहन भी है, निरीक्षण करने पर कलक्टर की यह राय हो कि कोई ऐसी वस्तु या पशु शीघ्रता से क्षीण और दुर्बल या प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाला है या अन्यथा लोकहित में ऐसा करना समीचीन है वहां पर ऐसी वस्तु मादक वस्तु को छोड़कर या पशु को नीलामम द्वारा अन्य प्रकार से बाजार मूल्य पर बेचने का आदेश दे सकता है।

4. जहां कोई वस्तु या पशु को उपर्युक्त प्रकार से बेचा जाये, और

   क. उपधारा (2) के अधीन या उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन पर कलेक्टर द्वारा अन्ततोगत्वा जब्ती का आदेश न दिया जाये या बना रहने दिया जाये, या

   ख. उपधारा (7) के अधीन अपील पर दिये गये आदेश में ऐसा अपेक्षित हो, या

   ग. उस अपराध के लिए जिसके सम्बन्ध में वस्तु या पशु का अभिग्रहण किया जाये, अभियोजन संस्थित किये जाने की दशा में न्यायालय के आदेश से ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां विकय व्यय की कटौती करने के पश्चात् विकय आगम का भुगतान उसके हकदार व्यक्ति को किया जायेगा।

5. क. इस धारा के अधीन जब्ती का आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसे अभिगृहीत किया जाये

      1. ऐसे आधार सूचित करते हुए जिन पर इस प्रकार जब्ती प्रस्तावित है, कोई लिखित नोटिस,

      2. ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिश्ट किया जाये लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर, और

      3. उस विशय में सुनवाई का युक्तिक्कत अवसर, न दे दिया जाये।

   ख. किसी पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा यदि उसका स्वामी कलेक्टर के संतोशानुसार यह साबित कर दे कि पशु, गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का प्रयोग करके उसके स्वामी, अभिकर्ता, यदि कोई हो, और प्रभारी व्यक्ति की जानकारी या मौनानुमति के बिना, विनिशिद्व माल को ले जाने क लिए

किया गया था और इनमें से प्रत्येक ने इस प्रकार प्रयोग किये जाने के विरूद्ध सभी युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वाप्याय किये थे और इस उपबन्ध का कोई प्रतिकूल प्रभाव खण्ड (क) के उपबन्धों पर नहीं पड़ेगा।

6. जहां उपधारा (2) के अधीन दिये गये जब्ती के किसी आदेष के एक मास के भीतर कलक्टर को, इस निमित्त आवेदन पत्र दिये जाने पर या यथास्थिति, उक्त उपधारा के अधीन जब्ती से इनकार करने के आदेश से एक मास के भीतर अभिग्रहीत वस्तु या पशु के स्वामी को या उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से उसे अभिग्रहीत किया गया हो, कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से यह कारण बताने का नोटिस जारी करने के पश्चात कि क्यों न आदेश का पुनर्विलोकन किया जाये और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात कलेक्टर का यह समाधान हो जाये कि अभिलेख को देखने से ही यह प्रकट होता है कि आदेश में कोई भूल है जिसके अन्तर्गत विधि सम्बन्धी भूल भी है, वहां वह पुनर्विलोकन करके ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

7. उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन जब्ती के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जो ऐसा आदेश सूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, ऐसे न्यायिक प्राधिकारी को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और न्यायिक प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस आदेश को जिसके विरूद्ध अपील की जाये, पुश्टि, परिश्कार या विखण्डन करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जिसे वह उचित समझे।

8. जहां ऐसे अपराध के लिए जिसके सम्बन्ध में ऐसी जब्ती का आदेश दिया गया हो, अभियोजन संस्थित किया जाये, वहां उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वस्तु या पशु का निस्तारण न्यायालय के आदेश के अनुसार किया जायेगा।

9. इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया जब्ती का कोई आदेश ऐसे किसी दण्ड के आरोपण से निवारित नहीं करेगा जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन भागी हो।

धारा–73 जब्ती के संबंध में अग्रेतर उपबन्ध–

जब धारा 72 की उपधारा 1 के खण्ड क और ख में उल्लिखित कोई वस्तु ऐसी परिस्थितियों में पाई जाये जिनसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस वस्तु के संबंध में या उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या जब ऐसा अपराध किया गया हो और अपराधी अज्ञात हो या वह न मिल सके, तो कलेक्टर ऐसी वस्तु या उसके साथ पायी गयी या प्रयुक्त कोई अन्य वस्तु या पशु को जो धारा 72 की उपधारा 1 में की गयी व्यवस्था के अनुसार जब्त किये जाने योग्य है, जब करने के आदेश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा आदेश तब तक न दिया जायेगा जब तक कि प्रश्नगत वस्तु या पशु के जब्त किये जाने के दिनांक से एक माह की अवधि न बीत जाये या उस व्यक्ति की (यदि कोई हो), जो उसके सम्बन्ध में किसी अधिकार का दावा करे और उस साक्ष्य की (यदि कोई हो), जो वह अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत करे, सुनवाई न कर ली जाये।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि यदि प्रश्नगत वस्तु शीघ्रतापूर्वक और प्राकृतिक रूप से क्षय होने वाली हो या यदि कलेक्टर की यह राय हो कि प्रश्नगत वस्तु या पशु का विकय उसके स्वामी के लाभार्थ होगा तो कलेक्टर किसी भी समय उसका विकय किये जाने का निर्देश दे सकता है, और इस धारा के उपबन्ध ऐसे विकय के शुद्व आगम पर यथाशक्य लागू होंगे।

धारा–73 क. जब्त की गयी वस्तु को नश्ट करने के आदेश–

जहां धारा 72 या धारा 73 के अधीन कोई मादक वस्तु जब्त की जाये, वहां कलेक्टर, किसी न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यदि उसकी राय में ऐसा करना समीचीन हो, मादक वस्तु को नश्ट करने का आदेश दे सकता है, भले ही इस अधिनियम में कोई प्रतिकूत बात दी हो।

प्रतिबंध यह है कि मादक वस्तु की जब्ती के दिनांक से तीन मास समाप्ति के पश्चात ही, और वहां पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पत्र या जब्ती के आदेश के विरूद्ध अपील विचाराधीन हो, वहां इस संबंध में ऐसे पुनर्विलोकन या अपील पर दिये गये आदेश के अनुसार ही, नश्ट किया जायेगा।

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि मादक वस्तु का पर्याप्त नमूना साक्ष्यिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परिरक्षित किया जायेगा।

धारा– 74. अपराधी का शमन–

1. कोई आबकारी अधिकारी जो इस निमित्त राज्य सरकार या विशेश रूप से सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका लाइसेंस परमिट या पास धारा 34 के अधीन निरसित या निलम्बित किये जाने योगय हो या जिसके संबंध में युक्तियुक्त संदेह हो कि उसने धारा 64 या धारा 68 के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, यथास्थिति, ऐसे निरसन या निलम्बन के बदले में या किये गये अपराध के शमन के रूप में पांच हजार रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अधिगृहीत की गयी है, उस सम्पत्ति के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा अनुमानित मूल्य का भुगतान किये जाने पर उसे छोड़ सकता है।

1क.राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेश रूप से सशक्त कोई अधिकारी, राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेश आदेश के अधीन रहते हुए, अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पष्चात्, जहां अर्न्तग्रस्त मादक वस्तु का परिमाण

राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित परिमाण से अधिक न हो, वहां धारा 60 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या धारा 63 के अधीन, किसी अपराध, का या धारा 60 की उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का, शमन फीस के रूप में ऐसी धनराषि का जिसे वह उचित समझे और जो पचास रूपये से कम नहीं होगी और तीन सौ रूपये तक हो सकती है, भुगतान करने पर, शमन कर सकता है, यदि ऐसा कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया हो।

2. ऐसे व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या ऐसे मूल्य या दोनों का भुगतान कर दिये जाने पर उस व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, निर्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत समस्त सम्पत्ति छोड़ दी जा सकेगी और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी न जारी रखी जायेगी। शमन के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार करने को दोश मुक्ति समझा जायेगा और किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध उसी कार्य के अभिदेश में कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा–74 क. शास्ति आरोपण–

1. यदि इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस परमिट या पास का धारक या ऐसे धारक का कोई कर्मचारी लाइसेंस,परमिट या पास की किन्हीं शर्तों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी पांच हजार रूपये से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकता है।

2. उपधारा (1) के अधीन शास्ति आरोपित करने का कोई आदेश नहीं दिया जायेगा जब कि लाइसेंस, परमिट या पास के धारक या सम्बद्ध कर्मचारी को–

   क. उन धाराओं को जिन पर इस धारा के अधीन कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है, सूचित करते हुए लिखित नोटिस न दे दी गयी हो।

ख. ऐसे समय के भीतर, जो नोटिस में विर्निदिश्ट किया जाये, ऐसे आधार के विरूद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन करने की युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है, और

ग. मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

3. कोई व्यक्ति जिस पर उपधारा 1 के अधीन शास्ति आरोपित की जाये इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उन्हीं तथ्यों पर अभियोजित नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय–11

प्रकीर्ण

धारा–75. औशधियुक्त पदार्थों के संबंध में अपवाद–

इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों की कोई बा सिवाय वहां तक जहां तक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा निर्देश दे, चिकित्सा व्यवसायियों, केमिस्टों, औशधि विकेताओं, औशधिकों या औशालय रखने वालों द्वारा औशधीय प्रयोजनों के निमित्त किसी वास्तविक औशधियुक्त पदार्थ का आयात किये जाने, निर्माण किये जाने, उसे कब्जे में रखे जाने, उसका विकय या संभरण किये जाने पर लागू न होगी।

धारा–76. व्यक्तियों तथा मादक वस्तुओं की इस अधिनियम के उपबन्धों से विमुक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति–

राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह विहित करना उचित समझे, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग की या किसी मादक वस्तु को इस अधिनियम के सभी उपबन्धों या उनमें से किन्हीं उपबन्धों के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियमों या उनमें से किन्हीं नियमों के प्रवर्तन से या तो संपूर्ण राज्य में या तदनन्तर्गत समाविश्ट किसी निर्दिश्ट क्षेत्र में या किसी निर्दिश्ट अवधि या अवसर के लिए पूर्णतः या अंशतः विमुक्त कर सकती है।

धारा–77. नियमों तथा अधिसूचनाओं का प्रकाशन–

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम तथा जारी की गयी समस्त अधिसूचनायें सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी और वे इस प्रकार प्रभावी होंगी मानों वे इस अधिनियम में ऐसे प्रकाशन के दिनांक से या ऐसे अन्य दिनांक से जो तदर्थ निर्दिश्ट किया जाये, अधिनियमित हुई हो। (प्रतिबंध यह है कि धारा या किसी निर्णय, डिकी या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के हाते हुए

भी राज्य सरकार द्वारा धारा 28 और 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 3514–ई/तेरह–331–78 दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और 1227 ई/तेरह– 332–78, दिनांक 17 अप्रैल, 1978 और उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा किये गये संशोधन 1 अप्रैल 1978 को और से प्रवृत्त होंगे और सदैव 1 अप्रैल, 1978 को और से प्रवृत्त समझे जायेंगे।)

(अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा में या किसी संविदा, निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा धारा 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी अधिसूचना संख्या 384 ई/तेरह–512–83, दिनांक 25 मई, 1983 पहली अप्रैल 1983 को और उसी दिनांक से प्रभावी होगी और सदैव से प्रभावी समझी जायेगी।)

धारा–78. कतिपय वादों पर रोक–

1. इस अधिनियम के या आबकारी राजस्व से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आदिश्ट किसी कार्य के विशय में क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के या किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा।

2. कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे वाद पर जो इस अधिनियम के अनुसरण में की गयी अथवा की गयी अभिकथित किसी बात के संबंध में सरकार के विरूद्ध विधिपूर्वक लाया जा सकता हो, विचारर्ण नहीं करेगा जब तक कि वह वाद परिवादित कार्य के दिनांक के पश्चात छः माह के भीतर संस्थित न किया जाये।

धारा–79. आबकारी आयुक्त की समय–समय पर प्रयोक्तव्य शक्तियां–

इस अधिनियम द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रदत्त कोई शक्ति समय–समय पर अवसरानुसार प्रयुक्त की जा सकती है।

.....

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम–1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधानमण्डल द्वारा पारित हुआ)

चलचित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों में दीवालों, भवनों तथा विज्ञाप–पटों पर मादक पान के विज्ञापन को प्रतिशिद्वि करने तथा उसमें सम्बद्ध विशयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्श में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायेगा

2. परिभाशाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) 'विज्ञापन' के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ या रंग से तैयार किया हुआ पदार्थ या रेखांकन या चित्रांकित है और ऐसे पदार्थ, रेखांकन या चित्रांकन का किसी सार्वजनिक स्थान में किसी दीवाल, भवन या विज्ञापन पट पर वितरण या प्रदर्शन अथवा चलचित्र प्रदर्शन, निआन साइन या अन्य प्रकार से प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न या प्रसारित करके प्रख्यापन भी है,

ख. 'आबकारी निरीक्षक' या अन्य 'आबकारी अधिकारी' का तात्पय्र संयुक्त प्रान्त अधिकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4,

1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त आबकारी निरीक्षक या अन्य आबकारी अधिकारी से है।

ग. 'मादक पान' के अन्तर्गत औशाध्ि या प्रसाधन सामाग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23, 1940) में यथा परिभाशित औशधि नहीं है।

3. मादक पान सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रतिशेध–कोई भी व्यक्ति किसी मादक पान के उपयोग के लिए निवेदन या उसे विकय के लिए प्रस्तुत करने वाला कोई विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित करायेगा।

स्पश्टीकरण– किसी ऐसे भू–गृहादि में, जहां मादक पान बनाया या बेचा जाता हो या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, किसी ऐसे साइन बोर्ड को, जिस पर केवल यह इंगित हो कि उस भू–गृहादि में ऐसा मादक पान बनाया या बेचा जाता है या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे भू–गृहादि में रखे गये या अनुरक्षित ऐसी मादक पान के सूचीपात्र या मूल्य–सूची को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं माना जायेगा।

4. उपधारणा– जहां धारा 3 का उल्लंघन करके मादक पान सम्बन्धी कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो, यह उपधारणा की जायेगी कि जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये जिस व्यक्ति की ओर से उसका प्रकाशन अभिप्रेत है, उस व्यक्ति ने उस विज्ञापन को प्रकाशित किया या कराया है।

5. सारवान वस्तुओं को जिसमें प्रकाशित विज्ञापन हो, निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति–

1. इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो–

क. किसी ऐसे स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जिन्हें वह आवश्यक समझें, किसी समय जो युक्तियुक्त हो, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

ख. किसी विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु की जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, अभिगृहीत और निरूद्ध कर सकता है।

ग. खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाये गये किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या कोई अन्य सारवान वस्तु की, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किये जाने का साक्ष्य मिल सकता है, परीक्षा कर सकता है और उसे अभिगृहीत कर सकता है।

2. जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत करता है, वहां ऐसे अभिग्रहण की सूचना तुरन्त मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और उसकी अभिरक्षा और निस्तारण के सम्बन्ध में दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2, 1974) के अध्याय 34 के उपबन्ध, उसमें निर्दिश्ट सम्पत्ति पर जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे–

6. शास्ति–धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्वदोश होने पर करावास का, जो छः मास तक हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दण्ड दिया जायेगा।

7. कम्पनियों द्वारा अपराध–

1. यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

   परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिए किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

2. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के आधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाये कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोशाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मोनानुमति से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का वह प्रबन्ध अभिकर्ता सचिव, कोशाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी, माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा।

स्पश्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए

क. 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी नियमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, तथा

ख. किसी फर्म के सम्बन्ध में 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

8. अपराधों का अन्वेशण–

1. कोई आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेशण कर सकता है, जो उस क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, और ऐसे अन्वेशण के बारे में उसकी शक्ति वही होगी, जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 3, 1974) के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय मामले में होती है और वह विशेशतया किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उक्त अन्वेशण कर सकता है।

2. अन्य बातों में गिरफ्तारी, तलाशी, वारंट, गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी और अपराधों के अन्वेशण से संबंधित उक्त संहिता के उपबन्ध, यथासंभव, इस अधिनियम के अधीन उनके संबंध में की गयी सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए पारित्राण–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशपित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

10. अपराधों का शमन करने की शक्ति–

1. जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसेक विरूद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि उस व्यक्ति ने किया है, शमन स्वरूप ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।
2. जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर संदिग्ध व्यक्ति यदि अभिरक्षा में हो, अन्मोचित कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।
3. इस धारा के उपबन्ध यहां भी लागू होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन या किसी अपराध के लिए दोश सिद्वि के विरूद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, और ऐसे मामले में इस धारा के अधीन ऐसे अपराध के शमन के फलस्वरूप यह अभियुक्त, जिसके प्रति अपराध का शमन किया जाये, दोशमुक्त हो जायेगा।

11. नियम बनाने की शक्ति– राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

12. निरसन और अपवाद–

1. उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1976) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
2. ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 (उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 33, 1975) के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल
संख्या 1498
देहरादूनःदिनांकःमार्च 12 , 2001.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन षक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल इस सम्बन्ध में प्रकाषित सभी पूर्व नियमों को, जहॉ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, अतिकमित करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उक्त अधिनियम की धारा–24 और 30 के अधीन नियत लाइसेंस फीस के आधार पर देषी षराब की फुटकर बिकी के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रतिफल और रीति अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (देषी षराब की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(एक) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देषी षराब की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 कही जायेगी ।

(दो) यह गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाशायेंः–जब तक विशय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य समय–समय पर यथा संषोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) देषी षराब में देषी स्प्रिट तथा मसालेदार देषी मदिरा भी सम्मिलित है, जिसकी एल्कोहल तीव्रता 32 प्रतिषत आयतन/आयतन होगी, जिसे उत्तरांचल की देषी मदिरा की फुटकर दुकानों से बेचा जायेगा ।

(ग) आबकारी वर्श का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलैण्डर वर्श के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्श से है,

(घ) परिवार का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), अवयस्क पुत्र/पुत्रों अविवाहित पुत्री/ पुत्रियां और इसमें आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं,

(ञ) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(च) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,

(छ) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा 24 के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देषी षराब की बिक्री के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्ष से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्श या उसके भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राषि से है,

(ज) न्यूनतम मास–वार प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिश्ट अनुदेषों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्श के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा उठाई जाने वाली प्रत्याभूत (मसालेदार देषी मदिरा के 32 प्रतिषत आयतन/आयतन के रूप में) देषी षराब की मात्रा से है,

(झ) वार्शिक प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य किसी आबकारी वर्श में किसी दुकान हेतु नियत मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 12गुने से है,

(ञ) न्यूनतम मासिक प्रतिभूति ड्यूटी का मतलब प्रतिफल की उस राषि से है जो अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत स्वीकृत एकान्तिक विषेशाधिकार के अन्तर्गत मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा पर अधिनियम की धारा–28 के साथ

पठित धारा–30 के अन्तर्गत 32 प्रतिषत आयतन/आयतन की देषी मसालेदार मदिरा पर राज्य सरकार द्वारा घोशित दर पर देय होगा ।

3. फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन–(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराषि के भुगतान के अधीन रहते हुए, देषी षराब की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिश्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा ।

(ख) भू–गृहादि के अंदर और उसके बाहर दोनों ही प्रकार से उपयोग के लिए मुहरबन्द बोतलों और पाली पाउचों में देषी षराब की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र दे0ष0 5–ग में स्वीकृत किया जायेगा ।

4. फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की षक्ति– राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिश्ट अनुदेषों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी । दुकानों की स्थिति समय–समय पर यथा संषोधित ''आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968'' के प्राविधानों के अनुसार होगी । जनपद की प्रत्येक दुकान के लिये न्यूनतम मासिक गारन्टीड मात्रा का निर्धारण भी लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

5. लाइसेंस की अवधि– लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्श अथवा उसके भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी ।

6. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राषि का भुगतान–प्रपत्र दे0ष0 5ग में लाइसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः–

(अ) दुकान के व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस के निम्नलिखित दरों पर अग्रिम भुगतान करने पर,

श्रेणी	वार्शिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की श्रेणी बल्क लीटर में (मसालेदार देषी मदिरा 32	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)

	प्रतिषत आयतन/आयतन के टर्म में)	
1.	12,000 तक	50,000/–
2.	12,001 से 30,000 तक	1,00,000/–
3.	30,001 से 60,000तक	2,00,000/–
4.	60,001 से 1,00,000तक	4,00,000/–
5.	1,00,001 से 1,50,000 तक	6,00,000/–
6.	1,50,001 से 3,00,000 तक	8,00,000/–
7.	300,001 एवं ऊपर ।	10,00,000/–

(ब) दो माह के बराबर मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राषि सरकारी खजाने में ब्याज रहित सिक्योरिटी के रूप में तथा एक माह की मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राषि के बराबर बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम जारी की गई हो व दुकान से सम्बन्धित सभी सरकारी देयों की भुगतान अवधि तक वैध हो, दुकान के व्यवस्थापन के 15 दिन के भीतर अथवा जारी वर्श के 31मार्च तक, जो भी पहले हो जमा कराई जायेगी । सिक्योरिटी की राषि का कम से कम 50 प्रतिषत भाग

दुकान व्यवस्थापन के समय व षेश बाद में उपरोक्तानुसार जमा कराया जायेगा ।

7. देषी मदिरा की तीव्रताः– 32 प्रतिषत एल्कोहल आयतन/आयतन की मसालेदार मदिरा।

8. अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन–(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक

समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पष्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे,

(ख)देषी मदिरा की फुटकर दुकानों की सूची जिनको लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकान–वार लाइसेंस फीस, धरोहर राषि, प्रतिभूति राषि और न्यूनतम प्रत्याभूत वार्शिक मात्रा व मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्युटी सहित, कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्षित की जायेगी,

(ग) लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में दिये जायेंगे ।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाषित होने के दिनांक से सात दिवस, से पूर्व न होगा ।

9. आवेदकों के लिए पात्रता की षर्तें– फुटकर देषी षराब की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित षर्तें अवष्य पूरी करनी होंगी, अर्थात्–

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो और दोनों भागीदार भारत के नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आवंटन के पष्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा । तथापि यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी के साथ अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दषा में उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं । दोनों भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोंनों सम्मिलित रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे ।

(ख) 21 वर्श की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,

(घ) निम्नलिखित की पुश्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित षपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा,

(एक) यह कि वह समय–समय पर यथा संषोधित उत्तर प्रदेष आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 या स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान

में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है ।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दषा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के कलेक्टर द्वारा जारी इस आषय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस स्वीकृत होने के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है ।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिकीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियेाजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि होगी, जैसा

कि बिन्दु तीन में उल्लिखित है या जो किसी संकामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्श से कम आयु का हो या महिला हो ।

(छह) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।

(सात) यह कि वह लाइसेंस की अवधि के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना लाइसेंस सबलैट अथवा स्थानान्तरित नहीं करेगा ।

(ञ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराषि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराषि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिषत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराषि का अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।

10. लाइसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति– देषी षराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(तीन)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

11. अनुज्ञापी का चयन :–

(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा ।

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से जांच के उपरान्त् उपयुक्त आवेदकों का दुकानवार चयन करेगी, इस प्रकिया के दौरान कमेटी

ऐसी जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है, जिसे वह ऊपर नियम–9 के प्राविधानों के पालन हेतु आवष्यक समझे ।

निरस्त किये गये प्रार्थना–पत्रों की भी एक सूची बनायी जायेगी, जिसमें प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के कारण अंकित किये जायेंगें।

अगर किसी दुकान के लिये एक से अधिक उपयुक्त आवेदक हो और उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी हो तो सब अन्य बातें समान होते हुए उत्तरांचल के आवेदक को सीधे प्राथमिकता दी जायेगी ।

जहां एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के हों तो कमेटी ऐसी दुकानों के लिए केवल उत्तरांचल के आवेदकों के मध्य ही लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करेगी । अन्य मामलो में जहां उत्तरांचल का कोई आवेदक न हो, सभी आवेदकों में से लाइसेंसी का चयन पब्लिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

आवेदक यह सुनिष्चित करेंगें कि पब्लिक लाटरी के दौरान स्वयं या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे उसे अपने चयन/व्यवस्थापन की जानकारी मिल सके ।

यदि चयनित आवेदक अपेक्षित धनराषि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करनेमें अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के लिये जमा की गयी धरोहर राषि लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी की राषि जब्त कर लेगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।

स्पश्टीकरण :– कोई आवेदक उत्तरांचल का निवासी तब ही माना जायेगा, यदि वह निम्नलिखित षर्तों में से कम से कम एक को पूरा करता होः–

;पद्ध अगर वह राज्य के डोमेसाइल होने अथवा राज्य का स्थाई निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है ।

;पपद्ध अगर वह राज्य के किसी वार्ड की वोटर लिस्ट की ऐसी प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर देता है जिसमें उसका नाम सम्मिलित हो ।

;पपपद्ध अगर वह उत्तरांचल में अपने जन्म का प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उत्तरांचल का निवासी होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देता है ।

;पअद्ध अगर वह उत्तरांचल में जारी अपने राषनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है ।

;अद्ध अगर वह उत्तरांचल में जारी अपना ड्राइविंग लाइसेंस राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है । या

(vi) इसके अतिरिक्त वह उत्तरांचल निवासी होने का कोई और अभिलेख प्रस्तुत कर देता है जिससे सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी संतुश्ट हो जायें ।

;गद्ध एक जनपद में एक व्यक्ति को अधिकतम तीन दुकानें ही आवंटित की जा सकती हैं ।

;घद्ध अगर किसी विषिश्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा । पुर्नव्यवस्थापन की प्रकिया के दौरान पहला व्यवस्थापन पूरा होने के तुरन्त बाद चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को जो प्रारम्भिक जांच में सही पाये गये परन्तु जिन्हें कोई दुकान आवंटित नहीं हो पायी, अवषेश दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में नये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देगी । इस स्थिति में किसी दुकान के आवंटन हेतु पूर्व में जमा राषि को नयी दुकानों के आवेदन पत्र हेतु जमा किया गया माना जायेगा ।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति दुकान का व्यवस्थापन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार करेगी और यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेसिंग अधिकारी व्यवस्थापित दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन हेतु इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगें।

12. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण– जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अंदर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते दुकानवार प्रतिभूति धनराषि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राषि का विवरण होगा ।

13. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराषि का भुगतान– यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह नियम 6(ब) की व्यवस्था के अनुसार अपने चयन की सूचना पाने के दो दिन (अधिकतम अगले दिवस 5.00बजे सायं तक) के अंदर लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की आधी धनराषि जमा करेगा और प्रतिभूति की अवषेश धनराषि 15 दिन के अंदर अथवा 31 मार्च तक जो भी पहले हो जमा करेगा । यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराषि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराषि लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की राषि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा । व्यतिकमी को भविश्य में प्रदेष में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा । इस नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यतिकमियों की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा।

14 षराब का उठानः– इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी देषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय उद्ग्रहीत किए जाए, करने के पष्चात् जनपद के देषी मदिरा के बंधित गोदाम से देषी षराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा । लाइसेंसधारी मॉग पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व जिले में बंधित गोदाम के आबकारी निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह देषी षराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है। बंधित गोदाम का आबकारी निरीक्षक जिसके पास मॉग–पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्राप्ति का समय व तिथि अंकित करेगा तथा मांगी गई षराब की मात्रा की आपूर्ति मॉग पर प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर सुनिष्चित करेगा । यदि जनपद के देषी मदिरा के बंधित गोदाम में निकासी हेतु मदिरा उपलब्ध नहीं होती है तो जिला आबकारी अधिकारी देषी षराब की मांगी गई मात्रा की आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था ऐसे मांग पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर राज्य के किसी अन्य जिले से जहॉ ऐसी आपूर्ति उपलब्ध हो, करेगा ।

15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानः– अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है । अन्तिम कार्य दिवस के उपरान्त मदिरा की जो मात्रा छूट जायेगी उसे जब्त कर लिया जायेगा । परन्तु उन मामलों में जहॉ लाइसेंसी ने निकासी हेतु माह के भीतर इन्डेन्ट व मदिरा का मूल्य सभी देय डयुटी टैक्सों आदि सहित जमा करा दिया हो, जिला आबकारी अधिकारी अगले माह की 3 तारीख तक मदिरा के उठान की अनुमति दे सकते हैं ।

उन मामलों में जहां अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो, अनुज्ञापी को मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा के 20 प्रतिषत के बराबर मदिरा के उठान की अनुमति, दुकान के लिए निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का अतिरिक्त भुगतान करने के उपरान्त् दे दी जायेगी ।

उन मामलों में जहॉ अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120 प्रतिषत से अधिक मदिरा का उठान करना चाहेगा उसे यह अनुमति बढ़ी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचित करें, अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी जमा करनी होगी ।

16. न्यूनतम गारन्टीड मासिक अभिकर जमा करना और सिक्योरिटी राषि में कमी को पूरा करने में विफलता के परिणाम :– लाइसेंसधारी देषी मदिरा पर देय मासिक गारन्टीड ड्यूटी की सम्पूर्ण राषि का भुगतान माह की 25 तारीख तक कर देंगे । अगर वह सम्पूर्ण देय ड्यूटी की राषि माह की 25 तारीख तक जमा करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी जमा न करी गयी राषि को प्रतिभूति की राषि में से समायोजित करेगा और तत्काल लाइसेंसधारी को प्रतिभूति की राषि में आयी कमी को अगले माह की 5 तारीख तक पूरा करने हेतु कहेगा। अगर लाइसेंसधारी प्रतिभूति की राषि में आयी कमी को अगले माह के 5 तारीख तक पूरा करने में असफल रहता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूर्व अनुज्ञापी के रिस्क पर दूकान/दुकानों को पुर्नव्यवस्थापित कराने हेतु स्वतंत्र होंगे ओर इस पुर्नव्यवस्थापन के फलस्वरूप राजस्व में आयी किसी कमी को पूर्व अनुज्ञापी से भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूला जा सकेगा।

17. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

18. लाइसेंस कीसमाप्ति पर बचे अवषेश स्टाक का निस्तारण– लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर देषी षराब के अवषेश और अविकीत मात्रा की घोशणा लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे षाम तक जिले के देषी मदिरा बंधित गोदाम को लौटा दी जायेगी । लाइसेंसधारी, केवल कय मूल्य जिसमें षुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा । ऐसे स्टाक का निस्तारण इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के आदेषों के अनुरूप किया जायेगा ।

19. अनुज्ञापन का अभ्यर्पण– अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा–36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास का लिखित नोटिस देकर कर सकता है । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवषेश आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा । लाइसेंस प्राधिकारी अविलम्ब आबकारी वर्श की षेश अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा । इस पुर्नव्यवस्थापन में आयी राजस्व की किसी कमी को पूर्व लाइसेंसी से भू–राजस्व को बकाये के समान वसूलनीय होगा ।

20. अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और षास्तियॉः–(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल या पाउच पाया जाय, जिस पर षुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित षुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है ।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की षराब या मादक औशधि (जिसके लिए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत षपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औशधियों मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है, और,

(ड.) यदि अनुज्ञापी किसी मास के दौरान मासिक न्यूनतम प्रत्याभूति ड्यूटी जमा करने में विफल रहता है और प्रतिभूति राषि में आई कमी को निर्धारित अवधि में जैसा कि ऊपर नियम–16 में वर्णित है, को पूरा करने में विफल रहता है ।

(2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेन्स प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जब्त कर लेगा । लाइसेन्स प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पश्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा । तत्पष्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को, यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर देने के पष्चात् समुचित आदेष पारित करेगा ।

(3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविश्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

(5) उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापनधारक पर तत्सम्बन्धी विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी । लाइसेंस षर्तों के

अन्य उल्लंघनों के मामले तत्सम्बन्धी एक्ट व नियमों के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा तय किये जायेंगे ।

21. विखण्डन और अपवाद–(1) अद्यतन संषोधित उत्तर प्रदेष आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 जो आबकारी आयुक्त की अधिूसचना संख्या 10702/दस–97बी–लाइसेंस–91–92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाषित की गयी एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिश्ट नियम के प्राविधानों के अधीन देषी षराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्श 2000–01 के लिए पहले से निश्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू रहेगा ।

(सुभाश कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

टिप्पणी : –

1. उत्तरांचल गजट, अतिरिक्त भाग– प्ट, खण्ड (क) दि0 12 मार्च 2001 में प्रकाशित, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम–2001, निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधित किये गये हैं : –

(1) पहला संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 27 मार्च 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम–2001।

(2) दूसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 जुलाई 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम–2001।

(3) तीसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001 (देखिये आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 1194/एस0टी0 दि0 14 सितम्बर 2001)।

(4) चौथा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम–2001 (देखिये आबकारी आयुक्त की अधिसूचना सं0 1195/एस0टी0 दि0 14 सितम्बर 2001)।

(5) पांचवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 27 अप्रैल 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम–2002।

(6) छठा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 28 अप्रैल 2003 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (छठा संशोधन) नियम–2003।

(7) सातवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– प्ट, खण्ड–(क) दि0 10 मई 2006 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (सातवां संशोधन) नियम–2004।

(8) आठवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियम–2005।

(9) नौवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियम–2005।

(10) दसवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– प्ट, खण्ड–(क) दि0 10 मई 2006 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (दसवां संशोधन) नियम–2006।

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5 ग हेतु आवेदन पत्र)

आवेदन पत्र

पंजीकरण संख्या ..... आबकारी वर्ष
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)
आवेदित दुकान का विवरण

1. जनपद का नाम .....
2. दुकान का नाम ..... थाना ..... तहसील .....
3. अनुज्ञापन शुल्क रू0 ..... शब्दों में ..... (अंकों में) .....
4. मदिरा की..... से..... तक के लिये निर्धारित अधिभार की राशि रू0..... .....
5. धरोहर राशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में).....
6. प्रतिभूति धनराशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में).....

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :

3. लिंग : पुरूष/महिला :
4. स्थायी पता :

दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित फोटोग्राफ :
मोहल्ला ग्राम	
थाना	
तहसील	
जनपद/राज्य	
दूरभाष	

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण : –
   (अ) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक.....
   (ब) बैंक का नाम .....

उपरोक्त विवरण मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/कोआपरेटिव सोसायटी/संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पुत्र/पत्नी/पुत्री ....निवासी .... का देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकान..... ..... हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक.....पर दर्ज किया गया।

दिनांक : –
आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यालय सील अधिकृत के हस्ताक्षर
समय : –

उत्तरांचल षासन
कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल
संख्या 1499
देहरादूनःदिनांकःमार्च 12 , 2001.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन षक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल इस सम्बन्ध में प्रकाषित सभी पूर्व नियमों को, जहॉ तक वे इस नियमावली से असंगत हो, अतिकमित करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उक्त अधिनियम की धारा–24। और 30 के अधीन नियत लाइसेंस फीस के आधार पर देषी षराब की फुटकर बिकी के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए लाइसेंस देने के सम्बन्ध में प्रतिफल और रीति अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(एक) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 कही जायेगी ।

(दो) यह गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाशायेंः–जब तक विशय या संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,

(क) अधिनियम का तात्पर्य समय–समय पर यथा संषोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) ''विदेषी षराब'' का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गयी स्प्रिट या मदिरा अथवा भारत में बनायी गयी इस प्रकार परिश्कृत या रंजित स्प्रिट या मदिरा, जिससे कि वह सुगन्ध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के

सदृश्य मालूम हो और उसमें माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा (लिक्युअर) सम्मिलित है ।

(ग) बियर में एल, स्टाउट, पोर्टर तथा माल्ट से बनी अन्य सभी किण्वत षराब सम्मिलित है ।

(घ) आबकारी वर्श का तात्पर्य एक अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कैलैण्डर वर्श के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्श से है,

(ञ) परिवार का तात्पर्य दम्पत्ति (पति या पत्नी), अवयस्क पुत्र/पुत्रो, अविवाहित पुत्री/ पुत्रियां और इसमें आश्रित माता–पिता सम्मिलित हैं,

(च) प्रपत्र का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(छ) लाइसेंस प्राधिकारी का तात्पर्य जिले के कलेक्टर से है,

(ज) लाइसेंस फीस का तात्पर्य अधिनियम की धारा–24। के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से विदेषी षराब और बियर की बिक्री के एकान्तिक विषेशाधिकार के लिए राज्य सरकार के परामर्ष से आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर सम्पूर्ण आबकारी वर्श या उसके भाग के लिए लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राषि से है,

(झ) न्यूनतम मास–वार प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य आबकारी आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिश्ट अनुदेषों के अनुसार लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्श के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिए उसके द्वारा एफ0एल0–2 से उठाई जाने वाली बोतलों में (750मिलीलीटर धारिता की) विदेषी षराब की मात्रा से है,

(न) वार्शिक प्रत्याभूत मात्रा का तात्पर्य किसी आबकारी वर्श में किसी दुकान हेतु नियत मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 12गुने से है,

(ञ) न्यूनतम मासिक प्रतिभूति ड्यूटी का मतलब प्रतिफल की उस राषि से है जो अधिनियम की धारा 24। के अन्तर्गत स्वीकृत एकान्तिक विषेशाधिकार के अन्तर्गत समस्त ''मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा'' पर अधिनियम की

धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विदेषी दिरा पर घोशित ड्यूटी की दर पर देय होगी ।

3. फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन–(क) इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराषि के भुगतान के अधीन रहते हुए, विदेषी षराब और बियर की बिक्री के लिए फुटकर दुकान का इसमें विनिर्दिश्ट निर्धारित फीस प्रणाली द्वारा व्यवस्थापन या पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा ।

(ख) भू–गृहादि के बाहर उपयोग के लिए मुहरबन्द बोतलों में विदेषी षराब और बियर की फुटकर बिक्री के लिए लाइसेंस प्रपत्र वि0म0–5–ग में स्वीकृत किया जायेगा ।

4. फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के निर्धारण की षक्ति– राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य या विनिर्दिश्ट अनुदेषों के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी । दुकानों की स्थिति समय–समय पर यथा संषोधित ''आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968'' के प्राविधानों के अनुसार होगी ।

5. लाइसेंस की अवधि– लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्श अथवा उसके भाग, जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी ।

6. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राषि का भुगतान–प्रपत्र वि0म0–5ग में लाइसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः–

(अ) दुकान के व्यवस्थापन के समय लाइसेंस फीस के निम्नलिखित दरों पर अग्रिम भुगतान करने पर,

श्रेणी	वार्शिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (श्रेणी 750एम0एल0बोतल में विदेषी मदिरा)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)

1.	6,000 बोतल तक	50,000/–
2.	6,001 से 12,000बोतल तक	1,00,000/–
3.	12,001 से 25,000बोतल तक	2,00,000/–
4.	25,001 से 50,000 बोतल तक	4,00,000/–
5.	50,001 से 75,000 बोतल तक	6,00,000/–
6.	75,001 से 1,00,000 बोतल तक	8,00,000/–
7.	1,00,001 बोतल एवं ऊपर	10,00,000/–

(ब) दो माह के बराबर मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राषि सरकारी खजाने में ब्याज रहित सिक्योरिटी के रूप में तथा एक माह की मासिक गारन्टीड ड्यूटी की राषि के बराबर बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के नाम जारी की गई हो व दुकान से सम्बन्धित सभी सरकारी देयों की भुगतान अवधि तक वैध हो, दुकान के व्यवस्थापन के 15 दिन के भीतर अथवा जारी वर्श के 31मार्च तक, जो भी पहले हो जमा कराई जायेगी । सिक्योरिटी की राषि का कम से कम 50 प्रतिषत भाग

दुकान व्यवस्थापन के समय व षेश बाद में जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, जमा कराया जायेगा ।

7. अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिए आवेदन–(क) जब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, दैनिक समाचार पत्रों, जिनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, में व्यापक प्रचार के पष्चात् इस निमित्त आवेदन आमंत्रित करेंगे,

(ख) विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों की सूची जिनको लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, दुकान–वार लाइसेंस फीस और

प्रतिभूति राषि आदि सहित, कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्रदर्षित की जायेगी,

(ग) लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप में दिये जायेंगे ।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अन्तिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाषित होने के दिनांक से सात दिवस, से पूर्व न होगा ।

8. आवेदकों के लिए पात्रता की षर्तें– फुटकर विदेषी षराब और बियर की दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित षर्तें अवष्य पूरी करनी होंगी, अर्थात्–

(क) भारत का नागरिक हो,

या

भागीदारी वाली फर्म जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो और दोनों भागीदार भारत के नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आवंटन के पष्चात् भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा । तथापि यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के उत्तराधिकारी के साथ अनुज्ञापनधारी बना रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दषा में उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापनधारी बने रह सकते हैं । दोनों भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोंनों सम्मिलित रूप से तथा अलग–अलग उत्तरदायी होंगे ।

(ख) 21 वर्श की आयु से अधिक हों,

(ग) बकायेदार/कालीसूची में सम्मिलित या अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गयी किसी नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो,

(घ) निम्नलिखित की पुश्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित षपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा,

(एक) यह कि वह समय–समय पर यथा संषोधित उत्तर प्रदेष आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के प्राविधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है ।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 या स्वापक एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के अन्तर्गत अथवा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है ।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दषा में जिला, जहॉ का वह निवासी है, के कलेक्टर द्वारा जारी इस आषय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस स्वीकृत होने के 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार

के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है ।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियेाजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृश्ठभूमि होगी, जैसा कि बिन्दु तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ–छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्श से कम आयु का हो या महिला हो ।

(छह) यह कि उस पर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है ।

(सात) यह कि वह लाइसेंस की अवधि के भीतर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना लाइसेंस सबलैट अथवा स्थानान्तरित नहीं करेगा ।

(ञ) यह कि वह जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराषि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराषि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिषत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराषि का अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।

9. लाइसेंस के लिए जिला स्तरीय समिति– विदेषी षराब तथा बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी । समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
(तीन)	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

10. अनुज्ञापी का चयन :–

(क) जिला आबकारी अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा ।

(ख) उक्त समिति आवेदकों की सूची में से जांच के उपरान्त् उपयुक्त आवेदकों का दुकानवार चयन करेगी, इस प्रकिया के दौरान कमेटी ऐसी जांच कर सकती है अथवा करवा सकती है, जिसे वह ऊपर नियम–8 के प्राविधानों के पालन हेतु आवष्यक समझे ।

निरस्त किये गये प्रार्थना–पत्रों की भी एक सूची बनायी जायेगी, जिसमें प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के कारण अंकित किये जायेंगें।

अगर किसी दुकान के लिये एक से अधिक उपयुक्त आवेदक हो और उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी हो तो सब अन्य बातें समान होते हुए उत्तरांचल के आवेदक को सीधे प्राथमिकता दी जायेगी ।

उन मामलों में जहां एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के हों तो कमेटी ऐसी दुकान के लिए केवल उत्तरांचल के आवेदकों के मध्य ही लाटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करेगी ।

अन्य मामलो में जहां उत्तरांचल का कोई आवेदक न हो, सभी आवेदकों में से लाइसेंसी का चयन पब्लिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

आवेदक यह सुनिष्चित करेंगें कि पब्लिक लाटरी के दौरान स्वयं या उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहे जिससे उसे अपने चयन/व्यवस्थापन की जानकारी मिल सके ।

यदि चयनित आवेदक अपेक्षित धनराषि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या नियत अवधि में दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आवंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के लिये जमा की गयी धरोहर राषि लाइसेंस फीस और सिक्योरिटी की राषि जब्त कर लेगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।

स्पश्टीकरण :– कोई आवेदक उत्तरांचल का निवासी तब ही माना जायेगा, यदि वह निम्नलिखित षर्तों में से कम से कम एक को पूरा करता होः–

;पद्ध अगर वह राज्य के डोमेसाइल होने अथवा राज्य का स्थाई निवासी होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है ।

;पपद्ध अगर वह राज्य के किसी वार्ड की वोटर लिस्ट की ऐसी प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत कर देता है जिसमें उसका नाम सम्मिलित हो ।

;पपपद्ध अगर वह उत्तरांचल में अपने जन्म का प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उत्तरांचल का निवासी होने के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर देता है ।

;पअद्ध अगर वह उत्तरांचल में जारी अपने राषनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है ।

;अद्ध अगर वह उत्तरांचल में जारी अपना ड्राइविंग लाइसेंस राज्य का निवासी होने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देता है । या

(vii) इसके अतिरिक्त वह उत्तरांचल निवासी होने का कोई और अभिलेख प्रस्तुत कर देता है जिससे सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी संतुश्ट हो जायें ।

;गद्ध एक जनपद में एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें ही आवंटित की जा सकती हैं ।

;घद्ध अगर किसी विषिश्ट दुकान के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त न हो या दुकान के लिए कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाये, तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा । पुर्नव्यवस्थापन की प्रकिया के दौरान पहला व्यवस्थापन/चयन पूरा होने के तुरन्त बाद चयन समिति ऐसे व्यक्तियों को जो प्रारम्भिक जांच में सही पाये गये, परन्तु जो कोई दुकान/लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके, अवषेश दुकान/दुकानों हेतु निर्धारित प्रारूप में नये प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देगी । इस स्थिति में किसी दुकान के आवंटन हेतु पूर्व में जमा राषि को नयी दुकानों के आवेदन पत्र हेतु जमा किया गया माना जायेगा ।

इस प्रकार प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर समिति दुकान का व्यवस्थापन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार करेगी और यदि इस प्रकार का कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेसिंग अधिकारी व्यवस्थापित

दुकान/दुकानों के व्यवस्थापन हेतु इस नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करेंगें।

11. व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण– जिला आबकारी अधिकारी व्यवस्थापन के 15 दिन के अंदर व्यवस्थित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते दुकानवार प्रतिभूति धनराषि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राषि का विवरण होगा ।

12. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराषि का भुगतान– यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह आवंटन/व्यवस्थापन के दो दिन (अधिकतम अगले दिवस 5.00बजे सायं तक) के अंदर लाइसेंस फीस की पूरी राषि एवं प्रतिभूति की आधी धनराषि जमा करेगा और प्रतिभूति की अवषेश धनराषि 15 दिन के अंदर अथवा 31 मार्च तक जो भी पहले हो जमा करेगा । यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराषि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन/व्यवस्थापन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराषि लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की राषि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा । व्यतिकमी को भविश्य में प्रदेष में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा । इस नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यतिकमियों की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा ।

13 षराब का उठानः– इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पष्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0म0–2) से विदेषी मदिरा की आपूर्ति

प्राप्त करेगा । यदि किसी विषिश्ट ब्राण्ड की विदेषी मदिरा उसके जिले के थोक लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेष के किसी थोक लाइसेंसधारी से विदेषी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।

14. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानः— अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है । अन्तिम कार्य दिवस के उपरान्त विदेषी मदिरा की जो मात्रा छूट जायेगी उसे जब्त कर लिया जायेगा । परन्तु अगर लाइसेंसी ने समस्त मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी जमा कर दी हो तो, जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर अगले माह की 3 तारीख तक मदिरा के उठान की अनुमति दे सकते हैं ।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो तो, अनुज्ञापी को मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा के 20 प्रतिषत के बराबर मदिरा के अतिरिक्त उठान की अनुमति (जिसकी गुणना दुकान के लिये निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के आधार पर की जायेगी) प्रति बोतल अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी की राषि का, भुगतान करने के उपरान्त् दे दी जायेगी ।

उन मामलों में जहॉ अनुज्ञापी न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120 प्रतिषत से अधिक विदेषी मदिरा का उठान करना चाहेगा, उसे यह अनुमति बढ़ी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचित करें, अतिरिक्त एक्साइज ड्युटी जमा करनी होगी । वि0म0—5ग अनुज्ञापी वि0म0—2 व वि0म0—2बी अनुज्ञापी से उनकी दुकान की वास्तविक बिक्री के अनुसार बियर की कोई भी मात्रा खरीदने हेतु स्वतंत्र होगें ।

15. न्यूनतम गारन्टीड मासिक अभिकर जमा करना और सिक्योरिटी राषि में कमी को पूरा करने में विफलता के परिणाम :—

लाइसेंसधारी भारत निर्मित विदेषी मदिरा पर देय मासिक गारन्टीड ड्यूटी की सम्पूर्ण राषि का भुगतान माह की 25 तारीख तक कर देंगे । अगर वह सम्पूर्ण देय ड्यूटी की राषि माह की 25 तारीख तक जमा करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी जमा न करी गयी राषि को प्रतिभूति की राषि में से समायोजित करेगा और तत्काल लाइसेंसधारी को प्रतिभूति की राषि में आयी कमी को अगले माह की 5 तारीख तक पूरा करने हेतु कहेगा। अगर लाइसेंसधारी प्रतिभूति की राषि में आयी कमी को अगले माह के 5 तारीख तक पूरा करने में असफल रहता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी पूर्व अनुज्ञापी के रिस्क पर दूकान/दुकानों को पुर्नव्यवस्थापित कराने हेतु स्वतंत्र होंगे ओर इस पुर्नव्यवस्थापन के फलस्वरूप राजस्व में आयी किसी कमी को पूर्व अनुज्ञापी से भू–राजस्व के बकाये की तरह वसूलनीय होगा।

16. बिकी की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिकी के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

17. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अवषेश स्टाक का निस्तारण– लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर विदेषी षराब के अवषेश और अविकीत मात्रा की घोशणा लाइसेस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी और लाइसेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे षाम तक जिले की विदेषी मदिरा की थोक दुकान/दुकानों को लौटा दी जायेगी । लाइसेंसधारी, केवल कय मूल्य जिसमें षुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं

होगा, पाने का हकदार होगा । ऐसे स्टाक का निस्तारण इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त के आदेषों के अनुरूप थोक अनुज्ञापी (वि0म0–2) द्वारा किया जायेगा ।

18. अनुज्ञापन का अभ्यर्पण– अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा–36 के उपबन्धों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अभ्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास का लिखित नोटिस देकर कर सकता है । ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी, उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवषेश आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा । लाइसेंस प्राधिकारी अविलम्ब आबकारी वर्श की षेश अवधि के लिए दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरम्भ करेगा । इस पुर्नव्यवस्थापन में आयी राजस्व की कोई कमी पूर्व लाइसेंसी से भू–राजस्व के बकाये के समान वसूलनीय होगी ।

19. अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण और षास्तियॉः–(1) लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है–

(क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पायी जाये, जिस पर षुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित षुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है ।

(ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की षराब या मादक औशधि (जिसके लिए अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत षपथ–पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औशधियों मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है।

(2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेन्स प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को जब्त कर लेगा । लाइसेन्स प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पश्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा । तत्पष्चात् लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को, यदि वह चाहे तो सुनवाई का अवसर देने के पष्चात् अगले सात दिन के भीतर समुचित आदेष पारित करेगा ।

(3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविश्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है ।

20. विखण्डन और अपवाद–(1) अद्यतन संषोधित उत्तर प्रदेष आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 जो आबकारी आयुक्त की अधिूसचना संख्या 10702/दस–97बी–लाइसेंस–91–92, दिनांक 23 फरवरी, 1991 के साथ प्रकाषित की गयी, उत्तर प्रदेष विदेषी षराब की फुटकर बिकी का लाइसेंस (प्रतिशिद्ध क्षेत्र) नियमावली 1991, तथा उत्तर प्रदेष आबकारी (बियर के फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2000, एतद्द्वारा विखण्डित की जाती है।

(2) ऐसे विखण्डन के होते हुए भी उपनियम (1) में निर्दिश्ट नियम के प्राविधानों के अधीन देषी षराब की दुकान या दुकानों के समूह के लिए वित्तीय वर्श 2000–01 के लिए पहले से निश्पादित व्यवस्थापन विधि मान्य रहेगा और 31 मार्च, 2001 तक लागू रहेगा ।

(सुभाश कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

टिप्पणी : –

उत्तरांचल गजट, अतिरिक्त भाग– प्ट, खण्ड (क) दि0 12 मार्च 2001 में प्रकाशित, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियो का व्यवस्थापन) नियम–2001, निम्नलिखित नियमों द्वारा संशोधित किये गये हैं : –

(1) पहला संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 27 मार्च 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पहला संशोधन) नियम–2001।

(2) दूसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 26 जून 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम–2001।

(3) तीसरा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 28 जुलाई 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001।

(4) चौथा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 14 सितम्बर 2001 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम–2001।

(5) पांचवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 27 अप्रैल 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम–2002।

(6) छठा संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग–4 प्ट, खण्ड–(क) दि0 19 जूलाई 2002 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (छठा संशोधन) नियम–2002।

(7) सातवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– प्ट, खण्ड–(क) दि0 28 अप्रैल 2003 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (सातवां संशोधन) नियम–2003।

(8) आठवां संशोधन : – उत्तरांचल गजट अतिरिक्त, भाग– प्ट, खण्ड–(क) दि0 10 जून 2004 में प्रकाशित उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियम–2004।

(9) नौवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (नौवां संशोधन) नियम–2005।

(10) दसवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (दसवां संशोधन) नियम–2005।

(11) ग्यारहवां संशोधन : – उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा और बियर के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (ग्यारहवां संशोधन) नियम–2006।

उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण अधिनियम,1964

(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 24,1964)

''उत्तर प्रदेष में षक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित षीरे के संग्रहण,श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके सम्भरण और वितरण को लोक हित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये''।

अधिनियम 1

प्रस्तावना निकाल दी

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्श में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त षीर्श और प्रसार–

(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण अधिनियम,1964 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेष में होगा

2. परिभाशाएँ– विशय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर,इस अधिनियम में–

(क) '' नियंत्रक'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त षीरा नियंत्रक है

(ख) '' आसवनी'' का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट,1910 (यू0पी0ऐक्ट संख्या–4,1910) के उपबन्धों के अधीन चालक (च्वूमतद्ध,पेय (च्वजंइसमद्ध या मद्यसार बनाने के लिए लाइसेंस–प्राप्त भू–गृहादि से है।

(ग) ''आबकारी अधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो यूनाइटेड प्राविन्सेज एक्साइज ऐक्ट,1910 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 4,1910) में, मगबपेम वचिबमत का दिया गया है।

(घ) ''षीरा'' का तात्पर्य गन्ना या गुड से निर्वात पात्र (अंबननउ चंदद्ध द्वारा षक्कर बनाने की अन्तिम व्यवस्था में निकलने वाले गाढे,गहरे रंग के

लसदार तरल द्रव्य से है,जब उस तरल या उसके किसी रूप अथवा मिश्रण में षक्कर हो।

(ड़) षक्कर के कारखाने के सम्बन्ध में '' अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका उक्त कारखाने के मामलों पर अन्तिम नियंत्रण हो और इसके अंतर्गत कारखानों का प्रबन्ध अभिकर्ता (मैनेजिगं एजेन्ट) भी है।

(च) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है।

(छ) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेष राज्य से है,औ

(ज) ''षक्कर के कारखाने'' अथवा ''कारखाने'' का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं (चतमबपदबजेद्ध सहित किसी ऐसे भू–गृहादि से है,जहॉ बीस या उससे अधिक कर्मी (वतामतद्ध काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन कार कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत–षक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों (अंबननउ चंदेद्ध द्वारा षक्कर के उत्पादन से सम्बन्धित निर्माण–प्रकिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती है।

(राश्ट्रपति द्वारा अक्टूबर 17,1964 को अनुमति दी गई और उत्तर प्रदेष गजट,असाधारण,दिनांक नवम्बर,9,1964 में प्रकाषित)

अध्याय–दो

परामर्षी एवं प्रषासनिक तंत्र

3–(1) ''राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा षीरे के संग्रहण,संरक्षण,श्रेणीकरण, मूल्य,सम्भरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से सम्बद्व मामलों पर परामर्ष देने के लिये एक परामर्ष समिति संघटित कर सकती है।''

(2) परामर्ष समिति का संघठन–समिति में उतने व्यक्ति होंगें और व ऐसी षर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन संघठित किये जायेंगे जैसे नियत किये जाये।

4– षीरा नियंत्रक की नियुक्ति– राज्य सरकार,गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन षीरा–नियंत्रक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को षीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है।

अध्याय–तीन

संरक्षण,वितरण और मूल्य

5– षीरे का संरक्षण– षक्कर के कारखाने का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा–

(क) कारखाने में उत्पादित षीरे के निरापद संरक्षण के लिए कारखाने,के भू–गृहादि के भीतर अच्छादित स्थान।

(ख) चूने,रिसने,ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संग्रीहत षीरे के गुण को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो,रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय।

(ग) षीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे षीरे के साथ पुराने बिगडे हुए षीरे के मिश्रण को रोकने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध और

(घ) षीरे को उठाने–धरने की ,जिसके अन्तर्गत षीरे के नमूने लेना,उसे पम्प करना और टंकी बैगनों,टेंक,लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है,पर्याप्त सुविधाएं।

6– अपमिश्रण से संरक्षण–

(1) षक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक के किसी षीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा।

(2) षक्कर के किसी कारखाने की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे षीरे का होना जिसमें षक्कर की मात्रा क्ष्लेन और इगनान के आयतनमिति विधि ;स्ंदम ंदक म्हदवदश्े अवसनउमजदब उमजीवकद्ध द्वारा अवधारित कुल अपचायक षक्कर ;तमकनबपदह ेनहंतद्ध के रूप में व्यक्तद्व चालीस प्रतिशत से कम हो, यह परिकल्पना करने के लिए पर्याप्त होगा कि कारखाने के अध्यासी ने शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है।

7– अपमिश्रित षीरे का हटाया जाना–

(1) नियंत्रक,षुद्व षीरे का समुचित संग्रहण,संरक्षण,श्रेणीकरण,सम्भरण अथवा निस्तारण सुनिष्चित करने के उद्देष्य से षक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने के भू–गृहादि से किसी अपमिश्रित षीरे की ,नियंत्रक द्वारा निर्दिश्ट की जाने वाली युक्तियुक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा।

(2) धारा–6 की उपधारा–2 में उल्लिखित षीरा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अपमिश्रित समझा जायेगा।

7–क– षीरे के लिए आवेदन पत्र–(1) कोई व्यक्ति जिसे अपनी आसवनी के लिये अथवा औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए षीरे की आवष्यकता हो उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह अपेक्षित है निर्दिश्ट करते हुए नियंत्रक को नियत रीति से आवेदन–पत्र दे सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पष्चात जिसे वह उचित समझे,नियंत्रक धारा–8 के अधीन आज्ञा दे सकता है।

(3) उपधारा–(1) के अधीन आवेदन पत्र का निस्तारण करने में नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा–

(क) षीरे की सामान्य उपलभ्यता,

(ख) षीरे की विभिन्न आवष्यकतायें,

(ग) षीरे की लोक हित में सदुपयोगिता,

(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवष्यकतायें यथार्थ है,

(ड़) आवेदन–पत्र में निर्दिश्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे षीरे के जिसे आवेदक प्राप्त कर सकता हो,व्यपवर्तन की युक्तियुक्त सम्भाव्यता अथवा असंभाव्यता और यदि आवेदन–पत्र पूर्णतः या आंषिक रूप से अस्वीकार किया जाए तो वह उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

8– षीरे की बिकी और उसका संभरण–

(1) नियंत्रक (राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से,आज्ञा द्वारा) षक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से,षीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को, जो आज्ञा मे निर्दिश्ट हो,नियत रीति से बेचने और सम्भरित करने की अपेक्षा कर सकता है,और अध्यासी सिकी संविदा के होते हुए भी उस आज्ञा का पालन करेगा।

(2) उपधारा–(1) के अधीन आज्ञा–

(क) ऐसे ही व्यक्ति को षीरा सम्भरित करने की अपेक्षा करेगी,जिसे उसकी अपेक्षा अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए हो,

(क) खंड (क) में अभिदिश्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन उसके दी गई आज्ञा के अंतर्गत उसे संभरित षीरे का उपयोग धारा 7–क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र में निर्दिश्ट प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिबन्धों तथा षर्तों का जो नियत की जाये,आनुपालन करें।

(ख) स्टाक की या वर्श में उत्पादित किये जाने वाले षीरे की संपूर्ण मात्रा के लिए या उसके सिकी भाग के लिए हो सकती है,किन्तु षक्कर के प्रत्येक कारखाने से सम्भरित किये जाने वाले षीरे का उस वर्श में कारखाने के कुल षीरे का अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा,सिवाय उस दषा में जब नियंत्रक की राय मे,निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवष्यक हो,

(1) ऐसे क्षेत्र के भीतर,जिसमें षक्कर के कारखाने से उचित मूल्य पर षीरा ले जाया जा सके,आसवनियों की आवष्यकता,

(2) उक्त क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास के अन्य प्रयोजन के लिए आवष्यकता,और

(3) क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता।

(3) नियंत्रक,उपधारा–(1) के अधीन आज्ञा में,किसी भूल या लोप को ठीक करने के लिए या उपधारा–(2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों मे से किसी में से बाद

में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अपेक्षा की पूर्ति के लिए,ऐसे परिश्कार कर सकता है,जो आवष्यक हो।

(4) षक्कर के कारखाने का अध्यासी,अपने द्वारा बेचे गये षीरे पर राज्य सरकार को,नियत रीति से (पन्द्रह रूपये) प्रति क्विंटल से अनधिक ऐसी दर पर जैसी राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित कर,प्रषासनिक प्रभार का देनदार होगा।

(5) अध्यासी केता से षीरे के मूल्य के अतिरिक्त ऐसे प्रषासनिक प्रभार की धनराषि के बराबर धनराषि वसूल करने का हकदार होगा।

9– अपील–

(1) धारा–8 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति,आज्ञा से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को नियत रीति से अपील कर सकता है और राज्य सरकार उप पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

10– षीरे के अधिकतम मूल्य–

10–क– संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि– षक्कर के प्रत्येक कारखाने के अध्यासी,नीचे निर्दिश्ट विभिन्न श्रेणियों के षीरे के विकय मूल्य से ऐसी धनराषि जिसे राज्य सरकार इस निमित अधिसूचित करे,नियंत्रक द्वारा समय पर जारी की गयी सामान्य या विषेश आज्ञा के अनुसार संग्रह की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करने के लिए एक पृथक निधि में रखेगा।

षीरे की श्रेणी	षीरे में षक्कर की कुल मात्रा का प्रतिषत (अपचायक षक्कर के रूप में व्यक्त)
प्रथम	50 प्रतिषत तथा उसके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिषत से 49.92 प्रतिषत तक
तृतीय	44 प्रतिषत से 49.92 प्रतिषत तक

अध्याय–चार

अपराध और षास्तियां

11–उपबन्धों का उल्लघंन–

(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तदधीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं या जारी किये गये निर्देषों का उल्लघंन करे अथवा किसी ऐसे मामलों के बारे में,जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या उक्त नियमों,आज्ञाओं या निर्देषों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गई हो,जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरण दे या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे वह सिद्व दोश पाये जाने पर दोनों मे से किसी प्रकार के कारावास से जो एक वर्श तक हो सकता है,अथवा अर्थ दंड से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है,अथवा दोनों दंडनीय होगा जो इस प्रकार प्रथम सिद्वदोश पाये जाने के पष्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए,जिससे ऐसा उल्लंघन जारी रहे,एक सौ रूपये तक हो सकता है।

(2) उपधारा–(1) के अधीन दंडनीय अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय यह निर्देष दे सकता है कि कोई ऐसा षीरा,जिसके विशय में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि उसके सम्बन्ध में अपराध किया गया है,राज्य सरकार के हक में जब्त कर लिया जायेगा।

12– कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति भी जो अपराध किये जाने के समय कंपनी का कारोबार चलाने के निमित उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो,अपराध करने का दोशी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी तथा दंड किया जा सकेगा,प्रतिबन्ध यह कि उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति दंड का भागी न होगा जो यह सिद्व कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी।

(2) उपधारा–(1) में किसी बात के होते हुए भी,यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाये और यह सिद्व हो जाये कि अपराध कम्पनी के किसी निदेषक,प्रबन्धक,प्रबन्ध–अभिकर्ता,सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या

उसकी मौनानुकूलता से हुआ अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ तो वह निदेषक,प्रबन्धक,प्रबन्ध–अभिकर्ता,सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोशी समझा जायेगा और तद्नुसार उसके विरूद्व कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसके दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पश्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य निगमित निकाय से है और इसके अंतर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ ;वबंजपवदद्ध भी है,और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेषक'' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

13– अपराध संज्ञान–

(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ;बवहदप्रंदबमद्ध तब तक न करेगा,जब तक कि आबकारी निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का आबकारी अधिकारी लिखित रूप से उस अपराध के संघटक तथ्यो की सूचना न दें।

(2) कोई भी न्यायालय,जो प्रथम श्रेण्रगी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो,इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार न करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध,कोड आफ किमिनल प्रोसीजर अधिनियम, 1898 (ऐक्ट संख्या 5,1898) के अर्थ में संज्ञेय और जमानत योग्य ;बवहदप्रंइसम ंदक इंपसंइसमद्ध होगा।

14–प्रवेष करने,तलाषी लेने और अभिग्रहण का अधिकार–

(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक (सब–इन्सपेक्टर) से निम्न श्रेणी का न हो या उप निरीक्षक (आबकारी) को या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी–

(क) ऐसे समय किसी भू–गृहादि में,जिससे सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया गया है या किया जाने वाला है,रखा या छिपाया गया है,प्रवेष कर सकता है तथा उसकी तलाषी ले सकता है,

(ख) ऐसे षीरे या किसी बक्स,पैकेट,पात्र,बन्डल या आच्छादन का जिसमें षीरा हो और ऐसे षीरे के व्यापार से सम्बन्धित किन्ही पुस्तिकाओं ,लेखों,लेख्यों या विवरण–पत्रों का अभिग्रहण कर सकता है,और

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को,जिसके सम्बन्ध में उसे यह विष्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोशी है,निरूद्व कर सकता है,उसकी तलाषी ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन ली गयी सभी तलाषियॉ कोड आफ किमिनल प्रोसीजर,1898 (ऐक्ट संख्या 5,1998) के उपबन्धों के अनुसार होगी।

(3) कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या आबकारी निरीखक या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसन्धान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय हो और जो ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो।

(4) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अनुसन्धान के सम्बन्ध में उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग करके थाने का प्रभारी अधिकारी कोड आफ किमिनल प्रोसीसर, 1998 (ऐक्ट संख्या 5, 1898) के अध्याय 14 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय अपराध के संबंध में कर सकता है।

15– अभिग्रहण की सूचना देनाः–

(1) धारा–14 के अधीन अभिगृहीत किसी षीरे या किन्ही वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट,ऐसे अभिग्रहण के पष्चात यथाषीघ्र,अधिकारितायुक्त,मजिस्ट्रेट को की जायेगी,जो ऐसी जॉच यदि कोई हो,जिसे वह आवष्यक समझे,करने के पष्चात और षीरे का नमूना लेने के पष्चात नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निर्देष दे सकता है जिन्हे वह उचित समझे।

(2) यदि ऐसे अभिग्रहण के दिनांक से छः मास के भीतर कोई अभियोग न चालया जाय तो मजिस्ट्रेट उस षीरे या उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों के हक में,जिनसे अभिगृहित की गयी थी,छोडने की आज्ञा दे सकता है।

16– अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकारः– नियंत्रक किसी व्यक्ति‍ा से जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो,ऐसे किये गये अपराध के लिए समझौते के रूप में पांच हाजर रूपये से अनाधिक धनराष्ज्ञि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दषा में,जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिगृहीत की गयी हो,नियंत्रक द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस सम्पत्ति को छोड सकता है। नियंत्रक को,यथास्थिति ,ऐसी धनराषि या मूल्य अथवा दोनो का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को,यदि वह हिरासत में हो,उन्मुक्त कर दिया जायेगा और अभिगृहीत सम्पत्ति छोड दी जायेगी और उस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्व आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

अध्याय–पांच
विविध

17–लेखे रखना और विवरणियों प्रस्तुत करना आदि–प्रत्येक षक्कर कारखाने का अध्यासी और ऐसा व्यक्ति,जिसे उक्त अध्यासी द्वारा षीरा सम्भरित किया जाय इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह–

(क) ऐसे रजिस्टर,अभिलेख,लेखे उकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य (तमंहमदजे) रखे जो नियत किये जायें,

(ख) षीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांको तक ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियॉ प्रस्तुत करें जो नियंत्रक आज्ञा द्वारा नियत करें,

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा जो उप निरीक्षक (आबकारी) से निम्न श्रेणी का न हो,मॉग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर अभिलेख,लेख्या,उपकरण तथा रासायनिक प्रतिकर्मी द्रव्य प्रस्तुत करें,जिन्हे रखने की अपेक्षा उससे या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो।

18– कारखानों में तैनात निरीक्षकों के लिए आवास– षक्कर के कारखाने का अध्यासी,इस अधिनियम,तद्धीन बनाये गये नियमों,दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निर्देषों के उपबन्धों का पालन सुनिष्चित करने के उद्देष्य से नियंत्रक द्वारा षक्कर के कारखाने में तैनात किये गये आबकारी अधिकारी के लिए षक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर,ऐसे किराये का भुगतान करने और ऐसी षर्तो पर, जो नियत की जाये आवास–स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

19– अधिकारों का प्रतिनिधान– नियंत्रक,गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निर्देष दे सकता है कि धारा 8 को छोडकर,इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई अधिकार ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी षर्तो के अधीन (यदि कोई हो) जो विज्ञप्ति में निर्दिश्ट की जायें,उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगा।

20– सद्भावना से किये गये कार्यो का संरक्षण– इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के अनुरसरण में किये गये या किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरूद्व कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21–आज्ञाओं की तामील–

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी आज्ञाः–

(क) उस दषा में जब वह सामान्य प्रकार की या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाली आज्ञा हो,गजट में विज्ञापित की जायेगी और,

(ख) उस दषा में जब किसी व्यक्ति विषेश के प्रति हो,उस व्यक्ति पर निमनलिखित प्रकार से तामील की जायेगी–

(1) डाक प्रमाण पत्र के अधीन डाक द्वारा या उसे उक्त व्यक्ति को देकर या उसके समक्ष प्रस्तुत करके,या

(2) यदि यह इस प्रकार से दी या प्रस्तुत की न जा सकती हो,तो उसे भू–गृहादि के जिसमें वह व्यक्ति रहता हो बाह्रा द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका कर और उसकी इस प्रकार तामील का एक विवरण तैयार करके जिस पर उस स्थान पर रहने वाले दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो।

22–नियम बनाने का अधिकार–

(1) राज्य सरकार गजट में पूर्व प्रकाषन के पष्चात इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विषेशतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकाता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती :–

(क) परामर्ष समिति का संघटन,उसके सदस्य चुने जाने की रीति,उनका कार्यकाल,उन्हे देय भत्ते,यदि कोई हो,रीति जिसके अनुसार परामश्र्ज्ञ समिति अपना परामर्ष देगी और उसके कार्य–संचालन की प्रकिया,

(ख) परामर्ष्ज्ञ समिति के सदस्यों को हटाने से सम्बन्धित प्रकिया,

(ग) षक्कर के कारखानों द्वारा षीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से सम्बन्धित षर्तें

(घ) षीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के सम्बन्ध में विषिश्टयों और परीक्षण,जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जांच भी समिमलित है,

(ड़) षीरे की बिकी और उसके सम्भरण की रीति,

(ड़ ड1)रीति जिसके अनुसार धारा–8की उपधारा (4) के अधीन देय प्रषासनिक प्रभार वसूल किया जाएगा,

(च) राज्य सरकार को अपील का आकार और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रकिया,

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रकिया

(ज) षक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर,अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य,

(झ) किराया और षर्ते,जिन पर षक्कर के कारखानों की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था की जायेगी।

(अ0) षीरे के उत्पादन,वितरण और उपयोग के सम्बन्ध में सूचना या आंकडे एकत्र करना,

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये षीरे और वस्तुओं का निस्तारण,तथा

(ठ) कोई अन्य विशय जो नियत किये जाने हों या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम,बनाये जाने के पष्चात् यथाषक्य षीघ्र,राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो,उसके एक सत्र या एकाधिक अनुकमिक सत्रों के कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेगें और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये,वे गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से,ऐसे परिश्कारों अथवा अभिषून्यनों (ददपसउमदज) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान–मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों,किन्तु इस प्रकार का कोई परिश्कार या अभिषून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

23– यू0पी0 ऐक्ट संख्या 23,1947 का निरसन–युनाइटेड प्रार्विसेज मोलासेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1947 निरस्त किया जाता है।

''अनुसूची''
(धारा 10 देखिए)
टिप्पणी

उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रक अधिनियम, 1964 निम्नलिखित अधिनियमों द्वारा संषोधित किया गया है—9

1. प्रथम संषोधन— उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 1974(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 15,1974) जो उत्तर प्रदेष गजट,असाधारण,दिनांक जुलाई, 3,1974 में प्रकाषित हुआ।
2. द्वितीय संषोधन— उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम 1986(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 5,1986) जो उत्तर प्रदेष गजट,भाग—1खण्ड (क) दि0 मार्च 15,1986 में प्रकाषित हुआ।
3. तृतीय संषोधन—उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 10,1995) जो उत्तर प्रदेष गजट,असाधारण,भाग—1खण्ड (क)दि0 मार्च 4,1995 में प्रकाषित हुआ।
4. चतुर्थ संषोधन— उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अधिनियम 1986,जो उत्तर प्रदेष असाधारण विधायी परिषिश्ट,भाग—1खण्ड (क),दि0 7 फरवरी 1998 में प्रकाषित हुआ।
5. पंचम संषोधन—उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण (संषोधन) अध्यादेष, 2000 (उत्तर प्रदेष अध्यादेष संख्या 2,2000)

उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण नियमावली, 1974

उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 24,1964) की धारा 22 के अधीन षक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंजिसे सरकारी अधिसूचना संख्या 5418–इ/तेरह–272–64,दिनांक 3 अक्टूबर, 1972 के अधीन पहले प्रकाषित किया जा चुका है।

नियमावली

उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण नियमावली, 1974

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त षीर्शक तथा प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेष षीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 कहलायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाशएँ– जब तक कि विशय या प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश षीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 24,1964) से है।

(ख) ''धारा'' का तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा से है।

(ग) '' उप निरीक्षक आबकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 4,1910) की धारा 10 के अधीन नियुक्त उप–निरीक्षक आबकारी से है।

(घ) ''प्रदेष्ज्ञन–ग्रहीता'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जिसके पक्ष में अधिनियम की धारा 8 के अधीन षक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी से षीरा खरीदने के लिए आज्ञा दी गयी है।

(ड़) '' प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन नियम प्रपत्र से है।

(च) ''षीरा वर्श'' का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्श के 30 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(छ) ''संग्रहण टंकी'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन षीरे के निरापद संरक्षण के लिए व्यवस्थित आच्छादित स्थान से है।

अध्याय दो
षीरे का संरक्षण

3. आच्छादित स्थान की व्यवस्था धारा 5(क) और (ख)– (1) षक्कर के किसी कारखाने का प्रत्येक अध्यासी कारखाने के भू गृहादिक के भीरत उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकिया रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिये तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों मे पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के चार प्रतिषत के हिसाब से संगणित षीरे के कुल उत्पादन का कम से कम पचास प्रतिषत या पिछले वर्श के सर्वाधित कुल उत्पादन का पचार प्रतिषत,जो भी अधिक हो,संग्रह कर सकें।

(2) यदि नियंत्रक षीरे के बढे हुए उत्पादन के कारण किसी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता में कठिनाई होने के कारण या किसी अन्य कारण से,जो उसके द्वारा अभिलिखित किया जायगा,षक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी को यह निदेष दे सकता है कि यह अतिरिक्त संग्रहण टंकी जिसका उल्लेख उसके निदेष में होगा,की व्यवस्था करे और तदुपरान्त अध्यासी ऐसे संग्रहण टंकी की व्यवस्था ऐसी अवधि के भीतर करेगा जैसा निदेष के निर्दिश्ट हो।

(3) षीरे के संग्रहण के लिए अनाच्छादित खुली संग्रहण टंकी का प्रयोग नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायगा।

4. संग्रहण टंकियों की व्यवस्था (धारा 5)–(1) सभी संग्रहण टंकियां कारखाने के अध्यासी द्वारा कमांकित की जायेगीं और प्रत्येक टंकी को बिमा (डाईमेन्षन्स) और संग्रहण क्षमता के साथ प्रत्येक टंकी की प्रविश्ट संख्या को किसी स्थायी जुडनार (फिक्सचर) पर प्रदर्षित किया जायगा। एक बार प्रविश्ट की गयी संख्या में नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(2) षक्कर के किसी कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्थित सभी संग्रहण टंकियों की विमा षीरा प्रपत्र 14 में एक रजिस्टर में अभिलिखित की जायगी और प्रत्येक संग्रहण टंकी के सम्बन्ध में एक गेज चार्ज रजिस्टर में यह प्रदर्षित करने के लिए रखा

जायगा कि टंकी में प्रतियेक 5 सेटींमीटर की गहराई पर कितने क्विटंल षीरे के मात्रा है। संग्रहण टंकियों की गेजिगं इस प्रकार की जानी चाहिए जिसमें 45 प्रतिषत षक्कर युक्त षीरा मानक समझा जाय।

5 संग्रहण क्षमता में परिवर्तन (धारा 5 तथा 22)–(1) यदि संग्रहण टंकी की संग्रहण क्षमता में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव हो तो अध्यासी तब नियंत्रक को एक नक्षा (ठसनम चतपदज) प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक संग्रहण टंकी की वास्तविक स्थिति ,क्रम संख्या,विमा,प्रकार (खडी चिनाई) और उसकी प्रत्येक पांच सेटीमीटर की गहराई पर क्षमता तथा ऐसी टंकियों से जुडे पाइप और निकास–नालियां दिखाई जायेगी।

(2) यदि कोई अतिरिक्त संग्रहण टंकी उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत नक्षे में न दिखाई गयी हो और उसकी बाद में षक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा व्यवस्था की जाय तो उसके लिए उसी प्रकार का एक नक्षा नियंत्रक को उसका निर्माण किये जाने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जायगा।

6 आसवनियों के लिए नियम 4 ओर 5 का लागू होना (धारा 22) षीरे के निरापद संरक्षण को सुनिष्चित करने के नियंत्रक के निदेष (धारा 5 तथा 22)–उपर्युक्त नियम 4 और 5 के उपबन्ध उत्तर प्रदेष में आसवनियों के स्वामियों पर आसवन () के प्रयोजनार्थ के लिए षक्कर के कारखानों द्वारा सम्भरित षीरे के सम्बन्ध में आवष्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगें।

7. यदि नियंत्रक की यह राय हो कि किसी संग्रहण टंकी या उसके किसी युक्ति (कमअपबम) अथवा उसके जुडनार खजिसके अन्तर्गत दीवाल,पाईप या निकास–नाली(ड्रेन) भी है, से कारखाने में उत्पादित षीरे के गुण और मात्रा के निरापद संरक्षण से पर्याप्त पूर्वोपाय नहीं हो पाता तो वह लिखित आज्ञा द्वारा कारखाने के अध्यासी को षीरे का निरापद संरक्षण सुनिष्चित करने के लिए ऐसा आवष्यक उपाय,जिसके अन्तर्गत दीवाल,पाईप लाइन या निकास नाली को हटाना भी है,करने की आज्ञा दे सकता है,और अध्यासी उसमें निर्दिश्ट अवधि के भीतर ऐसे निर्देषों का पालन करेगा।

8. संग्रहण टंकियों में षीरे के संग्रहण संकमण और निस्तारण के लिए नियंत्रक के निदेष (धारा 5 तथा 22)–

(1) नियंत्रक यह विनिर्दिश्ट करेगा कि कारखाने की संग्रहण टंकियो की किस कम में भरा जाय या खाली किया जाय और ऐसा निदेष षक्कर के कारखाने के अध्यासी पर बन्धकारी होगा।

(2) किसी विषेश षीरा वर्श में किसी कारखाने में उत्पादित या संग्रहित षीरा नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना,पिछले षीरा वर्श के षीरे के साथ मिश्रित नहीं किया जायेगा।

(3) किसी कारखाने में षीरा तब तक संग्रहीत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो।

(4) षक्कर के कारखाने का अध्यासी इस बात के लिए पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि किसी वर्श में षीरे के संग्रहण मे छीजन संग्रहीत षीरे के कुल मात्रा के दो प्रतिषत से अधिक न हो। यदि छीजन दो प्रतिषत से अधिक हो तो अध्यासी नियम के उल्लघंन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित षासित से दंडित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के संतोशानुसार यह साबित कर दिया जाय कि दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से उपर्युक्त विहित सीमा से अधिक छीजन या कभी हुई है तो अध्यासी किसी षास्ति का देनदार नहीं होगा।

टिप्पणी– उपनियम (3) और (4) भी आसवनियों में षीरा के संग्रहण पर लागू होगें।

9. निमज्जन दण्ड प्रतिपयन तथा परीक्षण उपकरणों की व्यवस्था आदि ख्धारा 5 (घ),–षक्कर के कारखाने का कोई अध्यासी संग्रहण टंकियों में षीरे की गहराई नापने के लिए परिषिश्ट 1 में निर्दिश्ट ब्योरे के अनुसार निमज्जन दण्ड (कपच त्वके) और टंकियों की विभिन्न गहराई पर षीरे के नमूने लेने के लिए प्रतिपयन उपकरण (उचसपदह ।चचंतंजने) और परीक्षण उपकरण(ज्मेजपदह ।चचंतंजने) भी तथा

अभिकर्मक(त्मंहमदज) रक्खेंगें और उन्हे आबकारी तथा राज्स्व विभागों के किसी अधिकारी द्वारा,जो कमषः उपर निरीक्षक आबकारी तथा तहसीलदार के पद से ऊॅचें पद का हो,मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा उन्हे उनका प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा।

10. उत्पादित षीरे के नमूनों का परीक्षण (धारा 5)(ख)– षक्कर के कारखाने का अध्यासी पेराई के षीरा वर्श में षर्करा (ठतपग) और षक्कर की कुल मात्रा के लिए कारखाने मे उत्पादित षीरा के नमूनों का प्रतिदित परीक्षण करायेगा और उनके परिणामों को प्रतिदिन षीरा प्रपत्र 5 में रजिस्टर के संगत स्तम्भों में लिखेगा।

11. संग्रहण टंकी के षीरे के नमूनों का लिया जाना तथा परीक्षण (धारा 5 तथा 22)–(1) षक्कर के कारखाने का अध्यासी प्रति षीरा वर्श नवम्बर से मई की अवधि में प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें दिनांक को और प्रति षीरा वर्श जून से अक्टूबर की अवधि में प्रथम,आठवें,सोलहवें,दिनांक को प्रत्येक संग्रहण टंकी से षीरे के सिरे,मध्य और पेंदी की परत के नमूने लिवाएगा और षर्करा तथा षक्कर की मात्राा के लिए उनका परीक्षण करायेगा और उनके परिणाम षीरा प्रपत्र 7 के संगत स्तम्भों में लिखेगा। रजिस्टर से संगत उद्वरण की एक षुद्व प्रति नियन्त्रक को उसी दिन,जिस दिन नमूने का परीक्षण कराया जाय,भेजी जायेगी। यदि षक्कर के कारखाने में आबकारी का उप निरीक्षक तैनात हो तो उसकी उपस्थिति में नमूने लिये जायेगें और उनका परीक्षण किया जायेगा।

(2) यदि किसी टंकी में संग्रहीत षीरे के गुण में एकाएक कोई आकस्मिक ह्रास हो तो षक्कर के कारखाने का अध्यासी तार द्वारा नियन्त्रक को उसकी तुरन्त सूचना देगा।

अध्याय तीन

सम्भरण तथा वितरण

12. षक्कर के कारखाने में उत्पादित किये जाने वाले षीरे का अनुमान ख धारा 8 तथा 17 (ख), षक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी प्रति षीरा वर्श 31 अगस्त तक नियंत्रण को षीरा प्रपत्र 9 में से एक विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगा,जिसमें अगले षीरा वर्श के दौरान षक्कर के किसी कारखाने द्वारा उत्पादित किये जाने वाले षीरे की मात्रा का लगभग अनुमान और ऐसी अन्य सूचना,जो उक्त प्रपत्र के अधीन अपेक्षित हो,देगा।

13. निकाल दिया गया।

14. ख षीरे की बिकी या उसके सम्बन्ध के सम्बन्ध में आदेष– षीरे की अनुमानित उपलब्धता का एक संहत विवरण पत्र नियंत्रक द्वारा तैयार किया जायेगा और अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन गठित परामर्ष समिति के समक्ष रखा जायेगा जो अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार षीरे की बिकी या उसके सम्भरण के सम्बन्ध में आज्ञा देगा।

15. षीरे के वहन का त्रैमासिक कार्यकम– षक्कर के प्रत्येक कारखाने की समय–समय पर उत्पादन क्षमता रेल टंकी,वैगनों की उपलब्धता,पथ परिवहन की सुविधा,षक्कर के कारखाने और आसवनी के भू–गृहादि में संग्रहण क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को संगत को ध्यान रखते हुए नियंत्रक प्रत्येक कारखाने से षीरे के वहन के सम्बन्ध में एक त्रैमासिक कार्यकम तैयार कर सकता है। प्रत्येक षक्कर के कारखाने का अध्यासी और प्रदेषन ग्रहीता षीरे के वहन के लिए ऐसे कार्यकम के अनुसार आवष्यक कार्यवाही करेगा।

16. प्रदेषन ग्रहीता द्वारा षीरा ले जाने की व्यवस्था (धारा–8)–(1) प्रदेषन ग्रहीता यथाषक्य षीघ्र प्रदेषन–आज्ञा प्राप्त हो जाने के पष्चात कारखाने के अध्यासी को लिखित रूप में यह सूचित करेगा कि षीरा रेल या सडक द्वारा जैसा कार्यकम में इंगित है,ले जाया जायेगा।

(2) यदि कार्यक्रम में यह इंगित हो कि षीरे को सडक द्वारा ले जाया जायेगा तो प्रदेषन ग्रहीता यह सुनिष्चित करने के लिये कि समय के भीतर प्रदिश्ट मात्रा को ले जाया जायेगा,कारखाने से षीरे को ले जाने के लिए लारियों या पात्रों (बवदजंपदमते) की उस सीमा तक,जहॉ उक्त प्रयोजन के लिये आवष्यक हो,व्यवस्था करेगा।

17. षक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रेलवे वैगनों की मांग (धारा 8)– षक्कर के कारखाने का अध्यासी,जब नियम 15 में अभिदिश्ट कार्यक्रम में अपेक्षित हो,षीरे को ऐसी रीति से प्रेशण करने के लिए,जिससे कि प्रदेषन ग्रहीता को षीरे का सम्भरण नियमित और पूर्णरूप से हो सके,रेलवे के प्राधिकारियों से वैगनों के लिये मांग प्रस्तुत करेगा। रेलवे वैगनों के लिये प्रस्तुत की गयी उक्त मांग सम्बन्धी एक पाक्षिक विवरणी षीरा प्रपत्र 3 में नियंत्रक को प्रस्तुत की जायेगी,और जहां षक्कर के कारखाने में उप–निरीक्षक आबकारी तैनात हो वहां उसकी एक प्रतिलिपि उप निरीक्षक को दी जायेगी।

18. सड़क परिवहन की दषा में भराई का समय (धारा 22)–(1) पथ परिवहन की दषा में भराई का समय 6 बजे पूर्वान्ह से 10 बजे अपरान्ह तक होगा और रेलवे वैगनों की दषा में समय वही होगा जो रेलवे के प्राधिकारियों द्वारा निष्चित किया जाये।

(2) षीरा भरे रेलवे वैगनों का कर्शण तथा भरा जाना– षक्कर के किसी कारखाने का अध्यासी किसी रेलवे वैगनों के कर्शण (भ्ंनसंहम) और ऐसे वैगनों को भरे जाने अथवा टैंक,लारियों या अन्य पात्रों के भरे जाने से न तो इन्कार करेगा और न उसमें विलम्ब करेगा। यदि षक्कर के कारखाने का अध्यासी बिना पर्याप्त कारण के कर्शण तथा भरे जाने की तत्काल व्यवस्था न करे तो उस जिले के,जिसमे कारखाना स्थित हो,क्लेकटर को या नियंत्रक द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को कारखाने के भू–गृहादि में प्रवेष करने,कर्शण और षीरे के भरे जाने की व्यवस्था करने और उसके व्यय को

षक्कर के कारखाने के अध्यासी से षक्कर के कारखाने को देय षीरे के मूल्य में से वसूल करने का अधिकार होगा।

19. षीरे के भरे जाने के लिए षक्ति चालित पम्पों तथा उप साधन की व्यवस्था (धारा 5(घ),–षीरे के भरे जाने के लिए षक्कर के कारखाने का अध्यासी पर्याप्त क्षमता के षक्ति चालित पम्पों ओर अन्य उपसाधनों को अच्छी चालू दषा में रखेगा।

20. भेजे गये षीरे का स्वामित्व (धारा–22)–(1) किसी आसवनी को रेलवे टैकं वैगनों में भेजे गये षीरे की स्वामित्व सम्बद्व षक्कर के कारखानों के अध्यासी मे तब तक निहित रहेगा जब तक कि वह वास्तव में आसवनी को मिल न जाये और आसवनी की ओर से जान–बूझकर की गयी किसी चूक के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से होने वाली समस्त हानि षक्कर के कारखाने द्वारा वहन की जाएगी। सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले षीरे के सम्बन्ध में षीरे का स्वामित्व ज्यों ही षीरा षीरा प्रपत्र–4 में निश्कासन–पत्र के साथ कारखाने के भू–गृहादि के बाहर ले जाया जाय,प्रदेषन ग्रहीता को प्राप्त हो जायगा और प्रदेषन ग्रहीता षीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुॅचने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये,यदि कोई हो,उत्तरदायी होगा।

(2) प्रदेषन ग्रहीता,जिसे औद्योगिक विकासों के लिए षीरे की आवष्यकता हो,षीरे के परिव्यय परिवहन के लिये स्वयं व्यवस्था करेगा और षीरे के गंतव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने और मार्ग में होने वाली हानि के लिये,यदि कोई हो,उत्तरदायी होगा। ऐसे प्रदेषन ग्रहीता से यह भी अपेक्षित होगा कि वह नियन्त्रक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी को गंतव्य स्थान पर पारेशण (ब्वदेपहदउमदज) का सत्यापन करने दें।

21. उन प्रयोजनों जिनके लिए षीरा प्रदिश्ट किया गया हो,से भिन्न प्रयोजनों के लिए समस्त षीरे के संक्रमण तथा प्रयोग पर निशेध (धारा–8 तथा 22)–(1)

नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेष्ज्ञन ग्रहीता को सम्भरित कोई षीरा किसी अन्य व्यक्ति को संकमित नहीं किया जायेगा।

(2) नियंन्त्रक की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी प्रदेषन ग्रहीता को प्रदिश्ट षीरा के प्रयोग उस प्रयोजन के,जिसके लिये वह प्रदिश्ट किया गया हो, भिन्न प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।

22. आसवनियों और औद्योगिक विकास के लिये अन्य व्यक्तियों को षीरे की बिक्री या सम्भरः– षक्कर के कारखाने में उत्पादित षीरे की बिक्री या सम्भरण केवल आसवनियों या औद्योगिक विकास के प्रयोजनों के लिये वास्तविक रूप से अपेक्षा रखने वाले अन्य व्यक्तियों से किया जायेगा।

23. प्राषसनिक षुल्क (धारा–22)– प्रत्येक षक्कर के कारखाने का अध्यासी उसके द्वारा विक्रय या सम्भरण किए गए षीरे पर देय प्रषासनिक षुल्क की धनराषि उस जिले,जिसमें षक्कर का कारखाना स्थित है,के कोशागार या उप कोशागार में जमा करेगा और षीरे को वास्तव में खरीदार को देने के पूर्व षक्कर के कारखाने के प्रभारी आबकारी अधिकारी को ऐसी अदायगी के साक्ष्य के रूप में कोशागार चालान प्रस्तुत करेगा।

24. षीरे के परिवहन पर प्रतिबन्ध– कोई भी व्यक्ति जब तक की नियन्त्रक से लिखित अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उत्तर प्रदेष के बाहर किसी षीरे का परिवहन करेगा और न ही करायेगा।

25. षीरे को षक्कर के कारखाने से हटाना (धारा–22)–(1)कोई भी षीरा षक्कर के किसी कारखाने के भू–गृहादि से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसका वजन या माप न किया गया हो और षीरा प्रपत्र–4 में निश्कासन पत्र जारी न किया गया हो। यह निश्कासन–पत्र कारखाने के अध्यासी या नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पॉच प्रतियों में जारी किया जायेगा। निश्कास–पत्र की एक प्रति षक्कर के कारखाने के अध्यासी के पास रहेगा,एक प्रति षक्कर के कारखाने के भू–गृहादि से षीरा हटाये जाने के पूर्व षक्कर कारखाने में तैनात

आबकारी उप निरीक्षक को दी जायेगी,एक प्रति नियंत्रक को भेजी जायेगी और एक प्रति उस सर्किल के जिसमें षक्कर का कारखाना स्थित हो,आबकारी निरीक्षक को भेजी जायेगी।

25. प्रेशण की रसीद का सत्यापन–(2) परेशण की प्राप्ति पर परेशित प्राप्त मात्रा का सत्यापन करेगा और निश्कासन पत्र की दूसरी ओर उन्हे लिखेगा और उसे सम्बद्व षक्कर के कारखाने के अध्यासी को वापस कर देगा। परेशिती इस बात की पर्याप्त सावधानी बरतेगा कि अभिवहन में छीजन या कमी एक प्रतिषत से अधिक न हो। यदि छीजन या कमी एक प्रतिषत से अधिक हो तो परेशिती नियम के उल्लंघन के लिए अधिनियम के अधीन आरोपित षास्ति का भागी होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियंत्रक के सन्तोशानुसार यह साबित कर दिया जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन या कमी दुर्घटना या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो परेशिती षास्ति का भागी न होगा।

(3) सत्यापन के लिए प्राधिकृत अधिकारी– उत्तर प्रदेष में आसवनियों में प्रयोग के लिये भेजे जाने वाले परेशण को सम्बद्व आसवनी के प्रभारी आबकारी निरीक्षक या नियंत्रक द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आसवक या उनके प्रतिनिधियों के सामने सत्यापित किया जायेगा और परिणाम निश्कासन–पत्र के दूसरी और लिखा जायेगा।

अध्याय चार
नमूने का विश्लेषण तथा परीक्षा

26. आसवनी शीरे की प्राप्ति (धारा 22)– कोई भी आसवनी, जिसके पक्ष में धारा 8 के अधीन शीरा प्रविश्टि किया गया हो, ऐसी आज्ञा के अनुसरण में आसवनी में प्राप्त शीरे किसी परेशण के किसी भाग को आसवनी के प्रभारी अधिकारी अथवा नियंत्रक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना न उतारेगी न प्रयोग करेगी। आसवनी भी, शक्कर के कारखानों से प्राप्त शीरे का एक लेखा शीरा प्रपत्र 11 में रखेगी और उसकी एक शुद्ध प्रतिलिपि नियंत्रक को प्रत्येक आगामी मास के पांचवें दिनांक तक प्रस्तुत करेगी।

27. आसवनी में प्राप्त शीरे का सत्यापन तथा परीक्षण (धारा 22)– प्रभारी अधिकारी या नियम 26 के अधीन प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी प्रत्येक परेशण की प्राप्ति पर तुरन्त आसवनी की प्रयोगशाला की सहायता से शीरे की मात्रा और गुण को अवधारित करेगा और अपने द्वारा किये गये सत्यापन और परीक्षण के परिणाम को प्रपत्र संख्या–4 में उस निश्कासन पत्र की दूसरी ओर, जो उसे परेशण के साथ शक्कर के कारखाने के अध्यासी से दो प्रतियों में प्राप्त हो, लिखेगा। निश्कासन पत्र की एक प्रतिलिपि आसवनी में रख ली जायेगी और उसकी दूसरी प्रतिलिपि प्रभारी अधिकारी द्वारा शक्कर के कारखाने के अध्यासी को भेज दी जायेगी जिससे कि वह पश्चातवर्ती को परेशण के आसवनी के फाटक पर पहुंचने के एक सप्ताह के भीतर मिल जाय।

28. आसवनियों पर नियम 8 का लागू होना (धारा–22)– नियम 8 के उपबन्ध सभी आसवनियों पर आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे।

29. शीरे का नमूना लेने की रीति तथा शीरे की श्रेणी के संबंध में विवाद तय करने की प्रकिया–(1) जब कभी इस निमित्त नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नमूने लिये जायें तो, वह नमूने को दो प्रतियों में, जिसे वह अपनी मुहर से मुहरबन्द करेगा, शक्कर के कारखाने के अध्यासी के पास या सम्बद्ध आसवनी के लाइसेन्सधारी के पास, छोड़ देगा और वह तब तक उसकी निरापद

अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगें जब तक कि उक्त अधिकारी द्वारा उसे नश्ट करने की आज्ञा न दे दी जाये।

(2) शीरे की श्रेणी के संबंध में किसी विवाद के होने की दशा में मामले को, नियंत्रक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उप नियम (3) में दी गयी प्रकिया के अनुसार निर्दिश्ट किया जायेगा और मूल्य का भुगतान उक्त प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर नियंत्रक द्वारा घोशित श्रेणी के अनुसार किया जायेगा।

(3) यदि सम्बद्ध शक्कर के कारखाने के अध्यासी या आसवनी के लाइसेन्सधारी को, आबकारी निरीक्षक के निश्कर्श पर आपत्ति हो तो वह ऐसे परीक्षण के दिनांक से चौदह दिन के भीतर, लिखित रूप में, आबकारी निरीक्षक से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह शीरे का एक नमूना नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भेज दे। प्रतिबन्ध यह है कि, यथास्थिति, शक्कर के कारखाने का अध्यासी या आसवनी का लाइसेन्सधारी उस व्यय को, जो नमूने के भेजने और उसके परीक्षण पर व्यय करना पड़ेगा, वहन करेगा।

(4) सड़क द्वारा परिवहन किये जाने की दशा में यदि शक्कर के कारखाने से शीरा प्राप्त करने वाले प्रदेशन ग्रहीता का शक्कर के कारखाने द्वारा घोशित श्रेणी के संबंध में समाधान न हो तो वह उस क्षेत्र के जहां पर शक्कर का कारखाना स्थित हो, उप निरीक्षक, आबकारी या आबकारी निरीक्षक, शीरा को परीक्षण शुल्क के साथ लिखित रूप में आवेदन कर सकता है कि उस संग्रहण टंकी के शीरे को जिससे शक्कर के कारखाने द्वारा शीरा सम्भरित किया गया था लारी या ठेला में लदे शीरे का शक्कर की ठीक–ठीक अन्तर्वस्तु की घोशणा करने के लिए उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परीक्षण करायें। मूल्य ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा घोशित श्रेणी के अनुसार होगा। यदि निम्न श्रेणी की घोशणा की जाये तो शक्कर का कारखाना प्रदेशन ग्रहीता को वसूल की गयी अतिरिक्त धनराशि ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के परीक्षण शुल्क के साथ वापस करने के लिए बाध्य होगा। उप नियम (1) से (3) के उपबन्ध, यथास्थिति, निवासी उप निरीक्षक, द्वारा नमूने लेने के संबंध में भी लागू होंगे।

(5) नियंत्रक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना नियंत्रक की आज्ञाओं के अंतर्गत शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा सम्भरित शीरा उतारने से कोई भी आसवनी इन्कार नहीं करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि आबकारी आसवकों द्वारा परीक्षण करने पर उनसे सहमत हों कि शक्कर के किसी कारखाने द्वारा सम्भरित शीरा ऐसी श्रेणी का है, जो आसवनी के प्रयोग के लिए इस कारण अनुपयुक्त है कि उसमें कुल शक्कर के 40 प्रतिशत के रिड्यूसिंग शक्कर है (जिसे कम शक्कर अभिव्यक्त किया गया है) तो आसवनी ऐसे शीरे को उतारने से इन्कार कर सकती है और उस शीरे को शक्कर के कारखाने के व्यय पर लौटा देगा। यदि उप नियम (3) के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे शीरे के पश्चात्वर्ती विश्लेशण पर शीरे को आसवनी के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त घोशित किया जाता है तो आसवनी ऐसे व्ययों और प्रतिकर का, यदि कोई हो, जो नियंत्रक द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत ऐसे अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, भुगतान करने के लिए दायी होगा।

30. शीरे के विश्लेशण की विधि (धारा 22)– (1) शक्कर के कारखाने के अध्यासी को आसवनी द्वारा शक्कर के मूल्य के लिए भुगतान की दर निम्नलिखित प्रकार के शक्कर की श्रेणी पर आधारित होगीः

(क) जब शीरे का परिवहन रेल द्वारा किया जाये तब श्रेणी नियम 29(3) के अधीन आसवनी के लिए निर्धारित श्रेणी होगी।

(ख) जब शीरे का परिवहन सड़क द्वारा किया जाये तब श्रेणी शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा निर्धारित और शीरा प्रपत्र–4 में निश्कासन पत्र में अभिलिखित श्रेणी होगी।

(2) आसवनी शीरे का परिदान लेने के पश्चात तुरन्त शक्कर के कारखाने के अध्यासी को मूल्य और शीरे पर अन्य उद्ग्रहणों का भुगतान करेगा। यदि शक्कर मिल आसवनी द्वारा शीरे का मूल्य का भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् उसके परिदान

में विलम्ब करता है या अन्य बाधायें उत्पन्न करता है, तो शक्कर के कारखाने का अध्यासी नियमों के उल्लंघन के लिए दाण्यिक कार्यवाही का भागी होगा।

अध्याय–पांच

लेखा

32. शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र (धारा 17 तथा 22)– प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी उत्पादित, संगृहीत, निर्गत किये गये, बेचे गये या क्षेप्य शीरे का ठीक–ठीक दैनिक लेखा शीरा प्रपत्र–5 के रजिस्टर में रखेगा और चालू मौसम के शीरे तथा पिछले मौसम के शीरे के सम्बन्ध में कमशः शीरा प्रपत्र–1 और शीरा प्रपत्र–2 में पाक्षिक तथा मासिक विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगा। शक्कर के कारखाने का अध्यासी प्रत्येक मास के पन्द्रहवें तथा अन्तिम कार्य दिवस को शीरा प्रपत्र–5 के रजिस्टर के सभी स्तम्भों का पाक्षिक योग निकालेगा और उनका उद्वहरण नियंत्रक को नियत प्रपत्र, शीरा प्रपत्र–1 और शीरा प्रपत्र–2 में प्रत्येक मास के प्रथम और सोलहवें दिनांक को प्रस्तुत किया जायेगा।

33. लाइसेंसधारियों तथा अन्य प्रदेशनग्रहीताओं के लिए आसवनियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण–पत्र (धारा 17 तथा 22)–

(1) आसवनियों के स्वामी आसवनी के लिए सभी प्राप्त तथा प्रयोग किये गये और शेश बचे शीरे का एक अभिलेख इस नियमावली से संलग्न शीरा प्रपत्र–6 के भाग 1 और 2 में रखेंगे और प्रत्येक मास में आसवनी में प्राप्त, प्रयोग किये गये और शेश शीरे की एक शुद्ध मासिक संक्षिप्ति प्रत्येक आगामी मास के पांचवें दिनांक को शीरा प्रपत्र–10 में नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

(2) आसवनियों (असोत्र बाह्य (वनज `जपसस) के अतिरिक्त) से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओं की दशा में शीरे का लेखा शीरा प्रपत्र–6 के भाग 3 के रजिस्टर में, जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है, रखा जायेगा और प्रदेशन ग्रहीता उससे एक शुद्ध मासिक संक्षिप्ति उस प्राविनिन्शयल आबकारी निरीक्षक को, जिसकी सर्किल में औद्योगिक इकाई हो, भेजेगा।

(3) असोत्र बाह्य लाइसेंसधारी शीरे का लेखा शीरा प्रपत्र 6 के भाग 3 में, जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है, रखेंगे और उसकी एक शुद्ध मासिक संक्षिप्ति उस आबकारी निरीक्षक को, जिसकी सर्किल में दुकान हो, प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय–छः

विविध

34. रजिस्टर तथा अभिलेखों के रखने की रीति एवं उनके निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी (धारा17)– प्रत्येक शक्कर के कारखाने का अध्यासी ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों तथा लेखा को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए रखेगा जैसा कि इस नियमावली के परिशिश्ट–2 में दिया गया है।

तहसीलदार के पद के और उसे उच्च श्रेणी के सभी राजस्व अधिकारियों और उप निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक के पद के और उससे उच्च श्रेणी के आबकारी विभाग के सभी अधिकारियों को शक्कर के कारखानों की और शीरे के सभी अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं को, जो उनके क्षेत्राधिकार के भीतर हों, शीरा संग्रहण टंकियां और उनके लेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

35. निरीक्षण अधिकारियों के लिए निरीक्षण पुस्तिका (धारा–22)– शक्कर के कारखाने के सभी अध्यासी और अन्य सभी प्रदेशन ग्रहीता निरीक्षण अधिकारियों के लिए शीरा प्रपत्र–12 में एक निरीक्षण पुस्तिका रखने के लिए बाध्य होंगे जिससे कि वे उसमें अपनी निरीक्षण टिप्पणी लिख सकें। शक्कर के कारखानों के अध्यासी, पूर्ववर्ती नियम के अधीन अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अभिलिखित प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रतिलिपि सीधे नियंत्रक को और एक प्रतिलिपि उस प्रभाग के, जिसमें कारखाना स्थित हो, उप आबकारी आयुक्त या सहायक आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

36. अभिग्रहीत शीरे का नमूना लेना, उसकी निगरानी की व्यवस्था करना तथा अभिग्रहीत वस्तुओं को पुलिस की अभिरक्षा में देना–(1) अधिनियम या इस नियमावली के अधीन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी अभिग्रहीत शीरे के दो नमूने लेगा और लिये गये नमूनों को तुरन्त मुहरबन्द कर देगा। उस व्यक्ति को भी, जिसके कब्जे से अभिग्रहीत वस्तुयें पायी गयी हों, उक्त नमूनों पर अपनी मुहर लगाने की, यदि वह चाहे, अनुमति दे दी जायेगी। एक नमूना उस व्यक्ति को दिया जायेगा और दूसरा नमूना अभिग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा रख लिया जायेगा। यदि

वह व्यक्ति दिये जाने वाले नमूने को लेने से इंकार करे अथवा उसकी प्राप्ति स्वीकार न करे तो अभिग्रहण करने वाला व्यक्ति उसी स्थान पर इस आशय का एक ज्ञाप पत्र दो प्रतियों में तैयार करेगा और दोनों अभिग्रहीत नमूने अपने पास रख लेगा। ज्ञाप पत्र की एक प्रतिलिपि नियंत्रक को सूचना के लिए भेजी जायेगी।

(2) अभिग्रहण करने वाला अधिकारी उप नियम (1) के अधीन अभिग्रहीत स्टाक की निगरानी के लिए किसी को तैनात कर सकता है।

(3) पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी अधिनियम या इस नियमावली अथवा तद्धीन किसी आज्ञा के अन्तर्गत अभिग्रहीत सभी वस्तुओं को, मजिस्ट्रेट या नियंत्रक की आज्ञा होने तक, जो उसे दी जाये, अपने अधिकार में लेगा और तब तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जब तक कि क्षेत्राधिकारयुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रूप से अभिरक्षा के लिए निर्देश न दे दिये जायें।

(4) यदि अधिनियम या इस नियमावली या तदधीन किसी आज्ञा के अन्तर्गत अभिग्रहीत कोई वस्तु आसवनी से पुलिस थाने को न ले जाई जा सके तो अभिग्रहण करने वाला अधिकारी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई अन्य व्यवस्था कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए पुलिस, आबकारी या राजस्व विभाग या किसी नगरपालिका या पंचायत के किसी अधिकारी या किसी गांव के चौकीदार की सहायता ले सकता है और ऐसा अधिकारी या गांव का चौकीदार उस दशा में अपेक्षित सीमा तक सभी संभव सहायता देने के लिए बाध्य होगा।

(5) अधिनियम या इस नियमावली के अधीन अभिग्रहीत शीरे का नमूना, शक्कर की मात्रा या अन्य विशिश्टियों को सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट की आज्ञा द्वारा नियम 29 के उप नियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जा सकता है।

अध्याय–सात

जब्त किये गये शीरे तथा वस्तुओं का निस्तारण

37. जब्त किये गये शीरे तथा वस्तुओं का निस्तारण (धारा 11 (2) तथा 22)– अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत जब्त किये गये शीरे या वस्तुओं अथवा दोनों का निस्तारण तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि जब्ती की आज्ञा के विरूद्ध अपील की अवधि समाप्त न हो जाये अथवा यदि ऐसी आज्ञा के विरूद्ध कोई अपील की गयी हो तो जब तक कि अपील का निस्तारण न हो जाये।

38. जब्त किये गये शीरे के निस्तारण की रीति (धारा 11 (2) तथा 22)–
(1) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन जब्त किया गया सभी शीरा या ऐसा शीरा, जो अधिनियम के अधीन जब्त किये जाने योग्य हो किन्तु जिसे धारा 16 के अधीन अभियुक्त के पक्ष में नियंत्रक द्वारा छोड़ा न गया हो या धारा 16 के अधीन नियंत्रक, अभियुक्त द्वारा भुगतान किये जाने पर छोड़ने का प्रस्ताव करे किन्तु जिसे अभियुक्त द्वारा स्वीकार न किया जाये, उपनियम (2) के अनुसार रीति से निस्तारित किया जायेगा।
(2) जब्त किया गया ऐसा सभी शीरा जिसका वजन एक सौ क्विंटल या उससे कम हो, कलेक्टर की आज्ञा से सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जायेगा। यदि जब्त किया गया शीरा उपर्युक्त वजन से अधिक हो तो कलेक्टर नियंत्रक को इस संबंध में लिखेगा और शीरे का निस्तारण ऐसी रीति से उसकी आज्ञा के अधीन किया जायेगा जिससे कि उसका उपयोग सर्वोत्तम लाभ के लिए किया जा सके, यदि उसे प्रदेशन संग्रहीता को प्रदिश्ट करना उपर्युक्त हो तो उसे प्रदिश्ट कर दिया जायेगा, अन्यथा नीलाम करके उसे बेच दिया जायेगा।

39. नियंत्रक द्वारा प्राप्त राशि जमा करने का लेखा शीर्शक (धारा 16 तथा 22)– धारा 16 के अधीन नियंत्रक द्वारा प्राप्त कोई भी धनराशि सरकार के नाम शीर्शक–''46–विविध–विविध–विविध–शीरा अर्थ दंड'' के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

40. नियंत्रक की आज्ञा के विरूद्ध अपील (धारा 9 तथा 12)–अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) या (3) के अधीन नियंत्रक की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति

उस आज्ञा के, जिसके विरूद्ध अपील की जाये, दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है।

41. उप आबकारी निरीक्षक के लिए कार्यालय और आवास–गृह की व्यवस्था (धारा 18)– उप निरीक्षक के लिए कार्यालय और आवास–गृह शक्कर के प्रत्येक कारखाने का अध्यासी कारखाने की सीमाओं के भीतर आबकारी के उप उप निरीक्षकों के लिए उचित किराये पर, किन्तु जो आबकारी के उप निरीक्षक कुल मासिक आधारभूत वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो, उपयुक्त आवास–गृह की व्यवस्था करने के लिए बाध्य होगा।

(2) यदि कारखाने द्वारा उप निरीक्षक का व्यवस्थित आवास स्थान ऐसे स्थान पर स्थित हो जिससे कि उप निरीक्षक अधिनियम या इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों तथा कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो अध्यासी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उक्त प्रयोजन के निमित्त उप निरीक्षक के लिए निःशुल्क कार्यालय स्थान की व्यवस्था करे।

(3) किराया या आवास–गृह अथवा कार्यालय स्थान की उपयुक्तता के बारे में विवाद होने की दशा में, उक्त मामला नियंत्रक को अभिदिश्ट किया जायेगा और उस पर नियंत्रक का निर्णय अंतिम तथा बन्धनकारी होगा।

टिप्पणी

उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, दिनांक जुलाई 18, 1974 में प्रकाशित आबकारी अनुभाग विज्ञप्ति संख्याः16212ई/तेरह–272–73 दिनांकित जुलाई, 1974 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 निम्नांकित नियमावलियों द्वारा संशोधित की गयी हैः–

प्रथम संशोधन–उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग–4 खण्ड (क) दिनांक सितम्बर 25, 1979 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्याः7657ई/तेरह–267–77 दिनांकित सितम्बर 25, 1979 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) नियमावली 1979.

द्वितीय संशोधन–उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांक अक्टूबर 22, 1990 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या 361ई–2/तेरह–372–88 दिनांक अक्टूबर 22, 1990 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990.

तृतीय संशोधन–उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांक 16 अगस्त, 1993 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या 3453ई–2/तेरह–93–372–88 दिनांक 16 अगस्त, 1993 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993.

चतुर्थ संशोधन–उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांक जनवरी 19, 1996 में प्रकाशित तथा विज्ञप्ति संख्या 2171ई–2/तेरह–96–372–88 दिनांक जनवरी 19, 1996 द्वारा जारी की गयी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1996.

परिशिश्ट–1

(नियम 9 देखें)

संख्या–1. शीरा टंकियों में संग्रहीत शीरे के लिए नमूना लेने के यंत्र

इसमें 1 लीटर से $1^{1/2}$ लीटर तक की धारिता वाला आयुक्त धातु का सिलेंडर होगा जिसमें एक हटाया जा सकने वाला शीर्श लगा होगा, सिलेंडर छड के एक सिरे से टांकें से जुड़ा होगा। वह छड़ पर्याप्त लम्बी होगी जिससे कि वह शीरे का नमूना लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऊपर से उस समय ठीक प्रकार से पकड़ी जा सके जब किसी भी शीरा टंकी से नमूना लिया जा रहा हो और उसके दूसरे सिरे पर लगे सिलेंडर को सम्बद्ध शीरा टंकी की तली तक डाला गया हो।

सिलेंडर का हटाया जा सकने वाला शीर्श एक अन्य सीधी छड़ से जुड़ा होना चाहिए जिससे कि सिलेंडर को शीरा टंकी में अपेक्षित गहराई तक ले जाये जाने तक उसका ढक्कन हटाया जा सके।

धातु की दो छड़ों से छोटे छल्ले के साथ समकोण पर इस प्रकार जुड़ी होगी जिससे कि छड के समानान्तर रखा जा सके और सिलेंडर को खोलते समय या बन्द करते समय वे ऊपर तथा नीचे हटायी जा सकें।

स्पश्टीकरण–सिलेन्डर जिस पर ढक्कन लगा होगा, उस टंकी में, जिससे शीरे का नमूना लेना है, उस गहराई तक, जहां से नमूना लेना अपेक्षित हो, नीचे डाला जायेगा। तद्पश्चात ढका हुआ शीर्श छड़ की सहायता से हटाया जायेगा और सिलेंडर ढक्कन से बन्द किया जायेगा और नमूना सहित सिलेंडर बाहर निकाल दिया जायेगा।

संख्या–2. सेन्टीग्रेट थर्मामीटर सहित ब्रिक्स हाइड्रोमीटर।

संख्या–3. शीरे का नमूना रखने के लिए डेढ़ (कम से कम 4) लीटर की धारिता के सुरक्षित पात्र।

संख्या–4. निम्नलिखित बाटों के सममूह सहित रसायनिक तुला एक हजार ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, दो 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, 500 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम

तथा 100 मिलीग्राम का 1,50 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम तथा 1 मिलीग्राम का एक आरोहक (राइडर)।

250 तथा 500 मिलीमीटर के दो मापक पलघ (मेजरिंग प्लास्क)

संख्या–5. कांच कलश (ग्लास जार)– यह कांच का सेलेंडर हो सकता है, जो उपयोग में लाये जाने वाले विभार तरल (ब्रिक्स हाइड्रोमीटर) के लिए उपयुक्त हो।

संख्या–6. दो कांच के बीकर, जिनमें से प्रत्येक की धारित लगभग 500 घन सेंटीमीटर होगी।

संख्या–7. न्यासव–तुत्थ (फेहलिंग्स सोल्यूशन), अपिस्नेह उपान्तरण (साक्सलेट्स मोडिफिकेशन)।

संख्या–8. नमन छड़ें (डिपराड्स)– यह शक्कर के कारखाने तथा आसवनियों की संग्रहण टंकियों में शीरे की गहराई नापने के प्रयोजनो के लिए काश्ठ या धातु की बनी होगी।

नमन छड़ 'एल' के आकार की बनी होगी। भुजा की लम्बाई शीरे की संग्रहण टंकी की अधिकतम गहराई से लगभग 3 फुट अधिक होगी। यह सेन्टीमीटरों तथा आधे सेन्टीमीटरों में अंक शोधित की जायेगी।

भुजा 3 फुट या इससे अधिक बड़ी होगी जिससे कि टैंक के किनारे से कम से कम ढ़ाई फुट दूर खड़े होकर नमन छड़ को डुबाने वाला व्यक्ति भुजा को शीरा टंकी के भीतर डाल सके।

टिप्पणी–(1). प्रत्येक संग्रहण टंकी के लिए एक नमन छड़ होगी।

(2) इस्पात की टंकियों की दशा में शीरे की गहराई बताने के लिए एक उचित प्रकार का प्लब (फ्लोट) प्रयुक्त किया जा सकता है। इस पर बाहर की ओर आधा सेन्टीमीटर में अंशोधन होंगे।

परिशिश्ट–2

(नियम 34 देखें)

क0 सं0	रजिस्टर/विवरण पत्र–अभिलेख/विवरणों का ब्यौरा	किसके द्वारा रखा जायेगा और/या भेजा जायेगा	जिसको प्रेशित होगा	प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक	नियत प्रपत्र	अवधारण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखाने में शीरे के उत्पादन तथा पाक्षिक विवरण पत्र	समस्त शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा	शीरा नियंत्रण उत्तर प्रदेश तथा अन्य व्यक्ति को जैसा कि संलग्न प्रपत्र में दिया गया है	पिछले पखवारे के संबंध में सोलहवें दिनांक कों	शीरा प्रपत्र–1	3 वर्श
2	उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखाने में पिछले मौसम के शीरे का स्टाक का विवरण–पत्र	तदैव	तदैव	पिछले मास के लिए प्रत्येक माह के पांचवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र–2	3 वर्श
3	रेलवे टंकी बेगनों के लिए मांग पत्र भेजने तथा उनके स्थापन का पाक्षिण विवरण–पत्र	तदैव	तदैव	पिछले पखवारे के लिए प्रत्येक माह के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को	शीरा प्रपत्र–3	2 वर्श
4	प्रवेश पत्र	तदैव	तदैव	शक्कर के कारखाने से शीरा निकलने के दिन	शीरा प्रपत्र–4	5 वर्श
5	शीरा प्राप्ति का प्रमाण–पत्र	उत्तर प्रदेश के किसी भी शक्कर के कारखाने से शीरा प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति	शीरा भेजने/देने वाले शक्कर के कारखानों के अध्यासियों को	परेशण प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर	शीरा प्रपत्र–4 के दूसरी और	5 वर्श
6	शक्कर के कारखाने के शीरे के हिसाब का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों	...	...	शीरा प्रपत्र–5	स्थायी

		के अध्यासियों द्वारा				
7	आसवनी के शीरे के लेखे का रजिस्टर	उत्तर प्रदेश की आसवनी तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीता	...	...	शीरा प्रपत्र–6	स्थायी
8	टंकीवार संग्रहण शीरे का पाक्षिक विवरण पत्र जिसमें परतवार शीरे की शर्करा शक्कर की मात्रा दी जाये	शक्कर के कारखाने के अध्यासी	1. शीरा नियंत्रक 2. सम्बद्ध आसवक को	जैसा नियम 11 में निर्देश दिया गया	शीरा प्रपत्र–7	10 वर्श
9	शीरे के सम्भरण के लिए वार्शिक मांग पत्र	उत्तर प्रदेश के समस्त आसवक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश	सम्बन्धित वर्श (जो पहली नवम्बर से प्रारम्भ हो) के पूर्व पहली सितम्बर	शीरा प्रपत्र–8	3 वर्श
10	शीरे के वार्शिक उत्पादन का अनुमान	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी	तदैव	सम्बन्धित वर्श (जो पहली नवम्बर से प्रारम्भ हो) के पूर्व 31 अगस्त	शीरा प्रपत्र–10	3 वर्श
11	शीरे के संग्रहण का मासिक विवरण पत्र	उत्तर प्रदेश के समस्त आसवक	शीरा नियंत्रक उत्तर प्रदेश और प्रभार के सहायक आबकारी आयुक्त	पिछले माह के लिए, प्रति माह के पांचवें दिनांक तक	शीरा प्रपत्र–10	3 वर्श
12	शीरा प्राप्त होने का विवरण	तदैव	शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश	तदैव	शीरा प्रपत्र–11	3 वर्श
13	निरीक्षक पुस्तक...	उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी	...	...	शीरा प्रपत्र–12	स्थायी
14	उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों के अध्यासियों को व्यापार के लिए मुक्त किये गये शीरे के बारे में घोशणा	उत्तर प्रदेश में समस्त शक्कर के कारखानों	केताओं तथा अन्य व्यक्तियों को जैसा कि वहां	शक्कर के कारखाने से इस प्रकार के शीरे के	शीरा प्रपत्र–13	5 वर्श

		के अध्यासी	संलग्न प्रपत्र में दिया गया है	प्रत्येक परेशण में दिये जाने पर			
15	शीरे के लिए संग्रहण टंकी का गेज रजिस्टर	समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासी और आसवनियां	शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश	प्रत्येक वर्श 31 अगस्त	शीरा प्रपत्र–14		स्थायी

शीरा प्रपत्र–1

(नियम 31–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

टंकीवार पाक्षिक तथा साप्ताहिक विवरण–पत्र जिसमें दिनांक.....को समाप्त होने वाली अवधि में शक्कर के कारखाने में चालू मौसम में शीरे का उत्पादन और प्रेशण (प्रत्येक माह के प्रथम और सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा और सभी मात्रा क्विन्टलों में दी जायेगी)

संग्रहण टंकी की क्रम संख्या	पखवारे के प्रारम्भ में हिसाब से स्टाक में शीरे का प्रारम्भिक शेश	पखवारे में प्राप्त मात्रा	स्तम्भ 2 और 3 का योग	पखवारे में भेजा गया शीरा				
				आसवनी का नाम	सम्भारित मात्रा	आसोत्र बाह्य अनुज्ञाप्तियों को संभारित मात्रा	औद्योगिक इकाइयों को सम्भारित मात्रा	मुक्त आदेश के अधीन व्यापारियों को बेची गयी मात्रा
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	5(ड.)

स्तम्भ 5 (ख), 5(ग), 5(घ) और 5(ड.) का योग	पखवारे के अंत में शीरे का इतिशेश स्तम्भ 4 एवं 6 का अन्तर घटना चाहिए	वास्तविक सत्यापन के पश्चात् पखवारे के अंत में वास्तविक इतिशेश	संग्रहण क्षय	प्रतिशत क्षय	टंकी के परिणाम	शीरे के विश्लेशण का		अभ्युक्ति
					शर्करा	शक्कर की प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	विश्लेशक का नाम और हस्ताक्षर	
6	7	8	9	10	11(क)	11(ख)	11(ग)	12

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय– (1). विवरण–पत्र कार्बन पेपर से चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में नियुक्त निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, शीरा को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाये।

(2) यदि किसी मास में किसी शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाये तो उसे अभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण–पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह से स्पश्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ 10 के प्रतिशत की गन्ना स्तम्भ 4 में दी गयी मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण की अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पश्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग–अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अंत में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

शीरा प्रपत्र–2

(नियम 31 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

महीने वार विवरण–पत्र जिसमें.....197 के लिए.....शक्कर के कारखाने में पिछले मौसम के शीरे का टंकीवार स्टाक और उसका निस्तारण दिया गया है।

संग्रहण टंकी की संख्या	मास के प्रारम्भ में लेखानुसार स्टाक में शेश शीरा	मास में भेजा गया शीरा	आसवनी का नाम	आसोत्र बाह्य अनुज्ञापियों को सम्भारित मात्रा	औद्योगिक इकाइयों को संभारित मात्रा	सम्मोचन आज्ञा के अधीन व्यापार को बेची गयी मात्रा	स्तम्भ 3(ख), (ग), (घ) और 4 का योग
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4	5

मास के अंत में शीरे का इतिशेश स्तम्भ 2, स्तम्भ 5	मास के अंत में टंकीवार वास्तविक इतिशेश	संग्रहण	प्रतिशत क्षय	शीरे का शर्करा	विश्लेशण का शक्कर की प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	परिणाम विश्लेशक का नाम और हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
6	7	8	9	10(क)	10(ख)	10(ग)	11

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय–(1) विवरण–पत्र कार्बन पेपर से चार प्रतियों में तैयार किये जाने चाहिए। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में नियुक्त उप निरीक्षक आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, शीरा को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाये।

(2) यदि किसी मास में किसी टंकी के शीरे में शर्करा या शक्कर की कुल प्रतिशत में कमी हो जाये तो इसे अभ्युक्ति स्तम्भ में या विवरण–पत्र की दूसरी ओर एक पृथक टिप्पणी में पूरी तरह स्पश्ट किया जाना चाहिए।

(3) स्तम्भ 9 में अपेक्षित प्रतिशत की गणना स्तम्भ 2 में दी गयी कुल मात्रा पर की जानी चाहिए।

(4) एक टंकी से दूसरी टंकी में संक्रमण को अभ्युक्ति स्तम्भ में स्पश्ट किया जाना चाहिए।

(5) प्रत्येक टंकी का लेखा अलग–अलग दिया जाना चाहिए और लेखे के अंत में एक मोटी रेखा खींच दी जानी चाहिए।

शीरा प्रपत्र–3

(नियम 17 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की.....शक्कर के कारखाने के .....19.....को समाप्त होने वाले पक्ष में रेलवे टंकी बैगनों के लिए मांग पत्रों और उनकी स्थापना का पाक्षिक विवरण–पत्र।

मास तथा दिनांक	शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा मांगे गये टंकी बैगनों की संख्या	शक्कर के कारखाने द्वारा रेलवे को भेजे गये पत्र की अभिदेय संख्या	कारखाने की साइडिंग में उस दिनांक को दिये गये रिक्त टंकी बैगनों की संख्या	उस दिनांक को शीरे से लदे हुए भेजे गये बैगनों की संख्या
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

28
29
31
31
पखवारे का कुल योग

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।
शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय–(1) यह विवरण पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जायेगी, दूसरी प्रति कारखाने में तैनात उप निरीक्षक, आबकारी को और यदि कोई उप निरीक्षक, आबकारी न हो तो उस क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक शीरा को दी जायेगी और चौथी प्रति शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा कार्यालय अभिलेख के रूप में रख ली जायेगी।

(2) यह विवरण–पत्र विगत पखवारे के लिए शीरा प्रपत्र–1 के साथ प्रत्येक मास के प्रथम तथा सोलहवें दिनांक को भेजा जायेगा।

(3) उन दिनांकों को काट दीजिए जो पखवारे से सम्बन्धित हो।

शीरा प्रपत्र–4

(नियम 18–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

पुस्तिका संख्या.....प्रवेश पत्र संख्या.....मूल/दूसरी/तीसरी/चौथी/पांचवीं/प्रति दिनांक.. .....

1. शक्कर के कारखाने का नाम

   परमिट संख्या

2. .....दिनांक.....तक वैध।

   प्रवेशन आज्ञा संख्या

3. क्रेता का नाम और पता.....

4. रेल/लारी/ठेला.....द्वारा भेजा गया/दिया गया।

5. शीरे की टंकी खाते/दिये जाने का विवरण.....

संग्रहण टंकी जिससे शीरा भेज दिया गया		टंकी/बैगन/टिन/लारी, पात्र जिनका उपयोग किया गया हो	भेज/दिये गये शीरे का विवरण			
संग्रहण टंकी का प्रकार	संग्रहण टंकी की कम संख्या		मात्रा (क्विंटल)	शर्करा	जितने प्रतिशत कुल शक्कर है (अपचायक शक्कर के रूप में)	श्रेणी
(क)	(ख)		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1		2			3	

शक्कर के कारखाने के अध्यासी का हस्ताक्षर और दिनांक

टिप्पणी–(1) प्रवेश–पत्र कार्बन की सहायता से चार प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगाः–

मूल प्रति कारखाने में नियुक्त उप निरीक्षक आबकारी को या उसकी अनुपस्थिति में आबकारी अधिकारी को, जो नियंत्रक द्वारा नाम निर्दिश्ट किया जाये, दूसरी तथा तीसरी प्रतियां शीरे के साथ जायेंगी, दूसरी प्रति शीरे के प्राप्ति के पश्चात् पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ लौटा दी जाये और चौथी प्रति शक्कर के

कारखाने के अध्यासी के द्वारा कार्यालय के अभिलेख के रूप में सावधानी के साथ रख ली जाये।

(2) पंक्ति संख्या 4 में निम्नलिखित लिखियेः–

(1) यदि शीरा रेल द्वारा भेज दिया गया हो, उस रेलवे स्टेशन का नाम

(2) यदि शीरा लारी द्वारा भेज दिया गया हो और साथ में परिमिटधारी या उनका प्रतिनिधि न हो तो लारी ड्राइवर का नाम

(3) यदि शीरा गाडी (कार्ट) या ठेले, आदि से भेज दिया गया हो तो परमिटधारी या उसके प्रतिनिधि का नाम

(3) पंक्ति संख्या 5 के स्तम्भ 2 मेंः–

(1) यदि शीरा रेल/लारी द्वारा भेज दिया जाये और टैंक बैगन नम्बर या लारी नम्बर।

(2) यदि शीरा पात्रों द्वारा भेज दिया जाये/दिया जाये तो प्रत्येक प्रकार के पात्रों (टीन, ड्रम आदि) की कुल संख्या और प्रत्येक प्रकार के पात्रों में शीरे की औसत मात्रा (क्विंटलों में) दर्ज कीजिये।

प्रमाणित किया जाता है कि .....क्विंटल शीरा.....शर्करा का प्रतिशत कुल शक्कर और.....श्रेणी का.....दिनांक..... को आसवनी में जैसा दिनांक.....को.....की सहायता से पूरे हुए नियंत्रण परीक्षण से पाया गया प्राप्त हुआ।

प्रभारी आबकारी निरीक्षक, शीरा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत आसवनी
हस्ताक्षर.....
दिनांक.....

प्रतिहस्ताक्षारित
आसवनी प्रबन्धक
दिनांकः

टिप्पणी–1–यदि आसवनी आबकारी निरीक्षक या शीरा नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये नियंत्रण परीक्षण से सहमत न हों तो प्रतिहस्ताक्षरित अपेक्षित नहीं है। ऐसी दशा में प्रबन्धक को चाहिए कि वह वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा का उल्लेख करें और उस पर हस्ताक्षर करें।

शीरा प्रपत्र–5

(नियम 31–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

शक्कर के कारखाने के शीरे के लेखे का रजिस्टर

टिप्पणी–(1)– इस रजिस्टर में शक्कर के कारखाने के शीरे की संग्रहण टंकियों की स्थिति प्रदर्शित करने वाला नक्शे (ठसनम च्तपदज) की एक प्रति अन्दर चिपकाये लिफाफे में रखी जायेगी।

(2) यह रजिस्टर अनुक्रमणिका सहित तीन भागों में होगा।

(3) सभी अंक क्विंटलों में होंगे।

(4) कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त समस्त शक्कर से है।

अनुक्रमणिका का प्रपत्र

1	2	3	
		विमा	
		.....	
शीरे संग्रहण संख्या	की टंकियों कम प्रविश्टि की संख्या	टंकी का प्रकार	लम्बाई, चौड़ाई, गहराई	ऐसे शर्करा प्रबन्धक पत्र के शीरे के अनुसार धारण करने की क्षमता
1				
2				
3				

शीरा प्रपत्र–5
भाग–1
चालू मौसम के शीरे का लेखा

दिनांक	लेखानुसार प्रारम्भिक स्टाक	दिनांक–––––को भेजा गया शीरा					लेखानुसार शीरे का इतिशेश		अभ्युक्तियां
		दिनांक को प्राप्त हुआ नये मौसम का शीरा	स्तम्भ 2 और 3 का योग	आसवनी	ओ0एस0 दुकान	औद्योगिक इकाइयां	मुक्त किये जाने के पश्चात व्यापार	स्तम्भ 5(क) 5(घ) तक का योग	मात्रा शर्करा	कुल शक्कर	
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6	7	8	9

शीरा प्रपत्र–5
भाग 2
चालू मौसम के शीरे का टंकीवार लेखा

टंकी की कम संख्या.....टंकी का प्रकार.....90 ब्रिक्स के शीरे के अनुसार धारणशक्ति.....विभाग.....पृश्ठ

दिनांक	लेखानुसार प्रारम्भिक स्टाक	दिनांक..... को प्राप्त शीरा			स्तम्भ 2 और 3(क) का योग	दिनांक.....को भेजा			
		मात्रा	शर्करा	कुल शक्कर		आसवनी का नाम	सम्भारित मात्रा	ओ0एस0 दुकान का नाम	सम्भारित मात्रा
1	2	3 (क)	3(ख)	3(ग)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)

औद्योगिक इकाइयों के नाम	सम्भारित मात्रा	व्यापार को बेचा गया	स्तम्भ 5(क) और 5(छ) का योग	लेखानुसार इतिशेश स्तम्भ 4–6	शीरे का विश्लेशण			स्टाक का सत्यापन करने वाले व्यक्ति का नाम और उसके हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
					परत	शर्करा	प्रतिशत कुल शक्कर		
5(ड)	5(च)	5(छ)	6	7	8(क)	8(ख)	8(ग)	9	10

शीरा प्रपत्र–5
भाग–3
टंकीवार पुराने शीरे का लेखा

दिनांक	टंकी की संख्या	लेखानुसार प्रारम्भिक स्टाक	आसवनी	दिनांक को भेजा गया शीरा		
				ओ0एस0 दुकान	औद्योगिक इकाइयां	व्यापार
1	2	3	4	5	6	7

स्तम्भ 3 (क) से 3(ख) तक का योग	लेखाकार शीरे का इतिशेश स्तम्भ 2–स्तम्भ 4	प्रबन्धक का नाम	बंधक के संक्षिप्त हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
8	9	10	11	12

शीरा प्रपत्र–6
(नियम 31–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)
(आसवनी के शीरे का लेखा रजिस्टर)
(यह उत्तर प्रदेश के सभी आसवनियों द्वारा रखा जायेगा)
यह अनुकमणिका सहित दो भागों में होगा।
सभी अंक क्विंटलों में होगें। कुल शक्कर का तात्पर्य अपचायक शक्कर से है।

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम	आसवनी को प्रदिश्ट शीरे की मात्रा	प्रदेशन आज्ञा का ब्यौरा संख्या (क)	दिनांक (ख)	प्रदिश्ट पृश्ठ
1	2	3		4

शीरा प्रपत्र–6
भाग–1
(आसवनी के शीरे का लेखा रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम.....
..

दिनांक	शीरे का प्रारम्भिक शेश	शक्कर के कारखाने से भेजी गयी मात्रा			आसवनी से प्राप्त शीरा मात्रा (क)	
		प्रवेश पत्र संख्या (क)	दिनांक (ख)	मात्रा (ग)	तौल से (1)	गणना द्वारा (2)
1	2			3		

आसवनी को प्राप्त शीरा नियंत्रण परीक्षण (ख)			मार्गस्थ हानि (ग)	उस टंकी की कम संख्या, जहां संग्रह किया गया (घ)	टंकी की कम संख्या (क)	दी गयी मात्रा (ख)	आसवनी के आबकारी निरीक्षक के संक्षिप्त हस्ताक्षर (ग)
श्रेणी (1)	शर्करा (2)	प्रतिशत कुल शक्कर (3)					
		4				5	

शीरा प्रपत्र–6
भाग–2
(आसवनी के शीरे का लेखा रजिस्टर)

शीरा सम्भरण करने वाले शक्कर के कारखाने का नाम.....पृश्ठ.....

कम संख्या	दिनांक	दिनांक को प्राप्त शीरा (जैसा प्रभारी आबकारी निरीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया)		भाग–1 प्रविश्टि में		शक्कर के कारखाने को देय मूल्य			शक्कर के कारखाने को दिया गया मूल्य		अभ्युक्तियां
		मात्रा क्विंटल में	श्रेणी	दिनांक पृश्ठ	प्रति क्विंटल दर शीरे का	दिनांक को प्राप्त शीरे का मूल्य	आज दिनांक तक प्राप्त शीरे का कुल मूल्य	दिनांक को दिया गया मूल्य	आज तक दिया गया मूल्य	दिनांक	
1	2	3(क)	3(ख)	4(क)	4(ख)	5(क)	5(ख)	5(ग)	6(क)	6(ख)	7

शीरा प्रपत्र–6
भाग–3
(नियम–31/32–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

आसवनियों से भिन्न प्रदेशन ग्रहीताओं द्वारा प्राप्त तथा प्रयुक्त शीरे का दैनिक लेखा (सभी अंक क्विंटलों में)

दिनांक	प्राप्त शीरे का विवरण प्रारम्भिक.....									उपभोग के लिए निर्गत मात्रा	इति शेश	अभ्युक्ति
	प्रारम्भिक शेश	परमिट संख्या	दिनांक	जिस कारखाने से प्राप्त हुआ उसका नाम	प्रवेश पत्र संख्या	प्रवेश पत्र में उल्लिखित मात्रा	मार्गस्त क्षय	प्राप्त मात्रा	स्तम्भ 2 और 3(छ) का योग			
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	3(ड.)	3(च)	3(छ)	4	5	6	7

प्रत्येक प्रदेशन ग्रहीता ऐसे शीरे को जो उसे प्रविश्ट किया गया हो और जिसका उसने उपभोग किया हो, एक मासिक विवरणी शीरा उपर्युक्त प्रपत्र में शीरा नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा।

शीरा प्रपत्र–7

(नियम 11– उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

संग्रहण टंकी में संग्रहित शीरे के सिरे, मध्य और पेंदी के परतों की शर्करा और शक्कर का टंकीवार पाक्षिक विवरण–पत्र

क0सं0	संग्रहण टंकी की संख्या	टंकी में संग्रहीत शीरे की मात्रा	शीरे की टंकी की कुल गहराई	परत की से0मी0 में गहराई	
1	2	3	4	5	

शीरे का विश्लेशण का परिणाम				विश्लेशक का नाम और हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
शर्करा	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	शर्करा	शक्कर का शर्करा प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	शक्कर का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में)	
		6		7	8

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण–पत्र ठीक–ठीक तैयार किया गया है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी के हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय– विवरण–पत्र कारबन पेपर से चार प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को भेजी जानी चाहिए, दूसरी प्रति शक्कर के कारखाने में नियुक्त उप आबकारी निरीक्षक, आबकारी को, तीसरी प्रति क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, शीरा को भेजी जानी चाहिए और कार्यालय प्रति के रूप में चौथी शक्कर के कारखाने के अध्यासी द्वारा रख ली जाये।

शीरा प्रपत्र–9

(नियम 12–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

(उत्तर प्रदेश के शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश को प्रत्येक वर्श 31 अगस्त तक प्रस्तुत किया जायेगा।)

.....गन्ने की पेराई के मौसम में.....शक्कर के कारखाने में शीरे का अनुमानित उत्पादन

1. निम्नलिखित का नाम और पता (केवल उन व्यक्तियों के नाम लिखे जाने चाहिए, जो जिम्मेदार हों):–

(क) स्वामी.....
.....

(ख) अध्यासी.....
.....

(ग) प्रबन्धक .....
.....

2. शीरे का उत्पादन (क्विंटलों में) .....
.....

विवरण	पिछले वर्श की वास्तविक मात्रा	इस वर्श की अनुमानित मात्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1. मौसम की अवधि			
(क) प्रारम्भ होने का दिनांक			
(ख) समाप्त होने का दिनांक			
2. गन्ने का सम्भरण (क्विंटलों में)			
3. गन्ने का उत्पादन (क्विंटलों में)			
4. गन्ने में शीरे की मात्रा का प्रतिशत			

3. शीरे के लिए संग्रहण टंकियों का विवरण

टंकी (टंकियों का प्रकार)	आच्छादित		अनाच्छादित	
	कुल संख्या	कुल क्षमता (क्विंटलों में)	कुल संख्या	कुल क्षमता (क्विंटलों में)
1	2	3	4	5
लोहे की चिनाई कच्चा				

4. टंकी बैगनों की अधिकतम संख्या जिन्हें शक्कर के कारखाने, आसवनियों को शीरे का सम्भरण करने के लिए प्रतिदिन लाद सकते हैंः—

(1) बड़ी लाइन साइडिंग से

(2) छोटी लाइन की साइडिंग से

5. यांत्रिक/शारीरिक साधनों का जो चीनी के कारखाने के पास शीरे को लादने के लिए हो, का विवरण दिया जाये।

6. चालू मौसम में शीरा दिये जाने का विवरण——

(1) आसवनियों को 15 अगस्त तक दिया गया।

(2) जाउट स्टिल अनुज्ञापियों तथा अन्य प्रदेशन ग्रहीताओं को दिया गया।

(3) व्यापार के लिए बेचा गया

(4) इतिशेश, वास्तविक

(क) मुक्त मात्रा यदि कोई हो

(ख) मुक्त न की गयी मात्रा

5. क्षय

अवधेय— चालू मौसम का तात्पर्य पिछले पहली नवम्बर को प्रारम्भ होने वाले गन्ने पेराई वर्श से है।

शक्कर के कारखाने के अध्यासी के हस्ताक्षर.....दिनांक.....

7. पिछले तीन वर्शों के दौरान सम्बद्ध शक्कर के कारखाने में शीरे का उत्पादनः—

19.19

19.19

19.19

8. टैंक बैगनों की अधिकतम संख्या जिनको आसवनी प्रतिदिन ले सकती है और रिक्त कर सकती है।

(क) बड़ी लाइन पर स्थित शक्कर के कारखानों से.....

(ख) छोटी लाइन पर स्थित शक्कर के कारखानों से .....

9. आपात या रेलवे टेंक बैगनों की कमी के कारण आसवनी शीरे का सड़क द्वारा परिवहन करने के लिए जो प्रबन्ध कर सकती है उसका विवरणः—

शक्कर के कारखाने का नाम	आसवनी से शक्कर के कारखाने की दूरी (कि0मी0 में)	सड़क द्वारा परिवहन के लिए टंकी/लारी/लारियों या अन्य साधनों की क्षमता (क्विंटलों में)	आसवनी द्वारा प्रतिमास उठायी जा सकने वाली शीरे की कुल मात्रा
1	2	3	4

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त दी गयी सूचना ठीक है।

आसवनी के प्रबन्धक के हस्ताक्षर और दिनांक

शीरा प्रपत्र–10

(नियम 6–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की.....आसवनी में.....माह..... 19.....का शीरे के संग्रहण का विवरण–पत्र।

मूल / दूसरी / तीसरी प्रति

संग्रहण टंकी की कम संख्या	संग्रहण टंकी का प्रकार	पिछले पहली नवम्बर को शीरे का वास्तविक प्रारम्भिक शेश (क्विंटलों में)	माह के अंत तक प्राप्त शीरे की कुल मात्रा (क्विंटलों में)	स्तम्भ 3 और 4 का योग (क्विंटलों में)	मास के अंत तक निर्गत शीरे की कुल मात्रा (क्विंटलों में)	लेखानुसार इतिशेश (क्विंटलों में)	सत्यापन के पश्चात वासतविक स्टाक (क्विंटलों में)	संग्रहण क्षति (क्विंटलों में)	प्रतिशत (संग्रहण क्षति)	शक्कर के कारखाने के आंकड़ों के अनुसार आसवनियों को आज तक भेजी [illegible]	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

आसवनी के प्रबन्धक के हस्ताक्षर और दिनांक.....आसवनी के प्रभारी निरीक्षक के प्रति हस्ताक्षर और दिनांक

अवधेय– (1) विवरण पत्र कारबन पत्र के साथ तीन प्रतियों में आसवकों और तैयार किया जाना चाहिये और अनुवर्ती माह के 5वें दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मूल प्रति शीरा नियंत्रक को, दूसरी प्रति चार्ज के सहायक आबकारी आयुक्त को और तीसरी प्रति कार्यालय अभिलेख के लिए सावधानी से रखी जानी चाहिए।

(2) स्तम्भ 9 में कोश्ठक के बीच पिछली पहली नवम्बर से मास के अंत तक की संग्रहण क्षति का प्रगामी योग लाल स्याही में दीजिए।

(3) सभी अंक क्विंटलों में होंगे

(4) विभिन्न संग्रहण टंकियों के अंक अलग–अलग पंक्ति में एक टंकी के लिए एक पंक्ति लिखना चाहिए। अंतिम टंकी की प्रविश्टि के नीचे एक रेखा खींचनी होगी। इस रेखा के नीचे सभी टंकियों का कुल योग स्तम्भ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में लिखना चाहिए।

शीरा प्रपत्र–11

(नियम–25 उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

उत्तर प्रदेश की .....आसवनी को.....शक्कर के कारखाने द्वारा.....माह, ...19.....में प्राप्त शीरे का विवरण–पत्र।

क0 सं0	प्रवेश पत्र		भेजे गये शीरे का हिसाब			श्रेणी	प्रवेश–पत्र
	संख्या (क)	दिनांक (ख)	टैंक बैगन की संख्या/ लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	संख्या (1)	दिनांक (2)
1		2			3		

प्राप्त शीरे का हिसाब						
टैंक बैगन की संख्या/लारी की संख्या आदि (क)	शीरे की मात्रा (ख)	शर्करा (ग)	श्रेणी (घ)	क्षय (ड.)	सत्यापन का दिनांक (च)	अभ्युक्तियां
		5				5

प्रतिहस्ताक्षर और दिनांक
आसवनी प्रभारी आबकारी निरीक्षक

हस्ताक्षर और दिनांक
प्रबन्धक आसवनी

अवधेय– (1) विवरण–पत्र शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश को अनुवर्ती माह के 5वें दिनांक तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(2) प्रत्येक शक्कर के कारखाने के लिए अलग–अलग विवरण पत्र तैयार किया जाना चाहिए।

(3) सभी अंक क्विंटलों में होंगे।

(4) अन्तिम प्रविश्टि के पश्चात् एक रेखा खींचिए और इस रेखा के नीचे स्तम्भ 3(ख) और 4 (ख) में मास का कुल योग लिखिये। इस प्रविश्टि के नीचे पिछले 1 नवम्बर से संबंधित मास के अन्त तक का प्रगामी योग लिखिये।

शीरा प्रपत्र–12
(नियम 34–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)

निरीक्षक पुस्तिका, जो उत्तर प्रदेश के समस्त शक्कर के कारखानों के अध्यासियों द्वारा रखी जायेगी।

यह दो भागों में होगी। प्रथम भाग में लगभग 10 पृश्ठ और दूसरे भाग में लगभग 200 पृश्ठ होंगे।

भाग–1

क0सं0	निरीक्षण अधिकारी का नाम और पद	शक्कर के कारखाने का निरीक्षण करने का दिनांक	शीरा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश को निरीक्षण टिप्पणी की प्रति प्रस्तुत का दिनांक	शक्कर के कारखाने के प्रबन्धक के संक्षिप्त हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

शीरा प्रपत्र–14
(नियम 4(2)–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974)
शीरे के लिए संग्रहण टंकी का गेज रजिस्टर

शक्कर के कारखाने/आसवनी का नाम.....
टंकी की कम संख्या.....

टंकी का विमा (डाइमेन्शन).....
लम्बाई.....
चौड़ाई.....
गहराई.....

पेंदी से नापी गयी गहराई सेंटीमीटर में	90 शर्करा (ब्रिक्स) वाले शीरे के अनुसार शीरे का परिणाम क्विंटलों में	90 शर्करा (ब्रिक्स) वाले शीरे के अनुसार अधिकतम संग्रहण क्षमता
1– सेमी0		
2– सेमी0		
3–सेमी0		
4–सेमी0		
5–सेमी0		

5– सेंटीमीटर के अन्तर पर शीरा टंकी की अधिकतम संग्रहण क्षमता तक।

शीरा प्रपत्र–15
नियम–उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली 1974
तम्बाकू बनाने वालों के लिए आवेदन–पत्र का फार्म

1. लाइसेंस दिनांक 31 मार्च, 19 तक वैध
2. अनुज्ञापी का पूरा नाम और पता
3. निर्माण का स्थान
4. पिछले तीन वर्शों में निर्मित तम्बाकू
   (क) प्रर्युक्त तम्बाकू मात्रा क्विंटलों में
   (ख) शुल्क/फीस की धनराशि
   (ग) भुगतान किये गये बिकी कर की धनराशि
   (घ) भुगतान किये गये आय–कर की धनराशि
5. क्विंटलों में शीरे की मात्रा जिसका मिल में प्रत्येक किस्म की तम्बाकू के निर्माण में प्रयोग किया गया हो–
   (क) खमीरा
   (ख) बूरा
   (ग) कोई अन्य प्रकार (क्वालिटी)
   (घ) प्रत्येक प्रकार में प्रयुक्त शीरे का अनुपात

प्रमाणित किया जाता है कि जो उपर्युक्त सूचना मैने प्रस्तुत की है वह मेरी पूरी जानकारी में सही है।

फर्म/दुकान के, लाइसेंसधारी के (दिनांक सहित) हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि निर्माता द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यौरे ठीक हैं।

जिला निरीक्षक/अधिकारी
उद्योग विभाग के (दिनांक सहित) हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति, नियमावली, 1965

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) की धारा–22 की उपधारा (2) के खण्ड क और ख तथा धारा–3 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

यह नियमावली उपर्युक्त की धारा–22 के उपधारा–1 की अपेक्षानुसार सरकारी विज्ञप्ति संख्या 2606ई/तेरह–65 दिनांक 25 सितम्बर, 1965 के साथ पहले प्रकाशित की जा चुकी है।

नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्शनाम तथा प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति नियमावली कहलायेगी।

(2) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाशाएं– प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस नियमावली में:–

(1) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) से है।

(2) धारा का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा से है और

(3) समिति का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन संघटित परामर्श समिति से है।

1. संगठन– (1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन संघटित की जाने वाली परामर्श समिति में निम्नलिखित होंगे–

1. नियंत्रक, जो पदेन अध्यक्ष होगा।

2. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में शीरे का प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त जो समिति का पदेन सचिव होगा।

3. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा उसका प्रतिनिधि जो उप निदेशक, उद्योग के पद से नीचे के पद का न हो।

4. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश या उसका प्रतिनिधि जो गन्ना उप आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो।

5. इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश शाखा) द्वारा नाम निर्दिश्ट किये जाने वाले उत्तर प्रदेश में शक्कर के कारखानों के तीन प्रतिनिधि,

6. उत्तर प्रदेश डिस्टलर्स एसोसिएशन द्वारा नाम निर्दिश्ट किये जाने वाले उत्तर प्रदेश में आसवनियों के तीन प्रतिनिधि।

7. उत्तर प्रदेश एलकोहल वेस्ट इण्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट एसोसिएशन द्वारा नाम निर्दिश्ट किया जाने वाला उत्तर प्रदेश में एलकोहल पर आधारित उद्योगों का एक प्रतिनिधि।

8 आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिश्ट किया जाने वाला उत्तर प्रदेश में गढ़ाई ढ़लाई उद्योग का एक प्रतिनिधि और,

9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लिमिटेड।

(2) यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्दिश्ट समय के भीतर सम्बन्धित एसोसिएशन द्वारा उप नियम–1 के खण्ड–5, 6 या 7 के अधीन कोई प्रतिनिधि नाम निर्दिश्ट नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा उस खण्ड के अधीन यथास्थिति, प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों का नाम निर्दिश्ट किया जाना विधि संगत होगा।

4. प्रशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राह्य यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने का हकदार होगा।

5. नियुक्तियां विज्ञापित की जायेंगी–राज्य सरकार, समिति के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति को गजट में विज्ञाप्ति करेगी।

6. समिति के सदस्यों का कार्यकाल और उसका पुनःसंगठन– नियम 3 के उप नियम 1 के खण्ड–5, 6, 7 और 8 में निर्दिश्ट समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिनांक से दो वर्श के लिए होगा और नियंत्रक, सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम तीन महीने पूर्व राज्य सरकार को नये

सदस्यों की नियुक्ति के लिए लिखेगा। पुनः संघटित समिति भी गजट में अधिसूचित की जायेगी।

7. सदस्य की मृत्यु, त्याग पत्र या उसे हटाये जाने के कारण हुई रिक्ति–(क) यदि समिति का कोई सदस्य त्याग पत्र देना चाहें तो वह अध्यक्ष के माध्यम से राज्य सरकार को अपना लिखित त्यागपत्र दे सकता है और राज्य सरकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अध्यक्ष से त्यागपत्र स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से समिति का सदस्य न रह जायेगा।

(ख) राज्य सरकार किसी सदस्य को समिति से हटा सकती है जिसने उसकी राय में समिति के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा जो समिति का सदस्य होने के लिए उपयुक्त न समझा जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि जब राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव करे, तो सम्बद्ध सदस्य को अपना आचरण स्पश्ट करने का अवसर दिया जायेगा।

(ग) समिति के किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, हटाये जाने या मृत्यु हो जाने के कारण हुई किसी रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सदस्य के कार्यकाल के शेश कार्यकाल के लिये की जायेगी और उसे गजट में विज्ञापित किया जायेगा।

8. बैठक के लिये गणपूर्ति–समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष तथा सचिव को छोड़कर चार सदस्यों में होगी। यदि अपेक्षित गणपूर्ति हो जाती हो तो समिति में कोई रिक्ति होने के कारण समिति के कृत्य निलम्बित नहीं किये जायेंगे। यदि कोई बैठक गणपूर्ति न होने के कारण स्थगत हो जाये, तो स्थगित बैठक 15 दिन की सूचना देने पर हो सकती है और इसके लिये कोई गणपूर्ति अपेक्षित न होगी।

9. समिति की बैठक के लिये समय, स्थान और कार्यसूची–(क) समिति की बैठक वर्श में दो बार होगी। समिति की बैठक एक बार 31 अगस्त के पश्चात् किन्तु 31 अक्टूबर के पूर्व और फिर 30 अप्रैल के पश्चात् किन्तु 15 जुलाई के पूर्व होगी।

(ख) पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, समिति की बैठक जैसे और जब अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाये अथवा कम से कम 8 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को लिखित अधियाचन दिये जाने पर हो सकती है।

10. (1) अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक का दिनांक और समय निश्चित करेगा और उसकी सूचना समस्त सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

(2) सचिव बैठक के लिए कार्य सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि बन्धक सदस्य की बैठक के निश्चित दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष अपने विवेक से किसी ऐसे विशय पर चर्चा करने की अनुमति दे सकता है, जो कार्य सूची में सम्मिलित न हो।

(3) संकल्प बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किये जायेंगे। मतों के बराबर–बराबर होने की दशा में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) सचिव बैठकों की कार्यवृत्तियां तैयार करेगा और पुश्टिकरण के लिए उसकी प्रतिलिपि समिति के सदसयों को भेजेगा।

11. परामर्श समिति के कर्तव्य–अध्यक्ष समिति द्वारा पारित संकल्पों पर यथोचित रूप से विचार करेगा और उन्हें कार्यवाहियों की एक प्रतिलिपि तथा अपनी सिफारिशों के साथ आज्ञा के लिए राज्य सरकार को भेजेगा।

12. समिति को भेजे जाने वाले सभी पत्र सहायक आबकारी आयुक्त (शीरा) और सचिव, इलाहाबाद को सम्बोधित किये जायेंगे।

टिप्पणी

उपर्युक्त नियमावली को निम्नलिखित संशोधन नियमावलियों द्वारा संशोधित किया गयाः–

1. प्रथम संशोधन–उत्तर प्रदेश गजट, भाग–1 (क) दिनांक 22 मार्च, 1969 के पृश्ठ 549 पर प्रकाशित उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति (संशोधन) नियमावली, 1969
2. द्वितीय संशोधन–उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति (संशोधन) नियमावली, 1970

3. तृतीय संशोधन– उत्तर प्रदेश गजट, असाधारण भाग–4 खण्ड–क दिनांकित 25 अगस्त, 1993 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1993

शीरे पर लगने वाला प्रशासनिक प्रभार

अधिसूचना

संख्याः86ई0–2/तेरह–25493, दिनांक 16 जनवरी, 1985

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1964) की धारा 8 की उपधारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1253 ई0–2/तेरह–254–83 दिनांक 24 मार्च 1994 का अधिग्रहण करके, राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी शक्कर के कारखाने का अध्यासी, अपने द्वारा बेचे गये या सम्भरित किये गये किसी श्रेणी के शीरे पर 10.00 (दस रूपये) प्रति कुंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार का राज्य सरकार को भुगतान करने के लिये दायी होगा।

1. ।इांतप टपइींह छवजपपिबंजपवद छवण 5491.म्ध्प्प्ः251.1965ए कंजमक 24जी छवअमउइमतए 1965ण

प्द मगबमतपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक नदकमत ेमबजपवद 4 वि जीम न्जजंत च्तंकमेी ौममतं छपलंदजतंद ।कीपदपलंउए 1964 ;न्जजंत च्तंकमेी ।बज छवण ग्प्ट वि 1964द्ध जीम ळवअमतदवत वि न्जजंत च्तंकमेी पे चसमेंमक जव ंचचवपदज जीम ग्बपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंत च्तंकमेी ं जीम ब्वदजतवससमत वि डवसेंमे वित जीम चनतचवेमे वि मगमतबपेपदह जीम चवूमते ंदक चमतवितउपदह जीम कनजपमे वि ब्वदजतवससमत वि डवसेंमे नदकमत जीम ंपक ।बज ंदक जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतण

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग–2

संख्या–5124ई0–2/तेरह–93–340/87 लखनऊ, दिनांक 31 दिसम्बर, 1993

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में शीरे के संग्रहण व्यय और उसे टंकी बैगनों में भरने और उसके पार्श्वायन के व्यय में परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा–2 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अनुसूची में 1 जनवरी, 1994 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थातः–

संशोधन

उक्त अधिनियम की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थातः–

अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

श्रेणी	शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)	पात्रों में भरने तथा पार्श्वायन के व्ययों सहित प्रति क्विंटल शीरे का अधिकतम मूल्य
1	2	3
प्रथम	50 प्रतिशत और इससे ऊपर	40.00 रूपये
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक	32.00 रूपये
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक	24.00 रूपये

टिप्पणी– तृतीय श्रेणी से निम्न किस्म के शीरे के लिये उसमें प्रत्येक 40 किलोग्राम अपचायक शक्कर की मात्रा का मूल्य 24.00 रूपये होगा।

कार्यालय शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 अधिसूचना संख्या 3336/शीरा नियंत्रण/93, दिनांक 13 अगस्त, 1993, उ0प्र0 गजट, भाग 1 (क), दिनांक 9 अप्रैल, 1994 को पृश्ठ संख्या 925 पर प्रकाशित

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के नियम 22 के अन्तर्गत और इस विशय पर निर्गत पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैंः–

1. वैक्यूम–पैन पद्धति से चीनी उत्पादन करने वाली उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों में वर्तमान में संचित तथा भविश्य में समय–समय पर उत्पादित होने वाले ग्रेडेड शीरे का 30 प्रतिशत भाग पेय मदिरा आपूर्ति की प्रतिबद्धता तथा अन्य अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आबंटनार्थ आरक्षित किया जाता है।
2. यदि चीनी मिल बिलो ग्रेड शीरे का उत्पादन करती है अथवा ग्रेडेड शीरे की गुणवत्ता में ह्रास के कारण शीरा बिलोग्रेड हो जाता है तो ऐसे बिलो ग्रेड शीरे का भी 30 प्रतिशत यदि अन्यथा आदेश न दिया जाये तो, आरक्षित माना जायेगा।
3. उपरोक्त बिन्दु 1 व 2 के अनुसार आगणित शीरे की मात्रा का विक्रय, निकासी अथवा अन्यत्र स्थानांतरण/निस्तारण चीनी मिल के अध्यासी द्वारा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा। शीरे की शेश 70 प्रतिशत मात्रा को चीनी मिल का अध्यासी खुले बाजार में प्रदेश के किसी आसवनी पंजीकृत औद्योगिक इकाई अथवा किसी बोनाफाइड अधिकृत उपभोक्ता को ही नियमानुसार बेच सकता है। परन्तु शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय, स्थानांतरण व निकासी के लिए शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश आवश्यक होंगे।

कार्यालय, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद, उ0प्र0 अधिसूचना सं0–13804–ए, दिनांक 1 जनवरी, 1994, उ0प्र0 गजट, भाग–1 (क), दिनांक 23 जुलाई, 1994 को पृश्ठ संख्या–1775 पर प्रकाशित हुआ और अधिसूचना सं0 14125/शीरा नियंत्रण–94, दिनांक 5 जनवरी, 1994 द्वारा पूर्णतया संशोधित कर दिया गया हैः–

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण, नियमावली, 1974 के नियम 22 के प्राविधानों के अनुसरण में शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा धारा 21, शीरा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य सूचना हेतु इस विशय पर निर्गत पूर्व आदेश संख्या 3336/शीरा नियंत्रण–93, दिनांक 13 अगस्त, 1993 का अतिक्रमण करते हुए निम्नलिखित आदेश तात्कालिक प्रभाव से जारी किये जाते हैं–

1. वैक्यूम–पैन पद्धति से चीनी उत्पादन करने वाली उत्तर प्रदेश की सभी चीनी मिलों में वर्तमान में संचित तथा भविश्य में समय–समय पर उत्पादित होने वाले ग्रेडेड शीरे का 65 प्रतिशत प्रदेश की अपरिहार्य आन्तरिक आवश्यकताओं (आसवनियों एवं शीरा व अल्कोहल पर आधारित उद्योगों) की, पूर्ति हेतु आबंटनार्थ आरक्षित किया जाता है।
2. यदि चीनी मिल बिलो ग्रेड शीरे का उत्पादन करती है अथवा ग्रेडेड शीरे की गुणवत्ता में ह्रास के कारण शीरा बिलोग्रेड हो जाता है तो ऐसे बिलो ग्रेड शीरे का भी 65 प्रतिशत यदि अन्यथा आदेश न दिया जाये तो, आरक्षित माना जायेगा।
3. उपरोक्त बिन्दु 1 व 2 के अनुसार आगणित शीरे की मात्रा का विक्रय, निकासी अथवा अन्यत्र स्थानांतरण/निस्तारण चीनी मिल के अध्यासी द्वारा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश के बिना नहीं किया जायेगा तथा उक्त शीरे का विक्रय उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा 10 की उपधारा–2 के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 1994 से

प्रवृत्त होने वाली अधिसूचना संख्याः5124ई–2/तेरह–93–340–87 दिनांक 31 दिसम्बर, 1993 के अनुसार किया जायेगा। शीरे की शेश 35 प्रतिशत मात्रा को चीनी मिल का अध्यासी खुले बाजार में प्रदेश के किसी आसवनी पंजीकृत औद्योगिक इकाई अथवा किसी बोनाफाइड अधिकृत उपभोक्ता को ही नियमानुसार बेच सकता है। परन्तु शीरे को प्रदेश के बाहर विक्रय, स्थानांतरण व निकासी के लिए शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश आवश्यक होंगे।

परन्तुक–(1) प्रदेश के बाहर कोई भी व्यक्ति शीरा बिना शीरा नियंत्रक के पूर्व लिखित अनुमति के न तो परिवहन करेगा और न करायेगा। बिना अनुमति शीरा प्रदेश के बाहर भेजने वाले जाने का प्रयत्न करने पर शीरा जब्त कर लिया जायेगा और अपराध करने के लिए अपराधिक वाद भी योजित किया जायेगा।

आबकारी अनुभाग–2, अधिसूचना संख्या 1253ई–2/तेरह–254–83, दिनांक 24 मार्च, 1994 उ0प्र0 गजट, असाधारण, भाग–4 खण्ड–क, दिनांक 24 मार्च, 1994 को पृश्ठ संख्या 1 पर प्रकाशित।

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 8 की उपधारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 596, ई–2/तेरह–254–83, दिनांक 25 मार्च, 1991 का अधिकमण करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, किसी शक्कर के कारखाने का अध्यासी राज्य सरकार को अपने द्वारा बेचे गये किसी श्रेणी के शीरे पर रू0 5.00 (पांच रूपये) प्रति क्विंटल की दर से प्रशासनिक प्रभार का देनदार होगा।

आबकारी अनुभाग–2, अधिसूचना संख्या 86ई–254/83 दिनांक 16 जनवरी, 1995

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) की धारा 8 की उपधारा–4 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1253ई–2/तेरह–263–83, दिनांक 24 मार्च, 1994 का अतिकमण करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से बेचे गये किसी श्रेणी के शीरे पर 10.00 (दस रूपये) प्रति कुन्टल की दर से प्रशासनिक प्रभार का राज्य सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

(1985 का अधिनियम संख्यांक 61)

स्वापक औषधियों से सम्बधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बंधित संकियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए ख्स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त या उसमें प्रयुक्त सम्पत्ति के समहरण का उपबन्ध करने के लिए, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर अन्तर–राष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, तथा उससे सम्बंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छततीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न–भिन्न राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति निर्देश का किसी राज्य के सम्बंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपलब्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(प) '' व्यसनी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का व्यसनी है।

(प प) ''बोर्ड'' से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, (1963 का 54) के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है।

(प प प) ''कैनेबिस (हैंप)'' से अभिप्रेत है,–

(क) चरस, अर्थात् कच्चा या शोधित किसी भी रूप में पृथक् किया गया रेजिन जो कैनेबिस से पौधे से प्राप्त किया गवा हो और इसके अंतर्गत हशीश तेल या द्रव हशीश के नाम से ज्ञात सांद्रित निर्मिति और रेजिन है।

(ख) गांजा, अर्थात कैनेबिस के पौधे के फलने और फूलने वाले सिरे (इनके अंतर्गत बीज और पत्तियां जब वे सिरे के साथ नहीं है) चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात या अभिहित हों, और

(ग) उपरोक्त किसी भी प्रकार के कैनविस का कोई मिश्रण चाहे यह किसी निश्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो या उससे निर्मित कोई पेय,

(प अ) ''कैनेबिस का पौधा'' से कैनेबिस वंश का कोई पौधा अभिप्रेत है,

(अ) ''कोका के व्युत्पाद'' से अभिप्रेत है–

(क) कच्चा कोकेन, अर्थात कोका की पत्ती का कोई सार जिसका कोकेन के विनिर्माण के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपयोग किया जा सकता है,

(ख) ऐकगोनिन और ऐकगोनिक के सभी व्युत्पाद, जिनसे उसे प्राप्त किया जा सकता है,

(ग) कोकेन, अर्थात, बेंजायल–ऐकगोनिन का मेथिल एस्टर और उसके लवण, और

(घ) सभी निर्मितियां जिनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कोकेन हो,

(अप) ''कोका की पत्ती'' से अभिप्रेत है–

(क) कोका के पौधे की पत्ती, सिवाय उस पत्ती के जिससे सभी ऐकगोनिन, कोकेन और कोई अन्य ऐकगोनिन ऐल्केलाइड निकाल लिए गए हैं,

(ख) उनका कोई मिश्रण चाहे वह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसी निर्मिति नहीं है जिसमें 0.1 प्रतिशत से अनधिक कोकेन है,

(अपप) ''कोका का पौधा'' से ऐरिथ्रोजाइलान वंश की किसी जाति का पौधा अभिप्रेत है,

ख(अपप क), ''नियंत्रित पदार्थ'' से ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन या विनिर्माण में उसके संभावित प्रयोग के बारे में या किसी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के किसी उपबन्ध के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियंत्रित पदार्थ घोषित करें।,

(अपपप) ''प्रवहण'' से किसी भी प्रकार का कोई प्रवहण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई वायुयान या यान, जलयान है,

ख(अपपप क), स्वाषक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों के सम्बंध में, ''अवैध व्यापार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थातः—

(प) ''कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह करना,

(पप) अफीम पोस्त या किसी कैनिबिस के पौधे की खेती करना,

(पपप) स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना,

(पअ) स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के उपखंड (प) से उपखंड (पपप) तक में निर्दिष्ट कियाकलापों से भिन्न किन्हीं कियाकलापों में व्यवहार करना, या

(अ) उपखंड (प) से उपखंड (पअ) तक में निर्दिष्ट किसी कियाकलाप के लिए परिसर का प्रबन्ध करना या उसे किराए पर देना,

सिवाय उनके जिन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश, या जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, निबन्धन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

(1) पूर्व वर्णित कियाकलापों में से किसी का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः वित्तपोषण करना,

(2) पूर्व वर्णित कियाकलपों में से किसी के करने को अग्रसर करने में या समर्थन में दुश्प्रेरक या षडयंत्र करना, और

(3) पूर्व वर्णित कियाकलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों को संश्रय देना, ,

(पग) ''अंतरराष्ट्रीय कन्वेशन'' से अभिप्रेत है,—

(क) स्वापक औषधि एकल कन्वेंशन, 1961, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1961 में न्यूयार्क में अंगीगार किया गया था,

(ख) उपखंड (क) में वर्णित कन्वेंशन का संशोधन करने वाला प्रोटोकाल, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मार्च, 1972 में जेनेवा में अंगीगार किया गया था,

(ग) मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा फरवरी, 1971 में वियना मे अंगीकार किया गया था, और,

(घ) स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थ से सम्बंधित किसी अन्तरराष्ट्रीय कंवेशन का संशोधन करने वाला कोई अन्य अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन या

प्रोटोकाल या अन्य लिखित जिसका इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात भारत द्वारा अनुसमर्थन या अंगीकार किया जाए,

(ग) स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के संबंध में विनिर्माण के अन्तर्गत निम्नलिखित है–

(1) उत्पादन से भिन्न ऐसी सभी प्रकियाएं जिनके द्वारा ऐसी औषधियां या पदार्थ प्राप्त किए जाएं।

(2) ऐसी औषधियों या पदार्थों का परिष्करण,

(3) ऐसी औषधियों या पदार्थों का रूपांतरण, और

(4) ऐसी औषधियों या पदार्थो के साथ या उनको अंतर्विष्ट करने वाली निर्मितियों का (नुस्खे के आधार पर किसी फार्मेसी में से अन्यत्र) बनाया जाना,

(गप) '' विनिर्मित औषधि'' से अभिप्रेत है–

(क) कोका के सभी व्युत्पाद, औषधि कैनेबिस, अफीम के व्युत्पाद और पोस्ततृण सांद्र,

(ख) ऐसा कोई अन्य स्वापक पदार्थ या निर्मित, जिसको केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेशन के अधीन किसी विनिश्चय को यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्मित औषधि घोषित करे, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई स्वापक पदार्थ या निर्मिति नहीं है जिससे केन्द्रीय सरकार, उसकी प्रकृति के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेशन के अधीन उसकी प्रकृति से या किसी विनिश्चय के बारे में उपलब्ध जानकारी को या किसी विनिर्मिति घोषित करें।

(गपप) '' औषधीय कैनेबिस'' अर्थात् औषधीय हैम्प से कैनेबिस (हैम्प) का कोई सार या टिक्चर अभिप्रेत है,

(गपपप) ''स्वापक आयुक्त'' से धारा 5 के अधीन नियुक्त स्वापक आयुक्त अभिप्रेत है,

(गपअ) '' स्वापक औषधि'' से कोका की पत्ती, कैनेबिस (हैम्प), अफीम, पोस्त तृण अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सभी विनिर्मित औषधियां हैं,

(गअ) ''अफीम'' से अभिप्रेत है–

(क) अफीम पोस्त का स्कंदित रस, और

(ख) अफीम पोस्त के स्कंदित रस का कोई मिश्रण चाहे यह निष्प्रभावी पदार्थ सहित या उसके बिना हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी कोई निर्मिति नहीं है जिसमें 0.9 प्रतिषत से अनधिक मार्फीन हो,

(गअप) '' अफीम के व्युत्पाद'' से अभिप्रेत है–

(क) औषधीय अफीम अर्थात् ऐसी अफीम जिसका भारतीय भेषजकोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन निर्मित अधिसूचित किसी अन्य भेषजकोष की अपेक्षाओं के अनुसार औषधीय प्रयोग के लिए अनुकूलित करने के लिए आवश्यक प्रसंस्कार कर दिया गया है, चाहे वह चूर्ण के रूप में या कणिका के रूप में या अन्यथा हो अथवा निश्प्रभावी पदार्थों से मिश्रित हों,

(ख) निर्मित अफीम अर्थात् अफीम को धूम्रपान के उपयुक्त सार में रूपांतरित करने के लिए परिकल्पित किन्हीं कमबद्ध संकियाओं द्वारा अभिप्राप्त अफीम का कोई उत्पाद और अफीम का धूम्रपान करने के पष्चात बचा हुआ कोई मंडूर या अन्य अवशेष,

(ग) फिनेथ्रन एल्केलाइड, अर्थात, मार्फीन, कोडीन, थियेन और उनके लवण,

(घ) डाइऐसीटल मार्फीन अर्थात् ऐल्केलाइड जिसे डाइ–मार्फीन या हिरोइन कहा जाता है और उसका लवण, और

(ड.) सभी निर्मितियां, जिनमें 0.2 प्रतिशत से अधिक मार्फीन या डाइऐसीटल मार्फीन हो,

(गअपप) ''अफीम पोस्त'' से अभिप्रेत है,–

(क) पैपेवर सोम्नीफेरम एल. जातियों का पौधा, और

(ख) पैपेवर की किसी अन्य जाति का पौधा जिससे अफीम या फिनेंथ्रन एल्केलाइड निकाला जा सकता है और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के लिए अफीम पोस्त घोषित करें,

(गअपप) ''पोस्त तृण'' से फसल कटाई के पष्चात अफीम पोस्त के बीजों के सिवाय सभी भाग अभिप्रेत हैं चाहे वे मूल रूप में या कटे हुए, संदलित या चूर्णित हों और चाहे उनमें से रस निकाला जा सकता है और जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के लिए अफीम पोस्त घोषित करें,

(गपग) ''पोस्त तृण सांद्र'' से अभिप्रेत है उस समय उत्पत्त पदार्थ जब पोस्त तृण का उसके एल्केलाइड के संद्रिण के लिए प्रसंस्कार प्रारंभ कर दिया गया हो,

(गग) स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के सम्बंध में ''निर्मिति'' से अभिप्रेत है खुराक के रूप में कोई एक या अधिक ऐसी औषधियां या पदार्थ या ऐसी एक या अधिक औषधियां या पदार्थ को अन्तर्विष्ट करने वाला कोई घोल या मिश्रण चाहे वह किसी भी भौतिक स्थिति में हो,

(गगप) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(गगपप) ''उत्पादन'' से अफीम, पोस्त, तृण कोका की पत्तियों का कैनेबिस का ऐसे पौधों से, जिनसे वे प्राप्त होते हैं, पृथक, किया जाना अभिप्रेत है,

(गगपपप) ''मनःप्रभावी पदार्थ'' से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक या संश्लिष्ट पदार्थ या कोई प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री का कोई लवण जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनः प्रभावी पदार्थों की सूची में सम्मिलित निर्मिति,

(गगपअ) ''अंतरराज्यिक आयात'' में भारत के किसी राज्य का संघ राज्य क्षेत्र में भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से लाना अभिप्रेत है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

(गगअ) '' भारत में आयात'' से उसके व्यापकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित, भारत के बाहर के किसी सीान से भारत में लाना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारत में किसी पत्तन या विमान पत्तन या स्थान में ऐसी कोई स्वापक औशधि या मनःप्रभावी पदार्थ लाना है, जिसे ऐसे किसी जलयान, वायुयान, यान या किसी अन्य प्रवहण से, जिसमें उसका वहन किया जा रहा है, हटाए बिना भारत के बाहर ले जाने का आशय है।

स्पष्टीकरण– इस खंड और खंड (गगअप) के प्रयोजनों के लिए ''भारत'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड है,

(गगअप) '' भारत से निर्यात'' से उसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान तक भारत से बाहर ले जाना अभिप्रेत है,

(गगअपप) ''अंतरराज्यिक निर्यात'' से भारत के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से भारत के किसी दूसरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ले जाना अभिप्रेत है,

(गगअपपप) ''परिवहन'' से उसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थान से दूसरे सीान पर ले जाना अभिप्रेत है,

ख(गगअवपप क), स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के सम्बंध में, ''उपयोग'' से व्यक्तिगत उपयोग को छोड़कर किसी भी प्रकार का उपयोग अभिप्रेत है। ,

(गगपग) उन षब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस संहिता में हैं।

स्पष्टीकरण– खंड (अ), खंड (अप) खंड (गअ) और खंड (गअप) के प्रयोजनों के लिए द्रव निर्मितियों की दषा में प्रतिषतता का परिकलन–इस आधार पर किया जाएगा कि उस निर्मिति से जिसमें पदार्थ का एक प्रतिषत है ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें उस पदार्थ का, यदि वह ठोस है तो, एक ग्राम या उस पदार्थ या यदि वह द्रव हो तो एक मिलीलीटर, उस निर्मिति के प्रत्येक एक सौ मिलीलीटर में अंतविष्ट है और यही अनुपात किसी अधिक या कम प्रतिषतता के लिए होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, द्रव निर्मितियों में प्रतिषततताओं की संगणना की पद्धतियों के क्षेत्र में हुए विकासों को ध्यान में रखते हुए, नियमों द्वारा, ऐसे कोई अनय आधार विहित कर सकेगी जो वह ऐसी संगणना के लिए समुचित समझे।

3. मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उससे लोप करने की शक्ति–यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता कि–

(क) ऐसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर, जो उसे किसी पदार्थ (प्राकृतिक या संषिण्ट) या प्राकृतिक सामग्री की अथवा ऐसे पदार्थों या सामग्री के किसी लवण या निर्मिति की हुए प्रकृति और प्रभाव तथा उसके दुरूपयोग या दुरुपयोग की गुंजाइष के सम्बंध में उपलब्ध हुए हैं, और सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री के लवण या निर्मिति के सम्बंध में किसी अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन में किए गए हैं,

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में ऐसे पदार्थ या प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री के लवण निर्मित को, यथास्थिति, जोड़ सकेगी या उससे उसका लोप कर सकेगी।

अध्याय दो

प्राधिकरण और अधिकारी

4. स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्युपायों का किया जाना– (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुप्योग तथा उनके अवैध व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी अध्युपाय करेगी जो वह आवश्यक और समीचीन समझेः

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अध्युपायों के अन्तर्गत जो केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन करे, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के सम्बंध में अध्युपाय हैं, अर्थात्ः–

(क) विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और और अन्य प्राधिकरणों द्वारा–

(प) इस अधिनियम के अधीन, या

(प प) इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के सम्बंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, कार्रवाइयों का समन्वय,

(ख) अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के अधीन बाध्यताएं,

(ग) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के निवारण और दमन सम्बंधित प्राधिकरणों और सम्बंधित अन्तरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता,

(घ) व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख–रेख, पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाना,

(ड.) ऐसे अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उनके व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे।

(3) केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों में लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो राजपत्र में प्रकाषित आदेष द्वारा, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए और उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसे विषयों के सम्बंध में अध्युपाय करने के लिए जो आदेष में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे नाम या नामों से, जो आदेष में विनिर्निष्ट किए जाएं, कोई प्राधिकरण या प्राधिकरणों का अधिकम गठित कर सकेंगी और ऐसा या ऐसे प्राधिकरण आदेश में इस प्रकार वर्णित उन शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अध्युपाय करने के लिए इस अधियम द्वारा सशक्त किया गया या किए गए हों।

5. केन्द्रीय सरकार के अधिकारी–(1) धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम अधिकारियों को भी, ऐसे पदाभिधानों से नियुक्त करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे।

(2) स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से सम्बंधित सभी षक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के, या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए तो बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे।

6. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ परामर्ष समिति– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ''स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ परामर्श समिति'' के नाम से ज्ञात एक सलाहकार समिति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् समिति कहा गया है) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ''स्वापक औषधि और मनःपभावी पदार्थ परामर्ष समिति'' के नाम से ज्ञात एक सलाहकार समिति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा गया है) केन्द्रीय सरकार को, इस अधिनियम के प्रषासन से सम्बंधित ऐसे विषयों पर, जो उस सरकार द्वारा, समय–समय पर, उसे निर्देशित किये जाएं, सलाह देने के लिए गठित कर सकेंगी।

(2) समिति, एक अध्यक्ष और बीस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय सरकार नियुक्ति करे।

(3) समिति की बैठक तब की जायेगी जब केन्द्रीय सरकार ऐसा करने की अपेक्षा करें और उसे अपनी प्रकिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(4) समिति, यदि वह अपने किन्हीं कृत्यों के दक्ष पालन के लिए ऐसा करना समीचीन समझें तो, एक या अधिक उप–समितियां गठित कर सकेगी और ऐसी किन्हीं उप–समितियों में, ऐसे किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो पदधारी नहीं है), जो समिति का सदस्य नहीं है, साधारणतया या किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिए, नियुक्त कर सकेगी।

(5) अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति और उन्हें संदेय भत्ते यदि कोई हों, तथा ऐसी शर्तें और निर्बधन, जिनके अधीन रहते हुए समिति ऐसे किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, अपनी किसी उप–समिति में से किसी के सदस्य के रूप में

नियुक्त कर सकेगी, ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जाएं।

7. राज्य सरकार के अधिकारी–(1) राज्य सरकार, ऐसे अधिकारियों का, ऐसे पदाविधानों सहित, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार के, या यदि वह सरकार ऐसा निर्देश दे तो किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे।

अध्याय–दो क

औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि

7. क. औषधि के दुरुपयोग के नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय निधि–(1) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निधि स्थापित कर सकेगी जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि (जिसे इस अध्याय में इसके पष्चात् निधि कहा गया है) कहलायेगी और उसमें निम्नलिखित जमा किया जायेगा–

(क) वह रकम जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध करायें,

(ख) अध्याय 5 क के अधीन समहृत किसी सम्पत्ति के विकय आग्रम,

(ग) ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दिए जायें,

(घ) पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम के विनिधान से कोई आय।

(2) निधि का उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम या उनके दुरुप्योग के नियंत्रण के लिये किये गये अध्युपायों के सम्बंध में या धारा 71 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार निधि के उपयोजन के बारे में उसे सलाह देने के लिए एक ऐसे षासी निकाय का, जैसा वह ठीक समझे, गठन कर सकेगी।

(4) षासी निकाय में एक अध्यक्ष (जो केन्द्रीय सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा) और छह से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे।

(5) शासी निकाय को अपनी प्रकिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

7. ख. निधि के अधीन वित्तपोषित कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट—केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 'अन्त के पश्चात, यशाशक्य शीघ्र, राजपत्र में, एक रिपोर्ट प्रकाशित' करवाएगी जिसमें लेखाओं के विवरण सहित, वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7 क के अधीन वित्त पोषित कियाकलापों का लेखा—जोखा दिया जाएगा।,

अध्याय तीन

प्रतिशोध नियंत्रण और विनियमन

8. कुछ संक्रियाओं का प्रतिशोध—कोई व्यक्ति—

(क) किसी कोका के पौधे की खेती या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह, या

(ख) अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती, या

(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय क्रय, परिवहन, भांडागारण, उपयोग, उपभोग, अन्तरराज्य आयात, अन्तरराज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से बाहर निर्यात या यानांतरण, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति के और विस्तार तक ही और ऐसी किसी दशा में जहां ऐसे किसी उपबन्ध में अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, या प्राधिकार के रूप में कोई अपेक्षा अधिरोपित की गई है वहां ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार के निबन्धों और शर्तों के अनुसार भी करेगा अन्यथा नहीं।

परन्तु इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती या चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, क्रय, विक्रय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्यिक आयात और अन्तरराज्यिक निर्यात के विरुद्ध प्रतिषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निर्मित विनिर्दिष्ट करें:

ख्परन्तु या और कि इस धारा की कोई बात आलंकारिक प्रयोजन के लिए पोस्ततृण के निर्यात को लागू नहीं होगी।,

5. अनुज्ञा देने, नियन्त्रण और विनियमन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति–(1) धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा–

(क) निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकेगी और उनका विनियमन कर सकेगी–

(प) कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग का संग्रह (जब ऐसी खेती या संग्रह केवल केन्द्रीय सरकार के लिए ही हो) या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, उपयोग या उपभोग,

(प प) अफीम पोस्त की खेती (जब ऐसी खेती) केन्द्रीय सरकार के लिए ही हो,

(प प प) अफीम का उत्पादन और विनिर्माण तथा पोस्त तृण का उत्पादन,

(प अ) भारत से निर्यात या राज्य सरकारों या विनिर्माण करने वाले रसायनज्ञों को विकय के लिए केन्द्रीय सरकार का कारखानों से अफीम और अफीम के व्युत्पादों का विकय,

(अ) विनिर्मित औषधियों (निर्मित अफीम से भिन्न) का विनिर्माण किन्तु इसके अन्तर्गत औशधीय अफीम या ऐसी सामग्री से, जिसका कब्जा रखने के लिए बनाने वाला विधिसम्मत रूप से हकदार है, विनिर्मित औषधि अन्तर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण नहीं है,

(अप) मनः प्रभावी पदार्थों का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्यिक निर्यात, विकय कय उपभोग या उपयोग,

(अपप) स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का भारत में आयात और भारत से निर्यात तथा स्थानांतरण,

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट किसी विषय पर केन्द्रीय सरकार का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित कोई अन्य विषय विहित कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम–

(क) केन्द्रीय सरकार को, समय–समय पर, ऐसी सीमाएं नियत करने के लिए सशक्त कर सकेंगे जिनके अन्दर, अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी,

(ख) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि सभी अफीम ऐसी भूमि के सभी उत्पाद, जिस पर अफीम पोस्त की खेती की गई है, खेतिहरों द्वारा ऐसे अधिकारियों को परिदत्त किए जाएंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निर्मिति प्राधिकृत करें,

(ग) अफीम पोस्त की खेती के लिए और अफीम के उत्पादन और विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तियों के प्रारूप और षर्तें, ऐसी जो उनके लिए प्रभावित की जा सकेगी, ऐसे प्राधिकरण, जिनके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां अनुदत्त, इन्कार और रद्द की जा सकेंगी और ऐसे प्राधिकरण जिनके समक्ष अनुज्ञप्तियों के प्रतिधारण, इन्कार या रद्दकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जा सकेंगी, विहित कर सकेंगे।

(घ) वह विहित कर सकेंगे कि अफीम को उसकी क्वालिटी और गाढ़ेपन के अनुसार ऐसे अधिकारियों द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वज्ञरा निर्मित प्राधिकृत किए जाएं, खेतिहर द्वारा परिदान के समय खेतिहर की उपस्थिति में तोला जाएगा, उसकी परीक्षा की जाएगी और उसका वर्गीकरण किया जाएगा,

(ड.) केन्द्रीय सरकार को सशक्त कर सकेंगे कि वह परिदत्त की गई अफीम के लिए खेतिहर को संदत्त की जाने वाली कीमत समय–समय पर नियत करें,

(च) कारखाने में प्राप्त अफीम का उसकी क्वालिटी और गाढ़ेपन के अनुसार तोल, परीक्षा और वर्गीकरण के लिए तथा ऐसी परीक्षा के परिणाम के अनुसार मानक कीमत में की जाने वाली कटौतियों या परिवर्धनों (यदि कोई हों) के लिए, और ऐसे प्राधिकरणों का, जिनके द्वारा तोल, परीक्षा, वर्गीकरण, कटौतियों या परिवर्धनों के बारे में विनिष्चिय किया जाएगा और ऐसे प्राधिकरणों का, जिनके समक्ष ऐसे विनिष्चित के विरूद्ध अपीलें की जाएंगी, उपबन्ध कर सकेंगे,

(छ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि किसी खेतिहर द्वारा परिदत्त अफीम यदि केन्द्रीय सरकार के कारखाने के परीक्षा में परिणामस्वरूप अपमिश्रित पाई जाती है तो इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिहृत की जा सकेगी,

(ज) विनिर्मित औषधियों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्तियों के प्रारुप और शर्तें, ऐसे प्राधिकरण, जिनके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जाएंगी और ऐसी फीसें, जो उनके लिए प्रभारित की जा सकेंगी, विहित कर सकें,

(झ) मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण, कब्ज, परिवहन, अन्तंरर्राज्यिक आयात, अन्तरर्राज्यिक निर्यात, विकय, कय, उपभोग या उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के प्रारूप और शर्तें, वे प्राधिकरण, जिनके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां या अनुज्ञापत्र दिए जा सकेंगे तथा वे फीसेजो उनके लिए प्रभरित की जा सकेंगी, विहित कर सकेंगे,

(ज) ऐसे पत्तन और अन्य स्थान, जिन पर किसी प्रकार की स्वापक औषधियों या मनः– प्रभावी पदार्थों का भारत में आयात या भारत से निर्यात या स्थानांतरण किया जा सकेगा, ऐसे आयात या निर्यात या स्थानांतरण के लिए, यथास्थिति, प्रमाण–पत्र प्राधिकारों या अनुज्ञापत्रों के प्रारूप और शर्तें, वे प्राधिकरण जिनके द्वारा ऐसे प्रमाण–पत्र, प्राधिकरण या अनुज्ञापत्र दिए जा सकेंगे और वे फीस, जो उनके लिए प्रभारित की जा सकेंगी, विहित कर सकेंगे।

ख्9क. नियन्त्रित पदार्थों को नियन्त्रित और विनियमित करने की शक्ति–(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में किसी नियंत्रित पदार्थ के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, उसके उत्पादन विनिर्माण प्रदाय और वितरण तथा उसके व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने का उपबन्ध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, उसके अधीन किया गया कोई आदेश किसी नियंत्रित पदार्थ के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अन्तर्राज्यिक आयात, अन्तरर्राज्यिक निर्यात, विकय, उपभोग, उपयोग, भण्डारण, वितरण, व्ययन या उसके अर्जित करने की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र द्वारा या अन्यथा विनियमित करने कय, का उपबन्ध कर सकेगा।,

10. अनुज्ञा देने, नियन्त्रण और विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति (1) धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, नियमों द्वारा,–

(क) निम्नलिखित के लिए अनुज्ञा दे सकेगी और उसका विनियमन कर सकेगीः–

(प) पोस्त तृण का कब्जा, परिवहन, अन्तरर्राज्यिक आयात, अन्तरर्राज्यिक निर्यात, भांडागारण, विकय, कय, उपभोग और उपयोग,

(प प) अफीम का कब्जा, परिवहन अन्तरराज्यिक आयात, अन्तराराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विकय, कय, उपभोग और उपयोग,

(प प प) किसी कैनेबिस पौधे की खेती, कैनेबिस (जिसके अन्तर्गत चरस नहीं है) का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विकय, कय, उपभोग या उपयोग,

(प अ) ऐसी सामग्री से, जिसका कब्जा करने के लिए बनाने वाला विधिसम्मत, रूप से हकदार है औषधीय अफीम का या किसी विनिर्मित औषधि को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण,

(अ) विनिर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों का तथा कोका की पत्ती का और किसी विनिर्मित औषधि को अन्तर्विष्ट करने वाली किसी निर्मित का कब्जा, परिवहन, कय, विकय, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, उपयोग उपभोग,

(अप) चिकित्सीय सलाह के आधार पर राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी व्यसनी द्वारा अपने वैयक्तिक उपभोग के लिए विधिसम्मत रूप से कब्जे में रखी गयी अफीम से निर्मित अफीम का विनिर्माण और कब्जा,

परन्तु उपखंड (प अ) और (अ) के अधीन बनाए गए नियमों में, जहां तक अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित किया जाए उसके सिवाय, धारा 8 की कोई बात ऐसी विनिम्रित औषधियों को जो सरकार की सम्पत्ति है और उसके कब्जे में है, अन्तरराज्यिक आयात अन्तरराज्यिक निर्यात, परिवहन, कब्जा, कय, विकय, उपयोग या उपयोग को लागू नहीं होगा।

परन्तु यह और कि ऐसी ओपधियों का, जो पूवर्वर्ती परन्तुक में निर्दिष्ट है, ऐसे किसी व्यक्ति को विकय या अन्यथा परिदान नही किया जाएगा जो पूर्वोक्त उपखंडों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उनके कब्जे के लिए हकदार नहीं हैः

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किन्हीं विषयों पर राज्य सरकार का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षित किसी अन्य विषय का उपबन्ध कर सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी षक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम–

(क) किसी स्थान को भांडागार घोषित करने के लिए, जिसमें स्वामी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी पोस्ततृण को, जिसका विधिसम्मत रूप से अन्तरराज्यिक आयात किया गया और जिसका अन्तरराज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात किए जाने का आशय है, निक्षेप करें, भांडायारित ऐसे पोस्ततृण को सुरक्षित अभिरक्षा का और विकय या अन्तरराज्यिक निर्यात या भारत से निर्यात के लिए ऐसे पोस्ततृण के हटाने का विनियमन करने के लिये, ऐसे भांडागारण के लिए फीसें उद्गृहीत करने के लिए और वह रीति जिससे वह अवधि, जिसके पश्चात् भांडागारित पोस्ततृण का फीसों के संदाय के व्यतिकम में व्ययन किया जाएगा, विहित करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त कर सकेंगे।

(ख) यह उपबन्ध कर सकेंगे कि वह सीमा जिसके भीतर किसी कैनेबिस के पौधे की खेती के लिए अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी राज्य सरकार द्वारा या उसके आदेश के अधीन, समय–समय पर, नियत की जाएंगी।

(ग) यह उपबन्ध कर सकेंगे कि राज्य सरकार के विहित प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञप्त खेतिहर ही किसी कैनेबिस के पौधे की खेती में लगने के लिए प्राधिकृत होंगे,

(घ) यह अपेक्षा कर सकेंगे कि सभी कैनेबिस, और ऐसी भूमि की उपज जिस पर कैनेबिस के पौधे की खेती की गई है, खेतिहरों द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों को परिदत्त की जाएगी जो इस निमित्त प्राधिकृत किए गए हैं,

(ड.) परिदत्त कैनेबिस के लिए खेतिहरों को संदत्त की जाने वाली कीमत समय–समय पर नियत करने के लिए राज्य सरकार को सषक्त कर सकेंगे।

(च) उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (प) से उपखंड (पअ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के प्रारूप और षर्तों तथा ऐसे प्राधिकरण जिसके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियां या अनुज्ञापत्र दिए जा सकेंगे और ऐसी फीसें जो उनके लिए प्रभारित की जा सकेंगी, विहित कर सकेंगे

11.स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों आदि का करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन न होना– किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई स्वापक औशधि मनःप्रभावी पदार्थ, कोका का पौधा, अफीम पोस्त या कैनेबिस का पौधा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वसूली के लिए या अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा।

12. स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के बाह्य व्यवहार पर निर्बधन–कोई व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार के पूर्व प्राधिकार से ही और ऐसी षर्तों के अधीन रहते हुए जो वह सरकार इस निमित अधिरोपित करें ऐसे किसी व्यापार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ भारत से बाहर अभिप्राप्त किया जाना है और भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है अन्यथा नहीं।

13. सुरुचि कर्मक की निर्मिति में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के सम्बंध में विशेष–उपबन्ध–धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी षर्त सहित या उनके बिना और सरकार की ओर से ऐसे किसी सुरुचि कर्मक की निर्मिति में जिसमें कोई ऐल्केलाइड नहीं है, उपयोग के लिए, और ऐसे उपयोग के लिए आवष्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भांग के संग्रह की या कोका की पत्तियों के उत्पादन, कब्जे, विकय, कय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकेगी।

14 कैनेबिस के बारे में विशेष उपबन्ध–धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसे आदेष में विहित की जाएं, केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने के औद्योगिक प्रयोजनों के लिए या उद्यान–कृषि के प्रयोजनों के लिए किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

अध्याय–चार

अपराध और शास्तियां

15 पोस्ततृण के सम्बन्ध में उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति की षर्त के उल्लंघन में पोस्ततृण का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विकय, कय, उपयोग करेगा या उसका भांडागारण करने का लोप करेगा या भांडागारित पोस्ततृण को हटाएगा उसकी बाबत काई कार्य करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुप्ए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

16. कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दण्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी कोका के पौधे की खेती करेगा या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रह या कोका की पत्तियों का उत्पादन, कब्जा, विकय, कय, परिहवन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुप्ए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

17. निर्मित अफीम के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में निर्मित अफीम का विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुप्ये से कम का नहीं होगा। किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

18. अफीम, पोस्त और अफीम के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में अफीम पोस्त की खेती या अफीम का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अन्तराराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

19. खेतिहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड– केन्द्रीय सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त जो, कोई खेतिहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गवन करेगा या उसका अन्यथा अवैध व्ययन करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

20. कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम का निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में,–

(क) किसी कैनेबिस के पौध की खेती करेगा, या

(ख) कैनेबिस का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा–

(प) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा या कैनेबिस के पौधे की खेती के सम्बंध में है वहां, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

(प प) जहां ऐसा उल्लंघन गांजा में भिन्न कैनेबिस के सम्बंध में है वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

21. विनिर्मित औषधियों और निमिर्तियों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दंड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्त के उल्लंघन में किसी विनिर्मित औषधि का या किसी विनिर्मित औषधि को अंतबिष्ट करने वाली किसी निर्मिति का विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन,स्वाषक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम अन्तरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित्त कर सकेगा।

22. मनः प्रभावी पदार्थों के सम्बंध में उल्लंघन के लिए दन्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में किसी मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण, कब्जा, विकय, कय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तराराज्यिक निर्यात या उपयोग करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु बीस वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दन्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

23. स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध रूप से भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण के लिए दन्ड– जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र या जारी किए गए प्रमाणपत्र या प्राधिकार के उल्लंघन में किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का भारत में आयात करेगा या भारत से निर्यात या यानांतरण करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दन्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

24. धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों में बाह्रा व्यवहार के लिए दण्ड– जो कोई, किसी ऐसे व्यापार में लगेगा या उसका नियंत्रण करेगा, जिसके द्वारा कोई स्वापक औषधि या कोई मनःप्रभावी पदार्थ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अधिकार के बिना या धारा 12 के अधीन दिए गए ऐसे किसी प्राधिकार की शर्तों से (यदि कोई हों) अन्यथा भारत के बाहर अभिप्राप्त किया जाता है और उनका भारत से बाहर किसी व्यक्ति को पदाय किया जाता है, वह कठोर कारावास से, जिनकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

25. किसी अपराध के किए जाने के लिए किसी परिसर, आदि का उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के लिए दण्ड–जो कोई, किसी गृह, कक्ष अहाते, जगह, स्थान, जीवजन्तु या प्रवहण का स्वामी या अधिभोगी होते हुए अथवा उसका नियंत्रण या उपयोग करते हुए उसका किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने की जानबूझकर अनुज्ञा देगा, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

ख 25 क. धारा 9 क के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए दण्ड–यदि कोई व्यक्ति धारा 9के के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। ,

26. अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दण्ड–यदि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र प्राधिकार का धारक अथवा उसके नियोजन में का और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार लेखा रखने या विवरणी प्रस्तुत करने का किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना लोप करेगा,

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस निर्मित प्राधिकृत किसी अधिकारी की मांग पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार पेश करने में किसी युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा,

(ग) ऐसा कोई लेखा रखेगा या ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है अथवा जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह गलत है, या

(घ) ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त को, जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र कोई शस्ति विहित नहीं की गई है, भंग करके, जानबूझ कर और जानते हुए, कोई कार्य करेगा,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

27. किसी स्वापक अवधि या मनःप्रभावी पदार्थ के वैयक्तिक उपयोग के लिए अल्प मात्रा में अवैध कब्जा रखने या ऐसी औषधि या पदार्थ के उपभोग के लिए दण्ड–जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश अथवा दिए गए किसी अनुज्ञापत्र के उपबन्धों के उल्लंघन में अल्पमात्रा में ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभाबी पदार्थ अपने कब्जे में रखेगा जिसके बारे में ये साबित कर दिया जाता है कि वह उसके वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विकय या वितरण के लिए आशयित है अथवा किसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उपभोग करेगा, वह इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी–

(क) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया या उपयोग स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम किया गया है, कोकेन, मार्फीन, मार्फीन, डाइ–ऐसीटल माफिन या ऐसी अन्य स्वापक औषधि या ऐसा कोई मनःप्रभावी पदार्थ है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनिदिष्ट किया जाए, वहां कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और

(ख) जहां ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जो कब्जे में रखा गया, या उपयोग किया गया है, खंड (क) में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न है वहां कारावास से जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण– (1) इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अल्प मात्रा'' से ऐसी मात्रा अभिप्रेत जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर, निर्दिष्ट की जाए।

(2) जहां किसी व्यक्ति के बारे में यह दर्शित किया जाता है कि उसके कब्जे में अल्प मात्रा में कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है वहां यह साबित करने का भार कि वह ऐसे व्यक्ति के वैयक्तिक उपभोग के लिए न कि विकय या वितरण के लिए है आशयित था, ऐसे व्यक्ति पर होगा।

ख्27 क. अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए दंड–जो कोई, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः धारा 2 के खंड (अपपपक) उपखंड (प) से उपखंड (अ) तक में विनिर्दिष्ट किसी कियाकपाल का वित्तपोषण करने में या पूर्व वर्णित कियाकलापों में से किसी कियाकलाप में लगे व्यक्ति को संश्रय देने में संलग्न होगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा–

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा। ,

28 अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड– जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या ऐसे अपराध का किया जाना कारित करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के सम्बंध में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा।

29. दुष्प्रेरणा और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड– (1) जो कोई इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार होगा, वह चाहे ऐसा अपराध ऐसे दुष्प्रेरणा के परिणाम स्वरूप या ऐसा आपराधिक षड़यंत्र के अनुसरण में किया जाता है या नहीं किया जाता है और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 15) की धारा 116 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा।

(2) वह व्यक्ति इस धारा के अर्थ में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा कोई अपराध करने के आपराधिक षड़यंत्र का पक्षकार होता है जो भारत में, भारत से बाहर और परे किसी सीान में ऐसा कोई कार्य किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है या ऐसे आपराधिक षड़यन्त्र का पक्षकार होता है, जो

(क) यदि भारत के भीतर किया जाता तो, अपराध गठित करता, या

(ख) ऐसे स्थान की विधियों के अधीन स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बंधित ऐसा अपराध है, जिसमें उसे ऐसा अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित वैसी ही या उसके समरूप सभी विधिक शर्त है जैसी उसे इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित विधिक शर्तें होती यदि ऐसा अपराध भारत में किया जाता।

30. तैयारी–यदि कोई व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य, जो धारा 15 से धारा 25 तक के (दोनों सहित) किसी उपबन्ध के अधीन दंडनीय अपराध गठित करता है, करने की तैयारी करेगा या करने का लोप करेगा और मामले की परिस्थितियों से युक्तियुक्त रूप में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह उस अपराध को करने के अपने आशय को कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्प था किन्तु उसे उसकी इच्चा से स्वतंत्र परिस्थितियों द्वारा रोका गया था तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि ऐसे कारावास की, जिससे यदि वह ऐसा अपराध करता तो दंडनीय होता, न्यूनतम अवधि (यदि कोई हो) के आधी से कम की नहीं होगा किन्तु ऐसे कारावास की, अधिकतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो ऐसे जुर्माने की जिसके वह पूर्वोक्त दशा में दंडनीय होता, न्यूनतम रकम (यदि कोई हो) के आधे से कम का नहीं होगा किन्तु ऐसे जुर्माने की, जिससे वह साधारणतया (अर्थात् विशेष कारणों के अभाव में) दंडनीय होता, अधिकतम रकम के आधे तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

परन्तु न्यायालय ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेख बद्ध किए जाएंगे, उच्चतर जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

31. पूर्व दोषसिद्धि के पष्चात् कुछ अपराधों के लिए अवधि दंड– (1) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 15 से धारा 25 के अधीन (दोनों सहित) दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुरूप्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, तत्पश्चात्–

(क) धारा 15 से धारा 19, धारा 20 के खंड (पप) और धारा 21 से धारा 25 के अधीन (दोनों सहित) दंडनीय कोई अपराध करने या करने का प्रयत्न करने या उसका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड़यंत्र करने के लिए, सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पन्द्रह वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु तीन लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

(ख) धारा 20 के खंड (प) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का या करने का प्रयत्न करने या उनका दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड़यंत्र के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक

पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगाः

परन्तु न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे–

(प) खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, तीन लाख रुपए से अधिक का जुर्माना और

(पप) खंड (ख) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, एक लाख रुपए से अधिक का जुर्माना, अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित) धारा 28 और धारा 29 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों की तत्स्थानी किसी विधि के अधीन भारत के बाहर दांडित अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां ऐसे व्यक्ति से ऐसी दोषसिद्धि की बाबत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बरता जाएगा मानों वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।

ख्31 क. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कुछ अपराधों के लिए मृत्यु दंड– (1) धारा 31 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित) या धारा 27 क के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरणा करने या करने के आपराधिक षड़यंत्र के लिए सिद्धदोष कोई व्यक्ति, यदि वह निम्नलिखित से सम्बंधित अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने का दुष्प्रेरण करने या करने के आपराधिक षड़यन्त्र के लिए तद्नन्तर सिद्धदोष ठहराया जाता है तो मृत्युदंड से दण्डनीय होगा, अर्थात–

(क) नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) के अधीन विनिर्दिष्ट स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों और उनमें अन्तर्वलित मात्रा के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक औषधि या पदार्थ के सामने उपदर्शित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण में लगे रहने से सम्बंधित अपराधः

सारणी

स्वापक आषधियों/मनःप्रभावी पदार्थों की विशिष्टियां	मात्रा
(1)	(2)
(प) अफीम	10 किलोग्राम
(पप) मार्फीन	1 किलोग्राम
(पपप) हिरोइन	1 किलोग्राम
(पअ) कोडीन	1 किलोग्राम
(अ) थिवेन	1 किलोग्राम
(अप) कोकेन	500 ग्राम
(अपप) हशीश	20 किलोग्राम
(अपपप) उपरोक्त औषधियों में से किसी औषधि की निषपभावी सामग्री सहित या उससे रहित कोई मिश्रण	1,500 ग्राम
(पग) एल.एस.डी.,एल.एस.डी.–25 ()–एन,	
(पग) एल. एस. डी,., एल. एस. डी.–25 ()–एन, एन–डाइएथिललाइसरजैमाईड (डी–लाइसर्जिक अम्ल डाइथिएलामाइड)	500ग्राम
(ग) टी. एन. सी. ख्ड्रेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल्स, निम्नलिखित समाव्यपीः 6ए (10 ए), 6ए (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूप भेद ,	500 ग्राम
(पग) मेथेमफेटामिन () –2– मेथिलामाइन–1–फेनिलप्रोपेन	1,500 ग्राम
(गपप) मेथाक्वेलोन (2–मेथिल–3– ओ–टोलिल–4– (3एच) क्विनेजोलिनोन)	1,500 ग्राम

(गपपप) एम्फटेमिन ()—2—2—एमिनो—1— फेनिलप्रोपेन 1,500 ग्राम

(गपअ) (पग) से (गपपप) में वर्णित मनःप्रभावी पदार्थों के लवण और निर्मितियों 1,500 ग्राम

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट कियाकलापों में से किसी कियाकलाप का, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, वित्तपोषण करना।

(2) जहां कोई व्यक्ति धारा 15 से धारा 25 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं), धारा 27क, धारा 28 या धारा 2 के उपबन्धों के तत्समान किसी विधि के अधीन भारत के बाहर किसी दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, वह ऐसी दोषसिद्धि की बाबत ऐसे व्यक्ति के बारे में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसी कार्यवाही की जाएगी मानों वह भारत में किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो।,

32. ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए किसी का उपबन्ध नहीं किया गया है— जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम निकाले गए किसी आदेश का दी गयी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अधय में पृथक, रूप से किसी दंड का उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

ख्32क. इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी दंडादेष का निलम्बन, परिहार या लघुकरण न होना—दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन (धारा 27 से भिन्न) दिए गए किसी दंडाकेश का निलम्बन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाएगा।,

33. दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना—दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) की कोई बात इस अधिनियम के

अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है अथवा वह अपराध, जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया जाता है धारा 26 या धारा 27 के अधीन दण्डनीय नहीं है।

34. अपराध के लिए जाने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभूति– (1) जब किसी कोई व्यक्ति अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध की सिद्धदोष ठहराया जाता है और उसे सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने से अविरत रहने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी आवश्यक है तो वह न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दण्ड पारित करते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान, जिसे नियत करना वह न्यायालय ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए प्रतिभुओं सहित या उनके बिना, अपने साधनों की आनुपादित राशि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करें।

(2) बन्धपत्र ऐसे प्रारूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार विति करें और दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध, जहां तक वे लागू होते हैं, ऐसे बन्धपत्र से सम्बंधित सभी बातों को इस प्रकार लागू होगे मानों वे परिशांति बनाए रखने के लिए उस संहिता की धारा 106 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए आदिष्ट बन्धपत्र हों।

(3) यदि दोषसिद्धि, अपील पर या अन्यथा, अपास्त कर दी जाती है तो इस प्रकार निष्पादित बन्धपत्र शून्य हो जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा या सेशन न्यायाधीश द्वारा भी, जब वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, किया जा सकेगा।

35. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा– (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है,

न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किनतु अभियुक्त के लिए यह सत्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी जैसी मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''आपराधिक मानसिक दशा'' के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विश्वास करें कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है।

ख्36. विषेष न्यायालयों का गठन– (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी।

(2) विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति के नियुक्त किया जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय में न्यायाधीश के रू‍प में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पहले सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।,

36क. विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध–(1) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उस क्षेत्र के लिए, जिसमें अपराध किया गया है, गठित विशेश न्यायालय द्वारा ही या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेश न्यायालय हैं वहां उनमें से ऐसे एक के द्वारा ही, जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिश्ट किया जाये, विचारणीय होंगे।

(ख) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या उसके किये जाने संदेहयुक्त, किसी व्यक्ति को दंड प्रकिया संहिता, 19/3 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा में, जो वह उचित समझें, कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक की अवधि के लिए, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट है और कुल मिलाकर सात दिन की अवधि के लिए जहां ऐसा मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

परन्तु जहां ऐसे मजिस्ट्रेट का–

(प) जहां ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसको भेजा जाता है, या

(पप) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व किसी भी समय,

यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहां वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले विशेश न्यायालय को भेजे जाने का आदेश करेगा।

(ग) विशेश न्यायालय, उपखण्ड (ख) के अधीन उसको भेजे गये किसी व्यक्ति के संबंध में, उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 के अधीन, ऐसे मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में, जिसे उस धारा के अधीन उसको भेजा गया है, कर सकता है।

(घ) विशेश न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कियि गये परिवाद पर अपराधी को विचारण के लिए उसको सुपुर्द न किये जाने की दशा में भी उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेश न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन, उसी विचारण में आरोपित किया जा सकता है।

(3) इस धारा की कोई भी बात दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय की विशेश शक्तियों को भी प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी और उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग, जिसके अन्तर्गत उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति भी है, ऐसे कर सकेगा मानों उस धारा में मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के अन्तर्गत धारा 36 के अधीन गठित विशेश न्यायालय के प्रति निर्देश भी हैं।

36–ख. अपील और पुनरीक्षण– उच्च न्यायालय, जहां तक लागू हो सके, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर सकेगा, मानों उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय है।

36ग. विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को संहिता का लागू होना– इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध (जिसके अंतर्गत जमानत और बन्धपत्रों से सम्बंधित उपबन्ध भी है) किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय, एक सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजन समझा जाएगा।

36घ. संक्रमणकालीन उपबन्ध–(1) धारा 36 के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन होने तक, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988

(1989 का 2) के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का विचारण दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

परन्तु धारा 26, धारा 27 और धारा 32 के अधीन दण्डनीय अपराधों का संक्षेपतः विचारण किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे अपराध के सम्बंध में, जिसका संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन किया गया है, किसी कार्यवाही का अंतरण विशेष न्यायालय को करने की अपेक्षा करती है और उसकी सुनवाई तथा उसका निपटारा सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

ख्37. अपराधों का अंज्ञेय और अजमानतीय होना– (1) दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा,

(ख) इस अधिनियम के अधीन पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी नियुक्ति किया जाएगा जब–

(प) लोक अभियोजन को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया गया है, और

(पप) जहां लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोष नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने को संभावना नहीं है।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के सम्बंध में से परिसीमाएं दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का 2) या त समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त है।,

38. कम्पनियों द्वारा अपराध– (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे तथा तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगेः–

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जाता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, या सचिव या अन्य अधिकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाऐगा तथा तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए–

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगर्मित से उस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्ययष्टियों का अन्य संगम है, और

(ख) फर्म के सम्बंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

39. कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति–(1) जब किसी व्यसनी को धरा 29 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह दोषी पाया जाता है, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत्त अथवा शारीरिक या मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए, यह राय है, कि ऐसा करना समीचीन है, तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तत्काल किसी कारावास से दंडादिष्ट करने के बजाय, उसकी सहमति से यह निदेश दे सकेगा कि उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्था से निराविषीकरण या निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए और न्यायालय के समक्ष एक वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर हाजिर होने और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए या इस बीच अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध को करने से प्रविरत रहने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूप में, प्रतिभुओं संहित या उसके बिना, बन्धपत्र निष्पादित करने पर निर्मुक्त किया जाए।

(2) यदि चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना समीचीन है तो न्यायालय अपराधी को उसके द्वारा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान, जो न्यायालय विनिदिष्ट करना ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित प्रारूप में प्रतिभुओं सहित या उनके बिना बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् निर्मुक्त किए जाने, अथवा उसके इस प्रकार प्रविरत रहने में असफल रहने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने और ऐसी अवधि के दौरान जब अपेक्षा की जाए दंडादेश प्राप्त करने के लिए निर्देश दे सकेगा।

40. कुछ अपराधियों के नामें, कारबार के स्थान आदि की प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति– (1) जहां किसी व्यक्ति का, धारा 15 से धारा 25 (दोनों सहित), धारा 28 या धारा 29 या धारा 30 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय

ऐसे व्यक्ति का नाम और कारबार का स्थान या निवास–स्थान, उल्लंघन की प्रकृति, यह तथ्य कि इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो न्यायालय मामले की परिस्थितियों में समुचित समझ, ऐसे व्यक्ति के व्यय पर ऐसे समाचार पत्रों में या ऐसी रीति से, जो न्यायालय निर्दिष्ट करें, प्रकाशित कराने के लिए सक्षम होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपील करने की अवधि का कोई अपील किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या ऐसी अपील किए जाने पर उसका निपटान नहीं कर दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशन का व्यय सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति से इस प्रकार वसूलीय होगा मानों वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

अध्याय–पांच

प्रकिया

41. वारन्ट जारी करने की षक्ति और प्राधिकार– (1) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या इस निमित राज्य सकरार द्वारा विशेष रूप से सशक्त द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, या किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की, दिन में या रात में, तलाशी के लिए जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वहां कोई ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, रखी या छिपाई गई है, वारन्ट जारी कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का या सीमा सुरक्षा बल का राजपत्रित पंक्ति का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित (सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद–शुल्क, पुलिया या किसी अन्य विभाग का कोई अधिकारी, जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्मित सशक्त किया जाता है यदि उसके पाास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति या गयी और लिखी गई इतिला से यह विश्वास करने का कारण है किसी व्यक्ति के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है अथवा कोई ऐसी स्वापक औषधि या पदार्थ जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है।

दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन प्रवहण या स्थान में रखी या छिपाई गई है, अपने अधीनस्थ किन्तु किसी चपरासी, सिपाही कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ किसी अधिकारी को ऐसे

व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान की तलाशी ले सकेगा।

(3) ऐसे अधिकारी को, जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई वारन्ट संबोधित किया जाता है और ऐसे अधिकारी को, जो गिरफ्तारी या तलाशी को प्राधिकृत करता है, या ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, धारा 42 के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी की सभी शक्तियां होगी।

42. वारन्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– (1) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का या सीमा सुरक्षा बल का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबिल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निर्मित सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद–शुल्क, पुलिस या अन्य किसी विभाग का ऐसा कोई अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबिल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ जिसकी बाबत अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, किसी भवन, प्रवहण या परिविष्टित स्थान में रखी या छिपाई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच–

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा,

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा।

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री और किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी ऐसे अपराध, के जो ऐसे औषधि या पदार्थ से सम्बंधित है, किए जाने का साक्ष्य हो सकती है, अभिगृहीत कर सकेगा, और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके ऐसी औषधि या पदार्थ के सम्बंध में, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो किया है, निरूद्ध सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि वह उचित समझें तो उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

परन्तु यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी, वारन्ट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने से लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्ठित में, स्थान अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों का उस उपधारा के परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को तत्काल भेजेगा।

43. लोक स्थानों में अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति– धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग का कोई अधिकारी–

(क) किसी लोक स्थान में या अभिवहन में, किसी ऐसे स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ को, उसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गयाहै और ऐसी औषधि या पदार्थ के साथ

किसी ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण या वस्तु को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसी औषधि या पदार्थ के सम्बंध में, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है अभिगृहत कर सकेगा,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसके अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में कोई स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ है और ऐसा कब्जा उसे विधिविरुद्ध प्रतीत होता है तो उसे और उसके साथ के किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''लोक स्थान'' पद के अन्तर्गत कोई ऐसा लोक प्रवहण, होटल, दुकान या अन्य स्थान है जो जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या जिस तक जनता की पहुंच हो सकती है।

44. कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे से सम्बंधित अपराधों में प्रवेश, तलाषी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की षक्ति– धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबन्ध जहां तक हो सके, अध्याय 4 के अधीन दंडनीय और कोका के पौधे, अफीम पोस्त या कैनेबिस के पौधे से सम्बंधित अपराधों के सम्बंध में लागू होंगे तथा इस प्रयोजन के लिए उन धाराओं में स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत कोका के पौधे, अफीम पोस्त और कैनेबिस के पौधे के प्रति निर्देश हैं।

45. जहां अधिहरण के लिए दायी माल का अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां प्रकिया– जहां कसी ऐसे माल का (जिसके अन्तर्गत खड़ी फसल है) जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरण के लिए दायी है, अभिग्रहण साध्य नहीं है वहां धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, मील के स्वामी पर या उस पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति पर इस आदेश की तालीम कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व

अनुज्ञा से ही ऐसे माल को हटाएगा, उसको बिलग करेगा, उसके बारे में अन्यथा कार्यवाही करेगा, अन्यथा नहीं।

46. अवैध खेती की इत्तिला देने का भू–धारक का कर्त्तव्य– प्रत्येक भू–धारक किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे के कोका के पौधे के बारे में, जिसकी खेती उसकी भूमि में अवैध रूपे से की जाती है, इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी या धारा 42 में उल्लिखित किसी विषय के अधिकारी को देगा और प्रत्येक ऐसा भू–धारक जो जानते हुए ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा, दंड का भागी होगा।

47. अवैध खेती की इत्तिला देने का कुछ अधिकारियों का कर्त्तव्य– सरकार का प्रत्येक अधिकारी और प्रत्येक पंच, सरपंच और किसी भी प्रकार का अन्य ग्राम अधिकारी, जैसे ही उसकी जानकारी में यह आए कि किसी भूमि पर अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे की अवैध खेती की गई है, उसकी इत्तिला तुरन्त किसी पुलिस अधिकारी को या धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के किसी अधिकारी को, देगा और सरकार का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, पंच सरपंच और अन्य ग्राम अधिकारी जो ऐसी इत्तिला देने की उपेक्षा करेगा दण्ड का भागी होगा।

48. अवैध रूप से की गई खेती की फसल को कुर्क करने की शक्ति– कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा ख्धारा 42 के अधीन सशक्त राजपत्रित पंक्ति के किसी अधिकारी, इस निर्मित विशेष रूप से सशक्त किया जाए, किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे, या कोका के पौधे को जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने के कारण है, कि उसकी अवैध रूप से खेती की गई है, कुर्क करने का आदेश दे सकेगा और ऐसा करते समय ऐसा आदेश (जिसके अन्तर्गत फसल को नष्ट करने का आदेश है) जो वह टीक समझे, पारित कर सकेगा।

49. प्रवहण को रोकने और उसकी तलाषी लेने की षक्ति– धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह सन्देह करने का कारण है कि किसी जीवजन्तु या प्रवहण का उपयोग किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के

परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह सन्देह है कि इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे जीवजन्तु का प्रवहण को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दशा में, उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश कर सकेगा औरः—

(क) प्रवहण की या उसे किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा,

(ख) ऐसे जीवजन्तु पर के या ऐसे प्रवहण में के किसी माल की परीक्षा कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा,

(ग) यदि ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण को रोकना आवश्यक हो जाता है तो उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन असफल रहते हैं वहां ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण पर गोली चलाई जा सकेगी।

50. वे षर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाषी ली जायेगी— (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप के प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41. धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करें तो, बिना अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरूद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट, राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किन्तु अन्यथा यह निर्देश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाऐगी।

51. दंड प्रकिया संहिता, 1973 के उपबन्धों का वारन्ट, गिरफ्तारी, तलाषी और अभिग्रहण को लागू होना– दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए सभी वारन्टों तथा की गई गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा– (1) धारा 41, या धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इत्तिला देगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए वारंट के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई प्रत्येक वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा जिसने वारन्ट जारी किया हो।

(3) धारा 41 की उपधारा (2), धारा 42, धारा 43, या धारा 44 के अधीन गिरफ्तार गिए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना–

(क) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, या

(ख) धारा 53 के अधीन सशक्त अधिकारी को, भेजा जाएगा।

(4) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निप्टारे के लिए आवश्यक है।

ख्52क. अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन– (1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की परिसंकटमय, प्रकृति चोरी की उनकी भेद्यता, प्रतिस्थापन, उचित भण्डारण स्थान की कभी या किन्हीं अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अभिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या ऐसी स्वापक औषधियों के वर्ग या

मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका व्ययन, उनके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी द्वारा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रकिया का अनुमरण करने के पश्चात् ऐसी रीति से किया जायेगा जो वह सरकार, समय–समय पर, अवधारित करें। निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निदिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें सड़क वर्णन, क्वालिटी, परिणाम, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसी स्वाषक औषधियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से सम्बंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों को पहचान के लिए के लिए सुसंगत समझें और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा,

अर्थात्:–

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए, या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथावष्यक षीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 (1872 का 1) या दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनिमय के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वावक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के

फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के सम्बंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा। ,

53. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की षक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की षक्तियां– (1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की श्शक्तियां, केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, स्वापक, सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना या सीमा सुरक्षा बल के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, औषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद शुल्क विभागों के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी।

ख्53क. कतिपय परिस्थितियों में कथनों की सुसंगति–(1) अपराधों का अन्वेषण करने के लिए धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी के समक्ष, ऐसे अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कोई कथन उसमें अंतविष्ट तथ्यों की सत्यता साबित करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सुसंगत होगा–

(क) जब ऐसा कथन करने वाले व्यति की मुत्यु हो गई है या वह मिल नहीं सकता है या साक्ष्य देने में असमर्थ है या प्रतिपक्ष द्वारा उसे पहुंच के बार कर दिया गया है या जिसकी उपस्थिति इतनें विलंब या व्यय के बिना जितना कि मामले की परिस्थितियों में, न्यायालय आयुक्तियुक्त समझा है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती है, या

(ख) जब कथन करने वाले व्यक्ति की न्यायालय के समक्ष मामले में साक्ष्झी के रूप में परीक्षा की जाती है और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में, कथन को साक्षय में ग्रहण कर लिया जाना चाहिए।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बंध में जो किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में, जो किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न है, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के सम्बंध में लागू होते हैं।

54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारण– इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा की जा सकेगी कि अपराधी ने–

(क) किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ,

(ख) किसी ऐसी भूमि पर जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे,

(ग) किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकूलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग, या

(घ) किसी ऐसी सामग्री जिस पर किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के विनिर्माण से सम्बंधित कोई प्रसंरकार किया गया है या ऐसी सामग्री के कोई ऐसा अवशिष्ट जिससे किसी रवामक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विनिर्माण किया गया है, बचे किसी ऐसे अपशिष्ट,

की बाबत जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप में हिसाब देने में असफल रहता है, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध किया है।

55. अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भार साधन में लेना– किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस

पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैयार किया जाए ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्राकिंत किए जायेंगे।

56. एक दूसरे की सहायता करने की अधिकारियों की बाध्यता– धारा 42 में उल्लिखित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी, सूचना दिए जाने या अनुरोध किए जाने पर, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यानिव्त करने में एक दूसरे की सहायता करने में लिए वैद्य रूप में आबद्ध होगे।

57. गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट– जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अडतालीस घण्टों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

58. तंग करने वाले, प्रवेष, तलाषी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दंड– (1) धारा 42 या धारा 43 या धारा 44 के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो–

(क) सन्देह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना किसी भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा अथवा उसमें प्रवेश करवाएगा या उसकी तलाशी करवाएगा,

(ख) इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने अथवा धारा 42, धारा 43 या धारा 44 के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने के बहाने किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को, तंग करने की दष्टि से और अनावश्यक रूप से अभिगृहीत करेगाः या

(ग) किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रूप से निरूद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या उसे गिरफ्तार करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जान–बूझ कर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तिला देगा और उसके अधीन इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवायेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्मान से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

59. अधिकारी की कर्तव्य में असफलता या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में उसकी मोनानुकूलता–(1)कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, और जो अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने से प्रविरत रहेगा या इंकार करेगा या उससे अपने आपको प्रत्याहृत करेगा, वह जब तक कि उसने अपने पदीय वरिष्ठ की स्पष्ट लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए अन्य विधिपूर्ण हेतुक न हो, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

ख(2) कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरापित किया गया है गया कोई व्यक्ति, जिसे,–

(क) किसी व्यसनी, या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है, की अभिरक्षा सौंपी गई है और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में जानबूझकर सहायता करेगा या मौनानुकूल रहेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और

जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारी'' पद के अंतर्गत ऐसी कोई व्यक्ति है जो धारा 64क के अधीन सरकार या किसी सीानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्था में निराव्यसन उपचार करने के लिए नियोजित हैं।,

(3) कोई न्यायालय उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की मंजूरी से किए गए लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

60. अवैध औषधियों, पदार्थों, पौधों, वस्तुओं और प्रवहणों का अधिहरण किए जाने का दायी होगा– (1) जब कभी अध्याय 4 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, जब ऐसी स्वाषक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे कैनेबिस के पौधे, सामग्री, साधित्र और बर्तन जिनकी बाबत या जिनके माध्यम से ऐसा अपराध किया गया है, अधहरणीय होंगे।

(2) कोई ऐसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, जिसका किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के या उसके अतिरिक्त जो उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय है, अवैध रूप से उत्पादन, अंतरराज्य आयात, अंतरराज्य निर्यात, भारत में आयात, परिवहन, विनिर्माण, कब्जा, उपयोग कय या विकय किया जाता है और ऐसे पात्र, पैकेज और आवेष्टक जिनमें उपधारा (1) के अधीन अधिहरणीय कोई स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ, सामग्री, साधित्र या बर्तन पाया जाता है और ऐसे पात्र या पैकेज की कोई अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, उसी प्रकार अधिहरणीय होंगी।

(3) किसी स्वापक औषधि, या मनःप्रभावी या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अधिहरणीय किसी वस्तु के वहन में उपयोग में लाया गया कोई जीवजन्तु या प्रवहण अधिहरणीय होगा तक कि जीवजंतु या प्रवहण का स्वामी यह साबित नहीं कर देता

है कि उसका इस प्रकार उपयोग स्वयं स्वामी, उसके अभिकर्ता, यदि कोई है, और उस जीवजन्तु या प्रवहण के भारसाधक व्यक्ति के ज्ञान या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपयोग के विरूद्ध सभी समुचित पूर्वावधानिया बरती थी।

61. अवैध औषधियों या पदार्थों या पदार्थों को छिपाने के लिए उपयोग में लाए माल का अधिहरण– किसी स्वाषक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है, छिपाने के लिए उपयोग में लाया गया कोई माल अधिहरणीय होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में, ''माल'' के अन्तर्गत परिवहन के साधनों के रूप में प्रवहरण नहीं है।

62. अवैध औषधियों या पदार्थों के विकय के अगामों का अधिहरण– जहां किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का विकय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि ऐसे औषधि या पदार्थ इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है यहां उसके विकय का आगम भी अधिहरणीय होगा।

63. अधिहरण करने में प्रकिया– (1) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में, चाहे अभियुक्त को सिद्धदोष या दोषमुक्त या उन्मोदित किया जाता है, न्यायालय यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई बस्तु या चीज धारा 60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी है और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि वस्तु इस प्रकार अधिहरण के लिए दायी है तो वह तद्नुसार अधिहरण का आदेश कर सकेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत कोई वस्तु या चीज धारा 60 या धारा 61 या धारा 62 के अधीन अधिहरण के लिए दायी प्रतीत होती है किन्तु वह व्यक्ति जिसने उसके सम्बंध में अपराध किया है, ज्ञात नहीं है या पाया नहीं जा सकता है

वहां न्यायालय ऐसे दायित्व के बारे में जिच कर सकेगा तथा तदनुसार अधिहरण का आदेश कर सकेगा।

परन्तु किसी वस्तु या चीज के अधिग्ररण का कोई आदेश, अभिग्ररण की तारीख से एक मास की समाप्ति तक या ऐसी किसी व्यक्ति की, जो उसके प्रति किसी अधिकार का दावा करें, सुनवाई के और ऐसे साक्ष्य के, यदि कोई हो, बिना जो वह अपने दावे की बाबत पेश करता है, नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह और कि यदि किसी स्वाषक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ, अफीम पोस्त, कोका के पौधे या कैनेबिसके पौधे से भिन्न कोई वस्तु या चीज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि न्यायालय की यह राय है कि उसका विकय उसके स्वामी के फायदे के लिए होगा तो वह उसके विकय के लिए किसी समय निर्देश दे सकेगा और उपधारा के उपबन्ध विकय के शुद्ध आगमों को यथाशक्त साध्य रूप में लागू होंगे।

(3) कोई व्यक्ति जो सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और जो इस धारा के अधीन अधिकृत किसी सम्पत्ति के प्रति, कोई दावा करता है, ऐसे अधिहरण के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा।

64. अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, या राज्य सरकार यदि उसकी यह राय है (ऐसी राय के लिय कारण लेखबद्ध किए जायेंगे) कि किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उल्लंघन से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सम्बद्ध या संसर्गिक प्रतीत होता है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिताया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से इस शर्तें पर उनमुक्ति दे सकेगा कि वह ऐसे उल्लंघन से सम्बंधित संपूर्ण परिस्थितियों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण करेगा।

(2) सम्बंधित व्यक्ति को दी गई और उसके द्वारा स्वीकार की गई उन्मुक्ति, उस सीमा तक जिस तक उन्मुक्ति का विस्तार है उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जिसकी बाबत उन्मुक्ति दी गई थी, अभियोजन से उन्मुक्त कर देगी।

(3) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन उन्मुक्ति दी गई है, उन शर्तोंका, जिनके अधीन उन्मुक्ति दी गई थी, पालन नहीं किया गया है या यह जानबूझकर कोई बात छिपा रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है तो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उन प्रभाव का निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगी और तब उन्मुक्ति प्रत्याहृत की गई समझी जाएगी और ऐसे व्यक्ति का उस अपराध के लिए, जिसके लिए उन्मुक्ति दी गई थी उसी विषय के सम्बंध में किसी अन्य अपराध के लिए, जिसका वह दोषी प्रतीत होता है, विचारण किया जा सकेगा।

ख64क. ऐसे व्यक्तियों को अभियोजन से उन्मुक्ति जो स्वेच्छा उपचार कराते हैं—कोई व्यसनी, जिस पर धारा 15 से धारा 25 तक (दोनों सहित) या धारा 27 क के अधीन दंडनीय किसी अपराध का आरोप नहीं है और जो सरकार या किसी सीानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या किसी ऐसी संस्था से निराविशीकरण या निराव्यसन के लिए स्वेच्छा चिकित्सीय उपचार लेना चाहता है और ऐसा उपचार लेता है, अपने जीवनकाल में एक बार धारा 27 के अधीन अभियोजन के लिए दायी नहीं होगाः

परन्तु यदि व्यसनी निराविशीकरण या निराव्यसन के लिए पूर्ण उपचार नहीं लेता है तो अभियोजन से उक्त उन्मुक्ति को वापस लिया जा सकेगा।,

65. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की धारा 18 द्वारा (29—5—1989 से) निरसित।

66. कुछ मामलों में दस्तावेज के बारे में उपधारणा—जहां कोई दस्तावेज—

(प) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा पेश की जाती है या दी जाती है अथवा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियंत्रण में से अभिगृहीत की जाती है, दोनों मामलों में, या

(पप) इन अधिनियम के अधीन किसी अपराध के, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अभिकथित है, अन्वेषण के अनुक्रम में भारत से बाहर किसी स्थान से (ऐसे प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहीत की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित रूप में) प्राप्त की जानी है,

और ऐसी दस्तावेज इस अधिनियम के अधीन किसी अभियोजन में उसके विरुद्ध या उसके और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध जिसका उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण किया जाता है, साक्ष्य में पेश की जाती है वहां न्यायालय–

(क) जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है यह उपधारणा करेगी कि ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तक्षेप में होगा तात्पर्यित है या जिसके बारे में न्यायालय युक्तियुक्त रूप से धारणा करे कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, हस्ताक्षर और प्रत्येक अन्य भाग उस व्यक्ति के हस्तक्षेप में है, तथा निष्पादित और अनुप्रमाणित दस्तावेज की दशा में यह कि वह उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित की गई थी जिसके द्वारा उसका इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया जाना तात्पर्यित है,

(ख) किसी दस्तावेज को, यदि ऐसी दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है, इस बात के होते हुए भी कि वह सम्यक् रूप से स्थापित नहीं है साक्ष्य में ग्रहण करेगा।

(ग) खंड (प) के अन्तर्गत आने वाले किसी मामले में, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ऐसा दस्तावेज की अन्तर्वस्तु की भी उपधारणा करेगा।

67. जानकारी आदि मांगंने की शक्ति– धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किया जाता है, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के सम्बंध में किसी जांच के अनुक्रम में–

(क) अपना वह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गये किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा,

(ख) किसी व्यक्ति से, जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज या बीज को पेश करने या परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा।

68. अपराधों के किए जाने के बारे में इत्तिला– उस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग में कार्य करने वाला कोई भी अधिकारी यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि ऐसे किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई इत्तिला उसे कब मिली।

अध्याय– पांच–क

अवैध व्यापार से प्राप्त हुई या उसमें उपयोग की गई सम्पत्ति का समहरण

68क. लागू होना– (1) इस अध्याय के उपबन्ध उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ही लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित है, अर्थात–

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है,

(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे भारत के बाहर दांडिक अधिकारिता वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा समरूप अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है,

(ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी बाबत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) के अधीन या जम्मू कश्मीर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का जम्मू कश्मीर अधिनियम 23) के अधीन निरोध आदेश किया गया है,

परन्तु यह तब जब ऐसा निरोध आदेश युक्त अधिनियमों के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर वापस न ले लिया गया हो या ऐसा निरोध आदेश सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आस्त न कर दिया गया होः

(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का नातेदार हैः

(ड.) खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) मे निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयुक्त व्यक्ति,

(च) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो पहले किसी समय खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पास थी, कोई धारक (जसे इसे खंड में इसके पश्चात् ''वर्तमान धारक'' कहा गया है) तब तक जब तक कि, यथास्थिति, वर्तमान धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात् और वर्तमान धारक या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसे व्यक्ति के पश्चात, और वर्तमान धारक के पूर्व ऐसी सम्पत्ति थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अन्तरिती नहीं है या था।

68ख. परिभाषाएं– इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपील अधिकरण'' से धारा 68ढ के अधीन गठित समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण अभिप्रेत है,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में, जिसकी सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन समपहृत की जा सकती है, ''सहयुक्त'' से अभिप्रेत है–

(प) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐस व्यक्ति के आवासिक परिसर में (जिसके अन्तर्गत उपगृह भी है) रह रहा था या रह रहा है,

(पप) ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के कामकाज का प्रबन्ध करता था या कर रहा है अथवा लेखा रखता था या रख रहा है,

(पपप) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में कोई ऐसा व्यक्ति संगम, व्यष्टिनिकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी, जिसका ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है,

(पअ) ऐसा कोई व्यक्ति जो उपखंड (पपप) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति संगम, व्यष्टि–निकाय भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का किसी भी समय तब सदस्य रहा था या है जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संगम, निकाय, भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा था या है,

(अ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपखंड (पपप) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति संगम, व्यष्टि–निकाय भागीदारी फर्म या प्राइवेट कम्पनी के कामकाज का प्रबन्ध करता था या कर रहा है अथवा लेखा रखता था या रख रहा है,

(अप) किसी न्याय का न्यासी, जहां–

(1) न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा सृष्ट किया गया है, या

(2) न्याय में ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिदान की गई आस्तियों का उस तारीख को, जिसको आस्तियों का अभिदान किया गया है, मूल्य (जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा पहले अभिदाय की गई आस्तियों का, यदि कोई है, मूल्य भी है) उस तारीख को न्याय की आस्तियों के मूल्य के बीस प्रतिशत से कम नहीं है,

(अपप) जहां सक्षम प्राधिकारी का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति की सम्पत्तियां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से धारित की जाती है, वहां ऐसा अन्य व्यक्ति,

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से केन्द्रीय सरकार का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 68घ के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो,

(घ) ''छिपाया जाना'' से सम्पत्ति की प्रकृति, स्रोत, व्ययन, संचलन या स्वामित्व का छिपाया जाना या प्रच्छन्न किया जाना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इलैक्ट्रानिक परेषण द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा ऐसी सम्पत्ति का संचालन या संपरिवर्तन भी है,

(ड.) ''रोक लगाना'' से धारा 68च के अधीन जारी किए किसी आदेश द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण, संपरिवर्तजन, व्ययन या संचालन का अस्थायी तौर पर प्रतिशेध करना अभिप्रेत है,

(च) '' पहचान करना'' के अन्तर्गत यह सबूत स्थापित करना है कि सम्पत्ति अवैध व्यापार से प्राप्त हुई थी या उसमें उसका उपयोग किया गया था,

(छ) किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बंध में जिसे यह अध्याय लागू होता है, ''अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है–

(प) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित कोई सम्पत्ति, जो अवैध व्यापार से प्राप्त या अभिप्राप्त हुई है अथवा उससे हुई मानी जा सकने वाली किसी आय, उपार्जन या आस्तियों से या उनके द्वारा पूर्णतः या भागतः अर्जित की गई है, या

(पप) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित कोई सम्पत्ति जो उपखंड (प) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्ति से हुई आय या उपार्जन से पूर्णतः या भागतः हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन से अर्जित की गई है,

और इसके अन्तर्गत–

(अ) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित ऐसी कोई सम्पत्ति है जो, उसके किसी पूर्ववर्ती धारक के सम्बंध में, यदि ऐसा पूर्ववर्ती धारक उसे धारण करने से प्रविरत नहीं हो जाता तो, इस खंड के अधीन अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति होती, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसने ऐसे पूर्ववर्ती धारक के पश्चात, या जहां दो या दो से अधिक ऐसे पूर्ववर्ती धारक हैं वहां ऐसे पूर्ववर्ती धारकों में से अन्तिम धारक के पश्चात् किसी समय सम्पत्ति धारित की थी, पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भाविक अंतरिती न हो या था,

(आ) ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अध्याय के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् अर्जित ऐसी कोई सम्पत्ति, जो मद (अ) के अन्तर्गत आने वाली किसी संम्पत्ति से या उससे हुई आय या उपार्जन से पूर्णतः या भागतः हुए माने गए किसी प्रतिफल के लिए या किसी भी साधन से अर्जित की गई है।

(ज) ''सम्पत्ति'' से अभिप्रेत है प्रत्येक विवरण की सम्पत्ति और आस्तियां चाहे वे जंगम या सीावर हों, मूर्त या अमूर्त हों और ऐसे विलेख और लिखत जिनमें अवैध व्यापार से प्राप्त या उनमें उपयोग की गई ऐसी सम्पत्ति या आस्तियों के हक या हित के बारे में साक्ष्य हो,

(झ) ''नातेदार से अभिप्रेत है–

(1) व्यक्ति का पति या पत्नी,

(2) व्यक्ति का भाई या बहन,

(3) व्यक्ति की पत्नी या पति का भाई या बहन,

(4) व्यक्ति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज,

(5) व्यक्ति की पत्नी या पति का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज,

(6) उपखंड (2) उपखंड (3), उपखंड (4) या उपखंड (5) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी या पति, (7) उपखंड (2) या उपखंड (3) में निदिष्ट व्यक्ति का कोई पारंपरिक वंशज,

(ण) '' पता लगाना'' से सम्पत्ति की प्रकृति, स्रोत व्ययन, संचलन, हक या स्वामित्व का अविधारण करना अभिप्रेत है,

(ट) न्यास के अन्तर्गत कोई अन्य विधिक बाध्यता भी है।

68ग. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति धारण करने का प्रतिषेध– (1) इस अध्याय के प्रारंभ से, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे यह अध्याय लागू होता है, अवैध रू॰ से अर्जित किसी संपत्ति को स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करना विधिपूर्ण नहीं होना।

(2) जहां कोई व्यक्ति अवैध रू॰ से अर्जित कोई सम्पत्ति उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में आधारित करता है, वहां ऐसी सम्पत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी,

परन्तु कोई भी सम्पत्ति इस आध्याय के अधीन उस दशा में समपहृत नहीं की जाएगी यदि ऐसी सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अधिनियम लागू होता है, उस तारीख से जिसको वह अवैध व्यापार के सम्बंध में किसी अपराध से आरोपित किया गया था, छह वर्ष की अवधि के पूर्व अर्जित की गई है।

68 घ. सक्षम प्राधिकारी– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी सीमाशुल्क कलेक्टर या केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क कलेक्टर या आय–कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन समक्ष प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करें।

68 ड. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति की पहचान करना– (1) धारा 53 के अधीन सशक्त प्रत्येक अधिकारी और किसी पुलिस थाने का प्रत्येक भारसाधक अधिकारी, ऐसी इत्तिला की प्राप्ति पर कि किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसको यह अध्याय लागू होता है, भारत में या भारत के बाहर किए गए इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित किसी सम्पत्ति का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) उपधारा (1) में निदिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण उपधारा (1) में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा ऐसे निर्देशों या मार्गदर्शन के अनुसार किया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी इस निर्मित्त दे या जारी करे।

68च. अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति का अभिग्रहण या रोक लगाया जाना–(1) जहां धारा 68ड. के अधीन कोई जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई सम्पत्ति, जिसके सम्बंध में कोई ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है और ऐसी सम्पत्ति के छिपाये जाने, अन्तरित किए जाने या उसके सम्बंध में किसी ऐसी रीति से संव्यवहार किए जाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप इस अध्याय के अधीन ऐसी सम्पत्ति के समपहरण के सम्बंध में कोई कार्यवाही विफल हो जाएगी वहा वह ऐसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने के लिए आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाना साध्य नहीं है, वहां वह यह आदेश कर सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके सम्बंध में अन्यथा संव्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की प्रति की संबंधित व्यक्ति को तामील की जाएगी।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी को इस उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश की सम्यक् रूप से जानकारी दी जाएगी और ऐसे आदेश की प्रति आदेश किए जाने के अड़तालीस घण्टे के भीतर सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि उक्त आदेश किए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर उसकी पुष्टि, सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा नहीं कर दी जाती है।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''सम्पत्ति का अन्तरण'' से अभिप्रेत है सम्पत्ति का व्ययन, हस्तांतरण, समनुदेशक, व्यवस्थापन, परिदान, संदाय या कोई अन्यसंकामण और पूर्वगामी की व्यापकता को परिसीमित किए बिना, इसके अतर्गत है–

(क) सम्पत्ति में किसी न्यास का सृजन,

(ख) सम्पत्ति में किसी पट्टा, बंधक, भार, सुखाचार, अनुज्ञप्ति, शक्ति, भागीदारी या हित की मंजूरी या सृजन,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति में, जो सम्पत्ति का स्वामी नहीं है, निहित सम्पत्ति के नियतन की शक्ति का, शक्ति के आदाता से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में उसके व्ययन के अवधारण के लिए प्रयोग, और

(घ) किसी व्यक्ति द्वारा इस आशय से किया गया कोई संव्यवहार जिससे उसकी अपनी संपत्ति के मूल्य को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कम किया जा सके और किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति के मूल्य को बढ़ाया जा सके।

68छ. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत सम्पत्तियों का प्रबन्ध–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी प्रशासक के कृत्यों का पालन करने के लिए अपने उतने अधिकारियों को (जो सरकार के संयुक्त सचिव की पक्ति से नीचे के न हों) नियुक्त कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी सम्पत्ति को, जिसके सम्बंध में धारा 68च की उपधारा (1) या धारा 68झ के अधीन कोई आदेश किया गया है, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तोंके अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्राप्त करेगा और उसका प्रबन्ध करेगा।

(3) प्रशासक ऐसी सम्पत्ति का, जो केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो गई है, व्ययन करने के लिए ऐसे उपाय भी करेगा जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करें।

68ज. सम्पत्ति के समपहरण की सूचना –(1) यदि, सक्षम प्राधिकारी के पास किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको यह अध्याय लागू होता है, स्वयं अपने द्वारा या उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसकी यह अध्याय लागू होता है, स्वयं अपने द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारित सम्पत्तियों के मूल्य, उसकी आय, उपार्जन या आस्तियों के उसके ज्ञात स्रोत और धारा 68ड. के अधीन अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप या अन्यथा उसे उपलब्ध किसी अन्य जानकारी या सामग्री को ध्यान में रखते हुए, यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए जो कारण है वे लेखबद्ध किए जाएंगे) कि ऐसी सभी या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है तो वह ऐसे व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रभावित व्यक्ति कहा गया है) सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों के ऐसे स्रोतों को, जिससे या जिनके द्वारा उसने ऐसी सम्पत्ति अर्जित की है, वह साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत जानकारी और विशिष्टियां उपदर्शित करे और यह हेतुक दर्शित करे कि ऐसी सभी या कोई सम्पत्ति क्यों न अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति घोषित की जाए और इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत की जाए।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना में किसी सम्पत्ति के बारे में यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति की ओर से धारित है वहां सूचना की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जाएगी।

68झ. कुछ दषाओं में सम्पत्ति का समपहरण–(1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 68ज के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए जारी की गई सूचना के सम्बंध में दिए गए स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, और अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री पर, विचार करने के पश्चात् तथा प्रभावित व्यक्ति को (और किसी ऐसी देशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारण करता है वहां ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा, यह निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति हैः

परन्तु यदि प्रभावित व्यक्ति (और किसी ऐसी दशा में जहां प्रभावित व्यक्ति सूचना में विनिदिष्ट कोई सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति की मार्फत धारण करता है) वहां ऐसा अन्य व्यक्ति भी हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हाजिर नहीं होता है या उसके समक्ष अपना मामला व्यपदिष्ट नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी, अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, इस उपधारा के अधीन एकपक्षीय निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में निर्दिष्ट कुछ सम्पत्तियां अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां है किन्तु वह ऐसी सम्पत्ति को विनिदिष्ट पहचान करने में समथ नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी सम्पत्तियों को विनिर्दिष्ट करे जो उसकी

सर्वोत्तम विवके बुद्धि के अनुसार अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियां है और तदनुसार उपधारा (1) के अधीन निष्कर्ष अभिलिखित करे।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी, इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता है कि कोई सम्पत्ति अवैध रू॰ से अर्जित की गई सम्पत्ति है, वहां वह घोषित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी बिल्लंगमों से मुक्त, केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(4) जहां किसी कम्पनी के शेयर, इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाते हैं, वहां कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में या कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को ऐसे शेयरों के अंतरिती के रूप में तत्काल रजिस्टर करेगी।

68ज. सबूत का भार– इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, यह साबित करने का भार कि धारा 68ज के अधीन तामील की गई सूचना में विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति नहीं है प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

68ट. समपहरण के बदले में जुर्माना (1) जहां सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई सम्पत्ति धारा 68झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो गई है और वह ऐसा मामला है जिसमें अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति के केवल किसी भाग का स्रोत ही सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित नहीं किया गया है, वहां वह किसी प्रभावित व्यक्ति को समपहरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदश करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश करने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

(3) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का, ऐसे समय के भीरत जो उस निर्मित्त अनुज्ञात किया जाए, सदाय करता है, सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा, धारा 68झ के अधीन समपहरण की घोषणा को प्रतिसंहृत कर सकेगा और तब ऐसी सम्पत्ति निर्मुक्त हो जाएगी।

68ठ. कुछ न्याय सम्पत्तियों के सम्बंध में प्रकिया– धारा 68ख के खंड (ख) के उपखण्ड (पअ) में निदिष्ट किसी व्यक्ति की दशा में, यदि सक्षम प्राधिकारी के पास, उसे उपलब्ध जानकारी और सामग्रियों के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है (ऐसे विश्वास के लिए जो कारण हैं उनहें लेखबद्ध किया जाएगा) कि न्याय के रूप में धारित कोई सम्पत्ति अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति है, तो वह, यथास्थिति, न्यायकर्ता को या ऐसी आस्तियों के ऐसे अभिदाता को जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अर्जन न्यास और न्यासियों के ऐसे अभिदाता को जिनसे या जिनके द्वारा ऐसी सम्पत्ति का अर्जन न्याय और न्यासियों द्वारा किया गया था, सूचना की तामील यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट तीस दिन की अवधि के भीतर, धन या अन्य आस्तियों के ऐसे स्रोत जिनका ऐसी सम्पत्ति को अर्जित करने के लिए न्यास को अभिदान किया गया था, के बारे में स्पष्टीकरण दे और तब ऐसी सूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 68ज के अधीन तामील की गई सूचना है और इस अध्याय के अन्य सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए, न्यास के रू॰ में धारित किसी सम्पत्ति के सम्बंध में, ''अवैध रूप से अजित सम्पत्ति'' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात्:–

(प) कोई सम्पत्ति जो यदि वह न्यासकर्त्ता या न्याय को ऐसी सम्पत्ति के अभिदायकर्त्ता द्वारा न्याय के रू॰ में धारित रहती, तो वह ऐसे न्यासकर्त्ता या अभिदायकर्त्ता के सम्बंध में अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति होती,

(पप) किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदायों से न्याय द्वारा अर्जित कोई सम्पत्ति जो ऐसे ने ऐसी व्यक्ति के सम्बंध में अवैध रू॰ से अर्जित की गई सम्पत्ति होती, यदि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी सम्पत्ति को ऐसे अभिदायों से अर्जित किया होता।

68 ड. कुछ अन्तरणों का अकत और शून्य होना–जहां धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करने या धारा 68 ज या धारा 68ठ के अधीन सूचना जारी करने के पश्चात् उक्त आदेश या सूचना में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का अन्तरण किसी भी ढंग से किया गया है, वहां ऐसे अंतरण पर, इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए ध्यान नहीं दिया जाएगा और यदि उसके बाद ऐसी सम्पत्ति धारा 68झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत हो जाती है तो ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण अकृत और शून्य समझा जाएगा।

68ढ. अपील अधिकरण का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन किए गए आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील अधिकरण गठित करेगी जो समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण कहलाएगा। उसमें एक अध्यक्ष और उतने

सदस्य (जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों), जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, होंगे, जिनकी नियुक्ति उस सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके लिए अर्हित है।

(3) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निर्बधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

68ण. अपील–(1) धारा 68च, धारा 68झ, धारा 68ट की उपधारा (1) या धारा 68ठ के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको आदेश उसे तामील की जाती है, पैंतालीस दिन के भीतर अपील अधिकरण को अपील कर सकेगाः

परन्तु अपील अधिकरण, पूर्वोक्त तारीख से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के पश्चात् किन्तु साठ दिन के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय से अपील फाइल न किए जाने के लिए पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर, अपील अधिकरण, अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि वह ऐसी इच्छा करता है, और ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, ऐसे आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगाः

(3) अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित और तीन सदस्यों वाले न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अध्यक्ष इस धारा के अधीन अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझा है वहां वह दो सदस्यों का न्यायपीठ गठित कर सकेगा और इस प्रकार गठित न्यायपीठ अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्बहन कर सकेगाः

परन्तु यदि इस प्रकार गठित न्यायपीठ के सदस्यों में किसी मुद्दे पर मतभेद है तो वे उस मुद्दे या उन मुद्दों का उल्लेख करेंगे जिन पर उनमें मतभेद है और उसे या उन्हें, ऐसे मुद्दे या मुद्दों की सुनवाई के लिए (अध्यक्ष द्वारा विनिदिष्ट) एक तीसरे सदस्य को निर्देशित करेंगे और ऐसे मुद्दा या ऐसे मुद्दे उस सदस्य की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा या किए जाएंगे।

(5) अपील अधिकरण अपनी प्रकिया को स्वयं विनियमित कर सकेगा।

(6) अपील अधिकरण को आवेदन करने पर और विहित फीस का संदाय करने पर अधिकरण किसी अपील पक्षकार को या ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कार्यालय के समय के दौरान किसी भी समय, अधिकरण के सुसंगत अभिलेखों और रजिस्टरों का निरीक्षण करने के लिए और उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

68त. वर्णन में गलती के कारण सूचना या आदेष का अविधिमान्य न होना– इस अध्याय के अधीन जारी की गई या तामील की गई कोई सूचना, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के वर्णन में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति इस प्रकार उल्लिखित वर्णन से पहचाना जा सकता है।

68थ. अधिकारिता का वर्जन– इस अध्याय के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कोई घोषणा उसमें उपबन्धित के सिवाय अपीलीय नहीं होगी और किसी भी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे मामले के सम्बंध में, जिसे अपील अधिकरण या कोई सक्षम प्राधिकारी इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन अवधारित करने के लिए सशक्त है, अधिकारिता नहीं होगी, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश इस अध्याय द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के बारे में मंजूर नहीं किया जाएगा।

68 द. सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होना–सक्षम प्राधिकारी ओर अपील अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के बारे में, सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होगी, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,,

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण तथा पेश किए जाने की अपेक्षा करना,

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य लेना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना,

(ड.) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,

(च) अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए।

68ध. सक्षम प्राधिकारी, को जानकारी देना– (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी से ऐसे व्यक्तियों, मुद्दों या विषयों के बारे में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे, जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(2) धारा 68न में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, स्वप्रेरणा से, ऐसी कोई जानकारी जो उसके पास उपलब्ध हो, सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगा यदि उस अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उस सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी।

68न. कतिपय अधिकारियों का प्रशासक, सक्षम प्राधिकारी और अपील प्राधिकरण को सहायता करना– इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अधिकारी धारा 68छ के अधीन नियुक्त प्रशासन, सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण की सहायता करने के लिए सशक्त किए जाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है, अर्थात्:–

(क) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी,

(ख) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारी,

(ग) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क विभाग के अधिकारी,

(घ) आय–कर विभाग के अधिकारी,

(ड.) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनिय, 1973 (1973 का 46) के अधीन नियुक्त प्रवर्तन अधिकारी,

(च) पुलिस के अधिकारी,

(छ) स्वापक विभाग के अधिकारी,

(ज) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारी,

(झ) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारी,

(ञ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करें।

68प. कब्जे में लेने की शक्ति–(1) जहां कोई सम्पत्ति इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपहृत घोषित कर दी गई है या जहां कोई प्रभावित व्यक्ति धारा 68ट की उपधारा (3) के अधीन उसके लिए अनुज्ञात समय के भीतर उस धारा की उपधारा (1) के अधीन देय जुर्माने का संदाय करने में असफल हो गया है, वहां सक्षम प्राधिकारी प्रभावित व्यक्ति को तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में संपत्ति हो, धारा 68छ के अधीन नियुक्त प्रशासक को या उसके द्वारा इस निर्मित सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर, संपत्ति का अभ्यर्पण करने या कब्जा देने का आदेश कर सकेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1)के अधीन किए गए आदेश का पालन करने से इंकार करता है या पालन करने में असफल हो जाता है तो प्रशासक संपत्ति का कब्जा ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का, जो आवश्यक हो, प्रयोग कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए, अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी की सेवा अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का पालन करें।

68फ. भूलों की परिशुद्धि–अभिलेख से प्रकट किन्हीं भूलों की परिशुद्धि करने के लिए यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को उस आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा।

परन्तु यदि किसी संशोधन से किसी व्यक्ति कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह संशोधन ऐसे व्यक्ति की सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

68ब. अन्य विधियों के अधीन निकाले गए निष्कर्षों का इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के लिए निष्चायक न होना–किसी अन्य विधि के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी का कोई निष्कर्ष इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए निश्चायक नहीं होगा।

68 भ. सूचनाओं और आदेषों की तालीम–इस अध्याय के अधीन जारी की गई किसी सूचना या किए गए किसी आदेश की तामील निम्नलिखित रूप में की जाएगीः–

(क) उस व्यक्ति को जिसके लिए सूचना या आदेश आशयित है या उसके अभिकर्ता को सूचना या आदश निविदत्त करके या रजिस्ट्रीकृत डाक भेजकर,

(ख) यदि सूचना या आदेश की तामील खंड (क) में उपबंधित रीति से नहीं की जा सकती है तो उस संपत्ति के, जिसके संबंध में सूचना जारी की गई है या आदेश किया गया है, सहदृश्य स्थान पर या उस परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति, जिसके लिए वह आशयित है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अंतिम रूप से रहा है या कारबार किया है या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम किया है, किसी सहजदश्य भाग पर चिपका कर।

68 म. उस सम्पत्ति का, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई हैं, अर्जन करने के लिए दण्ड–ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रीति से ऐसी कोई संपत्ति, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित हैं, जानबूझकर अर्जित की है, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुप्ए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा,

अध्याय छः

प्रकीर्ण

69. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अधीन सद्भावपूर्णक की गई या की जाने के लिए आाशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले या कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगा।

70. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाते समय अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंषनों का ध्यान रखा जाना– इस अधिनियम में जहां कहीं केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त किया गया है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम बनाते समय स्वापक ओषधि एकल कन्वेंशन, 1961, उक्त कन्वेंशन का संशोधन करने वाले 1972 के प्रोटोकाल और मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971 के उपबंधों का जिसका भारत एक पक्षकार है, और स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ से सम्बंधित किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का ध्यान रख सकेगी।

71. व्यसनियों का पहचान उपचार, आदि के लिए तथा स्वापक ओषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए केन्द्र सीापित करने की सरकार की शक्ति–(1) सरकार, स्वविवेकानुसार, व्यवसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख–रेख, पुनर्वास, सामाजिक पुनः एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों को और अन्य व्यक्तियों को किसी स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के प्रदाय के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यक है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो संबंधित सरकार द्वारा बिहित की जाए, इतने केन्द्र सीापित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे।

(2) सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबंध और अधीक्षण तथा वहां से स्वापक औषधियों और प्रनःप्रभावी पदार्थों के प्रदाय के लिए और ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियों, कर्तव्यों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी।

72. सरकार को षोध्य राषियों की वसूली–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के किसी उपबंध के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदेय कोई अनुज्ञप्ति फीस या किसी प्रकार की कोई अन्य धनराशि की बाबत, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का ऐसा अधिकारी, जो ऐसी धनराशि के संदाय की अपेक्षा करने के लिए सशक्त है, ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसी धनराशि वसूलीय या शोध्य है, देय किसी धन में से ऐसी धनराशि की रकम की कटौती कर सकेगा अथवा ऐसी रकम या राशि की वसूली ऐसे व्यक्तियों के माल की कुर्की और विक्रय करके कर सकेगा और यदि उसकी रकम इस प्रकार वसूल नहीं की जाती है तो उसे उस व्यक्ति या उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानों वह भू–राजस्व की बकाया हो।

(2) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में, किसी कार्य के पालन के लिए या किसी कार्य से अपने प्रविरत रहने के लिए (धारा 34 और धारा 39 के अधीन किसी बन्धपत्र से भिन्न) कोई बन्धपत्र देता है तब ऐसे पालन या प्रविरति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 74 के अर्थ में लोक कर्तव्य है, और उसके द्वारा ऐसे बन्धपत्र को षर्तों के भंग किए जाने पर, उसमें ऐसे भंग की दशा में संदाय की जाने वाली रकम के रूप में नामित संपूर्ण धनराशि उसके प्रतिभू से (यदि कोई हो) इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह भू–राजस्व की बकाया हो।

73. अधिकारिता का वर्जन–कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारण द्वारा निम्नलिखित किसी विषय पर किए गए किसी विनिश्चय या पारित किसी आदेश के विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा, अर्थातः–

(क) अफीम पोस्त की खेती के लिए किसी अनुज्ञप्ति का विधारण, इंकार या रद्करण,

(ख) अफीम की क्वालिटी और उसके गाढ़ेपन के अनुसार तौल, परीक्षा और वर्गीकरण तथा ऐसी परीक्षा के अनुसार मानक कीमत से की गई कोई कटौती या उसमें परिवर्धन,

(ग) ऐसी अफीम का अधिहरण जो किसी भी विजातीय पदार्थ से अपमिश्रित पाई जाए।

74. संक्रमणकालीन उपबन्ध– इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले किसी ऐसे विषय के सम्बंध में, जिसके लिये इस अधिनियम में उपबन्ध नहीं किया गया है, किन्हीं शक्तियों का प्रयोग या कर्त्तव्यों का पालन करने वाला

सरकार का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन, उसी पद पर और उसी पदाभिधान से, जो वह ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व धारण कर रहा था, नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

ख74क. केन्द्रीय सरकार की निर्देष देने की शक्ति– केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों का निष्पादन करने के सम्बंध में राज्य सरकार को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।,

75. प्रत्यायोजन की षक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने की श्शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक और समीचीन समझे, वोर्ड या किसी अन्य प्राधिकारी या स्वापक आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (नियम बनाने को शक्ति के सिवाय), जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उस सरकार के किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

76. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति– (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह पद्धति, जिसके द्वारा धारा 2 के खंड (अ), खंड (अप) खंड (गपअ) और खंड (गअ) के प्रयोजनों के लिए द्रव निर्मितियों की दशा में प्रतिशतताओं का परिकलन किया जाएगा,

(ख) उस बन्धपत्र का प्रारूप, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन चिकित्सीय उपचार के लिए सिद्धदोष किसी व्यसनी व्यक्ति की निर्मुक्ति के लिए निष्पादित किया जाएगा और वह बन्धपत्र, जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् ऐसे सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा अपनी निर्मुक्ति के पूर्व निष्पादित किया जाएगा।

(घ) वह प्राधिकारी या व्यक्ति जिसके द्वारा और वह रीति जिससे भारत से बाहर किसी स्थान से प्राप्त दस्तावेज धारा 66 के खंड (पप) के अधीन अधिप्रमाणित की जाएगी,

ख(घक) वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन धारा 68छ की उपधारा (2) के अधीन प्रशासक द्वारा सम्पत्तियों का प्रबंध किया जाएगा,

(घख) धारा 68ढ की उपधारा (3) के अधीन अपील अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें

(घग) के फीस जिनका संदाय फारा 68ण की उपधारा (6) के अधीन अपील अधिकरण के अभिलेखों और रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए या उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किया जाएगा,

(घघ) सिविल न्यायालय की शक्तियां जिनका प्रयोग धारा 68द के खंड (च) के अधीन सक्षम प्राधिकारी और अपील अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ,

(घड.) इस अधिनियम के अधीन अधिहृत सभी वस्तुओं या चीजों का निपटारा,

(घच) नमूने लेना और ऐसे नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण करा,

(घछ) अधिकारियों, भेदियों और अन्य व्यक्तियों को मदत्त किए जाने वाले पुरस्कार;

(ड.) वे शर्तें जिनमें और वह रीति जिससे धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों और अन्य व्यक्तियों को चिकित्सा आवश्यकता के लिए स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का प्रदाय किया जा सकेगा,

(च) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सीापित केन्द्रों की स्थापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य,

(छ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन स्वाषक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और मनःप्रभावी पदार्थ सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और उनको सदेय भत्ते तथा वे शर्तें और निर्बधन, जिनके रहते हुए कोई गैर सदस्य किसी उपसमिति में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या विहित किया जाए।

77. नियमों और अधिसूचाओं को संसद के समक्ष रखा जाना–केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 2 के खंड (पप), धारा 3, धारा 27 के खंड (क) और उसके स्पष्टीकरण (1) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए या निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद, के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा अधिक आनुकमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुकमिक सत्र ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिर्वतन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी। वह उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी किन्तु उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

78. नियम बनाने की राज्य सरकारी की षक्ति– (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम लिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थातः–

(क) वे शर्तें जिनमें और वह रीति जिससे धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों और अन्य व्यक्तियों का चिकित्सीय आवष्यकता के लिए स्वाषक ओषधियों और मनःप्रभावों पदार्थों का प्रदाय किया जा सकेगा।

(ख) धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रों की सीापना, नियुक्ति, अनुरक्षण, प्रबन्ध और अधीक्षण तथा ऐसे केन्द्रों में नियोजित व्यक्तियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, शक्तियां और कर्तव्य,

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस राज्य के विधान–मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

79. सीमाषुल्क अधिनियम, 1962 का लागू होना– स्वापक ओषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के भारत में आयात, भारत से निर्यात और निर्बधन सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित प्रतिशध और निर्बधन समझे जाएंगे और उस अधिनियम के उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगेः

परन्तु जहां किसी बात का किया जाना उस अधिनियम के अधीन और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है वहां उस अधिनियम में या इस धारा में की कोई बात अपराधी को इस अधिनियम के अधीन दण्डित किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

80. ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के लागू होने का वर्जित न होना– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

81. राज्य और विषेष विधियों की व्यावृत्ति– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई बात तत्सयम प्रवृत्त किसी ऐसे प्रांतीय अधिनियम की या किसी राज्य विधान–मण्डल के ऐसे अधिनियम की अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी ऐसे नियम की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगी जो भारत के भीतर कैनेबिस के पौधे की खेती के लिए अथवा किसी स्वाषक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के उपयोग या व्यापार पर कोई ऐसा निर्बधन अधिरोपित करता है या ऐसे किसी दष्ड का उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित या उप बन्धित नहीं किया गया है अथवा ऐसा निर्बधन अधिरोपित करता है या ऐसे दण्ड के लिए उपबन्ध करता है जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित तत्स्थानी निर्बधन या उपबंधित तत्स्थायी दण्ड से बड़ी कोटि का है।

82. निरसन और व्यावृत्ति–(1) अफीम अधिनियम 1857 (1857 का 13), अफीम (1978 का 1) का और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उपधारा (1) द्वारा निरस्ति किसी अधिनियमिति के अधीन की गई या किए जाने के तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थायी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

83. कठिनाईयों को दूर करने की षक्ति– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यावित्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रती होंः–

परन्तु ऐसी कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा,

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची

क्र. सं.	अंतरराष्ट्रीय असांपत्तिक नाम	अन्य आसांपत्तिक नाम	रसायनिक नाम
1.	2	3	4
1.		डी.ई.टी.	एन.एल. डाइएबिल ट्रिप्टैमीन
2.		डी.एम.एच.पी.	3–(1,2 डाइमेथिल होप्टाइल) 1–हाइड्राक्सी–7, 8,9,10 टट्राहाइड्रो–6,6, 9–ट्राइमेथिल 6 एच. डाइबैंजो (बी.डी.) पाइरन
3.		डी.एम.टी.	डाइमेथिल ट्रिप्टैमीन
4.	()–लाइस र्जाइड	एल.एस.डी. एल–ए	() (एन.एन डाइएथिल लाइसमैर्जाइड डी–लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड)
5.		मेस्केलीन	3,4 5 ट्राइमेथआक्सीफनेथिल माइन
6.		पैराहक्सिल	3–हैक्सिल 1–हाइड्रॉक्सी 7,8,9, 10–टेट्राहाइड्रो 6,9–ट्राइमेथिल–6 एच.–डाइवैंजो (बी.डी.) पाइरन
7.	एटीसाइक्लीडाइन	पी.सी.ई.	एन–एबिल–1–फेनिल साइक्लोहक्सील मीन
8.	रोलीसाइक्ली– डाइन	पी.एच.पी. पी.सी.पी.वाई.	1–(1–फनिल–साइक्लो–हेक्सील) पाइरोलिडीन
9.		सइलोसाइन सइलोसाइन	3–(2–डाइमेथिल ऐनीनोएथिन)–4– हाइड्रॉक्सी इंडोल
10.	साइलोसाइबिन		3–(2–डाइमेथिल ऐमिनोंएथिल) इडौल–4–बाई एल–डाइहाइड्रोजन फास्फेट
11.		एस.टी.पी., डी.ओ.एम.	2–ऐमीनो–1–1 (2–5–डाइमेफोक्सी–4 मेथिल) फेनिलप्रौपेन
12.	टेनोसाइक्लीडीन	टी.सी.पी.	1–ख्ा (2–धाएनिल) साइक्लो होक्सल) पीपेरडीन
13.	टेट्राहाइड्रोकेनविनोल निम्नलिखित समाव्ययी और उनके त्रिविम रासायनिक रूपभेद		7,8,9,10–टैट्रहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैन्टिल –6 एच–डाइवैन्जो(बी,डी) पाइरन–1–01–(9 आर, 10ए आर)–8,9,10,10ए–टैट्रोहाइड्रो–6,6,5 9–ट्राइमैथिल–3–पैन्टिल–6–एच–डाइबैन्जो (बी,डी) पाइरन–1–01 (6ए आर, 10ए आर)–10ए आर)–6ए, 9,10,10ए– टैट्राहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैल्टिल–6–एच– डाइबैन्जो (बी.डी.) पाइरन–1–01 (6ए आर, 10ए आर)–6ए, 7,10,10ए–

			टैट्राहाइड्रो–6,6,9–ट्राइमैथिल–3–पैल्टि–6–एच– डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–01 6ए 7,8,9– टैट्राहाइड्रो–6, 6, 9–ट्राइमैथल –3–पैल्टिल–6– एच–डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–01 (6ए आर, 10ए आर)–6ए, 7,8,9,10,10ए– हैक्साहाइड्रो–6, 6–डाइमैथिल–9, मैथिलीन–3–पैल्टिन 6एच–डाइबैन्जो (बी डी) पाइरन–1–10
14.		डी.ओ.बी.	2,5–डाइमेथाक्सी–4–ब्रोमोएम्फिटेमिन
15.		एम.डी.ए.	3,4–मेथिलीन डाइआक्सीएम्फटेमिन
16.	एम्ेटिमिन		()–2 एमीनो–1–फेनिल प्रोपेन
17.	डकसाम्फेटेमिन		()–2 एमिनो–1–फेनलप्रोपेन
18.	मेक्सोक्केलोन		3–(ओ–क्लोरोफेनिल)–2मेथिल 4–(3–एच) क्किनेजोलिनो
19.	मेथमफेटामिन		() 2–मेथिलेएमीनो–1 फेनिलप्रोपेन
20.	मेथाक्केलोन		2–मेथिल 3 औटौलिल–4 (3एच) क्किनेजेलिनोन
21.	मेथिलफेनिडेट		2–फेनिल 2 (2पिपेराइडिल) एसीटिक अम्ल मेथिल एस्टर
22.	फलसीक्लाइडीन पी.सी.पी.		1–(1–फेनिल साइक्लोहैक्सिल) पिपेराईडीन
23.	फेनमेट्राजीन		3–मेथिल–2–फेनिल मार्फोलीन
24.	अमोवार्बिटल		5–एथिल–5–(3–मेथिल ब्यूटिल) बार्बियूरिक अम्ल
25.	साइक्लोबार्बिटल		5–(1–साइक्लोहेक्सेन–1–बाई एल)–5 एथिलबार्बिटयूरिक अम्ल
26.	ग्लूटिथिमाइड		2–एथिल–2–फेनिलग्लुटारिमाइड
27.	पैंटाजोसीन		1,2,3,4,5,6–हेक्साहाइड्रो–6, 11–डिमेथिल– 3–(3–मेथिल–2–ब्यूटीनिल)–2, 6–मेथानो
28.	पैंटाबार्बिटल		5–एथिल–5–(1–मेथिल ब्यूटिल) बार्बिटयूरिक अम्ल
29.	सैंकोबार्बिटल		5–एलिल–5–(1–मेथिलब्यूटिल) बार्बियूरिक अम्ल
30.	अल्प्राजौलम		8–क्लोरी–1– मेथिल–6–फेनिल–4–एच–एस– ट्रायोजोलो ख्4,3ए, ख्1,4, बजौडायाजेपिन
31.	अम्फेबामोन		2–डाइएथिल–एमिनों प्रोपियोफेनोन
32.	बार्बिटल		5,5–डाइएथिलबार्बिटयूरिक अम्ल
33.	बैंजफेटामिन		एनबेंजिल एन–ए–डाइमेथिल–फेनेथिलएमीन
34.	ब्रोमाजैपाम		7–ब्रोमो–1–3 डाइहाइड्रो–5–(2–पाईरीडिल) 2–एच 1,4–ब्रेजोडायाजैपिन–2–वन
35.	कामाजेपाम		7–क्लौरी–1,3 ड्राइहाइड्रो 3–हाइड्रोक्सी–1– मेथिल–5–फेनिल 2 एच 1,4–बैंजोडाईजैपिम–2– वन डाइमेथिलकार्बमेट
36.	क्लोरोड्राइए जैपोक्साइड		7–क्लोरी–2, (मेथिल इमिनो) 5–फेनिल 3–एच–1 4–बैंजोडायाजैपिन–4–आक्साइड
37.	क्लोबाजैम		7–क्लोरो–1–मेथिल–5–फेनिल–1 एच–1,5बेंजोडाया जैपिन–2,4 (3एच, 5एच, (डायोन
38	क्लोनाजेपास		5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3 डाइहाइट्री–7–नाइट्रो 2 एच–1, 4–बेंजो डायाजैपिन–2 वन
39.	क्लोराजेपेट		7–क्लोरी–2,3–डाइहाइड्रो–2 ऑक्सो–5–फेनिल–1

		एच–4–बेंजोडायाजेपिन–3–कार्बोआक्सीलिक अम्ल
40.	क्लोटियाजेपाम	5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–7–ऐथिल–1, 3–हाइहाइड्रो मेथिल थायेनी (2,3–ई)–1, 4–डायाजेपिन–2–वन
41.	क्लोक्साजोलम	10–क्लोरो–11बी (ओ–क्लोरोफेनिल)–2, 3, 7, 11 बी–टेट्राहाइड्रो–आक्साजोलो (3,2–डी) (1, 4) –बेंजोडायाजेपिन–6 (5 एच)–वन
42.	डोलोराजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3–डाइहाइड्रो–2एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
43.	डाइएजेपाम	7–क्लोरो–1, 3–हाइहाइड्रो–1–मेथिल–5–फेनिल–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
44.	एस्आलोजम	8–क्लोरो–6–फेनिल–4 एच–एस–ट्रायाजोलो ख4,3 ए, ख1,4, बेंजोडायाजेपिन
45.	एथ्कलोर्वीनोल	एथिल–2–क्लोरोविनिलएथिलनिल कार्बिनोल
46.	एथिनामेट	1–एथिनिलसाइक्लोएक्साइनोल कार्बामेट
47.	एथिल लोफ्लाजेपेट	एथिल 7–क्लोरो–5– (ओफ्लुओरेफेनिल)–2, 3– डाइहाइड्री–2 ओक्सो–1 एच–1,4–बेंजोडायाजेपिन 3–कार्बाक्सीलेट
48.	फ्लुडी एजैपाम	7–क्लोरी–5–(ओ–फ्लुओराफेनिल)–1, 3–डाईहाइड्रो 1–मेथिल–2–एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
49.	फ्लुनाइट्रोजेपाम	5–(ओ–फ्लुओरेफेनिल)–1, 3–हाइहाड्रो–1–मेथिल 7–नाइट्रो–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजैपिन–2–वन
50.	फ्लुराजैपाम	7–क्लोरी–1–ख्2–(डाइएथिल एमीनो) एथिल, 5–(ओ फ्लुओरोफेनिल)–1, 3–डाइहाइड्रो–2–एच– 1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
51.	हैलाजैपाम	7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–5–फेनिल–1– (2,2,2– ट्राइफ्लओरोएथिल)–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
52.	हैलोआक्सा जेलम	10–व्रोमो–11 बी–(ओ–फ्लुओरोफेनिल)–2, 3,7 11 बी.–टेट्राहाइड्रो, आक्साजोल (3,2–डी–) (1,4) बेंजोडायाजेपिन–6 (5एच)–वन
53.	केटाजोलम	11–क्लोरो–8, 12बी–डाइहाइड्रो–2, 8–डाइमेथिल 12बी–फेनिल–4एच ख1,3, –आक्साजिनों–(3,2–डी) (1,4), बेंजोडायाजेपिन–4, (6 एच) डाइ–वन
54.	लेफेटामिन	एस.पी.ए (–)–1 डाइमेथिल एमिनों–1,2–डाइफेनिलएथिन
55.	लोप्राजोलम	6–(ओ–क्लोराफेनिल)–2, 4–डाइहाइड्रो–2, ख(4–मेथिल–1–पिपेराजिनिल) मेथिलिन, –8– नाइट्रो–1 एच–इमिडाजो ख1,2, ओ, ख1,4, वेंजोडायाजेपिन–1–वन
56.	लोराजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1, 3–डाइ–हाइड्रो–3–हाइड्रोक्सी–2 एच–1, 4–वेंजोडया–जेपिन–2–वन
57.	लोर्मेटाजेपाम	7–क्लोरो–5–(ओ–क्लोरोफेनिल) 1,3–डाइहाइड्रो–3–हाइड्रोक्सी–1–मेथिल–2–एच– 1, 4–बेंजोडायोजेपिन–2–वन

58.	मेजिनडोल	5–(पी–क्लोरोफेनिल)–2, 5–डाइहाइड्रो–3 एच–इमिडाजो (2, 1–ग) आइसोइन्डोल–5–ओ एल
59.	मेडाजेपाम	7–क्लोरो–2, 3–डाइहाइड्रो–1–मेथिल 5–फेनिल– 1 एच–1, 4,–बेंजोडायाजेपिन
60.	मेप्रोबेमेट	2–मेथिल–2–प्रापिल–1, 3–प्रोपेनडायल डाइकार्बेमेट
61.	मेथिलाफेनी बार्बिटल	5–एथिल–1, मेथिल–5–फेनिलवार्बिट्रिक अम्ल
62.	मेथिप्राइलोन	3, 3–डाइएथिल–5–मेथिल–2, 4–पिपेडिन डाइओन
63.	नाइमेटाजेपाम	1, 3–डाइहाइड्रो–1–मेथिल–7–नाइट्रो–5 फेनिल– 2–एच–1, 4 बेंजोडया जेपिन–2– वन
64.	नाइट्रोजेपाम	1, 3–डाइहाइड्रो–7 नाइट्रो–5– फेनिल–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
65.	नोरडाजेपाम	7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–5–फेनिल–1– (2 एच)–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2–वन
66.	आक्साजेपाम	7–क्लोरी–1, 3 डाइहाइड्रो–3, हाइड्राक्सी–5– फेनिल–2 एच–1, 4–बेंजोडायाजेपिन–2– वन
67.	आक्साजोलम	10–क्लोरी–2, 3, 7, 11–बी–टट्राहाइड्रो–2– मेथिल–11–बी–फेनिल–ओक्साजोलो ख्3, 2–डी, ख्1,4, बेंजोडायाजेपिन 6 (5 एच–वन)
68.	फेन्डिमेट्राजोन	()–3, 4–डाइमेथिल 2– फेनिलमाफोलि
69.	फेनीबार्बिटल	5–एथि–5–फेनिल बार्बिटयूरिक अम्ल
70.	फेंटरमीन	ए, ए–डाइमेथिल केनोथिल एमिन
71.	पिनाजेपाम	7–क्लोरो–1, 3–हाइहाइड्रो–5– फेनिल– 1 प्रोपिनिल)–2–एच–1, 4–बेंजोडायाजोफि
72.	पिप्राड्राल	1, 1–डाइफेनिल–1– (2–पिपरिडिल) में
73.	प्राजेपाम	7–क्लोरो–1–(साइक्लोप्रोफिलमेथिल) डाइ–हाइड्रो–5– फेनिल–2–एच–1–4), 4 ब्नेजोडायाजेपिन–2–वन
74.	टेमपाजेपाम	7–क्लोरो–1, 3–डाइहाइड्रो–3–हाइड्राक्स मेथिल–5– फेनिल–2– एच– 1, 4– बेंजोडायाजेपिन–2–वन
75.	टेट्राजेपाम	7–क्लोरो–5–(साइक्लो–हेक्सिन–1–वाई 3–डाइहाइड्रो–1– मेथिल–2,1–एच 1,4 बेंजोडायाजेपिन 2–वन)
76.	ट्रियाजोलाम	8–क्लोरो–6–(ओ–क्लोरोफेनिल)–1– में एच–एस–ट्रियाजोलो (1,3–ए, ख्1,4, बेंजोडायाजेपिन
77.	केथिनोन	(–)–()–(2)–एमिनोप्रोपियोफिनोन
78.	डी.एम.ए.	()–2, 5– डाइमेंथोक्सी–ए–मेथिल फेलमाइन
79.	डी.ओ.ई.टी.	()–4–ईथिल–2, 5–हाइमेथोक्सी–ए–
80.	एम.डी.एम.ए.	()–एन, –ए–डाइमेथिल–3, 4– (मेथिडायोक्सी) फेनिथाइलेमाइन
81.	4–मेथिल–माइनोरक्स	()–सीआईएम–2–एमिनो–4–मेथिलनिल– 2–ओक्साजोलिन

82.	एम.एम.डी.ए.	2–मेथोक्सी–ए–मेथिल–4, 5– (मेथिलइयोक्सी) फेनेथाइलेमाइन
83.	एन–इथिल एम.डी.एन.	()–एन–एथिल–ए–मेथिल–3, 4–(मेथिलएनेड इयोक्सी) फेनेथाइलेमाइड
84.	एन–हाइड्रेक्सी एम.डी.ए.	()–एन–(ए–मेथिल–3, 4– (मेथिल एनेडायोक्सी) फेनेथाइलेमाइन
85.	पी.एम.ए.	पी–मेथोक्सी–ए–मेथिलफैनेथाइलेन
86.	टी.एम.ए.	()–3, 4, 5–ट्राइमेथाक्सी–ए–मेथिलफैनेयाइलेमाइन
87	फेनेटीलिन	7– ख्2–, –ए–मेथिलफेनेथिल) (एमिनो) एथिल, थियोफाइलिन
88.	लेवामफैटेमाइन	लेवामफैटेमाइन (–)– (आर)–ए–मेथिलफेनेथाइलेमाइन
89.	लैवोमेथपेटामाइन	(–)–एन, ए–माइमेथिल फेनथाइलेमाइन
90.	मैटाफैटेमाइरेसमैट	मैटाफैटेमाइन रेसमैट ()–एन, ए–डाइमेथिलफेन थाइलेमाइन
91.	डेल्टा–9–टेट्रा हाइड्रोकेन– बिनोल और उसके त्रिविध रसायनिक रूपभेद	(6–एआर, 10 ए आर)–6ए, 7, 10ए– ट्रेट्राहाइड्रो–6, 6, 9, ड्राइमेथिल–3–पैल्टिल 6एच–डाइबेन्जो (बी,डी) पाइरन–1–01
92.	ब्यूप्रेनोरफिन	21–साइक्लोप्रोपिल–7क– ()–1–हाइड्रोक्सी–1,2,2–ट्राइमेथिल–प्रोपाइल–6, 14–एन्ज्रो इथानो–6, 7, 8, 14–टेट्राहाइड्रोरिफेबाइन
93.	ब्यूटलबिटल	5–एलिल–5–आइसोब्यूटलबारटयूरिक अम्ल
94.	कैथिन	() नोर्पस्वेडो एफेड्रिन ()– (आर)–ए–ख(आर)–1– एमिनोएथिल, बैंजिल एल्कोहल
95.	एलोबारबिटल	5,5–डियाली वारबिटयूरिक अम्ल
96.	एटिलमफैटेमाइन	एन–एथिलम–फैटेमाइन एन–एथिल–ए–मैथिलफेनेथेलेमाइन
97.	फेनकम फेनिन	एन–एथिल–3–फेनिल–2–नोरबोरननमाइन
98.	फेनप्रोपेरेक्स	()–3–ख्ए–मेथिलफेनेथिल एमिनो, प्रोपियोनिट्रायल
99.	मैफेनोरक्स	एन–(3–क्लोरोप्रोपाइन)–ए मेथिलफेनेथाइलेमाइन
100.	मिडाजोलम	8–क्लोरो–6–(0–फ्लूरोफेनिल)–1–मेथिल 4एच–इमिडाजो (1,5–ए) (1,4) बेन्जोडियाजेपिन
101.	पेमोलिन	2–एमिनो–5–फेनिल–2–ओक्साजोलिन–4–1 (2–एमिनो–5–फेनिल–4–ओक्साजालिडाइनोन)
102.	पाइरोवेलेरोन	4–मैथिल–2–(1–पाइरोलिडाइनिल) वेलेरोफिनोन
103.	सेक्यूटाबारबिटल	5–सैक–ब्यूटिल–5–एथिलबारबिटयूरिक अम्ल
104.	वाइनिलबिटल	5–(1–मेथिलब्यूटिल)–5–वाइनिल बारसिटयूरिक अम्ल
105.	ब्यूटोवारबिल	5–ब्यूटिल–5–एथिलबारबिटयूरिक अम्ल,

105–क	एट्रिप्आमाइन	(3–2–एमिनो ब्यूटिल इंडोल)
105–ख	मेथकैथिनोन	(2–मेथिल एमिनो–फे निलप्रोपान–1–वन)
105–ग	जिप्रेप्रोल	(एल्फा– (एल्फा–मैथेवसीनेंजिल)–4 (बीटा मेथोक्सी फेनेथिल)–1 पिपराजीन एथानोल,
105–घ	एमिनोरेक्स	(2–एमिने–5–फेनिल–2–ओक्साजोलिन
105–ड.	ब्रोटीजोलम	(2–ब्रोमो–4–)ओ–क्लोरोफेनिल)–0– मैथिल–थीनो (–3,2–एफ–)–एस– ट्रिथाजोली–4, 3–ए) डियाजेपीन)
105–च	मेसोकार्ब	(3–(एल्फा–मैथिलफिनेथिल–एन– फैनिलकावौमोइल) सिडनोन इमीन)
		5–ब्यूटिल–5–एथिल बारबीटृयूटिक अम्ल)

106. लवण और उपरोक्त की विनिर्मितियां

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14, नवम्बर, 1985

अधिसूचनाएं

1.का.आ. 821 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 नवम्बर, 1985 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम पूर्ण भारत में प्रवृत्त होगा।

2.का. आ. 822 (अ) केन्द्रीय सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वापक विभाग के उपनिरीक्षक की रैंक और उससे ऊपर तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क, सीमा–शुल्क, और राजस्व सूचना विभागों में और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों में निरीक्षण की रैंके और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों को उनकी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर धारा 42 में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अुनपालन करने के लिए सशक्त

करती है, तथा उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी प्राधिकृत करती है।

3.का.आ. 823 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात, केन्द्रीय उत्पादशुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना विभागों के तथा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों के निरीक्षक की रैंक के और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों में उस धारा की उपधारा (1) में विनिदिष्ट शक्तियां विनिहित करती है।

4.का. आ. 824 (अ) केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क और राजस्व आसूचना के तथा सीमा सुरक्षाबल और केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों का, जो अधीक्षण की रैंक के और उससे ऊपर की रैंक के हैं (जो राजपत्रित रैंक के अधिकारी है तथा कार्यपालक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं), उनकी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है।

5.का.आ. 825 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 27 के स्पष्टीकरण (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिदिष्ट करती है कि उस धारा के प्रयोजनों के लिए स्वापक ओषधियों मनःप्रभावी पदार्थ की ''छोटी मात्रा'' ऐसी औषधि या पदार्थ ऐसी मात्रा होगी जो प्रत्येक मामले में सम्बंधित जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

6.केन्द्रीय सरकार ने का.आ. 826 (अ) द्वारा इस अधिसूचना में उल्लिखित स्वापक पदार्थों और निमिर्तियों को स्वापक औषधि और मनःप्रभावीय पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खण्ड (गप) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''विनिर्मिति ओषधि'' घोषित किया है।

7. का.आ. 827 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 27 के स्पष्टीकरण (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का0 आ0 825 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985 को आंशिक रूप में उपांतरित करते हुए सारणी के सतम्भ (2) में उल्लिखित स्वापक ओषधि के सम्बंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तत्सम्बंधी मात्रा को उस धारा के प्रयोजनों के लिए ''छोटी मात्रा'' के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

सारणी

क्रम संख्या	स्वापक औषधि का नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	हेरोइन या वह औषधि जो सामान्यताया ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से ज्ञात है	250 मिलीग्राम
2.	हशिश या चरस	5 ग्राम
3.	अफीम	5 ग्राम
4.	कोकेन	125 मिलीग्राम
5.	गांजा	500 ग्राम

नोटः– अधिसूचनाएं सख्या 82 (अ) से 827 (अ) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग प्प्ए खण्ड 3 (पप) दिनांक 14.11.85 में प्रकाशित हुई है।

8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्षन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 1986

का. आ. 3488– केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन–प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सी.आई.यू. (स्वापक औषधि) में पुलिस निरीक्षक और उसके ऊपर के रैंक के अधिकारियों को अपनी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर, धारा 42 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त करती है तथा उक्त अधिकारियों को धारा 67 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियोंं का प्रयोग करने के लिए, भी प्राधिकृत करती है।

9. का.आ. 3489–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का अधिनियम 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस अधीक्षक दिल्ली विशेष पुलिस सीापन सी.आई.यू. (स्वापक औषधि) को उसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर उस धारा की उपधारा (2) में विनिदिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त करती है।

दिनांक 1 नवम्बर, 1986

10 का.आ.ः 3776–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनिय, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उपधारा (1) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का0आ0 822 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है,

अर्थात्–

'' उक्त अधिसूचना में ''आसूचना ब्यूरो'' शब्दों के पश्चात् और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' शब्द अतः सीिपत किए जायेंगे।

11. का.आ. 3777–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधसिूचना संख्या, का0आ0 823 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखत संशोधन करती है, अर्थात् ''उक्त अधिसूचना में ''आसूचना ब्यूरो'' शब्दों के पश्चात्'' और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' अन्तःस्थापित किए जायेंगे।

12 का.आ. 3778–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) की धारा 41 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या आ.का. 824 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्–

''उक्त अधिसूचना में ''आसूचना ब्यूरो'' शब्दों के पश्चात् और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो'' शब्द अन्तः सीिपत किए जाएंगे।''

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 29 मई, 1989

13, का आ. 379 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 29 मई, 1989 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम समस्त भारत में प्रवृत्त होगाः

का.आ. 380 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 7क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक निधि का गठन करती है जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहलायेगी।

14. का.आ. 381 (अ)– केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियां

का प्रयोग करते हुए, उनकी परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए मेघता समुचित भंडारण स्थान के प्रतिस्थापन और प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्

1. स्वापक औषधियां
(प) अफीम,
(पप) मार्फीन,
(पपप) हीरोइन,
(पअ) गांजा
(अ) हशीश,
(अप) कोडीन,
(अपप) थिबनीन,
(अपपप) कोकेन,
(पग) पोस्त तृण, और
(ग) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (गप) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्य विनिर्मित औषधि।
2. मनःप्रभावी पदार्थ,
(प) मैथा क्वालोन,
(पप) टी. एच. सी,
(पपप) एम फेटामिन, और
(पअ) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (गगपपप) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्य मनःप्रभावी पदार्थ

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
नई दिल्ली, 30 मई, 1989

15. का.आ.— 389 (अ) केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 8 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 1989 को उस तारीख के रू॰ में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन के लिए कैनेबिस के पौधे की खेती के विरुद्ध प्रतिशेध प्रभावी होगा।

का.आ. 390 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 की 61) की धारा 8 के पहले परन्तुक द्वारा प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 13 दिसम्बर, 1989 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिससे चिकित्सीय और वैज्ञानिक प्रयोग से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए गांजा के उत्पादन, कब्जे, उपयोग, उपभोग, कय, विकय, परिवहन, भाण्डागारण, अन्तरराज्य आयात और अन्तरराज्य निर्यात के विरूद्ध प्रतिशेध प्रभावी होगा।

भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग प्प खण्ड–3 उपखण्ड (पप) में प्रकाषित
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
नई दिल्ली 27 सितम्बर, 1989
16. का.आ. 763 (अ)–स्वापक औषध द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) की धारा 36क की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्–द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन सीमा श्शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद श्शुल्क, नाकोंटिक्स, राजस्व आसूचना, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरों तथा नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के विभागों में निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों तथा उनसे ऊंचे रैंक के अधिकारियों को उक्त अधिनियम के तहत किसी अपराध के सम्बंध में विशेष न्यायालय के समक्ष शिकायतें दायर करने के लिए प्राधिकृत करती है,

भारत के राजपत्र (असाधारण) दिनांक दिसम्बर 26, 1985 के भाग प्प
खण्ड–3– उपखण्ड (पप) में प्रकाषित
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1985
का.आ. 912 (अ)–केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 34 और 39 के साथ पठित धारा 76 द्वारा, प्रदत्त श्शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (सिद्धदोषें या व्यसनियों द्वारा बन्धपत्र निष्पादन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धारा 34 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्र का प्रारूप्–

कभी किसी व्यक्ति को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 4 के किसी उपबन्ध के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तब बन्धपत्र का प्रारूप जिसे कोई न्यायालय अधिनियम की धारा 34 के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किए जाने की अपेक्षा करेगा, इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप् 1 के रूप में होगा।

3. धारा 39 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले बन्धपत्रों के प्रारूप– (1) जब स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का व्यसनी कोई व्यक्ति अधिनियम की

धारा 27 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और न्यायालय निदेश करता है कि ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बन्धपत्र निष्पादित किए जाने पर, चिकित्सीय उपचार के लिए छोड़ दिया जाए तो ऐसे बन्धपत्र का प्रारूप इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 2 के रूप में होगा।

(2) जब अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन निराविषीकरण या निराव्यसन का चिकित्सीय उपचार कराने के लिए छोड़े गए किसी व्यक्ति से न्यायालय द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के धनीय उसके छोड़े जाने से पूर्व बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे बन्धपत्र का प्रारूप इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 3 के रूप में होगा।

प्रारूप–1

(नियम 2 देखिये)

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र

मुझ से (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो (स्थान) ..... का ही निवासी है, अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए .... की अवधि के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है। अतः मैं उक्त अवधि के दौरान ऐसा कोई अपराध न करने के लिए स्वयं को सम्बद्ध करता हूं और इसमें मेरे द्वारा कोई व्यक्तिकम किए जाने की दशा में, मै . ..... रुपए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख हस्ताखर

जहां प्रतिभूतियों सहित निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की जाए वहां यह जाने।

ळम ऊपर नामित ..... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह ( ) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और इसमें उसके द्वारा कोई व्यतिकम किए जाने की दशा में, हम संयुक्त और अलग–अलग रूप में स्वयं को .... रुपए के रकम सरकार को समपहृत किए जाने के लिए आबद्ध करते हैं।

तारीख हस्ताक्षर

प्रारूप–2

खनियम 3 (प) देखिए,

निराविषीकरण/निराव्यसन चिकित्सीय उपचार के पश्चात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र।

मैंने, (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो ..... का निवासी है निराविनीकरण निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए सम्मति दे दी है और तारीख ..... से पहले न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बन्धपत्र निश्पादित करने और मेरे चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अभ्यंतर काल में अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने की मुझ से अपेक्षा की गई है। अतः मैं ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख ..... हस्ताक्षर

जहां प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई वहां जोड़िए)

हम ऊपर नामित ..... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं।

यह कि यह (पुरुष/स्त्री) तारीख ..... से पहले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अभ्यंतरकाल में उक्त अवधि के दौरान वह (पुरुष/स्त्री) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और इसमें उसके दौरान कोई व्यतिक्रम किए जाने की दशा में हम ..... रुपए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को संयुक्त और अलग–अलग रूप से आबद्ध करते हैं।

तारीख हस्ताक्षर

प्रारूप–3

खनियम 3 (प) देखिए,

निराविषीकरण/निराव्यसन चिकित्सीय उपचार के पश्चात् न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने के प्रविरत रहने के लिए बन्धपत्र।

मैंने, (नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... जो

..... का निवासी है निराविीकरण/निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए सम्माति दे दी है और तारीख ..... से पहले न्यायालय के सामने उपस्थित होने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने और मेरे चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अभ्यंतर काल में अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने की मुझ से अपेक्षा की गई है। अतः मै। ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं और इसमें कोई व्यतिकम किए जाने की दशा में मैं ..... रुप्ए की रकम सरकार को समहृत किए जाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तारीख ..... हस्ताक्षर

जहां प्रतिभूतियों सहित बन्धपत्र निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की गई वहां जोड़िए)

हम ऊपर नामित ..... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं। यह कि यह (पुरुष/स्त्री) तारीख ..... से पहले न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। होगी और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम की बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अभ्यंतरकाल में उक्त अवधि के दौरान वह (पुरुष/स्त्री) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी, और इसमें उसके दौरान कोई व्यतिकम किए जाने की दशा में हम ..... रुप्ए की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को संयुक्त अलग–अलग रू॰ से आबद्ध करते हैं।

तारीख हस्ताक्षर

प्रारूप–

ख्देखिए नियम 3 (2),

न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय–4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने और इस प्रकार प्रविरत रहने में असफल होने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और ऐसी अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर दण्डादेश प्राप्त के लिए बन्धपत्र .....

मुझसे, (नाम .....) पुत्र/पुत्री/पत्नी .... जो ..... का निवासी हूं, ... अवधि के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अध्याय–4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रविरत रहने के लिए एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई है और मैं उक्त अवधि के दौरान कोई ऐसा अपराध न करने के लिए स्वयं आबद्ध करता हूं और इस में मेरे द्वारा कोई व्यतिकम किए जाने की दशा में मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और उक्त अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर

दंडादेश, पाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं। मेरे द्वारा व्यतिकम किए जाने की दशा में मैं .....रु. की रकम सरकार को समपहृत करने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूं।

तरीख ..... 19 हस्ताक्षर

(जहां प्रतिभूति सहित बन्ध–पत्र निष्पादित किया जाना है, वहां जोड़िए)

हम ऊपर नमाति ..... के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं कि वह (स्त्री/पुरूष) उक्त अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अध्याय 4 के अधीन अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और उसके ऐसे प्रविरत रहने में असफल रहने पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा/होगी और उक्त अवधि के दौरान अपेक्षा की जाने पर दण्डादेश प्राप्त करेगा/करेगी और इसमें उसके द्वारा व्यतिकम किए जाने की दशा में हम संयुक्त और अलग–अलग रूप में ..... रु. की राशि सरकार को समपहृत किए जाने के लिए आबद्ध करते हैं।

तारीख ..... 1985 हस्ताक्षर

ख्अधिसूचना सं. 13/85 फा.सं. 664/51/85–अफीम,

उत्तर प्रदेष स्वापक ओषधि नियमावली, 1985

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) की धारा 78 साथ पठित धारा 10 के अधीन श्शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 656–ई/तेरह–275–(2)/59, दिनांक 17 अगस्त, 1961 के अधीन प्रकाशित यू.पी. ओपियम रूलस, 1962, सरकारी अधिसूचना संख्या 5890–ई/तेरह–275 (2)/59 दिनांक 29 दिसम्बर, 1961 के अधीन प्रकाशित यू.पी. डेन्जरस ड्रग्स, रूल्स 1961, सरकारी अधिसूचना संख्या 3712–ई/तरेह–275 (4)/59, दिनांक 22 जून, 1961 के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश पोपीहेड रूलस्, 1961 और सरकारी अधिसूचना संख्या 337–ई/तेरह–95, दिनांक 11 जुलाई, 1935 के अधीन प्रकाशित यू.पी. ओपियम स्मोर्किंग रूलस, 1935 का अतिकमण करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम. विस्तार और प्रारम्भ– (1) यह नियमावल उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986, कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं– जब तक विषय या सन्दर्भ में, कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

3. (एक) ''अधिनियम'' का तात्पर्य स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) से है,

(दो) ''अनुमोदित व्यवसायी'' का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

(क) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, या

(ख) सैनिक, नौसैनिक या वायु सेना सेवा की सकिय सूची के चिकित्सा अधिकारी या

(ग) भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत दंत चिकित्सक, या

(घ) भारत में तत्सयम प्रवृत्त किसी विधि के अधन रजिस्ट्रीकृत श्पशुशल्य चिकित्सक।

(तीन) ''कलेक्टर'' का तात्पर्य किसी जिले के राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत इस नियमावल के अधीन कलेक्टर के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए सरकार द्वारा सशक्त कोई अन्य अधिकारी भी है,

(चार) '' जिला आबकारी अधिकारी'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त कलेक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति से या ऐसे किसी अधिकारी से है कलेक्टर ने धारा 10 की उक्त उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन अपनी श्शक्ति प्रत्यायोजित की हो,

(पांच) '' आबकारी'' आयुक्त'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस नियमावली के अधीन आबकारी आयुक्त की समस्त या किन्हीं श्शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकत कोई अन्य अधिकारी भी है।

(छः) ''निर्यात'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के बाहर भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में ले जाने से है,

(सात) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है,

(आठ) ''आबकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारी'' का तात्पर्य राज्य आबकारी विभाग (दस) '' आयात'' का तात्पर्य भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में लाने से है,

(ग्यारह) ''लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने स्वापक औषधियों को अपने कब्जे में रखने और उसे नुसखे पर जनता को यह अनुमोदित व्यवसायियों को बिक्री के लिए इस नियमावली के अधीन प्रपत्र स्वापक ओषधि लाइसेंस रसायन (फार्म एन.डी. एल. सी.) में लाइसेंस प्राप्त किया हों,

(बारह) ''लाइसेंस प्राप्त व्यापारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने–

(क) ऐसी सामग्रियों से जिसे वह रखने के लिये विधिपूर्वक हकदार है, औषधीय अफीम या किसी निर्मिति के जिसमें अफीम, मार्फीन और कोडेइन और उनके लवण हों, विनिर्माण के लिए और अधिनियम की धारा 2 खंड (ग्यारह) के उपखंड (ख) के अधीन अधिसूचित ऐसी अन्य विनिर्मित औषधियों के लिये, और

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा निर्दिष्ट विनिर्मित औषधियों को कब्जे में रखने और नुसखे से भिन्न विक्री करने के लिये,

इस नियमावली के अधीन प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेन्स व्यापारी (फार्म एन. डी. एल. डी.) में लाइसेंस प्राप्त कर किया हो,

(तेरह) ''चिकित्सा बोर्ड'' का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन सरकार द्वारा प्रत्येक मंडलीय मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर गठित चिकित्सा बोर्ड से है,

(चौदह) ''नुसखा'' का तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार निर्मित अफीम से भिन्न किसी स्वापक औषधि के सम्भरण के लिये किसी अनुमोदित व्यवसायी द्वारा दिये गये लिखित नुसखा से है,
(पन्द्रह) ''सांपत्तिक औषधि'' का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या 23 सन् 1940) में उसके लिये दिया गया है,
(सोलह) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,
(सत्रह) ''परिवहन'' का तात्पर्य राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से है।

अध्याय–दो

विनिर्माण

3.विनिर्मित औषधि का प्रतिषेध–कोई व्यक्ति इस नियमावली के अधीन, सिवाय स्वीकृत लाइसेंस की शर्तोंके अनुसार, विनिर्मित औषधि के उत्पादन या विनिर्माण के कार्य में नहीं लगेगा।

4. लाइसेन्स के अधीन विनिर्मित औषधि का विनिर्माण–कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी अपने लाइसेन्स की शर्तोंके अधीन रहते हुए, किसी विनिर्मित औषधि का विनिर्माण कर सकता है।

अध्याय –तीन

कब्जे में रखना और बिक्री

5. लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ अनुमोदित व्यवसायी द्वारा बिक्री– कोई लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ या अनुमोदित व्यवसायी सिवाय नुसखे पर और अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार विनिर्मित औषधियों को नहीं देगा।

6. किसी व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखना– कोई व्यक्ति, विनिर्मित औषधि की ऐसी मात्रा के सिवाय, जितनी एक बार नियम 5 के उपबन्धों के या भारत के किसी भाग में जहां से उत्तर प्रदेश राज्य में आयात या जहां को निर्यात अनुज्ञात हो, में तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नुसखे पर दी गयी हो या बेची गयी हो, कब्जे में नहीं रखेगा।

7. किसी अनुमोदित व्यवसायों द्वारा कब्जे में रखना– (1) कोई अनुमोदित व्यवसायी बिक्री के प्रयोजनार्थ, किसी विनिर्मित औषधि की कोई भी मात्रा अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

परन्तु ऐसा व्यवसायी अपने व्यवसायों (प्रैक्टिस) में उपयोग के लिये औषधि या इन्जेक्शनों के रूप में दस ग्राम तक विनिर्मित औषधियों रख सकता है:

परन्तु यह और कि कलेक्टर, विशेष आदेश द्वारा ऐसे व्यवसायी को ऐसी औषधियों को अधिक मात्रा में रखने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(2) कोई अनुमोदित व्यवसायी, विक्री के प्रयोजनार्थ कोकेन व्युत्पत्तियों की कोई भी मात्रा कब्जे में नहीं रखेगाः

परन्तु ऐसी व्यवसायी, कलेक्टर द्वारा इस निमित स्वीकृत विशेष अनुज्ञा–पत्र के अधीन ऐसे प्रपत्र में जैसा आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाए, अपने व्यवसाय में उपयोग के लिए कोई विनिर्मित औषधि रख सकता है जिसमें कुल उतनी मात्रा में कोकेन हो जितनी इस निमित प्राधिकृत की जाय।

8. अस्पतालों आदि द्वारा विनिर्मित औषधियों का रखा जाना– (1) सरकार (जिसके अन्तर्गत रेलवे भी है) या किसी सीानीय निकाय या अन्य निकायों द्वारा चलाये जा रहे किसी अस्पताल, औषधालय परिचर्या गृह (नर्सिग होम) या चिकित्सा संस्था का कोई प्रभारी अनुमोदित व्यवसायी ऐसे अस्पताल, औषधालय, परिचर्या–गृह या चिकित्सा संस्था में उपयोग के लिये कलेक्टर द्वारा स्वीकृत सीमा तक विनिर्मित औषधियां रख सकता है।

(2) उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर उतरने वाले किसी वायुयान का चालन 15 मिली–ग्राम मार्फीन इंजेक्शन के 20 एम्पुल तक विनिर्मित औषधियां रख सकता है।

9. अनुमोदित व्यवसायी द्वारा लेखा रखना–इस नियमावली के अधीन विनिर्मित औषधियां रखने वाला कोई अनुमोदित व्यवसायी–

(क) समय–समय पर अपने द्वारा प्राप्त प्रयुक्त या स्टाक में घृत विनिर्मित औषधि का लेखा इस नियमावली के अधीन प्रपत्र ''क'' में रजिस्टर में रखेगा। लेखा जिल्दबद्ध रजिस्टर में प्रतिदिन स्पष्टतया और ठीक प्रकार से लिखा जाएगा, उस पर पृष्ठ संख्या डाली जायेगी और कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की मुहर लगायी जाएगी और उसमें कय के प्रत्येक मामले में, कय का दिनांक और उस व्यक्ति या फर्म का नाम और पता जिससे कय किया हो, लिखा जाएगा।

(ख) लेखा बही में अंतिम प्रविष्टि के दिनांक से कम से कम दो वर्ष तक उक्त लेखा को परिरक्षित रखेगा और उनहें ऐसे किसी विनिर्मित औषधि के साथ–साथ जो निरीक्षण के समय उसके कब्जे में हों, कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित

सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर प्रस्तुत करेगा, और

(ग) कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्रत्येक कलेन्डर वर्ष के अन्त के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विनिमित औषधियों के कय और उपभोग, उसके द्वारा वर्ष के अन्तिम दिनांक को धृत विनिर्मित औषधियों के स्टाक, से सम्बन्धित सूचना कलेक्टर द्वारा इस प्रयोजन के लिये विहित प्रपत्र में देगा।

10. लाइसेंसधारियों द्वारा कब्जे में रखना– विनिर्मित औषधियों का कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ सिवाय ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उसके लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट की जाय, विनिर्मित औषधि कब्जे में नहीं रखेगा।

11. लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा बिक्री– (1) विनिर्मित औषधि का कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी अपने लाइसेंस की शर्तोंके अधीन रहते हुए नुसखे से भिन्न प्रकार से विनिर्मित औषधियों को बेच सकता है।

(2) वह अपने द्वारा की गयी प्रत्येक बिकी का लिखित अभिलेख रखेगा। अभिलेख उसके लाइसेंस में निर्धारित प्रपत्र में और रीति, से यदि कोइ हो, रखा जाएगा। यदि ऐसा कोई प्रपत्र और रीति निर्धारित न हो तो ऐसी रीति से, जैसा आबकारी आयुक्त समय–समय पर निदेश दें। अभिलेख उसमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक से कम से कम दो वर्ष तक के लिये परिरक्षित रखा जाएगा।

12– लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ द्वारा बिक्री–कोई लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ, सिवाय नुसखें पर और अपने लाइसेंस की शर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधियां नहीं बेचेगा।

13– सरकारी अभिकरण को बिक्री– इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, कोई लाइसेन्सधारी जब कभी ऐसा करना अपेक्षित हो, सरकार को या ऐसे अधिकारी को जो सरकार द्वारा इस निमित सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, कोई विनिर्मित औषधि बेचेगा। लाइसेंस–धारक ऐसे अधिकारी से रसदी प्राप्त करेगा और उसे अपने अभिलेख में रखेगा।

14. नुसखे से सम्बंधित शर्तें– विनिर्मित औषधियों (तैयार की गयी अफीम से भिन्न) के सम्भरण के लिये कोई नुसखा किसी अनुमोदित व्यवसायी द्वारा सिवाय निम्नलिखित शर्तोंके नहीं दिया जाएगाः–

(क) नुसखा लिखित होगा, दिनांकित होगा और उस पर अनुमोदित व्यबसायी द्वारा अपना पूरा नाम और पता और अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या लिखकर हस्ताक्षर किया जायेगा और उसमें उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे और उस रोग की प्रकृति

जिसके लिए नुसखा दिया जाय, उपयोग के लिये निदेश और नुसखें पर सम्भरित की जाने वाली औषधि की कुल मात्रा विनिर्दिष्ट होगी। परन्तु जहां नुसखें पर सम्भरित की जाने वाली औषधि की कुल मात्रा विनिर्दिष्ट होगी। परन्तु जहां नुसखें पर दी जाने वाली औषधि साम्पत्तिक औषधि हो वहां सम्भारित की जाने वाली औषधि की मात्रा का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। जब इस प्रकार की विनिर्मित औषधि की खुराक सामान्य खुराक से अधिक मात्रा में नियत की जाय, तब उस खुराक की मात्रा को रेखांकित करके स्पष्ट किया जायेगा और उसके सम्मुख पार्श्व में व्यवसायी का लघु हस्ताक्षर होगा,

(ख) नुसखा स्वयं विहितकर्ता के उपयोग के लिए नहीं दिया जायेगा,

(ग) कोई रजिष्ट्रीकृत दन्त चिकित्सक केवल दांत के उपचार के प्रयोजन के लिप नुसखा देगा, और उसको ''केवल सीानीय दन्त उपचार के लिये'' चिन्हांकित करेगा, और

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत पशु श्शल्य चिकित्सक केवल पशुओं के उपचार के प्रयोजन के लिए नुसखा देगा और उसे ''केवल पशु उपचार के लिए'' चिन्हांकित करेगा।

अध्याय चार

लेखा

15. लेखा रखना– इस नियमावली के अधीन रखे जाने के लिये अपेक्षित लेखा और अभिलेखों के अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त आदेश द्वारा, ऐसे अभिलेख को ऐसे प्रपत्र में रखने का और ऐसी विवरणियों को प्रस्तुत करने का जिन्हें वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे, निदेश दे सकता है।

अध्याय पांच

प्राधिकार लाइसेंस और अनुज्ञा–पत्र

16. वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये रखा जाना– कलक्टर, आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से, विशेष आदेश द्वारा, किसी शिक्षा संस्था के प्रभारी या वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे किसी व्यक्ति को केवल शैक्षिक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिये ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से, जैसी उसके द्वारा उस आदेश में विनिदिष्ट की जाय, विनिर्मित औषधि को रखने और उसका परिवहन करने का प्राधिकार दे सकता है।

17. विनिर्माण और रसायन का लाइसेंस– (1) व्यापारी का लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–व्यापारी (फार्म एन.डी. एल. डी.) में 200 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर स्वीकृत किया जाएगा जिसमें इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधि को विनिर्मित करने और/या कब्जे में रखने और बेचने के लिये अनुज्ञा दी जायेगी। विनिर्मित औषधि का विनिर्माण करने के लिये प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–व्यापारी में लाइसेंस औषधीय और प्रसाधन प्रपत्र लाइसेंस–1 (एल–1) या लाइसेंस–2 (एल–2) में लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

(2) रसायनज्ञ का लाइसेंस कलक्टर द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेंस–रसायनज्ञ (फार्म एन. डी. एल. सी.) में 100 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर दिया जायेगा जिसमें इस नियमावली के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तोंके अधीन रहते हुए, विनिर्मित औषधि को रखने और उसे बेचने की अनुज्ञा दी जायेगी।

18. अनुज्ञान्पत्र के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा परिवहन–(1) कलेक्टर किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को अनुज्ञा–पत्र में यथा विनिर्दिष्ट विनिर्मित औषधियों का परिवहन करने के लिये इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी) में अनुज्ञा–पत्र दे सकता है।

(2) उपनियब (1) के अधीन अनुज्ञा–पत्र देते समय, कलेक्टर अनुज्ञा–पत्र को चार प्रतियों में तैयार करेगा। वह अनुज्ञा–पत्र की प्रथम प्रति लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को देगा, द्वितीय प्रति उस जिले के कलेक्टर को जहां से

परिवहन किया जाना हो, भेजेगा, तृतीय प्रति उस व्यापारी को भेजेगा जिससे कय किया जाना हो, और अनुज्ञा–पत्र की चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रखेगा।

19. लाइसेंस या अनुज्ञापत्र का रद्द किया जाना या निलम्बन– (1) वह अधिकारी, जिसने कोई लाइसेंस या अनुज्ञापत्र दिया हो या आदेश द्वारा इस नियमावली के अधीन कोई कार्य करने के लिये अनुमोदित या प्राधिकृत किया हो, ऐसे व्यक्ति को यह कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाए, लिखित आदेश द्वारा जिसमें उसके कारण उल्लिखित होंगे, ऐसे लाइसेंस, अनुज्ञा–पत्र या आदेश को रद्द कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिये जैसा वह उचित समझे, या तो पूर्णतः या अंशतः निलम्बित कर सकता है, यदि उसकी राय में,

(क) ऐसे व्यक्ति ने तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपने द्वारा देय श्शुल्क या फीस का भुगतान करने में चूक की हो, या

(ख) ऐसे व्यक्ति ने स्वयं या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी सेवक या व्यक्ति ने ऐसे लाइसेंस, अनुज्ञा–पत्र या आदेश की शर्तोंका उल्लंघन किया हो, या

(ग) ऐसे व्यक्ति को अधिनियम या आबकारी, राजस्व या मद्यनिषेध से सम्बंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध या किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो।

(2) ऐसा अधिकारी, जिसने इस नियमावली के अधीन लाइसेंस या अनुज्ञापत्र दिया हो, ऐसे व्यक्ति से किसी सूचना की, कि वह लाइसेंस या अनुज्ञापत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर ऐसा लाइसेंस या अनुज्ञापत्र रद्द कर देगा।

(3) जब ऐसा लाइसेंस, अनुज्ञापत्र या आदेश रद्द या निलम्बित कर दिया जाय, तब ऐसा व्यक्ति अपने पास की समस्त विनिर्मित औषधियां कलेक्टर को तरुन्त सौंप देगा।

(4) जब इस नियमावली के अधीन लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत किसी व्यक्ति के पास की कोई विनिर्मित औषधि उपयोग के लिये उसके द्वारा आयोग्य पायी जाय, तब ऐसा व्यक्ति ऐसी औषधि को नष्ट करने के लिये कलेक्टर को तुरन्त दे देगा।

अध्याय छः

पोस्त तृण (पॉपी स्ट्रा)

20. खेतिहर द्वारा पोस्त तृण का निस्तारण–प्रत्येक खेतिहर जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन अफीम के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करने के लिये लाइसेंस दिया गया हो, अफीम की प्रत्येक कटाई के पश्चात् लाइसेंस की षर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसी खेती से प्राप्त पोस्त तृण का निस्तारण निम्नलिखित रीति से करेगा।

(1) खेतिहर अपने पास पोस्त तृण के सम्पूर्ण स्टाक की और उस रीति की जिस प्रकार उसका निस्तारण किया जाना आशयित हो, घोषणा जिले के कलेक्टर को अफीम की प्रत्येक कटाई के पूर्ण होने के एक पखवारे के भीतर और किसी भी स्थिति में, उसी वर्ष के 15 जुलाइ तक करेगा और उसके निस्तारण के लिये आदेष प्राप्त करेगा।

(2) वह ऐसे पोस्त तृण को किसी भी वर्ष उस वर्ष की 31 जुलाई के पश्चात् अपने पास रखेगा।

(3) वह उपर्युक्त दिनांक की समाप्ति के पूर्व ऐसे पोस्त तृण का निस्तारण–

(क) राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को उसे बेचकर,

(ख) भांडागारण करके,

(ग) भाण्डागारण के लिये उसे निर्यात करके,

(घ) भारत के बाहर उसका निर्यात करके,

(ड.) अपने खेत में खाद के रूप में उसका, उपयोग करके, या

(च) उसे जलाकर नष्ट करके,

कर सकता है

परन्तु पोस्त तृण को, जिले के कलेक्टर की सूचित करने के पश्चात् और किसी ऐसे अधिकारी की जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, उपस्थिति में नष्ट या खाद के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

21. पोस्त तृण का भाण्डागारण– (1) जिले का कलेक्टर किसी स्थान को भाण्डागार घोषित कर सकता है जिसमें ऐसे समस्त पोस्त तृण को, जो उसकी कृषि उपज के रूप में हो, जमा करना स्वामी का कर्त्तव्य होगा। किसी स्थान को भाण्डागार घोषित करने वाले आदेश में ऐसे भाण्डागारित पोस्त तृण की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये प्रबन्ध और बिक्री के लिये उसे हटाने की षर्तें विनिदिष्ट होगी,

(2) पोस्त तृण का खेतिरह किसी स्थान को कलेक्टर द्वारा भाण्डागार के रूप में अनुमोदित कराने के पश्चात् उसमें पोस्त तृण का भण्डारण कर सकता है।

(3) पोस्त तृण का भाण्डारण करने के फीस 100 रुप्ये प्रति भाण्डार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति होगी। फीस न देने की दषा में कलेक्टर भाण्डागारित पोस्त तृण का निस्तारण निमय 20 (तीन) (क), (ख), (ग), (ध), और (च) में निर्धारित रीति से कर सकता है।

22. कय, विकय, कब्जे में रखने आदि पर निर्बन्धन–इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, सिवाय कलेक्टर द्वारा जारी किये गये लाइसेंस या अनुज्ञापत्र के अधीन पोस्त तृण का कय, कब्जा, विकय, परिवहन, भाण्डारण, आयात या निर्यात नहीं करेगा।

23. पोस्त तृण के लिए व्यापारी का लाइसेंस–कलेक्टर किसी व्यापारी को पोस्त तृण का कय या भाण्डारण करने के लिय 100 रुप्ये प्रति वर्ष की लाइसेंस फीस देने पर, प्रपत्र संख्या स्वापक ओषधि तृण–1 (फार्म एन.डी. पी. एस.–1) में लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंसधारी प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस रखने वाले किसी अन्य व्यापारी को या ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास वैज्ञानिक, चिकित्सीय या अनुसंधान के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर से प्राप्त अपेक्षित अनुज्ञापत्र हो पोस्त तृण बेच सकता है।

24. व्यापारी के लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र– प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में व्यापारी के लाइसेंस के लिये कोई व्यक्ति कलेक्टर को आवेदन–पत्र दे सकता है जिसमें उनका नाम, पूरा पता, उसके कारबार परिसर का पूरा विरण और पता और लाइसेंस फीस का ब्यौरा उल्लिखित किया जायेगा। किसी अरजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी को काई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। कलेक्टर ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझें, ऐसा लाइसेंस दे सकता है या देने से इंकार कर सकता है। लाइसेंस देने से इन्कार करने की स्थिति में, कलेक्टर ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

25. व्यापारी के लाइसेंस की अवधि– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस, उसकी स्वीकृति के दिनांक से अनुवर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिये दिया जाएगा।

26. पोस्त तृण के लिए अनुज्ञापत्र– वैज्ञानिक या चिकित्सीय प्रयोजन के लिये पोस्त तृण प्राप्त करने के लिये कोई व्यक्ति अपेक्षित मात्रा और प्रयोजन जिसके लिये पोस्त तृण की आवश्यकता है, का पूरा ब्योरा उल्लिखित करते हुए कलेक्टर को आवेदन कर सकता है। कलेक्टर ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, 10 रुप्ये की अनुज्ञा–पत्र फीस देने पर प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 (फार्म एन. डी. पी. एस. –2) में अनुज्ञा पत्र जारी कर सकता है। अनुज्ञा पत्र धारक प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेंस रखने वाले लाइसेन्सधारी से अपने अनुज्ञा–पत्र में उल्लिखित पोस्त तृण प्राप्त करेगा।

27. अपवाद– पूर्ववर्ती नियमों की कोई बात सरकार की मद में पोस्त तृण के कय, कब्जे में रखने या विकय पर लागू नहीं होगी।

पोस्त तृण का परिवहन

28. लाइसेंस प्राप्त खेतिहर के द्वारा परिवहन–पोस्त का लाइसेंस प्राप्त खेतिहर, किसी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास इस नियमावली के अधीन परिवहन या निर्यात पास हो बिक्री के लिये पोस्त तृण का जो उसकी खेती की उपज हो, जिले के भीतर अपनी खेती के स्थान से अपनी निवास–स्थान को, दोनों सीानों में से किसी स्थान से भाण्डागार को परिवहन कर सकता है।

29. पास के अधीन परिवहन– (1) प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण– 1 में लाइसेंस रखने वाला कोई व्यापारी या प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में अनुज्ञा–पत्र रखने वाला व्यक्ति या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद श्शुल्क) अधिनियम, 1955 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रपत्र संख्या लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 में स्वीकृत लाइसेन्स रखने वाला व्यक्ति प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–3, (फार्म एन. डी. पी. एस. –3) में परिवहन पास के लिये कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को आवेदन कर सकता है और उसके प्राप्त हो जाने के पश्चात् किसी लाइसेन्स प्राप्त खेतिहर या प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स रखने वाले व्यक्ति से क्रय किये गये पोस्त तृण का पास में विनिर्दिष्ट सीमा तक परिवहन कर सकता है।

(2) नियम (1) में उल्लिखित आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी ऐसी जांच करा सकता है जैसी वह आवश्यक समझें और समाधान हो जाने पर वह आवेदन को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–3 में, चार प्रतियों में, पास दे सकता है। पास की प्रथम उस स्थान के, जहां से परिवहन किया जाना हो, आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, द्वितीय प्रति गन्तव्य स्थान के आबकारी निरीक्षण को भेजी जायेगी, तृतीय प्रति आवेदन को पारेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जाएगी और चतुर्थ प्रति उसके द्वारा अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) गन्तव्य स्थान पर परेषण के पहुंचने पर, परेषिती सर्किल के आबकारी निरीक्षक को सूचित करेगा और उसे परेषण की जांच करने और तौलने और उसकी अन्तर्वस्तुओं की परीक्षा करने की अनुमति देगाः

परन्तु जहां सर्किल का आबकारी निरीक्षक परेषक के पहुंचने की सूचना के 2 दिन के भीतर उसका सत्यापन नहीं कर पाता है, वहां परेषिती स्वयं उसे खोल सकता है।

(4) परेषिती परेषण का सत्यापन करने के पश्चात् परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे परिवहन पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा।

(5) उस सर्किल का आबकारी निरीक्षक, जहां से सम्भरण किया जाए, सत्यान करने के पश्चात् अपने द्वारा प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा। तत्सदृश कार्यवाही परेषण के गन्तव्य स्थान पर आबकारी निरीक्षक द्वारा की जायेगी।

30. सरकारी लेखा में परिहवन– सरकार द्वारा पोस्त–तृण का परिवहन स्वयं अपने लेखा में किया जा सकता है।

31. परिवहन का प्रतिषेध–पूर्ववर्ती नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, पोस्त तृण का परिवहन प्रतिषिद्ध है।

पोस्त तृण का आयात

32. सरकार द्वारा आयात– पोस्त तृण का आयात सरकार द्वारा स्वयं अपने लेखा में किया जा सकता है।

33. लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा आयात– (1) कोई व्यापारी जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो या कोई व्यक्ति जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में अनुज्ञापत्र हो और जो भारत में किसी अन्य राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र से पोस्त तृण का आयात करना चाहता हो, प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–4 (फार्म एन. डी. पी. एस.–4) में आयात पास के लिये कलेक्टर को आवेदन–पत्र देगा। आवेदन–पत्र के साथ उस जिले के, जहां पोस्त तृण का आयात किया जाना हो, कलेक्टर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाएगा और उसे प्राप्त करने के पश्चात्, वह उपनियम (2) के अनुसार दिये जाने वाले पास की शर्तों के अधीन रहते हुए, पोस्त तृण का आयात कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है, जैसी वह आवश्यक समझे, और यदि उसका समाधान हो जाय कि कोई आपत्ति नहीं है, तो वह प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–4 में पास देगा। पास चार प्रतियों में जारी किया जायगा। पास की प्रथम प्रति आवेदक को परेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात के जिले के कलेक्टर को अग्रसारित की जायगी, तृतीय प्रति आयात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को भेजी जायगी, और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) नियम 29 के उपनियम (3) से (5) राज्य के बाहर से आयात किये गये पोस्त तृण के परेषणों के सत्यापन पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

पोस्त तृण का निर्यात

34. सरकार द्वारा निर्यात– सरकार स्वयं अपने लेखा में पोस्त तृण का निर्यात कर सकती है।

35. लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या खेतिहर द्वारा निर्यात– (1) कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी जिसके पास प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो या अफीम पोस्त का कोई लाइसेन्स प्राप्त खेतिहर जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र को पोस्त तृण का निर्यात करना चाहता हो, कलेक्टर को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 (फार्म एन. डी. पी. एस.–5) में निर्यात पास के लिये आवेदन–पत्र देगा, आवेदन–पत्र के साथ उस जिले के जहां पोस्त तृण का निर्यात किया जाना हो, कलेक्टर या इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का आयात

पास या ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' संलग्न करेगा और प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में निर्यात पास प्राप्त होने पर उप नियम (2) के अनुसार दिये जाने वाले पास की शर्तोंके अधीन रहते हुए पोस्त तृण का निर्यात कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है जैसी वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित पास देने में कोई आपत्ति नहीं है प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में आवेदन को निर्यात पास दे सकता है। पाच चार प्रतियों में जारी किया जाएगा। पास की प्रथम प्रति आवेदन को परेषण के साथ संलग्न करने के लिये दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षण को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

(3) निर्यात सर्किल का आबाकारी निरीक्षण आवश्यक सत्यापन करने के पश्चात् उसको भेजे गये पास के पृष्ठ भाग पर वस्तुतः निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा।

(4) परेषिती अपने द्वारा प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर परेषण के व्योरे के सम्बंध में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात पास या अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से आयात पास देने वाले अधिकारी को लौटा देगा। यदि प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–5 में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त नहीं होता तो सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा आगे परेषण का निर्यात करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

36. निर्यात का प्रतिषेध– पूर्ववर्ती नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य के बाहर पोस्त तृण का निर्यात प्रतिषिद्ध हैं।

प्रकीर्ण

37. परेषण को पैक करना और मुहरबन्द करना– इस नियमावली के अधीन परिवहन, आयात या निर्यात किये जाने वाले पोस्त तृण का प्रत्येक परेषण समुचित रूप से पैक किया जाएगा, मजबूती से बांधा जायेगा और मुहरबन्द किया जायेगा ताकि वह खोला न जा सके और उसकी अन्तवस्तुओं में, मुहर या पैंकिंग सामग्री को तोड़े या हानि पहुंचाये बिना, अन्तःक्षेप न किया जा सके।

38. रेल द्वारा परिवहन – (1) कोई व्यक्ति रेल द्वारा किसी परेषण की जिसमें पोस्त तृण हो, तब तक न तो ले जायेगा और न ले जाने के लिये प्रस्ताव करेगा जब तक कि ऐसा परेषण अपेक्षित पास से आछादित न हो या उसके साथ न हो।

(2) रेल प्रशासन ऐसे पास में निर्धारित शर्तोंके अनुसार ऐसा परेषण भेजेगा और ऐसे परेषण भेजेगा और ऐसे परेषण के बल्क को अभिवहन में तोड़ा नहीं जायेगा।

39. डाक द्वारा परेषण भेजा जाना– किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 या स्वापक पोस्त तृण–2 में लाइसेन्स/अनुज्ञा–पत्र हो या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद श्शुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र

लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 हो, पोस्त तृण को डाक द्वारा परेषित करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है–

(क) ऐसा परेषण भेजते समय केवल पार्सल डाक का प्रयोग किया जाएगा और पार्सल का बीमा किया जाएगा।

(ख) परेषण कलेक्टर द्वारा जारी किये गये पास से आच्छादित होगा।

(ग) पार्सल के साथ एक घोषणा–पत्र होगा जिसमें परेषिती और परेषक के नाम, सविस्तार पार्सल की अन्तर्वस्तुएं, पास जिससे परेषण आच्छादित हो, की संख्या और दिनांक और ऐसे अन्य विवरण उल्लिखित किये जायेंगे जैसी आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय।

40. लाइसेन्स का नवीकरण– किसी लाइसेन्स का नवीकरण कलेक्टर द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और ऐसा लाइसेन्स देने के लिये विहित फीस का भुगतान करने पर किया जा सकता है।

41. लाइसेन्स के नवीकरण के लिये कोई दावा नहीं किया जायेगा– कोई व्यक्ति जिसे लाइसेन्स दिया गया हो, अधिकार स्वरूप उसके नवीकरण के लिये दावा करने का हकदार नहीं होगा, और लाइसेन्स की अवधि की समाप्ति पर उसका नवीनकरण करने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप क्षति के लिये या अन्यथा कोई दावा नहीं किया जायेगा।

42. लेखा रखना– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स रखने वाले व्यक्ति प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–6 (फार्म एन.डी. पी. एस.–6) में पोस्त तृण की प्राप्ति और बिक्री का दैनिक लेखा रखेगे।

43. लाइसेन्स का अभ्यर्पण– कोई लाइसेन्सधारी जिसके प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 में लाइसेन्स हो अपना लाइसेन्स अभ्यर्पित करने के अपने अभिप्राय की लिखित सूचना कलेक्टर को देने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति पर अपना लाइसेन्स अभ्यर्पित कर सकता है।

44. लाइसेन्स की समाप्ति या अभ्यर्पण पर स्टाक का निस्तारण– कोई व्यक्ति जिसके पास इस नियमावली के अधीन प्रपत्र संख्या स्वापक, औषधि पोस्त तृण–1 में दिया गया लाइसेन्स या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–शुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र संख्या लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 में दिया गया लाइसेन्स हो, कलेक्टर की अनुज्ञा से, अपने लाइसेन्स की समाप्ति या अभ्यपण के पश्चात् अपने कब्जे में बचे किसी पोस्त तृण का निस्तारण नियम 20 (3), (क), (ख), (ग), (घ), और (च), में निर्धारित रीति से दो सप्ताह के भीतर करेगा।

अध्याय–सात

विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात और परिवहन

45. प्रतिषेध– कोई व्यक्ति किसी विनिर्मित औषधि का, सिवाय उतनी मात्रा में जितनी वह, इस नियमावली, के अधीन विधिपूर्वक रख सकता है, आयात, निर्यात या परिवहन नहीं करेगा।

46. अनुमोदित व्यवसायी द्वारा आयात या परिवहन– कोई अनुमोदित व्यवसायी, सिवाय ऐसी औषधियों के जो विनिर्दिष्ट की जांय और उतनी मात्रा में जितनी उसे विधिपूर्वक रखने की अनुमति दी जाय, किसी विनिर्मित औषधि का आयात या परिवहन नहीं करेगा।

47. विषेष या सामान्य आदेष के अधीन परिवहन– कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के अधीन किसी विषेश या सामान्य आदेश से आबकारी आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, विनिर्मित औषधियों का आयात ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से कर सकता है जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।

48. आयात प्राधिकरण–पत्र– (1) कोई व्यक्ति या कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी या कोई लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ या कोई अनुमोदित व्यवसायी, जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से विनिमित औषधियों का आयात करना चाहता हो, आबकारी आयुक्त को आयात प्राधिकार–पत्र के लिये आवेदन–पत्र दे सकता है जिसमें वह निर्यातकर्ता का नाम और पता, आयात की जाने वाली विनिर्मित औषधियों की मात्रा का विवरण और ऐसे आयात के कारण उल्लिखित करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करा सकता है जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित आयात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदन को आयात प्राधिकार–पत्र दे सकता है।

49. निर्यातकर्ता राज्य के निर्यात नियमों का अनुपालन–इस नियमावली की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य के बाहर भारत के किसी भाग से विनिर्मित औषधियों का आयात करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी है जब तक कि ऐसी औषधियों के निर्यात के सम्बंध में भारत के ऐसे भाग में तत्समय प्रवृत्ति नियमों का अनुपालन न कर लिया गया हो।

50. लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा निर्यात– कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी, अपने लाइसेन्स की शर्तों के अधीन रहते हुए, राज्य के बाहर भारत के किसी भाग को विनिर्मित औषधियों का निर्यात भारत के ऐसे भाग में तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन स्वीकृत और इस नियमावली की अपेक्षानुसार आवकारी आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित आयात प्राधिकार–पत्र के निबन्धनों के अधीन रहते हुए कर सकता है।

51. अस्पतालों को निर्यात–आयातकर्ता राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन या सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विनिर्मित

औषधियों के मांग–पत्र को इस नियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी–पत्र समझा जायेगा तथा उस पर और किसी प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी।

52. किसी व्यक्ति द्वारा निर्यात– आबकारी आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन किसी विशेष या सामान्य आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, विनिर्मित औषधियों को निर्यात ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उन आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, कर सकता है।

53. निर्यात की प्रकिया– (1) कोई लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र को विनिर्मित औषधियों का निर्यात करने का इच्छुक हो, आबकारी आयुक्त को निर्यात प्राधिकार–पत्र के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है, जिसके साथ आयात प्राधिकार पत्र या उस राज्य का जिसे विनिर्मित औषधियां निर्यात की जाती हो, 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करा सकता है। जैसी वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित निर्यात प्राधिकार–पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदक को निर्यात प्राधिकार–पत्र दे सकता है।

(3) निर्यात प्राधिकार–पत्र प्राप्त होने पर, कलेक्टर, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म ए. डी. ई.) में, चार प्रतियो में, निर्यात पास जारी करेगा। पास एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिये आवेदक को दी जाएगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जाएगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिये रख ली जाएगी।

(4) निर्यात सर्किल का आबकारी निरीक्षण, आवश्यक सत्यापन के पश्चात् अपने पास भेजे गये पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर वास्तव में निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले कलेक्टर को लौटा देगा।

(5) परेषिती अपने द्वारा परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात प्राधिकार–पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से निर्यात पास देने वाले कलेक्टर को लौटा देगा। यदि प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त न हो तो सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा अग्रतर परेषण का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

54. अनुज्ञा–पत्र या प्राधिकार–पत्र के अधीन परिवहन– कोई व्यक्ति, जिसे विनिर्मित औषधियों के परिवहन के लिये कलक्टर द्वारा प्राधिकार–पत्र दिया गया हो, ऐसी मात्रा में और ऐसी रीति से जैसी उसे स्वीकृत प्राधिकार–पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय, औषधियों का परिवहन कर सकता है।

55. डाक द्वारा आयात निर्यात या परिहवन पर निर्बन्धन– इस नियमावली में यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति डाक द्वारा विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात या परिवहन नहीं करेगा।

56. डाक द्वारा परेषण– औषधीय प्रयोजनों के लिये लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ या लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को विनिर्मित औषधियां अन्तर्देशीत डाक द्वारा भेजने की अनुज्ञा निम्न लिखित शर्तोंके अधीन दी जा सकती हैः–

(एक) केवल पार्सल डाक का उपयोग किया जाएगा,

(दो) पार्सलों का बीमा कराया जाएगा,

(तीन) पार्सल पास द्वारा आच्छादित होगा जो राज्य के भीतर किसी जिले में भेजने की स्थिति में उस जिले के कलेक्टर द्वारा और मामलों में उस राज्य के जिसको पार्सल भेजा जा रहा हो, समुचित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा,

(चार) पार्सल के साथ एक घोषणा–पत्र होगा जिसमें परेषती और परेषक का नाम, पार्सल की अन्तर्वस्तुओं का विस्तृत ब्योरा, परेषण को आच्छादित करने वाले पास की संख्या और दिनांक और परेषिती द्वारा धृत लाइसेंस या प्राधिकार पत्र का ब्योरा उल्लिखित होगा,

(पांच) परेषिती अपनी लेखाबही में परेषक का नाम और समय–समय पर डाक द्वारा प्राप्त औषधियों की मात्रा स्पष्ट रू॰ से उल्लिखित करेगा।

57. आबकारी आयुक्त के निर्देशों का अनुपालन– विनिर्मित औषधियों का आयात, निर्यात या परिहवन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे सामान्य या विशेष निदेशों का अनुपालन करेगा जो आबकारी आयुत द्वारा दिये जाएं।

अध्याय आठ

अफीम

58. सरकार द्वारा कय–(1) नियम 3 में किसी बात के होते हुए भी 'कलक्टर के पास रजिस्ट्रीकृत व्यवसनियों के उपयोग के लिये सरकार द्वारा सरकारी अफीम और ऐल्के लाइड संकर्म, गाजीपुर से अफीम खरीदी जा सकती है, सरकार से प्राप्त वार्षिक अधिचायन–पत्र पर ऐसा सम्भरण ऐसी अफीम प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा प्राधिकारी (अधिकारियों) को किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के अनुसार प्राप्त अफीम समुचित सुरक्षा प्रबन्ध में जिला कोषागार में रखी जा सकती है।

59. व्यसनियों को अफीम दिया जाना– जिला कोषागार से रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों को अफीम ऐसी मात्रा में और ऐसे मूल्य पर और ऐसी शर्तोंपर दी जा सकती है जैसा इस नियमावली में उपबन्धित हो।

60. खेतीहारों द्वारा कब्जे में रखने के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन अफीम के उत्पादन के लिये अफीम पोस्त की खेती करने के लिए लाइसेंस प्राप्त खेतिहर द्वारा अफीम के अपने उत्पाद को कब्जे में रखने पर उस समय तक लागू नहीं होगी, जब तक उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह ऐसे उत्पाद को केन्द्र सरकार के लेखे में ऐसी अफीम प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत स्वापक (नार्कोटिक) विभाग के अधिकारी की दे दें।

61. खेतिहर द्वारा परिवहन के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात लाइसेंस प्राप्त अफीम पोस्त के खेतिहर द्वारा अपने अफीम उत्पाद की अफीम को ऐसे खेत से, जहां वह उत्पादित की गयी हो, अपने निवास–स्थान तक और अपने निवास–स्थान से ऐसी अफीम के संग्रक के लिये स्वापक विभाग द्वारा सीापित अफीम तौलने के केन्द्र तक परिवहन करने पर लागू नहीं होगी।

62. केन्द्र सरकार की ओर से परिवहन के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात केन्द्र सरकार की ओर से अफीम तौलने के केन्द्र से सरकारी अफीम और ऐलकेलाईट संकर्म, गाजीपुर तक अफीम के परिवहन पर लागू नहीं होगी।

63. सरकार की ओर से परिवहन निर्यात या आयात के लिये छूट– इस नियमावली की कोई बात सरकारी अफीम और ऐलकेलाइड संकर्म, गाजीपुर से या तक अफीम या किसी विनिर्मित औषधि के परिवहन, निर्यात या आयात पर लागू नहीं होगी।

64. अफीम व्यसनियों को अनुज्ञापत्र– (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का न हो और इस नियमावली के अधीन व्यसनी के रूप रजिस्ट्रीकृत हो या भारत के अन्य राज्य या संघ, क्षेत्र में अफीम व्यसनियों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बंध में प्रवृत्त नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो और जिसके पास सम्यक् रूप से नियुक्त चिकित्सा बोर्ड का प्रमाणपत्र हो और चिकित्सीय आधार पर मुख से सेवन के प्रयोजनार्थ अफीम रखता हो, कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी को अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन–पत्र देगा।

(2) कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी जांच करायेगा जो वह आवश्यक समझे और यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित अनुज्ञा–पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है, वह सरकार या आबकारी आयुक्त के स्थायी आदेश के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, आवेदन को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–1 (फर्मा एन. डी. ओ.– 1) में अनुज्ञा–पत्र जिसके साथ अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा अफीम के कय का सही–सही लेखा रखने के लिये सम्यक् रूप से संलग्न प्रपत्र ''घ'' की एक प्रति होगी, 10 रुपये का भुगतान करने पर स्वीकृत करेगा।

(3) अनुज्ञा– पत्रधारी समय–समय पर सरकार द्वारा विहित मूल्य देकर सम्बद्ध कोषागार से अपनी अफीम प्राप्त करेगा।

(4) अपर्युक्त उपनियम (2) के अधीन जारी किये किये गये अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त अफीम से भिन्न कोई अफीम अनुज्ञा–पत्र धारी द्वारा न तो रखी जायेगी और न उसका सेवन किया जायेगा।

(5) अनुज्ञा–पत्र के अधीन कय की गयी अफीम का सेवन अनुज्ञापत्रधारी से भिन्न न तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जायेगा और न उसका सेवन उस प्रयोजन से, जिसके लिये अनुज्ञापत्र दिया जाय, भिन्न किसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा।

(6) अनुज्ञापत्रधारी कानाम जिला आबकारी कार्यालय में रखे गये प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–3 (फाम्र एन. डी. ओ.–3) में रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर से सुसंगत उद्धरण उस सर्किल के, जिसमें अनुज्ञापत्रधारी निवास करते हों, आबकारी निरीक्षकों को भेजे जायेंगे।

(7) अनुज्ञा–पत्र, अफीम की उतनी मात्रा के सम्बंध में जितनी, यथास्थिति, क्लेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी, चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण के पश्चात जिसका अभिलेख चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–5 (फार्म एन. डी. ओ.–5) में रखा जाएगा प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–4 (फार्म एन. डी. ओ. –4) में दिये गये प्रमाण–पत्र पर और सरकार या आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों और निदेशों के अनुसार निश्चित करे, दिया जायेगा, परन्तु अनुज्ञापत्र में एक मास में 50 ग्राम से अधिक का कोट विहित नहीं किया जायेगा और यह और कि विहित मात्रा पूर्ववर्ती वर्ष में अनुज्ञापत्रधारी को अनुमत मात्रा से अधिक नहीं होगी।

(8) किसी अनुज्ञापत्रधारी को प्रारम्भ में अनुमत अफीम का कोटा प्रति तिमाही में 1/8 भाग कम कर दिया जायेगा, परन्तु किसी भी स्थिति में कम की गयी मात्रा प्रति तिमाही 10 ग्राम से कम नहीं होगा और इस आशय का पृष्ठांकन अनुज्ञा–पत्र की सभी प्रतियो में किया जायेगा।

(9) प्रारम्भ में स्वीकृत अनुज्ञा–पत्र का नवीकरण, चिकित्सा बोर्ड द्वारा व्यसनी के सम्यक् परीक्षण के पश्चात 10 रुप्ये का भुगतान करने पर प्रति वर्ष किया जा सकता है।

65. वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अनुज्ञा–पत्र– (1) कोई व्यक्ति जो वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अफीम चाहता हो, प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–2 (फार्म एन. डी. ओ.–2) में अनुज्ञा–पत्र के लिये कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकता है जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित किया जायेगाः–

(क) आवेदक का नाम और पूरा पता,

(ख) प्रयोजन जिसके लिये अफीम की आवश्यकता हो,

(ग) अपेक्षित अफीम की मात्रा,

(घ) अवधि जिसके दौरान वैज्ञानिक या औषधीय प्रयोजनों के लिये अफीम का उपयोग किया जायेगा, और

(ड.) स्थान जहां पर वह रखी जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा।

(2) कलेक्टर ऐसी जांच करा सकता है, जैसी वह आवश्यक समझे, और अपनी संस्तुतियों के साथ आवेदन–पत्र को आबकारी आयुक्त को अग्रसारित करेगा जो अपने स्तर पर अग्रतर जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् आवेदक को प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–2 में जिसके साथ अनुज्ञापत्रधारी द्वारा कय की गयी अफीम और उसके उपयोग का सही–सही लेखा रखने के लिये सम्यक, रूप से संलग्न प्रपत्र ''ड.'' की एक प्रति होगी, और ऐसी अन्य शर्तोंपर, यदि कोई हो, जैसा मामले में उचित हो, अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत करने के लिये कलेक्टर को निदेश दे सकता है। प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–2 में अनुज्ञा–पत्र के लिये अनुज्ञा–पत्र फीस 50 रुप्या प्रति वर्ष होगी।

(3) अफीम कोषागार मूल्य पर सम्बद्ध कोषागार से या सरकारी अफीम और ऐल्केलाईड संकर्म, गाजीपुर से कय की जा सकती है।

66. जारी किये गये अनुज्ञापत्रों की सूचना– प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश 1–और स्वापक औषधि आदेश–2 अनुज्ञा–पत्र, तीन प्रतियों में जारी में किये जायेंगे। अनुज्ञा–पत्र की एक प्रति में आवेदन को दी जायेगी और द्वितीय प्रति सम्बद्ध कोषागार को दी जायेगी और तृतीय प्रति अभिलेख के लिये रख ली जायेगी।

67. औषधालयों द्वारा अफीम कब्जे में रखना– ऐसे व्यक्ति जिनके पास औषधीय और प्रसाधन निर्मिनियां (उत्पाद श्शुल्क) नियम 1956 के अधीन लाइसेन्स 1 (एल–1) और लाइसेन्स–2 (एल–2) में हो, अपने–अपने लाइसेन्सों में अनुमत सीमा तक अफीम अपने पास रख सकते हैं।

68. औषधालयों द्वारा परिवहन–कोई व्यक्ति जिसके पास औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–शुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र लाइसेन्स–1 या लाइसेन्स–2 से लाइसेन्स हो, यदि औषधीय और प्रसाधन निमितियां (उत्पाद–शुल्क) नियम, 1956 के अधीन प्रपत्र आई. डी.– 1 में मांग–पत्र पर किसी कोषागार या सरकारी अफीम और ऐलकलाइउ संकर्म, गाजीपुर से अफीम कय करे तो वह कोषागार के प्रभारी

अधिकारी से प्राप्त अफीम के प्रत्येक निर्गम के लिये, अपने लाइसेन्स में, प्रविटिष्ट करायेगा। लाइसेन्स द्वारा उसे कोषागार या सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, गाजीपुर से इस प्रकार जारी की गयी अफीम को केवल विनिर्माण के लिये निर्धारित स्थान तक परिवहन करने का प्राधिकार होगा।

69. अनुज्ञापत्रधारी द्वारा परिवहन– प्रपत्र स्वापक औषधि आदेश–1 या स्वापक औषधि आदेश–2 में अनुज्ञा–पत्र रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अफीम का परिवहन उनके सम्बन्धित अनुज्ञापत्रों पर कोषागार द्वारा किये गये पृष्ठांकन द्वारा आच्छादित होगा।

70. सेना प्रदाय विभाग द्वारा परिवहन– सशस्त्र बल का सेना प्रदाय विभाग सकिय सेवा के लिये प्रस्थान करते समय समादेशक अधिकारी द्वारा अधियाचन पर विधिपूर्वक प्राप्त अफीम का परिवहन कर सकता है।

71. सरकारी लेखा में अफीम का परिवहन–सरकार द्वारा अफीम या अफीमयुक्त औषधियों का परिवहन अपने लेखा में किया जा सकता है।

72. केवल सदर के कोषागारों से अफीम की बिक्री– सदर कोषागारों से अफीम व्यवसनियों को अफीम की बिक्री ऐसी दर पर, जो सरकार समय–समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा विहित करे, की जायेगी। सम्भरण ऐसी शर्तोंपर किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जायं।

73. सकिय सेवा के लिये प्रस्थान करने वाले रेजिमेन्टों के समानुदेषक अधिकारियों को सम्भरण– रेजिमेन्टों के समादेशक अधिकारी से जब वे सकिय सेवा के लिये प्रस्थान करें, अधिचायन पर कोषागार मूल्य का पूर्व भुगतान करने पर, सदर कोषागारों से केवल आधा किलोग्राम की टिक्की में अफीम का सम्भरण किया जायेगा।

74. लाइसेन्सों और अनुज्ञापत्र की अवधि पर नवीकरण– (1) इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स और अनुज्ञा–पत्र प्रारम्भ में आबकारी वर्ष के लिये, जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर और अनुवर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष हो, दिया जायेगा। आबकारी वर्ष के दौरान दिया गया कोई लाइसेन्स अनुवर्ती 31 मार्च तक प्रवृत्त रहेगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसे इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स या अनुज्ञा–पत्र दिया जाय, न तो ऐसे लाइसेन्स या अनुज्ञा–पत्र के नवीकरण के लिये हकदार होगा, और न ही उसकी समाप्ति पर या उसके नवीनकरण न किये जाने पर प्रतिकर के लिये ही हकदार होगा।

75. चिकित्सा बोर्ड का गठन– (1) सरकार राज्य में प्रत्येक मण्डल के मुख्यालय नगर में अफीम व्यसनियों के परीक्षण के लिये एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगी। चिकित्सा बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(एक) मण्डल में जिला मुख्यालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

(दो) मण्डल के मुख्यालय पर जिला चिकित्सा अधिकारी,

(तीन) मण्डल के मुख्यालय जिले के जिला अस्पताल का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।

(2) चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षण के लिये फीस 100 रुप्ये प्रति व्यसनी होगी।

(3) चिकित्सा बोर्ड अपनी संस्तुति प्रपत्र स्वापक औषधि आदेश–4 में मामले के अन्य अभिलेखों के साथ सम्बद्ध जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करेगा। चिकित्सा परीक्षणों का द्वारा प्रपत्र स्वापक औषधि आदेश–5 में एक रजिस्टर में रखा जायेगा।

अध्याय–नौ

प्रकीर्ण

76. वारन्ट और प्राधिकार–पत्र जारी करने की षक्ति आबकारी, पुलिस, औषधि नियंत्रण या राजस्व विभागों के समस्त राजपत्रित अधिकारी अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन षक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

77. बिना वारन्ट या प्राधिकार–पत्र के प्रवेश करने, तलाशी लेने अधिग्रहण और गिरफ्तार करने की श्शक्ति– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षण से निम्न श्रेणी का न हो या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहलीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, अधिनियम की धारा 42 के अधीन श्शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

78. अधिकारी जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की षक्तियों का प्रयोग करेंगे– आबकारी या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के मामलों में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की श्शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

79. अभिवहन में परेषण का निरीक्षण– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षण से निम्न श्रेणी का न हो, या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी जो उप निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या औषधि नियंत्रण विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, किसी भी समय अभिवहन में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के किसी परेषण का परीक्षण कर सकता है। यदि ऐसे परीक्षण पर, ऐसे अधिकारी को यह पता चले कि अभिवहन में स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा जारी किये गये अनुज्ञा–पत्र या पास या प्राधिकार–पत्र या लाइसेंस के निबन्धनों और शर्तोंके अनुरूप नहीं है तो परेषण को रोक लिया जायेगा और जिले के कलेक्टर को उसकी रिपोर्ट की जायेगी जो अनुज्ञा–पत्र या पास या प्राधिकार पत्र या लाइसेंस के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे अधिहृत कर लेगा। इस नियम के अधीन की गई कार्यवाही अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये किसी अपराध के लिये अनुज्ञा–पत्र या पास या पास या प्राधिकरण पत्र या लाइसेंस के धारक को अभियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

80. लाइसेंस परिसर का निरीक्षण– आबकारी विभाग का कोई अधिकारी जो निरीक्षण के पद से निम्न श्रेणी का न हो, किसी भी समय, चाहे दिन या रात्रि में, किसी स्थान में जिसमें कोई लाइसेंसधारी या अनुज्ञापत्रधारी स्वापक औषधियों का विनिर्माण, संग्रह या विकय करता है, प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है और ऐसी स्वापक औषधियों का अभिग्रहण कर सकता है जिनका लाइसेंसधारी

अनुज्ञापत्रधारी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या अपने लाइसेंस या अनुज्ञा–पत्र की शर्तोंका उल्लंघन करके, विनिर्माण।

81– विनिपिद्ध और अन्य अधिहृत वस्तुओं का निस्तारण (1) अधिनियम के अधीन अधिहृत समस्त पशुओं, वाहनों वस्तुओं या स्वापक औषधि से भिन्न चीजों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा कलेक्टर या जिला अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) प्रत्येक स्वापक औषधि (गांजा, चरस, भांग, पोस्त–तृण या निर्मित अफीम को छोड़ कर) का नमूना सरकारी रासायनिक परीक्षक, आगरा को विश्लेषण के लिये भेजा जायेगा। एक्साइज मैनुअल खण्ड–एक (1974 संस्करण) के पैरा 282 में निर्धारित प्रकिया, यथावश्यक परिवर्तन सहित, नमूना भेजने के मामले में लागू होगी। रासायनिक परीक्षण से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विनिषिद्ध पदार्थों का निस्तारण कलेक्टर द्वारा अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

(3) यदि अधिहृत औषधि गांजा, चरस, भांग, पोस्त–तृण या निर्मित अफीम हो तो उसे कलेक्टर के आदेश से जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जायेगा।

82. पुरस्कार– अधिनियम के अधीन अभियुक्त की दोष सिद्धि पर वसूल किये गये जुर्माने और अधिहृत वस्तुओं के आगम से प्रापत धनराशि को पहले समुचित विभागीय प्राप्ति षीर्षक में जमा किया जायेगा और ऐसे अधिकारियों या व्यक्तियों को जिन्होंने अभियुक्त का पता लगाने और उसे सिद्ध दोष करने में सहयोग दिया हो, वित्तीय नियम के अनुसार समुचित विभागीय व्यय षीर्षक से पुरस्कार दिया जा सकता है।

83. अपील– इस नियमावली के अधीन कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपोल आबकारी आयुक्त को की जायेगी और सम्बद्ध पक्षकार को दिये गये आदेष की सूचना के दिनांक तीस दिन के भीतर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत की जायेगी, परन्तु आबकारी आयुक्त, यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी उक्त समय सीमा के भीतर अपनी अपील उन कारणों से, जो उसके नियंत्रण के परे थे, प्रस्तुत न कर सका, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन की अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

84– पुनरीक्षण– राज्य सरकार इस नियमावली के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये आदेश का पुनरीक्षण कर सकती है। पुनरीक्षण याचिका सम्बद्ध पक्षकार को उस आदेश की, जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया जाय, सूचना के नब्बे दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

85– अपील या पुनरीक्षण के लिये याचिका के साथ आदेष होगा– अपील या पुनरीक्षण की याचिका के साथ उस विनिश्चय या आदेश की जिसके विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया हो, अभिप्रमाणित प्रति होगी।

86– भू–राजस्व के बकाये की भांति देयों की वसूली– इस नियमावली के अधीन देय कोई षुल्क, लाइसेन्स फीस या कोई अन्य देय की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति की जा सकती है।

प्रपत्र ''क'' में रजिस्टर

खनियम 9 (क),

विनिर्मित औषधि का विवरण

अस्पताल/अनुमोदित व्यवसायी का नाम और पता .....
.....

दिनांक	हस्तगण औषधि का नाम	प्राप्त औषधि का योग	हस्तगत औषधि गयी मात्रा	उपचार में रोगी का नाम और पता जिसे औषधि उपयोग की दी गयी
1	2	3	4	5	6
हस्तगत औषधि का अविशेष	औषधि सम्भरण कर्त्ता का पता	अभ्युक्तियां	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या अनुमोदित व्यवसायी के हस्ताक्षर		
7	8	9	10		

टिप्पणीः– अभ्युक्ति के स्तम्भ में कय करने के प्राधिकार आदि का निर्देश दीजिये।

प्रपत्र स्वापक औषधि लाइसेन्स–व्यापारी

खनियम–2 (बारह) और 17 (1) (फाम्र एन. डी. एल. डी.),

लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न औषधि जिसमें विनिर्मित औषधि अन्तविष्ट है, के विनिर्माण, कब्जे में रखने और विकय के लिये लाइसेन्स

जिला .....
.....लाइसेन्स संख्या .....
.....व्यापारी का नाम .....
.....दुकान का स्थान .....
.....विदित हो कि .....
.....निवासी .....
.....को एतद्द्वारा

आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधि (जिसे आगे औष धि कहा गया है) के विनिर्माण कब्जे में रखने और विक्रय के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

इस लाइसेन्स के धारक/धारकों (जिसे/जिन्हें आगे लाइसेन्सधारी कहा गया है) से यह अपेक्षित है कि जब तक लाइसेन्स की शर्तेंप्रवृत्त रहें वह/वे निम्नलिखित शर्तोंका पालन करेगा/करेंगे।

शर्तें

(1) उपर्युक्त लाइसेन्सधारी को ..... से 31 मार्च 198 तक औषधि,

(2) लाइसेन्सधारी एक समय में अपने कब्जे में औषधि नियंत्रण उत्तर प्रदेश द्वारा आवंटित विनिर्मित औषधि की मात्रा रखेगा।

(3) वह इस लाइसेन्स की शर्तोंके समयक् अनुपालन के लिये सम्यक् रूप से कलेक्टर के नाम पतिश्रुत 5,000 रुप्ये की धनराशि नकदी में सरकारी बचत–पत्र के रू‍प में या ऐसी अन्य मूल्यवान प्रत्याभूतियों के रू‍प में जैसी आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाय, कलेक्टर के पास जमा करेगा। इस लाइसेन्स की शर्तोंके उल्लंघन या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन दोष सिद्धि की दशा में उक्त अधिनियमों के अधीन अधिरोपित श्शास्तियों के अतिरिक्त प्रत्याभूति समपहृत कर ली जायेगी।

(4) वह अपना लाइसेन्स किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(5) वह आबकारी आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना भागीदारी नहीं करेगा।

(6) (क) वह अपनी औषधि ऐसे लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ को जिसके पास स्वापक औषधि लाइसेन्स रसायनज्ञ (एन. डी. एल. सी.) में लाइसेन्स हो,

(ख) अनुमोदित व्यवसायी को,

(ग) कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत मात्रा तक अस्पताल या औषधालय, शिक्षा या वैज्ञानिक संस्था को, बचेगा।

(7) वह अपने द्वारा विनिर्मित औषधि का भण्डारण केवल लाइसेन्स प्राप्त परिसर में ही करेगा।

(8) वह अपने द्वारा विनिर्मित औषधि को अपने लाइसेन्स प्राप्त परिसर में सेवन करने की अनुमति किसी को नहीं देगा।

(39) वह अपने लाइसेन्स प्राप्त परिसर का निरीक्षण करने देगा और मांग करने पर आबकारी विभाग के किसी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, या कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रू‍प से या

सामान्यतः सशक्त किसी अन्य अधिकारी को अपना लाइसेन्स और औषधि की बिक्री का लेखा तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

(10) वह आबकारी आयुक्त या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने के लिये विहित समस्त विवरण पत्र और विवरणियां ठीक समय पर नियत दिनांक को प्रस्तुत करेगा।

(11) वह निम्नलिखित निदर्शन–पत्र (प्रोफार्मा) में दैनिक लेखा रखेगा–

दिनांक विनिर्मित औषधि विनिर्माण का प्रारम्भिक अतिशेष	विनिर्मित औषधि की प्राप्ति	योग	औषधि के विनिर्मित औषधि के लिये दी गई	औषधि का अतिशेष	
1 2	3	4	5	6	
औषधि का नाम	उत्पादित कुल मात्रा	विक्रय की गई मात्रा	क्रेता का नाम और पूरा पता	प्राधिकार जिसके अधीन औषधि बेची गई	औषधि का अतिशेष अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12 13

(12) वह भारत के किसी भी राज्य में औषधि का निर्यात नहीं करेगा जब तक कि निर्यात नियमों का पूर्णतः अनुपालन न किया जाय।

(13) वह अपनी विनिर्मित औषधि का सम्भरण औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश या आबकारी आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट सीनों से ही प्राप्त करेगा।

(14) कि वह आबकारी आयुक्त को 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली प्रत्येक तिमाही के अन्त में किन्तु उस तिमाही के, जिससे यह सम्बन्धित है, अनुवर्ती मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व प्रपत्र ''ख'' में स्वापक औषधि के आयात, निर्यात और स्टाक से सम्बंधित आंकड़े जो सम्बन्धित सर्किल के आबकारी निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और परीक्षित हों, प्रस्तुत करेगा।

(15) उसके लाइसेन्स–1(एल–1) या लाइसेन्स– 2 (एल–2) के रद्द किये जाने की स्थिति में यह लाइसेन्स, जहां तक इसका सम्बंध औषधि के विनिर्माण से है, स्वतः रद्द हो जायेगा।

(16) यदि लाइसेन्सधारी द्वारा स्वयं या उनके भागीदार या अभिकर्ता या उस परिसर में, जिसके लिये लाइसेन्स दिया गया है, सेवायोजित या कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों का या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का या ऊपर उल्लिखित शर्तोंका उल्लंघन किया जाता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा यह लाइसेन्स रद्द किया जा सकता है।

दिनांक
स्थान–

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र 'ख'

..... को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान–स्वापक औषधि के आयात, निर्यात और स्टाक का विवरण।

(लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी द्वारा उस तिमाही की, जिसके सम्बंध में विवरण–पत्र है, समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत करने हेतु)।

जिले का नाम .....
.....

लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी का नाम और पता .....
.....

1. विनिमित औषधि का नाम
2. पूर्ववर्ती तिमाही के अन्तिम दिन का स्टाक
3. तिमाही के दौरान विदेशों से आयात
4. तिमाही के दौरान भारत के अन्य राज्यों से आयात
5. तिमाही के दौरान राज्य में अन्य व्यापारियों से कय, यदि कोई हो
6. कुल प्राप्तियां
7. तिमाही के दौरान विदेशों को निर्यात
8. तिमाही के दौरान भारत के अन्य राज्यों को निर्यात
9. तिमाही के दौरान राज्य में स्वापक औषधि लाइसेन्स–व्यापारी लाइसेन्स रखने वाले विनिर्मिताओं की बिकी
10. तिमाही के दौरान राज्य में सिविल अस्पतालों और इसी प्रकार की संस्थाओं को बिकी
11. तिमाही के दौरान राज्य में अन्य अनुज्ञा–पत्रधारियों को यदि कोई हो, बिकी
12. स्वापक, औषधि लाइसेन्स रसायनज्ञ (एन. डी. एल. सी.) लाइसेन्सधारियों को बिकी की गयी मात्रा
13. कुल व्यय की गयी मात्रा

14. तिमाही के अन्तिम दिन स्टाक

(लाइसेन्सधारी के हस्ताक्षर सम्बद्ध सर्किल के आबकारी निरीक्षक द्वारा सत्यापन।

फार्म
(एन.डी. एल. सी.)
प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि लाइसेन्स–रसायनज्ञ
खनियम 2 (ग्यारह) तथा 17 (2),
लाइसेन्स प्राप्त रसायनों द्वारा निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों के कय, कब्जे में रखने और विकय के लिए लाइसेन्स

जिला .....
.....

लाइसेन्स की संख्या .....
.....

रसायनज्ञ का नाम .....
.

दुकान का स्थान .....

विदित हो कि रसायनज्ञ .....

निवासी ..... को
एतद्द्वारा .....

..... के कलेक्टर द्वारा, निम्नलिखित शर्तोंके अधीन 100 रुप्ये की लाइसेंस फीस देने पर, इस लाइसेंस के दिनांक से 31 मार्च, 198 तक के लिये औषधि के रूप में निर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित औषधियों के .....
..... में कय, विकय और कब्जे में रखने के लये प्राधिकृत किया जाता है।

1– कि वह इस लाइसेंस को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(क) कि उसकि कब्जे में औषधियों में निहित मार्फीन के साथ डाइकेटिलनोरफिन की कुल मात्रा समग्र रू‍प में 10 ग्राम से अधिक नहीं होगी।

(ख) कि उसके कब्जे में भांग (हेम्प) के अर्क और टिचर की प्रत्येक की कुल मात्रा 200 ग्राम या ऐसी अधिक मात्रा, जो आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से कलेक्टर के द्वारा निर्धारित की जाय, से अधिक नहीं होगी।

(ग) कि वह अपने कब्जे में कुल मिलाकर 10 ग्राम से अधिक कोकेन किसी भी समय नहीं रखेगा।

(घ) कि वह अपने कब्जे में ऐसी अन्य स्वापक औषधियों की ऐसी मात्रा से अधिक मात्रा किसी भी समय नहीं रखेगा जिनमें 50 ग्राम से अधिक सकिय अंश हो।

टिप्पणी– कोकेन की निर्मित या सम्मिश्रण की स्थिति में इस खण्ड के अधीन कब्जे में रखने की सीमा या इस खण्ड के अधीन बिकी की सीमा कोकेन की मात्रा से जो वास्तव में ऐसी निर्मित या सम्मिश्रण में हो, अवधारित की जायेगी।

(2) कि वह औषधियों का भण्डारण और विकय केवल उसी परिसर में करेगा जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है, और यह कि वह किसी पृथक, लाइसेंस के बिना औषधियों का विकय या भण्डारण किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा।

(3) कि वह इन लाइसेंस के अधीन विकय की जाने वाली औषधियों को किसी लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ, लाइसेंस प्राप्त व्यापारी या सरकारी अफीम और ऐल्केलाइड संकर्म, गाजीपुर से कय करेगा और यह कि वह कहीं अन्यत्र से प्राप्त औषधियों को न तो ग्रहण करेगा और न उन्हें अपने कब्जे में रखेगा।

(4) कि यदि उसे भारत के बाहर से औषधियों का आयात करने की अनुज्ञा दी गयी है तो वह प्रत्येक अवसर पर जब वह औषधियां आयात करना चाहता है और उनके लिये मांग–पत्र भेजने से पूर्व कलेक्टर से आयात अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करेगा और ऐसे अन्य नियमों के अनुरूप, जो केन्द्रीय सरकार बनाये, कार्य करेगा।

(5) कि वह निम्नलिखित शर्तोंके अधीन रहते हुए नुसखे पर औषधियों का विकय कर सकता हैः–

(क) वह औषधियों का विकय ऐसी मात्रा में और केवल ऐसे व्यक्ति के प्रयोग के लिये करेगा जो नुसखे में विनिर्दिष्ट हो।

(ख) यदि नुसखे में अनुमोतदित व्यवयासी द्वारा यह अपरिलेखन न हो कि औषधि की पुनरावृत्ति की जानी है और कितने समय के अन्तराल पर पुनरावृत्ति की जानी है तो वह ऐसे नुसखे पर औषधियों का विकय केवल एक बार करेगा और नुसखे को अपने पास रख लेगा, किन्तु वह पहले नुसखा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह चेतावनी देगा कि यदि नुसखे पर यथा पूवोक्त उपरिलेखन न होगा तो उसे रख लिया जायेगा।

(ग) यदि नुसखे पर, यथापूर्वोक्त उपरिलेखन है तो वह नुसखे पर बिकी का दिनांक लिखेगा और नुसखे पर हस्ताक्षर करेगा या मुहर लगायेगा, परन्तु यदि यह प्रतीत हो कि नुखसे पर औषधि पहले ही छः बार या उतनी बार जितनी नुसखे पर पुनरावृत्ति अपेक्षित है, बेची जा चुकी है या यह कि जब नुसखे पर पिछली बार औषधि दी गयी थी तब से उपरिलेखन में विनिदिष्ट अन्तराल व्यतीत नहीं हुआ है, तो वह ऐसे नुसखे पर तब तक औषधि नहीं बेचेगा। जब तक कि अनुमोदित व्यवसायी द्वारा इस निर्मित्त नुसखे पर पुनः न लिखा जाय।

नुसखे पर औषधि पहले ही छः बार या उतनी बार जितनी नुसखे पर पुनरावृत्ति अपेक्षित है, बेची जा चुकी है या यह कि जब नुसखे पर पिछली बार औषधि दी गयी थी तब से उपरिलेखन में विनिर्दिष्ट अन्तराल व्यतीत नहीं हुआ है, तो वह ऐसे नुसखे पर तब तक औषधि नहीं बेचेगा जब तक कि अनुमोदित व्यवसायी द्वारा इस निर्मित्त नुसखे पर पुनः न लिखा जाय।

(6) कि वह नुसखे से भिन्न प्रकार से औषधि की बिक्री––

(क) लाइसेंस प्राप्त रसायनज्ञ को,

(ख) अनुमोदित व्यवसायी को,

(ग) कलेक्टर द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रबन्ध या पर्यवेक्षण में किसी अस्पताल या औषधालय का प्रभार हो, कर सकता है।

(7) कि वह निम्नलिखित प्रपत्र में लेखा रखेगा और उसमें प्रविटिष्टयां उसी दिन की जायेगी जिस दिन संव्यवहार किया जाय।

दिनांक	प्रारम्भिक अतिशेष को प्राप्त मात्रा और जब प्राप्त हुयी	दिन ..... लेखा रखा जायेगा	कुल मात्रा जिसका को विकय की गयी मात्रा	दिन	केता का नाम
1	2	3	4	5	6
पता	नुसखे का दिनांक (यदि कोई हो) और चिकित्सा व्यवसायी का नाम जिसने स्वीकृत किया		स्टाक में अवशेष मात्रा		अभ्युक्तियां
7	8		9		10

(8) कि वह कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा विशेष रूप से या सामान्यतया प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग कने पर अपना लाइसेंस, औषधि की बिक्री का लेखा और ऐसा नुसखा जिसके प्राधिकार से बिक्री की गयी है निरीक्षण के लिये तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

(9) यह लाइसेंस स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबन्धों का या उनके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों का या ऊपर उल्लिखित शर्तोंका स्वयं लाइसेंसधारी या उसके भागीदार या अभिकर्ता या उस परिसर में जिसके लिये लाइसेंस दिया गया है सेवायोजित या कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है।

(10) कि वह ऐसे समस्त विवरण–पत्र और विवरणियां जो प्रस्तुत के लिये प्राधिकारी को नियत दिनांक पर प्रस्तुत करेगा।

(11) कि वह इस लाइसेंस की शर्तोंके सम्यक् अनुपालन के लिये सम्यक् रूप से कलेक्टर के नाम प्रतिश्रुत 1000 रुप्ये की धनराशि नकदी में सरकारी बचत–पत्र के रूप में या ऐसी अन्य मूल्यवान प्रत्याभूतियों के रूप में जैसी आवकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाय, कलेक्टर के पास जमा करेगा। इस लाइसेंस की शर्तोंके उल्लंघन या संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910, स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन दोषसिद्धि की दशा में उक्त अधिनियमों के अधीन अधिरोपित श्शास्तियों के, अतिरिक्त प्रत्याभूति से सहपहृत कर ली जायेगी।

स्थान
दिनांक 198 कलेक्टर

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन. डी. टी)
खनियम 18 (1) (2),
विनिर्मित औषधियो के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र
(प्रथम प्रति)
(लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी या लाइसेन्स प्राप्त रसायनज्ञ को देने के लिए)

अनुज्ञा–पत्र जारी करने का दिनांक	लाइसेंसधारी या विनिर्मित औषधि अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता स्थान जहां से विनिर्मित औषधि का परिवहनके व्योरे के साथ किया जायेगा	मात्रा
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि केपरेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा सत्यापन	अभ्युक्तियां
6	7	8	9

———————————————

प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)
खनियम 18 (1) (2),
विनिर्मित औषधि के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र
(द्वितीय प्रति)
(उस जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करने हेतु जहां से परिवहन किया जायेगा)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा पत्र धारी का नाम	पता स्थान जहां से विनिर्मित मित औषधि का परिवहन किया जायेगा	विनिर्मित औषधि के साथ मात्रा के व्योरे के
1	2	3	4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा अभ्युक्तियां सत्यापन
6	7	8	9

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)
खनियम 18 (1) (2),
विनिर्मित औषधियों के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र
(तृतीय प्रति)
(उस व्यापारी को देने हेतु जिससे क्रय किया जायेगा)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता स्थान जहां से विनिर्मित विनिर्मित औषधि मित औषधि का परिहवन किया जायेगा	स्थान के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3 4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा अभ्युक्तियां सत्यापन
6	7 8	9

प्रपत्र स्वापक औषधि परिवहन (फार्म एन. डी. टी.)
खनियम 18 (1) (2),
विनिर्मित औषधि के परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र
(चतुर्थ प्रति)
(अभिलेख के लिए रखी जायेगी)

अनुज्ञा–पत्र देने का दिनांक	लाइसेंसधारी या अनुज्ञा–पत्र धारी का नाम	पता स्थान जहां से विनिर्मित विनिर्मित औषधि मित औषधि का परिवहन किया जायेगा	स्थान के व्योरे के साथ मात्रा
1	2	3 4	5

विनिर्मित औषधि के परेषण का गन्तव्य स्थान और जिला	औषधि सम्भरणकर्ता के हस्ताक्षर	प्राधिकारी द्वारा अभ्युक्तियां सत्यापन
6	7	8 9

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–1 (फार्म संख्या– एन. डी. पी. एस.–1)

(नियम 23, 24 तथा 25)

लाइसेंस प्राप्त व्यापारी पोस्त तृण के कय, भाण्डारण और विकय के लिए लाइसेंस

रजिस्टर संख्या ....

लाइसेंसधारी का नाम ....

विकेता का नाम ....

परिसर का निश्चित विवरण जहां पर पोस्त–तृण ...

स्टाक किया जायेगा और बेचा जायेगा। .....

एतद्द्वारा यह लाइसेंस स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत और उनके उपबन्धों के अधीन .... निवासी ..... को (जिसे आगे लाइसेंसधारी कहा गया है) 100 रुपये (केवल एक सौ रुपये) की लाइसेंस फीस देने पर स्वीकृत किया जाता है, जिसमें उन्हें .... जिला ..... में निम्नलिखित शर्तोंके अधीन पोस्त तृण कय करने, कब्जे में रखने और विकय करने का प्राधिकार दिया गया है, अर्थात् :–

शर्तें

1– यह लाइसेंस ..... से 31 मार्च, 198 तक (दोनों दिन सम्मिलित हैं) प्रवृत्त रहेगा।

2– लाइसेंसधारी जैसा कि उत्तर प्रदेश स्वापक औषषि नियमावली, 1986 के अधीन अनुज्ञा दी गई है, उसके सिवाय पोस्त तृण प्राप्त नहीं करेगा।

3–लाइसेंसधारी उपर्युक्त परिसर के अलावा अन्यत्र पोस्त तृण नहीं रखेगा।

4– लाइसेंधारी इस लाइसेंस में प्रदर्शित परिसर से ही बिक्री करेगा।

5– लाइसेंसधारी द्वारा इस लाइसेंस के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न कोई भी पोस्त तृण न कब्जे में रखा जायेगा और न बेचा जायेगा। वह बिक्री के प्रयोजनार्थ अपनी दुकान न तो कब्जे में रखा जायेगा और न बेचा जायेगा। वह बिक्री के प्रयोजनार्थ अपनी दुकान न तो सूर्योदय से पहले खोलेगा और न सूर्यास्त के बाद खुल रखेगा।

6– लाइसेंसधारी केवल पोस्त–तृण बेचेगा। वह न तो किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का कोई स्टाक रखेगा और न तो पोस्त तृण (जिसे वह बेचने के लिए प्राधिकृत है) के साथ मिश्रित करके या अलग से बेचेगा।

7– लाइसेंसधारी पोस्त–तृण का विक्रय केवल उसी प्रकार करेगा जैसा उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में विहित है।

8–वह केवल उन व्यक्तियों को ही विक्रय करेगा जिनके पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के अधीन जारी किया गया प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 में लाइसेंस हो या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) नियम, 1956 के अधीन जारी किया गया प्रपत्र एल.–1 एल.–2 में लाइसेंस हो।

9– दुकान के प्रवेश द्वारा पर लाइसेंसधारी द्वारा एक संकेत पट्ट लगाया जायेगा जिस पर लाइसेंसधरी का नाम और पदाभिधान लाइसेंस प्राप्त पोस्त–तृण के व्यापारी प्रदर्शित होगा।

10–लाइसेंसधारी उपर्युक्त परिसर में किसी भी रूप में पोस्त–तृण के सेवन की अनुज्ञा नही देगा।

11– लाइसेंसधारी किसी भी व्यक्ति अपनी ओर से बिक्री करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम उसके द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन के लिए पहले से प्रस्तुत न किया गया हो औरउसके अनुमोदन के पश्चात् उसका सम्यक् रूप से पृष्ठांकन लाइसेंस में न कर दिया गया हो।

12– लाइसेंसधारी तराजू और बांट सही और अच्छी दशा में रखेगा।

13– लाइसेंसधारी पोस्त–तृण की दैनिक प्राप्ति और बिक्री का लेखा प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण–6 में रखेगा।

14– लाइसेंसधारी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सशक्त किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग करने पर अपना लाइसेंस और लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और किसी ऐसे अधिकारी को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किसी भी समय अपने परिसर में प्रवेश करने देगा। वह ऐसे अधिकारी को पोस्त तृण के स्टाक की जांच करने और उसका नमूना लेने देगा।

15– लाइसेंसधारी इस लाइसेंस प्रदत्त विशेषाधिकारों का न तो विकय करेगा न अन्तरण करेगा न उपट्टा पर देगा और इस लाइसेंस के अधीन किये जाने वाले कारबार में किसी व्यक्ति को कलेक्टर की अनुमति के सिवाय भागीदार नहीं बनायेगा।

16– इस लाइसेंस की किसी भी श्शर्त के या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा लाइसेंसधारी पर अधिरोपित किसी श्शर्त के उल्लंघन पर, कलेक्टर द्वारा यह लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा, और जिस पोस्त–तृण के सम्बंध में ऐसा उल्लंघन किया जाय, उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार समपहृत कर लिया जायेगा।

17– यदि इस लाइसेंस का नवीनकरण उसकी समाप्ति पर न किया जाय तो लाइसेंसधारी अप्रयुक्त पोस्त–तृण के स्टाक का निस्तारण उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 20 (3) (क), (ख) (ग), (घ) और (च) में निर्धारित रीति से तुरन्त कर देगा।

18– लाइसेंसधारी उस लेखा को भी सौंप देगा जिसका उसके द्वारा इस लाइसेंस के अधीन रखना अपेक्षित है।

जिला .....

दिनांक ..... कलेक्टर

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण–2 (फार्म संख्या– एन. डी. पी. एस.–2)

(नियम–26)

उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों के लिए पोस्त तृण को कय करने, कब्जे में रखने परिवहन और उपयोग करने के लिए अनुज्ञा–पत्र

1– अनुज्ञा–पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और .....

.....

और वृत्ति .....

..

2– पिता/पति का नाम .....

..

3– स्थायी पता .....

4– प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र दिया जाय .....
.....

5– पोस्त तृण की अनुज्ञात मात्रा .....

6– पोस्त तृण के प्रयोग करने के स्थान का विवरिण .....
.....

7– वह अवधि जिसके दौरान पोस्त तृण का प्रयोग किया जायेगा। .....
.....

8– लाइसेंस प्राप्त दुकान का नाम जहां से पोस्त .....
तृण प्राप्त किया जायेगा। .....

9– अनुज्ञा–पत्र के लिए जमा की गयी फीस .....

10– अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तवाधि .... से ..... तक

यह अनुज्ञा–पत्र, जो कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत और उनके उपबन्धों के अधीन ..... निवासी ..... को (जिसे आगे अनुज्ञा–पत्र धारी कहा गया है) दिया जाता है जिसमें उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन वैज्ञानिक/औषधीय प्रयोजनों के लिए पोस्त तृण का परिवहन करने और कब्जे में रखने के लिए प्राधिकार दिया गया है।

शर्तें

1– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को यथासंभव श्शीघ्र किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर प्रति–हस्ताक्षर के लिए सीानीय आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने पोस्त–तृण का संभरण केवल ऐसे लाइसेंस प्राप्त व्यापारी से, जिसके पास प्रपत्र स्वापक औषधि पोस्त तृण में लाइसेंस हो, प्राप्त करेगा और उसे प्रयोग के लिए अनुमोदित स्थान को अविलम्ब निकटतम मार्ग से ले जायेगा औरवह अभिवहन में परेषण को गड़बड नहीं करेगा।

3– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को पोस्त तृण कय करते समय लाइसेंस प्राप्त व्यापारी को अनुज्ञा–पत्रधारी को बेची गयी पोस्त तृण की मात्रा की अनुज्ञा–पत्र के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकित करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

4– यह अनुज्ञा–पत्र अन्तरणीय है और अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही दिया जाता है।

5–इस अनुज्ञा पत्र पर प्राप्त पोस्त तृण का या को मुक्त दान या बिकी के रूप में अन्तरण पूर्णतः प्रतिषद्ध है।

6– इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न कोई भी पोस्त तृण अनुज्ञा–पत्र धारी द्वारा न तो परिवहन किया जायेगा न कब्जे में रखा जायेगा और न प्रयोग किया जायेगा।

7– इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन स्वीकृत पोस्त तृण का परिहवन करने और कब्जे में रखने का विशेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक इस अनुज्ञा पत्र के अनुसार उसका प्रयोग आनुषंगिक है।

8– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने द्वारा कय किये गये और प्रयुक्त पोस्त तृण की मात्रा का नियमित लेखा इससे संलग्न विहित प्रपत्र ''ग'' में रखेगा।

9–अनुज्ञा–पत्रधारी अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तनावधि के दौरान अपने लेखा में अन्ति अतिशेष के रूप में दिखायी गयी मात्रा से अधिक पोस्त तृण किसी भी समय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

10– अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा ऐसी वस्तु का जिसके उत्पादन से पोस्त तृण का प्रयोग आनुषंगिक है, कब्जे में रखना और व्यय करना उचित होगा। परन्तु जब उत्पादित वस्तु औषधीय निर्मित हो, जब उसका बिकय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में अनुज्ञा पत्रधारी स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद श्शुल्क) अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अतिलंघन नहीं किया जायेगा।

11– अनुज्ञा–पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी के न हों, मांग करने पर इस अनुज्ञा–पत्र को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

12– उपर्युक्त किसी श्शर्त का या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 द्वारा यह उसके अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा अधिरोपित किसी श्शर्त का अतिलंघन करने पर यह अनुज्ञा–पत्र रद्द किया जा सकता है और स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

13– यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा–पत्र अभ्यर्पित, निलम्बित या रद्द कर दिया जायेगा, या इसकी समाप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो लाइसेंन्सधारी अप्रयुक्त पोस्त तृण के स्टाक का निस्तारण उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 20 (क), (ख), (ग) (घ) और (च) में निर्धारित रीति से तुरन्त कर देगा।

जिला ——————————————

कलेक्टर

दिनांकः– ——————————————

प्रपत्र–ग

क–अनुज्ञा पत्रधारी द्वारा कय किये पोस्त तृण का ब्योरा

दिनांक	कय के लिए अनुज्ञात पोस्त तृण की कुल मात्रा	कय की गयी पोस्त तृण की मात्रा	कय की गयी पोस्त तृण की मात्रा का योग	लाइसेन्स प्राप्त विक्रेता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

ख–प्राप्त पोस्त तृण के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक अतिशेष धारी के	प्राप्त हस्तगण मात्रा	कुल मात्रा	प्रयुक्त मात्रा का ढंग	अन्तिम अतिशेष	संक्षेप में उपयोग करने	अनुज्ञा–पत्र धारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या औषधि पोस्त तृण–3 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –3)

खनियम 29 (1) (2),

पोस्त तृण के परिवहन के लिए पास

(प्रथम प्रति)

(उस क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित करने हेतु जहां से परिवहन किया जायेगा)

कम संख्या ———————————— दिनांक ————————————
198
श्री/सर्वश्री ————————————————————————————
को
एतद्द्वारा ————————————————से
———————————— तक
पोस्त तृण का, जिसका विस्तृण वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता हैः—

———————————————————————————————————————

परिहवन किये जाने वाले पोस्त तृण की कुल मात्रा — बंडल संख्या — कुल वनज

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

यह पस उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता हैः

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————— 19———————— तक जिसमें ————————— 19———————— भी सम्मिलित है, प्रवृत रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————

टिप्पणी— जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त तृण—3 (फार्म एन. डी. पी. एस.—3)
खनियम 29 (1) (2),
पोस्त तृण के परिवहन के लिए पास
(द्वितीय प्रति)
(गन्तव्य स्थान के आबकारी निरीक्षक को भेजने हेतु)
कम—संख्या ..... दिनांक .....
.....

श्री / सर्वश्री ..... को एतद्द्वारा .... से
..... तक
पोस्त–तृण का, जिसका विस्तुत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए
——————————————————————————————————————

प्राधिकृत किया जाता है बन्डल
परिवहन किये जाने वाले पोस्त तृण
की कुल मात्रा संख्या कुल वनज
——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————
यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है।
(1) परेषण अधिवहन में तोड़ा नहीं जायेगा।
(2) यह पास ..... 19 ..... तक जिसमें ..... 19 ..... भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय
(1) परिवहन किये गये पोस्त–तृण की मात्रा जो प्राप्त हुई।
(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।
(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण– 3 (फार्म सं. एन. डी. पी. एस–3)
खनियम 29 (1) (2),
पोस्त–तृण के परिवहन के लिए पास
(तृतीय प्रति)
(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदन को देने के लिए)
कम–संख्या ..... दिनांक .....
.....
श्री / सर्वश्री .....को ..... एतद्द्वारा .....
.....से .....
त्क पोस्त तृण का, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:
——————————————————————————————————————

परिवहन किये जाने वाले पोस्त–तृण बन्डल
की कुल मात्रा

संख्या कुल वनज

———

—

———

—

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता हैः

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————— 19 ———————— तक जिसमें ———19 ——— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर पदनाम

थटिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर–

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–3 (फार्म सं. एन. डी. पी. एस. –3)

खनियम 29 (1) (2),

पोस्ततृण क परिवहन के लिए पास

(चतुर्थ प्रति)

(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

कम संख्या ———————— दिनांक ———————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————— को ——— एतद्द्वारा ——— से ——— तक पोस्त–तृण का, जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, परिवहन करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

———————————————————————————————————————

बन्डल

परिवहन किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा

————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेश औषधि नियमावली, 1986 के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है:

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————— 198 ———————— तक जिसमें ———— 19————————

———————— भी सम्मिलित हैं, प्रवृत रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————

टिप्पणी– जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।

(1) परिवहन किये गये पोस्त–तृण की मात्रा जो वास्तव में प्राप्त हुई।

(2) परेषण की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण।

(3) परेषिती का हस्ताक्षर।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)

खनियम 33 (1) (2),

पोस्त तृण के आयात के लिए पास

(प्रथम पति)

(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदन को देने के लिये)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————— 19————————

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———— से ———— तक पोस्त तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जात है।

———————————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त तृण की कुल मात्रा

————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है।

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——————— तक जिसमें ——————————

19 ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी
का हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र स्वापक औषधि–परिवहन (फार्म एन.डी. टी.)
खनियम 33 (1) (2),
पोस्त तृण आयात के लिए पास
(द्वितीय प्रति)
(निर्यात के जिले के कलेक्टर को अग्रसारित करने के लिये)
कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ————तकप पोस्त तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

——

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा
————————————————

संख्या कुल वनज

——

——

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————19 ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)
खनियम 33 (1) (2),
पोस्त तृण के आयात के लिए पास
(तृतीय प्रति)
(आयात के सर्किल के आबकारी निरीक्षक को भेजने हेतु)
कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ————19–

——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है

———————————————————————————————————————
—

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा

————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————
————

———————————————————————————————————————
———

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ———— तक जिसमें ————————19 ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————
——

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–4 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –4)
खनियम 33 (1) (2),
पोस्त तृण के आयात के लिए पास
(चतुर्थ प्रति)
(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

क्रम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ——————

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ————————तक–

————— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, आयात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

———————————————————————————————————————
—

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा

————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————
————

———————————————————————————————————————
———
यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————————19 ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————
——————
टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।
प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
खनियम 34 (1) (2),
पोस्त तृण के आयात के लिए पास
(प्रथम पति)
(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदक को देने के लिये)
कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ——————
श्री / सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ————————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।
———————————————————————————————————————
–

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा
————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————
———————
———————————————————————————————————————
———
यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ————————
———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का

हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
खनियम 35 (1) (2),
पोस्त तृण के निर्यात के लिए पास
(प्रथम पति)
(परेषण के साथ लगाने हेतु आवेदक को देने के लिये)
क्रम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ———

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ———————तक–
——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

———————————————————————————————————————

बन्डल

आयात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा
————————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
खनियम 35 (1) (2),

पोस्त तृण के निर्यात के लिए पास
(द्वितीय प्रति)
(निर्यात के सर्किल के आबकारी निरीक्षक को देने के लिये)
कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ——————

श्री / सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ——————तक–

——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

——

बन्डल

निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा
————————————————

	संख्या	कुल वनज

——

——

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है
(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।
(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ———————— ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

——

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।
प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
खनियम 35 (1) (2),
पोस्त तृण के आयात के लिए पास
(तृतीय प्रति)
(आयात के जिले के कलेक्टर को देने के लिये)
कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ——————

श्री / सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ——————तक–

——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

——
—

बन्डल

निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा

————————————————

संख्या कुल वनज

——
————

——
———

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ———————— ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम

——
——————

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–5 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –5)
खनियम 35 (1) (2),
पोस्त तृण के आयात के लिए पास
(चतुर्थ प्रति)
(अभिलेख के लिये रखी जायेगी)

कम–संख्या ———————————— दिनांक ———————————— 19 ——————

श्री/सर्वश्री ———————————— को एतद्द्वारा ———————————— से ————————तक–

——— तक पोस्त–तृण का जिसका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है, निर्यात करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

——
—

बन्डल

निर्यात किये जाने वाले पोस्त–तृण की कुल मात्रा

———————————————

संख्या कुल वनज

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

यह पास उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत और निम्नलिखित शर्तोंके अधीन दिया जाता है

(1) परेषण अभिवहन में नहीं तोड़ा जायेगा।

(2) यह पास ———————————— 19 ——— तक जिसमें ———————— ———————————— भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

पास जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

———————————————————————————————————————

टिप्पणी– जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि पोस्त–तृण–6 (फार्म संख्या एन. डी. पी. एस. –6) खनियम 42,

लाइसेंस प्राप्त व्यापारी द्वारा माह ———————————— 19 ———————— के दौरान कय और विकय किये गये पोस्त तृण के लेखा का रजिस्टर

लाइसेंसधारी का नाम ————————————

———————————————————————————————————————

दिनांक	प्रारम्भिक अतिशेष	कय की गयी मात्रा	लाइसेंस धारी का नाम और पता जिससे कय किया गया	कलेक्टर द्वारा या खेतिहर परिवहन या आतात पास की संख्या और दिनांक	स्वीकृत	और 3 गयी मात्रा का योग
1	2	3	4	5	6	7

———————————————————————————————————————

केता या अनुज्ञा–पत्रधारी का अभ्युक्ति	कलेक्टर द्वारा ऐसी बिकी के लिये	अन्तिम
नाम और पता जिसे विकय किया गया	स्वीकृत परिवहन या निर्यात पास याविशेष अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक	अतिशेष
8	9 10	11

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
खनियम 53 (3),
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(प्रथम प्रति)
(परेषण के साथ लगाने के लिये आवेदक को देने हेतु)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ———————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां
1	2	3

यह पास ———————————————————— तक विधिमान्य है

दिनांक : कलेक्टर

(पृष्ठ भाग)

निर्यात वास्तव में निर्यात निर्यात सर्किल के गन्तव्य स्थान पर भिन्नता यदि आयात करने वाले का की गई विनिर्मित आबकारी निरी– प्राप्त विनिर्मित कोई हो जिले के सत्यापन दिनांक औषधि की मात्रा क्षक का हस्ताक्षर औषधि की मात्रा

अधिकारी

हस्ताक्षर

---

1 2 3 4 5 6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
खनियम 53 (3),
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(द्वितीय प्रति)
(निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी)
एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ———————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा मात्रा अभ्युक्तियां

---

1 2 3

यह पास ———————————————————— तक विधिमान्य है
दिनांक : कलेक्टर
(पृष्ठ भाग)

निर्यात का दिनांक वास्तव में निर्यात की गई विनिर्मित औषधि की मात्रा निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक का सत्यापन अधि गन्तव्य स्थान वाले जिले के आबकारी निरीक्षक का पर प्राप्त विनि मित औषधि हो विभिन्नता यदि कोई

		हस्ताक्षर	की मात्रा		कारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
खनियम 53 (3),
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(तृतीय प्रति)
(आयात जिले के कलेक्टर को भेजी जायगी)
एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा		मात्रा	अभ्युक्तियां
1		2	3

यह पास ———————————————————— तक विधिमान्य है
दिनांक : कलेक्टर
(पृष्ठ भाग)

निर्यात का दिनांक	वास्तव में निर्यात की गई विनिर्मित औषधि की मात्रा	निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक का सत्यापन अधि	गन्तव्य स्थान वाले जिले के पर प्राप्त विनि मित औषधि	विभिन्नता यदि कोई हो

		हस्ताक्षर	की मात्रा		कारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ई.)
खनियम 53 (3),
विनिर्मित औषधियों के लिये निर्यात पास
(चुतर्थ प्रति)
(अभिलेख के लिए रखी जायेगी)

एतद्द्वारा श्री/सर्वश्री ———————————— को ———————— द्वारा जारी कि गये आयात प्राधिकार–पत्र के आधार पर, श्री/सर्वश्री ———————————— को निम्नलिखित विनिर्मित औषधियों के निर्यात के लिये पास दिया जाता है:–

विनिर्मित औषधि का ब्योरा	मात्रा	अभ्युक्तियां
1	2	3

वह पास ———————————————————— तक विधिमान्य है

दिनांक : कलेक्टर

(पृष्ठ भाग)

निर्यात का दिनांक	वास्तव में निर्यात की गई	निर्यात सर्किल के आबकारी वाले जिले के	गन्तव्य स्थान पर प्राप्त विनि	विभिन्नता यदि कोई

	औषधि की मात्रा सत्यापन अधि	निरीक्षक का हस्ताक्षर	मित औषधि की मात्रा	हो	कारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फार्म एन. डी. ओ.–1)
खनियम 64 (2) तथा 66,
उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के आधार पर मुख से सेवन के प्रयोजनार्थ अफीम को कब्जे में रखने और उसके परिवहन के लिए अनुज्ञा–पत्र
(तीन प्रतियों में)
1– स्वापक औषधि आदेश–3 के रजिस्टर में अफीम अनुज्ञा–पत्रधारी की कम संख्या–
——
2– अनुज्ञा पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और वृत्ति .....
.....
.....
3–आयु .....
.....
4– पिता/पति का नाम .....
.....
5– स्थायी पता .....
.....
6– चिकित्सा प्रमाण–पत्र का निर्देश .....
.....(1) चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण–पत्र का दिनांक .....
.....(2) प्रतिमास अफीम की अनुशंसित मात्रा .....
.....(3) अनुज्ञा–पत्रधारी के शरीर पर पहचान चिन्ह जो नियुक्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा सत्यापित किया गयाः
(1)
(2)
(3)
7– कलेक्टर या जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिमाह के लिए अनुज्ञात अफीम का कोटाः
(क) 30 जुन ———————————— को समाप्त होने वाली तिमाही।
(ख) 30 सितम्बर, ———————————— को समाप्त होने वाली तिमाही।
(ग) 31 दिसम्बर, ———————————— को समाप्त होने वाली तिमाही।
(घ) 31 मार्च, ———————————— को समाप्त होने वाली तिमाही।
8– अनुज्ञा–पत्रधारियों के पते में पश्चात्वर्ती परिवर्तन (यदि कोई हो) यह अनुज्ञा–पत्र उत्तर प्रदेश स्वाषक औषधि नियमावली, 1985 के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्रधारी शर्तोंके अधीन अफीम को कब्जे में रखने और परिवहन करने के लिए प्राधिकार दिया गया है।

षर्तें

1– यह अनुज्ञा–पत्र ..... से 31 मार्च, 19 .....
.. (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक प्रवृत्त रहेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को, यथासंभव श्शीघ्र और किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर सीानीय आबकारी निरीक्षक को उसके प्रति–हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगा।

3– (ए) अनुज्ञा–पत्रधारी किसी एक मास के दौरान ग्राम से अधिक अफीम प्राप्त नहीं करेगाः

परन्तु यह मात्रा उत्तर–प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 के नियम 64 के उपनियम (8) के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में कम की जायेगी।

(दो) अनुज्ञा–पत्रधारी अपने कब्जे में सम्बंधित तिमाही के लिए नियत अफीम के मासिक कोटे से अधिक अफीम किसी भी समय नहीं रखेगा।

4–(एक) अनुज्ञा–पत्रधारी अपनी अफीम का सम्भरण जिले के सदर कोषागार के सिवाय अन्य किसी स्थान से प्राप्त नहीं करेगा।

(दो) अनुज्ञा–पत्रधारी कोषागार से अफीम ले जाने के पूर्व उसके कय का ब्योरा यहां संलग्न प्रपत्र– ''घ'' में कोषागर में दर्ज करायेगा।

(तीन) अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न किसी अफीम का न तो परिवहन किया जायेगा, न कब्जे में रखा जायेगा और न सेवन किया जायेगा।

(चार) अनुज्ञा–पत्रधारी अफीम को सदर कोषागार से स्वयं कय करेगा।

(पांच) इस अनुज्ञा–पत्र पर कय की गयी अफीम को अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा अविलम्ब और निकटतम मार्ग से अपने घर ले जाया जायेगा।

5– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने अनुज्ञा–पत्र में नियत मात्रा तक कय किये गये पोस्त–तृण को अपने स्थायी पते के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी स्थान पर, जहां वह अस्थायी रूप से रहे, ले जाने के लिए प्राधिकृत है।

6– अनुज्ञा–पत्रधारी, जिसका तैमासिक कोटा कलेक्टर के द्वारा कम कर दिया गया हो, इस प्रकार कम किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर परिवर्तित कोटे को अपने अनुज्ञा–पत्र विधिमान्य नहीं रह जायेगा।

7– यह अनुज्ञा–पत्र अनन्तरणीय है और अनुज्ञा–पत्रधारी के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दिया जाता है। इस अनुज्ञापत्र पर प्राप्त अफीम का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया है। अफीम का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8– इस अनुज्ञा–पत्र में स्वीकृत अफीम के कय, परिवहन और कब्जे में रखने का विशेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक वह इस अनुज्ञा–पत्र के अनुसार अफीम के सेवन से आनुर्षगिक है।

9—अनुज्ञा—पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारी द्वारा जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा जो पुलिस उपनिरीक्षक से निम्न श्रेणी का न हो, मांग करने पर इस अनुज्ञा—पत्र को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

10— उपर्युक्त किसी श्शर्त का या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित किसी श्शर्त का अतिलंघन करने पर यह अनुज्ञा—पत्र कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है और अफीम का स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

11— यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा—पत्र रद्द कर दिया जाय या इसकी समाप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो अप्रयुक्त अफीम का सम्पूर्ण स्टाक तुरन्त कलेक्टर को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

जिला .....

दिनांक ..... कलेक्टर

प्रपत्र—घ

खनियम 64()2,

..... तक अनुज्ञा—पत्रधारी के द्वारा कय की गयी अफीम का विवरण

दिनांक	चालू मास में कय के लिये अनुज्ञात अफीम की कुल मात्रा	चालू मास में कय की गई अफीम की मात्रा	चालू मास के प्रथम दिन से कय की गयी अफीम की मात्रा का चालू योग (स्तंभ—4) के बीच अंतर	चालू मास में अनुज्ञात मात्रा और चालू योग	सदर कोष गार के प्रभारी
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र स्वापक औषधि आदेश 2 (फार्म सं. एन/डी. ओ.–2)
खनियम 65 (1) (2) और 66,
उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों हेतु
अफीम को कब्जे में रखने और परिवहन करने के लिये अनुज्ञा
(तीन प्रतियों में)

1– अनुज्ञा–पत्रधारी का नाम, धर्म, राष्ट्रिकता और वृत्ति ————————————

2– पिता/पति का नाम ————————————————————————

3– स्थायी पता ————————————————————————————

4– प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञा–पत्र स्वीकृत किया गया ————————————

5– अनुज्ञात अफीम की मात्रा ————————————————————

6– अफीम का प्रयोग करने के स्थान पर विवरण ————————————————

7–वह अवधि जिसके दौरान अफीम का उपयोग किया जाना है ——————————

8– सदर कोषागार का नाम जहां से अफीम प्राप्त की जायेगी ——————————

9– अनुज्ञा–पत्र के लिये जमा की गयी फीस ————————————

10– अनुज्ञा पत्र की प्रवर्तनावधि ———————————————————— तक

यह अनुज्ञा–पत्र, जो कलेक्टर द्वारा बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनतर्गत और उसके उपबन्धों के अधीन
———————————— निवासी ———————— को (जिसे आगे 'अनुज्ञा–पत्रधारी'' कहा गया है) स्वीकृत किया जाता है जिसमें उन्हें निम्नलिखित शर्तोंके अधीन वैज्ञानिक अथवा औषधीय प्रयोजनों के हेतु अफीम का परिवहन करने और कब्जे में रखने के लिये प्राधिकार दिया गया है।

शर्तें

1–अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को, यथा सम्भव श्शीघ्र और किसी भी स्थिति में इस अनुज्ञा–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर, सीनीय आबकारी निरीक्षक को उसके प्रति–हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत करेगा।

2– अनुज्ञा–पत्रधारी अपनी अफीम का सम्भरण केवल जिला मुख्यालय के सदर कोषागार से ही प्राप्त करेगा और उसे प्रयोग के लिये अनुमोदित स्थान को अविलम्ब निकटतम मार्ग से ले जायेगा और वह अभिवहन में परेषण को गडबड़ नहीं करेगा।

3– अनुज्ञा–पत्रधारी इस अनुज्ञा–पत्र को अफीम क्रय करने के समय सदर कोषागार में अनुज्ञा–पत्रधारी को बेची गयी अफीम की मात्रा को अनुज्ञा–पत्र के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकित करने के लिये प्रस्तुत करेगा।

4– यह अनुज्ञा–पत्र अनन्तरणीय है, और अनुज्ञा–पत्र में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही दिया जाता है।

5– इस अनुज्ञा–पत्र पर प्राप्त अफीम का या तो मुक्त दान या बिक्री के रूप में अन्तरण पूर्णतः प्रतिषिद्धि हैं।

6– अनुज्ञापत्रधारी द्वारा इस अनुज्ञा–पत्र के अधीन प्राप्त पोस्त तृण से भिन्न किसी अफीम का न तो परिवहन किया जायेगा, न कब्जे में रखा जायेगा और न प्रयोग किया जायेगा।

7– इस अनुज्ञा– पत्र के अधीन स्वीकृत अफीम का परिवहन करने और कब्जे में विशेषाधिकार केवल उस सीमा तक होगा जहां तक इस अनुज्ञा–पत्र के अनुसार उसका है।

8– अनुज्ञा–पत्रधारी अपने द्वारा क्रय की गयी और प्रयुक्त अफीम की मात्रा का निर्यात लेखा इसमें संलग्न प्रपत्र ''ड'' में रखेगा।

9– अनुज्ञा–पत्रधारी अनुज्ञा–पत्र की प्रवर्तनावधि के दौरान अपने लेखा में अन्तिम रूप में दिखायी गयी मात्रा से अधिक अफीम किसी भी समय अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

10–अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा ऐसी वस्तु का जिसके उत्पादन में अफीम का प्रयोग आनुषधिक है कब्जे में रखना और व्ययन करना उचित होगा।

परन्तु जब उत्पादित वस्तु औषधिय निर्मित हो तब उसका विक्रय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि किसी भी स्थिति में अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा स्वापक औषधि और प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद–शुल्क) अधिनियम 1955 या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अतिलंघन नहीं किया जायेगा।

11–अनुज्ञा–पत्रधारी आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा, जो आबकारी निरीक्षक से निम्न श्रेणी के न हो, मांग करने पर इस अनुज्ञापत्र को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

12– उपर्युक्त किसी श्शर्त का या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 द्वारा या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित किसी श्शर्त का अतिलंघन करने पर अनुज्ञा–पत्र कलेक्टर द्वारा रद्द किया जा सकता है और स्टाक समपहृत किया जा सकता है।

13– यदि प्रवर्तनावधि के दौरान अनुज्ञा–पत्र अभ्यर्पित, निलम्बित या रद्द कर दिया जाता है या इसकी समप्ति पर नवीकृत न किया जाय तो अप्रयुक्त, अफीम का सम्पूर्ण स्टाक तुरन्त जिला आबकारी अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिया जायेगा।

जिला——————————

दिनांक —————————— कलेक्टर

प्रपत्र–''ड.''
खनियम 65 (2),
क–अनुज्ञा–पत्रधारी द्वारा कय की गयी अफीम का ब्योरा

दिनांक	कय करने के लिये अनुज्ञात अफीम की कुल मात्रा	कय की गयी अफीम की मात्रा	कय की गयी अफीम की मात्रा का चालू योग	अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

ख– प्राप्त अफीम के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक सक्षेप में अतिशेष	प्राप्त मात्रा अनुज्ञा–पत्र कुल मात्रा	हस्तगत अतिशेष	प्रयुक्त मात्रा उपयोग करने का ढंग	लघु हस्ताक्षर	अन्तिम धारी के
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–3 (फार्म सं. एन.डी. ओ.–3)
खनियम 64 (6),
अफीम के अनुज्ञा–पत्रधारियों का रजिस्टर
1– कम संख्या
2– आवेदन–पत्र का दिनांक
3–अनुज्ञा–पत्रधारी का पूरा नाम उपनाम

सहित (यदि कोई हो)

4– जाति, धर्म और वृत्ति

5– पिता/पति का नाम

6–पता मकान संख्या

मोहल्ला/ग्राम नगर,

परगना, तहसील

7– पहचान चिन्ह

8– एक मास के लिये नियत मात्रा

9– दिये गये अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक

10– कोटा में किये गये पश्चात्वर्ती परिवर्तन

11– पते में पश्चात्वर्ती परिवर्तन

12– अनुज्ञा–पत्र को रद्द करने या नवीकरण के विषय में अभियुक्त

13– अनुज्ञा–पत्र–प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा–पत्रधारी के

हस्ताक्षर

टिप्पणी

उत्तर प्रदेष स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में निम्नलिखित नियमावली द्वारा संशोधन हुआः–

प्रथम संषोधन– उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश गजट, आसाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांकित 17 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित हुई।

ख– प्राप्त अफीम के उपयोग का विवरण

दिनांक	प्रारम्भिक सक्षेप में अतिशेष	प्राप्त मात्रा अनुज्ञा–पत्र कुल मात्रा	हस्तगत अतिशेष	प्रयुक्त मात्रा करने का ढंग	लघु	अन्तिम उपयोग हस्ताक्षर धारी के

1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र संख्या स्वापक औषधि आदेश–3 (फार्म सं. एन.डी. ओ.–3)
खनियम 64 (6),
अफीम के अनुज्ञा–पत्रधारियों का रजिस्टर
1– कम संख्या

2– आवेदन–पत्र का दिनांक

3–अनुज्ञा–पत्रधारी का पूरा नाम उपनाम

सहित (यदि कोई हो)

4– जाति, धर्म और वृत्ति

5– पिता/पति का नाम

6–पता मकान संख्या

मोहल्ला/ग्राम नगर,

परगना, तहसील

7– पहचान चिन्ह

8– एक मास के लिये नियत मात्रा

9– दिये गये अनुज्ञा–पत्र की संख्या और दिनांक

10– कोटा में किये गये पश्चात्वर्ती परिवर्तन

11– पते में पश्चात्वर्ती परिवर्तन

12– अनुज्ञा–पत्र को रद्द करने या नवीकरण के विषय में अभियुक्त

13– अनुज्ञा–पत्र–प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप अनुज्ञा–पत्रधारी के

हस्ताक्षर
टिप्पणी
उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में निम्नलिखित नियमावली द्वारा संशोधन हुआः–
प्रथम संषोधन– उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 को उत्तर प्रदेश गजट, आसाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांकित 17 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित हुई।

द्वितीय संषोधन–उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि (द्वितीय संषोधन) नियमावली, 1999, जो उत्तर प्रदेष गजट, असाधारण, भाग–4, खण्ड (क) दिनांक 8 फरवरी, 1999 में प्रकाषित हुई,
नीचे दी जा रही है–
उत्तर प्रदेष सरकार, आबकारी अनुभाग–2
अधिसूचना संख्या 437ई–2/तेरह–99–23–85 दिनांक 8 फरवरी, 1999

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 61 सन् 1985) की धारा 78 के साथ पठित धारा 10 के अधीन श्शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. नियम 53 का संशोधन– उत्तर प्रदेश स्वापक औषधि नियमावली, 1986 में, दिये गये वर्तमान नियम 53 के स्थान पर नीचे दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

53, निर्यात की प्रकिया– (1) कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को विनिर्मित औषधियों का निर्यात करने का इच्छुक हो, उपनियम (4) में यथा उपबन्धित के सिवाय, आबकारी आयुक्त को निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन–पत्र दे सकता है जिसके साथ आयात प्राधिकार पत्र या उस राज्य का जिसे विनिर्मित औषधियां निर्यात की जानी हो ''अनापत्ति प्रमाण–पत्र'' संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर आबकारी आयुक्त ऐसी जांच कर सकता है, जैसी वह आवश्यक और, यह समाधान हो जाने पर कि आवेदित निर्यात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं है आवेदन को निर्यात प्राधिकार पत्र दे सकता है।

(3) निर्यात प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर, कलक्टर, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात (फर्मा एन.डी.ई.) में चार प्रतियों में, निर्यात पास जारी करेगा। पास एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिए आवेदन को दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रख दी जायेगी।

(4) उपनियम(1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई लाइसेंस प्राप्त व्यापारी, जो भारत में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों और अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थानों को, उस अस्पताल या संस्थान के प्रधान द्वारा मांगपत्र पर, किसी विनिर्मित औषधि का जो कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आवश्यक हो, निर्यात करना चाहता है, तो वह उस जिले के कलक्टर को, जहां उस

औषधि का विनिर्माण होता है, आवेदन–पत्र दे सकता है और कलक्अर, ऐसी जांच के उपरान्त, जिसे वह आवश्यक समझे, और यह समाधान हो जाने पर कि निर्यात प्राधिकार पत्र देने में कोई आपत्ति नहीं, उक्त मांगपत्र के आधार पर निर्यात प्राधिकार पत्र दे सकता है। तत्पश्चात कलक्टर इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात फार्म एन.डी.ई. में, चार प्रतियों में, निर्यात पास जारी करेगा। पास की एक प्रति परेषण के साथ लगाने के लिए आवेदन को दी जायेगी, द्वितीय प्रति निर्यात सर्किल के आबकारी निरीक्षक को अग्रसारित की जायेगी, तृतीय प्रति आयात जिले के कलक्टर को भेजी जायेगी और चतुर्थ प्रति अभिलेख के लिए रख दी जायेगी।

(5) निर्यात सर्किल का आबकारी निरीक्षक, आवश्यक सत्यापन के पश्चात् अपने पास भेजे गये पास की प्रति के पूष्ठ भाग पर वास्तव में निर्यात की गयी मात्रा के सम्बंध में प्रविष्टि करेगा और उसे पास देने वाले कलक्टर को लौटा देगा।

(6) परेषती अपने द्वारा परेषण के साथ प्राप्त पास की प्रति के पृष्ठ भाग पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उसे आयात परेषण पत्र देने वाले अधिकारी के माध्यम से निर्यात पास देने वाले कलक्टर को लौटा देगा। यदि प्रपत्र स्वापक औषधि निर्यात में निर्यात पास दो मास के भीतर सम्यक् रूप से सत्यापित होकर वापस प्राप्त न हो तो सम्बद्ध व्यति द्वारा अग्रतर परेषण का निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

नोटः– कृपया पुस्तक के पृष्ठ–75 पर दिये गये नियम 53 को उपर्युक्तानुसार संशोधित करें।

6.।ण जैम डमकपबपदंस ।दक ज्वपसमज
च्तमचंतंजपवदे ;म्गबपेम क्नजपमेद्ध ।बजए 1955
;।बज छवण 16 वि1955द्ध

त्मबमपअमक जीमे मदज वि जीम च्तमेपकमदज वद जीम 27जी ।चतपसए 1955
ख्27 जी ंचतपसए 1955,

।द ।बज जव चतवअपकम वित जीम समअल ंदक बवससमबजपवद वि कनजपमे वि मगबपेम वद उमकपबपदंस ंदक जवपसमज चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवसए दंतबवजपब कतनह वत दंतबवजपबण

ठम पज मदंबजमक इल च्तसपंउमदज पद जीमैपगजी ल्मंत वि जीम त्मचनइसपब वि प्दकपं ेविससवू.

च्तमसपउपदंतल

1ण ौवतज जपजसमए मगजमदज ंदक बवउउमदबमउमदजण. ;1द्ध जीपे ंबज उंल इम बंससमक जीम डमकपबपदंस ंदक ज्वपसमज च्तमचंतंजपवदे ;म्गबपेम क्नजपमेद्ध ।बजए 1955ण

;2द्ध प्ज मगजमदके जव जीम ूवसम वि पदकपंण2

;3द्ध प्ज ोंसस बवउम पदजव वितबम वद ेनबी कंजम3 े जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वंपिबपंस ळंमजजमए ंचवपदजण

2ण क्मपिदपजपवदेण. प्द जीपे ।बजए नदसमै जीम बवदजमगज वजीमतूपेम तमुनपतमेए.

;द्ध ष ंसबवीवसष उमंदे मजीलस ंसबवीवस वि ंदल ेजतमदहजी ंदक चनतपजल ींअपदह जीम बीमउपबंस बवउचवेपजपवद ब्2ग्5ळ्रू

4ख्द्ध ष्ववबं कमतपअंजपअमष उमंदे.

;पद्ध बतनकम बवबंपदमए जींज पेए ंदल मगजतंबज वि बवबं समंूपबी बंद इम नेमक कपतमबजसलवत पदकपतमबजसलए वित जीम उंदनबिजनतम वि बवबंपदमय

;पपद्ध मबहवदपदमए जींज पेए संमअव.मबहवदपदम ींअपदह जीम बीमउपबंस वितउनसं ब्2ग्12छद्ब3ग्2व्ए ंदक ंसस जसम कमतपअंजपअमे वि संमअव.मबहवदपदम तिवउ ूपबी वितउनसं ब्17ग्21छद्ब4ए ंदक पजे ेसजेय

;इद्ध ष्ववबं समंष उमंदे.

;पद्ध जीम समंि दक लवनदह जूपहे वि दल बवबं चसंदजए जींज पेए वि जीम म्तलजीतवगलसवद बवबं ;स्ंठाद्ध ंदक जीम म्तलजीतवगलपवद दपअवहतंजमदेम ;भ्पमतदण्द्ध ंदक जीमपत अंतपमजपमेए ंदक वि ंदल वजीमत ेचमबपमे वि जीपे हमदने ूपबी जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपजपबंजपवद पद जीम वंपिबपंस ळंमजजमए कमबसंतम जव इम बवबं चसंदज वित जीम चनतचवेमे वि जीपे ।बजय ंदक

;पपद्ध ंदल उपगजनतम जीमतमवएि ूपजी वत ूपजीवनज दमनजतंस उंजमतपंसेय

;इद्ध ष्ववससमबजपदह ळवअमतदउमदजष उमंदे जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज वतए े जीम बेंम उंल इमए जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ूपबी पे मदजपजसमक जव बवससमबज जीम कनजपमे समअपमक नदकमत जीपे ।बजय

1;इइद्ध ष्कमतपअंजपअम वि वचपनउष उमंदे.

;पद्ध उमकपबपदंस वचपनउए जींज पेए वचपनउ ूपबी ीं नदकमतहवदम जीम चतवबमेमे दमबमेंतल जव ंकंचज पज वित उमकपबपदंस नेमय

;पपद्ध च्तमचंतमक वचपनउए जींज पेए ंदल चतवकनबज वि वचपनउ वइजंपदमक इल ंदल ेमतपमे वि वचमतंजपवदे कमेपहदमक जव जतंदेवितउ वचपनउ पदजव ंद मगजतंबज ेनपजंइसम वित ेउवापदहए ंदक जीम कतवे वत वजीमत तमेपकनम तमउंपदपदह ंजिमत वचपनउ पे ेउवामकय

;पपपद्ध डवतचीपदमए जींज पेए जीम चतपदबपचंस ंसांसवपक वि वचपनउ ींअपदह जीम बीमउपबंस वितउनसं ब्7भ्1छ ब्3 ंदक पजे ेसजेए ंदक पजे कमतपअंजपअमेय,

ौ ष्कनजपंइसम हववकेष उमंदे जीम उमकपबपदंस ंदक जवपसमज चतमचंतंजपवदे ेचमबपपिमक पद जीम ैबीमकनसम ें इमपदह ेनइरमबज जव जीम कनजपमे वि मगबपेम समअपमक नदकमत जीपे ।बजय

;कद्ध ष्मगबपेम वपिबमतष उमंदे ंद वपिबमत वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज वि दल ैजंजम ंदक पदबसनकमे ंदल चमतेवद मउचवूमतमक इल जीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज जव मगमतबपेम ंसस वत ंदल वि जीम चवूमते वि ंद मगबपेम वपिबमत नदकमत जीपे ।बजय

2ख्मद्ध ष्दकपंद ीमउचष उमंदे.

;पद्ध जीम समंअमेए ेउंसस ेजंसो ंदक सिवूमतपदह वि तिनपजपदह जवचे वि जीम प्दकपंद ीमउच चसंदज ;ब्ददंइपे ेजपअं स्द्ध पदबसनकपदह ंसस वितउे ादवूद ें ईंदहए ेपककीप वत हंदरंय

;पपद्ध बैंतेंए जींज पेए जीम तमेपद वइजंपदमक तिवउ जीम प्दकपंद ीमउच चसंदजए ूपबी ीं दवज इममद ेनइउपजजमक जव ंदल उंदपचनसंजपवदे वजीमत जींद जीवेम दमबमेंतल वित चंबापदह ंदक जतंदेचवतजय

;पपपद्ध ।दल उपगजनतमए ूपबी वत ूपजीवनज दमनजतंस उंजमतपंसे वि ंदल वि जीम ंइवअम वितउे वि प्दकपंद ीमउच वत ंदल कतपदा चतमचंतमक जीमतमतिवउय ंदक

;पअद्ध ।दल मगजतंबज वत जपदबजनतम वि ंदल वि जीम ंइवअम वितउे वि प्दकपंद ीमउचए,

;द्धि ष्उंदनबिजनतमष पदबसनकमे ंदल चतवबमे पदबपकमदजंस वत ंदबपससंतल जव जीम बवउचसमजपवद वि जीम उंदनबिजनतम वि ंदल कनजपंइसम हववकेय

;हद्ध ष्उमकपबपदंस चतमचंतंजपवदष पदबसनकमे ंसस कतनहे ूपबी ंतम ं तमउमकल वत चतमेबतपचजपवद चतमचंतमक वित पदजमतदंस वत मगजमतदंस नेम वि ीनउंद इमपदहे वत ंदपउंसे ंदक ंसस ेनइेजंदबमे पदजमदकमक जव इम नेमक वित वत पद जीम जतमंजउमदज उपजपहंजपवद वत चतमअमदजपवद वि कपेमेंम पद ीनउंद इमपदहे वत ंदपउंसेण

[3];ीद्ध ष दंतबवजपब कतनहष वत ष्दंतबवजपबष उमंदे ेनइेजंदबम ूपबी पे बवबं समंज वत बवबं कमतपअंजपअमए वत वचपनउए वत कमतपअंजपअम वि

वचपनउए वत प्दकपंद ीमउच ंदक ींसस पदबसनकम ंदल वजीमत ेनइेजंदबमए बंचंइसम वि बंनेपदह वत चतवकनबपदह पद ीनउंद इमपदहे कमचमदकमदबमए जवसमतंदबम ंदक ूपजीकतूंस ेलदकतवउमे ंदक ूीपबी जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए कमबसंतम जव इम ं दंतबवजपब कतनह वत दंतबवजपबसय

1;पद्ध ष्च्वपनउष उमंदे.

;1द्ध जीम बंचेनसमे वि जीम चवचचल ;चंचंअमत ेवउदपमितनउ 1द्धए ूीपजीमत पद जीमपत वतपहउंस वितउ वत बनजए बतनींमकए वत चवूकमतमक ंदक ूीमजीमत वत दवज रनपबम ीं इममद मगजतंबजमक जीमतमतिवउण्

;2द्ध जीम ेचवदंजमदवनेसल बवंहनसंजमक रनपबम वि ैनबी बंचेनसमे ूीमद ीं दवज इममद ेनइउपजजमक जव ंदल उंदपचनसंजपवद वजीमत जींद जीवेम दमबमें तल वित चंबापदह ंदक जतंदेचवतजए ंदक

;3द्ध ।दल उपगजनतमए ूपजी वत ूपजीवनज दमनजतंस उंजमतपंसेए वत ंदल वि जीम ंइवअम वितउ वि वचपनउण्

।दक पदबसनकमे ंदल कमतपअंजपअम वि वचपनउय,

;रद्ध ष चतमेबतपइमकष उमंदे चतमेबतपइमक इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजय

;।द्ध ष्जवपसमज चतमचंतंजपवदष उमंदे ंदल चतमचंतंजपवद ूीपबी पे पदजमदकमक वित नेम पद जीम जवपसमज वि जीम ीनउंद इवकल वत पद चमतनिउपदह ंचचंतमस वि ंदल कमेबतपचजपवदए वत ंदल ेनइेजंदबम पदजमदकमक जव बसमंदेमए पउचतवअम वत ंसजमत जीम बवउचसमगपवदए ेापदए ींपत वत जममजीए ंदक पदबसनकमे कमवकवतंदजे ंदक चमतनिउमेण्

स्मअल ंदक ब्वससमजपवद वि क्नजपमे

3ण् क्नजपमे वि मगबपेम जव इम समअपमक ंदक बवससमबजमक वद बमतजंपद हववकेण् दृ ;1द्ध जीमतम ींसस इम समअपमक कनजपमे वि मगबपेमए ंज

जीम तंजम ेचमबपपिमक पद जीम ेबीमकनसमए वद ंसस कनजपंइसम हववके उंदनबिजनतमक पद प्दकपंण

;2द्ध जीम कनजपमे ंवितमेंपक ींसस इम समअपंइसमए.

;द्धीमतम जीम कनजपंइसम हववके ंतम उंदनबिजनतमक पद इवदकए पद जीम ैजंजम पद ूीपबी ेनबी हववके ंतम तमसमेंमक तिवउ ं इवदकमक ूतमीवनेम वित ीवउम बवदेनउचजपवदए ूीमजीमत ेनबी ेजंजम पे जीम ैजंजम व िडंदनबिजनतम वत दवजय

;इद्ध ीमतम जीम कनजपंइसम हववके ंतम दवज उंदनबिजनतमक पद इवदकए पद जीम ैजंजम पद ूीपबी ेनबी हववके ंतम उंदनबिजनतमकण

;4द्ध ैनइरमबज जव जीम वजीमत चतवअपेपवदे बवदजंपदमक पद जीपे ।बजए जीम कनजपमे ंवितमेंपक ींसस इम बवससमबजमक पद ेनबी उंददमत ं उंल इम चतमेबतपइमकण

म्चसंदंजपवदण दृ क्नजपंइसम हववके ंतम ंपक जव इम उंदनबिजनतमक पद इवदक ूपजीपद जीम उमंदपदह ंज जीपे ेमबजपवद पज जीमल ंतम ंससवूमक जव इम उंदनबिजनतमक ूपजीवनज चंलउमदज व िंदल कनजल व िमगबपेम समअपंइसम नदकमत ंदल सूं वित जीम जपउम इमपदह पद वितबम पद तमेचमबज व िंसबवीवसए 2ख्दंतबवजपब कतनत वत दंतबवजपब, ूीपबी पे जव इम नेमक ं ंद पदहतमकपमदज पद जीम उंदनजंबजनतम व िनबी हववकेण

4ण तमइंजम व िकनजल वद ंसबवीवसए मजबण्ए ेनचचसपमक वित उंदनबिजनतम व िकनजपंइसम हववकेण. ीमतम ंसबवीवसए 2ख दंतबवजपब कतनह वत दंतबवजपब, ींक इममद ेनचचीमक जव ं उंदनबिजनतमत व िंदल कनजपंइसम हववके वित नेम ं ंद पदहतमकपमदज व िेनबी हववके इल वत नदकमत जीम ंनजीवतपजल व िजीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज ंदक ं कनजल व िमगबपेम वद जीम हववके ेव ेनचचसपमक ींक ंसतमंकल इममद तमबवअमतमक इल ेनबी ळवअमतदउमदज नदकमत ंदल सूं वित जीम जपउम इमपदह पद वितबमण जीम

बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज ींसएए वद ंद ंचचसपबंजपवद नदकमत जीपे ।बजए ं तमइंजम जव ेनबी उंदनबिजनतमत वि जीम मगबमेए पि ंदलए वि जीम कनजल ेव तमबवअमतमक वअमत जीम कनजल समअपंइसम नदकमत जीपे ।बजण

5ण त्मबवअमतल वि नउे कनम जव ळवअमतदउमदजण. प्द तमेचमबज वि जीम कनजल वि मगबपेम ंदक ंदल वजीमत ेनउे वि ंदल ।पदक चलंइसम जव जीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज नदकमत ंदल वि जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज वत वि जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतए जीम मगबपेम वपिबमत मउचवूमतमक इल जीम ंपक तनसमे जव समअल ेनबी कनजल वत तमुनपतम जीम चंलउमदज वि ेनबी ेनउेए उंल कमकनबज जीम ंउवनदज ेव चंलंइसम तिवउ ंदल उवदमल वूपदह जव जीम चमतेवद तिवउ ूीवउ ेनबी ेनउे उंल इम तमबवअमतंइसम वत कनमए ूीपबी उंल इम पद ीपे ींदके वत नदकमत ीपे कपेचवेंस वत बवदजतवस वत उंल तमबवअमत जीम ंउवनदज इल ंजजंबीउमदज ंदक ेसम वि कनजपंइसम हववके इमसवदहपदह जव ेनबी चमतेवदरू ंदक पि जीम ंउवनदज चंलंइसम पे दवज ेव तमबवअमतमकए ीम उंल चतमचंतम ं बमतजपपिबंजम ेपहदमक इल ीपउ ेचमबपलिपदह जीम ंउवनदज कनम तिवउ जीम चमतेवद सपंइसम जव चंल जीम ेनउ ंदक ेमदक पज जव जीम बवससमबजवत वि जीम कपेजतपबज पद ूीपबीनबी चमतेवद तमेपकमे वत बवदकनबजे ीपे इनेपदमेए ंदक जीम ेंपक ब्वससमबजवत वद तमबमपचज वि ैनबी बमतजपपिबंजम ींसस चतवबममक जव तमबवअमत तिवउ जीम ेंपक चमतेवद जीम ंउवनदज ेचमबपपिमक जीमतमपद पद जीम ेंउम उंददमत ें ंद ंततमंत वि संदक तमअमदनमण

6ण ब्मतजंपद वचमतंजपवदे जव इम ेनइरमबज जव सपबमदबमे. ;1द्ध जैम ब्मदजतंप ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजम चतवअपकम जींज तिवउ ेनबी कंजम ें उंल इम ेचमबपपिमक पद जीम दवजपपिबंजपवदए दव चमतेवद ींसस मदहंहम पद जीम चतवकनबजपवद वत उंदनबिजनतम वि ंदल कनजपंइसम हववके वत वि ंदल ेचमबपपिमक बवउचवदमदज चंतजे वत पदहतमकपमदजे वि नबी हववके वत वि चमबपपिमक बवदजंपदमते वि

`नबी हववके वत वि संइमसे वि`नबी बवदजंपदमते मगबमचज नदकमत जीम ंनजीवतपजल ंदक पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम जमतउे ंदक बवदकपजपवदे वि सपबमदबम हतंदजमक नदकमत जीपे ।बजण

;2द्ध म्अमतल सपबमदबम नदकमत `नइे.मबजपवद ;1द्ध ीसस इम हतंदजमक वित `नबी ंतमं पि ंदलए वित `नबी चमतपवकए `नइरमबज जव `नबी तमेजतपबजपवदे ंदक बवदकपजपवदेए ंदक पद`नबी वितउ ंदक बवदजंपदपदह`नबी चंतजपबनसंते` उंल इम चतमेबतपइमकण

7ण वमिदबमे ंदक चमदंसजपमेण. पि ंदल चमतेवद.

;ंद्ध बवदजतंअमदमे ंदल वि जीम चतवअपेपवदे वि ं दवजपपिबंजपवद पेनमक नदकमत`मबवत

;इद्ध मअंकमे जीम चंलउमदज वि ंदल कनजल वि मगबपेम चंलंइसम नदकमत जीपे ंबजव वतण

;बद्ध थंपसे जव`नचचसल ंदल पदवितउंजपवद ूपबी ीम पे तमुनपतमक इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बज जव`नचचसल वत ;नदसमे ूपजी ं तमेंवदंइसम इमसपमि जीम इनतकमद वि चतवअपदह ूपबी ीसं इम नचवद ीपउए जींज जीम पदवितउंजपवद `नचचसपमक इल ीपउ पे जतनमद्धए `नचचसपमे सिेम पदवितउंजपवदए वत

;कद्ध ।जजमउचजे जव बवउउपज वत ंइमजे जीम बवउउपेपवद वि ंदल वमिदबम उमदजउमक पद ब्;ंद्ध वत ब्सण ;इद्धण

भ्म ीसस वित मअमतल `नबी वमिदबम इम चनदपींइसम ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूपबी उंल मगजमदक जव`पग उवदजीए वत ूपजी पिदम ूपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेए वत ूपजी इवजीण

8ण च्वूमत वि बवनतजे जव वतकमत वितमिपजनतम. ।दल बवनतज जतलपदह ंदल वमिदबम नदकमत ैमबण 7 डंल वतकमत जीम वितमिपजनतम जव जीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज वि ंदल कनजपंइसम हववके पद तमेचमबज

वपिबी जीम बवनतज पे जपेपिमक जींज द वमिदबम नदकमत जीपे बज ीं इममद बवउउपजजमक दक उंल सेव वतकमत जीम वितमिपजनतम वि दल सबवीवसए कतनहे वत उंजमतपंसे इल उमंदे वपिबी जीम वमिदबम ीं इममद बवउउपजजमक दक वि दल जमबमचजंबपमेए चंबांहमे वत बवअमतपदहे पद पिबी दल नबी हववके वत तजपबसमे तम बवदजंपदमक दक जीम दपउंसेए अमीपबसमेए अमेमसे वत वजीमत बवदअमलंदबमे नेमक पद बंततलपदह नबी हववके वत तजपबसमे दक दल पउचसमउमदजे वत उंबीपदमतल नेमक पद जीम उंदनबिजनतम वि नबी हववकेण

च्वूमत दक क्नजपमे वि वपिबमते दक स्ंदकीवसकमते

9ण च्वूमत जव ततमेजण दृ ।दल मगबपेम वपिबमत कनसल मउचवूमतमक इल तनसमे उंकम पद जीपे इमींसि उल ततमेज दल चमतेवद ीवउ ीम ीं तमेंवद जव इमसपमअम जव इम सपंइसम जव चनदपीउमदज नदकमत जीपे ।बजण

;2द्ध ।दल चमतेवद बबनेमक वत तमेंवदंइसल नेचमबजमक वि बवउउपजजपदह द वमिदबम नदकमत जीपे ।बज वत दल तनसमे उंकम जीमतमनदकमतए ीवए वद कमउंदक वि दल मगबपेम वपिबत कनसल मउचवूमतमक इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजए तमनिमे जव हपअम ीपे दंउम दक तमेपकमदबमए वत ीव हपअमे दंउम वत तमेपकमदबम ीपबी नबी वपिबमत ीं तमेंवद जव इमसपमअम जव इम सिेम उंल इम ततमेजमक इल नबी वपिबमत पद वतकमत जींज ीपे दंउम दक तमेपकमदबम उंल इम बमतजंपदमकण

10ण च्वूमत जव नउउवद चमतेवदे जव हपअम मअपकमदबम दक चतवकनबम कवबनउमदजे पद पदुनपतपमे नदकमत जीपे ।बजण दृ ;1द्ध ।दल मगबपेम वपिबमत कनसल मउचवूमतमक इल तनसमे उंकम पद जीपे इमींसि ींसस ींअम चवूमत जव नउउवद दल चमतेवद ीवेम जजमदकंदबम ीम बवदेपकमते दमबमेंतल मपजीमत जव हपअम मअपकमदबम वत जव चतवकनबम कवबनउमदज वत दल वजीमत जीपदह पद दल पदुनपतल ीपबी नबी वपिबमत पे उंापदह वित दल वि जीम चनतचवेमे वि जीपे ।बजण

;2द्ध ।ेनउउवदे जव चतवकनबम कवबनउमदजे वत वजीमत जीपदहे नदकमत ेनइेमबजपवद ;1द्ध उंल इम वित जीम चतवकनबजपवद वि बमतजंपद ेचमबपपिमक कवबनउमदज वत जीपदहे वत वित जीम चतवकनबजपवद वि ंसस कवबनउमदजे वत जीपदहे वि ं बमतजंपद कमेबतपचजपवद पद जीम चवेमेपवद वत नदकत जीम बवदजतवस वि जीम चमतेवद बवदबमतदमकण

;3द्ध ।सस चमतेवदे ेव ेनउउवदमक ींसस इम इवनदक जव ंजजमदक मपजीमत पद चमतेवद वत इल ंद ंनजीवतप्रमक ंहमदज ं ेनबी वपिबमत उंल कपतमबज ंदक ंस चमतेवदे ेव ेनउउवदमक ींसस इम इवनदक जव ेजंजम जीम जतनजी वद ंदल ेनइरमबज तमेचमबजपदह ूपबी ीम पे मगंउपदमक वत उंाम ेजंजमउमदजे ंदक चतवकनबम ेनबी कवबनउमदजे ंदक वजीमत जीपदहे ं उंल इम तमुनपतमकरू

च्तवअपकमक जींज जीम मगमउचजपवदे नदकमत ैमबण 132 ंदक ेमबण 133 वि जीम ब्वकम वि ब्पअपस च्तवबमकनतमए 1908 ींसस ंचचसल जव तमुनपेपजपवदे वित ंजजमदकंदबम नदकमत जीपे ेमबजपवदण

;5द्ध म्अमतल ेनबी पदुनपतल ं ंवितमेंपक ींसस इम कममउमक जव इम ं रनकपबपंस चतवबममकपदह ूपजीपद जीम उमंदपदह वि ैमबण 193 ंदक ैमबण 228 वि जीम प्दकपंद च्मदंस ब्वकम ;45 वि 1860द्धण

11ण वपिबमते तमुनपतमक जव ंपेज मगबपेम वपिबमते. ।सस वपिबमते वि बनेजवउे ंदक ब्मदजतंस मगबपेमए ंदक ेनबी वजीमत वपिबमते वि जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज ं उंल इम ेचमबपपिमक पद जीपे इमींसएि ंदक ंसस चवसपबम वपिबमते ंदक ंसस वपिबमते मदहंहमक पद जीम बवससमबजपवद वि संदक तमअमदनम ंतम ीमतमइल मउचवूमतमक ंदक तमुनपतमक जव ंपेज मगबपेम वपिबमते पद जीम मगमबनजपवद वि जीपे ।बजण

12ण व्दमते वत वबबनचपमते वि संदक जव तमचवतज उंदनबिजनतम वि बवदजतंइंदक कनजपंइसम हववकेण्दृ म्अमतल वूदमत वि वबबनचपमत वि संदक ंदक जीम ंहमदज वि ंदल ेनबी वूदमत वत वबबनचपमत पद बींतहम वि जीम उंदंहमउमदज

वि जींज संदकए पि कनजपंइसम हववके ंतम उंदनबिजनतमक जीमतमवद पद बवदजतंअमदजपवद वि जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतए ौंसस पद जीम ंइेमदबम वि तमेंवदंइसम मगबनेमए इम इवनदक जव हपअम दवजपबम वि नबी उंदनबिजनतम जव ं उंदेजतंजम वत जव ंद वपिबमत वि जीम म्गबपेमए ब्नेजवउेए च्वसपबम वत स्ंदक त्मअमदनम क्मचंतजउमदज पउउमकपंजमसल जीम बिज बवउमे जव ीपे दवजपबमण्

13ण च्नदपीउमदज वित बवददपअंदबम ंज वपिमिदबमे.।दल वूदमत वत वबबनचपमत वि संदक वत ंदल ंहमदज वि नबी वूद वत वबबनचपमत पद बींतहम वि जीम उंदंहमउमदज वि जींज संदकए ूव ूपससनिससल बवददपअमे ंज ंदल वपिमिदबम ंहंपदेज जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज वत ंदल तनसमे उंकम जीमतमनदकमत ौंसस वित मअमतल ेनबी वपिमिदबमए इम चनदपींइसम ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूपबी उंल मगजमदक जव ेपग उवदजीए वत ूपजी पिदम ूपबी उंल मगजमदक जव पिअम ीनदकतमक तनचममेए वत ूपजी इवजीण्

14ण ैमंतबीमे ंदक ंततमेजे ीवू जव इम उंकमण् दृ ।सस ंततमेजे ंदक ेमंतबीमे उंकम नदकमत जीपे ।बज वन नदकमत ंदल तनसमे उंकम जीमतमनदकमत ौंसस इम बंततपमक वनज पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम चतवअपेपवदे वि जीम ब्वकम वि ब्तपउपदंस च्तवबमकनतमए 1998ए तमसंजपदह तमेचमबजपअमसल जव ेमंतबीमे ंदक ंततमेजे नदकमत जींज ब्वकमण्

15 क्पेचवेंस वि चमतेवदे ंततमेजमकण् दृ ;1द्ध म्अमतल चमतेवद ंततमेजमक नदकमत जीपे ।बज ौंसस इम वितूंतकमक ूपजीवनज कमसंल जव जीम दमंतमेज मगबपेम वपिबमत मउचवूमतमक जव ेमदक चमतेवदे ेव ंततमेजमक जव ं डंहपेजतंजम वत पि जीमतम पे दव ेनबी मगबपेम वपिबमत ूपजीपद ं तमेंवदंइसम कपेजंदबम जव जीम वपिबमत पद बींतहम वि जीम दमंतमेज चवसपबम ेजंजपवदण्

;2द्ध जीम वपिबमत पद बींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवद जव ूवउ ंदल चमतेवद पे वितूंतकमक नदकमत ेनइे.मबजपवद ;1द्ध ौंसस मपजीमत ंकउपज ीपउ जव इंपस जव ंचचमंत इमवितम ं डंहपेजतंजम ींअपदह रनतपेकपबजपवदए वत पद

कमनिसज वि इंपस वितूंतक ीपउ ूपजीवनज कमसंल पद बनेजवकल जव ेनबी डंहपेजतंजमण

16ण प्दुनपतल ीवू जव इम उंकम इल मगबपेम वर्पिबमते ंहंपदेज ंततमेजमक चमतेवदे वितूंतकमक जव जीमउ. ;1द्ध ूीमद ंदल चमतेवद पे वितूंतकमक नदकमत ैमबण 15 जव ंद मगबपेम वर्पिबमत मउचवूमतमक जव ेमदक चमतेवदे ेव ंततमेजमक जव ं उंहपेजतंजम जीम मगबपेम वर्पिबमत ींसस चतवबममक जव पदुनपतम पदजव जीम बींतहम ंहंपदेज ीपउण

;2द्ध थ्वत जीम चनतचवेम वि ेनइे.मबजपवद ;1द्धए जीम मगबपेम वर्पिबमत उंल मगमतबपेम जीम ेउम चवूमतेए ंदक ींसस इम ेनइरमबज जव जीम ेउम चतवअपेपवदे ं जीम वर्पिबमत पद बींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवद उंल मगमतबपेम ंदक पे ेनइरमबज जव नदकमत जीम बवकम वि बतपउपदंस च्तवबमकनतमए 1898ए ूीमद पदअमेजपहंजपदह ं बवहदप्रंइसम बेंमरू

च्तवअपकमक जींज.

;द्ध पि जीम मगबपेम वर्पिबमत पे वि वचपदपवद जींज जीमतम पे ेनर्पिबपमदज मअपकमदबम वत तमेंवदंइसम हतवनदक वि नेचपबपवद ंहंपदेज जीम ंबबनेमक चमतेवदए ीम ींसस मपजीमत ंकउपज ीपउ जव इंपस जव ंचचमंत इमवितम ं डंहपेजतंजम ींअपदह रनतपेकपबजपवद पद जीम बेंम वत वितूंतक ीपउ पद बनेजवकल ूपजीवनज कमसंल जव ेनबी डंहपेजतंजमण

;इद्ध पि पज ंचचमंते जव जीम मगबपेम वर्पिबमत जींज जीमतम पे दवज ेनर्पिबपमदज मअपकमदबम वत तमेंवदंइसम हतवनदक वि नेचपबपवद ंहंपदेज जीम ंबबनेमक चमतेवदए ीम ींसस तमसमेंम जीम ंबबनेमक चमतेवद वद ीपे मगमबनजपदह ं इवदकए ूपजी वत ूपजीवनज ेनतमजपमे ं जीम मगबपेम वर्पिबमत उंल कपतमबजए जव ंचचमंतए पज ंदक ूीमद ेव तमुनपतमकए इमजवतम जीम डंहपेजतंजम ींअपदह रनतपेकपबजपवद ंदक ींसस उंाम ं निसस तमचवतज वि ंसस जीम चंतजपबनसंते वि जीम बेंम जव जीम वर्पिबपंस ेनचमतपवतण

;3द्ध ंसस वपिबमते मगमतबपेपदह ंदल चवूमते नदकमत ैमबजपवद 15 वत जीपे ेमबजपवद ींसस ेव मगमतबपेम जीमपत चवूमते ं जव मदेनम जींज मअमतल चमतेवद ूव पे मअमतल चमतेवद ूव पे ंततमेजमक ंदक कमजंपदमक पद बनेजवकल पे चतवकनबमक इमवितम जीम दमंतमेज डंहपेजतंजम ूपजीपद ं चमतपवक वि जूमदजल.विनत ीवनते वि नबी ंततमेज मगबसनकपदह जीम जपउम दमबमेंतल वित जीम रवनतदमल तिवउ जीम चसंबम वि ंततमेज जव जीम बवनतज वि जीम डंहपेजतंजमण्

17ण् टमगंजपवने ेमंतबीए ैमप्रनतमए मजबण्ए इल मगबपेम वपिबमत. ;1द्ध ।दल वपिबमत मगमतबपेपदह चवूमते नदकमत जीपे ।बज वत नदकमत जीम तनसमे उंकम जीमतम नदकमत ूव.

;द्धूपजीवनज तमेंवदंइसम हतवनदक वि नेचपबपवद ेमंतबीमे वत बंनेमे जव इम ेमंतबीमं ंदल चसंबमए बवदअमलंदबम वत अमेमसए

;इद्ध अमगंजपवनेसल ंदक नददबबमेंतपसल कमजंपदेए ेमंतबीमे वत ंततमेजे ंदल चमतेवदण्

;बद्ध टमगंजपवनेजल ंदक नदमबमेंतपसल ेमप्रमे जीम उवअंइसम चतवचमतजल वि ंदल चमतेवद वद चतमजमदबम वि मप्रपदह वत ेमंतबीपदह वित ं ंतजपबसम सपंइसम जव बवदपिबंजपवद नदकमत जीपे ।बजण्

;कद्ध ब्वउउपजेए ं नबी वपिबमतए ंदल वजीमत ंबज जव जीम पदरनतल वि ंदल चमतेवदए ूपजीवनज ींअपदह तमेंवद जव इमसपमअम जींज ेनबी ंबज पे तमुनपतमक वित जीम मगमबनजपवद वि पे कनजलए

ैींसस वित मअमतल ेनबी वमिदबमए इम चनदपींइसम ूपजी पिदम ूपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेण्

;2द्ध ।दल चमतेवद ूपससनिससल ंदक उंसपबपवनेसल हपअपदह सिेम पदवितउंजपवद ंदक ेव बंनेपदह ं ंततमेज वत ं ेमंतबी जव इम उंकम नदकमत जीपे ।बज ींसस इम चनदपींइसम ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूपबी उंल

मगजमदक जव जूव लमंतेए वत ूपजी पिदम ीपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेए वत ूपजी इवजीण

18ण थ्ंपसनतम वि मगबपेम वप्पिबमत वद कनजलण. ।दल मगबपेम वप्पिबमत ीव बर्मेमे वत तमनिमे जव चमतवितउ वत ूपजीकतूं ीपउेमसि तिवउए जीम कनजपमे वि ीपे वप्पिबमए नदसमे ीम ींक वइजंपदमक जीम मगचतमे ूतपजजमद चमतउपेपवद वि ीपे ेनचमतपवत वप्पिबमतए वत ीं हपअमद ेनबी ेनचमतपवत वप्पिबमत जूव उवदजी दवजपबम पद ूतपजपदह वि ीपे पदजमदजपवद वत ीं वजीमत सूंनिस मगबनेमए ींसस इम चनदपींइसम ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ीपबी उंल मगजमदक जव जीमतम उवदजीए वत ूपजी सपउम ीपबी मगजमदक जव जीमतमम उवदजीश चंल वत ूपजी इवजीण

ैनचचसमउमदजंतल चतवअपेपवदे

19ण च्वूमत जव उंाम तनसमे. ;1द्ध जैम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंल इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वप्पिबपंस ळंमजजमए उंामे तनसमे जव बंततल वनज जीम चनतचवेमे वि जीपे ।बजण

;2द्ध प्द चंतजपबनसंतए ंदक ूपजीवनज चतमरनकपबम जव जीम हमदमतंसपजल वि जीम वितमहवपदह चवूमतए ेनबी तनसमे उंल.

;पद्ध चतवअपकम वित जीम ैमेउमदज ंदक बवससमबजपवद वि कनजपमे समअपमक नदकमत जीपे ।बजण जैम ंनजीवतपजपमे इल ीवउ निदबजपवदे नदकमत जीपे ंबज ंतम जव इम कपेबींतहमक जीम पेनम वि दवजपबमे तमुनपतपदह चंलउमदजए जीम उंददमत पद ीपबी जीम कनजपमे ींसस इम चंलंइसम ंदक जीम तमबवअमतल वि कनजल दवज चंपकण

;पपद्ध चतवीपइपज ंइेवसनजमसलण व्त ूपजी ेनबी मगबमचजपवदेए वत ेनइरमबज जव ेनबी बवदकपजपवदे जैम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंल जीपदा पिजए जीम उंदनबिजनतमए वत ंदल चतवबमे वि जीम उंदनबिजनतमण वि कनजपंइसम हववके वत वि ंदल बवउचवदमदज चंतजे वत

पदहतमकपमदजे वत बवदजंपदमते जीमतमवएि मगबमचज वद संदक वत चतमउपेमे ंचचतवअमक वित जीम चनतचवेमण्

;पपपद्ध तमहनसंजम जीम तमउवअंस वि कनजपंइसम हववके तिवउ जीम चसंबम ूीमतम जीमल ंतम ेजवतमक वत उंदनबिजनतमक वत ेनइरमबजमक जव ंदल चतवबमे वि चतवकनबजपवद वत उंदनबिजनतम ंदक जीमपत जतंदेचवतज जव वत तिवउ जीम चतमउपेमे वि सपमदेमक चमतेवदए वत ं इवदकमक ूंतमीवनेमए वत जव ं उंतामजण्

;पअद्ध तमहनसंजम जीम चतवकनबजपवद वत उंदनबिजनतम 1ख्वत ंदल चतवबमे, वि चतवकनबजपवद वत उंदनबिजनतमए जीम चवेमेपवद ंदक ेजवतंहम वि कनजपंइसम हववके वत वि ंदल बवउचवदमदज चंतज वत पदहतमकपमदजे वत बवदजंपदमते जीमतमवएि ेव ति ेनबी तमहनसंजपवद पे मेमदजपंस वित जीम चतवचमत समअल ंदक बवससमबजपवद वि कनजपमे समअपमक नदकमत जीपे ।बजण्

;अद्ध च्तवअपकम वित जीम मउचसवलउमदज वि मगबपेम वपिबमते जव ेनचमतअपेम जीम बंततलपदह वनज वि ंदल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजण्

;अपद्ध त्मुनपतम ं उंदनबिजनतमत वत जीम सपबमदेमम वि ं ूंतमीवनेम जव चतवअपकम ंबबवउउवकंजपवद ूपजीपद जीम चतमबपदबजे वपिे बिजवतल वत ूंतमीवनेम वित मगबपेम वपिबमते मउचसवलमक जव ेनचमतअपेम जीम बंततलपदह वनज वि तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बज ंदक चतमेबतपइम जीम ेबंसम वि नबी ंबबवउउवकंजपवदय

;अपपद्ध च्तवअपकम वित जीम ंचचवपदजउमदजए सपबमदेपदहए उंदंहमउमदज ंदक ेनचमतअपेपवद वि इवदकमक ूंतमीवनेमे ंदक जीम चतवबमकनतम जव इम विससवूमक पद मदजमतपदह कनजपंइसम हववके पदजव ंदक बसमंतपदह हववके तिवउ ेनबी ूंतमीवनेमे वत पद जीम उवअमउमदज वि कनजपंइसम हववके तिवउ वदम इवदकमक ूंतमीवनेम जव ंदवजीमतण्

;अपपपद्ध च्तवअपकम वित जीम कपेजपदहनपेंीपदह वि मगबपेंइसम हववके ूीपबी ींअम इममद उंदनबिजनतमक नदकमत सपबमदेमए वि उंजमतपंसे ूीपबी ींअम इममद पउचवतजमक नदकमत ंदक वि हववके वद ूीपबी कनजल ीं इममद चंपक वत ूीपबी ंतम मगमउचज तिवउ कनजल नदकमत जीपे ।बजय

;पगद्ध प्उचवेम वद चमतेवदे मदहंहमक पद जीम उंदनबिजनतमए ेजवतंहम वत ेसम ूीमजीमत वद जीमपत वूद ंबबवनदज वत ें इतवामते वत बवउउपेपवद ंहमदजेद्ध ेव ति ें ेनबी पउचवेपजपवद पे मेमदजपंस वित जीम चतवचमत समअल ंदक बवससमबजपवद वि जीम कनजपमे समअपमक नदकमत जीपे ।बजए जीम कनजल वि नितदपेंीपदह पदवितउंजपवद ।ममचपदह तमबवतके ंदक उंतापदह तमजनतदे ंदक चतमेबतपइम जीम दंजनतम वि ेनबी पदवितउंजपवद ंदक वितउ वि ेनबी तमबवतके ंदक तमजनतदेए जीम चंतजपबनसंते जव इम बवदजंपदमक जीमतमपद ंदक जीम उंददमत पद ूीपबी जीमल ींसस इम अमतपपिमकण्

;गद्ध त्मुनपतम जींज कनजपंइसम हववके ींसस दवज इम ेवसक वत वमिितमक वत ।मचज वित ें सम मगबमचज पद चतमेबतपइमक बवदजंपदमतेए इमंतपदह ं इंदकमतवसए ेजंउच वत संइमस वि नबी दंजनतम ंदक ंपिगमक पद ेनबी उंददमत ें उंल इम चतमेबतपइमकण्

;गपद्ध च्तवअपकम वित जीम पेनम वि सपबमदेमे ंदक जतंदेचवतज चमतउपजे ंदक जीम मिमेए पि ंदल जव इम बींतहमक जीमतमवितमए

;गपपद्ध च्तवअपकम वित जीम कमजमदजपवद वि कनजपंइसम हववकेए चसंदज ए उंबीपदमतल वत उंजमतपंस वित जीम चनतचवेम वि मगंबजपदह जीम कनजलए

;गपपपद्ध च्तवअपकम वित जीम बवदपिबंजपवद कनजपंइसम हववके पद तमेचमबज वि ूीपबी ं इतमंबी वि ंदल तनसम उंकम नदकमत जीपे ।बज ीं इममद बवउउपजजमकए ंदक ंसेव वित जीम बवदपिबंजपवद वि ंदल

ंसबवीवसए कतनहे वत उंजमतपंसे इल उमंदे व ूपबी जीम इतमंबी ीं इममद बवउउपजजमक ंदक व ंदल तमबमचजंबसमए चंबांहमे वत बवअमतपदहे पद ूपबी ेनबी हववके वत ंतजपबसमे ंतम बवदजंपदमकए ंदक जीम ंदपउंसेए अमीपबसमेए अमेमसे वत वजीमत बवदअमलंदबमे नेमक पद बंततलपदह ेनबी हववके वत ंतजपबसमे ंदक ंदल पउचसमउमदजे वत उंबीपदमतल नेमक पद जीम उंदनबिजनतम व नबी हववकेण

;गपअद्ध च्तवअपकम वित जीम समअल व ं चमदंसजल दवज मगबममकपदह जूव जीवनेंदक तनचमम वित ं इतमंबी व ंदल तनसम उंकम नदकमत जीपे ।बजण

;गअद्ध च्तवअपकम वित जीम चतवबमकनतम पद बवददमबजपवद ूपजी ेनबी बवदपैबंजपवद ंदक जीम पउचवेपजपवद व ेनबी चमदंसजलए जीम उंगपउनउ सपउपजे नच जव ूपबी चंतजपबनसंत बसेंमे व मगबपेम वपिबमते उंल ंकरनकहम ेनबी बवदपैबंजपवद वत चमदंसजलए ंचचमंसे तिवउ वतकमते व ैनबी वपिबमते ंदक तमअपेपवद व ैनबस वतकमते इल ेवउम ीपहीमत ंनजीवतपजलए जीम जपउम.सपउपज वित ेनबी ंचचमंसे ंद तमअपेपवदे ंदक जीम कपेचवेंस व हववके ंदक ंतजपबसमे बवदपैबंजमकए

;गअपद्ध ।नजीवतप्रम ंदक तमहनसंजम जीम बवउचवनदकपदह व वपिदबमे ंहंपदेजए वत सपंइपसपजपमे पदबनततमक नदकमतए जीपे ।बज वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतय

;गअपपद्ध ।नजीवतप्रम ंदक तमहनसंजम जीम पदेचमबजपवद व बिजवतपमे ंदक चतवअपकम वित जीम जांपदह व ंउचसमे वत वित जीम उंापदह व जमेजे व ंदल ेनइेजंदब चतवकनबमक जीमतमपद ंदक वित जीम पदेचमबजपवद वत ेमंतबी वत ंदल चसंबम बवदअमलंदबम वत अमेमस नेमक वित जीम चतवकनबजपवदए ेजवतंहमए ेसम वत जतंदेचवतज व कनजपंइसम हववके पद ेव ति ं ेनबी पदेचमबजपवद वत ेमंतबी पे मेमदजपंस वित जीम

चतवचमत समअल ंदक बवससमबजपवद वि जीम कनजपमे समअपमक नदकमत जीपे ।बजण्

;गअपपपद्ध च्तवअपकम वित जीम हतंदज वि तमइंजम वि जीम कनजल चंपक वद कनजपंइसम हववकण्ीपबी ंतम मगचवतजमक वनज वि प्दकपं वत ीपचचमक वित बवदेनउचजपवद वद ं अवलंहम जव ंदल चवतज वनजेपकम प्दकपंय

;गपगद्ध म्गमउचज ंदल कनजपंइसम हववके तिवउ जीम ूवसम वत ंदल चंतज वि जीम कनजल समअपमक नदकमत जीपे ।बज ूमतम पद जीम वचपदपवद वि जीम ब्मदजतं ळवअमतदउमदजए पज पे दमबमेंतल जव हतंदज ेनबी मगमउचजपवद पद जीम पदजमतमेज ं जीम जतंकम वत पद जीम चनइसपब पदजमतमेजय

;गगद्ध छवजपलि पद जीम वपिबपंस ळंमजम सपेजे वि जीम दंउमे ंदक कमेबतपचजपवदे ं चतमचंतंजपवदे ूपबी ूवनसक सिस वित ैमेउमदज नदकमत ंदल चंतजपबनसंत पजमउ वि जीम ैबीमकनसम वत वित तमहनसंजपदह जीमपत उंदनबिजनतमए जतंदेचवत ंदक कपेजतपइनजपवदए

;गगपद्ध ।नजीवतप्रम चंतजपबनसंत बसेंमे वि मगबपेम वपिबमत जव चतवअपकम इल ूतपजजम पदेजतनबजपवदे वित ेनचचसमउमदजंस उंजजमते ंतपेपदह वनज वि ंदल तनसम उंकम इ जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज नदकमत जीपे ेमबजपवदण्

;3द्ध ीमतम ंदल बवदपिबंजपवद वत चमदंसजल ीं इममद ंकरनकहमक पद तमेचमबज वि इतमंबी वि ंदल तनसम नदकमत जीपे ।बजण्ीपबी पे ंसेव ंद वपिमिदबम नदकमत ैमबजपवद 7 जी चमतेवद बवदबमतदमक ींसस दवज इम चतवेमबनजमक नदकमत जींज ेमबजपवदण्

[1]ख्4द्ध म्अमतल तनसम उंकम नदकमत जीपे`मबजपवद ैंसस इम संपक ं``ववद ं उंल इ ंजिमत पज पे उंकम इमवितम मंबी भ्वनेम वि ंचंतसपंउमदज ूपसम पज पे पद `मेपवद वित ं जवज चमतपवक वि जीपतजल कंले ूपबी उंल इम बवउचतपेमक पद वदम`मेपवद वत पद जूव`नबबमेपअम`मेपवदेए ंदक पि इमवितम जीम मगचपतल वि जीम`मेपवदे पद ूपबी पज पे`व संपक वत जीम`मेपवद पउउमकपंजमसल विससवूपदह इवजी भ्वनेमे ंहतमम पद उंापदह ंदल उवकपपिबंजपवद पद जीम तनसम वत इवजी भ्वनेमे ंहतमम जींज जीम तनसम ैावनसक दवज इम उंकमए जीम तनसम ैंसस जीमतमंजिमत ैंअम वमिबज वदसल पद`नबी उवकपपिमक वितउ वत इम वि दव मंमिबजए ं जीम बेंम उंल इमए`वए ैावूमअमतए जींज ंदल`नबी उवकपपिबंजपवद वत ंददनसपदमदज ैंसस इम ूपजीवनज चतमरनकपबम जव जीम अंसपकपजल वि ंदलजीपदह चतमअपवनेसल कवदम नदकमत जींज तनसमण्

20ण ठंत वि नपजे ंदक सपउपजंजपवद वि नपजे ंदक वजीमत समहंस चतवबममकपदह.;1द्धण छव `नपज वत वजीमत समहंस चतवबममकपदह ैंसस इम ंहंपदेज जीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज वत ंहंपदेज ंदल वपिबमत पद तमचमबज वि ंदल वतकमत चेंमक पद हववक पिजी वत ंदल ंबज पद हववक जिी कवदम वत वतकमतमक जव इम कवदम नदकमत जीपे ।बजण्

;2द्ध छव`नपजए चतवेमबनजपवद वत वजीमत समहंस चतवबममकपदह ैंसस इम पदेजपजनजमक ंहंपदेज जीम बवससमबजपदह ळवअमतदउमदज वत ंहंपदेज ंदल वपिबमत वित ंदलजीपदह कवदम वत वतकमतमक जव इम कवदम नदकमत जीपे ।बज ंजिमत जीम मगचपतंजपवद वि पग उवदजी तिवउ जीम ंबबतनंस वि जीम बंनेम वि बजपवद वत तिवउ जीम कंजम वि जीम ंबज वत वतकमत बवउचसंपदमक वण्

21ण त्मचमंसे ंदक ं अपदहेण्. पिए पउउमकपंजमसल इमवितम जीम बवउउमदबमउमदज वि जीपे ।बजए जीमतम पे पद वितबम पद ंदल`जंजम ंदल सूं बवततमेचवदकपदह जव जीपे ।बजए जींज सूं पे ैमतमइल तमचमंसमकए

च्तवअपकमक जींज ंसस तनसमे उंकमए दवजपपिबंजपवद पेनमकए सपबमदबमे वत चमतउपजे हतंदजमकए चवूमते बवदमिततमक नदकमत ंदल सूं ीमतमइल तमचमंसमक ींससए ेव ति ं जीमल ंतम दवज पदबवदेपेजमदज ूपजी जीपे ।बजए ींअम जीम ेउम वितबम ंदक मंमिबज ं पि जीमल ींक इममद तमेचमबजपअमसल उंकमए पेनमकए हतंदजमक वत बवदमिततमक नदकमत जीपे ंबज ंदक इल जीम ंनजीवतपजल मउचवूमतमक ीमतमइल पद जीपे इमींसण्

जीम ैबीमकनसम

ैमम ैमबजपवद 3द्ध

प्जमउ छवण् क्मेबतपचजपवद वि कनजपंइसम हववके त्ंजम वि कनजल

;1द्ध ;2द्ध ;3द्ध

डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे

1ण् ।ससवचंजीपबए डमकपबदंस च्तमचंतंजपवदेरू

;पद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवस ूपबी ंतम दवज बंचंइसम वि इमपदह बवदेनउमक ं वतकपदंतल ंसबवीवसपब इमअमतंहमे.

;द्ध च्ंजमदज वत चतवचतपमजंतल उमकपबपदमे ज्ूमदजल चमतबमदज ंकअंसवतमउ

;इद्ध व्जीमते ज्ूमदजल चमतबमदज ंकअंसवतमउ

;पपद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवस ूपबी ंतम बंचंइसम वि इमपदह बवदेनउमक ं वतकपदंतल ंसबवीवसपब इमअमतंहमे.

;ंद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे ूपबी बवदजंपद ादवूद ंबजपअम पदहतमकपबदजे पद जीमतंचमनजपब ुनंदजपजपमे ज्ूमदजल चमतबमदज ंक अंसवतमउ

;इद्ध व्जीमतेज्ूमदजअ चमतबमदज ंक अंसमतमउ

;पपद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे दवज बवदजंपदपदह ंसबवीवस इनज बवदजंपदपदह दंतबवजपब कतनह वत दंतबवजपबज्ूमदजल चमत बमदज ंक अंसवतमउ

2ण् डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे पद ंलनतअमकपबए न्दंदप वत वजीमत पदकपदहमदवने ेलेजमउे वि उमकपबउम.

;पद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह`मसि.हिमदमतंजमक
ंसबवीवस ूीपबी ंतम दवज बंचंइसम वि इमपदह बवदेनउमक ं
वतकपदंतल ंसबवीवसपब इमअमतंहमे थ्वनत चमत बमदज ंक अंसवतमउ
;पपद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे बवदजंपदउह`मसि हिमदमतंजमक
ंसबवीवस ूीपबी ंतम बंचंइसम वि इमपदह बवदेनउमक ं वतकपदंतल
ंसबवीवसपब इमअमतंहमे थ्वनत चमत बमदज ंक अंसवतमउ
;पपपद्ध डमकपबपदंस चतमचंतंजपवदे दवज बवदजंपदपदह ंसबवीवस इनज
बवदजंपदपदह दंतबवजपब कतनह वत दंतबवजप
जूमदजल चमत बमदजंक अंसवतमत
3ण भ्वउवमवचंजीपब चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंावीवस थ्वनत चमत बमदज ंक अंसवतमउ
ज्वपसमज चतमचंतंजपवदे
4ण ज्वपसमज चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवस वत दंतबवजपब कतनह
वत दंतबवजपब थ्पजिल चमत बमदज ंक अंसवतमउ

ग्चसंदंजपवद ण् ष्चंजमदज वत चतवचतपमजंतल उमकपबपदमेष उमंदे ंदल उमकपबपदंस चतमचंतंजपवद ूीपबी इमंते मपजीमत वद पजेमसि वत वद पजे बवदजंपदमत वत इवजीए ं दंउम ूीपबी पे दवज`चमबपपिमक पद ं उवदवहतंची पद ं चींतउंबवचवमंए वितउनसंतल वत वजीमत चनइसपबंजपवदे दवजपपिमक पद जीपे इमींसि इल जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए वत ूीपबी पे ं इतंदक दंउम जींज पे ं दंउम वत ं तमहपेजमतमक जतंकमउंता नदकमत जीम जतंकम ंदक डमतबींदकपेम डंतो ।बजए 1958 ;43 वि 1958द्धए वत ंदल वजीमत उंता `नबी ं ं `लउइवसए उवदवहतंउए संइमसए `पहदंजनतम वत पदअमदजमक ूीतके वत ंदल ूतपजपदह ूीपबी पे नेमक पद तमसंजपवद जव जींज उमकपबपदंस चतमचंतंजपवद वित जीम चनतचवेम वि पदकपबंजपदह वत`व ं जव पदकपबंजम ं बवददमबजपवद पद जीम बवनतेम वि जतंकम इमजूममद जीम चतमचंतंजपवद ंदक`वउम चमतेवद ींअपदह जीम तपहीज मपजीमत ं चतवचतपमजवत

वत वजीमतूपेम जव नेम जीम दंउम वत उंता ूपजी वत ूपजीवनज ंदल पदकपबंजपवद वि जीम पकमदजपजल वि जींज चमतेवदण

ग्चसंदंजपवद प् ीमतम ंदल ंतजपबसम पे बींतहमंइसम जव कनजल ंज ं तंजम कमचमदकमदज वद जीम अंसनम वि जीम ंतजपबसमए ेनबी अंसनम ींसस इम कममउमक जव इम जीम अंसनम ं कमजमतउपदमक पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम चतवअपेपवदे वि मबजपवद 4 वि जीम ब्मदजतंस ग्मबपेम ।बजए 1944 ;1 वि 1944द्धण

ग्चसंदंजपवद प्प् ;1द्ध छवजूपजीजंदकपदह ंदलजीपदह बवदजंपदमक पद ग्चसंदंजपवद प्प्ए जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंल इल दवजपपिबंजपवद पद जीमण वि पिबपंस ळंमजजमए ेचमबपलि ंदल कनजपंइसम हववकेए पद तमसंजपवद जव ीपबी पज पे तमुनपतमकए नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि जीम ैजंदकंतके वि ॅमपहीजे ंदक डमेंनतमे ।बजए 1976 ;60 वि 1976द्ध वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमत वत नदकमत ंदल वजीमत सूं वित जीम जपउम इमपदह पद वितबमए जव कमबसंतम वद जीम चंबांहम जीमतमवि जीम तमजंपस ेसम चतपबम वि ेनबी हववकेए जव ीपबी जीम चतवअपेपवदे वि बसंनेम ;2द्ध ींसस ।चचसलण

;2द्ध ीमतम कनजपंइपम हववके ेचमबपपिमक नदकमत बसंनेम ;1द्ध ंतम बींतहमंइसम जव कनजल ूपजी तमजमतमदबम जव अंसनमए जीमद छवजूपजीजंदकपदह ंदलजीपदह बवदजंपदमक पद ग्चसंदंजपवद प्प्ए ेनबी अंसनम ींसस इम कममउमक जव इम जीम तमजंपस चतपबम कमबसंतमक वद ेनबी हववकेए समे ेनबी ंउवनदज वि इंजमउमदज ए पज ंदलए तिवउ ेनबी तमजंपस चतपबम ं जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंल ंससवू इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वि पिबंस ळंमजजमण

;3द्ध जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए वित जीम चनतचवेम वि ंससवूपदह ंदल ंइंजमउमदज नदकमत बसंनेम ;2द्धए जांम पदजव ंबबवनदक जीम कनजल वि मगबपेमए ंसमे जंग ंदक वजीमत जंगमेए पि ंदलए चंलंइसम वद ेनबी हववकेए

;4द्ध ैमतम वद जीम चंबांहम वि ंदल कनजपंइसम हववके उवतम जींद वदम तमजंपस ेसम चतपबम पे कमबसंतमकए जीम उंगपउनउ वि नबी तमजंपस ेसम चतपबम ैंसस इम कममउमक जव इम तमजंपस ेसम चतपबम वित जीम चनतचवेमे वि बंसनेम ;2द्धण

;5द्ध ैमतम कपमिमितमदज तमजंपस ेाम चतपबमे ंतम कमबसंतमक वद कपमिमितमदज चंबांहमे वित जीम ेसम वि ंदल कनजपंइसम हववकेए पद चंबांहमक वित पद कपमिमितमदज ंतमेंए मंबी ेनबी तमजंपस ेसम चतपबम ैंसस इम जीम तमजंपस ेसम चतपबम वित जीम चनतचवेमे वि अंसनंजपवद वि जीम कनजपंइसम हववके पदजमकदमक जव इम ेवसक पद जीम ंतमं जव ूपबी जीम तमजंपस ेसम चतपबम तमसंजबेण

;6द्ध थ्वत जीम चनतचवेम वि जीपे मगचसंदंजपवदए ष तमजंपस ेसम चतपबमष उंपदे जीम उंगपउनउ चतपबम ंज ूपबी जीम मगबपेंइसम हववके पद चंबांहमक वितउ उंल इम ेवसक जव जीम नसजपउंजम बवदेनउमत ंदक पदबसनकमे ंसस जंगमे सवबंस वत वजीमतूपेमए तिमपहीजए जतंदेचवतज बींतहमए बवउउपेपवद चंलंइसम जव कमंसमतेए ंदक ंसस बींतहमे जवूंतके ंकअमतजपेमउमदज कमसपअमतलए चंबापदहए वितूंतकपदह ंदक जीम सपामए ं जीम बेंम उंल इमए ंदक जीम चतपबम पे जीम ेवसम बवदेपकमतंजपवद वित ेनबी ेंसमण

छवजम वद

6.ठण् जीम डमकपबपदंस ंदक ज्वपसमज च्तमचंतंजपवदे ;म्गबपेम क्नजपमेद्ध ।बजए 1955

जीम ।बज मगजमदके जव ूीवसम वि प्दकपंद ंदक बंउम पदजव वितबम ूपजी मंमिबज तिवउ ंचतपस 1ए 1957ण्

प्ज चतवअपकमे वित जीम समअल ंदक बवससमबजपवद वि कनजपबे वद उमकपबपदंस ंदक जवपसमज चतमचंद ंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवसए वचपनउए वचपनउ प्दकपंद ीवउच वत वजीमत दंतबवजपब कतनहे वत दंतबवजपबेए जमतउमक ं कनजपंइसम हववकेण् ॅपजी जीम ंइवअम वइरमबजए जीम ।बज ंसेव तमहनसंजमे जीम उंदनबिजनतम वि जीमेम कनजपंइसम हववकेए ैमबजपवद 2 वि जीम ।बज कमपिदमे ं दनउइमत वि जमतउे ैमबजपवद 3 चतवअपकमे वित जीम समअल ंदक बवससमबजपवद वि मगबपेम कनजपमे वद हववके समअपंइसम ंज तंजमे ेचमबपपिमक पद जीम ेबीमकनसम जव जीम।बजए जीम ैबीमकनसम ीं इममद ंउमदकमक इल जीम च्तसपंउमदज तिवउ जपउम जव जपउमण् जीम कनजल पे समअपंइसम. ;द्ध ीमतम जीम हववके ंतम उंदनबिजनतमक पद इवदकए पद जीम ेजंजम पद ूीपबी ेनबी हववके ंतम तमसमेंमक तिवउ ं इवदकमक ूंतमीवनेम वित ीनउंद बवदेनउचजपवद ंदक ;इद्ध ूीमतम हववके ंतम दवज उंदनबिजनतमक पद इवदकए पद जीम ैजंजम पद ूीपबी ेनबी हववके ंतम तमसमेंमक तिवउ ं इवदकमक ूंतमीवनेम वित ीनउंद बवदेनउचजपवद ंदक ;इद्ध ूीमतम हववके ंतम दवज उंदनबिजनतमक पद इवदकए पद जीम ेजंजम पद ूीपबी हववके ंतम उंदनबिजनतमकण् ।सजीवनहीए कनजपमे वि मगबपेम वद जीम ंवितमेंपक हववके ंतम समअपमक इल चंतसपंउमदज जीमल ंतम बवससमबजमकरू.

;द्ध पद जीम बेंमए ूीमतम ेनबी कनजपमे ंतम समअपंइसम ूपजीपद ंदल नदपवद ज्मततपजवतलए इल ळवअमतदउमदज वि प्दकपंए ंदक

;इद्ध पद वजीमत बेंमेए इल जीम ेजंजमे ूपजीपद ूीपबी कनजपमे ंतम तमेचमबजपअमसल समअपंइसम ;अपकम ।तजपबसम 268 चि जीम ब्वदेजपजनजपवदद्धण्

च्तवअपेपवद ीं इममद उंकम पद ैमबजपवद 4 जव ंससवू तमइंजम वि कनजल वि ंसबवीवस ेनचचसपमक वित जीम उंदनबिजनतम वि कनजपंइसम हववकेए ैमबजपवद 5 च्तवअपकमे वित जीम तमबवअमतल वि ैनउे कनम जव हवअमतदउमदजण् न्दकमत ैमबजपवद 6ए दव कनजपंइसम हववके बंद इम उंदनबिजनतमक ूपजीवनज ंद ंचचतवचतपंजम सपबमदबमण् डंदनबिजनतम वि कनजपंइसम हववके ूपजीवनज ं सपबमदबम वत मअेंपवद वि चंलउमदज वि मगबपेम कनजल चंलंइसम नदकमत जीम ।बज ंदक जीम ंजजमउचज वत इमजउमदज वि बवउउपेपवद वि जीम वचिमिदबमे ंदक पिसनतम जव ेनचचसल बवततमबज पदवितउंजपवद ंतम चनदपींइसम नदकमत ैमबजपवद 7 ॅपजी पउचतपेवदउमदज नचजव ेपग उवदजी वद पिदम नच जव जूव जीवनेंदक तनचममे वत इवजी ब्वनतजे ींअम इममद मउचवूमतमक नदकमत ैमबजपवद 8 जव वतकमत वितमिपजनतम वि कनजपंइसम हववकेए ंसबवीवस वत वजीमत उंजमतपंसे न्दकमत ैमबजपवद 9ए मगबपेम वचिपिबमते कनसल मउचवूमतमक इल तनसमे उंकम पद जीपे इमींसज उंल ंततमेज ंदल चमतेवद ूीवउ ीम ीं तमेंवद जव इमसपमअम जव इम सपंइसम जव चनदपीउमदज नदकमत जीम ।बजण ैमबजपवद 10 चतवअपकमे जींज ंदल मगबपेम वचिपिबमत कनसल मउचवूमतमक इल तनसमे उंकम पद जीपे इमींसि ींसस ींअम चवूमत जव ेनउउवद चमतेवदे जव हपअम मअपकमदबम ंदक चतवकनबम कवबनउमदजे पद मदुनपतपमे नदकमत जीम ।बजण न्दकमत ैमबजपवद 11ए ंसस वचिपिबमते वि बनेजवउे ंदक ब्मदजतंस म्गबपेम ंदक वजीमत वचिपिबमते वि जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज ंदक ंसस चवसपबम वचिपिबमते ंदक ंसस वचिपिबमते मदहंहमक पद जीम बवससमबजपवद वि संदक तमअमदनम ंतम तमुनपतमक जव ेपेज मगबपेम वचिपिबमते पद जीम मगमबनजपवद वि जीपे ।बजण ैमबजपवद 12 चतवअपकमे जींज वूदमते वत वबबनचपमते वि संदक ंतम इवदक जव तमचवतज उंदनजंबजनतम वि बवदजतंइंदक कनजपंइसम हववके जव ं उंहपेजतंजम

वत जव ंद वपिबमत वि म्गबपेमए ब्नेजवउमए च्वसपबम वत संदक तमअमदनम कमचंतजउमदज न्दकमत ैमबजपवद 13ए ब्वददपअंदबम ंज वमिदबम इल ंदल वूदमत वत वबबनचपमत वि संदक वत ीपे ंहमदज पे चनदपींइसम ूपजी पउचतपेवदउमदज ूीपबी उंल मगजमदक जव ेपग उवदजी वत ूपजी जपदम ूीपबी उंल मगजमदक जव पिअम ीनदकतमक तनचममे वत इवजी ैमबजपवद 14 चतवअपकमे जींज ेबंतबीमे ंदक ंततमेजे ंतम जव इम उंकम पद ंबबवतकंदबम ूपजी जीम तमसमअंदज चतवअपेपवदे वि जीम बवकम वि बतपउपदंस चतवबमकनतम ैमबजपवद 15 चतवअपकमे जींज मअमतल चमतेवद ंततमेजमक ींसस इम वितूंतकमक जव जीम दमंतमेज मगबपेम वपिबमत मउचवूमतमक जव ेमदक चमतेवदे व ंततमेजमक जव ं डंहपेजतंजम वत पि जीमतम पे दव ेनबी मगबपेम वपिबमत ूपजीपद तमेंवदंइसम कपेजंदबमए जव जीम वपिबमत पद बींतहम वि जीम दमंतमेज चवसपबम ेजंजपवद ूव ींसस ंकउपज जव इंवस वत पद कमनिसज वि इंपस वितूंतक ीपउ ूीपजीवनज कमसंल पद बनेजवकल पद डंहपेजतंजम नदकमत ेमबजपवद 16 मगबपेम वपिबमते उंल मगमतबपेम ेउम चवूमते ं जीम वपिबमत पद बींतहम उंल मगमतबपेम ूीमद पदअमेजपहंजपदह ं बवहदप्रंइसम बेंम ैमबजपवद 17 चतवअपकमे जींज अमगंजपवने ेमंतबीए ेमप्रनतम मजबण इल मगबपेम वपिबमते पे चनदपींइसम ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेण ैमतेवदे ूपससनिससल ंदक उंसपबपवनेसल हपअपदह सिेव पदवितउंजपवद ंदक ेव बंनेपदह ंद ंततमेज वत ेमंतबी ेव उंकम ींसस इम चनदपींइपम ूपजी पउचतपेवदउमदज ूीपबी उंल मगजमदक जव जूव लमंते वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममे वत इवजीण

ैमबजपवद 19 मउचवूमते जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज वि उंाम तनसमे जव बंततल वनज जीम चनतचवेमे वि जीम ।बजण न्दकमत जीम इवअम ेमबजपवदए जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज ीं तिंउमक तनसमे बंससमक जीम डमकपबपदंस ंदक ज्वपसमज च्तमचंतंजपवदे ;म्गबपेम क्नजपमेद्ध त्नसमेए 1956 ूीपबी बंउम पदजव मंमिबज तिवउ 1ण4ण1957ण

भ्वूमअमतए बमतजंपद वजीमत चवूमते ंतम हपअमद इल जीम ंवितमेंपक तनसमेए ेवउम वि ूपबी ंतम कमेबतपइमक इमसवूरू.

च्वूमते वि ंबबमे जव चतमउपेमेए ंबबवनदजेण दृ न्दकमत त्नसम 110 वि जीम ंवितमेंपक तनसमेए ंदल वपिबमत ंनजीवतप्रमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए उंल ींअम तिमम ंबबमे जव चतमउपेमे ूमितम कनजपंइसम हववके ंतम ेजवतमक ंदक ंबबवनदजे उंपदजंपदमक जीमतमण

च्वूमते वि मदजतल ंदक ेमंतबी ंदक ंततमेजण. वपिबमते वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज दवज इमसवू जीम तंदा वि ैनइ.प्देचमबजवत वि म्गबपेम ंतम ंनजीवतप्रमक जव मदजमत ंदक ेमंतबी इनपसकपदह ंदक चसंबमे ूमितम ंद वमिदबम नदकमत ।बज ीं इममद बवउउपजजमक ंदक ंततमेज चमतेवदेए अपकम त्नसमे 113ए 114 ंदक 121 वि जीम ंवितमेंपक तनसमेण

च्वूमत वि ंकरनकपबंजपवद वि बवदपिबंजपवद ंदक चमदंसजलण दृ त्नसम 123 वि जीम ंइवअम तनसमे चतवअपकमे जींज ूमितम नदकमत जीमेम तनसमे ंदलजीपदह पे सपइसम जव बवदपिबंजपवद वत ंदल चमतेवद पे सपंइसम जव चमदंसजल ेनबी बवदपिबंजपवद वत चमदंसजल ींसस इम ंकरनकहमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतण

ळमदमतंस चमदंसजलण. । इतमंबी वि जीमेम तनसमे ींससए ूमितम दव वजीमत चमदंसजल पे चतवअपकमकए इम चनदपींइसम ूपजी ं चमदंसजल ूपबी उंल मगजमदक जव वदम जीवनेंदक तनचममे ंदक ूपजी बवदपिबंजपवद वि जीम हववके पद तमेचमबज वि ूपबी ेनबी इतमंबी पे बवउउपजजमकण

ब्वउचवेपजपवद वि वमिदबमेरू. जेम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत ंदल मगबपेम वपिबमत मउचवूमतमक इल ीपउ पद जीपे इमींसि ए उंल ंबबमचज तिवउ ंदल चमतेवद ूमितम चतवचमतजल पे सपंइसम जव बवदपिबंजपवद ूव पे तमेंवदंइसम ेनेचमबजमक वि ींअपदह बवउउपजजमक ंद वमिदबम ं ेनउ वि उवदमल दवज मगबममकपदह जूव जीवनेंदक तनचममे पद सपमन वि बवदजपेबंजपवद ंज हववके वि चनदपीउमदज ण

7. ।ण जीमै चपतजनवने च्तमचंतंजपवदे ;प्दजमतैजंजम ज्तंकम ंदक ब्वउउमतबमद्ध ब्वदजतवस ।बजण 1955

ख्छवण 39 वि 1955,

त्मबमपअमक जीमे मदज वि जीम चतमेपकमदज वद जीम 15 जी व्बजवइमतए 1955द्ध

।द ।बज जव उंाम चतवअपेपवद वित जीम पउचवेपजपवद पद जीम चनइसपब पदजमतमेज वि बमतजंपद तमेजतपबजपवदे वद पदजमतैजंजम जतंकम ंदक बवउउमतबम पद चपतपजनवने उमकपबपदंस ंदक वजीमत चतमचंतंजपवदे ंदक जव चतवअपकम वित उंजजमते बवददमबजमक जीमतमूपजीण

ठमज पज मदंबजमक इल च्तींउमदज पद जीमै पगजी ल्मंत वि जीम त्मचनइसपब वि प्दकपं विससवूरू

1णौवतज जपजसमए म्गजमदज ंदक बवउउमदबमउमदजण दृ ;1द्ध जीपे ।बज उंल इम बंससमक जीम चपतपजनवने च्तमचंतंजपवदे ;प्दजमत ऋैजंजम ज्तंकम ंदक बवउउमतबमद्ध ब्वदजतवस ।बजए 1955ण

;2द्ध प्ज मगजमदके जव जीमौवसम वि प्दकपंण

;3द्ध प्ज ींसस बवउम पदजव वितबम वद नबी कंजम जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए चचवपदजण 1

2ण क्मपिदपजपवदेण दृ प्द जीपे ।बजए न्दकमे जीम बवदजमगज वजीमतूपेम तमुनपतमे दृ

;द्ध सबवीवसश उमंदे मजीलस सबवीवस ींअपदह जीम बीमउपबंस बवउचवेपजपवद ब2भ5ब्ए

;इद्ध चतमेबतपइमकश उमंदे चतमेबतपइमक इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजण

;बद्ध च्तवीपइपजपवद `जंजम उमंदे ंदल `जंजम ूीपबी जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए `चमबपलि ं इमपदह ं `जंजम पद ूीपबी वत पद ंदल वि ूीपबी जीम बवदेनउचजपवद वि ंसबवीवसपब सपुनवत पे हमदमतंससल चतवीपइपजमक इल सूंए

;कद्धै चपतपजनवने चतमचंतंजपवद उमंदे.

;पद्ध ंदल उमकपबपदंस चतमचंतंजपवद बवदजंपदपदह ंसबवीवस ूीमजीमत `मसि ळमदमतंजमक वत वजीमतूपेम वत

;पपद्ध ।दल उपगजनतम वत बवउचवनदक वि ूपदम ूपजी उमकपबपदंस `नइेजंदबमेए ूीमजीमत जीम ूपदम वितजपपिमक ूपजी `चपतपज वत दवजण वत

;पपपद्ध ंदल वजीमत `नइेजंदबम दवजपपिमक नदकमत `मब 4 जव इम ं `चपतपजनवने चतमचंतंजपवद

3ण ब्वदजतवस वि पदजमतै.जंजम जतंकम ंदक बवउउमतबम पद `चपतपजनवने चतमचंतंजपवदेण्दृ ;1द्ध छवण चमतेवद ीसससए पद जीम बवनतेम वि प्दजमत. ैजंजम जतंकम ंदक ब्वउउमतमब

;द्ध पउचवतज पदजव ं चतवीपइपजपवद`जंजम ंदल`चदपजनवने चतमचंतंजपवद वत

;इद्ध मगचवतज तिवउ ंदल ैजंजम वत जतंदेचवतज तिवउ वदम चसंबम जव ंदवजीमत वत `मसस ंदल `चपजदवने चतमचंतंजपवद वित जीम चनतचवेम वि पजे पउचवतजंजपवद पदजव ं चतवीपइपजपवद`जंजमण

ैअम पद ंबबवतकंदबम ूपजी तनसमे उंकम ंदकमत `नइे.मबजपवद ;2द्ध ंदक ूपजी ीम वदकपजपवदे वि ंदल सपबमदबम वित जींज चनतचवेम ूीपबीए ीम उंल इम तमुनदमक जव वइजंपद नदकमत जीवेम तनसमेण

;2द्ध जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए उंाम तनसमे तमहनसंजपदह ेनबी पउचवतजए मगचवतजए जतंदेचवतज वत ेसमए ंदक ेनबी तनसमे उंल चतमेबतपइम जीम वितउ ंदक बवदकपजपवदे व सपबमदबमे जीमतमवितमए जीम ंनजीवतपजपमे इल ूपबी ेनबी सपबमदबमे उंल इम हतंदजमक ंदक जीम मिमे जींज उंल इम बींतहमक ूपजी तमेचमबज जीमतमजवए ंदक ंदल वजीमत उंजजमत तमुनपतमक जव तमदकमत मिमिबजपअम जीम बवदजतवस वअमत ेनबी पउचवतज मगचवतज जतंदेचवतज वत ेसमण

;3द्ध ैंअम पद ेव ति ं उंल इम मगचतमेसल चतवअपकमक पद जीम तनसमे उंकम नदकतेनइे.मबजपवद ;2द्धए दवजीपदह पद जीपे ेमबजपवद ींसस ंचचसल जव ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवदे ूपबी ंतम जीम चतवचमतजल व जीम ळवअमतदउमदजण

4ण व्जीमत चतमचंतंजपवदे बवदजंपदपदह ंसबवीवस उंल इम दवजपपिमक ं ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवदेण दृ ;1द्ध प जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज पे ेजपेपिमक ंजिमत उंापदह ेनबी पदुनपतल पद जीपे इमींस ैं पज उंल जीपदा ।पज ंदक ंजिमत जांपदह पदजव ंबबवनदज ेनबी तमचतमेमदजंजपवदे ं उंल इम उंकम पद जीम उंजजमतए जींज बवदजतवस व पदजमतै.जंजम जतंकम ंदक बवउउमतबम पद ंदल चतमचंतंजपवद बवदजंपदपदह ंसबवीवस वजीमत जींद ं चतमचंतंजपवद तममिततमक जव पद ेनइ.ब्संनेम ;पद्ध वत ेनइ.बसंनेम ;पपद्ध व ब्सण ;कद्ध व ैमबण 2 पे दमबमेंतल पद जीम चनइसपब पदजमतमेजए पज उंल इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजम कमबसंतम ेनबी चतमचंतंजपवद जव इम ं ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवद ूपजीपद जीम उमंदपदह व जीपे ंबज ंदक जीमतमनचवद जीम चतवअपेपवदे व जीपे ।बज ींसस ंचचसल जीमतमजवण

5ण च्मदंसजपमेण दृ प्ज ंदल चमतेवद बवदजतंअमदमे ंदल वि जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज वत वि ंदल तनसमे उंकम जीमतमनदकमतए वत जीमजमतउे ंदक बवदकपजपवदे वि ंदल सपबमदबम हतंदजमक नदकमत ेनबी तनसमेए ीम ींसस वित मअमतल ेनबी वमिदबमए इम चनदपींइसम ूपजी पदपचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम लमंतए वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम जीवनेंदक तनचममे वत ूपजी इवजीण

6ण च्तवबमकनतम जव इम विससवूमक इल डंहपेजतंजमण दृ प्द ंसस जतपंसे वित वमिदबमे नदकमत जीपे ।बज वत जीम तनमे उंकम जीमतमनदकमतए जीम उंहपेजतंजम ींसस विससवू जीम डंहपेजतंजम ींसस विससवू जीम चतवबमकनतम चतमेबतपइमक पद जीम बवकम वि बतपउपदंस चतवबमकनतमए जीम जतपंस वि ेनउउंतल बेंमे पद ूीपबी ंद ंचचमस सपमेण

7ण वमिदबमे नदकमत जीपे ।बज बवहदप्रंइसम. छवजूपजीजंदकपदह ंदलजीपदह नदजंपदमक ंद जीम बवकम वि ब्तपउपदंस च्तवबमकनतमए 18998 ंसस वमिदबमे नदकमत जीपे ।बज ंदक जीम नदकमत उंकम जीमतमनदकमत ींसस इम बवहदप्रंइसमण

8ण च्वूमत जव मदजमतए ेमंतबीए ेमप्रमए ंततमेज ूपजीवनज ूततंदज ंदक पदअमेजपहंजम वमिदबमे. पि ंदल वपिबमत वि जीम कमचंतजउमदज वि चतवीपइपजपवदए मगबपेमए चवसपबम तमअमदनम वत चनइसा ीमंसजी ंनजीवतप्रमक पद जीपे इमींसि इल जीम ेजंजम ळवअमतदउमदज चवसपबम तमअमदनम वि चनइसा ीमंसजी ंनजीवतप्रमक पद जीपे इमींसि इल जीम ेजंजम ळवअमतदउमदज इल हमदमदंस वि ेचमबपंस वतकमतए ूव ीं तमेंवद जव इमसपमअम तिवउ चमतेवदंस ादवूसमकहम वत ीवउ उजवतउंजपवद हपअमद इल ंदल चमतेवद ंदक जांमद कवूद पद ूतपजपदह जींज ंदल ेचपदजनवने चतमचंतंजपवद पद तमेचमबज वि ूीपबी ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत ैमबण 5 ीं इममद बवउउपजजमक पे ामचज वत बवदबमंसमक पद ंदल ीवनेमए

इनपसकपदह वत मदबसवेमक ेचंबम वत पे इमपदह जतंदेचवतजमक पद ंदल अमीपबसमए अमेमस वत ंपतबतंजि जव ंदल चसंबम वत पे पद जतंदेपज उंअ.

;द्ध मदजमत ंज ंदल जपउम इल कंल वत इल दपहीज पदजव ंदल ेनबी ीवनेमए इनपसकपदह वत मदबसवेमक ेचंबम वत अमीपबसमए अमेमस वत ंपतबतंजिण्

;इद्ध प्द बेंम वि तमेपेजंदबमए इतमां वचमद ंदल कववत ंदक तमउवअम ंदल वजीमत वइेजंबसम जव ेनबी मदजतलण्

;बद्धै मप्रम ेनबी चतमचंतंजपवद ंदक कवबनउमदज वत वजीमत ंतजपबसम ूपबी ीम ीं तमेंवद जव इमसपमअम उंल नितदपी मअपकमदबम वि जीम बवउउपेपवद वि ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत जीपे ।बज वत जीम तनसम उंकम जीमतमनदकमतए ंदक

;कद्ध क्मजंपद ंदक ेमंतबी ंदल चमतेवद ूवउ ीम ीं तमेंवद जव इमसपमअम जव इम हनपसजल वि ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत जीपे ।बज वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतए ंदक पि ेनबी चमतेवद ीं दंल ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवद पद जीम चवेमेपवद ंदक ेनबी चवेमेपवद ंचचमंते जव ीपउ जव इम नदसूंनिस ंततमेज ीपउण्

;2द्ध ीमतम ंद वमिपिबमत जांमे कवूद ंदल पदवितउंजपवद पद ूतपजपदह नदकमत ेनइे.मबजपवद ;1द्ध ीम ींसस वितजीूपजी ेमदक ं बवचल जीमतमवि जव ीपे पउउमकपंजम वमिपिबपंस ेनचमतपवतण्

;3द्ध जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंल मउचवूमत ंदल वमिपिबमत वि जीम चतवीपइपजपवद वत मगबपेम कमचंतजउमदज जव पदअमेजपहंजम वमिदबमे नदकमत जीपे ।बज ंदक जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतण्

;4द्ध ।द वमिपिबमत मउचवूमतमक नदकमत ेनइे.मबजपवद ;3द्ध ींससए पद जीम बवदकनबज वि ेनबी पदअमेजपहंजपवदए मगमतबपेम जीम चवूमते बवदमिततमक इल जीम ब्वंक वि ब्तपउपदंस च्तवबमकनतमए 1898ए नचवद ंद

वचिपबमत पदबींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवद वित जीम पदअमेजपहंजपवद वि बवहदप्रंइसम वचिमिदबमेण

9ण टमगंजपवने ेमंतबीए ेमप्रनतमए मजबण इल वचिपबमते मगमतबपेपदह चवूमते नदकमत जीपे ।बजण दृ ;1द्ध ।दल वचिपबमत मगमतबपेपदह चवूमते नदकमत जीपे ।बज वत नदकमत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमत ूीव.

;द्ध पजीवनज तमेंवदंइसम हतवनदक वित इमसपमअपदह जींज पज पे दमबमेंतल ेव जव कवए ेमंतबीमे वत बंनेमे जव इम ेमंतबीमक ंदल ीवनेमए इनपसकपदह वत मदबसवेमक चसंबम वत ंदल अमीपबसमए अमेमस वत ंपतबतंजिण

;इद्ध टमगंजपवनेसल वत नददमबमेंतपसल ेमप्रमे ंदल ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवद वत ंदल कवबनउमदज वत वजीमत ंतजपबसमए

;बद्ध टमगंजपवनेसल वत नददमबमेंतपसल कमजंपदेए ेमंतबीमे वत ंततमेजे ंदल चमतेवदए वत

;कद्ध ब्वउउपजे ं ेनबी वचिपबमत ंदल वजीमत ंबज जव जीम पदरनतल वि ंदल चमतेवद पजीवनज ींअपदह तमेंवद जव इमसपअम जींज ेनबी ंबज पे तमुनदमक वित जीम मगमबनजपवद वि ीपे कनजलण

ौींसस वित मअमतल ेनबी वमिबम इम चनदपेींइसम पजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेण

;2द्ध ।दल चमतेवद पससनिससल ंदक उंसपबपवनेसल हपअपदह जंसमे पदवितउंजपवद ंदक ेव बंनेपदह ंद ंततमेज वत ं ेमंतबी जव इम उंकम नदकमत जीपे ।बज ौींसस इम चनदपेींइसम पजी ददम ूीपबी उंल मगजमदक जव जूव जीवनेंदक तनचममेए वत पजी पउचतपवेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम लमंत वत पजी इवजीण

10ण वमिदबमे इल बवउचंदपमेण दृ ;1द्ध पि जीम चमतेवद बवउउपजजपदह ंद वमिदबम नदकमत ेमबजपवद 5 पे ं बवउचंदल मअमतल चमतेवद ूीवए ंज जीम जपउम जीम बवदजतंअमदजपवद ूे बवउउपजजमक ूे बींतहम वएि ंदक ूे

तमेचवदेपइसम जवए जीम बवउचंदल वित जीम बवदकनबज वि जीम इनेपदमे वि जीम बवउचंदलए ं ूमसस ं जीम बवउचंदल ींसस इम कममउमक जव इम हनपसजल वि जीम बवदजतंअमदजपवद ंदक ींसस इम सपंइसम जव इम चतवबममकमक ंहंपदेज ंदक चनदपींमक ंबबवतकपदहसलण

म्गचसंदंजपवदण दृ थ्वत जीम चनतचवेमे वि जीपे ेमबजपवद.

;द्ध श्ब्वउचंदलश उमंदे ंदल इवकल बवतचववतंजम ंदक पदबसनकमे ं पितउ वत वजीमत ेवबपंजपवद वि पदकपअपकनंसेए ंदक

;इद्ध श्क्पतमबजवतश पद तमसंजपवद जव ं पितउ उमंदे ं चंतजदमत पद जीम पितउण

11ण च्मतेनउचजपवद वित चवेमेपवद वि चपतपजनवने चतमचंतंजपवदेण्प्द ज्तपंसे नदकमत जीपे ।बजण प्ज उंल इम चतमेनउमकए नदसमे ंदक नदजपस जीम बवदजतंतल पे चतवअमकए जींज जीम ंबबनेमक ीं श्बवउउपजजमकश ंद वमिदबम नदकमत जीपे ।बज वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमत पद तमेचमबज वि ंदल ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवदे वित जीम चवेमेपवद वि ूपबी ीम पिसे जव ंबबवनदज ेंजपेबिजवतपसलण

12ण क्मसमहंजपवद वि चवूमतेण दृ जीम ब्मदजतंस ळवअमतदउमदज उंल इल दवजपपिबंजपवद पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए कपतमबज जींज जीम चवूमत जव उंाम तनसमे नदकमत ेमबजपवद 8 ींसस ेनइरमबज जव ेनबी बवदकपजपवदेए पि ंदल ं उंल इम ेचमबपजपमक पद जीम दवजपपिबंजपवद इम मगमतबपेंइसम ंसेव इल ैजंजम ळवअमतदउमदजण

13ण च्वूमत जव मगमउचजण दृ जीम बमदजतंस ळवअमतदउमदज उंलए इल दवजपपिबंजपवद2 पद जीम वपिबपंस ळंमजजमए ंदक ेनइरमबज जव ेनबी बवदकपजपवदे ं पज उंल जीपदा पिज जव पउचवेमए मगमउचज ंदल ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवदे तिवउ ंसस वत ंदल वि जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज वद जीम हतवनदक जींज जीम ेचपतपजनवने चतमचंतंजपवद पे

वतकपदंतपसल तमुनपतमक वित उमकपबपदंसए`बपमदजपपिब पदकनेजतपंस वत `नबी सपाम चनतचवेमेण्

14ण वपिबमते ंबजपदह नदकमत जीपे ।बज जव इम चनइसपब`मतअंदजेण दृ ।सस वपिबमते मउचवूमतमक जव मगमजबपेम ंदल चवूमते वत जव चमतवितउ ंदल कनजपमे नदकमत जीपे ।बज ैींसस इम कममउमक जव इम चनइसपब`मतअंदजे ूपजीपद जीम उमंदपदह वि मबजपवद 21 वि जीम प्दकपंद च्मदंस ब्वकमण्

15ण च्तवजमबजपवद वि ंबजपवद जांमद पद हववक पिजीण दृ छव `नपज चतवेमबनजपवद वत वजीमत समहंस चतवबममकपदहे ैींसस सपम ंहंपदेज ंदल वपिबमत वत चमतेवद मउचवूमतमक जवमगमतबपेम चवूमते वत जव चमतवितउ कनजपमे नदकमत जीपे ।बज वित ंदलजीपदह पद हववक कवदम वत पदजमककमक जव इम कवदन नदकमत जीपे ।बज वत जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमतण्

16ण ैंअपदह वि सवबंस ंदक`चमबपंस सूंण दृ छवजीपदह पद जीपे ।बज वद पद जीम तनसमे उंकम जीमतमनदकमत ैींसस ंमि जीम अंसपकपजल वि ंदल चतवअपदबपंस ंबज वत ं`जंजम ।बज वित जीम जपउम इमपदह पद वितबमए वत वि ंदल तनसमए तमहनसंजपवद वत वतकमत उंकम जीमतमनदकमतए ूपबी पउचवेमे ंदल तमेजतपबजपवद दवज पउचवेमक इल वत नदकमत जीपे ।बजए वत पउचवेमे ं तमेजतपबजपवद हतमंजमत पद कमहतमम जींद ं बवततमेचवदकपदह तमेजतपबजपवद पउचमेंक इल वत नदकमत जीपे ।बज वद जीम जतंपिब पद ंदल `चपतपजनवने चतमचंतंजपवद ूपजीपद जीम जमततपजवतपमे वि जीम`जंजमण्

4. ।ण जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे व्यपनउ ेउवापदह ।बजए 19341

;न्यच्ण ।बज छवण प्प्ब वि1934द्ध

।उमदकमक इल जीम

न्यच्ण ।बज छवण ग्ग्ट वि1953 2 न्यच्ण ।बजण छवण ग्ग्प्प्ब वि1961

।कंचजमक ंदक उवकपपिमक इल जीम ळवअमतदउमदज वि प्दकपं

; ।कंचजंजपवद वि प्दकपंद स्ूंद्ध व्तकमतए 1937

।कंचजमक ंदक उवकपपिमक इल जीम ंकंचजंजपवद वि स्ूं व्तकमतए 1950

त्मबमपअमक जीम ेमदज वि जीम ळवअमतदवत वद ङंतबी 17ए 1934ए ंदक जीम ळवअमतदवत ळमदमतंस वद ।चतपस 19ए 1934 ंदक ूे चनइसपेीमक 3 नदकमत ैमबजपवद 31 वि जीम ळवअमतदउमदज वि प्दकपं ।बज वद ङंल 5ए 1934ण

चैमक पद भ्पदकप ठल जीम न्जजंत च्तंकमेी स्महपेसंजपअम ।मउइसल वद ।नहनेज 7ए 1953ए ंदक इल जीम न्जजंत च्तंकमेी स्महपेसंजपअम ब्वनदबपस वद ।नहनेज 29ए 1953ण

त्मबमपअमक जीम ेमदज वि जीम च्तमेपकमदज वद ब्वजवइमत 6ए 1953 नदकमत ।तजपबसम 201 वि जीम बवदेजपजनजपवद वि प्दकपं ंदक ूे चनइसपेीमक पद जीम न्जजंत च्तंकमेी ळंमजजम म्गजतंवतकपदंतल कंजमक ब्वजवइमत 9ए 1953ण,

।द ।बज जव ंउमदक जीम स्ूं तमसंजपदह जव वचपनउ ेउवापदह पद जीम न्दपजमक च्तवअपदबमेण

ीमतमंज पज पे मगचमकपमदज जव ंउमदक जीम सूं तमसंजपदह जव वचपनउ ेउवापदह पद जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे ूपजी ं अपमू जव उंाम चतवअपेपवद वित जीम तमहपेजतंजपवद वि चमतेवदे ूीव ंतम वचपनउ ेउवामते ंदक जव ेमबनतम जीम नसजपउंजम चतवीपइपजपवद वि वचपनउ ेउवापदह पद जीम न्नदपजमक च्तवअपदबमेण

।दक ूीमतमें जीम चतमअपवने ेंदबजपवद वि जीम ळवअमतदवत ळमदमतंस ीं इममद वइजंपदमक नदकमत ेनइै.मबजपवद ;3द्ध वि ैमबजपवद 80.। वि जीम ळवअमतदउमदज वि प्दकपं ।बज जव जीम चेंपदह वि जीपे ।बजय

प्ज पे ीमतमइल मदंबजमक ें विससवूरू

बैंचजमत ब्

च्तमसपउपदंतल

1ण ौवतज जपजसमए मगजमदज ंदक बवउउमदबमउमदज दृ;1द्ध जीपे ।बज उंल इम बंससमक जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे व्वपनउ ैउवापदह ।बजण 1934ण ;2द्ध प्ज मगजमदके जव जीम ूावसम वि ख्न्जजंत च्तंकमौण,4

;3द्ध प्ज ौंसस बवउम पदजव वितबम वद ेनबी कंजम5 ं जीम ख्ैजंजम ळवअमतदउमदज,6 उंलए इल दवजपपिबंजपवदए ंचचवपदज वद जीपे इमींसयि ंदक वद ंदक तिवउ जींज कंजम जीम नदपमिक च्तवअपदबमे व्वपनउ ैउवापदह ।बजए 1925 ौंसस इम तमचमंसमकण

2ण क्मपिदपजपवदे. प्द जीपे ।बजए नदसमे जीमतम पे ंदलजीपदह तमचनहदंदज पद जीम ेनइरमबज वत बवदजमगज

;1द्ध ष वचपनउष ौं जीम ेउम उमंदपदह े पद जीम व्वपनउ ।बजए 1878ए

;2द्ध ष्चतमचंतमक वचपनउष उमंदे ंदल चतवकनबज वि वचपनउ वइजंपदमक इल ंदल वचमतंजपवद वत ेमतपमे वि वचमतंजपवदे कमेपहदमक जव जतंदेवितउ वचपनउ पदजव ंद मगजतंबज ेनपजंइसम वित ेउवापदहए ंदक पदबसनकमे बींदकनए उंकां ंदक जीम कतवे वत वजीमत तमेपकनम तमउंपदपदह ंजिमत वचपनउ पे ेउवामकए

;3द्ध ष्च्संबमष पदबसनकमे ं इनपसकपदह ीवनेमए ौवचए इववजीए जमदजए अमेमसए तंजि ंदक अमीपबसम ंदक ंदल चंतज जीमतमवयि

;4द्ध ष्ब्वससमबजवतष डमंदे जीम बीपमि वपिबमत पद बींतहम वि जीम तमअमदनम ंकउपदपेजतंजपवदवि ं कपेजतपबजए ंदक पदबसनकमे ं क्मचनजल ब्वउउपेपवदमत ंदक जीम ैनचमतपदजमदकमदजए क्मीतंकनदय

;5द्ध ष्डंहपेजतंजमष उमंदे ं डंहपेजतंजम वि जीम पितेज ब्सें वत ं डंहपेजतंजम वि जीम 2दक बसें ेचमबपंससल मउचवूमतमक इल जीम ख्ैजंजम ळवअमतदउमदज,1 जव जतल बेंमे नदकमत जीपे ।बजय

;6द्ध ष्मबपेम ब्वउउपेपवदमतष उमंदे जीम वपिबमत ।चचवपदजमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज नदकमत ैमबजपवद 10;2द्ध ;द्ध वि न्दपजमक च्तवअपदबमे म्गबपेम ।बजए 1910य

;7द्ध ष्वपिबमत वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदजष उमंदे जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत ंद वपिबमत ंचचवपदजमक नदकमत ैमबजपवद 10 ;2द्ध ;कद्ध वि जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे म्गबपेम ।बजए 1910ए ंदक पदबसनकमेए ंद वपिबमत वत चमतेवद मउचवूमतमक नदकमत ैमबजपवद 10 ;2द्ध ;मद्ध वि जींज ।बजय

;8द्ध ष्छवजपपिबंजपवदष उमंदे ं दवजपपिबंजपवद चनइसपेीमक पद जीम वपिबपंस ळंमजजमय ंदक

;9द्ध ष्तमहपेजमतमक ेउवामतष उमंदे ं चमतेवद तमहपेजमतमक नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बज ं ेउवामत वि चतमचंतमक वचपनउण

बींचजमत ण्ण

च्तवीपइपजपवद ंदक ब्वदजतवस

3ण त्महपेजमत वि उवामते दृ ;1द्ध जैम ख्जंजम ळवअमतदउमदज,1 ींसस बंनेम ं तमहपेजमत जव इम चतमचंतमक वि चमतेवदे ूीव ंतम दवज नदकमत जीम ंहम वि जूमदजल.पिअम लमंते ंदक ूीव ंतम पद जीम ींइपज वि उवापदह चतमचंतमक वचपनउण

;2द्ध ैनबी तमहपेजमत ींसस इम चतमचंतमक इल ेनबी ंनजीवतपजल ंदक पद ेनबी उंददमत ं जीम ख्जंजम ळवअमतदउमदज,1 उंलए इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजए चतमेबतपइमए ंदक ींसस बवदजंपद ेनबी चंतजपबनसंतेए ंदक ींसस इम पद ेनबी वितउ ं जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत उंल इल दवजपपिबंजपवद चतमेबतपइमण

;3द्ध ैनबी तमहपेजमत ींसस इम बसवेमक वद ं कंजम जव इम पिगमक ंदक दवजपमिक पद जीम वपिबपंस ळंमजजम इल जीम ख्जंजम ळवअमतदउमदज,1

ंदक ए ेनइरमबज जव ेनबी मगबमचजपवदे ं जीम ख्ैजंजम ळवअमतदउमदज,1 उंल इल दवजपपिबंजपवद चतमेबतपइमए दव ेनबी मदजतल ींसस इम उंकम जीमतमवद ंजिमत ेनबी कंजमण्

;4द्ध ।सस चमतेवदे ूीव ंतम मसपहपइसम वित इमपदह तमहपेजमतमक नदकमत जीपे ।बज ं वि चतमचंतमक वचपनउ ींससए नच जव जीम कंजम पिगमक वित बसवेपदह जीम मदजतपमे पद जीम इम बवदेपकमतमक ं तमहपेजमतमक ेउवामतेए ूीमजीमत जीमपत दंउमे ंतम ंबजनंससल पद जीम तमहपेजमत वत दवजण्

4ण्ै उवापदह चतमचंतमक वचपनउ इल तमहपेजमतमक ेउवामत. ;1द्ध छव चमतेवद ए दवज ं तमहपेजमतमक ेउवामतए ींसस ेउवाम वत उंदनबिजनतम वत चवेमे चतमचंतमक पद ंदल ुनंदजपजल ूींजेवमअमतण्

2ण् ङंदनबिजनतम ंदक चवेमेपवद इल तमहपेजमतमक ेउवामत. छव तमहपेजमतमक ींसस ींअम पद जीपे चवेमेपवदए वत ींसस उंदनबिजनतमए ंज ंदल वदम जपउमए वचपनउ पद मगबमे वि ींसि ं जवसं पद ूमपहीज वत ेनबी वजीमत समेमत ुनंदजपजल ं ेजंजम ळवअमतदउमदज,1 उंल इल तनसम उंकम नदकमत जीपे ।बजए चतमेबतपइम.

च्तवअपकमक जींज पद दव बेंम ींसस ं तमहपेजमतमक ेउवामत उंदनबिजनतम ंदल वचपनउ तिवउ वचपनउ वइजंपदमक वजीमतूपेम जींद पद ंबववतकंदबम ूपजी तनसमे नदकमत ैमबजपवद 5 वि जीम व्चपनउ ।बजए 1878 ंदक दव तमहपेजमतमक ेउवामत ींसस पद ीपे चवेमेपवद ंदल ुनंदजपजल वि चतमचंतमक वचपनउ ेव उंदनबिजनतमकण्

;3द्ध ।पेजंदबम पद जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउ.छव चमतेवद ींसस ंदवजीमतए ूीमजीमत ं तमहपेजमतमक वचपनउ ेउवामत वत दवजए पद जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउण्

5ण् च्तमेनउचजपवद वि ैउवापदह चतमचंतमक वचपनउ पद बमतजंपद बेंमे दृ पि ंदल चमतेवदए दवज इमपदह ं तमहपेजमतमक ेउवामतए पे विनदक पद

चवेमेपवद वि चतमचंतमक वचपनउ वत ंदल ंचचंतंजने नेमक वित जीम ेउवापदह वएि वत पद जीम उंदनबिजनतमए वएि चतमचंतमक वचपनउए पज ींसस इम चतमेनउमकए नदजपस जीम बवदजतंतल पे चतवअमकए जींज ेनबी चमतेवद ेउवामे चतमचंतमक वचपनउण

6ण ैसम वि चतमचंतमक वचपनउण दृ छव चमतेवद ींसस ेमससए मगचवेम वत वमिित वित ेंसमए वत ंजजमउचज जव ेमसस चतमचंतमक वचपनउण

7ण व्वपनउ ेउवापदह ेमउइसम. ।द ेमउइसल वि जूव वत उवतम चमतेवदेए ूीमजीमत तमहपेजमतमक ेउवामते वत दवजए पे कमेपहदंजमक ंद वचपनउ ेउवापदह ेमउइसल पि जीम बवउउवद वइरमबज वि ेनबी चमतेवदे पे जव ेउवाम वत उंदनबिजनतम चतमचंतमक वचपनउण

ग्चसंदंजपवद. ।द ेमउइसम ूीपबी ूं दवज ंद वचपनउ ेउवापदह ेमउइसम ूीमद पज ेमउइसमक उंल ेनइेमुनमदजसल इमबवउम ेनबी ंद ेमउइसलण

8ण डमउइमत वि वचपनउ ेउवापदह ेमउइसल. ीवमअमत इमपदह ूंतम वि बिजे ूीपबी तमदकमत ंद ेमउइसल ंद वचपनउ ेउवापदह ेमउइसलए रवपदे जींज ेमउइसल वत बवदजपदनम जीमतमपदए पे ेपक जव इम उमउइमत वि जींज ेमउइसलण

9ण च्तमेनउचजपवद तंपेमक इल चतमेमदबम वि वचपनउ ंदक ेउवापदह ंचचंतंजने. जीम चतमेमदबम वि ंदल चतमचंतमक वचपनउ वित वत ंदल चपचमे वत ंचचंतंजने वित जीम ेउवापदह वि चतमचंतमक वचपनउ वत वि ंदल ंचचंतंजने नेमक पद जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउ पद ंदल चसंबम ूीमतम जूव वत उवतम चमतेवदेए ूीमजीमत तमहपेजमतमक ेउवामते वत दवजए ंतम ेमउइसमक ींसस इम ीमसक ेनपिबपमदज जव तंपेम ं चतमेनउचजपवद जींज ेनबी चमतेवदे ींअम ेमउइसमक ंज ेनबी चसंबम ूपजी जीम बवउउवद वइरमबज वि उवापदह वत वि उंदनबिजनतपदह चतमचंतमक वचपनउण

10ण च्वूमते जव उंाम तनसम. ;1द्ध जीम ख्ैजंजम ळवअमतदउमदज,1 उंल इल दवजपपिबंजपवदए उंाम तनसमे नित जीम चनतचवेम वि बंततलपदह वनज जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ं

;2द्ध प्द चंतजपबनसंत ंदक ूपजीवनज चतमरनकपबम जव जीम हमदमतंसपजल वि जीम चवूमत बवदमिततमक इल ेनइे.मबजपवद ;1द्धए ेनबी तनसमे उंलए.

ंण चतमेबतपइम जीम ंनजीवतपजल इल ूीवउए ंदक जीम उंददमत पद ूीपबीए जीम तमहपेजमत तममिततमक जव पद ेमबजपवद 3 ींसस इम चतमचंतमक ंदक उंपदजंपदमकय

इण तमहनसंजम जीम बवदकपजपवदे ंदक तमेजतपबजपवदे ेनइरमबज जव ूीपबी ं तमहपेजमतमक ेउवामत उंल उंदनबिजनतमए चवेमे वत ेउवाम चतमचंतमक वचपनउय

बण चतमेबतपइम जीम बवदकपजपवदे नदकमत ूीपबी ंदक जीम ंनजीवतपजल इल ूीवउ जीम दंउम वि तमहपेजमतमक ेउवामत उंल इम तमउवअमक तिवउ जीम तमहपेजमतय

कण्तमहनसंजम जीम कपेचवेंस वि जीपदहे बवदपिबंजमक नदकमत जीपे ।बजय ंदक

मण चतमेबतपइम ंदक तमहनसंजम जीम चंलउमदज वि तमूंतके वनज वि पिदमे पउचवेमक नदकमत जीपे ।बजण

;3द्ध जीम चवूमत बवदमिततमक इल जीपे ेमबजपवद वित उांपदह तनसमे पे ेनइरमबज जव जीम बवदकपजपवद जींज जीम तनसमे इम उंकम ंजिमत चतमअपवने चनइसपबंजपवदरू

च्तवअपकमक जींज ंदल ेनबी तनसमे उंल इम उंकमए ूपजीवनज चतमअपवने चनइसपबंजपवद पि जीम ख्ैजंजम ळवअमतदउमदज,1 बवदेपकमते जींज जीमल ीवनसक इम इतवनहीज पदजव वितबम ंज वदबमण

11ण स्पंइपसपजल वि तमहपेजमतमक उवामत जव जीम तमउवअंस वि ीपे दंउम तिवउ जीम तमहपेजमत वि उवामते. ।दल तमहपेजमतमक उवामत ूव कवमे दवज बवउचसल ूपजी जीम बवदकपजपवदे ंदक वइेमतअम जीम तमेजतपबजपवदे चतमेबतपइमक इल तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बजए ींससए पद ंककपजपवद जव जीम चमदंसजपमे ीमतमपदंजिमत चतमेबतपइमकए इम सपंइसम जव ींअम ीपे दंउम तमउवअमक तिवउ जीम तमहपेजमत वि उवामतेण

बींचजमत ण्ण्

थ्वत`उवापदह इल नदतमहपेजमतमक`उवामत

12ण् ीवमअमतए दवज इमपदह ं तमहपेजमतमक `उवामतए `उवामे चतमचंतमक वचपनउ ींसस इम चनदपींमक ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव जीतमम उवदजी वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव पिअम ीनदकतमक तनचममेए वत ूपजी इवजीण्

13ण् थ्वत नदंनजीवतप्रमक उंदनबिजनतम वत चवेमेपवद व िचतमचंतमक वचपनउ. ीवमअमतए पद बवदजतंअमदजपवद व िमबजपवद 4ए उंदनबिजनतमे वत ीं पद ीपे चवेमेपवद चतमचंतमक वचपनउ वत `पेजे ंदल वजीमत चमतेवद पद जीम उंदनबिजनतम व िचतमचंतमक वचपनउए ींसस इम चनदपींमक ूपजी पउचतपेवदउमदज ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम लमंत वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम जीवनेंदक तनचममेए वत ूपजी इवजीण्

14ण् थ्वत इमपदह ं उमउइमत व िंद वचपनउ `उवापदह `मउइसल. ीवमअमत पे ं उमउइमत व िंद वचपनउ `उवापदह `मउइसल ींसस इम चनदपींमक ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव जीतमम उवदजी वत ूीपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव पिअम ीनदकतमक तनचममेए वत ूीपबी इवजीण्

15ण् थ्वत ज्ञममचपदह वत ींअपदह बींतहम व िचसंबम नेमक वित `नउवापदह चतमचंतमक वचपनउ. ीवमअमत वचमदेए ममचे वत नेमे ंदल चंसबम वत चमतउपजे ंदल चसंबम जव इम वचमदमकए ामचज वत नेमक वित जीम चनतचवेमे व िंद वचपनउ `उवापदह `मउइसलए वत ीं जीम बंतम वत उंदंहमउमदज वएि वत पद ंदल ूंल `पेजे पद बवदकनबजपवदह जीम इनेपदमे वएि ंदल चसंबम नेमक वत ामचज वित जीम चनतचवेमे ंवितमेंपकए ींसस इम चनदपींमक ूपजी पउचतपेवदउमदज वित ं जमतउ ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम लमंत वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम जीवनेंदक तनचममेए वत ूपजी इवजीण्

16ण् थ्वत `मससपदह चतमचंतमक वचपनउ. ीवमअमत `मससेए वत मगचवेमे वत वर्मिते वित `ेसमए वत ंजजमउचजे जव `मसस चतमचंतमक वचपनउ ींसस इम

चनदपेीमक ूपजी पउचतपेवदउमदज ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम लमंत वत ूपजी पिदम ूीपबी उंल मगजमदक जव वदम जीवनेंदक तनचममे वत ूपजी इवजीण

17ण थ्वत ंइमजउमदज व िवर्मिदबमे. ैीवमअमत ंइमजे ंद वर्मिदबम चनदपेींइसम नदकमत जीपे ।बज ैींससए ूीमजीमत ेनबी वर्मिदबम इम वत इम दवज बवउउपजजमक पद बवदेमुनमदबम व ैनबी ंइमजउमदजए ंदक दवजूपजीजंदकपदह ंदल जीपदह बवदजंपदमक पद ेमबजपवद 116 व िजीम प्दकपंद च्मदंस बवकम इम चनदपेीमक ूपजी जीम चनदपेीउमदज चतवअपकमक वित ेनबी वर्मिदबमण

18ण म्दींदबमक चनदपेीउमदज ंजिमत चतमअपवने बवदअपबजपवद दृ ैीवमअमतए ींअपदह इममद चतमअपवनेसल बवदअपबजमक व िंद वर्मिदबम नदकमत जीपे ।बजए पे ंहंपद बवदअपबजमक व िंद वर्मिदबम नदकमत जीपे ।बजए ैींसस इम सपंइसम वित ेनबी ेनइेमुनमदज वर्मिदबम जव जूपबम जीम चनदेीउमदज ूीपबी उपहीज इम पउचवेमक वद ं पितेज बवदअपबजपवदरू

बैंचजमत प्ट

च्तवबमकनतम

19ण ैमंतबी ूततंदज ंदक चवूमत जव ेमंतबीण दृ प ं उंहपेजतंजमए नचवद पदवितउंजपवद तमबमपअमक ंदक ंजिमत ेनबी पदुनपतल ;प िंदलद्ध ं ीम बवदेपकमते दमबमेंतलए ीं तमेंवद जव इमसपमअम जींज ंदल चसंबम पे नेमक वित जीम बवउउपेपवद व िंद वर्मिदबम नदकमत जीपे ।बजए ीम उंल पेनम ंूततंदज जव ंद वर्पिबमत व िजीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज दवज इमसवू ेनबी तंदा ं जीम स्वबंस ळवअमतदउमदज उंल चतमेबतपइम ंनजीवतप्रपदह ीपउ.

;द्ध जव मदजमत ेनबी चसंबम इल कंल वत इल दपहीज ूपजी ंदल चमतेवद ूीवेम ंपेजंदबम ेनबी वर्पिबमत उंल बवदेपकमत दमबमेंतलरू

;इद्ध जव ेमंतबी ंसस वत चंतजे व ैनबी चसंबम पद ूीपबी ेनबी वर्पिबमत ीं तमेंवद जव इमसपमअम जींज ंदल चतमचंतमक वचपनउ वत ंदल ंचचंतंजने वित जीम उंदनबिजनतम व िचतमचंतमक वचपनउ वत वित ेउवापदह चतमचंतमक वचपनउ

पे बवदबमंसमक ंदक ंसस वत ंदल चमतेवदे ूीवउ ीम उंल पिदक पद ेनबी चसंबमय

;बद्ध जव ंततमेज ंदल चमतेवद विनदक पद ेनबी चसंबम ूीवउ इम ीं तमेंवद जव इमसपमअम जव इम हनपसजल वि ंद वमिदबम नदकमत जीपे ।बजय ंदक

;कद्ध जव ेमप्रम ंसस चतमचंतमक वचपनउए ंचचंतंजने वित ेउवापदह चतमचंतमक वचपनउ वत वित जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउ ंदक ंदल वजीमत ंतजपबसम नेमक वित जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउ ंदक ंदल वजीमत ंतजपबसम नेमक वित जीम बवउउपेपवद वि ंद वमिदबम नदकमत जीपे ।बजए ीपबी उंल इम विनदक पद ेनबी चसंबमण्

ख्19.।ण च्वूमत जव ेमंतबी. ीमदमअमत जीम ब्वससमबजवत वत ंदल वपिबमत वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज ंनजीवतप्रमक पद जींज इमींसि इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजए वत ं चवसपबम वपिबमत दवज इमसवू जीम तंदा वि ंद वपिबमत पद बींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवद ीं तमेंवदंइसम हतवनदके वित इमसपमअपदह जींज ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत जीपे ।बज ीं इममद वत पे इमपदह बवउउपजजमक पद ंदल चसंबम ंदक ंदलजीपदह दमबमेंतल वित चनतचवेमे वि पदअमेजपहंजपवद पदजव जीम वमिदबम उंल इम विनदक पद ंदल चसंबम ूपजीपद जीम सपउपजे वि ीपे जमततपजवतपंस रनतपेकपबजपवद ंदक जींज ेनबी ं जीपदह बंददवजए पद ीपे वचपदपवद इम वजीमतूपेम वइजंपदमक ूपजीवनज नदकनम कमसंलए ीम उंल ंजिमत तमबवतकपदह पद ूतपजपदह जीम हतवनदके वि ीपे इमसपमि मंतबी वत बंनेम ेमंतबी जव इम उंकम वि ंदल ेनबी चसंबम

ख्20ण ।चचसपबंइपसपजल वि जीम ब्वकम वि ब्तपउपदंस च्तवबमकनतमए 1898 जव ूततंदज ंदक ेमंतबी. ;1द्ध जीम चतवअपेपवद वि जीम ब्वकम वि ब्तपउपदंस च्तवबमकनतमए 1898ए पदबसनकपदह चतवअपेपवद ं जव जीम ेमंतबीमे बवदजंपदमक पद ेमबजपवदे 102 ंदक 103 जीमतमवएि ींसस पद ेव ति ं

दवज पदबवदेपेजमदज ूपजी जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बजए ंचचसल जव जीम मगमबनजपवद वि ूततंदजे वित ंततमेज ंदक जव ंमंतबी उंकम नदकमत जीपे ंबजण

;2द्ध ैमतम ंमंतबी पे उंकम नदकमत ैमबजपवद 19.।ए बवउचपमे वि ंदल तमबवतक उंकम नदकमत जींज मबजपवद ैंसस वितजीूपजी इम मदज जव जीम दमंतमेज डंहपेजतंजम मउचवूमतमक जव जांम बवहदप्रंदबम वि जीम वमिदबम ंदक जीम वूदमत वत वबबनचपमत वि जीम चसंबम वि मंतबी ैंसस वद ंचचसपबंजपवद इम नितदपैमक ूपजी ं बवचल वि जीम ंउम इल जीम डंहपेजतंजमरू

च्तवअपकमक जींज ैम ैंसस चंल वित जीम ंउम नदसमे जीम डंहपेजतंजम वित वउम चमबपंस तमेंवद जीपदो पिज जव नितदपैी पज तिमम वि बवेजण,

21ण त्मचवतज जव इम उंकम पद बेंम वि ंततमेज वि मप्रनतम.ैमदमअमत ंदल वमिपिबमत उंामे ंदल ंततमेज वत मप्रनतम नदकमत जीपे ।बजए ैम ैंसस ूपजीपद जूमदजल विनत ैवनते दमगज ंजिमत नबी ंततमेज वत मप्रनतमए उंाम ं निसस तमचवतज वि ंसस चंतजपबनसंते जीमतमवि जव ैपे पउउमकपंजम वमिपिबपंस नचमतपवतए ंदक मअमतल चमतेवद ंततमेजमक ंदक मअमतल ंतजपबसम मप्रमक ैंसस इम वितूंतकमक ूपजीवनज कमसंल जव जीम वमिपिबमत इल ूवउ जीम ूततंदज ूे पेनमक वत जव जीम दमंतमेज चवसपबम जंजपवदण

22ण ठंपस ंदक मबनतपजल.ैमद ंदल चमतेवद ंततमेजमक नदकमत जीपे ।बज पे चतमचंतमक जव नितदपैी इंपसए ैम ैंसस इम तमसमेंमक वद इंपसए वत ंज जीम कपेबतमजपवद वि जीम वमिपिबमत उंापदह जीम ंततमेज वद ैपे चमतेवदंस इवदकण

23ण ।पक जव वमिपिबमते वि मगबपेम क्मचंतजउमदजण. म्अमतल वमिपिबमत वि जीम चवसपबम ंदक स्ंदक त्मअमदनम क्मचंतजउमदजेए मअमतल ख्व्तंकींद ंदक ैमबतमजंतल वि ं ळंवद ैईीं,2 , ंदक मअमतल अपससंहम बींनापकंत ैंससए नचवद दवजपबम हपअमद वत तमुनमेज उंकम जव ैपउ इम इवनदक जव हपअम तमेंवदंइसम ंपक जव ंदल वमिपिबमत वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज पद बंततलपदह वनज जीम चतवअपेपवदे वि जीपे ।बजण

24ण् ब्वदपिबंजपवद ंदक कमेजतनबजपवद वि चतमचंतमक वचपनउ ंदक जीपदहे मप्रमकण् दृ व्द जीम बवदअपबजपवद वि ंदल चमतेवद वित ंद वमिदबम नदकमत जीपे ।बजए जीम बवनतज उंल वतकमत जींज ंदल चतमचंतमक वचपनउ वत ंदल पदेजतनउमदज वत ंचचंतंजने पद तमेचमबज वि वत इल उमंदे वि ूपबीए ेनबी वमिदबम ीं इममद बवउउपजजमक वत ंदल तमबमचजंबसमए चंबांहम वत बवअमतपदह पद ूपबी ेनबी चतमचंतमक वचपनउए पदेजतनउमदजए वत ंचचंतंजने ू विनदक ंदक ंदल वजीमत बवदजमदजे वि ेनबी तमबमचजंबसमए चंबांहम वत बवअमतपदह ीसस इम बवदपिबंजमक वत कमेजतवलमकण्

25ण् ब्वहदप्रंदबम वि वमिदबमेण्. छव डंहपेजतंजम ीसस जांम बवहदप्रंजपवद वि ंद वमिदबम चनदपींइसम नदकमत जीपे ।बज मगबमचज वद जीम बवउचसंपदज वत तमचवतज वि जीम ब्वससमबजवत वत ंद वपिबमत वि जीम मगबपेम क्मचंतजउमदज दवज इमसवू जीम तंदा वि ंद मगबपेम प्देचमबजवतण्

बिंचजमत ट

डपेबमससंदमवने

26ण् ठंत वि बमतजंपद ेनपजण्. छव ेनपजे ीसस सपम पद ंदल ब्पअपस ब्वनतज ंहंपदेज जीम 3ख्ळवअमतदउमदज, वत ं बवससमबजवत वत ख्ंदल वपिबमत वि जीम मगबपेमए चवसपबम वत संदक तमअमदनम क्मचंतजउमदजेए च्तंकींद वत ैमबतमजंतल वि ळंवद ैंीं वत टपससंहम बिंनापकंत,1 वित कंउंहमे वित ंदल ंबज पद हववक पिजी कवदम वत वतकमतमक जव इम कवदम पद चनतेनंदबम वि जीपे ।बजण्

27ण् स्पउपजंजपवद वि ेनपज ंदक चतवेमबनजपवदण्. छव ब्पअपस ब्वनतज ीसस जतल ंदल ेनपज ंहंपदेज जीम 2ख्ळवअमतदउमदज, वत ं बवससमबजवत वत ख्ंदल वपिबमत वि जीम मगबपेमए च्वसपबम वत संदक त्मअमदनम क्मचंतजउमदजेए च्तंकींद वत ैमबतमजंतलवि ळंवद ैंीं वत अपससंहम बिंनापकंत,1 पद तमेचमबज वि ंदलजीपदह कवदम पद चनतेनंदबम वि जीपे ।बज ंदक मगबमचज ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद वि जीम ख्जंजम ळवअमतदउमदज,3 दव उंहपेजतंजम ीसस

जांम बवहदप्रंदबम वि ंदल बींतहम उंकम ंहंपदेज ंदल चमतेवद नदकमत जीपे ंबजए नदसमे जीम ेनपज वत चतवेमबनजपवद पे पदेजपजनजमक ूपजीपदेपग उवदजी ंजिमत जीम कंजम वि जीम ंबज बवउचसंपदमक वण्

28ण् ज्मदकमत वि चंतकवद जव ंबबनेमक चमतेवद जनतदपदह ंचचतवअमतण्दृ ;1द्ध ीमदमअमत जूव वत उवतम चमतेवदे ंतम चतवेमबनजमक वित ंदलवर्मिदबम नदकमत जीपे ।बजए जीम डंहपेजतंजम उंलपएि वित तमेंवदे जव इम तमबवतकमक इल ीपउए ीम जीपदो पिजए जमदकमत जव ंदल ेनबी चमतेवद ं चंतकवद वद बवदकपजपवद वि ीपे उंापदह ं निसस ंदक जतनम कपेबसवेनतम वि ंसस बिजे बवददमबजमक ूपजी जीम वर्मिदबमण्

;2द्ध ैनबी चमतेवद ींसस इमबवउम ं बवउचमजमदज ूपजदमे पद जीम बेंम ंदक ूपसस दवज इम सपंइसम जव चनदपीउमदज वित ेनबी वर्मिदबम ेव सवदह ेनबी चंतकवद तमउंपदेण्

29ण् ैअपदह वि जीम कंदहमतवने क्तनहे ।बजए 1930. छवजीपदह पद जीपे ।बज वत पद जीम तनसमे उंकम नदकमत जीपे ।बज ींसस ंर्मिबज जीम अंसपकपजल वि जीम क्ंदहमतवने क्तनहे ।बजए 1930 वत वि ंदल तनसम उंकम जीमतमनदकमत ीपबी पउचवेमे ंदल तमेजतपबजपवद दवज पउचवेमक इल वत नदकमत जीपे ।बज वत पउचवेमे ं तमेजतपबजपवद हतमंजमत पद कमहतमम जींद ं बवततमेचवदकपदह तमेजतपबजपवद पउचवेमक इल वत नदकमतए जीपे ।बजए वद जीम बवदेनउचजपवद वएि वत जतंर्पिब पदए चतमचंतमक वचपनउ ूपजीपद ख्ं ' ',4 प्दकपंण्

छवजम वद

4.ठण् न्ण्च्ण् व्वपनउ ेउवापदह ।बजए 1934

; ।बज दवण् प्प् वि 1934द्ध

व्इरमबज वि जीम ।बजण् दृ जीपे ।बज ूे मदंबजमक ूपजी ं अपमू जव उंाम चतवअपेपव वित जीम तमहपेजतंजपवद वि वचपनउ ेउवामते ंदक जव ेमबनतम नसजपउंजम चतवीपइपजपवद वि वचपन ेउवापदह पद न्जजंत च्तंकमीण्

ैमबजपवद 3 वि जीम ।बज च्तवअपकमे वित जीम तमहपेजतंजपवद वि वचपनउ ेउवामतेण जैम तमहपेजतंजपवद ूं पिदंससल बसवेमक वद 30जीै मचजमउइमतए 1936ण न्दकमत जीम न्ण्च्ण् वचपन ैउवापदह तनसमेए 1935ए दव तमहपेजमतमक ेउवामत ीेंसस उंदनबिजनतम वत चवेम चतमचंतमक वचपनउ ंज ंदल वदम जपउम पद मगबमे वि ींसि जवसं पद ूमपहीजण

च्तमचंतमक वचपनउ पे कमपिदमक नदकमत ब्संनेम ;2द्ध वि मबजपवद 2 वि जीम ।बजण जैम वितउे पद ूपबी वचपनउ पे बवउउवदसल चतमचंतमक वित ेउवापदह ंतम जीवेम ।दवूद बींदकन ंदक उंकांण

ैमबजपवद 4 वि जीम ।बज चतवअपकमे जींज ेउवापदह वत उंदनबिजनतम वत चवेमेपवद चतमचंतमक वचपनउ इल ंद नद.तमहपेजमतमक ेउवामत पे चतवीपइपजमक पद ंदल ुनंदजपज ूींजेवमअमतण

ैमबजपवद 5 चतवअपकमे जींज पि ंद नद.तमहपेजमतमक वचपनउ ेउवामत पे विनदक चवेमेपवद वि चतमचंतमक वचपनउ वत ंदल ंचचंतंजने नेमक वित ेउवापदह वत पद जीम उंदनबिजनतम वि चतमचंतमक वचपनउए पज ीेंसस इम चतमेनउमक नदसमे जीम बवदजतंतल चतवअमकए जींज ेनबी चमतेवद ेउवामे चतमचंतमक वचपनउण

ैमबजपवद 7 उमदजपवदे जींज ूमितम जूव वत उवतम चमतेवदेए ूमजीमत तमहपेजमतम ेउवामत वत दवज ेमउइसम ूपजी जीम बवउउवद वइरमबज वि उवापदह वत उंदनबिजनतपदह चतमचंतमक वचपनउए ेनबी ेमउइसल ीेंसस इम बंससमक वचपनउ ेउवापदह ेमउइसलण

ैमबजपवद 6 चतवीपइपजे ेसम वत ंजजमउचज जव ेमसस वि चतमचंतमक वचपनउण

ैमबजपवद 7 उमदजपवदे जींज ूमितम जूव वत उवतम चमतेवदेए ूमजीमत तमहपेजमतमक ेउवामत वत दवज ेमउइसम ूपजी जीम वउउवद वइरमबज वि ेउवापदह वत उंदनबिजनतपदह चतमचंतमक वचपनउए ेनबी ेमउइसल ीेंसस इम बंससमक वचपनउ ेउवापदह ेमउइसलण

ैमबजपवद 8 चतवअपकमे जींज पि ंदल चमतेवद रवपदे वचपनउ ेउवापदह ेमउइसल ादवूपदह पज जव इम ेनबी ंद ेमउइसलए ीम ूपसस इम ेपक जव इम ं उमउइमत वि जींज ेमउइसलण

ैमबजपवद 9 चतवअपकमे जींज पि ंदल चतमचंतमक वचपनउ ंदक ेउवापदह ंचचंतंजने पे विनदक पद ंदल चसंबम ूीमतम जूव वत उवतम चमतेवदे ींअम ेमउइसमकए पज ींसस इम चतमेनउमक जींज ेनबी चमतेवदे ींअम ेमउइसमक ंज ेनबी चसंबम ूपजी बवउउवद वइरमबज वत ेउवापदह वत वि उंदनबिजनतपदह चतमचंतमक वचपनउण

ैमबजपवद 10 मउचवूमते जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज जव उंाम तनसमे नदकमत जीम ।बजण

ैमबजपवद 11 चतवअपकमे जींज पि ं तमहपेजमतमक वचपनउ ेउवामत कवमे दवज बवउचल ूपजी जीम बवदकपजपवदे ंदक वइेमतअम जीम तमेजतपबजपवदे नदकमत जीम तनसमेए ीपे दंउम ींसस इम तमउवअमक तिवउ जीम तमहपेजमत वि ेउवामते इमेपकमेए जीम चनदपींउमदज चतमेबतपइमकण

च्नदपींउमदज ैमबजपवद 12 जव 15 वि जीम ।बज चतवअपकम चनदपींउमदज पद तमेचमबज वि जीम विससवूपदह वर्मिदबमेण

छवजम वद न्ण्च्ण वचपनउ ेउवापदह ।बजण 1934

;द्ध वित ेउवापदह नदतमहपेजमतमक ेउवामत ;अपकम ै 12द्धण ैमबजपवद 12द्धण	प्उचतपेवदउमदज नचजव उवदजी वत पिदम नचजव ते ण500ध्वत इवजी
;इद्ध वित नदंनजी उंदनबिजनतम वत चवेमेपवद वचितमचंतमक वचपनउ ैमबजपवद 13द्धण	प्उचतपेवदउमदज नचजव लमंत वत पिदम नचजव ते ण 1ए000ध् वत इवजी
ौवित इमपदह उमउइमते वचपनउ ेउवापदह ेमउइसल ;अपकम ै 14ण्द्धण	प्उचतपेवदउमदज नचजव लमंत वत पिदम नचजव ते ण 500ध्वत इवजीण
;कद्धवित नेपदह	प्उचतपेवदउमदज नचजव

चमतउपजजपदह ंदल चसंबम जव इम वित जीम चनतचवेम वि ेउवापदह ेमउइसल ैमबजपवद 15द्ध ण	लमंत वत पिदम नचजव ते 1ए000ध्. वत इवजीण
;मद्धवित ेमससपदह चत वचपनउ ैमबजपवद 16द्ध	प्उचतपेवदउमदज नचज लमंत वत पिदम नचजव तेण 1ए000ध्वत इवजी
;द्धिवित ंइमजउमदज वि ;अपकम ेमबजपवद 17द्ध ण	च्नदपीउमदज चतवअपकम जीम वर्मिदबमण

ैमंतबींततंदज ंदक चवूमत जव ेमंतबीण दृ न्दकमत ैमबजपवद 19 वि जीम ।बजए ं डंहपेजतंजम उंल पेनम ं ूततंदज वित जीम ेमंतबी वि ं चसंबम नेमक वित जीम बवउउपेपवद वि ं द वर्मिदबम जव ं द वर्पिबमत वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज दवज इमसवू जीम तंदा चतमेबतपइमक इल जीम ळवअमतदउमदजण

च्वूमत जव ेमंतबी ं चसंबम ूपजीवनज ूततंदजण दृ ैमबजपवद 19.। वि जीम ।बज चतवअपकमे जींज वर्पिबमते वि जीम म्गबपेम क्मचंतजउमदज दवज इमसवू जीम तंदा वि ं द मगबपेम पदेचमबजवत ंदक चवसपबम वर्पिबमते दवज इमसवू जीम तंदा वि ं द वर्पिबमत. पद. बींतहम वि ं चवसपबम ेजंजपवदए ंतम ंनजीवतप्रमक जव ेमंतबी वित चनतचवेम वि पदअमेजपहंजपवद ंदल चसंबम ूपजीवनज ं ूततंदज ंजिमत तमबवतकपदह हतवनदकेए पिीम ीं तमेंवद जव अमसपमअम जींज ं द वर्मिदबम ीं इममद वत पे इमपदह बवउउपजजमक नदकमत जीम ।बजण

छण्क्ण्च्यैण ।बजए 1985 ंदक न्ण्च्ण व्चपनउ ैउवापदह ।बजए 1934. ैमबजपवद 8 वि जीम छंतबवजपब क्तनहे ंदक च्लेबीवजतवचपब ैनइेजंदबमे ।बजए 1985 चतवीपइपजे उंदनबिजनतमए चवेमेपवदए ेंसमए चनतबींमए जतंदेचवतजए पउचवतज पदजमत ैजंजमए मगचवतज पदजमत ेजंजमए तव नेम वि चतमचंतमक ववचपनउ ंदक ेमबजपवद 17 वि जीपे ।बज चतवअपकमे चनदपीउमदज वि तपहवतवने पउचतेवदउमदज नचजव जूमदजल लमंते ंदक पिदम नचजव तेण 2 सींण डंदनबिजनतमए चवेमेपवद ंदक ेंसम वि चतमचंतमक वचपनउ ींअम इममद ंसेव चतवीपइपजमक नदकमत ैमबजपवदे 4 ंदक 6 वि जीम न्ण्च्ण ैउवापदह ।बजए 1934ए इनज

जीमेम ंतम चनदपींइसम ूपजी वदम लमंतश्े पउचतपेवदउमदज वत पिदम व िवदम जीवनेंदक तनचममे वत इवजी नदकमत ैमबजपवदे 13 ंदक 16 व िजीपे ।बजण । जीम छण्क्ण्च्ै ।बज चतवअपकमे चनदपींउमदज हतमंजमत पद कमहतमम जींद जींज चतवअपकमक इल जीम नण्च्ण् व्वपनउ ेउवापदह ।बजए जीम अंसपकपजल व ैमबजपवदे 4ए 6ए 13 ंदक 16 ंतम मंमिबजमक पद तमेचमबज व िजीम ंइवअम उंजजमतेण् भ्वूमअमतए जीम न्ण्च्ण् वचपनउ ैउवापदह ंब्ज चतवीपइपजे ेउवापदह व िचतमचंतमक वचपनउ पद ेमबजपवद 4 ;1द्धण ैमबजपवद 5 तंपेमे ं चतमेनउचजपवद व ैउवापदह चतमचंतमक वचपनउए प िं चमतेवद पे विनदक पद चवेमेपवद व िचतमचंतमक वचपनउ वत ंदल ंचचंतंजने नेमक वित जीम ेउवापदह चतमचंतमक वचपनउए ेमबजपवद 6 उमदजपवदेए ं जव ूींज ूपसस इम कमेपहदंजमक ं वचपनउ ेउवापदह ैमउइसल ंदक ैमबजपवद 8 उमदजपवदे ं जव ूीमद ं चमतेवद ूपसस इम तमदकमतमक उमउइमत व िंद वचपनउ ेउवापदह ैमउइसलण ैमबजपवद 9 चतवअपकमे वित चतमेनउचजपवद जव इम तंपेमक इल चतमेमदबम व िवचपनउ ंदक वचपनउ ेउवापदह ंचचंतंजनेण् ैमबजपवद 12 व िजीपे ।बज चतवअपकमे चनदपींउमदज वित ेउवापदह व िचतमचंतमक वचपनउए ैमबजपवद 14 चतवअपकमे चनदपींउमदज वित इमपदह ं उमउइमत व िवचपनउ ेउवापदह ैमउइसल ंदक ैमबजपवद 15 चतवअपकमे चनदपींउमदज वित ।ममचपदह वत ींअपदह बींतहम व िं चसंबम नेमक वित ेउवापदह ैमउइसल ंदक ेमबजपवद 15 चतवअपकमे चनदपींउमदज वित ।ममचपदह वत ींअपदह बींतहम व िं चसंबम नेमक वित ेउवापदह चतमचंतमक वचपनउण् ठनज जीम छंतबवजपब क्तनहे ंदक च्लेबीवजतवचपब ैनइेजंदबम ।बजए कवमे दवज ींअम ंदल चतवअपेपवद तमसंजपदह जव ेउवापदह व िचतमचंतमक वचपनउए इमपद उमउइमत व िवचपनउ ेउवापदह ैमउइसल ंवत नेम व िं चसंबम वित वचपनउ ेवउपदह ैउवापदह ंबज पे दवज ंमिबजमकण् जीम अंसपकपजल व ैमबजपवदे 4;1द्धए 5ए 7ए 8ए 12ए 14 ंदक 15 व िजीम न्ण्च्ण् वचपजजउ ेउवापदह ।बज पे दवज ंमिबजमकण् जीम अंसपकपजल व ैमबजपवदे 11ए 17ए 18ए 19 ंदक 19.। पे दवज ंमिबजमक इल जीम छक्च्ै ।बज ेव ति ं जीम वमिदबमे तमसंजपदह जव ेउवापदह व िचतमचंतमद वचपनउए इमपदह उमउइमत व िवचपनउ ेउवापदह ैमउइसल ंदक नेम व िं चसंबम जव ेउवापदह चतमचंतमक वचपनउ ंतम बवदबमतदमकण्

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, बुधवार, 28 फरवरी, 2001 ई0
फाल्गुन 09, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल सरकार
आबकारी अनुभाग
संख्याः1357, देहरादून, 28 फरवरी, 2001

अधिसूचना

सा0प0नि0–002

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2001–2002 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोशित करते हैंः–

यह गजट में उसके प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नवीन व्यवस्थाः–

1. मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन अभिकर एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।
2. मदिरा की दुकानों का अनुज्ञापन शुल्क वर्श 2001–2002 में दुकान की वास्तविक बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और यह राशि देशी मदिरा के संबंध में न्यूनतम रू0 दो लाख एवं अधिकतम दस लाख रू0 तथा विदेशी मदिरा के संबंध में न्यूनतम रू0 एक लाख एवं अधिकतम रू0 दस लाख होगी।

3. चूंकि आबकारी राजस्व का मुख्य अंश उपभोग आधारित अभिकर होगा, अतः अभिकर व अनुज्ञापन शुल्क की दरों को इस प्रकार से निर्धारित किया जायेगा जिससे कि उपभोग के आधार पर आगामी वर्श में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
4. मदिरा की दुकानों की संख्या में वर्श 2001–2002 के दौरान कोई वृद्धि नहीं की जायेगी। यथा आवश्यकता क्षेत्र विशेश के अन्तर्गत दुकानों के स्थान में यथा नियम परिवर्तन किया जा सकेगा किन्तु पूर्व निशिद्ध स्थलों के साथ–साथ यात्रा मार्गों के मेन रोड़ पर मदिरा की कोई दुकान नहीं खोली जायेगी।
5. उत्तरांचल राज्य के निवासियों को मदिरा की दुकानों के आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
6. आवेदक के चरित्र सत्यापन तथा दुकान संचालित करने की हैसियत के संबंध में कठोर जांच करायी जाने की प्रकिया नियत की जायेगी और दुकान का सबलेटिंग किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगी। सबलेटिंग की स्थिति पायी जाने पर अनुज्ञापन शुल्क जब्त करते हुए अनुज्ञापन निरस्त करने के कठोर नियम बनाये जायेंगे।
7. राज्य अन्तर्गत प्रतिवर्श देशी मदिरा के लगभग सात करोड़ खाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूशण बढ़ने के साथ–साथ पशु हानि की भी घटनायें हो रही हैं जिस पर नियंत्रण हेतु पॉली पाउच के प्रयोग को पूर्णतः निशिद्ध किया जाना अनिवार्य है, किन्तु बड़ी संख्या में कांच की बोतलों की एक साथ व्यवस्था न होने तथा प्रदेश की देशी मदिरा के गोदामों की सीमित बोतल भराई क्षमता को दृश्टि में रखते हुए पॉली पाउच का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से ही बन्द किया जायेगा। ऐसी स्थित में प्रथम चरण 1 अप्रैल 2001 से 3 माह तक 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी पॉली पाउच में तथा 50 प्रतिशत देशी मदिरा की निकासी बोतलों में दी जायेगी। तदुपरान्त 1 जुलाई 2001 से देशी मदिरा की समस्त निकासी बोतलों में ही दी जायेगी।

8. वर्तमान में 25 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की सादा तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मसालेदार देशी मदिरा बेची जा रही है जिसके स्थान पर 1 अप्रैल 2001 से 32 प्रतिशत वी/वी तीव्रता वाली कन्ट्री रम देशी मदिरा की दुकानों से बेची जायेगी।
9. उत्तरांचल के जिन जनपदों में वर्तमान में परमिट की व्यवस्था है, वहां बाहर से आये पर्यटकों को बिना परमिट के भी विदेशी मदिरा बेची जा सकेगी।
10. अभिकर की चोरी तथा मदिरा की तस्करी रोकने के लिए मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा।
11. राज्य के बाहर की आसवनियों द्वारा इस राज्य में अपनी मदिरा के ब्राण्ड बेचने हेतु बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 खोलने की व्यवस्था की गयी है, अतः इस निमित्त वार्शिक अनुज्ञापन शुल्क रू0 दस लाख रखा गया है जबकि बीयर के लिए बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् रू0 पांच लाख, विदेशी मदिरा का अभिकर पूर्ववत् रू0 48/– प्रति ए0एल0 तथा राज्य की आसवनियों को अपनी विदेशी मदिरा का ब्राण्ड बेचने हेतु लिए जाने वाले अनुज्ञापन एफ0एल0–1 का अनुज्ञापन शुल्क पूर्ववत् 2.5 लाख निर्धारित किया गया है, किन्तु जनपद में थोक विदेशी के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 के अनुज्ञापन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
12. पर्यटन व्यवस्था को दृश्टि में रखते हुए बार के अनुज्ञापन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।
13. सेना को मदिरा/बीयर की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी गयी है और इसमें कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है।
14. राज्य अन्तर्गत भांग की दुकान का व्यवस्थापन

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई0
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

आबकारी आयुक्त कार्यालय
सं0 1509
दि0 देहरादून 27 मार्च, 2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियम – 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (प्रथम संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–6 (बी) में संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके बाद उक्त नियम संदर्भित किया गया है, में नीचे स्तंभ–ब में निर्दिष्ट उपनियम–6 (बी) हेतु स्तंभ–स में निर्दिष्ट उपनियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–स एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–6 (बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की दो गुना के बराबर राशि, ब्याज	नियम– 6 बी न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति, आबकारी आयुक्त के पक्ष में व्यवस्थित दुकान के संबंध में प्रतिभूति के रूप में देय होगी। जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटारे तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 15 दिन के भीतर या वर्तमान वर्ष के 31 मार्च, दोनों में जो पहले हो, के भीतर देय होगी। दुकान के व्यवस्थापन के समय न्यूनतम 50ः राशि प्रत्याभूति के रूप में जमा करानी होगी तथा बाकी, ऊपर निर्धारित किये अनुसार।	ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में, दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रतिभूति आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटारे तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी।

3. नियम–11 (सी) का संशोधनः –

उक्त नियमों में, नीचे दिये स्तंभ–च में निर्दिष्ट उपनियम–11 (सी) में स्तंभ–छ में निर्दिष्ट उपनियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–11 (सी) एक जिले में एक व्यक्ति को अधिकतम तीन दुकानें आबंटित की जा सकती हैं।	नियम–11 सी आबंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या के संबंध में कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई0
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वंपिबमए न्जजंतंदबींस म्गबपेम क्मचंतजउमदज छवण् 1510

क्ंजमक क्मीतंकनदए डंतबी 27ए 2001

छव्ज्थ्ब्।ज्प्छ

प्द म्गमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत ेमबजपवद 41 व िजीम न्च्ण् म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्ण् ।बज दवण् प्ट व ि1910द्ध तमंक ूपजी ेमबजपवद 21 व िजीम न्ण् च्ण् ळमदमतंस ब्संनेमे ।बज 1904 ;न्च्ण् ।बज दवण् ण् व ि1904द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू व िंउमदकपदह जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ै;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;थ्पतेज ।उमदकउमदजद्ध त्नसमे 2001ण्

1ण् ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ै;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;थ्पतेज ।उमदकउमदजद्ध त्नसमे 2001ण् ;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज ।चतपस 2001ण्

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम ूपजी मंमिबज तिवउ ।चतपस 1ए 2001

2ण् ।उमदकउमदज व िंत्नसम 6;इद्धरू प्द न्जजंतंदबींस म्गबपेम ै;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध त्नसमे 2001 ीमतम पद ंजिमत तममिततमक जव ेजीम ेपकए वित जीम त्नसम व िनइ त्नसम 6;इद्ध ेमज वनज पद ब्वसनउद ण् इमसवूए जीम त्नसम ं ेमजवनज पद ब्वसनउद ण्ींसस इम ेनइेजपजनजमकरू.

;नईी ज्ञनउंतद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींस

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 27 मार्च, 2001 ई0
चैत्र 06, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

संख्या–सात–लाईसेंस–संसाधन / ठॅण्ब्ग्स्.2ध्2ठ / देहरादून, 27 मार्च, 2001

उत्तरांचल विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम नियम, 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'उत्तरांचल विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम नियम – 2001 होगा।

(2) ये नियम 1 अप्रैल 2001 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : –

इन नियमों में, जब तक कि कुछ विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो : –

(1) ''अधिनियम'' से यू0पी0 आबकारी अधिनियम, 1910 (यू0पी0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) अभिप्रेत है।

(2) ''बंधकाधीन मालगोदाम'' से विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को उत्तरांचल के भीतर इसके परिवहन व विक्रय हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा अनुमोदित, भारतीय संघ के भीतर किसी स्थान से उत्तरांचल में आयात या परिवहन भारत में निर्मित बोतल बंद विदेशी मदिरा के बन्ध पत्र के अधीन प्राप्ति व भण्डारण हेतु अधिनियम की धारा–(डी) के अधीन आबकारी आयुक्त उत्तरांचल द्वारा अनुज्ञापित एक मालगोदाम अभिप्रेत है।

(3) ''जिला आबकारी अधिकारी'' से जिला स्टाफ के भू राजस्व विभाग का सहायक आबकारी आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी जो कि राज्य सरकार के निदेशानुसार, कलक्टर द्वारा जिले के आबकारी प्रशासन के अधीनस्थ प्रभार में रखा गया है, अभिप्रेत है।

(4) ''आयात'' व ''परिवहन'' शब्द प्रयोग से उनके लिये अधिनियम की धारा–3 (17) व 3 (19) में किये गये शब्द प्रयोग अभिप्रेत हैं।

(5) ''अनुज्ञापी'' से, एक व्यक्ति, या एक फर्म या एक कम्पनी, जो कि विदेशी मदिरा का विनिर्माता है, जिसको एक बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करन व चलाने की अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अभिप्रेत है।

(6) ''अधिकारी प्रभारी'' से बंधकाधीन मालगोदाम में कार्य पर्यवेक्षण हेतु आबकारी विभाग का अधिकारी, अभिप्रेत है।

(7) इन नियमों के उद्देश्य हेतु विदेशी मदिरा से अभिप्राय होगाः –

(ए) भारत में निर्मित तथा इस प्रकार परिष्कृत या रंजित स्पिरिट ताकि वह भारत में आयातित मदिरा के स्वाद व रंग में समान हो।

(बी) भारत में बनायी गई बियर तथा

(सी) भारत में निर्मित वाइन्स और लिकर्स।

(8) ''राज्य'' से, उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है।

(9) आबकारी आयुक्त से धारा–10, उपधारा–2 खण्ड (ए) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

अनुज्ञापन प्रदान करना : –

3. विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम के लाईसेन्स या स्थापना हेतु इन नियमों के अधीन नियत शर्तों व निबन्धनों की शर्त पर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. (1) अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल–1 में किया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल–2 व बी डब्ल्यू एफ एल–2 बी से प्रदान की जायेगी। आबकारी आयुक्त, उसके द्वारा नियत राशि हेतु प्रपत्र बी डब्ल्यू एफ एल–2 में बंधपत्र के निष्पादन व अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों को पूरा करने के लिये, रू01,00,000/– (एक लाख) की धरोहर राशि जमा करने की शर्त पर बी डब्ल्यू एफ एल–2 में अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है।

(2) धरोहर राशि, आबकारी आयुक्त के विधिवत रूप से गिरवी, नकद या ब्याजयुक्त सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी वचन पत्रों, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों, डाकघर बचत बैंक पास बुक या डाक घर नकदी पत्रों या भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीदों में प्रस्तुत की जायेगी।

(3) विदेशी मदिरा का बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने हेतु अनुज्ञप्ति ऐसे व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को प्रदान की जायेगी जो कि विदेशी मदिरा का विनिर्माता है।

5. अनुज्ञप्ति की अवधि : –

अनुज्ञप्ति, अधिकतम एक वर्ष के लिये तथा प्रदान किये जाने की तिथि के पश्चात् आने वाले 31 मार्च पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिये, अनुज्ञप्ति बी डब्ल्यू एफ एल–2 हेतु शुल्क के रूप में रू0 3,34,593/– (तीन लाख चौंतीस हजार पांच सौ तिरानवे रूपये) व बी डब्ल्यू एफ एल–2 बी हेतु रू0 1,67,297/– (एक लाख सढ़सठ हजार दो सौ सत्तानवे) के भुगतान पर प्रदान या नवीनीकृत की जा सकती हैं।

6. विदेषी मदिरा, कलक्टर द्वारा जारी परमिट पर उत्तरांचल के बाहर किसी आसवक या बंधकाधीन मालगोदाम से ड्यूटी के भुगतान के बिना बन्धपत्र पर, निम्नलिखित नियमों के अधीन प्राप्त की जा सकती है : –

बंधकाधीन मालगोदाम में विदेशी मदिरा का आयात

7. बन्धपत्र में विदेषी मदिरा का आयात, आबकारी नियमावली, उत्तर प्रदेष, वौल्यूम–1 (1974 संस्करण) के पैराग्राफ 609 से 613 में दिये गये नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा।

8. राज्य के भीतर एक आसवनी (जिसने उत्तरांचल में बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 प्राप्त किया हो) में विनिर्मित विदेषी मदिरा का परिवहन, आसवनियों से निर्गमन से संबंधित नियमों द्वारा नियन्त्रित होगा।

9. बंधकाधीन मालगोदाम में तब तक कोई मदिरा प्राप्त नहीं की जायेगी जब तक कि जिस आसवनी या बंधकाधीन मालगोदाम से यह आयातित या परिवहित की गई है उसके प्रभारी अधिकारी का पास इसके साथ न हो।

10. बंधकाधीन मालगोदाम में एक प्रेशण के पहुंचते ही, प्रभारी अधिकारी को सूचित किया जायेगा तथा जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी पड़ताल व पास से इसका सत्यापन न कर दिया जाये, प्रेशण को खोला नहीं जायेगा जो कि इस हेतु रखे गये रजिस्टर में तथा प्रेशण के पास में परिणाम नोट करेगा। पास की एक प्रति जिसमें प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, तुरन्त पास जारी करने वाले अधिकारी को वापस की जायेगी तथा दूसरी प्रति उस पर प्रविश्टियों के साथ, रिकार्ड हेतु रखी जायेगी।

भण्डारण व अभिवहन में हानि : –

11. किसी बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डार किये गये या बंधकाधीन मालगोदाम को अभिवहन के समय विदेषी मदिरा को आग, दुर्घटना, चोरी या चाहे किसी भी अन्य कारण से होने वाले नाष, हानि या नुकसान के लिये कोई छूट नहीं दी जायेगी। प्रेशण या भण्डारण में हानि को बंधकाधीन मालगोदाम से निर्गम समझा जायेगा तथा ड्यूटी का भुगतान तद्नुसार किया जायेगा।

12. जब तक कि आबकारी आयुक्त विपरीत विषेश आदेष न दे, समस्त मदिरा सीलबंद बोतलों में बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डारित की जायेगी।

13. बंधकाधीन मालगोदाम से कोई मदिरा हटाई नहीं जायेगी : –

1. जब तक कि निर्धारित दर पर ड्यूटी का भुगतान न कर दिया गया हो या अनुज्ञापी द्वारा इसके भुगतान हेतु बन्धपत्र निश्पादित न कर दिया गया हो।

2. आई0एम0एफ0एल0 की प्रत्येक चौथाई, आधी और पूरी बोतल पर आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत स्वीकृत संख्यांकित सुरक्षा होलोग्राम न चिपकाया गया हो।

14. (प) विदेषी मदिरा, इसके परिवहन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अनुरूप राज्य में किसी अन्य बंधकाधीन मालगोदाम को बन्धपत्र में जारी की जायेगी।

(पप) ड्यूटी का भुगतान कर बंधकाधीन मालगोदाम से केवल राज्य के विदेषी मदिरा के थोक विक्रेताओं को ही मदिरा जारी की जा सकेगी। बंधकाधीन मालगोदाम से जारी मदिरा का लेखा रजिस्टर में प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–6 में रखा जायेगा। अनुज्ञापी द्वारा, निर्धारित ड्यूटी

का भुगतान दर्षाते हुए ट्रेजरी चालान के साथ आवेदन पर ही मदिरा जारी की जायेगी। आवेदन प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–5 में होगा।

(पपप) मालगोदाम से कोई मदिरा हटाई नहीं जायेगी जब तक कि प्रभारी अधिकारी द्वारा इसकी जांच न कर ली जाये तथा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–7में उसके द्वारा पास प्रदान न किया जाये। पास की तीन प्रतियां तैयार की जायेंगी। परमिट की एक प्रति विदेषी मदिरा के थोक विक्रेता को दी जायेगी। दूसरी प्रति, जहां थोक दुकान स्थित

है उस जिले के जिला आबकारी अधिकारी को प्रेशित की जायेगी तथा तीसरी प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।

15. (प) अनुज्ञापी, बंधकाधीन मालगोदाम में विदेषी मदिरा की आपूर्ति, भण्डारण, उठाई धराई व जारी करने से संबंधी सभी उपकरण व भवन उपलब्ध करायेगा। बंधकाधीन मालगोदाम का परिक्षेत्र, जिस जिले में यह अवस्थित है, उस जिले के कलक्टर द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

(पप) बंधकाधीन मालगोदाम का भवन या कमरे पक्के बने या ईंट निर्मित होने चाहिये। कमरों की या भवन की खिड़कियों पर मोटाई में कम से कम 20 मिलीमीटर के आघातवर्धनीय लोहे की सलाखें लगी हों जो एक दूसरे से अधिकतम 10 मिलीमीटर की दूरी पर हों तथा पक्की या ईंट की दीवार पर दोनों ओर कम से कम 50 मिलीमीटर की गहराई तक चिनी हों। खिड़की के अन्दर की ओर मोटी तार की जाली लगी हो जिसके छेद 25 मिलीमीटर से अधिक व्यास के न हों। मालगोदाम के भवन या मुख्य कमरे तथा क्रमषः प्रत्येक स्टोर रूम का एक ही प्रवेष द्वार होगा जो कि मालगोदाम के अहाते पर खुलना चाहिये तथा प्रत्येक का दरवाजा एक आबकारी ताले द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

परन्तु, आबकारी आयुक्त, ऐसी षर्तों पर तथा ऐसे विस्तार तक जिन्हें वह विनिर्दिश्ट कर सके, विषेश मामलों में, इस नियम में निर्धारित अपेक्षाओं को षिथिल कर सकता है।

16. बंधकाधीन मालगोदाम के कार्य को देखने के लिये प्रतिनियुक्ति प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति के घंटे, संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी द्वारा नियत किये जायेंगे।

17. (प) बंधकाधीन मालगोदाम, केवल उन्हीं लोगों के प्रवेष व निकासी हेतु खोले जायेंगे जिनको वहां कार्य है। आबकारी विभाग, भू राजस्व विभाग के अधिकारी, अनुज्ञापी उसके अभिकर्ता तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी को भी बंधकाधीन मालगोदाम में प्रवेष की अनुमति नहीं होगी।

(पप) अनुज्ञापी यदि स्वयं पर्यवेक्षण न करता हो तो वह एक सक्षम अभिकर्ता नियुक्त करने के लिये आबद्ध है जिसकी नियुक्ति, आबकारी उपायुक्त (अनुज्ञापन) मुख्यालय उत्तरांचल की स्वीकृति की षर्त पर की जायेगी।

(पपप) अनुज्ञापी, प्रभारी अधिकारी को उन अभिकर्ताओं व सभी कर्मचारियों की एक सूची सौंपेगा जिनका कार्यवष बंधकाधीन मालगोदाम में प्रवेष अपेक्षित है।

(पअ) प्रभारी अधिकारी, प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–5 में एक सूची रखेगा जिसमें अनुज्ञापी द्वारा बताये गये मालगोदाम के सभी कर्मचारियों के विवरणों का समावेष होगा तथा इसकी प्रति जिला आबकारी अधिकारी को अग्रसरित करेगा। अनुज्ञापी ऐसी ड्यूटी पर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिस पर जिला आबकारी अधिकारी को आपत्ति हो।

(अ) बंधकाधीन माल गोदाम में प्रवेष करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मालगोदाम के अन्दर गतिविधियों व अपने चरित्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी के आदेष के अधीन होगा तथा प्रभारी अधिकारी के विवेकाधीन परिक्षेत्र छोड़ने के समय उसकी तलाषी ली जा सकेगी।

(अप) यदि अनुज्ञापी की जानकारी में यह आता है कि उसके नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के किन्ही प्रावधानों या उसके अन्तर्गत निर्मित किन्ही नियमों या उसके द्वारा स्वीकार किये गये प्रबन्धों का कोई उल्लंघन किया है तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह इस मामले की रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी को करे तथा ऐसे व्यक्ति का रोज़गार जारी रखने के संबंध में उपरोक्त अधिकारी के निदेषों का अनुपालन करे।

(अपप) एक बंधकाधीन मालगोदाम का प्रभारी अधिकारी, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन नियमों का उल्लंघन किया है या करने वाला है या जो नषे में धुत या विच्छृंखल हैं, उसे बेदखल कर सकता है या अपवर्जित कर सकता है। इस नियम के अधीन सभी कार्यवाहियों, अपने वरिश्ठों की सूचना हेतु उसकी सरकारी डायरी में तत्काल दर्ज की जायेंगी।

(अपपप) अनुज्ञापी, विदेषी मदिरा के जारी किये जाने हेतु बंधकाधीन मालगोदाम के प्रबंधन के लिये उन सभी सामान्य नियमों जो कि पहले से प्रवृत्त हों या जो इसके पश्चात् वर्तमान आबकारी कानूनों के अधीन निर्धारित हों या किसी कानून के अधीन जो इसके पश्चात् अधिनियमित किया जाये तथा निजी बंधकाधीन मालगोदाम के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी विषेश आदेषों द्वारा आबद्ध होगा तथा उसके द्वारा मदिरा जारी करने व भण्डारण इत्यादि में नियोजित सभी व्यक्तियों से इन सभी नियमों का पालन करवायेगा।

18. यदि अनुज्ञापी या उसका अभिकर्ता, अनुज्ञप्ति की किन्हीं षर्तों को भंग करता है या भंग करने के लिये दुश्प्रेरित करता है तो आबकारी आयुक्त, अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकता है तथा सम्पूर्ण या आंषिक धरोहर सरकार के लिये जब्त कर सकता है।

स्टाक मिलान तथा छीजन : –

19. दिन भर का सभी लेन–देन पूरा हो जाने के पश्चात्, प्रत्येक माह के अन्तिम दिन, प्रभारी अधिकारी, बंधकाधीन मालगोदाम में भण्डारित विदेषी मदिरा का स्टाक मिलान करेगा तथा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–9 में, निर्धारित रजिस्टर में प्रविश्टि अंकित करेगा। बंधकाधीन मालगोदाम में लेन–देन के संबंध में मालगोदाम खाते के मासिक संक्षिप्त विवरण की एक प्रति, प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–10 में प्रत्येक माह के पहले दिन जिला आबकारी व आबकारी उपायुक्त –अनुज्ञापन, मुख्यालय, उत्तरांचल के पास जमा की जायेगी।

प्रोफॉर्मा

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 1

यू0पी0 आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा–18(डी) के अधीन विदेषी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने हेतु आवेदन।

खनियम–4(1),
(लागू न होने वाले अंक व षब्दों को हटा दें)

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,
देहरादून

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी.....उत्तरांचल के..... .जिले में .....पर विदेषी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने व चलाने के लिये अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना चाहता है।

2. आवेदक विदेषी मदिरा विनिर्माता है तथा उसके पास..... राज्य में.....प्रपत्र में विनिर्माण की अनुज्ञप्ति है। उसकी विनिर्माण अनुज्ञप्ति संख्या.....है।

3. आवेदक फर्म/कम्पनी, प्रदान/नवीनीकृत किये जाने वाली अनुज्ञप्ति निबंधनों व षर्तों का पालन करने के लिये सहमत है।

4. आवेदक/फर्म/कम्पनी ने रू02,00,000/– (दो लाख) की अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान हेतु ट्रेजरी चालान सं0.....दि0.....संलग्न किया है।

5. आवेदक/फर्म/कम्पनी ने, जिस परिक्षेत्र में व्यापार किया जाना है, उसकी उपयुक्तता संबंधी, जिला कलक्टर या प्रमाण पत्र संलग्न किया है।

6. आवेदक/फर्म/कम्पनी एतद्द्वारा यह घोशणा करता/करती हूँ कि ऐसी अनुज्ञप्ति को नियन्त्रित करने वाले अधिनियम के प्रावधानों तथा/या नियमों को भंग करने के कारण कभी उसकी कोई आबकारी अनुज्ञप्ति निरस्त, निलम्बित नहीं की गई या नवीनीकरण हेतु अस्वीकृत नहीं की गई।

7. आवेदक अधोवर्णित रू0 1,00,000/– (एक लाख) की धरोहर राषि जमा करा रहा है।

क्र0सं0 प्रतिभूति मूल्य का प्रकार

8. आवेदक/फर्म/कम्पनी एतद्द्वारा यह घोशणा करता/करती हूँ कि उसकी/फर्म की/कम्पनी की/पूर्ण जानकारी व विष्वास में, यहां दी गई सूचना सच व सम्पूर्ण है।

स्थान : – देहरादून आवेदक (कों) के हस्ताक्षर
दिनांक : –

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 2
ख्देखिये नियम–4(1),

विदेशी मदिरा का बंधकाधीन मालगोदाम स्थापित करने या चलाने हेतु अनुज्ञप्ति

.....से प्रारम्भ हो कर, 31 मार्च.....(दोनों दिवस सम्मिलित कर) की अवधि में .....पर ..... जिले में (पश्चात् 'अनुज्ञापित परिक्षेत्र' संदर्भित) भारत में निर्मित विदेषी मदिरा, बन्धपत्र में भण्डारण हेतु अधिकृत करते हुए .....के ....(इसके पश्चात् 'अनुज्ञापी' संदर्भित) को यू0पी0 आबकारी अधिनियम, 1910 (1910 का अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये नियमों व आदेषों की षर्तों पर व उसके अधीन, एतद्द्वारा अनुज्ञप्ति निम्नलिखित षर्तों पर प्रदान की जाती है, जिनके अनुज्ञापी या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति द्वारा भंग होने पर अनुज्ञापी पर दण्ड, धरोहर राषि की जब्ती व अनुज्ञप्ति का रद्दकरण किया जा सकता है।

शर्तें

1. अनुज्ञापी, अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के पष्चात् के 31 मार्च को समाप्त होने वाले अधिकतम एक वर्श की अवधि हेतु, अनुज्ञापन फीस के रूप में प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 के लिये रू0 3,34,593/– (तीन लाख चौंतीस हजार पांच सौ तिरानवे) तथा प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 बी के लिये रू0 1,67,297/– (एक लाख सढ़सठ हजार दो सौ सत्तानवे) की राषि अग्रिम रूप में सरकारी ट्रेजरी में जमा करेगा।

   परन्तु, 01–05–2002 से 31–03–2003 की अवधि हेतु अनुज्ञापन फीस, वर्श 2002–2003 के पूर्ण वर्श के लिये नियत अनुज्ञापन फीस में से अप्रैल माह में वसूली गई अनुज्ञापन फीस की राषि घटाकर प्राप्त राषि के बराबर होगी। अनुज्ञापी को, इस विशय के नियमों के अधीन उपबंधित किये अनुसार रू0 1,00,000/– (एक लाख) की धरोहर राषि भी प्रस्तुत करनी होगी।

2. उक्त बंधकाधीन मालगोदाम से विदेशी मदिरा या तो राज्य में किसी अन्य बंधकाधीन मालगोदाम को बन्धपत्र में या राज्य के विदेशी मदिरा के थोक विक्रेता को ड्यूटी के भुगतान पर जारी की जायेगी।

3. (प) उक्त बंधकाधीन मालगोदाम से विदेशी मदिरा, आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा समय–समय पर नियत की गई क्षमता में जारी की जायेगी।

   (पप) जारी किये जाने से पहले प्रत्येक पूरी, आधी व चौथाई बोतल पर, आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत स्वीकृत संख्यांकित सुरक्षा होलोग्राम चिपकाये जायेंगे।

4. बंधकाधीन मालगोदाम का प्रभारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त के आदेश लम्बित रहने तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की स्वीकृति से, ऐसी विदेशी मदिरा को जारी किये जाने से रोकने हेतु सशक्त है जिसे वह खराब समझे। ऐसी विदेशी मदिरा को उसे तुरन्त विशलेषण हेतु भेजना होगा।

5. अनुज्ञापी के, खुदरा विक्रेता द्वारा ब्रांड विशेष की मांग व आवश्यकता को देखते हुए, आबकारी आयुक्त, अनुज्ञापन, उत्तरांचल द्वारा नियत गोदाम पर प्रत्येक ब्रांड का ऐसा न्यूनतम स्टाक रखना होगा।

6. अनुज्ञापी, गोदाम पर विदेशी मदिरा के उचित चलन व भण्डारण हेतु उत्तरदायी होगा। अनुज्ञापी, अपने स्टाफ के भण्डारण हेतु आवश्यक रैक्स, अल्मारी, बक्से तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायेगा। उसे इन पर अपने ताले लगाने की छूट होगी।

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 4

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम में प्राप्ति की पंजी

माह व दिनांक	मदिरा का विवरण	स्थान तथा पास का विवरण जिस के अधीन मदिरा का प्रत्येक प्रेषण प्राप्त किया			बोतलों की संख्या में प्रविष्ट की जाने वाली बोतलबंद स्पिरिट/बीयर की रसीद			
					बोतलों की संख्या	प्रत्येक बोतल में क्षमता	कुल बल्क लीटर	तीव्रता
		स्थान	पास सं0	दिनांक				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

टिप्पणी : – प्रत्येक प्रकार की मदिरा हेतु एक भिन्न पंजी रखी जाये।

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 5

विदेशी मदिरा की निकासी हेतु आवेदन

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

विदेशी मदिरा बंधकाधीन मालगोदाम.....

महोदय,

कृपया निम्नलिखित विवरण अनुसार विदेशी मदिरा की निकासी हेतु पास प्रदान करने की कृपा करें। उस पर ड्यूटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, देखें ट्रेजरी चालान सं0.....दिनांक.....

भवदीय

हस्ताक्षर

.....पर थोक विक्रेता

प्रेषिती का नाम	विदेशी मदिरा का विवरण	मात्रा बी0एल0 में	मात्रा ए0एल0 में	ड्यूटी

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 6

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम से निकासी की पंजी

पर .....

पास पर जारी		मदिरा का विवरण					
सं0	दिनांक	ब्रांड का नाम	गंतव्य व प्रेषिती का पता	पेटियों की संख्या	बोतलों में जारी की गई मात्रा		
					750 एम0एल0	375 एम0एल0	180 एम0एल0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
650 एम0एल0	325 एम0एल0	बल्क में	तीव्रता	ए0एल0	टिप्पणी		
9.	10.	11.	12.	13.	14.		

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 7

.....पर विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम से निकासी कवर करने वाला पास

संख्या : – ..... दि0.....

.....

1. **प्रेषक का नाम**
2. **प्रेषिती का नाम**
3. **स्थान जहां के लिये निकासी की गई तथा मार्ग जिसके द्वारा माल भेजा गया**
4. **परमिट की संख्या व दिनांक, यदि कोई है ।**
5. **विवरण के लिये नीचे देखें**

प्रभारी अधिकारी

.....पर बंधकाधीन मालगोदाम

विदेशी मदिरा का विवरण	ब्रांड	बैच संख्या	बोतलें (समाविष्ट मात्रा)			कुल बल्क लीटर
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 8

.....पर विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम में नियोजित व्यक्तियों की सूची

क्रम संख्या	पदनाम के साथ, नियोजित व्यक्तियों का नाम व पता	नियोजित व्यक्ति को आबंटित कार्य	बंधकाधीन मालगोदाम में नियुक्ति की दिनांक	व्यक्ति के नियोजन के अनुमोदन का जिला आबकारी अधिकारी के आदेश का संदर्भ

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 9
(नियम–10)

बंधकाधीन मालगोदाम के अनुज्ञप्ति परिक्षेत्र में बोतलबंद विदेशी मदिरा का मासिक स्टाक मिलान

मदिरा का विवरण (व्हिस्की, ब्रेंडी, जिन, रम, बीयर)	ब्रांड का नाम	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या			बीयर		बल्क लीटर में मात्रा	अल्का हॉल लीटर	कुल
		750 एम0एल0	375 एम0एल0	180 एम0एल0	650 एम0एल0	325 एम0एल0			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 – 10

विदेशी मदिरा के बंधकाधीन मालगोदाम का खाता (लेजर)

विदेशी मदिरा का विवरण	ब्रांड का नाम	पिछले माह के अन्त में अवशेष स्टाक	पंजी के अनुसार वर्तमान माह में प्राप्तियाँ			
				दिनांक	प्रेषक का नाम व पता	मात्रा
					बल्क	ए0एल0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

माह के दौरान निकासी		वर्तमान माह के अन्त में अवशेष		टूट– फूट		टिप्पणी
बल्क	ए0एल0	बल्क	ए0एल0	बल्क	ए0एल0	
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.

एफ0एल0 2

(अनुज्ञापन का प्रकार)

(पैरा 639)

लाईसेंस प्राप्त विकेताओं को ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा/बियर (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाईसेंस वर्श 2001–2002

रजिस्टर संख्या .....

लाईसेंस धारक का नाम :– ..... के स्थान ..... पर जिला .... में विकृत स्प्रिट से भिन्न उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त विदेषी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री के लिए दिनांक 1.4.2001 से दिनांक 31–3–2002 तक के लिए लाईसेंस, जिसके लिए लाईसेंस फीस रूपये ....., जिसका 1/6 भाग अग्रिम जमा कर दिया गया है व जिसका ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक ..... है व जिसकी षेश लाईसेंस फीस की मासिक किस्तें निम्न प्रकार जमा की जायेगी :–

1/12 20 अप्रैल, 2001 तक	1/12 20 जुलाई, 2001 तक	1/12 20 अक्टूबर, 2001 तक	1/12 20 जनवर्री, 2002 तक
1/12 20 मई, 2001 तक	1/12 20 अगस्त, 2001 तक	1/12 20 नवम्बर, 2001 तक	1/12 20 फरवर्री, 2002 तक
1/12 20 जून, 2001 तक	1/12 20 सितम्बर, 2001 तक	1/12 20 दिसम्बर, 2001 तक	1/12 20 म 2002 तक

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राषि कमषः फरवरी व मार्च में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी। प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/– (पचास हजार) का, जिसका विवरण लाईसेंस के अन्तिम पृश्ठ में दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित षर्तो, के जिनमें से किसी व्यतिक्रमण या संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1910 या स्वापक औशधीय और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोश सिद्ध होने पर उपरोक्त अनुज्ञापन तथा प्रतिभूति समपहरणीय होंगे और अनुज्ञापी नियमों के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रतिभागी होगा।

शर्तें

1- बिक्री केवल लाईसेंस प्राप्त परिसर में की जायेगी, उसी परिसर में देषी षराब नहीं रखी जायेगी व उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा। यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विदेषी षराब की बिक्री को उसके अस्वस्थकर होने के कारण प्रतिबंधित किया हो, तो इस लाईसेंस के अधीन उक्त षराब नहीं रखी जायेगी तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

2- लाईसेंसधारी अपनी दूकान से सम्बन्धित विदेषी मदिरा/बियर का अपना समस्त स्टॉक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए वह लाईसेंसधारण करता हो।

3- भारत में बनी व्हिस्की, रम, जिन या ब्राण्डी एक बार में अड़तालीस बोतल (750 एम.एल.) (या अद्धे, पौवो में इसके समकक्ष मात्रा) और बियर की दषा में एक बार में 96/192 बोतल 650/325 मिली लीटर या 500 एम0एल0 के 120 कैन से कम की बिक्री नहीं की जायेगी।

4- 750 मिली लीटर, 375 मिली लीटर, 180 मिली लीटर तथा 90 मिली लीटर की धारिता वाली केवल कांच की बोतलों में भारत में बनी व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन या रम की बोतलों के अतिरिक्त अन्य धारिता की बोतलों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। बियर की बिक्री 650 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 की कांच की बोतलों व 500 एम0एल0 के धातु के केन में की जा सकेगी।

5- बोतलों में भरे हुये तरल द्रव्य की मात्रा का उल्लेख लेबिल पर मोटे अक्षरो में स्पश्ट रूप में अंकित किया जायेगा, चाहे बोतल भराई भारत वर्श में हुई हो या विदेष में की गयी हो।

6- एफ0एल0–2 से विक्रय की जाने वाली ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की तीव्रता 42.8 प्रतिषत वी0/वी0 से कम नहीं होगी, जब तक कि आबकारी आयुक्त के विषेश आदेषो के अधीन मदिरा के अल्कोहल प्रतिषत में कमी करने की अनुमति न ले ली गयी हो। 37 प्रतिषत वी/वी तीव्रता वाली जिन की बिक्री भी एफ0एल0–2 से की जा सकेगी।

7- बिक्री प्रातः 10 बजे से पूर्व तथा सायं 6 बजे के बाद नहीं की जायेगी।

8- अनुज्ञापन के अधीन बोतलों की भराई निषिद्ध है, जबतक कि इस अनुज्ञापन के अतिरिक्त बोतल भराई का दूसरा अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा न प्रदान कर दिया गया हो।

9- षराब में कोई औशधि, द्रव्य, घातक पदार्थ नहीं मिलाया जायेगा।

10- इस लाईसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा या उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।

11- दुकान के प्रवेष द्वार पर एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर अनुज्ञापन का नाम और विदेषी मदिरा के लाईसेंस प्राप्त थोक अनुज्ञापी का नाम एवं वर्श अंकित किया जायेगा।

12- लाईसेंसधारी निर्धारित प्रारूप के रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा और उसको सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

13- थोक परिसर से विदेषी षराब एवं बियर का परिवहन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पासबुक से आच्छादित होगा। पासबुक पर केवल अनुज्ञापी अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमादित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगे।

14- लाईसेंस धारी अपने लाईसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जबतक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर से अनुमोदित न हो और लाईसेंस में उसके द्वारा पृश्ठाकिंत न किया गया हो।

15- लाईसेंसधारी इस लाईसेंस को ऐसे अधिकारियेां द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए नियमों के अधीन प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगा।

16- लाईसेंसधारी विदेषी षराब एवं बियर की आपूर्ति प्रदेष में स्थित विदेषी षराब के बन्धित गोदामों अथवा आसवनियों से आई0एम0एफ0एल0 पर 48/– रूपये प्रति एल्कोहल लीटर व 5 प्रतिषत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिषत वी/वी से अधिक व 8 प्रतिषत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमषः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति लीटर उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त करेंगा। मदिरा एवं बियर की प्रत्येक बोतल के लेबिल पर ''फार सेल इन उत्तरांचल'' छपा होगा।

17- बार अनुज्ञापियों तथा क्लब परमिट धारको को भारत में बनी ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की 750 एम0एल0 की मानक बोतलों के सिवाय अन्य धारिता वाली बोतलों की बिक्री नहीं की जायेगी।

18- लाईसेंसधारी, फुटकर विकेताओं को उनकी मांग के अनुसार विदेषी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेष के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी से विषेश परिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय, उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

19- प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला कोई लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेषी मदिरा एवं बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय उत्तरांचल की अनुमति से बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परमिटधारको को उत्तरांचल के किसी भी एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से विदेषी मदिरा एवं बियर क्रय करने की छूट होगी।

20. ड्राफ्ट बियर केवल एफ0एल0–6 समिश्र एफ0एल0–6क तथा एफ0एल0–7, अनुज्ञापियों को ही बेची जायेगी।

21. लाईसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर से बेची जाने वाली समस्त विदेषी मदिरा एवं बियर का नाम तथा उसके मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगे और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्श में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

22. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्षित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

23. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेष के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियें एवं क्लब परमिटधारको को दी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेष में जमा राषि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेष की आवष्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त निकासी आदेषों का मासिक विवरण एफ0एल0–2 पर निम्न प्रारूप में रखा जायेगा :––

क0 सं0	माह का नाम	फुटकर अनुज्ञापी	जिला आबकारी अधिकारी का	मदिरा की मात्रा	आबकारी निरीक्षक

		का नाम	आदेष सं0 व दिनांक	अभिकर वार	योग बोतलों में	के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

इस रजिस्टर का मासिक सारांष अगले माह की 3 तारीख तक एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर जिला आबकारी एवं संयुक्त आबकारी आयुक्त उत्तरांचल प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी द्वारा निम्न विवरण भी आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल व जिला आबकारी अधिकारी को उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :––

	विदेशी मदिरा (बोतलो में)	बियर (बोतलों में)
1. माह का प्रारम्भिक स्टॉक		
2. माह में प्राप्ति		
3. योग		
4. माह में बिक्री		
5. अवषेश स्टॉक		

24. एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी तथा क्लब परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगेः–

(1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी पूर्व –
पष्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्शिक गारन्टी	राषि जमा होने का विवरण	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एफ0एल0–2	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
					अभिकर	यो	

		ड डयूटी/ ड्यूटी की राषि	ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक	से मदिरा लेने हेतु जारी आदेष की संख्या व दिनांक	वार संख्या	ग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

निकासी के लिए जारी जिला आबकारी अधिकारी के आदेष एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगे। निकासी के उपरान्त इस आदेष पर ''निरस्त'' की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे व पदनाम की मोहर लगायेंगे।

प्रत्येक माह में गारंटीड डयूटी की राषि से अधिक (आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार निर्धारित ड्यूटी की बढ़ी दर पर अभिकर की अतिरिक्त राषि जमा कराने पर) निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलों की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			अभिकर वार	योग		
1	2	3	4	5	6	7
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					

5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

पास बुक के पृश्ठों पर नम्बर डाले जायेंगे, जिनका सत्यापन आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। एफ0एल0–2 से निकासी तभी दी जायेगी जब अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी का निकासी आदेष एवं उपरोक्तानुसार अपनी निकासी की पासबुक एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आबकारी निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह निकासी की पासबुक में प्रविश्टियां करने व उस पर अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही मदिरा की निकासी दें। निकासी के लिए ट्रान्सपोर्ट पास पूर्व की भांति जारी किये जायेंगे व एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि भी पूर्व की भांति अनुरक्षित किये जायेंगे।

25.अनुज्ञापी एफ0एल0–2 पर प्राप्त मदिरा के एक्स आसवनी दामों में 24 घंटे के भीतर संयुक्त आबकारी आयुक्त देहरादून को अवगत करायेंगे। मदिरा के एक्स आसवनी दामों के आधार पर संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा प्रति बोतल अभिकर की राशि का ब्राण्डवार निर्धारण किया जायेगा व इसकी सूचना एफ0एल0–2 अनुज्ञापी को तुरन्त दी जायेगी, जिसके आधार पर एफ0एल0–2 से विदेशी मदिरा की निकासी फुटकर विक्रेताओं को दी जायेगी।

लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान की गयी प्रतिभूति का विवरण

लाईसेंस प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/– (पचास हजार) मात्र जिसकी प्रविश्टियां निम्न प्रकार हैं, इस कार्यालय में जमा कर दी है:–

कमांक	प्रतिभूति का प्रकार	प्रविश्टियां	मूल्य
1			50,000/–
2			

3			
4			

जिलाधिकारी

जनपद .....

दुकान का परिसर एवं विक्रेताओं का ब्यौरा जो सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क–1– परिसर की प्रविश्टियां भवन सं. व स्थिति : .....

2– चौहद्दी उत्तर :.....
दक्षिण :.....
पूरब :.....
पष्चिम :.....

ख–विक्रेता .....

———————————————————————————————

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता

———————————————————————————————

1.

2.

———————————————————————————————

दिनांक :.....

जिलाधिकारी

जनपद .....

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, मंगलवार 11 अप्रैल, 2001 ई0
चैत्र 21, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
संयुक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय

संख्याः 319–331 / सात–लाईसेंस / संसाधन / नीति / 2001–2002
देहरादून, 11 अप्रैल, 2001

सा0प0नि0–013

वर्श 2001–2002 के लिए एफ0एल0–1, बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2, बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2, बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी व बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस शासन द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गयी है।

लाइसेंस का प्रकार	लाइसेंस फीस वर्श या उसके भाग के लिए
1. उत्तरांचल स्थित आसवनियों को अपने विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स बेचने हेतु देय एफ0एल0–1 लाइसेंस	50,000 / – रू0 (पचास हजार रूपये मात्र)
2. उत्तरांचल से बाहर की आसवनियों को अपने ब्राण्ड्स अण्डरबाण्ड लाने हेतु देय	
(1) बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2(बियर एवं विदेशी मदिरा के लिए) लाइसेंस	2,00,000 / – रू0 (दो लाख रूपये मात्र)
(2) बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी (केवल बियर के लिए) लाइसेंस	1,00,000 / – रू0 (एक लाख रूपये मात्र)
3. बार अनुज्ञापनः–	
(1) चार व पांच सितारा होटलों हेतु	5,00,000 / – रू0 (पांच लाख रूपये मात्र)
(2) अन्य होटलों व रेस्टोरेन्टों हेतु	2,00,000 / – रू0 (दो लाख रूपये मात्र)

कृपया उपरोक्तानुसार लाइसेंस फीस जमा कराकर लाइसेंस स्वीकृत एवं नवीनीकरण करने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय प्रेशित करें।

संयुक्त आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, वृहस्पतिवार, 19 अप्रैल, 2001 ई0
चैत्र 29, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त

संख्याः 434/अल्कोहल/देहरादून, 19 अप्रैल, 2001

आदेश

सा0प0नि0–014

उत्तर प्रदेश बाटलिंग आफ फारेन लीकर रूल्स, 1969 (यथा संशोधित) के नियम 6 (21) (1) से (4) के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले लेबुलों पर लीजेण्ड मुद्रण के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के द्वारा पूर्व में जारी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्न व्यवस्था बनायी जाती हैः–

1- प्रदेश में बिक्री की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' ;थ्व्ै।स् प्छ न्ज्ज।त।छब्।स् व्छस्ल्द्ध अथवा उक्त का हिन्दी रूपान्तरण अंकित किया जाये।

2- अन्य राज्यों को निर्यात किये जाने वाली बोतलों के लेबुलों पर 'फार सेल इन. .....स्टे/यूनियन टेरिटरी ओनली' (थ्व्ै।स् प्छ०००००००००००००००००००० ै ज।जम्ब्न्छप्च्छ ज्म्त्प्ज्व्त्ल व्छस्त्ल) अंकित किया जाये। इस प्रकार एक लेबुल को अनुमोदित कराने के बाद जिस राज्य में निर्यात करना हो, उस राज्य के केवल नाम की छापने की अनुमति दी जाये।

3- यदि कोई राज्य उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई लीजेण्ड मुद्रित कराना चाहता है, तो उक्त राज्य के आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार इस कार्यालय के पूर्वानुमोदन से उक्त लीजेण्ड मुद्रित कराया जा सकता है।

4- देश के बाहर निर्यात किये जाने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार एक्सपोर्ट आउट आफ इण्डिया' ;थ्व्त् म्च्च्ज् व्न्ज ब् प्छक्।ण्ण्ण्ण्ण्ण्द्ध तथा आयात देश के रेगुलेशन के अनुसार अन्य कोई लीजेण्ड छपाना चाहें तो इस कार्यालय के पूर्वानुमोदन पश्चात् छपा सकते हैं।

5- सेना को आपूर्ति किये जाने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के लेबुलों पर 'फार सेल डिफेंस परसनल ओनली' 'पजेसन बाई परसन्स अंदर देन डिफेंस परसनल इज पनिशेबल' ;थ्व्त् ै।स् ज्ब् क्मथ्छब् च्त्ैव्छछम्स् व्छस्त् ष्ब्टैप्व्छ ठल व्ज्भ्त् ज्ब्।छ क्मथ्छब् च्त्ैव्छछम्स् ै च्न्छैप्।ठस्म्ब्द्ध तथा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के मामले में 'फार सेल टू पैरा मिलिट्री ओनली' ;थ्व्त् ै।स् क्मथ्छब् च्त्ैव्छछम्स् व्छस्त् ष्ब्टैप्व्छ ठल व्ज्भ्त् ज्ब्।छ च्।त्। ड्प्प्ज्।त्त् थ्व्त्ब्ै प्छ च्न्छैप्।ठस्म्ब्द्ध लाल रंग से डायेयोनली मुद्रित कराया जाये।

6- लेबुलों में मेड इन इंडिया अंकित कराया जाना अनिवार्य है तथा वैधानिक चेतावनी 'कन्जम्पसन आफ लीकर इज इन्जूरियस टू हेल्थ' अंग्रेजी व हिन्दी में अथवा आयात करने वाले आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार सम्बन्धित राज्य की भाशा में मुद्रित कराया जाये।

7- भारत निर्मित विदेशी मदिरा की तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी अथवा जिनके मामले में यथास्थिति 42.8 प्रतिशत वी/वी या 37.1 प्रतिशत वी/वी मुद्रित कराया जाये। यदि आयातक राज्य प्रुफ माप में तीव्रता का अंकन चाहता है तो 25 डिग्री यू0पी0 भी साथ–साथ मुद्रित कराया जाये, किन्तु 42.8 प्रतिशत वी/वी अथवा 37.1 प्रतिशत वी/वी जैसी स्थिति ही मुद्रित कराना अनिवार्य है।

8- राज्य के बाहर या देश के बाहर की कोई इस प्रदेश में एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन धारक आसवनी अपने ट्रेडमार्क/ब्राण्ड भारत निर्मित विदेशी मदिरा की भराई उत्तर प्रदेश की किसी आसवनी में कराना चाहती है तो उसे लेबुल

पर अपने कम्पनी के नाम के साथ ही भराई कराने वाली आसवनी का भी अंकित कराना होगा चाहे लेबुल एक भाग में हो या कई भाग में हो।

9- पेट बाटल के लेबुल पर शब्द 'पेट बाटल' तथा 'एक्सपाइरी डेट' मुद्रित करायी जाये।

10- उपर्युक्त के अतिरिक्त यह स्पश्ट किया जाता है कि भविश्य में इस कार्यालय द्वारा केवल उन्हीं लेबुलों का अनुमोदन किया जायेगा जो एक बार (मूल प्रिन्ट) प्रिन्टेड हो, केवल प्रस्तर–2 में अंकित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम बाद में छपाया जा सकेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबुलों पर कटिंग, ओवर प्रिटिंग, टाईपिंग एवं स्टाम्पिंग किसी भी दशा में बिना इस कार्यालय की पूर्व अनुमति के प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा लीजेण्ड 'लाईन टू पाइका' अर्थात मुद्रण की पंक्ति (लाईन) पाइका से छोटा नहीं होगा।

11- लेबुलों का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ किया जायेगा कि यदि उक्त ट्रेडमार्क अथवा मेक का लेबुल किसी अन्य आसवनी को पूर्वानुमोदित है, तो पश्चातवर्ती लेबुल का अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा। किसी भी लेबुल को अनुमोदित करना अथवा न करने के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल का आदेश अंतिम व बाध्यकारी होगा।

(सुभाश कुमार)
आबकारी आयुक्त

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून

संख्याः518–30/सात लाईसेंस–48/एफ0एल0–2ए/देहरादून, अप्रैल 19, 2001

प्रेशक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

विशयः सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराया जाना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेवा के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0–2ए) अनुज्ञापन प्रदान नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैण्टीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत सी0एस0डी0 डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए यूनिट कैन्टीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा/बीयर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परमिट हेतु (उ0प्र0 आबकारी मैनुअल खण्ड प्रथम के प्रस्तर 614) अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैंः–

1. आबकारी अभिकर की दर

(1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन)	48/–	प्रति ए0एल0
(2) बीयर		
(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक	11.55	प्रति बी0एल0
(ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की	23.10	प्रति बी0एल0
(3) कंसेशन ड्यूटी रम	43/–	प्रति ए0एल0
(4) भारतीय सेना एवं तिब्बत सीमा पुलिस सीमा को दी जाने वाली रम उत्तर प्रदेश के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 180, 180 लीटर एवं 41,148 लीटर की सीमा तक रम	17.25	प्रति ए0एल0

2. आयात परमिट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम	5/– प्रति बोतल
(2) बीयर	1/– प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ0एल0–9 एवं एफ0एल0–9ए, अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं ऐसेस्ड फीस की दरें निम्नवत होगी।

(1) एफ0एल0–9 (सैन्य कैन्टीन)	निश्चित फीस		रू0 60 प्रति लाइसेंस
	ऐसेस्मेंट शुल्क	(एक) भारत में बनी सभी प्रकार की विदेशी शराब स्प्रिट, वाईन शराब स्प्रिट, वाईन शराब काडियल आदि	30.00 रूपये प्रति मान्य क्वार्ट बोतल
		(दो) अल्कोहल को 5 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति रखने वाली बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब	2.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
		(तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत वी/वी से कम शक्ति रखने वाली बियर स्टाउट और किण्वित शराब	3.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
(2) एफ0एल0–9ए (सैन्य कैन्टीन)	निश्चित फीस		रू0 60/– प्रति लाइसेंस
	एसेस्मेन्ट		रियायती शुल्क रू0 18.00 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल रम

(सुभाश कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल

संख्याः531–44/सात–लाइसेंस–48/एफ0एल0–2ए/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कमाण्डर हेडक्वाटर्स सब एरिया देहरादून कैन्ट को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उत्तरांचल स्थित सेना की समस्त इकाइयों को स्थिति से अपने स्तर से अवगत कराने का कश्ट करें।

(सुभाश कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, शुक्रवार, 11 मई, 2001 ई0
बैशाख 21, 1923 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त

संख्याः 1151–1163/30/सात/एफ0एल0–9/9ए
देहरादून, 11 मई, 2001

सा0प0नि0–015

माननीय मंत्री परिशद द्वारा नैरूपित सिद्वान्तों के अनुसार राज्य में स्थित सैन्य इकाइयों द्वारा मनाये जाने वाले विशिश्ट सैन्य समारोहों के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में दी जाने वाली आबकारी अभिकर की छूट की सीमा वर्श 2001–2002 के लिए 10 लाख रूपये निर्धारित की गयी है। सैन्य इकाइयों द्वारा विभिन्न सैन्य समारोह के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में शासन द्वारा अनुमन्य छूट निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–

1. 50 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोहों जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर	मांग का 50 प्रतिशत की छूट
2. 25 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोहों जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर	मांग का 20 प्रतिशत की छूट
3. 05 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह जैसे पंचवर्शीय री–यूनियन के अवसर पर	मांग का 10 प्रतिशत की छूट
4. वार्शिक सैन्य समारोह	कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त छूट के संबंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि प्रदेश में स्थित सैन्य इकाईयों द्वारा मनाये जाने वाली विभिन्न सैन्य समारोहों के अवसर पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी अभिकर में माननीय मंत्री परिशद द्वारा निरूपित सिद्धान्तों के अनुरूप निर्धारित सीमा एवं शर्तों के अनुसार ही प्रस्ताव शासन/आबकारी आयुक्त को प्रेशित किये जायें।

भवदीय,
(सुभाश कुमार)
सचिव/आयुक्त,
आबकारी।

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, मंगलवार 26 जून, 2001 ई0
अषाढ़ 05, 1923 शक सम्वत्

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वर्पिबमए न्जजंतंदबींस म्गबपेम क्मचंतजउमदज

छवण 778ब्ैज

कंजमक क्मीतंकनदए श्रनदम 26ए 2001

छव्ज्थ्ब्।ज्प्छ

सा0प0नि0–006

प्द म्गमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत ेमबजपवद 41 व िजीम न्च्च म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्च ।बज दवण प्ट व ि1910द्ध तमंक ूपजी ेमबजपवद 21 व िजीम न्च च्च ळमदमतंस ब्संनेमे ।बज 1904 ;न्च्च ।बज दवण ् व ि1904द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू व िंउमदकपदह जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध त्नसमे 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;मबवदक ।उमदकउमदजद्ध त्नसमे 2001ण

1ण ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;मबवनदक ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2001ण

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज ।चतपस 2001ण

2ण ।उमदकउमदज व िल्नसम 14रू प्द जीम ेपक तनसमेए वित जीम त्नसम 14 ेमज वनज पद ब्वसनउद ् इमसवूए जीम त्नसम ेमजवनज पद ब्वसनउद प्ींसस इम ेनइेजपजनजमकरू.

;नईी ज्ञनउंतद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए

न्जजंतंदबींसण

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 28 जुलाई, 2001 ई0
श्रावण 06, 1923 शक सम्वत्

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वंपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण्रू 3067
क्ंजमकए क्मीतंकनद श्रनसल 28ए 2001

छव्ज्थ्ब्।ज्प्छ

सा0प0नि0–021

प्द म्गमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत`मबजपवद 41 व िजीम न्च्प्म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्प्ध्ब ।बज दवण् प्ट व ि1910द्ध तमंक ूपजी`मबजपवद 21 व िजीम न्ध्च्प्ळमदमतंस ब्संनेमे ।बज 1904 ;न्च्प्ध्ब ।बज दवण् ए व ि1904द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने`दबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू व िंउमदकपदह जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध त्नसमे 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;जीपतक ।उमदकउमदजद्ध त्नसमे 2001ण्

1ण् ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;जीपतक ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2001ण्

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ंज ।नहनेजए 2001ण्

2ण् ।उमदकउमदज व िंत्नसम 14रू प्द जीम ंपक तनसमेए वित जीम त्नसम 14 `मज वनज पद ब्वसनउद ए इमसवूए जीम त्नसम ं`मजवनज पद ब्वसनउद प्ींसस इम`नइेजपजनजमकरू.

;नईी ज्ञनउंतद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए

न्जजंतंदबींसण्

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
देहरादून, शनिवार, 28 जुलाई, 2001 ई0
श्रावण 06, 1923 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त
सं0 3068
दि0 देहरादून, 28 जुलाई, 2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम – 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (द्वितीय संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 अगस्त 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–15 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–ब में निर्दिष्ट नियम–15 हेतु स्तंभ–अ में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–अ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–15	नियम–15

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–ज एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी ड्यूटीज़ व करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी अगले माह के तीसरे दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे इन नियमों के अधीन निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना कर प्रति बल्क लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के भुगतान पर दुकान हेतु मासिक प्रत्याभूत मात्रा की 20ः अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह किसी माह विशेष में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के 120ः से अधिक मात्रा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के दसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50ः के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150ः से अधिक के सापेक्ष मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

आबकारी आयुक्त कार्यालय, उत्तरांचल
सं0 1194/ैज दि0 देहरादून 14–09–2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम–2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (तृतीय संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 अगस्त 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–2 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–ब में निर्दिष्ट नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) हेतु स्तंभ–ज में निर्दिष्ट नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–ज एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) 2. परिभाषाएं : – 2(बी). ''देशी मदिरा'' में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में बेची जाने वाली 32: अ/अ क्षमता की देशी स्पिरिट व मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।	नियम–2 (बी), 2 (एच), 2 (जे) 2. परिभाषाएं : – 2(बी) ''देशी मदिरा'' में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में बेची जाने वाली 32: अ/अ क्षमता की देशी स्पिरिट, सादी व मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।
2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (32: अ/अ की	2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–स एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।	मदिरा (32: अ/अ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।
2(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32: अ/अ की मसाला युक्त देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।	2(जे) 2(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32: अ/अ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।

3. नियम–6(ए) का संशोधनः –

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–ब में निर्दिष्ट नियम–6(ए) हेतु स्तंभ–स में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–स एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–6 अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा सी एल 5 सी प्रपत्र में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नलिखित भुगतान पर दिया जायेगा :–	नियम–6 अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा सी एल 5 सी प्रपत्र में लाइसेंस एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नलिखित भुगतान पर दिया जायेगा :–

स्तंभ–च वर्तमान नियम			स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
(ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय निम्न दरों पर अग्रिम में लाइसेंस फीस :–			(ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय निम्न दरों पर अग्रिम में लाइसेंस फीस :–		
श्रेणी	''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' बल्क लीटर में मात्रा (32ः अ/अ की मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)	श्रेणी	''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' बल्क लीटर में मात्रा (32ः अ/अ की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा के रूप में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)
1.	12,000 तक	50,000	1.	12,000 तक	50,000
2.	12,001 से 30,000	1,00,000	2.	12,001 से 30,000	1,00,000
3.	30,001 से 60,000	2,00,000	3.	30,001 से 60,000	2,00,000
4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000	4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000
5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000	5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000
6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000	6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000
7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000	7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000

4. नियम–7 का संशोधन :–
उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–च में निर्दिष्ट नियम–7 हेतु स्तंभ–छ में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–7 देशी मदिरा की क्षमता :– 32ः अ/अ अल्कोहॉल क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा	नियम–7 देशी मदिरा की क्षमता :– 32ः अ/अ अल्कोहॉल क्षमता की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2001 ई0
भाद्रपद 23, 1923 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त कार्यालय
सं0 1195/ज
दि0 देहरादून, 14 सितम्बर, 2001

अधिसूचना

उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1904 का 1) की धारा–21 के साथ पठित उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम – 2001

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (चतुर्थ संशोधन) नियम – 2001 है।
   (2) ये नियम 1 सितम्बर 2001 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियम–15 का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, में स्तंभ–ब में निर्दिष्ट नियम–15 हेतु स्तंभ–ब्ब में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होगा।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–स एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के दसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50ः के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150ः से अधिक के सापेक्ष मदिरा उठाना चाहता है तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	नियम–15 अनुज्ञापी, एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, माह के अंतिम कार्य दिवस तक उठा सकता है। माह के अंतिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त हो जायेगी। तथापि, यदि अनुज्ञापी ने मांग पत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर (उस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से फरवरी के दौरान) अगले माह के पच्चीसवें दिन तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली है तथा उसकी दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे (अग्रिम रूप से ड्यूटी जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (जैसी कि, दुकान के लिये मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना की गई है) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50ः के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150ः से अधिक के सापेक्ष

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।

(सुभाष कुमार)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शुक्रवार, 14 सितम्बर, 2001 ई0
भाद्रपद 23, 1923 शक सम्वत्

न्जजंतंदबींस ौंद
जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वंपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण्रू 1196ैज्
कंजमकरूक्मीतंकनदरूैमचजमउइमत 14ए 2001
छव्जथ्ब।ज्प्छ

प्द म्गमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत ेमबजपवद 41 व िजीम न्ण्च्ण् म्गबपेम ।बज 1910 ;न्ण्च्ण् ।बज दवण् प्ट व ि1910द्ध तमंक ूपजी ेमबजपवद 21 व िजीम न्ण् च्ण् ळमदमतंस ब्संनेमे ।बज 1904 ;न्ण्च्ण् ।बज दवण् ण् व ि1904द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू व िंउमदकपदह जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध त्नसमे 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;थ्वनतजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमे 2001ण्

1ण् ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज
;1द्ध जीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध ;थ्वनतजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2001ण्
;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1 ंज ैमचजमउइमत 2001ण्

2ण् ।उमदकउमदज व िंतनसम 13रू प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैंसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममतद्ध त्नसमे 2001 ीमतम पद ंजिमत तममिततमक जव ं जीम ंपक त्नसमे वित त्नसम 13 ेमज वनज पद बवसनउद ण् इमसवूए जीम तनसम ं ेमज वनज पद बवसनउद ब्ण् ींसस इम ेनइेजपजनजमक रू.

ब्वसनउद ण् ब्वसनउद ब्ब

म्गपेजपदह
त्नसम

त्नसम 13

जीम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ैंसस वइजंपद ेनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवत तिवउ ंदल ूवसमेंसम सपबमदबम ;थ्स्.2द्ध वि जीम कपेजतपबज ंजिमत उंापदह निसस चंलउमदजे वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समअपमक तिवउ जपउम जव जपउमण् पि ंदल ेचमबपपिबध्चंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअंपसंइसम पद ूवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ेउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सपबमदबम वि जीम ेजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजंतंदबींसण्

त्नसम 13

जीम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ैंसस ेनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवत तिवउ सपबमदबम ;थ्स्.2द्ध वि जीम कपेजतपबज ंजिम निसस चंलउमदजे वि बवेज चतपबम वि वितमपहद पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं तिवउ जपउम जव जपउमण् पि ंदल ेचमबपपिबध्चं इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअंपसं ूवसमेंसम सपबमदबम वि ीपे कपेजतपबज जीम ेउ चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सप जीम ेजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक न्जजंतंदबींसण् जीम ंउवनदज वि डवदजीसल ळनंतंदजममक क्नजल ैंसस इम ंकरनेजमक ंह इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम स्पुनवत;चपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्स्.2 पद जीम उंददमत रू.

क्पेजपससमतल चतपबम कनजल	डपदपउनउ ह
न्चजव ेण् 16ध्. ठवजजसम	40
थ्तवउ ेण्16ण्01 जव ेण् 20	50ध्. ेण् चमत ठ
थ्तवउ ेण्20ण्01 जव ेण् 35	60ध्. ेण् चमत ठ
थ्तवउ ेण्35ण्01 जव ेण् 75	75ध्. ेण् चमत ठ
थ्तवउ ेण्75ण्01 जव ेण् 150	90ध्. ेण् चमत ठवज
।इवअम ेण्150 ठवजजसम	109

3ण् ।उमदकउमदज वि त्नसम 14रू प्द जीम ेपक तनसमेए वित जीम त्नसम 14 ेमज वनज पद ब्वसनउद ब् इमसवूए जीम त्नसम ेमजवनज पद ब्वसनउद ब्ब् ैंसस इम ेनइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद ब्

ब्वसनउद ब्ब्

म्गपेजपदह
त्नसम

त्नसम 14

जीम सपबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जीम उवदजीण् जीम ुनंदजपजल समजि नदसपजिमक वद जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जीम उवदजी ीसस ेजंदक वितमपिजमकण् भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलए जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस 10जी कंल वि जीम दमगज उवदजी ;कनतपदह ।चतपस जव थ्मइतनंतल वि जींज पिदंदबपंस लमंतद्धए वद ूतपजजमद तमुनमेज तिवउ जीम सपबमदेममण्

प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत ंहंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित उवदजी दक जीमतम पे बवचम वित नितजीमत सम पद ीपे ीवचए ीम ;जिमत कमचवेपजपदह जीम कनजल पद कअंदबमद्ध ूपसस इम ससवूमक जव सपजि द ककपजपवदंस ुनंदजपजल वि थ्वतमपहद स्पुनवत मुनपअंसमदज जव 50ः वि जीम डपदपउनउ डवदजीसल ळनंतंदजममक क्नजल ज जीम ेउम तंजम ; बंसबनसंजमक वद जीम इंपे वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम ीवचद्ध ण प्द बेंम सपबमदेमम ूदजे जव सपजि थ्वतमपहद स्पुनवत ंहंपदेज उवतम जींद 150ः वि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पद उवदजीए ीम ीसस इम तमुनपतमक जव कमचवेपज द ककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ज ीपहीमत तंजम दवजपपिमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद जीपे तमहंतकण् थ्स् 5क स्पबमदेमम ीसस इम तिमम जव चनतबींम दल ुनंदजपजल वि ठममत तिवउ थ्स्2 वत थ्स्2ठ चमत जीम हमदनपदम सम तमुनपतमउमदजे वि पे ीवचण्

त्नसम 14

जीम सपबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल
ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित उवदजी जपसस
ूवतापदह कंल वि जीम उवदजीण् जीम ुनंदजप
नदसपजिमक वद जीम सेंज ूवतापदह कंल वि ज
ीसस जंदक वितमपिजमकण् भ्वूमअमत पि जीम स
कमचवेपजमक ंसस डवदजीसल डपदपउनउ ळ
क्नजलए जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल
सपजिपदह वि सपुनवत जपसस 25जी कंल वि ज
उवदजी ;कनतपदह ।चतपस जव थ्मइतनंतल
पिदंदबपंस लमंतद्धए वद ूतपजजमद तमुनमेज
सपबमदेममण्

प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपह
ंहंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल
ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित उवदजी दक
बवचम वित नितजीमत सम पद ीपे ीवचए
कमचवेपजपदह जीम कनजल पद कअंदबमद्ध
ंसस्वूमक जव सपजि द ककपजपवदंस ुनंद
थ्वतमपहद स्पुनवत मुनपअंसमदज जव 50ः
डपदपउनउ डवदजीसल ळनंतंदजममक क्नजल ज
तंजम ; बंसबनसंजमक वद जीम इंपे वि
डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम ीवचद्ध
सपबमदेमम ूदजे जव सपजि थ्वतमपहद स्पुन
उवतम जींद 150ः वि जीम डवदजीसल
ळनंतंदजममक क्नजल पद उवदजीए ीम
तमुनपतमक जव कमचवेपज द ककपजपवदंस म्गब
ज ीपहीमत तंजम दवजपपिमक इल ज
ळवअमतदउमदज पद जीपे तमहंतकण् थ्स् 5क स्पबम
इम तिमम जव चनतबींम दल ुनंदजपजल वि ठममत
वत थ्स्2ठ चमत जीम हमदनपदम सम तमुनपत
ीपे ीवचण्

;नईी ज्ञनउंतद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए

न्जजंतंदबींसण्

कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तरांचल
अधिसूचना
संख्याः 26 जनवरी, 10/14, 2002

संयुक्त प्रान्त अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं0 4 सन् 1910) की धारा 31 और उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (स0प्रा0 अधिनियम सं0–1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित 1910 के उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तर प्रदेश में प्रकाशित आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्याः14915/लाईसेंस–संसाधन–99–2000 दिनांक 25 मार्च, 1999 द्वारा यथासंशोधित आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 13684/दो–781–डी0–सामान्य, दिनांक 25 अक्टूबर, 1967 के साथ प्रकाशित रियायती शुल्क पर विदेशी शराब की फुटकर बिक्री से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने की दृश्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तरांचल आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (संशोधन) नियमावली 2002 कही जायेगी।

(2) यह 10.01.2002 से प्रवृत्त होगी।

2. पैरा 650 में दिये गये नियम का संशोधन– नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये समय–समय पर यथासंशोधित रियायती शुल्क पर विदेशी शराब की फुटकर बिक्री से सम्बन्धित नियम के, जो यू0पी0 एक्साइज मैनुअल खण्ड–1 (1974 संस्करण) के पैरा 650 में दिया गया है, के स्थान (स्तम्भ–1) पर स्तम्भ दो पर दिये गये नियम रख दिये जायेंगे अर्थात.....

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
650–(1) सैनिक कैन्टीन प्रणाली के अधीन विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेके देने के संबंध में कलेक्टर द्वारा कैन्टीन किरायेदार को लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को इसकी सूचना दी	650–(1) सैनिक कैन्टीन प्रणाली के अधीन विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिए ठेके देने के संबंध में कलेक्टर द्वारा कैन्टीन किरायेदार को लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को इसकी सूचना दी

जायेगी। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री केवल कैन्टीन में या इस प्रयोजन के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो ऐसी कैन्टीन का उपभोग करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) उक्त लाइसेंस प्रपत्र–एफ0एल0–9 में होगा और प्रत्येक बिक्री के स्थान के लिए एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि बिक्री स्थल एक ही ठेकेदार के हों या अलग–अलग ठेकेदारों के और यह कि वे एक ही सैनिक यूनिट से सम्बद्ध है या अलग–अलग। प्रपत्र एफ0एल0–9 में कैन्टीन लाईसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(एक) भारत में बनी सभी रू0 30.00 प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन, शराब, कार्डियल आदि। izfr ekU; DokVZ

(दो) अल्कोहल को 5 रू0 2.00 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति प्रति 650 रखने वाली बियर स्टाउड एम0एल0 और अन्य किण्वित शराब बोतल

(तीन) अल्कोहल को 5 रू0 3.00 प्रतिशत वी/वी से अधिक प्रति 650 किन्तु 8 प्रतिशत वी/वी से एम0एल0 कम शक्ति रखने वाली बोतल बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब

(3) (क) रियायती शुल्क की रम को प्रतिरक्षा कार्मिकों के साथ बिक्री करने के लिए कलेक्टर द्वारा यूनिट कैन्टीन को प्रपत्र एफ0एल0–9ए में सैनिक यूनिट कैन्टीन लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाईसेंस यूनिट के आफिसर कमान्डिंग के अनुरोध पर उचित जांच और छानबीन

जायेगी। इस लाइसेंस के अधीन बिक्री केवल कैन्टीन में या इस प्रयोजन के लिए सैनिक प्राधिकारियों द्वारा नियत स्थान पर और केवल उन्हीं व्यक्तियों को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो ऐसी कैन्टीन का उपभोग करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो।

(2) उक्त लाइसेंस प्रपत्र–एफ0एल0–9 में होगा और प्रत्येक बिक्री के स्थान के लिए एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा। इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ेगा कि बिक्री स्थल एक ही ठेकेदार के हों या अलग–अलग ठेकेदारों के और यह कि वे एक ही सैनिक यूनिट से सम्बद्ध है या अलग–अलग। प्रपत्र एफ0एल0–9 में कैन्टीन लाईसेंस के अधीन बिक्री के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

(एक) भारत में बनी सभी रू0 30.00 प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन, शराब, कार्डियल आदि। izfr ekU; DokVZ

(दो) अल्कोहल को 5 रू0 2.00 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति प्रति 650 रखने वाली बियर स्टाउड एम0एल0 और अन्य किण्वित शराब बोतल

(तीन) अल्कोहल को 5 रू0 3.00 प्रतिशत वी/वी से अधिक प्रति 650 किन्तु 8 प्रतिशत वी/वी से एम0एल0 कम शक्ति रखने वाली बोतल बियर, स्टाउट और अन्य किण्वित शराब

(3) (क) रियायती शुल्क की रम को प्रतिरक्षा कार्मिकों के साथ बिक्री करने के लिए कलेक्टर द्वारा यूनिट कैन्टीन को प्रपत्र एफ0एल0–9ए में सैनिक यूनिट कैन्टीन लाईसेंस दिया जा सकता है और जारी किया जा सकता है। किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेंस जारी किया जाये आबकारी आयुक्त को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाईसेंस यूनिट के आफिसर कमान्डिंग के अनुरोध पर उचित जांच और छानबीन

करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाईसेंस के अधीन बिकी केवल यूनिट रम, कैन्टीन में या सैनिक प्राधिकारी द्वारा विशिश्ट रूप से पृथक रक्षित स्थल पर और केवल उन्हीं व्यक्ति को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो कैन्टीन से खरीदारी करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। प्रत्येक विकय स्थल के लिए प्रपत्र एफ0एल0–9ए में एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा।

(ख) एफ0एल0–9ए में कैन्टीन लाइसेंस कलेक्टर द्वारा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राधिकृत भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैन्टीनों/यूनिटों को भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों को रियायती रम की फुटकर बिकी के लिए दिया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाइसेंस उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के अनुरोध पर जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाइसेंस के अधीन बिकी 'केवल रम कैन्टीन' में या उप महा निरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विशेश रूप से पृथक रक्षित स्थान पर और केवल व्यक्तियों को की जायेगी जो ईकाई से, जिसके लिए लाइसेंस दिया जाये, सम्बद्ध हो।

(ग) उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिश्ट लाइसेंस के अधीन बिकी के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली 18 रूपये (अठारह रूपये) रियायती शुल्क रम प्रति मान्य क्वार्ट की दर पर होगी।

टिप्पणी– कैन्टीन के लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है, यदि सेना युद्धाभ्यास कर रही है, मार्च कर रही है, या

करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाईसेंस के अधीन बिकी केवल यूनिट रम, कैन्टीन में या सैनिक प्राधिकारी द्वारा विशिश्ट रूप से पृथक रक्षित स्थल पर और केवल उन्हीं व्यक्ति को की जायेगी, जो उस रेजीमेन्ट से जिसके लिए लाइसेंस दिया गया हो, सम्बद्ध हो, या जो कैन्टीन से खरीदारी करने के लिए आर्मी रेगुलेशन के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। प्रत्येक विकय स्थल के लिए प्रपत्र एफ0एल0–9ए में एक पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा।

(ख) एफ0एल0–9ए में कैन्टीन लाइसेंस कलेक्टर द्वारा महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्राधिकृत भारत तिब्बत सीमा पुलिस कैन्टीनों/यूनिटों को भी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कार्मिकों को रियायती रम की फुटकर बिकी के लिए दिया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेंस जारी किया जाये, आबकारी आयुक्त, को उसकी सूचना दी जायेगी। यह लाइसेंस उप महानिरीक्षक, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के अनुरोध पर जांच और छानबीन करने के पश्चात दिया जाना चाहिए। इस लाइसेंस के अधीन बिकी 'केवल रम कैन्टीन' में या उप महा निरीक्षक भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा विशेश रूप से पृथक रक्षित स्थान पर और केवल व्यक्तियों को की जायेगी जो ईकाई से, जिसके लिए लाइसेंस दिया जाये, सम्बद्ध हो।

(ग) (1) उपखण्ड (क) और (ख) में निर्दिश्ट लाइसेंस के अधीन बिकी के आधार पर निर्धारित फीस की वसूली 18 रूपये (अठारह रूपये) रियायती शुल्क रम प्रति मान्य क्वार्ट की दर पर होगी।

(2) उत्तरांचल के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 1,80.180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम पर कोई एसेस्ड फीस देय नहीं होगी।

टिप्पणी– कैन्टीन के लाइसेंसधारी के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक नहीं है, यदि सेना युद्धाभ्यास कर रही है, मार्च कर रही है, या

अस्थायी स्थानों पर उसे नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाये बशर्ते इन स्थानों पर बिकी को मुख्य लाइसेंसधारी के स्थान पर रखे गये लेखा में सम्मिलित कर लिया जाये।

अस्थायी स्थानों पर उसे नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए बुलाया जाये बशर्ते इन स्थानों पर बिकी को मुख्य लाइसेंसधारी के स्थान पर रखे गये लेखा में सम्मिलित कर लिया जाये।

(चन्द्र सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल सरकार
आबकारी अनुभाग
संख्याः27 / आबकारी / 2002 / देहरादूनः जनवरी 14, 2002
अधिसूचना

सा0प0नि0–9

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 28 और 29 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल समय–समय पर उ0प्र0 सरकार की यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्याः1099ई–2 / तेरह–99–37(1)–84 दि0 24 मार्च 1999 में दिनांक 10.01.2002 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची में, नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी विद्यमान मद–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी मद–4 रख दी जायेगी, अर्थात

स्तम्भ–1	रू0	स्तम्भ–2	रू0
विद्यमान मद–4		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित मद–4	
4–(क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्प्रिट।	48.00 प्रति लीटर अल्कोहल	4–(क) निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्प्रिट।	48.00 प्रति लीटर अल्कोहल
(एक) विकृत स्प्रिट		(एक) विकृत स्प्रिट	
(दो) औशधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955, के अधीन लाईसेंस प्राप्त बंधकाधीन / अबंधकाधीन फार्मेसियों को जारी किया गया / की गयी अल्कोहल / परिशोधित स्प्रिट		(दो) औशधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955, के अधीन लाईसेंस प्राप्त बंधकाधीन / अबंधकाधीन फार्मेसियों को जारी किया गया / की गयी अल्कोहल / परिशोधित स्प्रिट	
(तीन) भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा को दी जाने वाली रम	17.25 प्रति लीटर अल्कोहल	(तीन) भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा को दी जाने वाली रम	कोई अभिकर नहीं
(ख) उत्तर प्रदेश के भारत–तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 180180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम	43.00 प्रति अल्कोहल लीटर	(ख) उत्तर प्रदेश के भारत–तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 180180 लीटर और 41,168 लीटर की सीमा तक रम	43.00 प्रति अल्कोहल लीटर
(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले अल्कोहल भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली रम।		(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले अल्कोहल भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली रम।	

आज्ञा से
(चन्द्र सिंह)

सचिव आबकारी, उत्तरांचल शासन

संख्याः1477 / एसटी / आबकारी / 2002

प्रेशक,

संयुक्त आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक
राजकीय मुद्रणालय,
रूड़की, जनपद हरिद्वार।

आबकारी विभाग

देहरादूनः दिनांकः जनवरी 16, 2002

विशयः राजकीय अधिसूचना संख्या 26 एवं 27 / आबकारी / 2002 जनवरी 14, को मुद्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासकीय अधिसूचना संख्या 27 / आबकारी / 2002, जनवरी 14, 2002 की हिन्दी प्रति संलग्न कर प्रेशित करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस अधिसूचना को राज्य सरकार असाधारण गजट के विधायी परिशिश्ट भाग–4, खण्ड (क) सामान्य परिशिश्ट में दिनांक 14 जनवरी 2002 की तिथि में अवश्य प्रकाशित करने का कश्ट करें एवं प्रकाशित अधिसूचना की 25–25 मुद्रित प्रतियां शासन के आबकारी विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

संख्याः27 / आबकारी / 2002 जनवरी 14, 2002

भवदीय,

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1478–79 / एसटी / आबकारी / 2002

प्रतिलिपिः–

1. सचिव महोदय (आबकारी) उत्तरांचल, शासन को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेशित।
2. आबकारी निरीक्षक, बी0एस0 चौहान, रूड़की जनपद हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

(धीरेन्द्र वर्मा)
संयुक्त आबकारी आयुक्त
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, बुधवार 24 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 04, 1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः591 / देहरादून, 24 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

सा0प्र0नि0–04

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या–4 सन् 1910) की धारा–41 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल राज्य की पूर्व स्वीकृति से देशी / विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2002–2003 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोशित करते हैंः–

यह दिनांक 01 मई, 2002 से प्रवृत्त होगी।

1. क. उत्तरांचल की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौन्यर्ता बनाये रखने, जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को दृश्टिगत रखते हुए इस राज्य में वर्श 2002–2003 के लिए देशी मदिरा की पाली पाउचों में की जाने वाली बिक्री पूर्ण निशिद्ध कर दी जायेगी।

अवैध मदिरा के निर्माण एवं तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा। विशेशतः ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा तस्करी पर नियंत्रण के लिए सक्रिय प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में समाजसेवी महिला संगठनों तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग दिया जायेगा और समय–समय पर उनके साथ बैठकें भी आयोजित की जायेंगी। अत्यधिक मदिरा पान

की लत छुड़ाने के लिए मद्यनिशेध आंदोलन (टेम्परेन्स मूवमेन्ट) को बढ़ावा दिया जायेगा।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मदिरा की दुकानों की संख्या घटाने एवं क्षेत्र विशेश की आवश्यकतानुसार स्थानीय जन मानस की भावनाओं को देखते हुए उनके स्थान पुनर्नियोजित किये जायेगें। ग्रामीण क्षेत्र की अनपेक्षित दुकानों को बंद करने के बाद शेश मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन किया जायेगा। हरिद्वार व ऋषिकेश तीर्थ स्थानों में नगरपालिका क्षेत्र को सीमान्तर्गत, पीरान कलियर के 1.6 किमी क्षेत्र में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री धामों, पूर्णागिरी, रीठा साहब, हेमकुण्ड साहब तथा नानकमत्ता तीर्थ स्थलों में पूर्ण मद्यनिशेध लागू होगा तथा इन क्षेत्रों में मदिरा की कोई दुकानें नहीं खोली जायेंगी।

(ग) धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं तथा चिकित्सालयों के समीप मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा। यात्रा मार्ग के मुख्य मार्ग पर मदिरा की कोई नई दुकान नहीं खोली जायेगी।

(घ) प्रदेश के बाहर के राज्यों से होने वाली मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु राज्य की सीमाओं पर 13 चैकपोस्ट बनायी जायेंगी जहां पर आबकारी सिपाहियों के साथ–साथ भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर तैनाती की जायेंगी।

(च) वर्तमान में अवैध मदिरा निर्माण एवं तस्करी आदि के मामलों में कठोर दण्ड की व्यवस्था नहीं है। इस हेतु आबकारी अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं–60, 63 एवं 68 में दण्ड के प्राविधान को कठोर करते हुए इन धाराओं से सम्बन्धित अपराधों में जुर्माने की न्यूनतम धनराशि 5000/– रूपये जुर्माना लगाये जाने की व्यवस्था बनाने हेतु सम्बन्धित एक्ट में संशोधन किया जायेगा।

इन प्राविधानों के प्रभावी कियान्वयन के लिए आबकारी विभाग को सशक्त बनाते हुए इसका पुनर्गठन किया जायेगा।

दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2002–2003 के लिए रा निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः–

(अ) वित्तीय वर्श 2001–2002 की दुकानों की वास्तविक बिक्री के आधार पर जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित जनपद की प्रत्येक दुकान का वर्श 2002–2003 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण किया जायेगाः–

(ब) राजस्व के दुकानवार निर्धारण के आधारः–

उपरोक्त बिन्दु (अ) के अनुसार दुकान की निर्धारित लाईसेंस फीस+वर्श 2001–2002 की वास्तविक बिक्री के आधार पर न्यूनतम निर्धारित वार्शिक अभिकर।

इस प्रकार अंश 'ब' की गणना से प्राप्त दुकानवार राशि पर 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का लक्ष्य जोड़ते हुए दुकान के वर्श 2002–2003 में प्राप्त व्यवस्थापन राजस्व को घटाने के उपरान्त वर्श 2002–2003 की शेश अवधि के लिए दुकान के कुल राजस्व गणना की जायेगी। उपरोक्त गणना के अनुसार पूरे वर्श हेतु प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि को घटाकर आयी राशि को वर्श 2002–2003 की शेश अवधि हेतु दुकान की लाइसेंस फीस माना जायेगा। शेश राशि को दुकान का न्यूनतम गारन्टीड वार्शिक अभिकर मानते हुए उसके 11 भाग करके प्रत्येक भाग के विपरीत आगे आने वाले माहों में मदिरा की निकासी दी जायेगी। इस प्रकार दुकानों के कुल व्यवस्थापन राजस्व (लाईसेंस फीस+अभिकर) में जनपदवार निर्धारित लक्ष्य की वृद्धि सुनिश्चित की जायेगी।

(स) वर्श 2002–2003 में मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु, यदि वर्तमान अनुज्ञापी (ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थायें जो 30.4.2002 को देशी/विदेशी मदिरा के अनुज्ञापी रहेंगे, वर्तमान अनुज्ञापी माने जायेंगे) वर्श 2002–2003 की शेश अवधि के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित की गयी लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम निर्धारित गारन्टीड अभिकर की राशि पर उसी/उन्हीं अनुज्ञापियों/संस्थाओं के नाम व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

(द) उक्त विकल्प के अनुसार व्यवस्थापन करने पर यदि कुछ दुकानें व्यवस्थापित होने से शेश रह जाती है तो इन दुकानों का व्यवस्थापन गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल विकास निगमों अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के पक्ष में निर्धारित राजस्व के आधार पर किया जायेगा।

मदिरा के लाईसेंस फीस के स्लैब उपभोगवार वर्श 2001–2002 की भांति निम्न प्रकार प्रस्तावित हैः–

देशी मदिरा

श्रेणी	मदिरा की वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर में। (वित्तीय वर्श 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1	12,000 बल्क लीटर तक	50,000.00
2	12,0001 से 30,000 बल्क लीटर तक	1,00,000.00
3	30,001 से 60,000 बल्क लीटर तक	2,00,000.00
4	60,001 से 1,00,000 बल्क लीटर तक	4,00,000.00
5	1,00,000 से 1,15,000 बल्क लीटर तक	6,00,000.00
6	1,50,001 से 3,00,000 बल्क लीटर तक	8,00,000.00
7	3,00,000 बल्क लीटर से अधिक	10,00,000.00

विदेशी मदिरा

श्रेणी	विदेशी मदिरा की वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा 750 एम0एल0 बोतल के टर्म में (वित्तीय वर्श 2001–2002 के वास्तविक उपभोग के आधार पर)	लाईसेंस फीस प्रति दुकान रूपयों में
1	6,000 बोतल तक	50,000.00
2	6,001 से 12,000 बोतल तक	1,00,000.00
3	12,001 से 25,000 बोतल तक	2,00,000.00
4	25,001 से 50,000 बोतल तक	4,00,000.00
5	50,001 से 75,000 बोतल तक	6,00,000.00
6	75,001 से 1,00,000 बोतल तक	8,00,000.00
7	1,00,000 बोतल से अधिक	10,00,000.00

2. प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि दुकान के व्यवस्थापन के समय निर्धारित कर दी जायेगी। किसी माह में निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर के विपरीत मदिरा का पूरा उठान हो जाने के उपरान्त दुकान पर और मदिरा की आवश्यकता होने की स्थिति में दुकान की न्यूनतम निर्धारित मासिक गारन्टीड अभिकर से अधिक उठान की अनुमति अभिकर की मूल दर के अतिरिक्त बढ़ी दर पर अतिरिक्त अभिकर, जैसा कि नीचे स्पश्ट है, जमा कराकर दे दी जायेगी।

किसी माह में मासिक न्यूनतम गारन्टीड राशि से अधिक उठाने की स्थिति में मासिक, न्यूनतम, गारन्टीड राशि की प्रत्येक 10 प्रतिशत राशि के विपरीत अतिरिक्त

उठान पर प्रति बोतल/प्रति लीटर देय न्यूनतम गारन्टीड राशि की मूल निर्धारित दर को 5/– रूपये बढ़ाते हुए मदिरा की निकासी दी जायेगी।

3. देशी मदिरा की दुकानों को प्रतिस्पर्धा/तस्करी से बचाने के लिए देशी मदिरा (मसालेदार) की तीव्रता 36 प्रतिशत वी/वी रखी जायेगी। कच्ची शराब से मदिरा की दुकानों को सुरक्षित रखने एवं साधारण उपभोक्ता की कय शक्ति को दृश्टिगत रखते हुए सादा मदिरा की तीव्रता 25 प्रतिशत वी/वी रखी जायेगी। देशी व विदेशी मदिरा की गुणवत्ता उच्च कोटी की बनाये रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा व इस पर प्रभावी नियंत्रण रखा जायेगा।

4. राज्य के अन्तर्गत प्रतिवर्श देशी मदिरा के भारी मात्रा में पाली पाउच जहां तहां फेंके जाने के कारण प्रदूशण बढ़ा है। अतः पर्यावरण प्रदूशण की दृश्टि से देशी शराब की आपूर्ति/उपलब्धता केवल कांच की बोतलों में ही करायी जायेगी।

5. आंशिक मद्यनिशेध क्षेत्रों, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी एवं रूद्रप्रयाग में परमिट व्यवस्था पूर्व की भांति लागू रखी जाये व राज्य के इन क्षेत्रों में पर्यटन की दृश्टि से पर्यटकों को बिना परमिट के मदिरा बेची जा सकेगी एवं तीन सितारा या उससे उच्च श्रेणी के आवासीय होटलों में कम से कम बार अनुज्ञापन दिये जायेंगे।

6. उत्तरांचल राज्य के स्थायी निवासी के पक्ष में ही दुकानों का आबंटन किया जायेगा। आवेदन पत्र का मूल्य व प्रोसेसिंग फीस रू0 100/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किया जायेगा। आवेदक को चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि मूल आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा और व्यवस्थापन उसके पक्ष में हो जाने पर जिलाधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा जांच कराकर सुनिश्चित करवाया जायेगा कि आवेदक अवांछनीय गिरोह से तो नहीं जुड़ा है, तथा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात उनकी हैसियत की जांच करायी जायेगी।

7. अभिकर की चोरी एवं मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का नम्बर युक्त होलोग्राफिक स्टिकर लगाया जायेगा।

8. राज्य के बाहर की आसवनियों की विदेशी मदिरा/बियर की उपलब्धता हेतु बाण्ड अनुज्ञापन दिये जायेंगे। बीडब्ल्यूएफएल–2, एफएल–2 व अन्य अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस आगामी वर्श हेतु 10 प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

9. राज्य में सेब, किन्नु, माल्टा, आलू आदि का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अतः औद्योगिक विकास एवं फलों की उपयोगिता को दृश्टिगत रखते हुए वाईनरी/विंटनरी की स्थापना किये जाने पर विचार किया जायेगा।

10. राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्वि को दृश्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा के अभिकर में जो वर्तमान में रू0 48 प्रति ए0एल0 है, को बढ़ाकर रू0 50/– प्रति ए0एल0 तथा विभिन्न अनुज्ञापनों पर देय अनुज्ञापन शुल्क में यथा आवश्यक वृद्वि की जायेगी।

11. सेना को मदिरा/बियर आदि की आपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जायेगी जब तक कि उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट (सी0एस0डी0) डिपो न खुल जाये। सैन्य कैन्टीनों के माध्यम से बेची जाने वाली मदिरा पर पूर्व वर्श की भांति यथावत व्यवस्था बनाये रखी जायेगी।

12. 1. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों की व्यवस्था गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज व अन्य सरकारी विभागों के द्वारा कराया जायेगा।

2. वर्तमान में जिन फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन नहीं होता है उन्हें गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊं मण्डल विकास निगम अथवा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–ऑपरेटिव सोसाईटीज के पक्ष में निर्धारित राजस्व पर निगोसिऐशन द्वारा व्यवस्थापित किया जायेगा।

13. मासिक अभिकर/अधिभार के अनुज्ञापी द्वारा विलम्बित भुगतानों पर पेनाल्टी की व्यवस्था की जायेगी।

14. बार अनुज्ञापनों पर अनुज्ञापन शुल्क 2.0 लाख रूपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रूपये कर दिया जायेगा तथा क्लब बारों की लाईसेंस फीस में भी 25 प्रतिशत की वृद्वि कर दी जायेगी। बार व क्लबबार लाईसेंसों से बेची जाने वाली मदिरा की प्रत्येक बोतल पर 30/– रू0 व बियर की प्रत्येक बोतल पर 5/– रूपये अधिभार लगाया जायेगा व बारों के लिए मदिरा की न्यूनतम वार्शिक मात्रा के अनुसार श्रेणियां बनायी जायेंगी व एक सीमा से अधिक मदिरा उठान पर बढ़ी दर से अभिकर दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

15. मदिरा का व्यापार करने वाली ईकाईयों व अनुज्ञापियों पर कठोर नियंत्रण रखा जायेगा एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जायेगा।

16. आबकारी अधिनियम की धारा–60, धारा–63 व धारा–68 के प्राविधानों को कठोर बनाते हुए अधिक अर्थदण्ड व सजा की व्यवस्था की जायेगी।

17. शेश बिन्दुओं पर पुरानी नीति प्रभावी रहेगी।

18. उपर्युक्त के कियान्वयन हेतु पृथक से संशोधित नियमावलियां बनायी जायेंगी।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002 ई0
बैशाख 07, 1924 शक सम्वत्
उत्तरांचल शासन
आबकारी आयुक्त कार्यालय
सं0 749
दि0 देहरादून, 27 अप्रैल, 2002

अधिसूचना

उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 1910 का प्ट) की धारा–41 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में आबकारी आयुक्त उत्तरांचल, उत्तरांचल, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम, 2001 के संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाता है ।

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम – 2002

1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) (पंचम संशोधन) नियम – 2002 है।
   (2) ये नियम 1 मई 2002 से प्रवृत्त होंगे।
2. नियमों का संशोधनः –
   उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्तियों का व्यवस्थापन) नियम 2001, जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है, में नीचे स्तंभ–ब में निर्दिष्ट नियम–2(बी)(जी)(एच)(आई)(जे), 3(बी), 6(ए)(बी), 7, 8, (ए)(बी)(सी)(डी), 9 (ए), 11(ए)(बी)(डी), 13, 15, 16 तथा 20 हेतु स्तंभ–ब्ब में निर्दिष्ट नियम प्रतिस्थापित होंगे।

स्तंभ–ब वर्तमान नियम	स्तंभ–ब्ब एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2. परिभाषाएं : – 2(बी). ''देशी मदिरा'' में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में विक्रय की जाने वाली 32: अ/अ क्षमता की देशी स्पिरिट, मसाला युक्त व सादी मदिरा सम्मिलित है।	2. परिभाषाएं : – 2(बी) ''देशी मदिरा'' में, उत्तरांचल में वर्तमान देशी मदिरा की दुकानों में विक्रय की जाने वाली 25: अ/अ की सादी मदिरा व 36: अ/अ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा सम्मिलित है।
2(जी) ''अनुज्ञापन फीस'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन खुदरा देशी मदिरा के विक्रय हेतु अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेन्स की मंजूरी के प्रतिफल में निर्धारित राशि, जो कि संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके एक भाग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई हो।	2(जी) ''अनुज्ञापन फीस'' से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन खुदरा देशी मदिरा के विक्रय हेतु अनन्य विशेषाधिकार के लिये लाईसेन्स की मंजूरी के प्रतिफल में निर्धारित राशि, जो कि संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके एक भाग हेतु समय–समय पर राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की गई हो। परन्तु, 01 मई 2002 से प्रारम्भ होने वाली व 31–3–2003 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लाईसेन्स फीस निम्नलिखित के बराबर होगी: – उस दुकान विशेष की वर्ष 2002–2003 के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस की कुल राशि में से अप्रैल 2002 के दौरान वसूली गई लाईसेन्स फीस की राशि घटा कर प्राप्त राशि।
2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (32: अ/अ क्षमता की मसाला युक्त/सादी देशी मदिरा के रूप में) की न्यूनतम मात्रा, जो कि वर्ष के किसी माह के दौरान, जिस वर्ष का उसने लाईसेन्स प्राप्त किया है, अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के	2(एच) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अभिप्राय है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित, देशी मदिरा (36: अ/अ क्षमता की मसाला युक्त मदिरा तथा 25: अ/अ क्षमता की सादी देशी मदिरा के रूप में। मसाला युक्त देशी मदिरा का एक बल्क लीटर, सादी देशी मदिरा के 36/25 बल्क लीटर के बराबर होगा) की न्यूनतम मात्रा जो कि वर्ष के किसी माह के

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है।	दौरान, जिस वर्ष का उसने लाईसेन्स प्राप्त किया है, अनुज्ञापी की दुकान में खुदरा विक्रय के उद्देश्य से देशी मदिरा के बंधकाधीन माल गोदाम से उसके द्वारा उठाना प्रत्याभूत है। अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग, जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उदग्रहणीय 32: $^{अ}/_{अ}$ की मसाला युक्त / सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।
(आई) एक दुकान के लिये ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' की 12 गुना होगी।	(आई) एक दुकान के लिये ''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' इसके लिये निर्धारित – ''न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' की 12 गुना होगी। परन्तु, 01 मई 2002 से प्रारम्भ होने वाली तथा 31–3–2003 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु एक दुकान के लिये वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निम्नलिखित के बराबर होगी : – उस दुकान विशेष की वर्ष 2002–2003 हेतु निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से, अप्रैल 2002 के दौरान उठाई गई वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का भाग घटा कर शेष भाग। उपरोक्त मात्रा के कुल योग को 11 समान भागों में बांटा जायेगा तथा इसका प्रत्येक भाग 01–05–2002 से 31–03–2003 की अवधि के दौरान प्रत्येक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कहलायेगी।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–28 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उद्ग्रहणीय 32: अ/अ की मसाला युक्त मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।	(जे) मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा–24 के अधीन अनन्य विशेषाधिकार हेतु अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये प्रतिफल धनराशि का वह भाग जो कि समय–समय पर, अधिनियम की धारा–30 के साथ पठित धारा–30 के अधीन उद्ग्रहणीय 36: अ/अ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा तथा 25: अ/अ क्षमता की सादी देशी मदिरा पर ड्यूटी हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर एक माह की संपूर्ण मासिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय है।
3. खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का व्यवस्थापन : – (बी) परिक्षेत्र ''पर'' तथा ''बाहर'' दोनों के सेवन हेतु सील बंद बोतलों व पोली पाउचेज में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु प्रपत्र सी0एल0 5 सी में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।	3. खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति का व्यवस्थापन : – (बी) परिक्षेत्र ''पर'' तथा ''बाहर'' दोनों के सेवन हेतु 750 एमएल, 375 एमएल व 180 एमएल की सील बंद बोतलों व पोली पाउचेज में देशी मदिरा के खुदरा विक्रय हेतु प्रपत्र सी0एल0 5 सी में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत अनुमोदित संख्यांकित सिक्योरिटी होलोग्राम 750 एमएल, 375 एमएल व 180 एमएल की प्रत्येक बोतल पर चिपकाने होंगे।
6. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि : – प्रपत्र सी0एल0 5 सी में एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नवत भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। (ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय, निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप से अनुज्ञापन फीस।	6. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि : – प्रपत्र सी0एल0 5 सी में एक आबकारी वर्ष की अवधि या उसके एक भाग हेतु निम्नवत भुगतान पर अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। (ए) दुकान के व्यवस्थापन के समय, निम्नलिखित दरों पर अग्रिम रूप से अनुज्ञापन फीस।

स्तंभ–च वर्तमान नियम			स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
श्रेणी	''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' बल्क लीटर में मात्रा (32: अ/अ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा के रूप में)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)	श्रेणी	''वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा'' रेंज (2001–2002 की अवधि में दुकान की वास्तविक खपत के आधार पर)	प्रति दुकान लाइसेंस फीस (रूपयों में)
1.	12,000 तक	50,000	1.	12,000 तक	50,000
2.	12,001 से 30,000	1,00,000	2.	12,001 से 30,000	1,00,000
3.	30,001 से 60,000	2,00,000	3.	30,001 से 60,000	2,00,000
4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000	4.	60,001 से 1,00,000	4,00,000
5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000	5.	1,00,001 से 1,50,000	6,00,000
6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000	6.	1,50,001 से 3,00,000	8,00,000
7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000	7.	3,00,001 से ऊपर	10,00,000

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति आबकारी आयुक्त या ज़िला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटान तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी।	टिपण्णीः – 36ः अ/अ क्षमता की मसाला युक्त देशी मदिरा की बल्क लीटर, 25ः अ/अ की क्षमता की सादी देशी मदिरा के 36/25 बल्क लीटर के बराबर होगा। (बी) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी की एक माह के बराबर राशि ब्याज मुक्त प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से दो दिन के भीतर जमा करानी होगी तथा एक माह की न्यूनतम ड्यूटी के बराबर, किसी अनुसूचित बैंक की बैंक प्रत्याभूति आबकारी आयुक्त या ज़िला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, व्यवस्थित दुकान के संबंध में देय होगी जो राज्य सरकार को सभी दावों व देय राशियों के अंतिम निपटान तक वैध होगी। यह दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से एक माह के भीतर देय होगी।
7. देशी मदिरा की क्षमता : – 32ः अ/अ की मसाला युक्त देशी मदिरा	7. देशी मदिरा की क्षमता : – 36ः अ/अ की मसाला युक्त देशी मदिरा

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु आवेदन :– (ए) जब कभी क्षेत्र या इलाके में एक नया लाईसेन्स देना प्रस्तावित हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस क्षेत्र या इलाके में प्रसारित दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से वृहद् प्रचार के पश्चात् इस उद्देश्य हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा।	8. अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु आवेदन :– (ए) वर्तमान दुकान के मामले में आगामी वर्ष के लिये अनुज्ञापन फीस तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, वर्ष 2001–02 के दौरान दुकान की खपत को ध्यान में रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा तय की जायेगी। यदि किसी दुकान विशेष का वर्तमान अनुज्ञापी (30–4–2002 को उस दुकान विशेष का अनुज्ञापी) अपनी दुकान जारी रखना चाहता है, तो नियमानुसार देय अनुज्ञापन फीस व वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की उपरोक्त राशि के भुगतान के पश्चात 2002–03 की शेष अवधि हेतु उसके अनुज्ञापन का नवीनीकरण किया जायेगा अन्यथा अनुज्ञापन को रिक्त समझा जायेगा तथा उपरोक्त राजस्व पर बातचीत के द्वारा गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिकों की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटी के साथ व्यवस्थित किया जायेगा।
(बी) देशी मदिरा की खुदरा दुकानों जिनको कि अनुज्ञापन प्रदान करने का कलक्टर का प्रस्ताव है, की एक सूची कलक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालयों तथा जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दुकानवार अनुज्ञापन फीस, अग्रिम धन, धरोहर राशि, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा तथा मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के साथ प्रदर्शित की जायेगी।	(बी) छोड़ा हुआ।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(सी) अनुज्ञापन की मंजूरी हेतु, इन नियमों के साथ संलग्न, निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किये जायेंगे।	(सी) छोड़ा हुआ।
(डी) आवेदन की प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि, समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से सात दिन से पहले नहीं होनी चाहिये।	(डी) छोड़ा हुआ।
	(ई) अनुज्ञापन के नवीनीकरण हेतु आवेदन, इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर रू0 100/– कैश या जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान के साथ किया जायेगा।
9. आवेदकों हेतु योग्यता शर्तें : – खुदरा देशी मदिरा की दुकान के दुकानों हेतु आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये; यथा : – (ए) भारत का नागरिक होना चाहिये या एक भागीदारी फर्म, जिसके दो से अधिक भागीदार भारतीय नागरिक हों। दुकान/दुकानों के आबंटन के पश्चात भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु, यदि एक अनुज्ञापन दो भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है, तब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञापन मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के साथ जीवित भागीदार के पास रहेगा या दोनों भागीदारों की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापन अपने पास रख सकते हैं। दोनों भागीदारों के वैध दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा। वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।	9. आवेदकों हेतु योग्यता शर्तें : – खुदरा देशी मदिरा की दुकान के दुकानों हेतु आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना चाहिये; यथा : – जैसा कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया गया हो, भारत के नागरिक हों व उत्तरांचल के स्थायी निवासी हों । दुकान/दुकानों के आबंटन के पश्चात भागीदारी में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। परन्तु यदि कोई अनुज्ञापन दो भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से धारित है तब उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर अनुज्ञापन मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी के साथ जीवित भागीदार के पास रहेगा। या दोनों भागीदारों की मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी अनुज्ञापन अपने पास रख सकते हैं। दोनों भागीदारों के वैध दायित्वों के मध्य कोई भेद नहीं किया जायेगा। वे संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11. अनुज्ञापन का चयन : – (ए) अनुज्ञापन हेतु जिला स्तर पर समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु, जिला आबकारी अधिकारी, संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ प्राप्त सभी आवेदनों की एक सूची तैयार करेगा ।	11. अनुज्ञापन का चयन : – (ए) एक वर्तमान दुकान के मामलें में उस वर्ष के लिये अनुज्ञापन फीस तथा वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी, 2001–02 के दौरान दुकान की खपत को ध्यान में रखते हुये जिला आबकारी अधिकारी की सलाह पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा तय किया जायेगा । यदि किसी दुकान विशेष का वर्तमान अनुज्ञापी (30–4–2002 को उस दुकान विशेष का अनुज्ञापी) अपनी दुकान जारी रखना चाहता है तो नियमानुसार देय अनुज्ञापन फीस व वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की उपरोक्त राशि के भुगतान के पश्चात् 2002–03 की शेष अवधि हेतु उसके अनुज्ञापन का नवीनीकरण किया जायेगा अन्यथा अनुज्ञापन को रिक्त समझा जायेगा तथा उपरोक्त राजस्व पर बातचीत के द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम या पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिकों की रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसायटी के साथ व्यवस्थित किया जायेगा । यदि चयनित अनुज्ञापी अपेक्षित राशि जमा नही करता है या निर्धारित औपचारिकताऐं पूरी नही करता है या अनुबद्ध समय तक दुकान के लिये उपयुक्त परिक्षेत्र की व्यवस्था नही कर पाता तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आबंटन रद्द कर
	देगा साथ ही अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस, प्रतिभूति की जमा राशि, यदि कोई है, जब्त कर लेगा तथा दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा ।
(बी) उक्त समिति सभी आवेदनों की	(बी) छोड़ा हुआ।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
संवीक्षा करेगी तथा दुकानदार उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची बनायेगी। इस प्रक्रिया में समिति ऐसी पूछताछ कर सकती है या करवा सकती है जो नियम 9 में निर्धारित सिद्धान्तों की दृष्टि से वह आवश्यक समझे। अस्वीकृत आवेदनों की सूची व अभिलिखित कारणों के साथ तैयार की जायेगी। यदि किसी दुकान विशेष के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी एक से अधिक हैं तथा उनमें से एक उत्तरांचल का निवासी है तो अन्य सभी बातें समान होने पर, उत्तरांचल के निवासी को पूरी तरह प्राथमिकता दी जायेगी। ऐसे मामलों में जहां किसी दुकान विशेष हेतु एक से अधिक आवेदक उत्तरांचल के निवासी हों वहां समिति, केवल उत्तरांचल के निवासी आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अनुज्ञापी का चयन करेगी। व्यवस्थापन के समय आवेदक को अपनी या अपने अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी ताकि चयन/व्यवस्थापन की सूचना प्राप्त हो सके। यदि चयनित अनुज्ञापी अपेक्षित राशि जमा नहीं करता है या निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करता है या अनुबद्ध समय तक दुकान के लिये उपयुक्त परिक्षेत्र की व्यवस्था नहीं कर पाता तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आबंटन रद्द कर देगा साथ ही अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस, प्रतिभूति की जमा राशि, यदि कोई है, जमा कर लेगा तथा दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा। एक आवेदक को उत्तरांचल राज्य का	

स्तंभ–ए वर्तमान नियम	स्तंभ–बी एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
निवासी केवल तभी माना जायेगा जब कि वह निम्नलिखित में से कम से कम एक शर्त पूरी करता हो : – (1) वह राज्य का मूल अधिवासी या स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। (2) वह अपने नाम के समावेष के साथ राज्य के किसी वार्ड की मतदाता सूची की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करे। (3) वह राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में राशन कार्ड की एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करे। (4) राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में वह चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करे। (5) संबंधित जिले के कलक्टर की संतुष्टि का, राज्य का निवासी होने के सबूत के रूप में कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करे।	
(डी) यदि किसी दुकान विशेष हेतु कोई आवेदन नहीं है या किसी दुकान के लिये कोई आवेदक उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा। पुर्नव्यवस्थापन की प्रक्रिया में पहला चयन/व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त पश्चात समिति उन आवेदकों को एक अवसर प्रदान करेगी, जो प्रारम्भिक संवीक्षा में उपयुक्त पाये गये किन्तु दुकान का अनुज्ञापन पाने में असफल रहे, कि वे निर्धारित प्रारूप में नया आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन अव्यवस्थित दुकान (नों) हेतु अपना प्रस्ताव पेश करें तथा ऐसे मामलों में किसी	(डी) छोड़ा हुआ।

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
दुकान विशेष के आबंटन के लिये की गई सभी जमा राशि को इस प्रकार नये रूप में आवेदित दुकान हेतु समझा जायेगा जैसे कि यह उसी के लिये जमा किया जा रहा हो। ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर समिति, प्रावधानों के अनुरूप दुकानों को व्यवस्थापित करेगी। यदि कोई ऐसा आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, इन नियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अव्यवस्थापित दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु कार्यवाही करेगा।	
13. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि का भुगतान : – यदि किसी आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रूप में हो जाता है, तो वह अनुज्ञापन फीस की समस्त राशि तथा धरोहर राशि जैसा कि ऊपर नियम–6 बी में वर्णित है, की आधी राशि, दुकान के आबंटन/व्यवस्थापन के दो दिन के भीतर (दूसरे दिन के अपरान्ह पांच बजे तक) जमा करेगा तथा धरोहर राशि की शेष राशि, 15 दिन या 31 मार्च दोनों में से जो पहले हो, के भीतर जमा करेगा। यदि वह निर्धारित समय तक देय अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि जमा नहीं करता है, तो उसका चयन/व्यवस्थापन रद्द हो जायेगा तथा अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि, यदि कोई है, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी तथा रिक्त दुकान तत्काल पुर्नव्यवस्थापित की जायेगी। व्यतिक्रमी	13. अनुज्ञापन फीस तथा धरोहर राशि का भुगतान : – यदि किसी आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रूप में हो जाता है तो वह दुकान के आबंटन/व्यवस्थापन के तुरन्त पश्चात एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर धरोहर राशि व अनुज्ञापन फीस की संपूर्ण राशि तथा आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से एक माह की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के बराबर बैंक प्रत्याभूति, जो कि व्यवस्थापित दुकान के संबंध में राज्य सरकार को सभी दावों व देयकों के अंतिम निपटारे तक वैध हो, जैसा कि ऊपर नियम–6 बी में वर्णित हैं, दुकान के व्यवस्थापन से 15 दिन के भीतर जमा करेगा। यदि वह निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञापन फीस, धरोहर राशि तथा बैंक प्रत्याभूति जमा करने में असफल रहता है तो उसका

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अनुज्ञापी को राज्य में कहीं भी भविष्य में आबकारी अनुज्ञापन रखने से विवर्जित कर दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे व्यतिक्रमी अनुज्ञापियों की एक समेकित सूची, उनके पूर्ण पते के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रसारित की जायेगी, जो राज्य की इस समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों के पास भेजेगा।	चयन/व्यवस्थापन रद्द हो जायेगा तथा अग्रिम धनराशि, अनुज्ञापन फीस व धरोहर राशि, यदि कोई है, राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो जायेगी तथा रिक्त दुकान तत्काल पुर्नव्यवस्थापित की जायेगी। व्यतिक्रमी अनुज्ञापी को राज्य में कहीं भी, भविष्य में आबकारी अनुज्ञापन रखने से विवर्जित कर दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे अनुज्ञापियों की एक समेकित सूची, उनके पूर्ण पते के साथ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को अग्रसारित की जायेगी जो राज्य की इस समेकित सूची को राज्य के सभी अनुज्ञापन प्राधिकारियों के पास भेजेगा।
15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठानाः– अनुज्ञापी, महीने के अन्तिम कार्य दिवस तक एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा सकता है। माह के अन्तिम कार्य दिवस तक न उठाई गई मात्रा जब्त कर ली जायेगी, परन्तु, यदि अनुज्ञापी ने मांगपत्र जमा किया है तथा माह की समाप्ति से पहले सभी ड्यूटीज़ व करों सहित देशी मदिरा का संपूर्ण मूल्य जमा किया है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के लिखित आवेदन पर आगामी माह की 25 तारीख तक (उस वित्तीय वर्ष की अप्रैल से फरवरी की अवधि में) मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की संपूर्ण राशि के सापेक्ष देशी मदिरा उठा ली है तथा उसकी दुकान में	15. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाना : – अनुज्ञापी, महीने के अन्तिम कार्य दिवस तक एक माह हेतु मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करा दी है तो जिला आबकारी अधिकारी, अनुज्ञापी के आवेदन पर लिखित में कारण अभिलिखित कर आगामी माह की 7 तारीख तक मदिरा उठाने की अनुमति दे सकता है। यदि अनुज्ञापी ने एक माह हेतु निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की संपूर्ण राशि के सापेक्ष देशी मदिरा उठा ली है तथा उस की दुकान में और विक्रय की संभावना है तो उसे, उस दुकान हेतु निर्धारित ड्यूटी के मूल प्रति बल्क लीटर की अपेक्षा 5/– प्रति बल्क लीटर अधिक की दर के भुगतान पर अतिरिक्त देशी

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
और विक्रय की संभावना है तो उसे (ड्यूटी अग्रिम में जमा करने के पश्चात्) उसी दर पर (दुकान के लिये मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के आधार पर गणना कर) न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी के 50ः के बराबर देशी मदिरा की अतिरिक्त मात्रा उठाने की अनुमति होगी। यदि वह एक माह में मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के 150ः से अधिक के सापेक्ष देशी मदिरा उठाना चाहता है तो उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उच्च दर पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जमा कराना होगा।	मदिरा उठाने की अनुमति होगी, मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के प्रत्येक अतिरिक्त 10ः राशि के सापेक्ष देशी मदिरा जारी करने हेतु अनुज्ञापी को मार्च माह की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा निश्चित रूप से 26 मार्च तक उठानी होगी।
16. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का भुगतान तथा धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफलता का परिणाम : – अनुज्ञापी, माह के 25वें दिन तक देशी मदिरा की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने के लिये उत्तरदायी है। यदि वह माह के 25वें दिन तक संपूर्ण ड्यूटी जमा करने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी, धरोहर राशि में से ड्यूटी की जमा न की गई राशि को समायोजित कर अनुज्ञापी को आगामी माह के 5वें दिन तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने के लिये नोटिस जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी आगामी माह के 5वें दिन तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन रद्द हो जायेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी निवर्तमान अनुज्ञापी के जोखिम पर दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु स्वतंत्र होगा	16. मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का भुगतान तथा धरोहर राशि में कमी को पूरा करने में असफलता का परिणाम : – (1) अनुज्ञापी, माह के 20वें दिन तक देशी मदिरा की संपूर्ण मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने के लिये उत्तरदायी है। यदि वह माह के 20वें दिन तक संपूर्ण ड्यूटी जमा कराने में असफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी, धरोहर राशि में से ड्यूटी की जमा न की गई राशि को समायोजित कर अनुज्ञापी को माह के अन्त तक धरोहर राशि में कमी को पूरा करने के लिये नोटिस जारी करेगा। (2) यदि अनुज्ञापी उपरोक्त कमी की राशि को जमा करने में असफल रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी आगामी माह के सातवें दिन तक प्रतिदिन जमा न की गयी राशि पर 18ः प्रतिवर्ष के बराबर जुर्माना लगा

स्तंभ–च वर्तमान नियम	स्तंभ–छ एतद् द्वारा प्रतिस्थापित नियम
तथा ऐसे व्यवस्थापन पर सरकारी राजस्व में कोई कमी को भू–राजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूलीय होगी।	सकता है तथा यदि अनुज्ञापी आगामी माह के सातवे दिन तक जुर्माने के साथ धरोहर की शेष राशि जमा करने में फिर भी असफल रहता है तो अनुज्ञापन रद्द हो जायेगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी निवर्तमान अनुज्ञापी के जोखिम पर दुकान (नों) के पुर्नव्यवस्थापन हेतु स्वतन्त्र होगा तथा ऐसे व्यवस्थापन पर सरकारी राजस्व में कोई कमी भूराजस्व के बकाया के रूप में उससे वसूलीय होगी।
20. अनुज्ञापन का निलम्बन व रद्दकरण तथा दण्ड : – (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या रद्द कर सकता है :– (ए) यदि अनुज्ञापित परिक्षेत्र में ऐसी बोतल या पाउच पाया जाता है जिस पर ड्यूटी का भुगतान नही किया गया है तथा ड्यूटी के भुगतान के सबूत के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत् स्वीकृत सुरक्षा होलोग्राम न लगा हो ।	20. अनुज्ञापन का निलम्बन व रद्दकरण तथा दण्ड : – (1) यदि अनुज्ञापित परिक्षेत्र में ऐसी बोतल या पाउच पाया जाता है जिस पर ड्यूटी का भुगतान नही किया गया है तथा ड्यूटी के भुगतान के सबूत के रूप में आबकारी आयुक्त द्वारा विधिवत् स्वीकृत सुरक्षा होलोग्राम न लगा हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या रद्द कर सकता है ।

बी0 सी0 चंदोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, शनिवार, 27 अप्रैल, 2002 ई0
बैशाख 07, 1924 शक सम्वत्

•

• न्जजंतंदबींस ौंद

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण 750
क्ंजमकरू 27ए ।चतपस 2002

छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत ेमबजपवद 41 व िजीम न्च्ण् म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्ण् ।बज छवण् प्ट व ि1910द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू जव ंउमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;थ्यजिी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण्

;1द्धण् ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;थ्यजिी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण्

;2द्ध जीमल ौंसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज डंल 2002ण्

;2द्ध ।उमदकउमदज व िल्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ए ं उमदकमक नचजव कंजमए ीमितमपदंजिमत तममिततमक जव ं जीम ेपक त्नसमेए

वित त्नसम 2;ीद्ध;रद्धए 3;इद्धए 6;इद्धए 7;ंद्ध;इद्ध;बद्ध;कद्धए 8;ंद्धए 10;ंद्ध;इद्ध;बद्ध;कद्धए 12ए 13ए 14ए 15`मज वनज पद बवसनउद छवण ८ इमसवूए जीम तनसम`मज वनज पद बवसनउद छवण ८ ौंसस इम`नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद ८

2;ीद्धष्स्पबमदबम मिमष उमंदे ``नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज वि जीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद ं तमजंपस ौवच नदकमत`मबजपवद 24.। वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

2;रद्ध ष।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष वित ं ौवच ौंसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष पिगमक वित पजण

3ण ैमजजसमउमदज वि सपबमदबम वित तमजंपस ंसम रू

;इद्ध जीम सपबमदबम ौंसस इम हतंदजमक पद जीम वितउ थ्ण्स्ण्5क वित तमजंपस ंसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममत पद इवजजसमे

ब्वसनउद ८८

2;ीद्ध ष्स्पबमदबम मिमष उमंदे ``नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज वि जीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद ं तमजंपस ौवच नदकमत`मबजपवद 24.। वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक`जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003ए जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ौंसस इम मुनंस जव रू

ज्वजंस ंउवनदज वि सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2002.2003 वि जींज चंतजपबनसंत ौवच डप्छन्ै ।उवनदज वि सपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2002ण

2;रद्ध ष।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष वित ं ौवच ौंसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष पिगमक वित पजण

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक`जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं ौवच ौंसस इम मुनंस जव रू.

।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2002.2003 वि जींज चंतजपबनसंत ौवच डप्छन्ै च्तज वि ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2002ण

जीम जवजंस वि ंइवअम ुनंदजपजल ौंसस इम कपअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी वि जीपे चंतज ौंसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी

वित बवदेनउचजपवद ष्ब्थ्थ्ष् जीम चतमउपेमेण

कनतपदह जीम चमतपवक 01ण05ण2002 जव 31ण3ण2003

3ण ैमजजसमउमदज वि सपबमदबम वित तमजंपस ंसम रू

6ण स्पबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद मगबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि रू

;इद्ध ।ज जीम जपउम वि ंमजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू

.....

.....

ब्ंजमहवतल ष्।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम चमत

फनंदजपजलष् तंदहम पद जमतउे वि ीवच ;पद त्नचममेद्ध

प्डथ्स् वि 750 उस इवजजसम

.....

.....

1ण न्चजव 6ए000 इवजजसम 50ए000ण00

2ण 6ए001 जव 12ए000 इवजजसम 1ए00ए000ण00

3ण 12ए001 जव 25ए000 इवजजसम 2ए00ए000ण00

4ण25ए001 जव 50ए000 इवजजसम 4ए00ए000ण00

5ण50ए001 जव 75ए000 इवजजसम 6ए00ए000ण00

6ण75ए001 जव 1ए00ए000 इवजजसम 8ए00ए000ण00

7ण1ए00ए001 ंदक ंइवअम इवजजसम 10ए00ए000ण00

.....

.....

;इद्ध ।ंनउ मुनंस जव वदम उवदजी डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद हवअजण जतमेंनतल ं पदजमतमेज तिमम ;इद्ध जीम सपबमदबम ींसस इम हतंदजमक पद जीम वितउ थ्प्स्ण्5क वित तमजंपस ंसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममत पद हसें इवजजसमेध्जपदे वित बवदेनउचजपवद ष्वष्ि जीम चतमउपेमेण

छनउइमतमक ैमबनतपजल ीवसवहतंउ कनसल ंचचतवअमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ींसस इम ंपिगमक वद मंबी इवजजसम वि 750 उसए 375उस ंदक 180 उस वि प्डथ्स्ण

6ण स्पबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि रू

ं।ज जीम जपउम वि ंमजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू

.....

ब्ंजमहवतल ष्।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम चमत

फनंदजपजलष् तंदहम पद जमतउे वि ीवच ;पद त्नचममेद्ध

प्डथ्स् वि 750 उस इवजजसम ;वद जीम

ईंपे वि जीम ंबजनंस बवदेनउचजपवद वि

जीम ीवच कनतपदह 2001.02द्ध

.....

1ण न्चजव 6ए000 इवजजसम 50ए000ण00

2ण6ए001 जव 12ए000 इवजजसम 1ए00ए000ण00

3ण12ए001 जव 25ए000 इवजजसम 2ए00ए000ण00

4ण25ए001 जव 50ए000 इवजजसम 4ए00ए000ण00

5ण50ए001 जव 75ए000 इवजजसम 6ए00ए000ण00

`मबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद जूव कंले तिवउ जीम कंजम वि `मजजसमउमदज वि ीवच दक इंदा हनंतंदजमम मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ `बीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस `मजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे दक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम `मजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि `मजजसमउमदज वि ीवचण

7ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम रू

;द्धणीमदमअमत दमू सपबमदबम पे चतवचवेमक जव इम हतंदजमक पद द तमं वत सवबंसपजलए जीम स्पबमदेपदह ।नजीवतपजल ींसस पदअपजम जीम चचसपबंजपवदे वित जीपे चनतचवेम जिमत हपअपदह ूपकम चनइसपबपजल जीतवनही कंपसल दमू चंचमते ींअपदह बपतबनसंजपवद पद जींज तमं वत सवबंसपजलण

;द्धण। सपेज वि जीम तमजंपसे ीवचे वि वितमपहद सपुनवत दक इममत वित ूपबी जीम ब्वससमबजवत चतवचवेमे जव हतंदज सपबमदबम ींसस इम मगीपइपजमक सवदहूपजी ीवच ूपेम सपबदबम मिम दक `मबनतपजल उवनदज मजबण ज जीम ब्वसमसबजवतश्े वंपिबमए ज्मीपस वंपिबमे दक जीम वंपिबम वि जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण

;इद्धण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ चचमदकमक जव जीमेम तनसमेण

;बद्धण जीम सेंज कंजम जव इम पिगमक वित जीम तमबमपचज वि चचसपबंजपवद ींसस दवज इम मंतसपमत जींद 6ण75ए001 जव 1ए00ए000 इवजजसम 8ए00ए000ण00

7ण1ए00ए001 दक इवअम इवजजसम 10ए00ए000ण00

.....

;इद्ध । `नउ मुनंस जव वदम डवदजीश्े डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बींे जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल पदजमतमेज तिमम `मबनतपजल कमचवेपज ज वदबम जिमत जीम `मजजसमउमदज वि जीम ीवच दक ठंदा ळनंतंदजमम वि उवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ `बीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस `मजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे दक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम `मजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम `मबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद पिजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ीवचण

7ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम रू

;द्धण्प्द बेंम वि द मगपेजपदह ीवच उवनदज वि सपबमदबम मिमे दक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम बवउउपदह लमंत ींसस इम कमबपकमक इल सपबमदबपदह नजीवतपजल वद कअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम बवदेनउचजपवद वि जीम ीवच कनतपदह जीम लमंत 2001.2002ण पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;सपबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ीवच वद 30ण4ण2002द्ध वि चंतजपबनसंत ीवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ीपे ीवचए ीपे सपबमदबम ींसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002. 2003 जिमत जीम चंलउमदज वि इवअम `जंजमक उवनदज वि सपबमदबम मिम दक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल चंलंइसम चमत जीम तनसमेए वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ींसस इम जतमंजमक अंबंदज दक ींसस इम `मजजसमक पूजी ळंतींूस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व. वचमतंजपअम `वबपमजपमे वि म्ग. ।तउल चमतेवददमस जीतवनही दमहवजपंजपवदे वद जीम इवअम `जंजमक तमअमदनमण

`मअमद कंले ूपजी मंमिबज तिवउ जीम कंजम वि चिनइसपबंजपवद वि जीम कअमतजपेमउमदज पद दमू चंचमतण्

;द्धव्उपजजमकण्

;इद्धव्उपजजमकण्

8ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंजपवदे रू

।चचसपबंजपवद वित सपबमदबम वि तमजंपस ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;द्धण् ठम बपजप्रमद वि प्दकपं व्

। चंतजदमतीपच पितउ ींअपदह दवज उवतम जींद जूव चंतजदमते ूीव तम बपजप्रमदे वि प्दकपंण् छव बींदहम पद चंतजदमतीपच ींसस इम ससवूमक जिमत ससवजउमदज वि ीपच;द्धण् भ्वूमअमत पि सपबमदबम पे रवपदजसल ीमसक इल जूव चंतजदमतेए पद जीम मअमदज वि कमंजी वि मपजीमत वि जीमउए जीम नतअपअवत सवदह ूपजी जीम नबबमेवत वि कमबमेंमक ींसस बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबदमबम वत पद बेंम वि कमंजी वि इवजी चंतजदमते जीमपत नबबमेवते उंल बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबमण् छव कपेजपदबजपवद ूपसस इम उंकम इमजूममद जीम समहंस सपंइपसपजपमे वि जीम जूव चंतजदमते ूीव ूपसस इम रवपदजसल दक मअमतंससल तमेचवदेपइसमय

10ण् ैमसमबजपवद वि सपबमदबम रू

;द्धण्जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत ींसस चतमचंतम सपेज वि ंसस चचसपबंजपवदे तमबमपअमक ूपजी नउउमतल तमचवतज जव इम चनज इमवितम जीम कपेजतपबज समअमस बवउउपजजमम वित सपबमदेपदहण्

;द्धव्उपजजमकण्

;इद्धव्उपजजमकण्

;बद्ध व्उपजजमकण्

;मद्ध ।चचसपबंजपवद वित तमदमूंस वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ चचमदकमक जव जीमेम तनसमे वद चंलउमदज वि ेण् 100ध्. पद बीं वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण्

8ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंदजे रू

।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि तमजंपस ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;ण्द्धठम बपजप्रमद वि प्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदजे वि न्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअजण् तिवउ जपउम जव जपउमण् छव बींदहम पद चंतजदमतीपच ींसस इम ससवूमक जिमत ससवजउमदज वीवचेण् भ्वूमअमतए पि सपबमदबम पे रवपदजसल ीमसक इल जूव चंतजदमतेए पद जीम मअमदज वि कमंजी वि मपजीमत वि जीमउए जीम नतअपअवत सवदह ूपजी जीम नबबमेवत वि कमबमेंमक ींसस बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबम वत पद बेंम वि कमंजी वि इवजी चंतजदमते जीमपत नबबमेवते उंल बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबमण् छव कपेजपदबजपवद ूपसस इम उंकम इमजूममद जीम समहंस सपंइपसपजपमे वि जीम जूव चंतजदमते ूीव ूपसस इम रवपदजसल दक मअमतंससल तमेचवदेपइसमय

10ण् ैमसमबजपवद वि सपबमदबम रू

;इद्धजीम ेपक बवउउपजजमम ैींसस ेबतनजपदप्रम ंसस जीम ंचचसपबंजपवदे ंदक सपेज वनज ेनपजंइसम बंदकपकंजमे ैवचूपेमण् प्द जीपे चतवबमे जीम बवउउपजजमम उंल उंाम वत बंनेम जव इम उंकम ेनबी पदुनपतपमे ं पज उंल कममउ दमबमेंतल पद अपमू वि जीम चतपदबपचसमे संपक कवूद पद तनसम 8ण् । सपेज वि तमरमबजमक ंचचसपबंजपवदे ंसवदह ूपजी जीम तमेंवदे वि तमरमबजपवद तमबवतकमक जीमतमपद ूपसस ंसेव इम चतमचंतमकण् प्ि जीमतम ंतम उवतम उवतम जींद वदम ेनपजंइसम ंचचसपबंदजे वित ंदल चंतजपबनसंत ैवच ंदक वदम वि जीमउ पे तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींसए ंसस वजीमत जीपदह इमपदह मनुंसए जीम ंचचसपबंदज ैींपसपदह तिवउ न्जजंतंदबींस ैींसस इम हपअमतद चतममितमदबम वनजतपहीजण् प्द बेंमे ूीमतम उवतम जींद वदम ंचचसपबंदज वित ं चंतजपबनसंत ैवच ैींपस तिवउ न्जजंतंदबींसए जीम बवउउपजजमम ैींसस ेमसमबज जीम सपबमदेमम वित ेनबी ैवच इल चनइसपब सवजजमतल ंउवदह ंसस जीम ंचचसपबंदजे तिवउ न्जजंतंदबींस वदसलण् प्द वजीमत बेंमे ैींअपदह दव ंचचसपबंदज तिवउ न्जजंतंदबींसए जीम ेपक चनइसपब सवजजमतल ूपसस इम ीमसक ंउवदह ंसस ंचचसपबंदजण् जीम ंचचसपबंदज ैींसस ैींअम जव मदेनतम ीपे वत ीपे ंनजीवतपेमक तमचतमेमदजंजपअमश् चतमेमदबम ंज जीम जपउम वि ेमसमबजपवदध्मेमजजसमउमजद ेव ं जव हमज जीम पदवितउंजपवद वि ेमसमबजपवदध्मेमजजसमउमदजण् प्द बेंम जीम ेमसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक ंउवनदज ंदक कवमे दवज निसपिससस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम ेनपजंइसम चतमउपेम वित जीम ैवच ूपजीपद ेजपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ैींसस बंदबमस जीम ;द्धण्प्द बेंम वि ंद मगपेजपदह ैवचेए ंउवनदज वि स्पबमदबम थ्मे ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम लमंत ैींसस इम कमबपकमक इल सपबमदबपदह ंनजीवतपजल वद ंकअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वींपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम बवदेनउचजपवद वि जीम ैवच कनतपदह जीम लमंत 2001.2002ण् पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;स्पबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ैवच वद 30ण्4ण्2002द्ध वि ं चंतजपबनसंत ैवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ीपे ैवचए ीपे सपबमदबम ैींसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002.2003 ंजिमत जीम चंलउमदज वि ंइवअम ेजंजमक ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलए चंलंइसम ं चमत जीम तनसमे वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ैींसस इम जतमंजमक ं अंबंदज ंदक ैींसस इम ेमजजसमक ूपजी ळंतींूस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग. ।तउल चमतेवददमस जीतवनही दमहवजपंजपवदे वद जीम ंइवअम ेजंजमक तमअमदनमण्

प्द बेंम जीम ेमसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक ंउवनदज ंदक कवमे दवज निसपिसस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपजमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम ेनपजंइसम चतमउपेम वित जीम ैवच ूपजीपद ेजपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ैींसस बंदबमस जीम ससवजउमदज ं ूमसस ं वितमपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए पि दलय ंदक जांम ेजमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ैवचण्

;इद्धव्उपजजमकण्

ंससवजउमदज ं ूमसस ं वितमपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए प िंदलय ंदक जांम ंजमचे वित तमेमजजसमउमदज व िजीम ंीवचण

म्गचसंदंजपवद रू

।द ंचचसपबंदज ंीसस इम कममउमक जव इम तमेपकमदज व ैजंजम व िन्जजंतंदबींस वदसल प ीम निसपिससे ंजसमेंज वदम व िजीम विससवूपदह बवदकपजपवदेरू

;पद्ध भ्म चतवकनबमे ं बमतजपपिबंजम व िइमपदह कवउपबपसमक वत ं चमतउंदमदज तमेपकमदज व िजीम ैजंजमण

;पपद्ध भ्म चतवकनबमे ं बमतजपपिमक बवचल व िअवजमतश्े सपेज व िंदल व िजीम ूतक व िजीम ैजंजम बवदजंपदपदह ीपे दंउमण

;पपपद्ध भ्म चतवकनबमे ं इपतजी बमतजपपिबंजम वत बमतजपपिमक बवचल व िउिपसल तमहपेजमत ं चतववि व ीपे इमपदह तमेपकमदज व िजीम ैजंजमण

;पअद्ध भ्म चतवकनबमे ं बमतजपपिमक बवचल व तिंजपवद बंतक ं चतववि व ीपे इमपदह ं तमेपकमदज व िजीम ैजंजमण

;अद्ध भ्म चतवकनबमे कतपअपहद सपबमदबम ं चतववि व ीपे इमपदह तमेपकमदज व िजीम ैजंजमए व्

;अपद्ध भ्म चतवकनबमे ंदल वजीम कवबनउमदज ं चतववि व ीपे इमपदह तमेपकमदज व िजीम ैजंजम व ि ंजपेबिजपवद व िजीम ब्वससमबजवत व िजीम क्पेजतपबज बवदबमतदमकण

;बद्धण्प्द वदम कपेजतपबज वदम चमतेवद बंद इम ंससवजजमक ं उंगपउनउ व िजीतमम ीवचेण

;कद्धण्प्द बेंम जीमतम पे दव ंचचसपबंजपवद वित ं चंतजपबनसंत ीवच वत दव बंदकपकंजम पे विनदक ंनपजंइसम वित ं ीवचए जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ंीसस

;बद्धण प्द वदम कपेजतपबज वदम चमतेवद बंद इम ंससवजजमक ं उंगपउनउ व िजीतमम ीवचेए इनज जीमतम ीसस इम दव नचचमत सपउपज पद तमेचमबज व िदनउइमत व ीवच जव इम ंससवजजमक जव ळंतींसध्ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम ैवबपमजपमे व िम्ग. ।तउल चमतेवददमसण

;कद्धण व्उपजजमकण

12ण च्लउमदज व िसपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज रू

प्द बेंम ंद ंचचसपबंदज पे

जांम पउउमकपंजम ेजमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ैावचण प्द जीम चतवबमे वि तमेमजजसमउमदज वि बवउउपजजममए पउउमकपंजमसल ंजिमत जीम पितेज ेमजजसमउमदजध्ेमसमबजपवद चतवबमे पे वअमतए ैींसस हपअम ंद वचचवतजनदपजल जव जीम ंचचसपबंदजे विनदक ेनपजंइसम पद चतमसपउपदंतल ेबतनजपदल इनज पिसमक पद हमजजपदह ंदल ैावचण्सपबमदबम जव उंाम जीमपत वमिमित वद जीम ेंउम कंल वित जीम नदेमजजसमक ैावचे;द्ध इल हपअपदह ं तिमी ंचचसपबंजपवद पद जीम चतमेबतपइमक वितउंज ंदक पद ेनबी बेंमे ंसस चतमअपवने कमचवेपजे उंकम वित ंससवजउमदज वि ं चंतजपबनसंत ैावच ैींसस इम बवदेपकमतमक वित जीम दमूसल ंचचसपमक ैावच ं पि पज पे इमपदह कवदम वित जीम ेंउमण व्द तमबमपअपदह ेनबी ंचचसपबंजपवदे जीम बवउउपजजमम ैींसस ेमजजसम जीम ैावचे ं चमत जीम चतवअपेपवदे ंदक पि दव ेनबी ंचचसपबंजपवदे ंतम तमबमपअमकए जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ैींसस जांम ेजमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम नदेमजजसमक ैावचे;द्ध ंबबवतकपदह जव जीम चतवअपेपवदे संपक कवूद पद जीमेम तनसमेण

12ण च्ंलउमदज वि सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज रू

प्द बेंम ं ंचचसपबंदज पे ेमसमबजमक ं सपबमदेममए ैाम ैींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ैींसि वि जीम ेमबनतपजल ंउवनदज ूपजीपद जूव कंले ;संजमेज इल 5 च्ण्डण वि ेमबवदक कंलद्ध वि ंससवजउमदजध्ेमजजसमउमदज वि जीम ैावच ंदक जीम इंसंदबम ंउवनदज ूपजीपद दमगज 15 कंले वत इल 31ज डंतबी ूपबीमअमत पे मंतसपमत जीमतमंजिमतण पि ैाम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ैापे ेमसमबजपवदध्ेमजजसमउमदज ैींसस ेजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए पि ंदल ैींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम ेपक ैावच ैींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण जैम कमनिसजमत ैींसस इम ेमसमबजमक ं सपबमदेममए ैाम ैींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ंज वदबम ंजिमत जीम ंससवजउमदजध्ेमजजसमउमदज वि जीम ैावच ंदक ं ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं ैबीमकनसमक ठंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ेमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ेमजजसमक ैावच ूपजीपद थ्यजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि ेमजजसमउमदज वि जीम ैावच ं जंजमक पद त्नसम. 6;इद्ध इवअमण पि ैाम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंदक ठंदा ळनंतंदजममए कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ैापे ेमसमबजपवदध्ेमजजसमउमदज ैींसस ेजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए पि ंदलए ैींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ैावच ैींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण जैम कमनिसजमत सपबमदेमम ैींसस इम कमइंततमक तिवउ ैावसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलूीमतम पद जीम ेजंजमण । बवदेवसपकंजमक सपेज वि ेनबी कमनिसजमत सपबमदेममे नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमेमे ैींसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूाव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज वि जीम ैजंजम जव ंसस जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजपमे वि जीम ैजंजमण

13ण स्पजिपदह वि सपुनवत रू

जैम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ैींसस वइजंपद ेनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवतध्ठममत तिवउ ंदल ूावसमेंसम सपबमदबम ;थ्स्.2ध्थ्स्.2ठद्ध वि जीम कपेजतपबज ंजिमत उंापदह निसस चंलउमदजे

कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलूीमतम पद जीम ेजंजमण । बवदेवसपकंजमक सपेज वि ेनबी कमनिसजमत नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमेमे ैंसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वीपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूिव ूपससस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज वि जीम ेजंजम जव ंसस जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजपमे वि जीम ेजंजमण

13ण स्पजिपदह वि सपुनवत रू

जीम सपबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ैंसस वइजंपद ेनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवत तिवउ ूिवसमेंसम सपबमदबम ;थ्स्.2द्ध वि जीम कपेजतपबज ंजिमत उंापदह निसस चंलउमदजे वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समअपमक तिवउ जपउम जव जपउमण पि ंदल ेचमबपपिबध्वंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअंपसंइसम पद ूिवसमेंसम सपबमदबम वि ीपे कपेजतपबज जीम ेउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूिवसमेंसम सपबमदबम वि जीम ैजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समअपमक तिवउ जपउम जव जपउमण पि ंदल ेचमबपपिबध्वंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअंपसंइसम पद ूिवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ेउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूिवसमेंसम सपबमदबम वि जीम ैजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजंतंदबींसण जीम ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ैंसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत;चपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्स्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमत रू.

च्मत ठवजजसम
।उवनदज वि डवदजीसल
म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम डपदपउनउ
ळनंतंदजममक

क्नजल
न्चजव ेण 20द.
60द. ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण20ण01 जव ेण 35ण00 70द. ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण35ण01 जव ेण 50ण00 80द. ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण50ण01 जव ेण 65ण00 90द. ेण चमत

क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;स्पबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजंतंदबींसण जीम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ीसस इम करनेजमक हंपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ैचपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्स्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमत रू..

च्मत ठवजजसम
।उवनदज वि डवदजीसल
म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम
डपदपउनउ ळनंतंदजममक

क्नजल
न्चजव ेण 16ध्
40ध् ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण्16ण्01 जव ेण 20 50ध्
ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण्20ण्01 जव ेण 35 60ध्
ेण चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण्35ण्01 जव ेण 75 75ध् ेण
चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेण्75ण्01 जव ेण 150
90ध् ेण चमत ठवजजसम
।इवअम ेण्150
109ध् ेण चमत ठवजजसम
14ण स्पजिपदह वि डवदजीसल

डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल रू

जीम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल विततं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7जी कंल वि जीम दमगज उवदजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम ंचचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत हंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित उवदजी ंदक जीमतम पे बवचम वित नितजीमत सम पद ीपे ीवचए ीम ूपसस इम ंससवूमक जव सपजि ंद

जीम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल विततं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7जी कंल वि जीम दमगज उवदजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम ंचचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत हंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित उवदजी ंदक जीमतम पे बवचम वित नितजीमत सम पद ीपे ीवचए ीम ूपसस इम ंससवूमक जव सपजि ंद

उवदजीण जीम ुनंदजपजल समजि नदसपजिमक वद जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जीम उवदजी ीसस ेजंदक वितमिपजमकण भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस उवदजीसल उपदपउनउ हनंतंदजममक कनजलए जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 25जी कंल वि जीम दमगज उवदजी ;कनतपदह ।चतपस जव थ्मइतनंतल वि जींज पिदंदबपंस लमंतद्ध वद ूतपजजमद तमुनमेज तिवउ जीम सपबमदेममण प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत ंहंपदेज जीम मदजपतम ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं उवदजी ंदक जीमतम पे ेबवचम वित नितजीमत ेसम पद ीपे ीवचए ीम ;जिमत कमचवेपजपदह जीम कनजल पद ंकअंदबमद्ध ूपसस इम ंससवूमक जव सपजि ंद ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि थ्वतमपहद स्पुनवत मुनपअंसमदज जव 50ः वि उपदपउनउ उवदजीसल हनंतंदजममक कनजल ंज जीम ेउम तंजम ; बंसबनसंजमक वद जीम इेंपे वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम ीवचद्धण प्द बेंम ं सपबमदेमम ूदजे जव सपजि थ्वतमपहद स्पुनवत ंहंपदेज ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि थ्वतमपहद स्पुनवतए वद चंलउमदज वि ंककपजपवदंस म्गबपेम कनजल ंज ं ीपहीमत तंजम वि ेण 5ध्. चमत इवजजसम ;750 उसद्ध उवतम जींद जीम वतपहपदंस चमत इवजजसम तंजम वि कनजल चतमेबतपइमक वित जींज ीवचए वित पेनमे वि थ्वतमपहद स्पुनवत ंहंपदेज मअमतल ंककपजपवदंस 10ः ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलण स्पेमदेमम ीसस ींअम जव सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित उवदजी वि डंतबी इल 26जी डंतबी च्वेपजपअमसल

15ण च्लउमदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ंदक बवदेमुनमदबम वि पिसनतम जव उंाम हववक जीम कमपिबपमदबल पद ेमबनतपजल कमचवेपजरू

;1द्ध जीम सपबमदेमम पे सपंइसम जव कमचवेपज मदजपतम डवदजीसल डपदपउनउ

उवतम जींद 150ः वि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पद उवदजीए ीम ैंसस इम तमुनपतमक जव कमचवेपज ंद ंककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ंज ंीपहीमत तंजम ं दवजपपिमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद जीपे तमहंतकण थ्स्.5क सपबमदेमम ैंसस इम तिमम जव चनतबींम ंदल ुनंदजपजल वि ठममत तिवउ थ्स्.2 वत थ्स्.2ठ ं चमत जीम हमदनपदम ंसम तमुनपतमउमदजे वि ीपे ैवचए ंदक दव ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ैंसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज पेनमे वि ठममत तिवउ थ्स्.2 जव थ्स्.5क स्पबमदेममेण

15ण च्लउमदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ंदक बवदेमुनमदबम वि पिसनतम जव उंाम हववक जीम कमपिबपमदबल पद ंमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदेमम पे सपंइसम जव कमचवेपज मदजपतम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वि प्दकपंद उंकम थ्वतमपहद स्पुनवत इल जीम 25जी कंल ळनंतंदजममक क्नजल वि प्दकपंद उंकम थ्वतमपहद स्पुनवत इल जीम 20जी कंल वि जीम उवदजीण प्द बेंम ीम पिसे जव कमचवेपज जीम मदजपतम कनजल इल 20जी कंल वि जीम उवदजीए जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत ूपसस ंकरनेज जीम नदकमचवेपजमक ंउवनदज वि जीम कनजल तिवउ जीम ंमबनतपजल कमचवेपज ंदक पउउमकपंजमसल पेनम ं दवजपबम जव जीम सपबमदेमम जव तमचसमदपी जीम ैवतजसिस पद ंमबनतपजल कमचवेपज इल जीम मदक वि जीम उवदजीण

;2द्ध पि जीम सपबमदेमम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि कमपिबपज उमदजपवदमक जीमतम ंइवअम जीम सपबमदबपदह ंनजीवतपजल ैंसस समअल ं चमदंसजल मुनपअंसमदज जव 18ः ंददनंस पदजमतमेज वद जीम नदकमचवेपजमक ंउवनदजए चमत कंल जपसस 7जी वि जीम दमगज उवदजी ंदक पि सपबमदेमम नितजीमत पिसे जव कमचवेपज जीम तमउंपदपदह ंउवनदज ंसवदह ूपजी चमदंसजल इल 7जी कंल वि जीम दमगज उवदजीए जीम सपबमदबम ैंसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ैंसस इम तिमम जव तमेमजजसम जीम ैवचे;द्ध ंज जीम तपे वि जीम वनजहवपदह सपबमदेमम ंदक ंदल ैवतजसिस पद

वि जीम उवदजीण प्द बेंम ीम पिसे जव हवअमतदउमदज तमअमदनम पद `नबी कमचवेपज जीम मदजपतम कनजल इल 25जी तमेमजजसमउमदज ौंसस इम तमबवअमतंइसम तिवउ कंल वि जीम उवदजीए जीम क्पेजतपबज ीपे`ततमंते वि संदक तमअमदनमण

म्गबपेम वींपिबमत ूपसस ंकरनेज जीम नदकमचवेपजमक ंउवनदज वि जीम कनजल तिवउ जीम `मबनतपजल कमचवेपज ंदक पउउमकपंजमसल पेनम ं दवजपबम जव जीम सपबमदेमम जव तमचसमदपी जीम ौवतजसिस पद `मबनतपजल कमचवेपज इल 5जी कंल वि जीम दमगज उवदजीण पि जीम सपबमदेमम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि कमपिबपज पद `मबनतपजल ंउवनदज इल 5जी कंल वि दमगज उवदजी जीम सपबमदबम ौंसस `जंदक बंदबमससमक ंदक जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ौंसस इम तिमम जव तमेमजजसम जीम ौवचे;द्ध ंज जीम तपो वि जीम वनजहवपदह सपबमदेमम ंदक ंदल ौवजसिस पद हवअमतदउमदज तमअमदनम पद `नबी तमेमजजसमउमदज ौंसस इम तमबवअमतंइसम तिवउ ीपउ`ततमंते वि संदक तमअमदनमण

;ठण्ब् बींदकवसंद्ध
म्गबपेम ब्वउउपैपवदमतए
न्जजंतंदबींसण

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 28 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 08, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्याः827–39/सात–लाइसेंस()/एफ0एल0–2ए
देहरादून, 28 अप्रैल, 2002
सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में

सा0प0नि0–08

अवगत कराना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेना के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0–2ए) अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैन्टीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत सी0एस0डी0 डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए यूनिट कैन्टीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा/बियर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परमिट हेतु (उ0प्र0 आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के प्रस्तर 614) हेतु अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैंः–

1. आबकारी अभिकर की दर

(1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन)	50/– प्रति ए0एल0
(2) बियर	11.55 प्रति बी0एल0
(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक	प्रति बी0एल0
(ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की	43 प्रति ए0एल0
(3) कंसेशन ड्यूटी रम	शासनादेश संख्याः27/आबकारी/2002 देहरादून दिनांकः जनवरी 14, 2002 के अन्तर्गत इस निर्धारित सीमा तक की मदिरा के अभिकर की वसूली को समाप्त कर दिया गया है।
(4) भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम उत्तरांचल के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 180,180 लीटर एवं	

41,168 लीटर की सीमा तक रम

2. आयात परमिट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम			5/– प्रति बोतल
(बियर)			1/– प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ0एल0–9 एवं एफ0एल0–9ए अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं ऐसेस्ड फीस की दरें निम्नवत् होंगी।

(1) एफ0एल0–9 (सैन्य कैन्टीन)	निश्चित फीस		रू0 60/– प्रति लाइसेंस
	ऐसेस्ड फी	(एक) भारत में बनी सभी प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन शराब काडियल आदि	30.00 रूपये मान्य क्वार्ट बोतल
		(दो) अल्कोहल को 5 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति रखने वाली बियर, स्टाउड और अन्य किण्वित शराब	2.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
		(तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक शक्ति रखने वाली बियर स्टाउट और किण्वित शराब	3.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
(2) एफ0एल0–9ए (सैन्य कैन्टीन)	निश्चत फीस		रू0 60/– प्रति लाईसेंस
	सेसेस्ड फी		रियायती शुल्क रू0 18.00 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल रम

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 30 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्याः1007–19/सात–लाइसेंस/बार–नीति/2002–2003
देहरादून, 30 अप्रैल, 2002

बार व क्लब बार अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु देय लाईसेंस फीस व अधिभार के संबंध में

सा0प0नि0–10

कृपया उपरोक्त विशयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या–965–77/सात–लाईसेंस/बार–नीति/2002–03 दिनांक 30.4.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, उक्त परिपत्र के बिन्दु–2 में निम्नलिखित अंश को जोड़कर पढ़ने का कश्ट करें।

2. एफ0एल0–6ए समिश्र (चार सितारा व पांच सितारा) बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में वर्श 2002–03 के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया है। अतः एफ0एल0–6ए समिश्र (चार सितारा व पांच सितारा) बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस यथावत रहेगी।

धीरेन्द्र वर्मा
संयुक्त आबकारी आयुक्त

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, रविवार, 30 अप्रैल, 2002 ई0
वैशाख 10, 1924 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
कार्यालय आबकारी आयुक्त
संख्याः965–77/सात–लाइसेंस/बार–नीति/2002–2003
देहरादून, 30 अप्रैल, 2002

बार व क्लब बार अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2002–2003 हेतु देय लाईसेंस फीस व अधिभार के संबंध में

सा0प0नि0–10

वर्श 2002–2003 हेतु निर्धारित आबकारी नीति के अनुसार बार व क्लबवार अनुज्ञापियों से निम्नानुसार लाइसेंस फीस व अधिभार जमा कराया जाये।

1. क्लबवार लाईसेंसों की लाइसेंस फीस में वर्श 2001–2002 की लाइसेंस फीस की तुलना में 25 प्रतिशत वृद्वि की गयी है, इस राशि में से वित्तीय वर्श 2002–2003 हेतु पूर्व में प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि समायोजित करने के उपरान्त शेश राशि अनुज्ञापी से जमा कराकर इन लाइसेंसों का वर्श 2002–2003 हेतु नवीनीकरण कर दिया जाये।

2. बार लाइसेंसों की लाइसेंस फीस वर्श 2002–2003 हेतु रूपये 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) निर्धारित की गयी है, इस राशि में से वित्तीय वर्श 2002–2003 हेतु पूर्व में प्राप्त लाइसेंस फीस की राशि समायोजित करने के उपरान्त शेश राशि अनुज्ञापी से जमा कराकर इन लाइसेंसों का वर्श 2002–2003 हेतु नवीनीकरण कर दिया जाये।

3. बार व क्लबवार अनुज्ञापियों द्वारा बेची जाने वाली मदिरा की प्रत्येक बोतल पर 30/– रूपये व बियर की प्रत्येक बोतल पर 5/– रूपये अधिभार देय होगा। जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार व

क्लबबार लाईसेसों को निकासी के आदेश जारी करेंगे, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को मदिरा/बियर की निकासी देंगे।

4. बार अनुज्ञापियों द्वारा विक्रय की गयी मदिरा (रम, व्हिस्की, ब्राण्डी व जिन) पर बिन्दु–3 के अनुसार निर्धारित अधिभार पर अधिकतम उपभोग की सीमा 20,000 बोतल (बीस हजार बोतल) निर्धारित की जाती है, इससे अधिक बोतलों की बिक्री होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्वि के लिए 5/– रूपये प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त अधिभार भी देय होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

- प्द चनतेनंदबम वि बिसंनेम;3द्ध वि ।तजपबसम 348 वि जीम बवदेजपजनजपवद वि प्दकपंए जीम ळवअमतदमत पे चसमेंमक जव जतंदेसंजम जीम विससवूपदह म्दहसपेी जतंदेसंजपवद वि छवजपपिबंजपवद दवण कंजमक ए श्रनसल 2002 वित हमदमतंस पदवितउंजपवदण
-

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण्रू 6042 क्ंजमकरू 19ए श्रनसल 2002

छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते नदकमत`मबजपवद 41 वि जीम ;न्प्च्द्ध म्गबपेम ।बजए 1910द्ध ;न्प्च्द्ध ।बज छवण प्ट वि 1910द्धए तमंक ूपजी त्नसम 86 वि न्प्च्द्ध त्म.वतहंदपेंजपवद ।बज 2000 ;।बज छवण 29ध्2000द्ध जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने`दबजपवद वि जीमै जंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह त्नसमे ूपजी ं अपमू जव ंउमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपसैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपसैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;पगजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण

;1द्धण ीवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;3द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपसैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;पगजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण

;4द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम ूपजी पउउमकपंजम मंमिबजण

;2द्ध ।उमदकउमदज वि त्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे थ्वत त्मजंपसैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ए ं उमदकमक नचजव कंजमए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव ं जीम ंपक त्नसमेए वित त्नसम 13 `मज वनज पद बवसनउद छवण प इमसवूए जीम त्नसम`मज वनज पद बवसनउद छवण ब्ींसस इम`नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद प

13ण स्पजिपदह वि सपुनवत रू

जीम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ींसस वइजंपद `नचचसपमे वि वितमपहद सपुनवतध्ठममत तिवउ ंदल ूवसमेंसम सपबमदबम ;थ्स्.2ध्ध्स्.2ठद्ध वि जीम कपेजतपबज जिमत उांपदह निसस चंलउमदजे वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समअपमक तिवउ जपउम जव जपउमण पि ंदल `चमबपपिबध्चंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअपसंइसम पद ूवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ंउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सपबमदबम वि जीम जंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजंतंदबींसण जीम ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवतै;चपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्स्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमत रू.

ब्वसनउद प

13ण स्पजिपदह वि सपुनवत रू

जीम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ींसस वइजंपद `नचचसपमे वि वितमपहद सपुनवतध्ठममत तिवउ ंदल ूवसमेंसम सपबमदबम ;थ्स्.2ध्ध्स्.2ठद्ध वि जीम कपेजतपबज जिमत उांपदह निसस चंलउमदजे वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समअपमक तिवउ जपउम जव जपउमण पि ंदल `चमबपपिबध्चंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज ंअपसंइसम पद ूवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ंउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सपबमदबम वि जीम जंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजंतंदबींस ंज क्मीतंकनदण जीम ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवतै;चपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्स्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमत रू.

च्मत ठवजजसम म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम ळनंतंदजममक

।उवनदज व िडवदजीसल डपदपउनउ

क्नजल

न्चजव ेत 20ध्.	60ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत20ण्01 जव ेत 35ण्00	70ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत35ण्01 जव ेत 50ण्00	80ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत50ण्01 जव ेत 65ण्00	90ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत65ण्01 जव ेत 80ण्00	100ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत80ण्01 जव ेत 100ण्00	110ध्. ेत चमत ठवजजसम
।इवअम ेत100	120ध्. ेत चमत ठवजजसम

छव ंउवनदज व िडवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज पेनमे व िठममत तिवउ थ्स्ण्2 जव थ्स्ण्5क् सपबमदेममेण्

च्मत ठवजजसम म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम ळनंतंदजममक

।उवनदज व िडवदजीसल डपदपउनउ

क्नजल

न्चजव ेत 16ध्.	45ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत16ण्01 जव ेत 20ण्00	50ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत20ण्01 जव ेत 35ण्00	60ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत35ण्01 जव ेत 75ण्00	75ध्. ेत चमत ठवजजसम
थ्तवउ ेत75ण्01 जव ेत 150ण्00	90ध्. ेत चमत ठवजजसम
।इवअम ेत150ण्00	109ध्. ेत चमत ठवजजसम

छव ंउवनदज व िडवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज पेनमे व िठममत तिवउ थ्स्ण्2 जव थ्स्ण्5क् सपबमदेममेण्

;ठण्ब् बींदकवसंद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींसण्

छवण्6050.6109 क्ंजमक रू 19.7.2002

ब्वचपमे`मदज जव विससवूपदह वित पदवितउंजपवद ंदक दमबमेंतल ंबजपवद ...

1ण् ैमबतमजंतलए म्गबपेमए न्जजंतंदबींस ळवअजण् पद तममितमदबम जव ीपे समजजमत दवण् 438ध्।इांतपध्119ध्2002 क्ंजमक 19ण्07ण्2002

2ण् ।सस क्पेजतपबज डंहपेजतंजमए न्जजंतंदबींसण्

3ण् क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए स्पबमदेपदहए न्जजंतंदबींसण्

4ण् ।सस क्पेजतपबज म्गबपेम व्पिबमतए न्जजंतंदबींसण्

5ण् ।सस ेजजण् म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए पदवितबमउमदजए न्जजंतंदबींसण्

6ण् ।सस म्गपबेम प्देचमबजवतए न्जजंतंदबींसण्

; क्तण् ज्ञण्ठण्श्रवींतप द्ध
क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींसए क्मीतंकनदण्

प्द चनतेनंदबम वि बसंनेम;3द्ध वि ।तजपबसम 348 वि जीम बवदेजपजनजपवद वि प्दकपंए जीम ळवअमतदमत पे चसमेंमक जव जतंदेसंजम जीम विससवूपदह म्दहसपेी ज्तंदेसंजपवद वि छवजपपिबंजपवद दवण ण कंजमक 2002 वित हमदमतंस पदवितउंजपवदण

जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण 7602 कंजमक 21.08.2002

छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते नदकमत मबजपवद 41 वि जीम न्च्ण म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्च्ण ।बज छवण प्ट वि 1910द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने दबजपवद वि जीम जंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी अपमू जव उमदक जीम न्जजंतंदबींस थ्वतमपहद स्पुनवत ठवदकमक तमीवनेम त्नसमेए 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस थ्वतमपहद स्पुनवत ठवदकमक तमीवनेम ;थ्पतेज ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण

;1द्ध वतज ज्पजसम दक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस थ्वतमपहद स्पुनवत ठवदकमक तमीवनेम ;थ्पतेज ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2002ण

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज डंल 2002ण

;2द्ध ।उमदकउमदज वि त्नसमे रू

प्द जीम न्जजंतंदबींस थ्वतमपहद स्पुनवत ठवदकमक तमीवनेम त्नसमेए 2001ए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव जीम पक त्नसमेए वित त्नसम 5 मज वनज पद बवसनउद छवण इमसवूए जीम तनसम मज वनज पद बवसनउद छवण प्ींसस इम नइेजपजनजमक रू.

म्गपेजपदह त्नसम		।उउमदकमक त्नसम
;5द्ध जीम सपबमदबम उंल इम हतंदजमक वत तमदमूमक वद जीम चंलउमदज वि ेण 2ए00ए000ध् ;ेण ज्ूव संबेद्ध सपबमदबम मिमे वित जीम चमतपवक दवज मगबममकपदह वदम लमंत दक मदकपदह वद जीम 31ज डंतबी विससवूपदह जीम कंजम वि हतंदजमण		;5द्ध जीम सपबमदबम उंल इम हतंदजमक वत तमदमूमक वद जीम चंलउमदज वि ेण 2ए20ए000ध् ;ेण ज्ूव स्बे ज्ूमदजल जीवनेंदक व्दसलद्ध सपबमदबम मिम वित ठॅथ्स्.2 सपबमदबम – ेण 1ए10ए000ध् ;ेण व्दम संब ज्मद जीवनेंदक व्दसलद्ध वित ठॅथ्स्.2ठ वित जीम चमतपवक दवज मगबममकपदह वदम लमंत दक मदकपदह वद जीम 31ज डंतबी विससवूपदह जीम कंजम वि हतंदजमण च्तवअपकमक जींज जीम सपबमदबम मिम वित जीम चमतपवक 01ण05ण2002 जव 31ण03ण2003 ींसस इम मुनंस जव सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम ीवसम लमंत 2002.2003 डप्छनै सपबमदबम मिम तमंसप्रमक कनतपदह ।चतपस 2002ण
;13द्ध छव सपुनवत ींसस इम तमउवअमक तिवउ जीम ठवदकमक तमीवनेम नदसमे जीम कनजल ीं इममद चंपक वद पज ज जीम चतमेबतपइमक तंजम वत इवदक ीं इममद मगमबनजमक वित चंलउमदज वि जीम उम इल जीम सपबमदेममण		;13द्ध छव सपुनवत ींसस इम तमउवअमक तिवउ जीम ठवदकमक तमीवनेम ;1द्ध न्दसमे जीम कनजल ीं इममद चंपक वद पज ज जीम चतमेबतपइमक तंजम वत इवदक ीं इममद मगमबनजमक वित चंलउमदज वि जीम उम इल जीम सपबमदेममण ;2द्ध छनउइमतमक मबनतपजल भ्वसवहतंउ कनसल चचतवअमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ींसस इम पिगमक वद मअमतल ठवजजसमए छपच दक च्पदज वि जीम प्डथ्स्ण

बिंदहम पद सपबमदबम बवदकपजपवदे वि ठॅथ्स्.2ध्2ठ स्पबमदबम थ्वतउ

प्द जीम ठॅथ्स्.2ध्2ठ सपबमदबम वितउ जीम सपबमदबम बवदकपजपवद ैवूद पद बवसनउद दवण 1 ैंसस इम ेनइेजपजनजमक इल जीम सपबमदबम बवदकपजपवद ैवूद पद बवसनउद दनउइमत 2ण

म्गपेजपदह ब्वदकपजपवद		।उउमदकमक ब्वदकपजपवद
;1द्ध जीम सपबमदेमम ैंसस चंल पदजव जीम ळवअमतदउमदज जतमेंनतल पद ंकअंदबम ंेनउ वि ेण 2ए00ए000ध् ;ेण ज्ूव स्ंबेद्ध ं सपबमदबम मिमे ंदक ैंसस ंसेव नितदपी ंेमबनतपजल वि ेण 1ए00ए000ध् ;ेण व्दम स्ंबद्ध ं चतवअपकमक नदकमत जीम तनसमे वद जीम ेनइरमबजण		;1द्ध जीम सपबमदेमम ैंसस चंल पदजव जीम ळवअमतदउमदज जतमेंनतल पद ंकअंदबम ंेनउ वि ेण 2ए20ए000ध् ;ेण ज्ूव स्ंबे ज्मदजल जीवनेंदक वदसलद्ध ं सपबमदबम मिम वित ठॅथ्स्.2 सपबमदबम – ेण 1ए10ए000ध् ;ेण व्दम स्ंब ज्मद जीवनेंदक वदसलद्ध वित ठॅथ्स्.2ठ वित जीम चमतपवक दवज् मगबममकपदह वदम लमंत ंदक मदकपदह वद जीम 31ज्ञ डंतबी विससवूपदह जीम कंजम वि हतंदजण च्तवअपकमक जींज जीम सपबमदबम मिम वित जीम चमतपवक 01ण05ण2002 जव 31ण03ण2003 ैंसस इम मुनंस जव सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम ूीवसम लमंत 2002.2003 डप्छनै सपबमदबम मिम तमंसप्रमक कनतपदह ।चतपस 2002ण जीम सपबमदेमम ैंसस ंसेव नितदपी ंेमबनतपजल वि ेण 1ए00ए000ध् ;ेण व्दम स्ंबद्ध ं चतवअपकमक नदकमत जीम तनसमे वद जीम ेनइरमबजण
;3द्ध ैनमे वि वितमपहद सपुनवत तिवउ जीम ंपक ठवदकमक ॅतमीवनेम ैंसस इम उंकम ंज ेनबी ेजतमदहजी वदसल ं उंल इम पिगमक तिवउ जपउम जव जपउम इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींसण		;3द्ध;पद्ध ैनमे वि वितमपहद सपुनवत तिवउ जीम ंपक ठवदकमक ॅतमीवनेम ैंसस इम उंकम ंज ेनबी ेजतमदहजी वदसल ं उंल इम पिगमक तिवउ जपउम जव जपउम इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींसण
;7द्ध जीम सपबमदेमम ैंसस ेनचचसल प्दकपंद उंकम वितमपहद सपुनवत पद इवजजसमे वि 750 उसेए 375उसे ंदक 180 उसे बंचंबपजल वदसल ंदक इममत इवजजसमे वि 650 उसे ंदक 325 उसेण		;पपद्ध छनउइमतमक ैमबनतपजल भ्वसवहतंउ कनसल ंचचतवअमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ैंसस इम पिगमक वद मअमतल ठवजजसमए च्पदज ंदक छपच वि जीम प्डथ्स् इमवितम पेनमेण ;7द्ध जीम सपबमदेमम ैंसस ेनचचसल प्दकपंद उंकम वितमपहद सपुनवत पद हसें इवजजसमे वि 750उसेए 375 उसे ंदक 180 उसेए ंदक ठममत पद हसें इवजजसमेध्जपदे वि 650 उसे ंदक 325 उसे बंचंबपजल वदसलण

म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत
न्जजंतंदबींस

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, मंगलवार, 22 अप्रैल, 2003 ई0
वैशाख 02, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी विभाग
संख्याः312/18/आब/2003–04
देहरादून, 22 अप्रैल, 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम–1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा–40 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीराज्यपाल उत्तरांचल राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2003–04 के लिए निम्नलिखित नवीन आबकारी नीति उद्घोशित करते हैं–

यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रवृत्त होगी।

1. लाइसेंस फीस का निर्धारण

वित्तीय वर्श 2003–04 हेतु लाइसेंस फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्श की भांति देशी मदिरा की बल्क लीटर बिक्री एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिक्री के आधार पर स्लैबवार 15 प्रतिशत वृद्वि करते हुए निर्धारित की जाये। इस प्रकार निर्धारित लाइसेंस फीस में से माह अप्रैल हेतु प्राप्त लाइसेंस फीस घटाकर वित्तीय वर्श 2003–04 के शेश 11 माह अर्थात् 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिए लाइसेंस फीस मानी जायेगी।

2. अधिभार का निर्धारण–

निजी अनुज्ञापियों तथा भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव समितियों द्वारा चलाई गयी दुकानों के लिए वित्तीय वर्श 2002–03 में वास्तविक निकासी पर देय अधिभार में 15 प्रतिशत जोड़कर अधिभार निर्धारित किया जाये।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमायूं मण्डल विकास निगमों के लिए वर्श 2002–03 हेतु निर्धारित अधिभार एवं वास्तविक निकासी की गयी मदिरा पर देय अधिभार का औसत निकालकर उसमें 15 प्रतिशत वृद्वि जोड़ दी जाये। इस अधिभार

में माह अप्रैल में प्राप्त अधिभार को घटाकर वित्तीय वर्श 2003–04 की शेश अवधि 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिए अधिभार का निर्धारण किया जाये।

3– राजस्व निर्धारण–

उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 1.5.2003 से 31.3.2004 तक का दुकान का राजस्व माना जायेगा।

4– देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन–

उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदनपत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं, उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोडकर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

5– देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना–

निकासी हेतु अधिभार की गणना के स्लैब कम रखे जायें एवं देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों पर अधिभार कम रखा जाना चाहिए जिससे शराब के मूल्य नियंत्रित रहेंगे तथा तस्करी की सम्भावनायें कम होंगी।

6. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)–

विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों को पूर्ववत दिये जायेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर उसको भी विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा तथा विगत वर्श की भांति भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा एवं एफ0एल0–2 के स्तर पर लिये जाने वाले लाभांश को संतुलित किया जायेगा।

7– बार एवं क्लब बार लाईसेन्स–

बार/क्लब बार लाईसेंस देने के संबंध में तीन, चार व पॉच सितारा होटलों को बार लाईसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत् रखा जाये। अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाईसेंसस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्याः110–122/सात–लाईसेंस/बार–नीति/2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा। गढ़वाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्श 2002–03 में निर्धारित नीति

यथावत् रहेगी। बार लाइसेंस स्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

8— नयी आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाइनरी स्थापित करने के संबंध में—

बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिश्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा। ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु लाईसेन्स देने पर भी विचार किया जायेगा।

9. देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्श की ही भांति रखा जायेगा।

10. भांग के अनुज्ञापन में वर्श 2002—03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

11. बार व क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाइसेंस फीसों में भी 15 प्रतिशत वृद्वि कर दी जायेगी।

12. राज्य के संसाधनों को दृश्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 50.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाये।

13. देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली पुरानी बोतलों का प्रयोग 30 अगस्त, 2003 के बाद समाप्त कर दिया जाये और दिनांक 01 सितम्बर, 2003 से शत—प्रतिशत् नई बोतालें का प्रयोग किया जायेगा।

14. अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्श 2002—03 की ही भांति रखी जायेगी।

15. उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावलियां बनाई जायेंगी।

आज्ञा से

बी0सी0 चन्दोला
सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 ई0
बैशाख 08, 1925 शक सम्वत्

न्जजंतंदबींस ौंद

जेम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वंपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण रू 579
क्ंजमकरू क्मीतंकनदए ।चतपस 28ए 2003

छवजपपिबंजपवद

सा0प0नि0–01

प्द मगमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत मबजपवद 41 व िजीम न्च्ण् म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्ण् ।बज छवण प्ट व 1910द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने दबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी अपमू जव उमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमे 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ैपगजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2003ण

;1द्धण ौवतज ज्पजसम दक ब्वउउमदबमउमदज

;5द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ैपगजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2003ण

;6द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज डंल 2003ण

;2द्ध ।उमदकउमदज व िल्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ैमजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमे 2001ए उमदकमक नचजव कंजमए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव जीम पक त्नसमेए वित त्नसम 2;हद्ध;पद्धए 6;द्ध;इद्धए 8;द्ध;इद्ध;बद्ध;कद्ध;मद्धए 9;द्धए 11;द्ध;इद्ध;बद्ध – 13 मज वनज पद बवसनउद छवण प इमसवूए जीम तनसम मज वनज पद बवसनउद छवण ब ींसस इम नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद प	ब्वसनउद ब

2ण् क्मपिदपजपवदे रू
;हद्ध ष्स्पबमदबम मिमष् उमंदे ं`नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज वि जीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि बवनदजतल सपुनवत पद तमजंपस नदकमत `मबजपवद 24 वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003 जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जव रू..

ज्वजंस ंउवनदज वि सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2002.2003 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै ।उवनदज वि सपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2002ण्

;पद्ध ष्।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष् वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष् पिगमक वित पजण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं ीवच ींसस इम मुनंस जव रू.

।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2002.2003 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै च्तज वि ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2002ण्

जीम जवजंस वि इवअम ुनंदजपजल ींसस इम कमअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी वि जीपे चंतज ींसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी कनतपदह जीम चमतपवक

2ण् क्मपिदपजपवदे रू
;हद्ध ष्स्पबमदबम मिमष् उमंदे ं`नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज वि जीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि बवनदजतल सपुनवत पद तमजंपस नदकमत `मबजपवद 24 वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004 जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जव रू..

ज्वजंस ंउवनदज वि सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2003.2004 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै ।उवनदज वि सपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2003ण्

;पद्ध ष्।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष् वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष् पिगमक वित पजण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं ीवच ींसस इम मुनंस जव रू.

।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2003.2004 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै च्तज वि ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2003ण्

जीम जवजंस वि इवअम ुनंदजपजल ींसस इम कमअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी वि जीपे चंतज ींसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी कनतपदह जीम चमतपवक 01ण्05ण्2003 जव 31ण्3ण्2004ण्

6ण् स्पबमदबम मिम ंदक `मबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ ब्प्स्ण्5ठ ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि

01ण05ण2002 जव 31ण3ण2003ण

6ण स्पबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ ब्ण्स्ण्. 5ब्ैंसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि रू

ण्।ज जीम जपउम वि ेमजजसमउमदज वि ैावच सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू

.....

.....

ब्ंजमहवतल

जीम ैावच कनतपदह 2001.02द्ध

.....

.....

1ण

2ण

3ण

4ण

5ण

6ण

7ण

.....

.....

छवजम रू. व्दम इनसा सपजतम वि ैचपबमक ब्वनदजतल स्पुनवत वि 36ः अध्अ ूपसस इम मुनपअंसमदज जव 36ध्25 इनसा सपजतम वि च्संपद ब्वनदजतल स्पुनवत वि 25ः अध्अण

ण । ेनउ मुनंस जव वदम उवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद हवअजण जतमेंनतल ं पदजमतमेज तिमम ेमबनतपजल कमचवेपज ैंसस इम चंलंइसम ूपजीपद जूव कंले तिवउ जीम कंजम वि ेमजजसमउमदज वि जीम ैावच ंदक ं इंदा हनंतंदजमम मुनंस जव वदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं ेबीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ेमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज रू

ण्।ज जीम जपउम वि ेमजजसमउमदज वि ैावच सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू

.....

..

ब्ंजमहवतलष ।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम फनंदजपजलष तंदहम पद इनसा सपजतम ;वद चमत ैावच ;पद जीम इेंपे वि ंबजनंस बवदेनचजपवद वि त्नचममेद्ध जीम ैावच कनतपदह 2002.03द्ध

.....

..

1ण

2ण

3ण

4ण

5ण

6ण

7ण

.....

..

छवजम रू. व्दम इनसा सपजतम वि ैचपबमक ब्वनदजतल स्पुनवत वि 36ः अध्अ ूपसस इम मुनपअंसमदज जव 36ध्25 इनसा सपजतम वि च्संपद ब्वनदजतल स्पुनवत वि 25ः अध्अण

ण । ेनउ मुनंस जव वदम डवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल ं पदजमतमेज तिमम ेमबनतपजल कमचवेपज ैंसस इम चंलंइसम ूपजीपद ेमअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि ैमजजसमउमदज वि जीम ैावच ंदक ं बी वत ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं ेबीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ेमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ेमजजसमक ैावचए ैंसस इम चंलंइसम ं ेमबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि ेमजजसमउमदज वि ैावचण

पद तमेचमबज वि जीम मजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद थ्पजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ीवचण	8ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम रू
8ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम रू	(a) ीमदमअमत दमू सपबमदबम पे चतवचवेमक जव इम हतंदजमक पद द तमं वत सवबंसपजलए जीम स्पबमदेपदह ।नजीवतपजल ींसस पदअपजम जीम चचसपबंजपवदे वित जीपे चनतचवेम जिमत हपअपदह ूपकम चनइसपबपजल जीतवनही कंपसल दमू चंचमते ींअपदह बपतबनसंजपवद पद जींज तमं वत सवबंसपजलण
ंण प्द बेंम वि द मगपेजपदह ीवच उवनदज वि सपबमदबम मिमे दक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम बवउउपदह लमंत ींसस इम कमबपकमक इल जीम सपबमदबपदह नजीवतपजल वद कअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम बवदेनउचजपवद वि जीम ीवच कनतपदह जीम लमंत 2001. 2002ण पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;मगपेजपदह सपबमदेमम उमंदे सपबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ीवच वद 30ण4ण2002द्ध वि चंतजपबनसंत ीवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ीपे ीवचए ीपे सपबमदबम ींसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002.2003 जिमत जीम चंलउमदज वि इवअम जंजमक उवनदज वि सपबमदबम मिम दक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल चंलंइसम चमत जीम तनसमेए वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ींसस इम जतमंजमक अंबंदज दक ींसस इम मजजसमक ूपजी ळंतींूस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम वबपमजपमे वि म्ग.।तउल चमतेवददमस जीतवनही दमहवजपंजपवदे वद जीम इवअम जंजमक तमअमदनमण	(b) । सपेज वि जीम तमजंपसे ीवचे वि बवनदजतल सपुनवत वित ूपबी जीम ब्वससमबजवत चतवचवेमे जव हतंदज सपबमदबम ींसस इम मगीपइपजमक सवदहूपजी ीवच ूपेम सपबमदबम मिमए मंतदमेज उवदमलए मबनतपजल उवनदजए डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल दक डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतदजममक क्नजल ज जीम ब्वससमबजवतश्े वपिबमए ज्मीपस वपिबमे दक जीम वपिबम वि जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतण
इण व्उपजजमकण	(c) ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउए ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत वद चंलउमदज वि ेण 100ध् पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतण
	(d) जीम सेंज कंजम वित जीम तमबमपचज वि चचसपबंजपवद ींसस पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींसण
	(e) व्उपजजमकण
बण व्उपजजमकण	
	9ण म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंदजे रू
कण व्उपजजमकण	

मण ।चचसपबंजपवद वित तमदमूंस वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ ं चचमदकमक जव जीमेम तनसमे वद चंलउमदज वि ेण 100ध्. पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण

9ण म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंदजे रू

।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि तमजंपस ब्वनदजतल स्पुनवत ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

ण ठम बपजप्रमद वि प्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम जंजम ळवअजण तिवउ जपउम जव जपउमण

व्

। चंतजदमतीपच पितउ ींअपदह दवज उवतम जींद जूव चंतजदमते ूीव तम बपजप्रमदे वि प्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम जंजम ळवअजण तिवउ जपउम जव जपउमण छव बींदहम पद चंतजदमतीपच ींसस इम ससवूमक जिमत ससवजउमदज वि ीवचे;द्धण भ्वूमअमत पि सपबमदबम पे रवपदजसल ीमसक इल जूव चंतजदमतेए पद जीम मअमदज वि कमंजी वि मपजीमत वि जीमउए जीम नतअपअवत सवदह ूपजी जीम नबबमेवत वि कमबमेंमक ींसस बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबम वत पद बेंम वि कमंजी वि इवजी चंतजदमते जीमपत नबबमेवते उंल बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबमण छव कपेजपदबजपवद ूपसस इम उंकम इमजूममद जीम समहंस सपंइपसपजपमे वि जीम जूव चंतजदमते ूीव ूपसस इम रवपदजसल दक मअमतंससल तमेचवदेपइसमय

11ण मसमबजपवद वि सपबमदबम रू

द्ध प्द बेंम वि द मगपेजपदह ीवच उवनदज वि सपबमदबम मिमे दक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित

।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि तमजंपस ब्वनदजतल स्पुनवत ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;इद्ध ठम बपजप्रमद वि प्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम जंजम ळवअजण तिवउ जपउम जव जपउमण

11ण मसमबजपवद वि सपबमदेममे रू

ण जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत ींसस चतमचंतम सपेज वि सस चचसपबंजपवदे तमबमपअमक ूपजी नउउमतल तमचवतज जव इम चनज इमवितम जीम कपेजतपबज समअमस बवउउपजजमम वित सपबमदेपदहण

इण जीम पक बवउउपजजमम ींसस बतनजपदप्रम सस जीम चचसपबंजपवदे दक सपेज वनज नपजंइसम बंदकपकंजमे ीवचूपेमण प्द जीपे चतवबमे जीम बवउउपजजमम उंल उंाम वत बंनेम जव इम उंकम नबी पदुनपतपमे पज उंल कममउ दमबमेंतल पद अपमू वि जीम चतपदबपचसमे संपक कवूद पद तनसम 9ण । सपेज वि तमरमबजमक चचसपबंजपवदे सवदह ूपजी जीम तमेंवदे वि तमरमबजपवद तमबवतकमक जीमतमपद ूपसस सेव इम चतमचंतमकण पि जीमतम तम उवतम जींद वदम

जीम लमंत ैंसस इम कमबपकमक इल जीम सपबमदबपदह ंजीवतपजल वद ंकअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम बवदेनउचजपवद वि जीम ैवच कनतपदह जीम लमंत 2001.2002ण् पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;सपबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ैवच वद 30ण्4ण्2002द्ध वि चंतजपबनसंत ैवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ैपे ैवचए ैपे सपबमदबम ैंसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002.2003 ंजिमत जीम चंलउमदज वि इवअम ेजंजमक उवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल चंलंइसम ं चमत जीम तनसमेए वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ैंसस इम जतमंजमक ं अंबंदज ंदक ैंसस इम ेमजजसमक ूपजी ळंतींूस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग.।तउल चमतेवददमसे जीतवनही दपहवजपजपवदे वद जीम इवअम ेजंजमक तमअमदनमण्

प्द बेंम जीम ेमसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक उवनदज ंदक कवमे दवज निसपिससस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम ेनपजंइसम चतमउपेम वित जीम ैवच ूपजीपद ेजपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह ंजीवतपजल ैंसस बंदबमस जीम ंससवजउमदज ं ूमसस ं वितमिपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल उवनदज कमचवेपजमकए पि दलय ंदक जांम ेजमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ैवचण्

;इद्ध व्उपजजमकण्

मसपहपइसम चचसपबंदजे वित दल चंतजपबनसंत ैवच जीम बवउउपजजमम ैंसस ेमसमबज जीम सपबमदेमम वित ेनबी ैवच इल चनइसपब सवजजमतल उवदह ंसस जीम चचसपबंदजेण् जीम चचसपबंदज ैंसस ैंअम जव मदेनतम ैपे वत ैपे ंजीवतपेमक तमचतमेमदजंजपअमश्े चतमेमदबम ंज जीम जपउम वि ेमसमबजपवदध्मजजसमउमदज ेव ं जव हमज जीम पदवितउंजपवद वि ेमसमबजपवदध्मजजसमउमदजण् प्द बेंम जीम ेमसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक उवनदज ंदक कवमे दवज निसपिससस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम ेनपजंइसम चतमउपेम वित जीम ैवच ूपजीपद ेजपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह ंजीवतपजल ैंसस बंदबमस जीम ंससवजउमदज ं ूमसस ं वितमिपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल उवनदज कमचवेपजमकए पि दलय ंदक जांम ेजमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ैवचण्

म्गचसंदंजपवद रू

;पद्ध ।द चचसपबंदज ैंसस इम कममउमक जव इम तमेपकमदज वि ैजंजम वि न्जजंतंदबींसए ं कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमण्ण्

;बद्ध प्द वदम कपेजतपबजए वदसल वदम तमजंपस ैवच वि ब्वनदजतल स्पुनवत वत प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममत बंद इम ेमजजसमक ूपजी ं द पदकपअपकनंस सपबदमेममए इनज जीमतम ैंसस इम दव नचचमत सपउपज वि दनउइमत वि ब्वनदजतल स्पुनवत वत प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ंदक ठममत ैवचे जव इम ेमजजसमक ूपजी ळंतींूसध्ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउए ब्व. वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग.।तउल चमतेवददमसे ंदक ब्व.वचमतंजपअम प्देजपजनजपवदेण्

13ण् च्लउमदज वि सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल उवनदज रू

प्द बेंम द चचसपबंदज पे ेमसमबजमक ं सपबमदेममए ैम ैंसस कमचवेपज जीम मदजपतम उवनदज वि सपबमदबम मिम ंज वदबम जिमत जीम ंससवजउमदज वि जीम ैवचए ंदक जीम ेमबनतपजल उवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ूपजीपद ेमअमद

;बद्ध जीमतम ींसस इम दव नचचमत सपउपज पद तमेचमबज वि दनउइमत वि ीवचे जव इम ंससवजजमकण 13ण च्लउमदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज रू प्द बेंम ंद ंचचसपबंदज पे ंमसमबजमक ं सपबमदेममए ीम ींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक जीम ंमबनतपजल ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ंज वदबम ंजिमत जीम ंससवजउमदजध्मजजसमउमदज वि जीम ीवचए ंदक ं ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ैबीमकनसमक ठंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वीपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ंमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ंमजजसमक ीवच ूपजीपद थ्यजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि ंमजजसमउमदज वि ीवच ं ंजंजमक पद त्नसम.6;इद्ध इवअमण प ीम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंदक ठंदा ळनंतंदजममए कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ीपे ंमसमबजपवदध्मजजसमउमदज ींसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए प ंदल ींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ीवच ींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण जीम कमनिसजमत सपबमदेमम ींसस इम कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलीमतम पद जीम	कंले ंदक ं बीो वत ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ैबीमकनसमक ठंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वीपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ंमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ंमजजसमक ीवच ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ीपे ंमसमबजपवदध्मजजसमउमदज ींसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए प ंदल ींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ीवच ींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण जीम कमनिसजमत सपबमदेमम ींसस इम कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलीमतम पद जीम ैजंजमण । बवदेवसपकंजमक सपेज वि ंनबी कमनिसजमत सपबमदेममेए नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमैमे ींसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वीपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ीव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज वि जीम ंजंजम जव ंसस जीम स्पबमदेपदह ।नजीवतपजपमे वि जीम ैजंजमण

ैजंजमण । बवदेवसपकंजमक सपेज वि ेनबी कमनिसजमत सपबमदेममेए नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमेमे ींसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वींपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूीव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज वि जीम ेजंजम जव ंसस जीम स्पबमदेपदह ।नजीवतपजपमे वि जीम ैजंजमण	

ठल व्तकमत

;ठण्ब्ब् बेंदकवसंद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींसण

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5 ग हेतु आवेदन पत्र)

पंजीकरण संख्या .....आबकारी वर्ष.....
.....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

आवेदित दुकान का विवरण

13. जनपद का नाम .....
14. दुकान का नाम ..... थाना ..... तहसील .....
.....
15. अनुज्ञापन शुल्क रू0 ..... शब्दों में ..... (अंकों में) ...
.....
16. मदिरा की 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिये निर्धारित अधिभार की राशि रू0.....
17. धरोहर राशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में)....
.....
18. प्रतिभूति धनराशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में).....
.....

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. लिंग : पुरूष/महिला :
4. स्थायी पता :

दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित
मोहल्ला ग्राम	फोटोग्राफ :

थाना	
तहसील	
जनपद/राज्य	
दूरभाष	

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण : –

(अ) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक.....

(ब) बैंक का नाम .....

उपरोक्त विवरण मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/कोआपरेटिव सोसायटी/संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री / श्रीमती / कुमारी .....

पुत्र / पत्नी / पुत्री .....निवासी .....

.....

का देशी मदिरा / विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकान.....

..... हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक.....पर दर्ज किया गया।

दिनांक : –

समय : –

कार्यालय सील

आबकारी अधिकारी द्वारा
व्यक्ति के हस्ताक्षर

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003 ई0
बैशाख 08, 1925 शक सम्वत्

-
- न्जजंतंदबींस ौंद
- जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वंपिबमए न्जजंतंदबींस

छवण्रू 580
क्ंजमकरूक्मीतंकनदए ।चतपस 28ए 2003

छव्ज्थ्ब्।ज्प्छ

प्द मगमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत`मबजपवद 41 व िजीम न्च्ण् म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्ण् ।बज छवण् प्ट व ि1910द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने`दबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी ं अपमू जव ंउमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;मअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2003ण्

;1द्धण् ौवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;7द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठम्मतद्ध ;मअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2003ण्

;8द्ध जीमल ौंसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 1ज डंल 2003ण्

;2द्ध ।उमदकउमदज व िल्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज व िस्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस ैसम व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ए ं उमदकमक नचजव कंजमए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव ं जीम `पक त्नसमेए वित त्नसम 2;ीद्ध;रद्धए 6;द्ध;इद्धए 7;द्ध;इद्ध;बद्ध;कद्ध;मद्धए 8;द्धए 10;द्ध;इद्ध;बद्धए 12`मज वनज पद बवसनउद छवण् ब इमसवूए जीम तनसम`मज वनज पद बवसनउद छवण् ब्ौंसस इम`नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद ब	ब्वसनउद ब्ब
2;ीद्ध ष्स्पबमदबम मिमष उमंदे ं`नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद व िजीम हतंदज व िजीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम	2;ीद्ध ष्स्पबमदबम मिमष उमंदे ं`नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद व िजीम हतंदज व िजीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम

वित ेमससपदह व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद तमजंपस ीवच नदकमत ेमबजपवद 24.। व िजीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम व िजीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक ेजंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003ए जीम ंउवनदज व िसपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जव रू

ज्वजंस ंउवनदज व िसपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2002.2003 व िजींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छनै ।उवनदज व िसपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2002ण्

2;रद्ध ष्।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष् वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष् पिगमक वित पजण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक ेजंतजपदह तिवउ 01 डंल 2002 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2003 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल वित ं ीवच ींसस इम मुनंस जव रू.

।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2002.2003 व िजींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छनै च्तज व िददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2002ण्

जीम जवजंस व िइवअम ुनंदजपजल ींसस इम कपअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी व िजीपे चंतज ींसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी कनतपदह जीम चमतपवक 01ण्05ण्2002 जव 31ण्3ण्2003

6ण् स्पबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक व िंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमव िवद चंलउमदज व िरू

ंण् ।ज जीम जपउम व ेमजजसमउमदज व ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद

वित ेमससपदह व िथ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद तमजंपस ीवच नदकमत ेमबजपवद 24.। व िजीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम व िजीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक ेजंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004ए जीम ंउवनदज व िसपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जव रू

ज्वजंस ंउवनदज व िसपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2003.2004 व िजींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छनै ।उवनदज व िसपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2003ण्

2;रद्ध ष्।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष् वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष् पिगमक वित पजण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक ेजंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल वित ं ीवच ींसस इम मुनंस जव रू.

।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2003.2004 व िजींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छनै च्तज व िददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2003ण्

जीम जवजंस व िइवअम ुनंदजपजल ींसस इम कपअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी व िजीपे चंतज ींसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी कनतपदह जीम चमतपवक 01ण्05ण्2003 जव 31ण्3ण्2004

6ण् स्पबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल कमचवेपज रू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक व िंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमव िवद

विससवूपदह तंजमे रू .... ब्जमहवतल ष्।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम चमत फनंदजपजलष् तंदहम पद जमतउे वि ौवच ;पद त्नचममेद्ध प्डथ्स् वि 750 उस इवजजसम ;वद जीम इेंपे वि जीम ंबजनंस बवदेनउचजपवद वि जीम ौवच कनतपदह 2001.02द्ध .... 1ण 2ण 3ण 4ण 5ण 6ण 7ण .... ;इद्ध ।`नउ मुनंस जव वदम डवदजीश्े डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल ` पदजमतमेज तिमम `मबनतपजल कमचवेपज ंज वदबम ंजिमत जीम `मजजसमउमदज वि जीम ौवच ंदक ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं`बीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस `मजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम `मजजसमक ौवचए ींसस इम चंलंइसम ` `मबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद पिजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ौवचण 7ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम रू ;द्ध प्द बेंम वि ंद मगपेजपदह ौवच ंउवनदज वि सपबमदबम मिमे ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम बवउउपदह लमंत ींसस इम कमबपकमक इल	चंलउमदज वि रू ंण ।ज जीम जपउम वि मजजसमउमदज वि ौवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू .... ब्जमहवतल ष्।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम चमत फनंदजपजलष् तंदहम पद जमतउे वि ौवच ;पद त्नचममेद्ध प्डथ्स् वि 750 उस इवजजसम ;वद जीम इेंपे वि जीम ंबजनंस बवदेनउचजपवद वि जीम ौवच कनतपदह 2002.03द्ध .... 1ण 2ण 3ण 4ण 5ण 6ण 7ण .... ;इद्ध ।`नउ मुनंस जव वदम डवदजीश्े डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल ` पदजमतमेज तिमम `मबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद `मअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ौवच ंदक ं बी वत ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं`बीमकनसमक इंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस `मजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम `मजजसमक ौवचए ींसस इम चंलंइसम ` `मबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि `मजजसमउमदज वि ौवचण

सपबमदबपदह ंनजीवतपजल वद ंकअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम ैवच कनतपदह जीम लमंत 2001. 2002ण् पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;सपबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ैवच वद 30ण्4ण्2002द्ध वि ं चंतजपबनसंत ैवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ीपे ैवचए ीपे सपबमदबम ैंसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002. 2003 ंजिमत जीम चंलउमदज वि ंइवअम ेजंजमक ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल चंलंइसम ं चमत जीम तनसमेए वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ैंसस इम जतमंजमक ं अंबंदज ंदक ैंसस इम ेमजजसमक ूपजी ळंतींूस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व. वचमतंजपअम ेवबपमजपमे वि म्ग.।तउल चमतेवददमस जीतवनही दमहवजपंजपवदे वद जीम ंइवअम ेजंजमक तमअमदनमण् ;इद्धण्। सपेज वि जीम तमजंपसे ैवचे वि वितमपहद सपुनवत ंदक इममत वित ूपबी जीम ब्वससमबजवत चतवचवेमे जव हतंदज सपबमदबम ैंसस इम मगीपइपजमक ंसवदहूपजी ैवच ूपेम सपबमदबम मिम ंदक ेमबनतपजल ंउवनदज मजबण् ंज जीम ब्वससमबजवतश्े वंपिबमए ज्मीपस वंपिबमे ंदक जीम वंपिबम वि जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण्
;इद्धव्उपजजमकण्	
;बद्धव्उपजजमकण्	
;कद्ध व्उपजजमकण्	;बद्धण्।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ैंसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउए ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत वद चंलउमदज वि ेण् 100ध्. पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण्
;मद्ध ।चचसपबंजपवद वित तमदमूंस वि सपबमदबम ैंसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ ं चचमदकमक जव जीमेम तनसमे वद चंलउमदज वि ेण् 100ध्. पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत	;कद्धजीम सेंज कंजम वित तमबमपचज वि चचसपबंजपवद ैंसस इम पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींसण्
8ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित ंचचसपबंदजे रू	;मद्धण्व्उपजजमकण्
।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि ं तमजंपस ैवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.	8ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित ंचचसपबंदजे रू
;द्ध ठम ं बपजप्रमद वि प्दकपं ंदक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस ं कमपिदमक	

इल जीम ैजंजम ळवअजण् तिवउ जपउम जव जपउमण्

व्

। चंतजदमतौपच पितउ ींअपदह दवज उवतम जींद जूव चंतजदमते ूीव ंतम बपजप्रमदे वि प्दकपं ंदक चमतउंदमदज तमेपकमदजे वि न्जजंतंदबींस ं कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअजण् तिवउ जपउम जव जपउमण् छव बींदहम पद चंतजदमतौपच ौंसस इम ंससवूमक ंजिमत ंससवजउमदज वि ीवचेण् भ्वूमअमतए पि ं सपबमदबम पे रवपदजसल ीमसक इल जूव चंतजदमतेए पद जीम मअमदज वि कमंजी वि मपजीमत वि जीमउए जीम ंनतअपअवत ंसवदह ूपजी जीम ंनबबमेवत वि कमबमेंमक ौंसस बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबम वत पद बेंम वि कमंजी वि इवजी चंतजदमते जीमपत ंनबबमेवते उंल बवदजपदनम जव ीवसक जीम सपबमदबमण् छव कपेजपदबजपवद ूपसस इम उंकम इमजूममद जीम समहंस सपंइपसपजपमे वि जीम जूव चंतजदमते ूीव ूपसस इम रवपदजसल ंदक ंमअमतंससल तमेचवदेपइसमय

10ण् ैमसमबजपवद वि सपबमदबम रू

;द्ध प्द बेंम वि ंद मगपेजपदह ीवचेए ंउवनदज वि स्पबमदबम थ्मे ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल वित जीम लमंत ौंसस इम कमबपकमक इल सपबमदबपदह ंनजीवतपजल वद ंकअपबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जांपदह बवदेपकमतंजपवद वि जीम बवदेनउचजपवद वि जीम ीवच कनतपदह जीम लमंत 2001.2002ण् पि जीम मगपेजपदह सपबमदेमम ;स्पबमदेमम वि जींज चंतजपबनसंत ीवच वद 30ण्4ण्2002द्ध वि ं चंतजपबनसंत ीवच पे तमंकल जव बवदजपदनम ीपे ीवचए ीपे सपबमदबम ौंसस इम तमदमूमक वित जीम तमउंपदपदह चमतपवक वि जीम लमंत 2002.2003 ंजिमत जीम चंलउमदज वि ंइवअम ंजंजमक ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलए चंलंइसम ं चमत जीम तनसमे वजीमतूपेम जीम सपबमदबम ौंसस इम जतमंजमक ं अंबंदज ंदक ौंसस इम ंमजजसमक ूपजी ळंतींस डंदकंस टपों छपहंउ वत ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग.।तउल चमतेवददमस जीतवनही ।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि ं तमजंपस ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;द्ध ठम ं बपजप्रमद वि प्दकपं ंदक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस ं कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअजण् तिवउ जपउम जव जपउमण्

10ण् ैमसमबजपवद वि सपबमदेममे रू

;द्धण्जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत ौंसस चतमचंतम ं सपेज वि ंसस ंचचसपबंजपवदे तमबमपअमक ूपजी ंनउउमतल तमचवतज जव इम चनज इमवितम जीम कपेजतपबज समअमस बवउउपजजमम वित सपबमदेपदहण्

इण् जीम ं पक बवउउपजजमम ौंसस ं बतनजपदप्रम ंसस जीम ंचचसपबंजपवदे ंदक सपेज वनज ंनपजंइसम बंदकपकंजमे ीवचूपेमण् प्द जीपे चतवबमे जीम

दमहवजपंजपवदे वद जीम इवअम जंजमक तमअमदनमण प्द बेंम जीम मसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक उवनदज दक कवमे दवज निसपिसस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपजमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम नपजंइसम चतमउपेम वित जीम ीवच ूपजीपद जपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह नजीवतपजल ींसस बंदबमस जीम ससवजउमदज ूमसस वितमपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम दक मबनतपजल उवनदज कमचवेपजमकए पि दलय दक जांम जमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ीवचण ;इद्ध व्उपजजमकण	बवउउपजजमम उंल उंाम वत बंनेम जव इम उंकम नबी पदुनपतपमे पज उंल कममउ दमबमेंतल पद अपमू वि जीम चतपदबपचसमे संपक कवूद पद तनसम 9ण । सपेज वि तमरमबजमक चचसपबंजपवदे सवदह ूपजी जीम तमेंवदे वि तमरमबजपवद तमबवतकमक जीमतमपद ूपसस सेव इम चतमचंतमकण पि जीमतम तम उवतम जींद वदम मसपहपइसम चचसपबंदजे वित दल चंतजपबनसंत ीवच जीम बवउउपजजमम ींसस मसमबज जीम सपबमदेमम वित नबी ीवच इल चनइसपब सवजजमतल उवदह सस जीम चचसपबंदजेण जैम चचसपबंदज ींसस ींअम जव मदेनतम ीपे वत ीपे नजीवतपेमक तमचतमेमदजंजपअमश्े चतमेमदबम ज जीम जपउम वि मसमबजपवददेमजजसमउमदज व जव हमज जीम पदवितउंजपवद वि मसमबजपवददेमजजसमउमदजण प्द बेंम जीम मसमबजमक सपबमदेमम कवमे दवज कमचवेपज जीम तमुनपतमक उवनदज दक कवमे दवज निसपिससस जीम चतमेबतपइमक वितउंसपजपमे वत पे नदंइसम जव ततंदहम नपजंइसम चतमउपेम वित जीम ीवच ूपजीपद जपचनसंजमक चमतपवकए जीम सपबमदेपदह नजीवतपजल ींसस बंदबमस जीम ससवजउमदज ूमसस वितमिपज मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम दक मबनतपजल उवनदज कमचवेपजमकए पि दलय दक जांम जमचे वित तमेमजजसमउमदज वि जीम ीवचण म्गचसंदंजपवद रू ;पपद्ध ।द चचसपबंदज ींसस इम कममउमक जव इम तमेपकमदज वि ैजंजम वि न्जजंतंदबींसए कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमण्ण
;बद्ध प्द वदम कपेजतपबज वदम चमतेवद बंद इम ससवजजमक उंगपउनउ वि जीतमम ीवचेए इनज जीमतम ींसस इम दव नचचमत सपउपज पद तमेचमबज वि दनउइमत वि ीवच जव इम ससवजजमक जव ळंतींसध्ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउ वत त्महपेजमतमक ब्व. वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग. ।तउल चमतेवददमसण	;बद्ध प्द वदम कपेजतपबजए वदसल वदम तमजंपस ीवच वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत दक ठममत वत ब्वनदजतल स्पुनवत बंद इम मजजसमक ूपजी द पदकपअपकनंस सपबदमेममए इनज जीमतम ींसस इम दव नचचमत सपउपज वि दनउइमत वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत

12ण् च्लउमदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज रू

प्द बेंम ंद ंचचसपबंदज पे ंमसमबजमक ं सपबमदेममए ीम ींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक जीम ंमबनतपजल ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ंज वदबम ंजिमत जीम ंससवजउमदजध्मजजसमउमदज वि जीम ीवच ंदक ं ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ं ैबीमकनसमक ठंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वचपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ंमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ंमजजसमक ीवच ूपजीपद थ्पजिममद कंले तिवउ जीम कंजम वि ंमजजसमउमदज वि जीम ीवच ं ंजंजमक पद त्नसम.6;इद्ध ंइवअमण् प ीम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंदक ठंदा ळनंतंदजममए कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ीपे ंमसमबजपवदध्मजजसमउमदज ींसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए प ंदलए ींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ीवच ींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण् जीम कमनिसजमत सपबमदेमम ींसस इम कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलूीमतम पद जीम ंजंजमण् । बवदेवसपकंजमक सपेज वि ंनबी कमनिसजमत सपबमदेममे नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमेमे ींसस इम वितूंतकमक वत ब्वनदजतल स्पुनवत ीवचे जव इम ंमजजसमक ूपजी ळंतींसध्ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउए ब्व. वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग. ।तउल चमतेवददमसे ंदक ब्व. वचमतंजपअम प्देजपजनजपवदेण्

12ण् च्लउमदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज रू

प्द बेंम ंद ंचचसपबंदज पे ंमसमबजमक ं सपबमदेममए ीम ींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंज वदबम ंजिमत जीम ंससवजउमदज वि जीम ीवचए ंदक जीम ंमबनतपजल ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ूपजीपद ंमअमद कंले ंदक ं बींवत इंदा हनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ैबीमकनसमक ठंदा पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वचपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ंमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ंमजजसमक ीवच ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि ंमजजसमउमदज वि जीम ीवच ं ंजंजमक पद त्नसम.6;इद्ध ंइवअमण् प ीम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंदक ठंदा ळनंतंदजममए कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ीपे ंमसमबजपवदध्मजजसमउमदज ींसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए प ंदलए ींसस इम वितमिपजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ीवच ींसस इम

इल क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूीव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज व िजीमै जंजम जव ंसस जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजपमे व िजीमै जंजमण्	तमेमजजसमक वितजीूपजीण् जैम कमनिसजमत सपबमदेमम ैींसस इम कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल मगबपेम सपबमदबम पद निजनतम ंदलूीमतम पद जीम ेजंजमण् । बवदेवसपकंजमक सपेज व िनबी कमनिसजमत सपबमदेममे नदकमत जीपे तनसमए ंसवदहूपजी जीमपत बवउचसमजम ंककतमेमे ैींसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूीव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज व िजीमै जंजम जव ंसस जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजपमे व िजीमै जंजमण्

ठल व्तकमत

;ठण्ब् बिंदकवसंद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींसण्

देशी मदिरा की (भू गृहादि पर और उसके बाहर उपभोग के लिये फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5 ग हेतु आवेदन पत्र)

पंजीकरण संख्या .....आबकारी वर्ष.....

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

आवेदित दुकान का विवरण

19. जनपद का नाम .....
20. दुकान का नाम ..... थाना ..... तहसील .....
21. अनुज्ञापन शुल्क रू0 ..... शब्दों में ..... (अंकों में) .....
22. मदिरा की 1.5.2003 से 31.3.2004 तक के लिये निर्धारित अधिभार की राशि रू0.....
23. धरोहर राशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में).....
24. प्रतिभूति धनराशि (रू0).....(शब्दों में).....(अंकों में).....

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. लिंग : पुरूष/महिला :
4. स्थायी पता :

दुकान नम्बर	आवेदक का प्रमाणित फोटोग्राफ :
मोहल्ला ग्राम	
थाना	
तहसील	
जनपद/राज्य	
दूरभाष	

6. जमा धरोहर धनराशि का विवरण : –
   (अ) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक.....
   (ब) बैंक का नाम .....

उपरोक्त विवरण मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की जानकारी से पूर्णतः सही है। यदि उपरोक्त असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर राशि

जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था का अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा तथा साथ ही मेरी/कोआपरेटिव सोसायटी/सहकारी संस्था की लाईसेन्स फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/कोआपरेटिव सोसायटी/संस्था इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान (सातिथि)

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी .....

पुत्र/पत्नी/पुत्री .....निवासी .....

.....

का देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकान.....

..... हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया गया जिसे रजिस्टर के क्रमांक.....पर दर्ज किया गया।

दिनांक : –

कार्यालय सील

आबकारी अधिकारी द्वारा
व्यक्ति के हस्ताक्षर

समय : –

संख्याः644—56 / सात—लाईसेंस—35 / बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—2 / 2003—04

प्रेशक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः निांक अप्रैल 29, 2003

विषयः राज्य से बाहर की आसवनियों को उत्तरांचल में ब्राण्ड अनुज्ञापन बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—2 / 2बी स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत विदेशी मदिरा के बाण्ड अनुज्ञापन बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—2 (विदेशी मदिरा एवं बियर थोक बिक्री के लिए) बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—2बी (केवल बीयर की थोक बिक्री हेतु) अनुज्ञापन स्वीकृति के संबंध में वर्श 2003—04 हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैंः—

1. वर्श 2003—04 में पूरे अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 2,53,000 / — तथा बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—2बी हेतु अनुज्ञापन शुल्क रू0 1,26,500 / — निर्धारित किया गया है। यदि माह अप्रैल, 2003 में कोई बाण्ड 1 / 12 भाग फीस जमा करा के चलवाया गया है ओर अनुज्ञापी वर्श के शेश भाग के लिए नवीनीकरण कराना चाहता है तो उक्त फीस से माह अप्रैल 2003 में जमा कराई गयी धनराशि समायोजित कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त रू0 1,00,000 / — की प्रतिभूति राशि पूर्ववत् जमा करायी जायेगी।

2. बाण्ड से बिकने वाली विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोस्टिकर्स का प्रयोग अनिवार्य है।

3. आसवक / ब्रिवरीज के आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र बी0डब्ल्यू0एफ0एल0—1 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ बाण्ड के परिसर का अनुमोदित विवरण तथा वर्श 2002—03 में बिक्री मदिरा के विवरण भी देने आवश्यक होंगे।

4. मदिरा की आपूर्ति केवल आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित धारिता की कांच की बोतलों में तथा बियर की आपूर्ति निर्धारित धारिता की कांच की बोतलों/टिन कन्टेनरों में करनी होगी।

5. आवेदक को बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–3 बाण्ड भी नियमानुसार निष्पादित करना होगा। जो भी आसवनी/ब्रिवरीज उत्तरांचल में बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 अथवा बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी लाइसेंस देना चाहते हों अथवा गत वर्श के अनुज्ञापन का नवीनीकरण कराना चाहती है उनसे तत्काल आवेदन पत्र प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन शुल्क/प्रतिभूति जमा कराते हुए अनुमोदनार्थ आयुक्तालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

संख्याः644–56/सात–लाईसेंस–35/बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/2003–04/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
2. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन देहरादून/नैनीताल।
3. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त

संख्याः1061 / सात–लाईसेंस / (51) बार–नीति / 2003–04

प्रेशक,
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक : अप्रैल 2, 2003

विषयः होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2003–04 हेतु व्यवस्थित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विशयक शासनादेश संख्याः312 / 18 / आब0 / 2003–2004 / दिनांकः22.4.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, जिसमें वर्श 2003–04 के लिए बार / क्लब बार अनुज्ञापनों के लिए निम्नवत् आदेश दिये गये हैंः–

1. वर्श 2003–04 के लिए बार / क्लब बार लाइसेंस देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाइसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को यथावत रखी गयी है।
2. अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाइसेंस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्याः110–122 / सात–लाईसेंस / बार–नीति / 2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।
3. गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्श 2002–03 में निर्धारित नीति शासनादेश संख्याः824 / आब0 / 26 / 2002 दिनांक 02.10.2002 के अनुसार यथावत रखी जायेगी।
4. बार व क्लब बारों को लाइसेंस फीस में वर्श 2003–04 के लिए कोई वृद्वि नहीं की गयी है। कृपया तदनुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करने का कश्ट करें।

भवदीय

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1062–74 / सात–लाईसेंस / (51) बार–नीति / 2003–04 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

बी0सी0 चन्दोला

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1142—54 / सात लाईसेंस—48 / एफ0एल0—2ए / 2003—04

प्रेशक,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक मई 07, 2003

विषयः सेना की इकाईयों को मदिरा की आपूर्ति हेतु के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अभी तक उत्तरांचल में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त न होने के कारण सेना के रम बंधित गोदाम (एफ0एल0—2ए) अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया जा सका है।

अतः यदि जनपद में यूनिट कैन्टीनों को मदिरा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है तो वे पूर्ववत सी0एस0डी0 डिपो मेरठ/बरेली से प्राप्त कर सकती है परन्तु इसके लिए यूनिट कैन्टीनों के सेना प्रभारी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में नियमानुसार वांछित मदिरा/बियर की मात्रा के लिए आबकारी अभिकर की धनराशि एवं आयात परमिट हेतु (उ0प्र0 आबकारी मैनुअल खण्ड—प्रथम के प्रस्तर 614) हेतु अग्रिम रूप से आयात फीस जमा करानी होगी। आबकारी अभिकर/आयात परमिट फीस की दरें निम्नानुसार हैंः—

1. आबकारी अभिकर की दर

(1) विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन)	52/— प्रति ए0एल0
(2) बियर	11.55 प्रति बी0एल0
(अ) 5 प्रतिशत तीव्रता तक	23.10 प्रति बी0एल0
(ब) 5 से 8 प्रतिशत तीव्रता की	43 प्रति ए0एल0
(3) कंसेशन ड्यूटी रम	शासनादेश संख्याः27/आबकारी/2002 देहरादून दिनांकः जनवरी 14, 2002 के अन्तर्गत इस निर्धारित सीमा तक की मदिरा के अभिकर की वसूली को समाप्त कर दिया गया है।
(4) भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम उत्तरांचल के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमशः 180,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम	

2. आयात परमिट फीस की दर

(1) विदेशी मदिरा/रम			5/– प्रति बोतल
(बियर)			1/– प्रति बोतल

3. इसके अतिरिक्त अनुज्ञापन एफ0एल0–9 एवं एफ0एल0–9ए अनुज्ञापनों पर निश्चित अनुज्ञापन शुल्क एवं ऐसेस्ड फीस की दरें निम्नवत् होंगी।

(1) एफ0एल0–9 (सैन्य कैन्टीन)	निश्चित फीस		रू0 69/– प्रति लाइसेंस प्रतिवर्श या वर्श का कोई भाग
	ऐसेस्ड फी	(एक) भारत में बनी सभी प्रकार की विदेशी शराब, स्प्रिट, वाईन शराब काडियल आदि	30.00 रूपये मान्य क्वार्ट बोतल
		(दो) अल्कोहल को 5 प्रतिशत वी/वी तक शक्ति रखने वाली बियर, स्टाउड और अन्य किण्वित शराब	2.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
		(तीन) अल्कोहल की 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक शक्ति रखने वाली बियर स्टाउट और किण्वित शराब	3.00 रूपये प्रति 650 मिलीलीटर बोतल
(2) एफ0एल0–9ए (सैन्य कैन्टीन)	निश्चत फीस		रू0 60/– प्रति लाईसेंस
	सेसेस्ड फी		रियायती शुल्क रू0 18.00 प्रति मान्य क्वार्ट बोतल रम

4. यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि अनुज्ञापन पर दिनांक 30.4.2003 को बिकी के पश्चात विदेशी मदिरा के अवशेश स्टाक पर बढ़ी हुई अभिकर की दर के अन्तर अर्थात 2 रू0 प्रति ए0एल0 की दर से अन्तर की धनराशि को राजकोश में जमा किये जाने के उपरान्त अवशिश्ट मदिरा की बिकी अनुमन्य होगी।

5. उक्त आदेश दिनांक 1.5.2003 से प्रभावी होगा।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः1155—93 / सात लाईसेंस—48 / एफ0एल0—2ए / 2003—04 / तद्दिनांक
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. कमाण्डर हेड क्वार्टर सब एरिया देहरादून कैंट को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उत्तरांचल स्थित सेना की समस्त इकाईयों को स्थिति से अपने स्तर से अवगत कराने का कश्ट करें।
2. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, मुख्यालय गढ़वाल एवं कुमायूं परिक्षेत्र।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन देहरादून / नैनीताल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, उत्तरांचल।
6. गार्ड फाइल।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः1277–89/सात–लाईसेंस–12/थोक बिक्री/वि0म0/2003–2004

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक मई 08, 2003

विषय :– वर्ष 2003–2004 के लिए ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0–2) की व्यवस्था।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैः–

क्रमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	क्रमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	18,97,500/–	8	उ0सिंह नगर	18,97,500/–
2	पौड़ी गढ़वाल	18,97,500/–	9	अल्मोड़ा	15,49,625/–
3	टिहरी गढ़वाल	15,49,625/–	10	पिथौरागढ़	9,17,125/–
4	उत्तरकाशी	9,17,125/–	11	बागेश्वर	9,17,125/–
5	चमोली	9,17,125/–	12	चम्पावत	9,17,125/–
6	रूद्रप्रयाग	5,69,250/–	13	हरिद्वार	18,97,500/–
7	नैनीताल	8,97,500/–			

उपरोक्तानुसार देय धनराशि में से माह अप्रैल, 2003 में जमा कराई गयी अनुज्ञापन शुल्क की धनराशि को समायोजित करते हुए शेश धनराशि का 2/11 भाग अग्रिम जमा करना होगा व शेश लाइसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगीः–

1/11 भाग 07 मई 2003 तक	1/11 भाग 07 अगस्त 2003 तक	1/11 भाग 07 नवम्बर 2003 तक	1/11 भाग 07 फरवरी 2004 तक
1/11 भाग 07 जून 2003 तक	1/11 भाग 07 सितम्बर, 2003 तक	1/11 भाग 07 दिसम्बर 2003 तक	1/11 भाग 07 मार्च 2003 तक
1/11 भाग 07 जुलाई 2003 तक	1/11 भाग 07 अक्टूबर 2003 तक	1/11 भाग 07 जनवरी 2004 तक	

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ0एल0–2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊॅ मण्डल विकास निगम को स्वीकृत किये जा सकेंगे। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम के अतिरिक्त सैनिक कल्याण निगम गठित होने पर ऐसे निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत को–आपरेटिव सोसायटी को एफ0एल0–2 अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे। यदि भूतपूर्व सैनिकों की कोई पंजीकृत सोसायटी इस अनुज्ञापन के लिए आवेदन पत्र देती है तो जिला आबकारी अधिकारी प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सोसायटी के कियाकलापों, पूर्ववृत्त, आर्थिक स्थिति, सामान्य ख्याति व को–आपरेटिव सोसाइटीज के लिए निर्धारित मानकों आदि की समीक्षात्मक जांचोपरान्त जिलाधिकारी के माध्यम से स्पश्ट संस्तुति आबकारी आयुक्त को प्रेशित करेंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाले लाभांश को संतुलित किया जायेगा।

2. एफ0एल0–2 अनुज्ञापन (डयूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिक्री अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे ।

3. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते हैं । प्रत्येक जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन खोला जाना अनिवार्य है।

4. आवेदक के पास एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण–पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।

6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।

7. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री करेगा।

   किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमति से विदेशी मदिरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परमिटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मदिरा/बियर क्रय करने की छूट होगी।

8. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

9. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के (एफ0एल0–5डी, एफ0एल0–6, 6ए, 7, 7सी) फुटकर अनुज्ञापियों/परमिटधारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों/मात्रा विषयक तिथिवार प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा ।

11. किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0–2 से विशेष परिस्थितियें में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर लेने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0–2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी आई0एम0एफ0एल0 पर 52/– रूपये प्रति ए0एल0 व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त एफ0एल0–1 या बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/ बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप–टू–डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :–

1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––
दुकान की चौहद्दी
पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक	राशि जमा होने का विवरण	विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से	विदेशी मदिरा की मात्रा	जिला आबकारी

		गारन्टीड डयूटी /ड्यूटी की राशि			मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक			अधिकारी के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		अभिकर वार संख्या	योग बोतलो में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगाः—

क्र	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	जिल अ
			अभिकर वार संख्या	योग बोतलों में		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					

9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

(5)

15. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्शिक गारंटी डयुटी की राषि जमा कर देने पर एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना–पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राषि के विपरीत विदेषी मदिरा की निकासी के आदेष ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेषी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	अभिकर प्रतिबोतल (1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)
16 रू0 तक	45/– रूपये
16.01 रू0 से 20 रू0 तक	50/– रूपये
20.01 रू0 से 35 रू0 तक	60/– रूपये
35.01 रू0 से 75 रू0 तक	75/– रूपये
75.01 रू0 से 150 रू0 तक	90/– रूपये
150 रू0 से अधिक	109/– रूपये

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी डयूटी नहीं देनी होगी।
बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगी:–

माना 45/– रू0 अभिकर की बोतलों की संख्या = क
50/– " " " " " = ख
60/– " " " " " = ग
75/– " " " " " = घ
90/– " " " " " = च

वार्शिक गारंटी डयूटी की मासिक राषि = (45 ग क) + (50 ग ख) +
(60 ग ग) + (75 ग घ) +
(90 ग च) + (109 ग छ)

16. बार व क्लबवार अनुज्ञापियों द्वारा बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर रू0 30/– अधिभार देय होगा। जिला आबकारी अधिकारी यह धन

अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को निकासी के आदेश जारी करेंगे जिसके उपरान्त ही एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी बार व क्लबवार अनुज्ञापियों को विदेशी मदिरा की निकासी देंगे। बार अनुज्ञापी एक वर्श की अवधि के दौरान रू0 30/– प्रति बोतल अधिभार की दर पर 20,000 (बीस हजार) बोतल तक की बिक्री कर सकेंगे। इससे अधिक बोतलों की बिक्री होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि के लिए रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त अधिभार भी देय होगा।

17. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेष के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियों को दी जायेगी। एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेषी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेष में जमा राषि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेष की आवष्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

18. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेष निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद .....

क0सं0 दिनांक

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी का नाम .....

एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी ..... द्वारा माह .....वर्श ..... हेतु/अथवा माह ..... वर्श ..... में निर्धारित वार्शिक गारन्टीड डयूटी की मासिक राषि से अधिक राषि निम्न प्रकार जमा की गई है :–

1. प्रारम्भिक अवषेश .....
2. जमा राषि .....

(ट्रेजरी चालान सं0.....
व दिनांक .....)

3. योग .....

इन्हे निम्नानुसार विदेषी मदिरा की निकासी दे दी जाये :–

4. प्रतिबोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशि	बोतलों की संख्या	कुल अभिकर
45/– रू0 प्रति बोतल		
50/– रू0 प्रति बोतल		
60/– रू0 प्रति बोतल		
75/– रू0 प्रति बोतल		
90/– रू0 प्रति बोतल		
100/– रू0 प्रति बोतल		
योग ––		

5. न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की षेश राषि .....
(कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी
जनपद.....

यह आदेष जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृश्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेष की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेष की मूल प्रति एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेष पर, ''निरस्त'' की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सतिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0–5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :–

1) दुकान का नाम ––

(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
- पूर्व –
- पष्चिम –
- उत्तर –
- दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्शिक गारन्टीड डयूटी की राषि	राषि जमा होने का विवरण		विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेष की संख्या व दि0	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		अभिकर वार संख्या	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में वार्शिक गारंटीड डयूटी की राषि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	आबक अधिक हस्ताक्ष
			अभिकर वार	योग		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

19. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड डयूटी से अधिक विदेषी मदिरा की निकासी पर आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार प्रति बोतल अतिरिक्त अभिकर देना होगा, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेष मिल जाने के उपरान्त ही, विदेषी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ0एल0–2 से प्राप्त हो सकेगी।

20. एफ0एल0–2 पर विदेषी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1290–1307/सात–लाईसेंस/थोक बिक्री/वि0म0/2003–2004/तददिनांक,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल षासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
4. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

एफ0एल0 2

(पैरा 639)

लाईसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ड्यूटी पेड विदेशी मदिरा/बियर (विकृत स्प्रिट से भिन्न) की थोक बिक्री के लिए लाईसेंस वर्श 2006–2007

रजिस्टर संख्या .....

लाईसेंस धारक का नाम :– ..... के स्थान ..... पर जिला .... में विकृत स्प्रिट से भिन्न उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त विदेषी मदिरा एवं बियर की थोक बिकी के लिए दिनांक ..... से दिनांक 31–3–2004 तक के लिए लाईसेंस, जिसके लिए लाईसेंस फीस रूपये ....., जिसका 2/11 भाग अग्रिम जमा कर दिया गया है व जिसका ट्रेजरी चालान संख्या ..... दिनांक ..... है व जिसकी षेश लाईसेंस फीस की मासिक किस्तें निम्न प्रकार जमा की जायेगी :–

1/11 भाग 07 मई 2003 तक	1/11 भाग 07 अगस्त 2003 तक	1/11 भाग 07 नवम्बर 2003 तक	1/11 भाग 07 फरवरी 2004 तक
1/11 भाग 07 जून 2003 तक	1/11 भाग 07 सितम्बर, 2003 तक	1/11 भाग 07 दिसम्बर 2003 तक	1/11 भाग 07 मार्च 2003 तक
1/11 भाग 07 जुलाई 2003 तक	1/11 भाग 07 अक्टूबर 2003 तक	1/11 भाग 07 जनवरी 2004 तक	

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिषत वार्शिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राषि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राषि कमषः फरवरी व मार्च में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी। प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/– (पचास हजार) का, जिसका विवरण लाईसेंस के अन्तिम पृश्ठ में दिया गया है, भुगतान कर दिया गया है, निम्नलिखित षर्तो, के जिनमें से किसी व्यतिक्रमण या संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1910 या स्वापक औशधीय और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के लिए दोश सिद्ध होने पर उपरोक्त अनुज्ञापन तथा प्रतिभूति समपहरणीय होंगे और अनुज्ञापी नियमों के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रतिभागी होगा।

शर्तें

20- बिक्री केवल लाईसेंस प्राप्त परिसर में की जायेगी, उसी परिसर में देषी षराब नहीं रखी जायेगी व उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा। यदि आबकारी आयुक्त ने किसी विदेषी षराब की बिक्री को उसके अस्वस्थकर होने के कारण प्रतिबंधित किया हो, तो इस लाईसेंस के अधीन उक्त षराब नहीं रखी जायेगी तथा उसकी बिक्री नहीं की जायेगी।

21- लाईसेंसधारी अपनी दूकान से सम्बन्धित विदेषी मदिरा/बियर का अपना समस्त स्टॉक ऐसे परिसर में रखेगा, जिसके लिए वह लाईसेंसधारण करता हो।

22- भारत में बनी व्हिस्की, रम, जिन या ब्राण्डी एक बार में अड़तालीस बोतल (750 एम.एल.) (या अद्धे, पौवो में इसके समकक्ष मात्रा) और बियर की दषा में एक बार में 96/192 बोतल 650/325 मिली लीटर या 500 एम0एल0 के 120 कैन से कम की बिक्री नहीं की जायेगी।

23- 750 मिली लीटर, 375 मिली लीटर, 180 मिली लीटर तथा 90 मिली लीटर की धारिता वाली केवल कांच की बोतलों में भारत में बनी व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन या रम की बोतलों के अतिरिक्त अन्य धारिता की बोतलों में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। बियर की बिक्री 650 एम0एल0, 330 एम0एल0, 325 एम0एल0 की कांच की बोतलों व 500 एम0एल0 के धातु के केन में की जा सकेगी।

24- बोतलों में भरे हुये तरल द्रव्य की मात्रा का उल्लेख लेबिल पर मोटे अक्षरो में स्पश्ट रूप में अंकित किया जायेगा, चाहे बोतल भराई भारत वर्श में हुई हो या विदेष में की गयी हो।

25- एफ0एल0–2 से विक्रय की जाने वाली ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की तीव्रता 42.8 प्रतिषत वी0/वी0 से कम नहीं होगी, जब तक कि आबकारी आयुक्त के विषेश आदेषो के अधीन मदिरा के अल्कोहल प्रतिषत में कमी करने की अनुमति न ले ली गयी हो। 37 प्रतिषत वी/वी तीव्रता वाली जिन की बिक्री भी एफ0एल0–2 से की जा सकेगी।

26- बिक्री प्रातः 10 बजे से पूर्व तथा सायं 6 बजे के बाद नहीं की जायेगी।

27- अनुज्ञापन के अधीन बोतलों की भराई निषिद्ध है, जबतक कि इस अनुज्ञापन के अतिरिक्त बोतल भराई का दूसरा अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा न प्रदान कर दिया गया हो।

28- षराब में कोई औशधि, द्रव्य, घातक पदार्थ नहीं मिलाया जायेगा।

29- इस लाईसेंस के अधीन किया जाने वाला व्यापार पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा या उसका अन्तरण नहीं किया जायेगा।

30- दुकान के प्रवेष द्वार पर एक साईन बोर्ड लगाया जायेगा, जिस पर अनुज्ञापन का नाम और विदेषी मदिरा के लाईसेंस प्राप्त थोक अनुज्ञापी का नाम एवं वर्श अंकित किया जायेगा।

31- लाईसेंसधारी निर्धारित प्रारूप के रजिस्टर में, जो भुगतान करने पर कलेक्टर के कार्यालय से प्राप्त होगा, नियमित तथा सही लेखा रखेगा और उसको सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के निरीक्षण हेतु मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

32- थोक परिसर से विदेषी षराब एवं बियर का परिवहन जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत पासबुक से आच्छादित होगा। पासबुक पर केवल अनुज्ञापी अथवा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमादित विक्रेता ही हस्ताक्षर करेगा, जिसके हस्ताक्षर के नमूने जिला आबकारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगे।

33- लाईसेंस धारी अपने लाईसेंस प्राप्त परिसर में किसी व्यक्ति को बिक्री करने की अनुमति तब तक नहीं देगा जबतक किसी ऐसे व्यक्ति का नाम पहले ही कलेक्टर से अनुमोदित न हो और लाईसेंस में उसके द्वारा पृश्ठाकिंत न किया गया हो।

34- लाईसेंसधारी इस लाईसेंस को ऐसे अधिकारियेां द्वारा मांग किये जाने पर, जो ऐसा करने के लिए नियमों के अधीन प्राधिकृत हो, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेंगा।

35- लाईसेंसधारी विदेषी षराब एवं बियर की आपूर्ति प्रदेष में स्थित विदेषी षराब के बन्धित गोदामों अथवा आसवनियों से आई0एम0एफ0एल0 पर 52/– रूपये प्रति एल्कोहल लीटर व 5 प्रतिषत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिषत वी/वी से अधिक व 8 प्रतिषत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमषः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति लीटर उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त प्राप्त करेंगा। मदिरा एवं बियर की प्रत्येक बोतल के लेबिल पर ''फार सेल इन उत्तरांचल'' छपा होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

36- बार अनुज्ञापियों तथा क्लब परमिट धारको को भारत में बनी ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन तथा रम की 750 एम0एल0 की मानक बोतलों के सिवाय अन्य धारिता वाली बोतलों की बिक्री नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2 से 20,000 बोतल तक स्प्रिट्स (ब्राण्डी, व्हिस्की, जिन, रम आदि) की निकासी पर प्रति मानक बोतल पर 30/– रूपये व उसके उपरान्त प्रत्येक 10 प्रतिशत बढ़ी निकासी पर 5/– रूपये प्रति बोतल बढ़ी दर से अधिभार जमा कराने व जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेश के उपरान्त ही बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को मदिरा/बियर की निकासी एफ0एल0–2 से दी जायेगी।

37- एफ0एल0–2 लाईसेंसधारी, फुटकर विकेताओं को उनकी मांग के अनुसार विदेषी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे। किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेष के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी से विषेश

परिस्थितियों में संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय, उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

38- प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला कोई लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेषी मदिरा एवं बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त मुख्यालय उत्तरांचल की अनुमति से बार अनुज्ञापियों एवं क्लब परमिटधारको को उत्तरांचल के किसी भी एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से विदेषी मदिरा एवं बियर क्रय करने की छूट होगी।

20. ड्राफ्ट बियर केवल एफ0एल0–6 समिश्र एफ0एल0–6क तथा एफ0एल0–7, अनुज्ञापियों को ही बेची जायेगी।

21. लाईसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर से बेची जाने वाली समस्त विदेषी मदिरा एवं बियर का नाम तथा उसके मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगे और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्श में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अनुज्ञापी गत वर्श आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित पांच प्रति से अधिक लाभांष नहीं लेगा ।

22. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्षित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

23. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेष के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियें एवं क्लब परमिटधारको को दी जायेगी। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेष में जमा राषि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के

आदेष की आवष्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त निकासी आदेषों का मासिक विवरण एफ0एल0–2 पर निम्न प्रारूप में रखा जायेगा :––

क0 सं0	माह का नाम	फुटकर अनुज्ञापी का नाम	जिला आबकारी अधिकारी का आदेष सं0 व दिनांक	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
				अभिकर वार	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7

इस रजिस्टर का मासिक सारांष अगले माह की 3 तारीख तक एफ0एल0–2 अनुज्ञापी द्वारा आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल/वित्त अधिकारी, मुख्यालय व जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञापी द्वारा निम्न विवरण भी आबकारी निरीक्षक से सत्यापित कराकर आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल व जिला आबकारी अधिकारी को उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत करना होगा :––

	विदेशी मदिरा (बोतलो में)	बियर (बोतलों में)
6. माह का प्रारम्भिक स्टॉक		
7. माह में प्राप्ति		
8. योग		
9. माह में बिक्री		
10. अवषेश स्टॉक		

24. एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी तथा क्लब परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगेः–

(1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
पूर्व –
पष्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्शिक गारन्टीड डयूटी/ ड्यूटी की राषि	राषि जमा होने का विवरण		जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेष की संख्या व दिनांक	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		अभिकर वार संख्या	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

निकासी के लिए जारी जिला आबकारी अधिकारी के आदेष एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेगे। निकासी के उपरान्त इस आदेष पर ''निरस्त'' की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे व पदनाम की मोहर लगायेंगे।

प्रत्येक माह में गारंटीड डयूटी की राषि से अधिक (आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार निर्धारित ड्यूटी की बढ़ी दर पर अभिकर की अतिरिक्त राषि जमा कराने पर) निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी	बोतलों की संख्या	जिला आबकारी अधिकारी के	आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर

			अभिकर वार	योग		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

पास बुक के पृश्ठों पर नम्बर डाले जायेंगे, जिनका सत्यापन आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। एफ0एल0–2 से निकासी तभी दी जायेगी जब अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी का निकासी आदेष एवं उपरोक्तानुसार अपनी निकासी की पासबुक एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आबकारी निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह निकासी की पासबुक में प्रविश्टियां करने व उस पर अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ही मदिरा की निकासी दें। निकासी के लिए ट्रान्सपोर्ट पास पूर्व की भांति जारी किये जायेंगे व एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य अभिलेख आदि भी पूर्व की भांति अनुरक्षित किये जायेंगे।

25.अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के (एफ0एल0–5डी, एफ0एल0–6, 6ए, 7, 7सी) फुटकर अनुज्ञापियों/परमिटधारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों/मात्रा विशयक तिथिवार प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित फुटकर अनुज्ञापी को निकासी देगा।

26 एफ0एल0–2 पर विदेषी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

लाईसेंसधारी द्वारा भुगतान की गयी प्रतिभूति का विवरण

लाईसेंस प्रतिभूति के रूप में रूपये 50,000/– (पचास हजार) मात्र जिसकी प्रविश्टियां निम्न प्रकार हैं, इस कार्यालय में जमा कर दी है:–

कमांक	प्रतिभूति का प्रकार	प्रविश्टियां	मूल्य
1			50,000/–
2			
3			
4			

जिलाधिकारी
जनपद .....

दुकान का परिसर एवं विक्रेताओं का ब्यौरा जो सम्बन्धित जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क–1– परिसर की प्रविश्टियां भवन सं. व स्थिति : .....

2– चौहद्दी उत्तर :.....
दक्षिण :.....
पूरब :.....
पष्चिम :.....

ख–विक्रेता .....

———————————————————————————————

कमांक	नाम	पिता का नाम	पता

———————————————————————————————

1.

2.

———————————————————————————————

दिनांक :.....

जिलाधिकारी
जनपद .....

संख्याः623 / आब / 51 / 2003

प्रेशक,

विपिन चन्द्र चन्दोला
सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः02 अगस्त, 2003

विषयः उत्तरांचल राज्य में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों को वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए आयोजित समारोह में उपभोग की जाने वाली विदेशी मदिरा के अभिकर में छूट का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विशय की ओर आपका ध्यान आकृश्ट करते हुए शासन के पत्र संख्याः599 / आब0 / 51 / 2003 एफ0एल0–9 / 9ए दिनांक 22.10.2002 के कम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार उत्तरांचल राज्य में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों द्वारा मनाये जाने वाले विशिश्ट सैन्य समारोहों के अवसरों पर उपभोग की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बियर पर देय आबकारी अभिकर में दी जाने वाली छूट की सीमा वर्श 2003–04 में निम्नवत् प्रदान की जायेगीः–

1. 50 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह	मांग का 60 प्रतिशत की छूट जैसे स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर
2. 25 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह	मांग का 30 प्रतिशत की छूट जैसे रजत जयन्ती के अवसर पर
3. 05 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह	मांग का 20 प्रतिशत की छूट जैसे पंचवर्शीय री–यूनियन के अवसर पर
4. 02 वर्श में एक बार मनाये जाने वाले समारोह	मांग का 15 प्रतिशत की छूट जैसे द्वितीवर्शीय री–यूनियन के अवसर पर
4. वार्शिक सैन्य समारोह	कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

वर्श 2003–04 के लिए आबकारी अभिकर में छूट की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये निर्धारित की गयी है।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कश्ट करें।

भवदीय,

(बी0सी0 चंदोला)
सचिव

संख्याः623 (1)/आब/51/2003
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिश्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)
देहरादून, बृहस्पतिवार, 01 जनवरी, 2004 ई0
पौश 11, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्याः479/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून 01 जनवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराचंल विधानसभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 28.12.2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 20, सन् 2003)

(भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का उत्तरांचल में प्रवर्तन हेतु अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(3) यह 24 जून, 2003 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्याः16, सन् 2002 की धारा 60(2) के अंश का विलोपन।

2. मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) के निम्न अंशो का विलोपन–

''या किसी चरस का आयात, निर्यात या परिवहन करता है, या उसको अपने कब्जे में रखता है।''

आज्ञा से

(बी0 लाल)

सचिव।

संख्याः780 / ग्ग्प्प्/ 04 / 03 / 2004टी0सी0

प्रेशक,

बी0सी0 चन्दोला
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः मई 31, 2004

विषयःवित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण

महोदय,

उपर्युक्त विशय की ओर आपका ध्यान आकर्शित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तरांचल शासन आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्याः312 / 18 / आब / 2003–04 दिनांक 22 अप्रैल, 2003 के द्वारा दिनांक 1.5.2003 से जो आबकारी नीति घोशित की गयी थी, वह दिनांक 31. 3.2004 तक के लिए प्रभावी थी तथा दिनांक 1.4.2004 से उत्तरांचल राज्य में नई आबकारी नीति लागू की जानी थी परन्तु सामान्य लोक सभा चुनावों की घोशणा के कारण प्रदेश में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.4.2004 से 31.5.2004 तक की अवधि के लिए भी वित्तीय वर्श 2003–04 की आबकारी नीति को ही प्रभावी रखा गया। वर्श 2004–05 के लिए घोशित आबकारी नीति चूंकि 11.6.2004 से प्रभावी होगी इसलिए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 1.6.2004 से 10.6.2004 तक की अवधि में भी गत वर्श 2003–04 की ही नीति प्रभावी रहेगी।

1. लाईसेन्स फीस का निर्धारण–वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु लाईसेन्स फीस का निर्धारण विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 में देशी मदिरा की बल्क लीटर बिकी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों की संख्या में बिकी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु निर्धारित स्लैबवार लाईसेन्स फीस में 15 प्रतिशत वृद्धि करते

हुए निर्धारित की जायेगी। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून 2004 तक के लिए प्राप्त लाईसेन्स फीस घटाकर वित्तीय वर्ष की शेष अवधि अर्थात दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

2. अधिभार का निर्धारण– देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2003–04 में वास्तविक निकासी पर देय अभिधार में 15 प्रतिशत वृद्धि जोड़कर वित्तीय वर्ष 2004–04 हेतु अधिभार निर्धारित किया जायेगा। इसमें से दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से 10 जून, 2004 तक प्राप्त अधिभार घटाकर वित्तीय वर्ष 2004–05 की शेष अवधि के लिए अधिभार माना जायेगा।

3. राजस्व निर्धारण–उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस एवं बिन्दु 2 के अनुसार निर्धारित अधिभार के योग में यदि अन्य कोई कर देय हो जोड़कर दिनांक 11.6.2004 से 31.3.2005 तक दुकान का 'राजस्व' माना जायेगा।

4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन–उक्त प्रकार बिन्दु–3 की व्यवस्थानुसार दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करके गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों में जहां एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदक हैं उस दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा।

उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को जनपद में देशी तथा विदेशी मदिरा की एक

दुकान से अधिक आबंटित नहीं की जायेगी। अर्थात् देशी मदिरा की अथवा विदेशी मदिरा की केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेगी।

उपरोक्त प्रकिया में यदि कोई देशी व विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाय तो उनके व्यवस्थापन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

5. पात्रता–दुकानों के आबंटन की पात्रता हेतु गत वित्तीय वर्ष की भांति उत्तरांचल के स्थाई निवासी के साथ ही वित्तीय वर्ष 2003–04 की पात्रता एवं आबंटन की अन्य शर्ते एवं प्रकिया भी लागू रहेगी।

6. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में अधिभार की गणना–निकासी हेतु अधिभार का निर्धारण दिनांक 19–7–2002 से प्रभावी है। विदेशी मदिरा की निकासी हेतु अधिभार की दरों में वृद्धि आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जायेगी।

7. मदिरा का विकय मूल्य–मदिरा के विकय मूल्य के परिपेक्ष्य में अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाया जायेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने पर अनुज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।

8. विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2)– विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत् दिये जायेंगे। पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जाने पर विचार किया जायेगा। एफ0एल0–2 के स्तर के लिये जाने वाले लाभांश को इस प्रकार तार्किक (त्ंजपवदंसपेम) किया जायेगा कि इसके कारण उत्तरांचल राज्य में मदिरा अन्य पड़ोसी राज्यों के सापेक्ष मंहगी न हो तथा अवैध तस्करी की सम्भावना न रहे। इसको एक्स आसवनी मूल्यों के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त निर्धारित किया जायेगा।

9. बार एवं क्लब बार लाईसेन्स–बार/क्लब बार लाईसेन्स देने के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाईसेन्स दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत् रहेगी। अन्य होटलों व रेखाओं को बार लाईसेन्स दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 110–122/सात लाईसेन्स/बार–नीति/ 2001–02 दिनांक 6–4–2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा।

परन्तु यह प्रतिबन्ध होगा कि प्रश्नगत आवेदक होटल/रेस्त्रा का विगत वर्ष में पके भोजन का विकय धन रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्ष 2002–03 में निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

चार व पांच सितारा होटल एवं क्लब बारों की लाइसेंस फीस पूर्ववत रहेगी। अन्य बार की लाईसेन्स फीस 2.00 लाख रूपये प्रति वर्ष रखी जायेगी परन्तु बार में बीस हजार बोतल तक वार्षिक बिकी होने वाली मदिरा पर परमिट फीस रू. 30.00 प्रति बोतल के स्थान पर रू0 40.00 प्रति बोतल रहेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिकी पर पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि पर रू. 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस लागू रहेगी।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकते हैं।

10. बियर बार लाईसेन्स–पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं को, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 50,000.00 (रूपये पचास हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के

आधार पर बियर बार लाइसेन्स स्वीकृत किये जायेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की ही बिक्री करने के पात्र होंगे।

जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे।

11. आसवनियों बटालिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति की भांति ही इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव पास होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वायनरी की स्थापना हेतु पूर्व वर्ष की भांति लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

12- देशी मदिरा के वर्तमान आबंटन क्षेत्र को विगत वर्ष की ही भांति रखा जायेगा।

13- भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–03 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

14- बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेन्स फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी। तीन चार व पांच सितारा होटल एवं बार/क्लब बारों की फीस उपरोक्त प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार रहेगी।

15- राज्य के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मदिरा पर देय अभिकर को 52.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर के स्थान पर 55.00 रूपये प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जायेगा।

16- देशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाली नई बोतलों की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

17- अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्ष 2003–04 की ही भांति रहेगी।

18- वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आबकारी विभाग का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 300.00 करोड़ रूपये (तीन सौ करोड़ रूपये मात्र) होगा।

19- उपरोक्त के कियान्वयन हेतु शासन तथा आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार पृथक से संशोधित नियमावली बनाई जायेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः /ग्ग्ब्/04/03/2004 टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
7. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
सामान्य परिनियम नियम
देहरादून, वृहस्पतिवार, 10 जून, 2004 ई0
ज्येष्ठ 06, 1924 शक सम्वत्

न्जजंतंदबींस ौंद
वंपिबम वि जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत

छवण 121ध70स्पबमदबमै.ध2004.2005
कंजमक क्मीतंकनदए श्रनदम 10ए 2004

छव्ज्थ्ब्।ज्प्छ
सा0प0नि0–05

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते नदकमत मबजपवद 41 वि जीम न्च्ण म्गबपेम ।बज 1910 ;न्च्ण ।बज छवण प्ट वि 1910द्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने दबजपवद वि जीम जंजम ळवअमतदउमदज उंामे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी अपमू जव उमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;म्पहीजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2004ण

;1द्धण ौवतज ज्पजसम दक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;म्पहीजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2004ण

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 11ज श्रनदम 2004ण

;2द्ध ।उमदकउमदज वि त्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे थ्वत त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001ए दमदकमक नचजव कंजमए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव जीम पक त्नसमेए वित त्नसम 2;ीद्ध;रद्धए 6;द्ध – 8 मज वनज पद बवसनउद छवण ब इमसवूए जीम तनसम मज वनज पद बवसनउद छवण ब्ब ींसस इम नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद ब	ब्वसनउद ब्ब
2;ीद्ध ष्स्पबमदबम मिमष उमंदे नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज वि जीम सपबमदबम	2;ीद्ध ष्स्पबमदबम मिमष उमंदे नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद वि जीम हतंदज

वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद ं तमजंपस ीवच नदकमत `मबजपवद 24.। वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण् च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004ए जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जव रू ज्वजंस ंउवनदज वि सपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2003.2004 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै ।उवनदज वि सपबमदबम मिम तमबवअमतमक कनतपदह ।चतपस 2003ण्	वि जीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित `मससपदह वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममत पद ं तमजंपस ीवच नदकमत `मबजपवद 24.। वि जीम ।बज ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्
2;रद्ध ष।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष पिगमक वित पजण् च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक `जंतजपदह तिवउ 01 डंल 2003 ंदक मदकपदह वद 31ण्3ण्2004 जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं ीवच ींसस इम मुनंस जव रू. ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल थ्पगमक वित जीम लमंत 2003.2004 वि जींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छन्ै च्तज वि ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल सपजिमक कनतपदह ।चतपस 2003ण् जीम जवजंस वि इवअम ुनंदजपजल ींसस इम कपअपकमक पदजव 11 मुनंस चंतजे ंदक मंबी वि जीपे चंतज ींसस इम बंससमक डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित मंबी उवदजी कनतपदह जीम चमतपवक 01ण्05ण्2003 जव 31ण्3ण्2004 6ण् स्पबमदबम मिम ंदक `मबनतपजल कमचवेपज रू जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि रू ं।ज जीम जपउम वि `मजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद विससवूपदह तंजमे रू ..... ब्जमहवतल ष।ददनंस डपदपउनउ हनतंदजममक स्पबमदबम मिम चमत फनंदजपजलष तंदहम पद जमतउे वि ीवच ;पद त्नचममेद्ध प्डथ्स् वि 750 उस इवजजसम ;वद जीम इेंपे वि जीम ंबजनंस बवदेनउचजपवद वि जीम ीवच कनतपदह 2002.03द्ध ..... 1ण्	2;रद्ध ष।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष वित ं ीवच ींसस इम 12 जपउमे जीम ष्डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलष पिगमक वित पजए इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतण् च्तवअपकमक जींज वित `मजजसमउमदज वि ं ीवच वित ं चमतपवक समे जींद ंद म्गबपेम लमंत जीम ष।ददनंस डपदपउनउ ळनतंदजममक फनंदजपजलष वि ीवच ींसस इम कमबपकमक ं चमत जीम कपतमबजपवदे पेनमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए पद जीपे इमींसण् 6ण् स्पबमदबम मिम ंदक `मबनतपजल कमचवेपज रू जीम सपबमदबम पद वितउ थ्प्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वि रू ं ।ज जीम जपउम वि `मजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद जीम तंजमेए पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजए तिवउ जपउम जव जपउमए वित जीम ूीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

2ण 3ण 4ण 5ण 6ण 7ण ..... 8ण म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित ंचचसपबंदजे रू ।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि ं तमजंपस ौवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू. ं ण ठम ं बपजप्रमद वि प्दकपं ंदक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस ं कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअजण तिवउ जपउम जव जपउम ण	8ण म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित ंचचसपबंदजे रू ।चचसपबंदजे वित सपबमदबम वि ं तमजंपस ौवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू. ;द्ध ठम ं बपजप्रमद वि प्दकपं ंदक चमतउंदमदज तमेपकमदज वि न्जजंतंदबींस ं कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअजण तिवउ जपउम जव जपउमण ;इद्ध ळंतींस – ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपहंउेए म्ग. ।तउल च्मतेवददमस ंमसतिम म्दजमतचतपेम स्जकण – ब्व. वचमतंजपअम ैवबपमजपमे वि म्ग. ।तउल च्मतेवददमसे उंल ंसेव ंचचसल वित तमजंपस ौवचे भ्वूमअमत चतपअंजम पदकपअपकनंसे ींसस इम ंससवूमक जव जांम वदसल वदम ौवच ;मपजीमत ब्वनदजतल सपुनवत वत थ्वतमपहद सपुनवतद्धण

;ठण्ब्ण बिंदकवसंद्ध
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींसण

न्जजंतंदबींस ळवअमतदउमदज

वपिबम व िजीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत

छवण्रू120ध्7.स्पबमदबमै.ध्2004.2005

क्मीतंकनदरूक्ंजमकरू श्रनदमए10ए 2004

छवजपपिबंजपवद

प्द मगमतबपेम व िजीम चवूमते नदकमत मबजपवद 41 व िजीम न्ण्च म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्ण्च्ण्ब ।बज छवण् प्ट व 1910द्धए ;ी चचसपबंइसम जव जीम ैजंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने दबजपवद व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदज उांमे जीम विससवूपदह तनसमे ूपजी अपमू जव उमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमेए 2001ण्

जीम न्जजंतींदक म्गबपेम ;मजजसमउमदज व स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ;मअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2004ण्

;1द्ध ैावतज ज्पजसम दक ब्वउउमदबमउमदज

;1द्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि सपबमदबमे वित त्मजंपस ैसमव व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ;मअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2004ण्

;2द्ध जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ 11जी श्रनदमए 2004ण्

;2द्ध ।उमदकउमदज व िल्नसमेरू

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि सपबमदबमे वित त्मजंपस ैसमव व िब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसम 2001ए दउमदकमक नचजव कंजमए ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव जीम पक त्नसमेए वित त्नसम 2 ;हद्ध;पद्धए6;द्ध – 9 मज वनज पद बवसनउद छवण् ठमसवूए जीम तनसम मज वनज पद बवसनउद छवण्ण् ींसस इम नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद ण्

2ण् क्मपिदपजपवदेरू

;हद्ध ष्स्पबमदबम मिमष् उमंदे नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद व िजीम हतंदज व िजीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित मससपदह व िबवनदजतल सपुनवत पद तमजंपस नदकमत मबजपवद 24 व िजीम ।बज पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ीवसम व िजीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

च्तवअपकमक जींज वित जीम चमतपवक जंतजपदह तिवउ 01 ङल 2003 दक मदकपदह वद 31ण्03ण्2004 जीम उवनदज व िसपबमदबम मिम ींसस इम मुनंस जवरू.

ज्वजंस उवनदज व िसपबमदबम मिम पिगमक वित जीम लमंत 2003.04 व िजींज चंतजपबनसंत ीवच डप्छै ।उवनदज व िसपबमदबम मिम तमबवअमतमक

व्दम इनसा सपजमत व ैचपबमक ब्वनदजतल सपुनवत व 36ः अध्अ ूपसस इम मुनपअंसमदज जव 36ध्25 इनसा सपजमत व च्संपद ब्वनदजतल स्पुनवत व 25ः अध्अ

9ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंदजेरू

।चचसपबंजपवदे वित सपबमदंबम व तमजंपस ब्वनदजतल स्पुनवत ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;द्ध ठम बपजप्रमद व िप्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदज व िन्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमण्

ब्वसनउद ब्ण्

2ण् क्मपिदपजपवदेरू

;हद्ध ष्स्पबमदबम मिमष् उमंदे नउ पिगमक पद बवदेपकमतंजपवद व िजीम हतंदज व िजीम सपबमदबम वित मगबसनेपअम चतपअपसमहम वित मससपदह व िबवनदजतल सपुनवत पद तमजंपस नदकमत मबजपवद 24 व िजीम ।बज पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ीवसम व िजीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

9ण् म्सपहपइपसपजल बवदकपजपवदे वित चचसपबंदजेरू

।चचसपबंजपवदे वित सपबमदंबम व तमजंपस ब्वनदजतल स्पुनवत ीवच उनेज निसपिसस जीम विससवूपदह बवदकपजपवदेए दंउमसलरू.

;द्ध ठम बपजप्रमद व िप्दकपं दक चमतउंदमदज तमेपकमदज व िन्जजंतंदबींस कमपिदमक इल जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमण्

;इद्ध ळंतींूस – ज्ञनउंनद डंदकंस टपों छपंहंउेए च्नतअं ैदपा ज्ञंसलंद न्कींलंउ रजकण् – त्महपेजमतमक ब्व.वचमतंजपअम ैवअपजपमे व िम्ग.।तउल च्मतेवददमसे उंल सेव चचसल वित तमजंपस ीवचे

भ्वूमअमत चतपअंजम पदकपअपकनंसे ींसस इम ससवूमक जव जांम वदसल वदम ीवच ;मपजीमत ब्वनदजतल स्पुनवत वत थ्वतमपहद स्पुनवतद्ध पद वदम

क्पेजतपबजण

संख्याः1803–15/सात–लाईसेंस/(51) बार–नीति/2004–05

प्रेशक,
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांक : जून 28,, 2004

विषयः होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापनों को वर्ष 2004–05 हेतु व्यवस्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वर्श 2004–05 की आबकारी नीति विशयक शासनादेश संख्या 780/ग्ग्प्प्/दिनांक 31/05/2004 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें जिसके कम में होटल एवं बार अनुज्ञापनों, क्लब परमिट एवं बीयर बार अनुज्ञापनों के संबंध में निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं।

1. होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापन एवं क्लब परमिट के स्वीकृति के संबंध में तीन, चार व पांच सितारा होटलों को बार लाइसेंस दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी।

2. अन्य होटलों व रेस्त्राओं को बार लाइसेंस दिये जाने के संबंध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्याः110–22/लाइसेंस/बार नीति/2001–02 दिनांक 6.4.2001 द्वारा जारी की गयी नीति का अनुसरण किया जायेगा परन्तु ऐसे अनुज्ञापनों की संस्तुति के समय अन्य प्रतिबंधों के साथ–साथ इस अतिरिक्त प्रतिबंध का आवश्यक रूप से परीक्षण कर लिया जाये कि प्रश्नगत आवेदक होटल/रेस्त्रा का विगत वित्तीय वर्श में पके भोजन का विकय धन रू0 3.00 लाख (तीन लाख रूपये) से कम न रहा हो।

3. गढ़वाल व कुमायूं मण्डल विकास निगमों के पर्यटक आवास गृहों हेतु वित्तीय वर्श 2002–03 में शासनादेश संख्या 824/आब0/26/2002, दिनांक 02.10.2002 के अनुसार निर्धारित नीति यथावत रहेगी।

4. (अ) चार एवं पांच सितारा होटलों की अनुज्ञापन शुल्क एवं क्लब बार की परमिट फीस पूर्ववत जमा करायी जायेगी।

(ब) अन्य होटल एवं रेस्टोरेन्ट की बार अनुज्ञापन शुल्क 2.00 (दो लाख) रूपये प्रतिवर्श या वर्श के किसी भाग के लिए निर्धारित की जाती है, तदनुसार जमा करायी जाये।

(स) बार अनुज्ञापनों के अंतर्गत 20,000 (बीस हजार) बोतल तक स्प्रिट् (व्हिसकी, ब्राण्डी, रम, जिन आदि बीयर को छोड़कर) की वार्शिक बिक्री पर रू0 40.00 प्रति बोतल की दर से परमिट फीस (अधिभार) देय होगा जो दिनांक 11.06.2004 से प्रभावी होगी। 20,000 बोतलों की गणना वित्तीय वर्श 2004–05 के प्रारम्भ अर्थात 01.04.2004 से ही की जायेगी। बीस हजार बोतल से अधिक की बिक्री पर पूर्व वर्श की भांति प्रत्येक 10 (दस) प्रतिशत की वृद्वि पर रू0 5.00 की दर से अतिरिक्त परमिट फीस (अधिभार) की वसूली की जायेगी।

5. जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है वहां छः माह की अवधि के लिए भी लाइसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे और ऐसे होटलों, रेस्टोरेन्टों के लिए भी उपरोक्त बिन्दु–2 के निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा। ऐसे अनुज्ञापनों एवं उनकी लाइसेंस फीस का निर्धारण शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।

6. (अ) उन होटलों एवं रेस्त्राओं को जिनकी विगत तीन वर्शों में पके हुए भोजन की बिक्री तीन लाख रूपये वार्शिक या उससे अधिक रही हो उन्हें पचास हजार रूपये प्रतिवर्श या वर्श के किसी भाग के लिए अनुज्ञापन प्रपत्र एफ0एल0 7 बी (परिसर में उपभोग हेतु बीयर की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञापन) में निर्गत किये जायेंगे। ऐसे रेस्त्राओं/होटलों का चयन भी उपरोक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 6.04.2001 की व्यवस्था के अनुसार शासन के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(ब) जिन स्थलों पर सीजनल पर्यटकों के आने के कारण कुछ महीनों में ही अधिक व्यवसाय होता है, वहां छः माह की अवधि के लिए भी एफ0एल0–7ब अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकेंगे। ऐसे होटलों/रेस्त्राओं के लिए भी चयन उपरोक्त बिन्दु–2 में उल्लिखित शासनादेश दि0 6.4.2001 के अनुसार ही किया

जायेगा। ऐसे अनुज्ञापनों एवं उनके शुल्क का निर्धारण शासन के निर्देशानुसार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कश्ट करें।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1816—37/सात—लाईसेंस/(51) बार—नीति/2004—05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. सचिव, उत्तरांचल शासन, आबकारी विभाग, उत्तरांचल।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
3. अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 314 / ग्ग्ब्ब् / 2005 / 09 / 2005
देहरादून : दिनांक 03 मार्च, 2005
अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं :–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च 2006 तक प्रभावी रहेगी।

1. लाईसेंस फीस का निर्धारण– वित्तीय वर्ष 2005–2006 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2004–2005 के लिए निर्धारित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देशी मदिरा के लिए बल्क लीटर में एवं विदेशी मदिरा के लिए बोतलों में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति स्लैबवार यथावत् रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिए 'निर्धारित लाईसेंस फीस' में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2. न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण– वित्तीय वर्ष–2004–05 में दुकानदार 'निर्धारित अधिभार' (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) में 15 प्रतिशत की वृद्धि करके वित्तीय वर्ष 2005–2006 की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निर्धारित कर दी जायेगी।

3. 'राजस्व' निर्धारण–उपरोक्तानुसार वर्ष 2005–2006 के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का कुल योग दुकानों का 'राजस्व' होगा।

4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का व्यवस्थापन–प्रत्येक जनपद में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए उपरोक्त प्रकियानुसार

दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करते हुए जनपद का कुल 'राजस्व' निर्धारित कर दिया जायेगा जिसके आधार पर जिलाधिकारी दुकानों का व्यवस्थापन करेंगे। जिलाधिकारी दुकानों का 'राजस्व' सामान्य रूप से उपरोक्त सिद्वान्त के अनुरूप निर्धारित करेंगे परंतु दुकान का 'राजस्व' निर्धारित करते समय इस बिन्दु को भी ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003–2004 तथा 2004–2005 के व्यवस्थापन के समय कुछ दुकानों के लिए बड़ी मात्रा में आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जो यह इंगित करता हो कि इन दुकानों की सामर्थ्य निर्धारित राजस्व से काफी अधिक है तो वह जिलाधिकारी ऐसी दुकानों का 'राजस्व' निर्धारित करते समय दुकान की सामर्थ्य के आधार पर, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के आगणित राशि से अधिक राजस्व निर्धारित कर सकेंगे।

5. देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन– जिलाधिकारी द्वारा दुकानवार 'राजस्व' निर्धारित करने के पश्चात गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से 'निर्धारित राजस्व' पर देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर, जिसका मूल्य 200.00 रूपये होगा, आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आबंटन किया जायेगा। देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी जब तक समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है।

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2005–2006 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान को दैनिक आधार पर चलाया जायेगा। इसके लिए भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा अनुमोदन करने पर निर्धारित 'राजस्व' के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर, उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देशी एवं विदेशी मदिरा की एक से अधिक दुकान आबंटित नहीं की जायेगी, अर्थात देशी अथवा विदेशी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आबंटित की जा सकेंगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देशी या विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. पात्रता– देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी को दुकान आबंटित होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण–पत्र तथा चरित्र प्रमाण–पत्र लाइसेंसिग प्राधिकारी (कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ एटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम ड्यूटी की गणना–निकासी एवं न्यूनतम ड्यूटी की गणना के लिए उपरोक्त मद 2 के अनुसार न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में मद 1 के अनुसार 2005–2006 के लिए निर्धारित 'लाईसेंस फीस' एवं वर्ष 2004–2005 की 'लाईसेंस फीस' के अन्तर को जोड़ते हुए कुल धनराशि पर निकासी दी जायेगी अर्थात् वर्ष 2004–2005 की तुलना वर्ष 2005–2006 की लाईसेंस फीस में हुई वृद्वि को भी वर्ष 2005–2006 हेतु निर्धारित कर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़ते हेतु सम्पूर्ण धनराशि के विरूद्ध न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना की जायेगी।

8. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पादन शुल्क की दर–विदेशी मदिरा संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देशी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 66.00 से बढ़ाकर रू0 70.00 रू0 प्रति बल्क लीटर की जायेगी।

9. विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम ड्यूटी की गणना निम्न प्रकार होगी–

रू0 20.00 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर

रू0 55.00

रू.0 20.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर

रू0 65.00

रू0 35.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर

रू0 80.00

रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवानी मूल्य पर

रू0 100.00

रू0 150.00 से अधिक एक्स आसवानी मूल्य पर

रू0 110.00

10. सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दर–उत्तरांचल में वर्तमान समय में विदेशी मदिरा की बिक्री पर ड्यूटी की दर 55.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर है जबकि सैन्य कैन्टीनों को दी जाने वाली रियायती रम पर यह दर रू0 43.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर है। इसे बढ़ाकर 45.00 रू0 प्रति अल्कोहलिक लीटर किया जाता है।

उपरोक्तानुसार ही सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री की जाने वाली विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन) पर एसेस्मेन्ट फीस की दर 30.00 रू0 प्रति बोतल से बढ़ाकर 32.00 रू0 प्रति बोतल तथा रियायती रम पर 18.00 रू0 प्रति बोतल को बढ़ाकर 20.00 रू0 प्रति बोतल किया जाता है।

11. मदिरा का विक्रय मूल्य– वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा। अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12. विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापन–वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति वित्तीय वर्ष 2005–2006 के लिए विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एफ0–2)

अनुज्ञापन गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल विकास निगमों द्वारा आवेदन करने पर उन्हें पूर्ववत दिये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूं मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में और पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा तथा एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांश गत वर्ष आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

13. गढ़वाल मण्डल मे पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालन–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्ष 2004–2005 की भांति केवल विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेंगी। इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा की परमिट की व्यवस्था, जो लागू हो, उसे समाप्त कर दिया जायेगा।

14. जनपदों में दुकानों का स्थान परिवर्तन– जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगे परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकानों का राजस्व जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15. जनपदों में देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय ले सकेंगे। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आबंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतिरत किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के

अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगे परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16. बार एवं क्लब बार लाईसेंस–बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर एफ0एल0–5डी हेतु निर्धारित ड्यूटी की दर के अनुरूप होगी। होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूं मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेंस निर्गत किये जा सकेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं शर्तें वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

17. बियर बार लाइसेंस–बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2004–2005 की नीतियों का अनुसरण पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से, उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत तीन वर्षों में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो, उन्हें रूपये 30,000.00 (रूपये तीस हजार) प्रति वर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेंस स्वीकृत किये जा सकेंगे। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिक्री के पात्र होंगे।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर बारों हेतु लाईसेंस फी, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी, अर्थात रू0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यावसायिक होटलों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे होटल एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा। यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्रां में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18. आसवनियों, बॉटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना–आसवनियों, बॉटलिंग, ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप निम्न व्यवस्था रखी जायेगी।

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्ष की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिष्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

(ग) ब्रुअरी, बिन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु पूर्व वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा।

19. गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट–आसवनी की आवश्यकता को देखते हुए एवं उत्तरांचल शीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20. देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत् रखी जायेगी।

21. देशी मदिरा की शत प्रतिशत भराई वर्ष 2004–2005 के अनुरूप कॉच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पोली पाऊचों में देशी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

22. देशी मदिरा की वर्तमान आबंटन क्षेत्र को वर्ष 2004–2005 के अनुरूप रखा जायेगा।

23. विदेशी मदिरा एवं बियर की पोली पाऊचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा।

24. भांग के अनुज्ञापन में वर्ष 2002–2003 की नीति को यथावत् रखा जायेगा।

25. बार एवं क्लब बारों को छोड़कर अन्य लाईसेंस फीस में भी 15 प्रतिशत वृद्वि की जायेगी तथा चार सितारा होटलों के लिए बार की लाइसेंस फीस रू0 4.00 लाख रखी जायेगी एवं पांच सितारा होटलों हेतु बार/क्लब बारों की फीस वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप रहेगी।

26.1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक दुकान खोलने के समय में एक घण्टे की वृद्धि कर दी जायेगी।

27.अन्य व्यवस्थायें, विगत वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

28.उपरोक्त के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार शासन के अनुमोदन से संशोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः 314(1)/ग्ग्ब्/2005/09/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
7. व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. आयुक्त कुमायूं मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
10. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन
11. संयुक्त निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेशित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कश्ट करें।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्याः10358–83 / सात लाइसेंस–व्यवस्थापन / 2005–06

प्रेशक,

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनःदिनांकःमार्च 3, 2005

विषयः वर्ष 2005–06 के आबकारी नीति घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तरांचल शासन के आबकारी विभाग की अधिसूचना संख्या 314 / ग्ग्प्/ 2005 / 09 / 2005 दिनांक 3–3–2005 द्वारा घोषित वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण किया जा चुका है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर प्रेशित की जा रही है। घोशित नीति के अनुसार दिनांक 1–4–2005 से 31–3–2006 देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दकानों का व्यवस्थापन किया जाना है।

उपरोक्तानुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित करने के पश्चात देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के दिनांक 1.4.2005 से 31.3.2006 तक के व्यवस्थापन के लिए निम्न प्रकार व्यवस्थापन किया जायेगाः–

1. प्रथम चरण–व्यापक प्रचार–प्रसार करके 'निर्धारित राजस्व' पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 9–3–2005 से 11–3–2005 तक तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 14–3–2005 को जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानों का आबंटन किया जायेगा। 'निर्धारित राजस्व' पर यदि एक

दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. द्वितीय चरण–जो दुकानें दिनांक 14–3–2005 के आबंटन में व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी उनकी सूची दिनांक 16–3–2005 को सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाय। आवेदन पत्र दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रकियानुसार दिनांक 20–3–2005 को आबंटन किया जायेगा।
3. तृतीय चरण–जो दुकानें दिनांक 20–3–2005 के आबंटन में भी व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी। उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापार प्रचार–प्रसार करके दिनांक 22–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण में वर्णित प्रकिया के अनुसार दिनांक 23–3–2005 को आबंटित किया जाय।

प्रत्येक चरण की समाप्ति के पश्चात् आबंटन की पूर्ण स्थिति कमशः दिनांक 15–3–2005, 21–3–2005 एवं 24–3–2005 की सायं 5.00 बजे तक अपर आबकारी आयुक्त आबकारी मुख्यालय देहरादून को फैक्स सं0 0135–2608087 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये।

आवेदकों की पात्रता की शर्तें एवं दुकान आबंटन प्रकिया संलग्न प्रपत्र/के अनुसार रहेगी। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रचार/प्रसार किया जाये एवं प्रचार विख्यात समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः

(1) वित्तीय वर्श 2005–06 हेतु घोशित आबकारी नीति की प्रति।

(2) वित्तीय वर्श 205–06 में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना राजस्व निर्धारण, पात्रता की शर्तें तथा आबंटन की प्रकिया संबंधी निर्देश।

(3) देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5ग हेतु आवेदन पत्र एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन वि0म0–5घ हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप।

(4) देशी मदिरा/विदेशी मदिरा एवं बियर के फुटकर लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र।

भवदीय

बी0सी0 चंदोला
आबकारी आयुक्त

संख्याः10384/सात–लाइसेंस–व्यवस्थापन/2004–05 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून को शासनादेश संख्या के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेशित।

धीरेन्द्र वर्मा
अपर आबकारी
आयुक्त
उत्तरांचल,
देहरादून।

संख्याः10385—86 / सात लाइसेंस

(30)—व्यवस्थापन / दे0—वि0म0 / 2005—06

प्रेशक,

बी0सी0 चन्दोला
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल, देहरादून।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनःदिनांकःमार्च 3, 2005

विषयः वर्ष 2005—06 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के संबंध में सामान्य निर्देश।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विशयक इस कार्यालय के पत्र संख्याः10358—83 / सात लाईसेंस—व्यवस्थापन / 2005—06 / दिनांक 3 मार्च, 2005 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें जिसके साथ संलग्न करके वित्तीय वर्श 2005—06 के लिए शासन द्वारा घोशित आबकारी नीति एवं तद्कम में दुकानों के व्यवस्थापन संबंधी शासनादेश आबकारी आयुक्त की व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशों, आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। देशी एवं विदेशी मदिरा के दुकानों के 01.04.2005 से 31.3.2006 तक के लिए व्यवस्थापन के संबंध में सामान्य निर्देश निम्नवत् दिये जा रहे हैंः—

1. वर्ष 2005—06 के लिए घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत देशी मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन जैसा कि अधिसूचना संख्या 314 दिनांक 3 मार्च, 2005 की मद सं0 1 से 3 में स्पष्ट किया गया है, लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की राशि के आधार पर दुकान के राजस्व का निर्धारण विहित प्रकिया के अनुरूप निर्धारित किया जाना है। राजस्व निर्धारण में पर्याप्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। जिला आबकारी अधिकारी प्रत्येक दुकान

के अनुज्ञापन शुल्क, अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) एवं राजस्व का निर्धारण कर आपसे अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

2. उपरोक्त प्रस्तर 1 के अनुसार जनपद की देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानवार निर्धारित लाइसेंस फीस एवं अधिभार (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी) की सूची जिला आबकारी अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लगाई जायेगी।

3. आवेदन पत्र, शपथ पत्र व धरोहर धनराशि जो वार्षिक लाइसेन्स फीस का 10 प्रतिशत होगी जो बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के साथ निर्धारित तिथियों (प्रथम चरण के आबंटन के लिए दिनांक 9–3–2003 से 11–3–2005, द्वितीय चरण के लिए दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 था तृतीय चरण के आबंटन के लिए दिनांक 22–3–2005) में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में आवेदक जमा करेंगे।

4. दुकानों के लिए आबंटन हेतु निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने होंगे, जो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी आवेदन शुल्क के रूप में रू0 200.00 कैश या रूपये 200.00 का जिला आबकारी अधिकारी के नाम बैंक ड्राफ्ट जमा करके प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदकों द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित निर्धारित प्रारूप में भी आवेदन किया जा सकेगा परन्तु ऐसे आवेदन पत्रों को जमा करते समय रू0 200.00 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा जिसकी प्राप्ति रसीद जिला आबकारी अधिकारी से भी प्राप्त की जायेगी।

5. आवेदन पत्र के साथ आवेदित दुकान हेतु जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के नाम निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान आबंटित हो जाने की दशा में यह धनराशि आवेदक द्वारा देय लाइसेंस फीस व प्रतिभूति की धनराशि में समायोजित होगी। असफल आवेदकों को धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी।

6. आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में, जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है, पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र फोटो सहित दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा शपथ पत्र में उल्लिखित शर्तों का निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाना आवश्यक होगा।

7. भांग की फुटकर बिक्री के किसी अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नहीं किया जायेगा।

8. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों का उपरोक्तानुसार राजस्व निर्धारित करके प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उपरान्त प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियां, सहकारी संस्थाओं तथा निजी अनुज्ञापियों से प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक दुकान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजिका में पंजीकृत किया जायेगा। पंजिका के पंजीयन संख्या को आवेदन पत्र की रसीद में अंकित करते हुए आवेदक को यह रसीद उपलब्ध करा दी जायेगी तथा इन मूल रसीदों को पहचान पत्र मानकर आवेदक को लाटरी के लिए निर्धारित हाल/पंडाल में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी।

9. गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को देशी अथवा विदेशी मदिरा की जनपद में एक ही दुकान आबंटित की जायेगी।

10. जिला आबकारी अधिकारी प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूची तैयार कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जायेगा। यदि आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से वांछनीय कोई अभिलेख आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है तो जिलाधिकारी द्वारा विवेक

सम्मत निर्णय लेते हुए आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

11. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आबंटन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें जिला आबकारी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी जिसे जिलाधिकारी नामित करेंगे, की समिति गठित कर ली जायेगी, जो कि प्राप्त आवेदन पत्रों को, उनके समुचित परीक्षण एवं दुकानों के नियमानुसार व्यवस्थापन के लिए उत्तरदायी होगी। जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य की सूचना फैक्स के द्वारा आबकारी आयुक्त को दी जायेगी।

12. यदि किसी दुकान के लिए निर्धारित राजस्व पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो दुकान के आबंटन के लिए सार्वजनिक लाटरी से अनुज्ञापी का चयन किया जायेगा।

13. लाटरी के जिला मुख्यालय पर किसी बड़े हाल की व्यवस्था की जाये यदि कोई हाल उपलब्ध न हो तो खुले मैदान में पंडाल लगवाकर लाटरी निकालने की व्यवस्था की जाये। लाटरी हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की दुकानवार सूचियां, सम्बन्धित दुकान को आबंटित कमांक, प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या व आवेदकों के नाम आदि का जानकारी निष्पादन स्थल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी तथा उन्हें सार्वजनिक रूप से माईक पर उद्घोषित भी किया जायेगा। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पंडाल में कुछ ऊंचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जायेगी कि पंडाल में उपस्थित सभी व्यक्ति लाटरी की कार्यवाही को भली भांति देख सकें, जिसमें लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे।

14. दुकानों की लाटरी पहले विदेशी मदिरा से आरम्भ होगी। सबसे पहले अधिकतम वार्षिक राजस्व वाली दुकान के लिए लाटरी निकाली जायेगी और उसके बाद राजस्व के अवरोही कम ;कमेबमदकपदह वतकमतद्ध में यह विधि जारी रखी जायेगी। विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी सम्पन्न होने के बाद देशी

मदिरा की दुकानों के लिए लाटरी आरम्भ की जायेगी और इसमें भी अधिकतम राजस्व वाली दुकानों से आरम्भ कर अवरोही कम में दुकानों की लाटरी निकाली जायेगी।

15. लाटरी निकाले जाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 5ग5 सेन्टीमीटर लम्बाई चौड़ाई की एक ही तरह की कागज की पर्चियां कम्प्यूटर से छपवाकर तैयार की जायेगी। इस पर्ची पर जिले की देशी व विदेशी मदिरा की दुकानों के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या लिखी जायेगी तथा दुकान व आवेदक का नाम भी अंकित किया जायेगा। इन पर्चियों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। जिलाधिकारी किसी एक दुकान के लिए सभी आवदकों की पर्चियों के लिखे भाग को अन्दर की ओर रखते हुए समान रूप से अलग–अलग मोड़कर किसी पारदर्शी पात्र में भली–भांति मिलाकर एक पर्ची पंडाल में उपस्थित किसी एक आवेदक से निकलवायेंगे। यह पर्ची सार्वजनिक रूप से खोलकर सभी उपस्थित व्यक्तियों को दिखाई जायेगी। लाटरी में चयनित व्यक्ति की पर्ची को एक पंजी जिसमें दुकान का अन्य विवरण पहले से अंकित होगा के समक्ष चस्पा किया जायेगा एवं पर्ची व पंजी पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करवाये जायेंगे। जिस व्यक्ति के नाम पर्ची खुलेगी उनके लिए भी मौके पर ही इस आशय का एक आदेश भी निर्गत किया जायेगा कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम निकली है। सफल आवेदक से मौके पर ही निर्धारित अनुज्ञापन की फीस की समस्त धनराशि को तत्काल जमा करवाया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि की 50 प्रतिशत राशि सात दिन के भीतर एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर कैश अथवा बैंक गारण्टी दुकान आबंटन की तिथि से तीस दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार जमा कर ली जाये। प्रतिभूति की यह धनराशि राजकोष में अथवा किसी भी अधिसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल को देय हो, के द्वारा जमा करायी जायेगी।

16. यदि चयनित आवेदक नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस फीस की धनराशि तत्काल जमा नहीं करता/निर्धारित औपचारिकताएं पूरी नहीं करता अथवा दुकान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में असफल रहता है तो उसका चयन निरस्त समझा जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा लाइसेंसिग प्राधिकारी आबंटन निरस्त कर दुकान के पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

17. दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही 31–3–2005 तक इस प्रकार पूर्ण करा ली जाय ताकि दुकानों का संचालन 01–4–2005 से प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जा सके। दुकानवार व्यवस्थापन दौरान पारदर्शिता की दृष्टि से दुकान विशेष के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण अनुज्ञापन स्वीकृत तथा लाटरी की दशा में आवेदकों के नाम/संख्या जिनके मध्य लाटरी की जा रही है, आदि सूचनायें मौके पर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से उद्घोषित की जायें और प्रत्येक अगली दुकान के सम्बन्ध में ये औपचारिकतायें पूर्ण करने से पूर्व पिछली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली समस्त जिज्ञासाओं का अवश्य समाधान कर दिया जाये।

18. आवेदक/अनुज्ञापी को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अथवा शपथ पत्र उल्लिखित कोई भी तथ्य अथवा सूचना असत्य पाये जाने पर उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा सकता है व धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

19. अपने जनपद के बकायेदारों की सूची बना ली जाये। अन्य जनपदों से प्राप्त आबकारी राजस्व के बकायेदारों की सूची अलग से प्रेषित की जा रही है। यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि किसी बकायेदार को अनुज्ञापन न दिया जाये।

20. दुकानों के व्यवस्थापन के उपरान्त व्यवस्थापित तथा अव्यवस्थापित दुकानों का वितरण प्रत्येक चरण की समाप्ति के अगले दिन निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना

सुनिश्चित किया जाय तथा व्यवस्थापन की प्रकिया में विवर्जित किये गये व्यक्तियों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

21. दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, डांडा लखौंड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जहां पर अपर आबकारी आयुक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय एवं उप आबकारी आयुक्त से यथावश्यक निर्देश/सूचनायें/जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 2608087, 2608091 तथा फैक्स नम्बर 2608087 है।

शासन की आबकारी नीति को सफल बनाने हेतु आप कृपया अपने नेतृत्व में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन सफलतापूर्वक निर्धारित समय के अन्तर्गत सम्पादित कराने का कष्ट करें।

लाटरी पर्ची का प्रारूप
साईज 5ग5 से0मी0
दे0/वि0म0 की दु0 का नाम .....
आवेदन पत्र की पंजीयन संख्या.....
आवेदक का नाम .....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर जि0आब0अधि0 नामित अधिकारी

भवदीय,

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त

संख्या:315/ग्ग्ग्/2005/09/2005

प्रेशक,

बी0 सी0 चन्दोला
सचिव,
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

आबकारी अनुभाग देहरादून दिनांक मार्च 3, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विशय की ओर आपका ध्यान आकर्शित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आबकारी विभाग उत्तराचंल षासन की अधिसूचना संख्या 314/ग्ग्ब्ब्/09/2005/दिनांक 3.3.2005 के द्वारा वित्तीय वर्श 2005–06 के लिये आबकारी नीति निर्गत कर दी गयी है जिसकी प्रतिलिपि इस आशय से संलग्न कर प्रेशित की जा रही है कि कृपया शासन द्वारा निर्धारित आबकारी नीति का कियान्वयन कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्श 2005–2006 हेतु देशी/विदेशी मदिरा एवं बियर की दुकानों का व्यवस्थापन करने की कार्यवाही इस प्रकार सुनिश्चित करायी जाये कि व्यवस्थापन के फलस्वरूप देशी/विदेशी मदिरा की सभी दुकानें दिनांक 1 अप्रैल 2005 से संचालित हो जाये। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया गया हैः–

1. प्रथम चरण– आवेदन पत्र दिनांक 9–3–2005 से 11–3–2005 तक तक कार्यालय दिवसों में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर दिनांक 14–3–2005 को जिलाधिकारी के समक्ष संबंधित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानों का आबंटन किया जायेगा। 'निर्धारित राजस्व' पर यदि एक दुकान के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आबंटित कर दी जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
2. द्वितीय चरण–जो दुकानें दिनांक 14–3–2005 के आबंटन में व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी उनकी सूची दिनांक 16–3–2005 को सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार करके आवेदन पत्र आमंत्रित

किये जाय। आवेदन पत्र दिनांक 17–3–2005 व 18–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किये जायेंगे तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रकियानुसार दिनांक 20–3–2005 को आबंटन किया जायेगा।

3. तृतीय चरण–जो दुकानें दिनांक 20–3–2005 के आबंटन में भी व्यवस्थापित नहीं हो पायेगी। उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः व्यापार प्रचार–प्रसार करके दिनांक 22–3–2005 को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण में वर्णित प्रकिया के अनुसार दिनांक 23–3–2005 को आबंटित किया जायेगा।।

कृपया वित्तीय वर्श 2005–2006 के लिए आबकारी नीति के अनुसार देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों को व्यवस्थापित करने के साथ–साथ अन्य सभी निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराने का कश्ट करें।

संलग्नः अधिसूचना की प्रति।

(बी0सी0 चन्दोला)
सचिव

संख्याः315(1)/ग्ग्ब्/2005/09/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊं मण्डल।
7. व्यापार कर आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।

आज्ञा से
(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल
संख्या 02/एस0टी0/2005–06/देहरादूनःदिनांक 01, अप्रैल 2005

अधिसूचना

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उत्तरांचल (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का

व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 का और संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नौवां संषोधन) नियमावली, 2005.

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

;पद्ध यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नौवां संषोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी ।

;पपद्ध यह 1 अप्रैल 2005 से प्रवृत्त होगी ।

2. उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001, समय–समय पर यथा संषोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 7(ग), 8(ञ), 13 व 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखे जायेंगे :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
7(ग) लाइसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेंगा जिसे, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से रू0 100/– कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है ।	7(ग) लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेंगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्ष से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है । वर्श 2005–06 हेतु यह फीस 200/–रू0 निर्धारित की गयी है।
8.(ञ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराषि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराषि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराषि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा ।	(ञ) यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराषि के रूप में प्रस्तुत करेंगा । धरोहर धनराषि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराषि को अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा । अन्य मामलों में चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त् इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा । अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 30 दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा षासन के निर्देषों के

	अनुसार निर्धारित किया जाये, षोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
	अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के 30 दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
13 इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी विदेषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पष्चात् जिले के किसी थोक लाइसेंसधारी (वि0म0–2) से विदेषी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा । यदि किसी विषिश्ट ब्राण्ड की विदेषी मदिरा उसके जिले के थोक लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेष के किसी थोक लाइसेंसधारी से विदेषी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।	13 इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किए जाए, जमा करने के पष्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (वि0म0–2) से विदेषी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा । यदि किसी विषिश्ट ब्राण्ड की विदेषी मदिरा उसके जिले के थोक अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त (लाइसेसिंग) की पूर्व अनुमति से प्रदेष के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेषी मदिरा प्राप्त कर सकेगा ।
भारत निर्मित विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि को निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा :–	भारत निर्मित विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा :–
प्रति बोतल मासिक न्यूनतम एक्स आसवनीमूल्य गारंटीड ड्यूटी की राशि ।	प्रति बोतल मासिक न्यूनतम एक्स आसवनीमूल्य गारंटीड ड्यूटी की राशि ।
16/–रू0 तक 45/–रू0 प्रति बोतल	20/–रू0 तक 55/–रू0 प्रति बोतल
16.01/से 20 रू0 तक	20.01/से 35 रू0 तक 65/–रू0 प्रति बोतल

50/–रू0 प्रति बोतल 20.01/–से 35 रू0 तक 60/–रू0 प्रति बोतल 35.01/–से 75 रू0 तक 75/–रू0 प्रति बोतल 75.01/–से 150/–रू0तक 90/–रू0 प्रति बोतल 150/–रू0 से ऊपर 109/–रू0 प्रति बोतल वि0म0–2 व 2 बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा । 16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सम्बंधित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।	35.01/–से 75 रू0 तक 80/–रू0 प्रति बोतल 75.01/–से 150/–रू0तक 100/–रू0 प्रति बोतल 150/–रू0 से ऊपर 110/–रू0 प्रति बोतल वि0म0–2 व 2 बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का कोई समायोजन नहीं किया जायेगा। 16. बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी– अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा 1 अक्टूबर से आगामी वर्श के 31 मार्च तक की अवधि में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा । अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है । उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

(बी0सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 01 अप्रैल, 2005 ई0

चैत्र 11, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

कार्यालय आबाकरी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्या01 / एस0टी0 / 2005–06

देहरादून, 01 अप्रैल, 2005

अधिसूचना

सा0प0नि0–06

आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, सन् 1910) (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, उत्तरांचल (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) यह नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005 कही जायेगी।

(ii) यह 01 अप्रैल, 2005 से प्रवृत होगी।

2(i) उत्तरांचल आबकारी (देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001, समय–समय पर यथा संशोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में

अंकित नियम 8(ग), 9(अ) व 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखें जायेंगें :–

	स्तम्भ–1		स्तम्भ–2
8 (ग)	लाईसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से रु0 100/– कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है।	8 (ग)	लाइसेंस प्राप्ति के लिये आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जयेगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैश अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष 2005–06 हेतु यह फीस रु0 200/– निर्धारित की गयी है।
9 (अ)	यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापनों के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा।	9 (अ)	यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक से जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराशि लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापनों के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा। अनज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के निर्देशें के अनुसार निर्धारित किया जाये, शोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
17.	अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी–अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वत़ंता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सम्बन्धित कानून के प्राविधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।	बिक्री की अवधि और दुकानों की बन्दी–अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वत़ंता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि मे प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधयों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

बी0 एए0 चन्दोला,
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

प्द चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे वि ब्संनेम ;3द्ध ।तजपबसम 348 वि जीम ब्वदेजपजनजपवद वि प्दकपंए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपेी जतंदेसंजपवद वि दवजपपिबंजपवद दवण 01ैज्द्ध2005.06ए कंजमक ।चतपस 01ए 2005 वित हमदमतंस पदवितउंजपवद रू

छवण 01ैज्द्ध2005.06
क्ंजमक क्मीतंकनदए ।चतपस 01ए 2005

छव्ज्थ्द्ध।ज्प्छ

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक इल ेमबजपवद 41 वि जीम न्च्ज्व म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्च्ज्व ।बज दवण प्ट वि 1910द्ध ; ंकंचजमक ंदक उवकपपिमक पद न्जजंतदंबींसद्ध जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए न्जजंतंदबींस ूपजी जीम चतमअपवने ेदबजपवद वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ीमतमइल उंामे जीम विससवूपदह तनसमे नितजीमत जव ंउमदक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमेए 2001ण

ज्म न्ज।त।छब्।स म्बैम ;मज्जस्ड्मछज ळ स्प्ब्मछबै थ्व त्म्ज।प्स ।स्म ळ ब्न्छज्त्ल स्पफन्व्द्ध ; म्ळभ्ज्म ।ड्मछक्डम्छज्द्ध त्न्सैए 2005

1ण ैवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज रू

ण्ण् जीमेम तनसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ;म्पहीजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2005ण

ण्ण्ण् जीमल ींसस बवउम पदजव वितबम तिवउ ेज ।चतपसए 2005ण

2ण प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस ैसम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमेए 2001ए ं उमदकमक तिवउ जव जपउम ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव ं जीम ंपक त्नसमेए वित तनसम 8 ;बद्धए 9;मद्ध – 17 ेमज वनज पद ब्वसवनउ छवण ि इमसवूए जीम तनसमे ेमज वनज पद ब्वसनउद छवण ण्ण् ींसस इम ेनइेजपजनजमक रू.

ब्वसनउद.ि	ब्वसनउद.ण्ण्
8;बद्ध ।चचसपबंजपवद वि हतंदज वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत वद चंलउमदज वि ेण 100ः पद ैी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतण	8;बद्ध ।चचसपबंजपवद वि हतंदज वि सपबमदबम ींसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउ ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमत वद चंलउमदज वि जीम ंचचसपबंजपवद मिमध्चतवबमेपदह मिमए ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज वितउ जपउम जव जपउमए पद ैी वि ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव जीम

ब्वसनउद.प

9;मद्ध भ्म ूपसस नितदपी ं इंदा कतंजि कतूंद पद अिवनत व िजीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत पेनमक तिवउ ं`बीमकनसमक इंदा ं मंतदमेज उवदमलण जीम ंउवनदज व िमंतदमेज उवदमल ींसस इम 10: व िजीम सपबमदबम मिम वत ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत तिवउ जपउम जव जपउमण प्द बेंम जीम ंचचसपबंदज पे`मसमबजमक ं सपबमदेममए जीम मंतदमेज उवदमल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज जीम सपबमदबम मिमण प्द वजीमत बेंमे पि ींसस इम तमजनतदमक ं `नबी जव जीम ंचचसपबंदज ं``ववद ं``मसमबजपवद चतवबमे पे वअमतण

17ण भ्वनते व िंसम ंदक बसवेनतम व िजीम ीवच रू जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ींसस तमउंपद वचमद वित ंसम वद ंसस कंले तिवउ 10रू00 ।ण्डण जव 10रू00 च्ण्डण मगबमचज वद ।चतपस 14 ;।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए ।नहनेज

ब्वसनउद.ब

क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण जीपे मिम ीं इममद पिगमक ं तेण 200ध्. वित जीम लमंत 2005.06ण

9;मद्ध भ्म ूपसस नितदपी ं इंदा कतंजि कतूंद पद अिवनत व िजीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत पेनमक तिवउ ं`बीमकनसमक इंदा ं मंतदमेज उवदमलण जीम ंउवनदज व िमंतदमेज उवदमल ींसस इम 10: व िजीम सपबमदबम मिम वत ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत तिवउ जपउम जव जपउमण प्द बेंम जीम ंचचसपबंदज पे`मसमबजमक ं सपबमदेममए जीम मंतदमेज उवदमल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज जीम सपबमदबम मिमण प्द वजीमत बेंमे पि ींसस इम तमजनतदमक ं `नबी जव जीम ंचचसपबंदज ं``ववद ं``मसमबजपवद चतवबमे पे वअमतण

जीम सपबमदेमम ींसस ींअम जव कमचवेपज ं`वसअमदबल बमतजपपिबंजम व िअंसनम चतमेबतपइमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए ं चमत जीम कपतमबजपवदे व िजीम ैजंजम ळवअमतदउमदजए इमवितम जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ूपजीपद जीपतजल कंले तिवउ जीम कंजम व िंससवजउमदज व िजीम ीवचण

जीम सपबमदेमम ींसस ींअम जव कमचवेपज ं बींतंबजमत बमतजपपिबंजम पेनमक इल जीम ब्वससमबजवत व ीपे कपेजतपबजए

17ण इमवितम जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ूपजीपद जीपतजल कंले तिवउ जीम कंजम व िंससवजउमदज व िजीम ीवचण भ्वनते व िंसम ंदक बसवेनतम व िजीम ीवच रू जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ींसस तमउंपद वचमद वित ंसम वद ंसस कंले तिवउ

ब्वसनउद.८

15 ;प्दकमचमदकमदबम कंलद्धए ब्वजवइमत 02 ;ळंदकीप श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26 ;त्मचनइसपब क्ंलद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले ं दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवेनतम वि ीवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ींसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ीवच वद ंइवअम हतवनदकेण

ब्वसनउद.ब्य

10रू00 ।ण्डण जव 11रू00 च्ण्डण कनतपदह चमतपवक ।चतपस 01 जव ैमचजमउइमत 30 ंदक तिवउ 10 ।ण्डण ब्वजवइमत 01 जव डंतबी 31 वि जीम बवउपदह लमंतए मगबमचज वद ।चतपस 14 ; ।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए ।नहनेज 15 ;प्दकमचमदकमदबम कंलद्धए ब्वजवइमत 02 ;ळंदकीप श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26 ;त्मचनइसपब क्ंलद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले ं दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवेनतम वि ीवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ींसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ीवच वद ंइवअम हतवनदकेण

ठण्ब् बींदकवसंए
म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतए
न्जजंतंदबींस

संख्याः1839–51/सात–लाईसेंस–62/थोक बिक्री/वि0म0/2005–2006,

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांकः 11.4.2005

विषय :– वर्ष 2005–2006 के लिए (उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त) विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0–2) की व्यवस्था।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2005–2006 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैः–

क्रमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	क्रमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	25,09,444/–	8	उ0सिंह नगर	25,09,444/–
2	पौड़ी गढ़वाल	25,09,444/–	9	अल्मोड़ा	20,49,415/–
3	टिहरी गढ़वाल	20,49,415/–	10	पिथौरागढ़	12,12,905/–
4	उत्तरकाशी	12,12,905/–	11	बागेश्वर	12,12,905/–
5	चमोली	12,12,905/–	12	चम्पावत	12,12,905/–
6	रूद्रप्रयाग	7,52,905/–	13	हरिद्वार	25,09,444/–
7	नैनीताल	25,09,444/–			

उपरोक्तानुसार देय लाइसेंस फीस का 1/6 भाग अग्रिम जमा करना होगा व षेश लाईसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगी :–

1/12 भाग 7 अप्रैल 2005 तक	1/12 भाग 7 जुलाई 2005 तक	1/12 भाग 7 अक्टूबर 2005 तक	1/12 भाग 7 जनवरी 2006 तक
1/12 भाग 7 मई	1/12 भाग 7 अगस्त	1/12 भाग 7 नवम्बर	1/12 भाग 7

2005 तक	2005 तक	2005 तक	फरवरी 2006 तक
1/12 भाग 7 जून 2005 तक	1/12 भाग 7 सितम्बर 2005 तक	1/12 भाग 7 दिसम्बर 2005 तक	1/12 भाग 7 2006 तक

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ0एल0–2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊॅ मण्डल विकास निगम को आवेदन करने पर दिये जायेंगें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जायेंगें । आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा । एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाला लाभांश गत वर्श आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिषत से अधिक नहीं होगा।

2. एफ0एल0–2 अनुज्ञापन (डयूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिक्री अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे।

3. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते

हैं । गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगमों को क्रमशः गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के प्रत्येक जनपद में एफ0एल0–2 खोलना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक के पास एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण–पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।

6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।

7. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिकी करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमति से विदेशी मदिरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परमिटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मदिरा/बियर कय करने की छूट होगी।

8. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

9. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापियों/बार अनुज्ञापियों तथा क्लबपरमिट धारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों एवं उनकी मात्रा विषयक तिथिवार विवरण प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा ।

11. किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी या बी0डब्लू0एफ0एल0–2 या बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी से विशेष परिस्थितियें में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर लेने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0–2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी आई0एम0एफ0एल0 पर 55/– रूपये प्रति ए0एल0 व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10

रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त एफ0एल0–1 या बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/ बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप–टू–डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :–

1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी /ड्यूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक	विदेशी मदिरा की मात्रा		जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							

7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक तथा बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों के मामले में 20,000 बोतल की वार्षिक सीमा से अधिक (जिस पर आबकारी आयुक्त के निर्देषों के अनुसार निर्धारित ड्युटी की बढ़ी दर से अतिरिक्त राषि जमा करानी होगी) निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगाः—

क्रमांक	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	योग बोतलों में		
1	2	3	4		6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					

9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

15. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्शिक गारंटी डयुटी की राषि जमा कर देने पर एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना–पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राषि के विपरीत विदेषी मदिरा की निकासी के आदेष ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेषी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

<u>प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य</u>	<u>अभिकर प्रतिबोतल</u> (1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)
20.00 रूपये	रू0 55.00
20.01 रू0 से 35.00 रू0 तक	रू0 65.00
35.01 रू0 से 75.00 रू0 तक	रू0 80.00
75.01 रू0 से 150.00 रू0 तक	रू0 100.00
150 रू0 से अधिक	रू0 110.00

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी डयूटी नहीं देनी होगी।

<u>बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगीः–</u>

माना 55/– रू0 अभिकर की बोतलों की संख्या = क
65/– " " " " " = ख
80/– " " " " " = ग
100/– " " " " " = घ
110/– " " " " " = च

वार्शिक गारंटी डयूटी की मासिक राषि = (55 ग क) + (65 ग ख) + (80 ग ग) + (100 ग घ) + (110 ग च)

15. बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर भी एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों द्वारा देय प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राशि के समान ही प्रति बोतल ड्यूटी से राशि देय होगी। जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के

उपरान्त बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को निकासी के आदेष जारी करेंगें, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0–2/एफ0एल0–2बी अनुज्ञापी बार अनुज्ञापियों व क्लबबार परमिटधारकों को विदेषी मदिरा की निकासी देंगें। बार अनुज्ञापी एक वर्श की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर पर एफ0एल0–2 से 20,000 (बीस हजार) बोतल तक की निकासी प्राप्त कर सकेगें। यह संख्या वित्तीय वर्श के प्रारम्भ होने अर्थात दिनांक 01.04.2004 से गिनी जायेगी। इससे अधिक बोतलों की एफ0एल0–2 से निकासी होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिषत वृद्धि के लिए रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी की राषि का भुगतान बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों को करना होगा।

16. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेष के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियों तथा क्लब बार परमिटधारकों को दी जायेगी। एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेषी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेष में जमा राषि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेष की आवष्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

17. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेष निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद .....

<u>क0सं0</u> <u>दिनांक</u>

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी का नाम .....

एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी ..... द्वारा माह .....वर्श ..... हेतु/अथवा माह ..... वर्श ..... में निर्धारित वार्शिक गारन्टीड डयूटी की मासिक राषि से अधिक राषि निम्न प्रकार जमा की गई है :–

1. प्रारम्भिक अवषेश .....
2. जमा राषि .....

(ट्रेजरी चालान सं0.....
व दिनांक .....)

3. योग .....

इन्हे निम्नानुसार विदेषी मदिरा की निकासी दे दी जाये :–

4. प्रतिबोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि	बोतलों की संख्या	कुल ड्यूटी की राषि
55/– रू0 प्रति बोतल		
65/– रू0 प्रति बोतल		
80/– रू0 प्रति बोतल		
100/– रू0 प्रति बोतल		
110/– रू0 प्रति बोतल		
योग ––		

5.न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की षेश राषि .....
(कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी
जनपद.....

यह आदेष जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृश्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेष की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेष की मूल प्रति एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेष पर, ''निरस्त'' की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सतिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0–5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :–

1) दुकान का नाम ––

(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
पूर्व –
पष्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्शिक गारन्टीड डयूटी की राषि	राषि जमा होने का विवरण		विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेष की संख्या व दि0	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		डयूटी की श्रेणी के अनुसार	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में वार्शिक गारंटीड डयूटी की राषि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रम	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	आबकारी अधिकारी हस्ताक्षर
			डयूटी की श्रेणी के अनुसार	योग		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

19. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड डयूटी से अधिक विदेषी मदिरा की निकासी पर तथा बार अनुज्ञापियों एवं क्लब बार परमिटधारकों के लिए निर्धारित वार्शिक सीमा से अधिक निकासी पर इन अनुज्ञापियो/परमिटधारकों को आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार प्रति बोतल बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेष मिल जाने के उपरान्त ही, विदेषी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ0एल0–2 से प्राप्त हो सकेगी।

20. एफ0एल0–2 पर विदेषी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय

(बी0 सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः1852–75/सात–लाईसेंस–62/थोक बिक्री/वि0म0/2005–2006/तददिनांक,
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल षासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(बी0 सी0 चन्दोला)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित
विधायी परिशिश्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
देहरादून, सोमवार, 06 मार्च, 2006 ई0
फाल्गुन 15, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 370/ग्ग्प्प्/06/115/2005
देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2006
अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोषित करते हैं :–

यह नीति दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक प्रभावी रहेगी।

1. लाईसेन्स फीस का निर्धारणः–

वित्तीय वर्श 2006–07 की लाईसेन्स फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्श 2005–06 के लिये निर्धारित देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देषी मदिरा के लिये बल्क लीटर में एवं विदेषी मदिरा के लिये बोतलो में वित्तीय वर्श 2005–06 की भांति स्लैबवार यथावत रखी जाायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस मे 15 प्रतिषत की वृद्धि की जायेगी एवं इसे एक हजार के पूर्णांक में (राउण्ड अप) करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2. न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी का निर्धारण :–देषी/विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्श 2006–07 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी–

0 स0	र्ा 2005–06 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रो की संख्या	द्धि लक्ष्य
	न दुकानो पर 1400 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	प्रतिषत
	न दुकानो पर 1000 या उससे अधिक परन्तु 1400 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	प्रतिषत
	न दुकानों पर 500 या उससे अधिक परन्तु 1000 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	प्रतिषत
	न दुकानों पर 200 या उससे अधिक परन्तु 500 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	प्रतिषत
	न दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 200 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	प्रतिषत
	न दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	प्रतिषत

वर्श 2005–06 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राषि को दुकान के वार्शिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर वृद्धि की गणना की जायेगी।

3. राजस्व निर्धारण :–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राषि को जोड़कर दुकानवार राजस्व की राषि का आंगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्श के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के 10 प्रतिषत तक अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाईसेन्स फीस की छूट प्रदान की जायेगी परन्तु 10 प्रतिषत से अधिक मदिरा का उठान करने पर यदि कोई दुकान लाईसेन्स फीस के अगले स्लैब में आ जाती है, तो उसे बढ़ी दर से लाईसेन्स फीस देनी होगी।

4. देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के राजस्व का निर्धारणः–

बिन्दु 1,2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोड़ते हुए जनपद का वर्श 2006–07 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5. देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटनः–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम,

पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं तथा निजी आवेदकों से निर्धारित राजस्व पर देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप, (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया जायेगा,) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 200/रू0 की फीस नगद अथवा किसी अनुसूचित अथवा राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रकिया षुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होंगे उन्हे निरस्त कर दिया जायेगा। जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दषा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती हैं।

परन्तु यदि वित्तीय वर्श 2006–07 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर चलायी जायेगी। इसके लिये भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि उपरोक्त दोनों निगमों, पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी समितियों, सहकारी संस्थाओं को छोड़कर उपरोक्त प्रकिया में निजी अनुज्ञापी को एक जनपद में देषी एवं विदेषी मदिरा की एक से अधिक दुकान आवंटित किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा, अर्थात देषी मदिरा अथवा विदेषी मदिरा में से केवल एक ही दुकान आवंटित की जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देषी या विदेषी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उनके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा षासन के अनुमोदनोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

6. पात्रताः–

देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की षर्तें वित्तीय वर्श 2004–05 के अनुरूप होंगी।

अनुज्ञापी को दुकान आवंटिंत होने के तीस दिन के भीतर जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण– पत्र तथा तीन माह के भीतर हैसियत प्रमाण–पत्र लाईसेसिंग प्राधिकारी(कलक्टर) के पास प्रस्तुत करना होगा। पावर आफ अटार्नी के आधार पर दुकान संचालित करने की अनुमति दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी में न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–

निकासी हेतु वर्श 2006–07 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के विपरीत देषी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेषी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

8. देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरः–

विदेषी मदिरा पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर रू0 55.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर डयूटी गत वर्श के समान रू0 70.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

9. विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं –

1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00

2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00

3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00
6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0110.00

10 सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर डयूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरः–

सैन्य कैन्टीनों की व्यवस्था गत वर्श के अनुरूप रहेंगी।

11. मदिरा का विकय मूल्यः–

वित्तीय वर्श 2005–06 की भांति मदिरा के विकय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किया जायेगा । अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की स्थिति में अनुज्ञापन निरस्त किया जा सकेगा।

12 विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापनः–

वित्तीय वर्श 2006–07 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांष गत वर्श आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिषत से अधिक नहीं होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिकी की अनुमति भी दी जायेगी। विदेषी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी।

वर्श 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेषी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जोयगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा को प्रदेष के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेषी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड

धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा।

13 गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देशी मदिरा की दुकानों का संचालनः—

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाषी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्श 2005—06 की भांति केवल विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित किये जायेंगे तथा इन जनपदों में फुटकर दुकानों से विदेषी मदिरा की पूर्व में जारी परमिट से बिकी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जायेगा।

14 जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन :—

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवष्यक होगा। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकान का राजस्व, जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा।

15 जनपदों में देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवष्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जायेगा। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही क्षेत्र दुकान रहित होगा। जनपद की सीमान्तर्गत दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16 बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः—

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 80.00

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं षर्ते वित्तीय वर्श 2004–05 के अनुरूप यथावत रहेगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृश्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, यदि आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17 बियर बार लाईसेन्सः–

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्श 2004–05 की नीतियों का अनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृश्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्श में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्शिक या उससे अधिक रही हो उन्हे रू0 20,000/–(बीस हजार रूपये) प्रतिवर्श की दर से अनुज्ञापन षुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत वह केवल बियर की बिकी के पात्र होगें।

सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेगें एवं सीजनल बियर बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार

हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/–(दस हजार रूपये मात्र) होगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृश्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18 आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः–

आसवनियों, बाटलिग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगीः–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये पूर्व वर्श की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिश्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0.–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी । इन लाईसेन्सो के अन्तर्गत भरी गयी विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल/ अद्धा/ पव्वा पर कमषः

रू0 4.50/–, रू0, 2.25/– एवं रू0 1.15/– बाटलिंग फीस देय होगी। विदेषी मदिरा विनिर्माणशाला की स्थापना नियमावली, 1997 के अन्तर्गत मदिरा की बोतल भराई सीमा को बढ़ाने के लिये आबकारी आयुक्त षासन की पूर्वानुमति से इस नियमावली को संषोधित कर सकेंगे।

प्रदेष के बाहर निर्यात हेतु विदेषी मदिरा पैट (च्वसलमजीलसमदम ज्मजतं चैजींसंजम) बोतलों में भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध में सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्श के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। ऐसे ख्याति प्राप्त जनरल मर्चेन्ट्स जिनका वार्शिक टर्नओवर वाणिज्य कर विभाग द्वारा कम से कम पांच लाख रूपये वार्शिक प्रमाणित हो, उन्हे पांच हजार रूपये वार्शिक लाईसेन्स फीस पर केवल उत्तरांचल में बनी वाईन बेचने हेतु लाईसेन्स दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तराचंल में बनी ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों तथा कैन्टीनों में दी जायेगी।

19. गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्ट

उत्तरांचल के षीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20 देषी एवं विदेषी मदिरा की बोतलों पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृश्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा।

21 देषी मदिरा की षत प्रतिषत भराई वर्श 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलों में भरी देषी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22. जनहित में देषी मदिरा की गुणवत्ता में सुधार हेतु भविश्य में देषी मदिरा का निर्माण केवल एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से ही कराया जायेगा। देषी मदिरा के वर्तमान आवंटन क्षेत्र को वर्श 2005–06 के अनुरूप ही रखा जायेगा।

23 विदेषी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तरांचल राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेषों में पैट बोतलों में भरी विदेषी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है उन प्रदेषों को निर्यात की जाने वाली विदेषी मदिरा पैट बोतलों में इस षर्त के साथ भरी जा सकेगी कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्था का प्रमाण– पत्र

प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

24 भांग के अनुज्ञापन में वर्श 2002–03 की नीति यथावत रहेगी।

25 बार लाईसेन्सों की फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

26. वर्श 2006–07 में केवल दिसम्बर व जनवरी माह में ही मदिरा की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खोली जायेगी षेश अवधि में दुकानें प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जायेगी।

27 फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्श के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राषियों को वर्श के अन्तिम माहो में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिये जाने की बाध्यता नियमों में रखी जायेगी।

28 अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्श 2005–06 के अनुरूप यथावत रहेगी।

29. उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवष्यकतानुसार षासन के अनुमोदन से संषोधित नियम उपबंधित किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(गोबिन्द बल्लभ ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या 5526 / सात–लाईसेन्स–12 / व्यवस्थापन 2006–07

प्रेशक,

नवीन चन्द षर्मा
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
   उत्तराचंल ।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
   उत्तराचंल।

देहरादून दिनांक मार्च 7, 2006

विशयः– वर्श 2006–07 हेतु आबकारी नीति घोशित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराचंल षासन की अधिसूचना संख्या 370 / ग्ग्ब्ब् / 06 / 115 / 2005 / दिनांक 6.3.2006 के द्वारा वित्तीय वर्श 2006–07 के लिये घोशित आबकारी नीति के अन्तर्गत उत्तराचंल राज्य के समस्त जनपदो में स्थित देषी / विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानो के दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक के व्यवस्थापन हेतु गढवाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम , पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 भूतपूर्व सैनिको की पंजीकृत सहकारी समितियो, सहकारी संस्थाओ तथा निजी आवेदको से सम्बन्धित दुकान के ''निर्धारित राजस्व पर'' निर्धारित प्रारूप मे आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र तथा उसके साथ दिये जाने वाले षपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र रू0 200 / (दो सौ मात्र) षुल्क के साथ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते है व प्राप्ति रसीद ले सकते है।

जनपद मे दुकानो की स्थिति, उनका निर्धारित राजस्व एवं अन्य सूचनाये सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती

है। इनके सम्बन्ध में सूचना जनपद के जिला आबकारी अधिकारी एंव जिला कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध रहेंगी।

दुकानो के आवंटन का कार्यकम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता हैः–

1. प्रथम चरण–

आवेदन पत्र दिनांक 16.3.2006 तक कार्यालय दिवसो में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेगें । प्राप्त आवेदन पत्रो के आधार पर दिनांक 20.3.2006 को जिलाधिकारी के समक्ष सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में दुकानो का आवंटन किया जायेगा। निर्धारित राजस्व पर यदि एक दुकान के लिये एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो, उस आवेदक को दुकान आवंटित कर दी जायेगी। तथा एक से अधिक आवेदको की दषा में दुकानो का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2. द्वितीय चरण–

जो दुकाने दिनांक 20.3.2006 के आवंटन मे व्यवस्थापित नही हो पायेगी उनकी सूची सम्बन्धित जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। सूची में अंकित उन दुकानो के व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 21.3.2006 व 22.3.2006 को प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें तथा उपरोक्त प्रथम चरण की प्रकियानुसार दिनांक 24.3.2006 को आवंटन किया जायेगा।

3. तृतीय चरण–

जो दुकाने दिनांक 24.3.2006 के आवटंन में भी व्यवस्थापित नही हो पायेगीं उनके व्यवस्थापन हेतु पुनः दिनांक 25.3.2006 व 26.3.2006 को प्रात 10.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित करके प्रथम चरण मे वर्णित प्रकिया के अनुसार दिनांक 28.3.2006 को आवंटन किया जायेगा ।

प्रत्येक चरण की समाप्ति के पष्चात दुकानवार आवंटन की पूर्ण स्थिति कमष दिनांक 21.3.2006, 25.3.2006, एवं 29.3.2006 की सांय 5.00 बजे तक आबकारी मुख्यालय देहरादून को फैक्स नं0–0135 2608087 पर भेजना सुनिष्चित किया जाये। आवेदको कीपात्रता की षर्ते एवं दुकान आवंटन प्रकिया संलग्न प्रपत्र के अनुसार रहेगी। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु समुचित प्रचार/प्रसार किया जाये एवं प्रचार विख्यात समाचार पत्रो के माध्यम से कराया जाना सुनिष्चित किया जाये।

संलग्नक

1. वित्तीय वर्श 2006–07 हेतु घोशित आबकारी नीति की प्रति।
2. वित्तीय वर्श 2006–07 मे देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानो के व्यवस्थापन हेतु आवष्यक सूचना राजस्व निर्धारण, पात्रता की षर्ते तथा आवंटन की प्रकिया सम्बन्धी निर्देष।
3. देषी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन दे0म0 5ग हेतु आवेदन पत्र एवं विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन विदेषी मदिरा–5घ हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप।
4. देषी/विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर लाईसेन्स हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला षपथ पत्र का प्रारूप ।

भवदीय

(नवीन चन्द षर्मा)
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल।

संख्याः5527/सात–लाईसेन्स–12/व्यवस्थापन 2006–07
प्रतिलिपिः– सचिव, आबकारी विभाग,उत्तराचंल षासन, देहरादून को षासनादेष संख्या 374/ग्ग्ब्ब्/06/115/2005/दिनांक 6.3.2006 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेशित ।

(नवीन चन्द षर्मा)
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल।

संख्याः5541–53 / सात–लाईसेंस–12 / व्यवस्थापन / 2006–07

प्रेशक,
आबकारी आयुक्त
उत्तरांचल।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

देहरादूनः दिनांकः मार्च 08, 2006

विषयः विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के संबंध में।

महोदय,

वर्श 2006–07 हेतु घोषित आबकारी नीति में प्राविधान रखे गये हैंः–

1. विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों तथा बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 / 2बी लाईसेंसों के संबंध में निम्न व्यवस्था रखी गयी हैः–

विदेशी मदिरा के थोक (एफ0एल0–2) अनुज्ञापनः–

वित्तीय वर्श 2006–07 में गढ़वाल मण्डल में गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल में कुमायूँ मण्डल विकास निगम के साथ–साथ दोनों मण्डलों के जनपदों में पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 को भी आवेदन करने पर एफ0एल0–2 अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा किन्तु एफ0एल0–2 के स्तर पर लिया जाने वाला लाभांष गत वर्श आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिषत से अधिक नहीं होगा।

एफ0एल0–2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। विदेषी मदिरा भी 90 एम0एल0 के पैक में बेची जा सकेगी।

वर्श 2006–07 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस को उनकी विदेषी मदिरा की खपत के आधार पर पुनः निर्धारित किया जोयगा।

सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा को प्रदेष के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेषी मदिरा के ब्रान्डस ही उत्तरांचल स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तरांचल में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्रान्डस की बाटलिंग अपनी ईकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेन्स लेना होगा।

इस नीति के अनुसार एक बाण्ड लाईसेन्स के अन्तर्गत केवल एक उत्पादक के ब्रान्डस ही बेचे जा सकेंगे। अतः बाण्ड लाईसेन्सों से बेची जाने वाली मदिरा के सभी ब्रान्डस को चैक करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि एक बाण्ड पर एक उत्पादक के ही विदेशी मदिरा/बियर के ब्रान्डस ही बेचे जा रहे हैं। यदि एक बाण्ड पर दो उत्पादकों के ब्रान्डस बेचे जा रहे हो तो दूसरे उत्पादक के ब्राण्ड हेतु अतिरिक्त लाईसेन्स फीस जमा कराकर प्रकरण को मुख्यालय सन्दर्भित किया जाये। इसके अतिरिक्त ब्राण्ड लाईसेन्सों से 22/– रूपये प्रति बोतल ई0डी0पी0 तक की मदिरा वर्श 2006–07 में नहीं बेची जा सकेगी। अतः मदिरा के आयात हेतु परमिट जारी करते समय इस बात का विशेश ध्यान रखा जाये।

एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी के समय लिये जाने वाले प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राशियों में भी परितर्वन किये गये हैं जो निम्नानुसार हैंः–

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेशी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 से रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक बोतल प्रति आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

इस प्रकार विदेशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापियों को दी जाने वाली निकासी पर निम्नानुसार प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर देय होगाः—

1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00

2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00

3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00

4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00

5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00

6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 110.00

एफ0एल0—2 अनुज्ञापियों की लाईसेन्स फीस को विभिन्न जनपदों की विदेशी मदिरा की बिक्री के अनुसार निम्नानुसार पुनः निर्धारित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः—

कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	46,87,500/—	8	उ0सिंह नगर	14,75,000/—
2	पौड़ी गढ़वाल	27,00,000/—	9	अल्मोड़ा	17,50,000/—
3	टिहरी गढ़वाल	16,50,000/—	10	पिथौरागढ़	15,00,000/—
4	उत्तरकाशी	8,25,000/—	11	बागेश्वर	6,25,000/—
5	चमोली	19,25,000/—	12	चम्पावत	6,50,000/—
6	रूद्रप्रयाग	7,50,000/—	13	हरिद्वार	17,00,000/—
7	नैनीताल	36,00,000/—			

वर्श 2006—07 हेतु एफ0एल0—2 की लाईसेन्स फीस उपरोक्तानुसार जमा करायी जाये।

भवदीय

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः5554—66/सात—लाईसेन्स—12/व्यवस्थापन/2006—07

प्रतिलिपिः— समस्त जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल।

संख्याः 5567—79/सात—लाईसेंस—12/थोक बिक्री/वि0म0/2006—2007,

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

देहरादून दिनांक मार्च 08, 2006

विषय :— वर्ष 2006—2007 के लिए (उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त) विदेशी मदिरा व बियर की थोक बिक्री लाईसेंसो (एफ0एल0—2) की व्यवस्था।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2006—2007 में पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैः—

कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस (रूपये में)	कमांक	जनपद का नाम	एफ0एल0—2 की लाईसेंस फीस
1	देहरादून	46,87,500/—	8	उ0सिंह नगर	14,75,000/—
2	पौड़ी गढ़वाल	27,00,000/—	9	अल्मोड़ा	17,50,000/—
3	टिहरी गढ़वाल	16,50,000/—	10	पिथौरागढ़	15,00,000/—
4	उत्तरकाशी	8,25,000/—	11	बागेश्वर	6,25,000/—
5	चमोली	19,25,000/—	12	चम्पावत	6,50,000/—
6	रूद्रप्रयाग	7,50,000/—	13	हरिद्वार	17,00,000/—
7	नैनीताल	36,00,000/—			

उपरोक्तानुसार देय लाइसेंस फीस का 1/6 भाग अग्रिम जमा करना होगा व षेश लाईसेंस फीस मासिक किस्तों में निम्न प्रकार जमा की जायेगी :—

1/12 भाग 7 अप्रैल 2006 तक	1/12 भाग 7 जुलाई 2006 तक	1/12 भाग 7 अक्टूबर 2006 तक	1/12 भाग 7 जनवरी 2007 तक
1/12 भाग 7 मई 2006 तक	1/12 भाग 7 अगस्त 2006 तक	1/12 भाग 7 नवम्बर 2006 तक	1/12 भाग 7 फरवरी 2007 तक
1/12 भाग 7 जून	1/12 भाग 7 सितम्बर	1/12 भाग 7	1/12 भाग 7मार्च

2006 तक	2006तक	दिसम्बर 2006 तक	2007 तक

यदि अनुज्ञापी नियमानुसार निर्धारित तिथि तक राजस्व का भुगतान करने में असफल रहता है, तो लाईसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापी पर पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो अनुज्ञापी पर बकाया राजस्व पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय ब्याज की गणना करने के उपरान्त प्रतिदिन देय ब्याज की राशि के बराबर होगी।

यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध सरकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो अग्रिम फीस की राशि क्रमशः फरवरी व मार्च माह में देय लाईसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

1. शासन के निर्णयानुसार विदेशी मदिरा के थोक बिक्री हेतु अनुज्ञापन एफ0एल0–2 पूर्ववत गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुंमाऊॅ मण्डल विकास निगम को आवेदन करने पर दिये जायेंगें। व्यापार में प्रतिस्पर्धा एवं अबाध आपूर्ति बनाये रखने के लिए पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल को भी उनके द्वारा आवेदन करने पर विदेशी मदिरा का थोक अनुज्ञापन दिये जायेंगें । आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञापन के निर्गमन के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा । एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के स्तर से लिये जाने वाला लाभांश गत वर्श आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित 5 प्रतिषत से अधिक नहीं होगा ।

2. एफ0एल0–2 अनुज्ञापन (डयूटी पेड विदेशी मदिरा तथा बियर के थोक बिक्री अनुज्ञापन) वित्तीय वर्ष में कभी भी दिये जा सकते हैं, जो उक्त वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेंगे ।

3. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस जिलेवार गढ़वाल मंडल के जनपदो हेतु गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं कुमायुं मंडल के जनपदो हेतु कुमायुं मंडल विकास निगम को दिये जायेगे, परन्तु पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0, उत्तरांचल के द्वारा राज्य के किसी भी जनपद में उनके द्वारा आवेदन करने पर अनुज्ञापन स्वीकृत किये जा सकते हैं । गढ़वाल व कुमाऊं मंडल विकास निगमों को क्रमशः गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के प्रत्येक जनपद में एफ0एल0–2 खोलना अनिवार्य होगा।

4. आवेदक के पास एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तावित परिसर होना चाहिए, जो अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

5. अनुज्ञापन निर्गत होने से पूर्व अनुज्ञापी को निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क तथा उसके साथ ही एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु रू0 50,000/–(पचास हजार रूपये प्रत्येक जनपद के लिए अलग–अलग) की प्रतिभूति अतिरिक्त रूप से जिलाधिकारी को प्रतिश्रुत करके जमा करनी होगी। यह प्रतिभूति शिडयूल्ड बैंक के सावधि जमा रसीद अथवा अल्प बचत प्रमाण–पत्र अथवा पोस्ट आफिस सेविंग बैंक खाते की पास बुक के रूप में जमा की जा सकती है। प्रतिभूति की राशि अनुज्ञापन की अवधि समाप्त होने के उपरान्त यदि अनुज्ञापी के विरूद्ध आबकारी राजस्व की कोई देयता न हो तो, अनुज्ञापी को वापस कर दी जायेगी।

6. जिला आबकारी अधिकारी एफ0एल0–2 अनुज्ञापन हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्र की समुचित जांच के उपरान्त, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे एवं जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त करके आवेदक को उपरोक्तानुसार अनुज्ञापन स्वीकृत करेंगे।

7. प्रपत्र एफ0एल0–2 में लाईसेंस धारण करने वाला लाईसेंसधारी केवल उस जिले की सीमाओं के भीतर, जिसके लिए लाईसेंस दिया गया है, विदेशी मदिरा/बियर की बिक्री करेगा।

किन्तु संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय, उत्तरांचल की अनुमति से विदेशी मदिरा व बियर के बार अनुज्ञापियों व क्लब बार परमिटधारको को उत्तरांचल प्रदेश के किसी अन्य एफ0एल0–2 अनुज्ञापी से भी विदेशी मदिरा/बियर कय करने की छूट होगी।

8. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अनुज्ञापित परिसर में बेची जाने वाली समस्त विदेशी मदिरा/बियर का नाम तथा मूल्य की एक

सूची आबकारी आयुक्त के पास भेजेगें और बिना आबकारी आयुक्त की अनुमति के वित्तीय वर्ष में मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

9. अनुज्ञापी के लिए अनिवार्य होगा कि वह ब्राण्ड लिस्ट तथा रेट लिस्ट अपने अनुज्ञापित परिसर पर इस प्रकार प्रदर्शित करें, कि प्रत्येक ग्राहक उसे देख सके।

10. अनुज्ञापी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह जनपद के विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापियों/बार अनुज्ञापियों तथा क्लबपरमिट धारकों से मदिरा/बियर के एच्छिक ब्राण्डों एवं उनकी मात्रा विषयक तिथिवार विवरण प्राप्त मांग पत्रों को एक पंजी में अंकित करेगा और प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धान्त पर सम्बंधित अनुज्ञापी को निकासी देगा ।

11. किसी जनपद के एफ0एल0–2 में मदिरा/बियर के किसी ब्राण्ड की अनुपलब्धता होने पर केवल उस ब्राण्ड की आपूर्ति प्रदेश के अन्य एफ0एल0–2 या आसवनी या बी0डब्लू0एफ0एल0–2 या बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी से विशेष परिस्थितियेां में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मुख्यालय उत्तरांचल की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करके उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को की जा सकेगी।

12. यदि किसी कारण से किसी जनपद में एफ0एल0–2 अनुज्ञापन के व्यवस्थापन में विलम्ब होता है, तो जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर मुख्यालय के संयुक्त आबकारी आयुक्त उस जनपद के एफ0एल0–5डी अनुज्ञापियों को प्रदेश के किसी अन्य जनपद के एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से विदेशी मदिरा और बियर लेने की अस्थायी अनुमति दे देंगे, जो उक्त एफ0एल0–2 अनुज्ञापन निर्गत होते ही स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. एफ0एल0–2 अनुज्ञापी आई0एम0एफ0एल0 पर 55/– रूपये प्रति ए0एल0 व 5 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली तथा 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी/वी तक अल्कोहल वाली बियर पर क्रमशः 11.55 रूपये तथा 23.10 रूपये प्रति बल्क लीटर उत्पाद षुल्क जमा करने के उपरान्त एफ0एल0–1 या

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2/ बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2बी से विदेशी मदिरा व बियर प्राप्त कर सकेंगे। मदिरा एवं बियर के प्रत्येक लेबिल पर 'फार सेल इन उत्तरांचल ओनली' छपा होना आवश्यक रूप से अनिवार्य होगा। एफ0एल0–2 से बेची जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौवा तथा बियर की प्रत्येक बोतल/केन पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राम लगा होना अनिवार्य है।

14. जिला आबकारी अधिकारी अपने जनपद में स्थित विदेशी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी जमा होने के मासिक विवरण का अप–टू–डेट रिकार्ड एक रजिस्टर में रखेगे जिसका प्रोफार्मा निम्न प्रकार होगा :–

1) दुकान का नाम ––
(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी पूर्व –
पश्चिम –
उत्तर –
दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्षिक गारन्टीड डयूटी /ड्यूटी की राशि	राशि जमा होने का विवरण		विदेशी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेश की संख्या व दिनांक	विदेशी मदिरा की मात्रा		जिला आबकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							

10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में उस माह के लिए निर्धारित वार्षिक गारंटीड डयूटी की राशि से अधिक तथा बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों के मामले में 20,000 बोतल की वार्शिक सीमा से अधिक (जिस पर आबकारी आयुक्त के निर्देषों के अनुसार निर्धारित ड्युटी की बढ़ी दर से अतिरिक्त राषि जमा करानी होगी) निकासी का विवरण एक रजिस्टर में निम्न प्रारूप में रखा जायेगाः–

	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	जिला आबकारी अधिकारी हस्ताक्षर
			ड्यूटी की श्रेणी के अनुसार संख्या	योग बोतलों में		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					
5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

15.एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा माह के लिए निर्धारित वार्शिक गारंटी डयुटी की राषि जमा कर देने पर एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी के प्रार्थना–पत्र पर जिला आबकारी अधिकारी इस राषि के विपरीत विदेषी मदिरा की निकासी के आदेष ब्राण्डवार जारी करेंगे। विदेषी मदिरा की निकासी हेतु मासिक गारंटी डयूटी के विपरीत विभिन्न ब्राण्ड्स की बोतलो की संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

<u>प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य</u> <u>अभिकर प्रतिबोतल</u>

(1 बोतल = 2 अद्धा = 4 पौवा)

1.रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00

2.रू0 22.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00

3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00
6 रू0 150.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 110.00

बियर के लिए अलग से कोई मासिक गारण्टी डयूटी नहीं देनी होगी।

बोतलो की संख्या निकालने हेतु गणना निम्न प्रकार की जायेगीः—

माना 55/— रू0 अभिकर की बोतलों की संख्या = क
65/— " " " " " = ख
75/— " " " " " = ग
85/— " " " " " = घ
100/— " " " " " = च
110/— " " " " " = छ

वार्शिक गारंटी डयूटी की मासिक राषि = (55 ग क) + (65 ग ख) + (75 ग ग) + (85 ग घ) + (100 ग च) + (110 ग छ)

16.बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को एफ0एल0—2 से बेची जाने वाली विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल पर निम्नानुसार प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि देय होगीः—

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

जिला आबकारी अधिकारी यह धन अग्रिम जमा कराने के उपरान्त बार अनुज्ञापियों व क्लब परमिटधारकों को निकासी के आदेष जारी करेंगें, जिसके उपरान्त ही एफ0एल0—2/एफ0एल0—2बी अनुज्ञापी बार अनुज्ञापियों व क्लबबार परमिटधारकों को विदेषी मदिरा की निकासी देंगें। बार अनुज्ञापी एक वर्श की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रति बोतल न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर पर एफ0एल0—2 से 20,000 (बीस हजार) बोतल तक की निकासी प्राप्त कर सकेगें। यह

संख्या वित्तीय वर्श के प्रारम्भ होने अर्थात दिनांक 01.04.2006 से गिनी जायेगी। इससे अधिक बोतलों की एफ0एल0–2 से निकासी होने पर बोतलों की प्रत्येक 10 प्रतिषत वृद्धि के लिए रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी की राषि का भुगतान बार अनुज्ञापियों/क्लब बार परमिटधारकों को करना होगा।

17. एफ0एल0–2 में मदिरा के गोदाम पर दो ताले लगाये जायेगे, जिनमें से एक की चाबी अनुज्ञापी के पास व दूसरे की चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, जिनके क्षेत्र में एफ0एल0–2 स्थित होगा, के पास रहेगी। जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त आदेष के अनुसार निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापियों तथा क्लब बार परमिटधारकों को दी जायेगी। एफ0एल0–5डी व बार अनुज्ञापी अपनी पसंद के अनुसार विदेषी मदिरा के ब्राण्ड्स ले सकेंगे। जिला आबकारी अधिकारी के निकासी आदेष में जमा राषि व ब्राण्डवार मदिरा की मात्रा का उल्लेख होगा। बियर की निकासी के लिए जिला आबकारी अधिकारी के आदेष की आवष्यकता नहीं होगी व बियर के स्टॉक पर केवल अनुज्ञापी का ताला रहेगा।

18. जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निकासी हेतु आदेष निम्न प्रारूप में जारी किया जायेगा :–

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जनपद .....

क0सं0 दिनांक

एफ0एल0–2 अनुज्ञापी का नाम .....

एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी ..... द्वारा माह .....वर्श ..... हेतु/अथवा माह ..... वर्श ..... में निर्धारित वार्शिक गारन्टीड डयूटी की मासिक राषि से अधिक राषि निम्न प्रकार जमा की गई है :–

1. प्रारम्भिक अवषेश .....
2. जमा राषि .....

(ट्रेजरी चालान सं0.....
व दिनांक .....)

3. योग .....

इन्हे निम्नानुसार विदेषी मदिरा की निकासी दे दी जाये :–

4.प्रतिबोतल न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि	बोतलों की संख्या	कुल ड्यूटी की राषि
55/– रू0 प्रति बोतल		
65/– रू0 प्रति बोतल		
75/– रू0 प्रति बोतल		
85/– रू0 प्रति बोतल		
100/– रू0 प्रति बोतल		
110/– रू0 प्रति बोतल		
योग ––		

5. न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की षेश राषि .....
(कालम 3– 4)

जिला आबकारी अधिकारी
जनपद.....

यह आदेष जारी करने हेतु उपरोक्त प्रपत्र की किताब छपवाई जायेगी, जिसके प्रत्येक पृश्ठ पर नम्बर छपे होंगे। आदेष की मूल प्रति आवेदनकर्ता को दी जायेगी व कार्बन प्रति कार्यालय में अनुरक्षित की जायेगी।

आवेदनकर्ता द्वारा उक्त आदेष की मूल प्रति एफ0एल0–2 के इंचार्ज आबकारी निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करने पर निरीक्षक द्वारा एफ0एल0–2 से मदिरा की निकासी दे दी जायेगी। निकासी आदेष पर, ''निरस्त'' की मोहर व अपने हस्ताक्षर (सतिथि) करने के उपरान्त अपने पदनाम की मोहर लगाकर आबकारी निरीक्षक इसे अपने कार्यालय में अनुरक्षित करेंगे।

एफ0एल0–5डी, बार अनुज्ञापी व क्लबबार परमिटधारक निम्न प्रारूप में निकासी की पास बुक अनुरक्षित करेंगे :–

1) दुकान का नाम ––

(2) अनुज्ञापी का नाम ––

दुकान की चौहद्दी
- पूर्व –
- पष्चिम –
- उत्तर –
- दक्षिण –

क्रमांक	माह का नाम	माह में देय वार्शिक गारन्टीड डयूटी की राषि	राषि जमा होने का विवरण		विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से मदिरा लेने हेतु जारी आदेष की संख्या व दि0	मदिरा की मात्रा		आबकारी निरीक्षक के हस्ताक्षर
			ट्रेजरी चालान सं0	दिनांक		डयूटी की श्रेणी के अनुसार	योग बोतलों में	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अप्रैल							
2	मई							
3	जून							
4	जुलाई							
5	अगस्त							
6	सितम्बर							
7	अक्टूबर							
8	नवम्बर							
9	दिसम्बर							
10	जनवरी							
11	फरवरी							
12	मार्च							

प्रत्येक माह में वार्शिक गारंटीड डयूटी की राषि से अधिक निकासी का विवरण निम्न प्रारूप में पास बुक में रखा जायेगा :–

क्रमांक	माह का नाम	जमा राषि का विवरण ट्रेजरी चालान सं0 व दिनांक सहित	बोतलो की संख्या		जिला आबकारी अधिकारी के आदेष सं0 व दिनांक	आबक अधिक हस्ताक्ष
			डयूटी की श्रेणी के अनुसार	योग		
1	2	3	4	5	6	
1	अप्रैल					
2	मई					
3	जून					
4	जुलाई					

5	अगस्त					
6	सितम्बर					
7	अक्टूबर					
8	नवम्बर					
9	दिसम्बर					
10	जनवरी					
11	फरवरी					
12	मार्च					

17. एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी द्वारा किसी माह के लिए निर्धारित मासिक गारन्टीड डयूटी से अधिक विदेषी मदिरा की निकासी पर तथा बार अनुज्ञापियों एवं क्लब बार परमिटधारकों के लिए निर्धारित वार्शिक सीमा से अधिक निकासी पर इन अनुज्ञापियो/परमिटधारकों को आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार प्रति बोतल बढ़ी दर से अतिरिक्त ड्यूटी देनी होगी, जिसके जमा होने के बाद व जिला आबकारी अधिकारी से निकासी आदेष मिल जाने के उपरान्त ही, विदेषी मदिरा की निकासी इन अनुज्ञापियों को एफ0एल0–2 से प्राप्त हो सकेगी।

18. एफ0एल0–2 पर विदेषी मदिरा एवं बियर की खरीद हेतु एक्स आसवनी एवं एक्स ब्रीवरी मूल्यों का निर्धारण इस सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति व इस संस्तुति के आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा एवं इन्ही मूल्यों के आधार पर एफ0एल0–2 से मदिरा/बियर की निकासी फुटकर अनुज्ञापियों को दी जायेगी।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र षर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

संख्याः5580–5638/सात–लाईसेंस–12/थोकबिक्री/वि0म0/2006–2007/तददिनांक,

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. सचिव, आबकारी, उत्तरांचल षासन, आबकारी विभाग, सचिवालय, देहरादून।

2. समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, उत्तरांचल।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन, उत्तरांचल।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक, अपराध निरोधक क्षेत्र/प्रवर्तन दल, उत्तरांचल।

(नवीन चन्द्र षर्मा)
आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल

उत्तरांचल षासन

आबकारी विभाग

संख्याः401 / ग्ग्ग्/ 2006 / 115 / 2005

देहरादूनः दिनांकः 13, मार्च, 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्श 1904) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संषोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त षीर्शक और प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संषोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 6 का संषोधनः– उत्तरांचल आबकारी (विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 6 का खण्ड (ख) निम्नवत् संषोधित कर दिया जायेगा ; अर्थात्–

(6) (ख) लाईसेन्स षुल्क और सुरक्षा जमा

'' एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से सात दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की प्रतिभूति के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिभूति के रूप में संदाय की जायेगी''

3. नियम 8 (ञ) का मूल नियमावली के नियम 8 का खण्ड (ञ) निम्नवत् संषोधन

संषोधन

कर दिया जायेगा ; अर्थात्–

8 (ञ) आवेदकों के लिए योग्यता षर्ते

''यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर राषि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराषि लाईसेंस फीस की 10 प्रतिषत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर राषि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों मे, चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को लौटा दिया जायेगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीन माह के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा षासन के निर्देषों के अनुसार निर्धारित किया जाये, संषोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।''

4. नियम 12 का संषोधन

मूल नियमावली के नियम 12 निम्नवत् संषोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

12. लाईसेन्स षुल्क और सुरक्षा राषि का भुगतान

''यदि आवेदक लाईसेन्सधारी के रूप में चुना जाता है तो उसको तुरन्त अनुज्ञापि षुल्क (लाईसेंस षुल्क) की सम्पूर्ण धनराषि दुकान के आवंटन के पष्चात् जमा करनी होगी एवं प्रतिभूति राषि जो कि कम से कम एक महिने की न्यूनतम गारण्टी षुल्क के रूप में होगी, सात दिन के अन्दर नगद किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य के सहकारी बैंक लिमिटेड या जिला सहकारी लिमिटेड बैंकों में से कम से कम एक महिने की गारण्टी षुल्क आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम बनाया जायेगा एवं इसकी वैधिकता सम्बन्धी दुकानों के समस्त दावे के अन्तिम समाधान एवं राज्य सरकार के समस्त दावों का जो कि दुकानों के सम्बन्ध में है एवं जिसका विवरण नियम 6 (ख) के अनुसार है, होगी।

यदि आवेदक लाईसेंस षुल्क, सुरक्षा धनराषि, बैंक गारण्टी इत्यादि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करन मे असफल रहता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराषि, लाईसेंस षुल्क एवं सुरक्षा धनराषि (यदि कोई हो तो राज्य सरकार के

पक्ष में) जब्त कर दी जायेगी एवं खाली दुकान का पूर्ण आवंटन किया जायेगा। बकायेदार लाईसेंसी को भविश्य में राज्य के अन्दर, कोई आबकारी लाईसेंस को देने से रोक दिया जायेगा। ऐसे समस्त बकायेदार लाईसेंसी की एक समय की सूची नियम 6 (ख) के अधीन, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उनकी सम्पूर्ण पते सहित तैयार कर आबकारी आयुक्त को प्रेशित की जायेगीद्व जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लाईसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित किया जायेगा।''

(नवीन चन्द्र षर्मा)
सचिव।

संख्याः 401 (1)/ग्ग्प्प्/2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल षासन।
2. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल षासन।
5. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल षासन देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. संयुक्त निदेषक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आषय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाषन उत्तरांचल षासन के असाधारण गजट के दिनांक 13 मार्च, 2006 के विधायी परिषिश्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल षासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

आज्ञा से,

(जी बी ओली)
संयुक्त सचिव

ळवअमतदउमदज वि न्जजंतंदबींस

क्मचंतजउमदज वि म्गबपेम

छवण्रू 401ध्ग्प्प्ध्2005ध्115ध्2005

क्मीतंकनदरूक्ंजमकरू 13ए डंतबीए 2006

छवजपपिबंजपवद

डपेबमससंदमवने

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक इल मबजपवद 40 वि जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्च्च् ।बज छवण् प्ट वि 1910द्धए ;। उमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम दक चचसपबंइसम जव जीम जंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए तमंक पूजी मबजपवद 21 वि जीम न्जजंत च्तंकमी ळमदमतंस ब्संनेमे ।बजए 1904 ;न्च्च् ।बज छवण् 1 वि 1904द्ध ;। ।उमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम दक चचसपबंइसम पद जीम जंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए जीम ळवअमतदमत पे चसमेंमक जव उंाम जीम विससवूपदह तनसमे नितजीमत जव उमदक पद जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमे, 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;ज्मदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण्

1ण् ौवतज ज्पजसम दक ब्वउउमदबमउमदज ;पद्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;ज्मदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण्

;पपद्ध जीमल ौंसस बवउम पदजव वितबम पूजी पउउमकपंजम मिमिबजण्

2ण् ।उमदकउमदज वि त्नसम ब्संनेम ;इद्ध वि त्नसम 9 वि जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम 6रू. ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस सम वि थ्वतमपहद स्पुनवत दक ठममतद्ध त्नसमेए 2001 ;ीमतम पद जिमत तममिततमक जव चतपदबपचंस त्नसमेद्धए ौंसस इम उमदकमक विससवूए दंउमसल.

ष्6द्ध स्पबमदबम थ्मम दक मबनतपजल क्मचवेपज

;इद्ध । नउ मुनंस जव वदम उवदजीश्ेए उवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल पदजमतमेज तिमम मबनतपजल कमचवेपज ौंसस इम चंलंइसम पूजीपद मबअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ौवच दक बी वत ठंदा ळनंतंदजमम

.2. वि उवनदज मुनंस जव वदम उवदजीश्े डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ैबीमकनसमक ठंदा वत न्जजंतंदबींस जंजम ब्व. वचमतंजपअम ठंदो दक क्पेजतपबज ब्व.वचमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतए टंसपक जपसस जीम पिदंस मजजसमउमदज वि सस जीम बसंपउे दक कनमे जव जीम जंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम मजजसमक ौवच ौंसस इम चंलंइसम मबनतपजल कमचवेपजए पूजीपद वदम

उवदजी तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ीवचष

3ण ।उमदकउमदज वि त्नसम 8 ;बद्धरू. ब्संनेम ;मद्ध वि त्नसम 8 वि जीम चतपदबपचंस त्नसमे ींसस इम ंउमदकमक ं विससवूेए दंउमसलरू.

ष ;8द्ध ;मद्ध म्सपहपइसपजल ब्वदकपजपवदे वित ।चचसपबंदजेरू

भ्म ूपसस नितदपी ं इंदक कतंजि कतूंद पद अिवनत वि जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वि पिबमत पेनमक तिवउ ै बीमकनसमक ठंदा वत न्जजंतंदबींस ैजंजम ब्व.वचमतंजपअम ठंदो ंदक क्पेजतपबज ब्व.वचमतंजपअम ठंदो ं मंतदमेज उवदमलण जीम ंउवनदज वि मंतदमेज उवदमल ींसस इम पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमतण प्द बेंम जीम ंचचसपबंदज पे ंमससमबजमक ं सपबमदेममए जीम मंतदमेज उवदमल ींसस इम ंकरनेजमक ंहंपदेज जीम सपबमदबम मिमण प्द वजीमत बेंमे पज ींसस वइम तमजनतदमक ं नबी जव जीम ंचचसपबंदज ं ववद ं मसमबजपवद चतवबमे पे वअमतण जीम सपबमदेमम ींसस ींअम जव कमचवेपज ं ंवसअमदबल बमतजपपिबंजम वि अंसनम चतमेबतपइमक वि ैजंजम ळवअमतदउमदजए इमवितम जीम स्पबमदेपदह ।नजीवतपजल ूपजीपद जीतमम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि ंससवजउमदज वि जीम ीवचण जीम सपबमदेमम ींसस ंसेव ींअम जव कमचवेपज ं बींतंबजमत बमतजपपिबंजम पेनम इल जीम ब्वससमबजवत वि ीपे कपेजतपबजए इमवितम जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजल ूपजीपद जीपतजल कंले तिवउ जीम कंजम वि ंससवजउमदज वि जीम ीवचण

4ण ।उमदकउमदज वि त्नसम 12रू. त्नसम 12 वि जीम चतपदबपचंस त्नसमे ींसस इम ंउमदकमक ं विससवूेए दंउमसलरू.

च्लउमदज वि स्पबमदबम थ्मम ंदक ैमबनतपजल ।उवनदजरू.प्द बेंम ंद ंचचसपबंदज पे ंमसमबजमक ं सपबमदेममए ीम ींसस कमचवेपज जीम मदजपतम ंउवनदज वि सपबमदेबम मिम ंज वदबम ंजिमत जीम ंससवजउमदज वि जीम ीवचए ंदक जीम ंमबनतपजल ंउवनदज मुनंस जव ववदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक कनजल ूपजीपद ंमअमद कंले ंदक ं बी वत ठंदा ळनंतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ ै बीमकनसमक ठंदा वत न्जजंतंदबींस ैजंजम ब्व.वचमतंजपअम ठंदो ंदक क्पेजतपबज ब्व.वचमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वि पिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ंमजजसमउमदीज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ंमजजसमक ीवच ूपीज पद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि इवअमण पि ीम पिसे जव कमचवेपज जीम ंउवनदज वि सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंदक ठंदा ळनंतंदजममए कनम ूपजीपद चतमेबतपइमक चमतपवकए ीपे ंमसमबजपवदष्मजजसमउमदज ींसस ंजंदक बंदबमससमक ंदक जीम मंतदमेज उवदमलए सपबमदबम मिम ंदक ंमबनतपजल ंउवनदज कमचवेपजमकए पि ंदकलए ींसस इम वित पिजजमक पद अिवनत वि जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज ंदक जीम अंबंदज ीवच ींसस इम तमेमजजसमक वितजीूपजीण जीम कमनिसजमत सपबमदेमम ींसस इम कमइंततमक तिवउ ीवसकपदह ंदल म्गबपेम स्पबमदेमम पद निजनतम

ंदल ूीमतम पद जीम ैजंजमण । बवदेवसपकंजमक सपेज वि``नबी कमनिसजमत सपअमदेमम नदकमत जीपे तनसमए ंसवदह ूपजी जीमपत अवउवचसमजम ंककतमैमे ौंसस इम वितूंतकमक इल क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत जव जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ूीव ूपसस बपतबनसंजम जीम बवदेवसपकंजमक सपेज वि जीम ेजंजम जव ंसस जीम सपबमदेपदह ।नजीवतपजल वि जीम ैजंजमण

ठल वतकमतए

;छंअपद बिंदकतं ौंतउंद्ध
ैमबतमजंतलण

उत्तरांचल षासन

आबकारी विभाग

संख्याः402 / ग्ग्ग्/ 2006 / 115 / 2005

देहरादूनः दिनांकः 13, मार्च, 2006

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रकीर्ण</u>

उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्याः1 वर्श 1904) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्याः4

वर्श 1910) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त षक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (नवाँ संषोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त षीर्शक और प्रारम्भः– (1) इस नियमावली उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नवाँ संषोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2.नियम 6 का संषोधनः– उत्तरांचल आबकारी (देषी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (नियमावली, 2001 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 6 के खण्ड (ख) को निम्नवत् संषोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

''(6) (ख) लाईसेंस षुल्क और सुरक्षा जमाः–

''एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से सात दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि नगद अथवा बैंक गारन्टी जो किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष मे सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ मे व्यवस्थापित दुकान की प्रतिभूति के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर प्रतिभूति के रूप में संदाय की जायेगी।''

3. नियम 9 (ञ) का संषोधनः– मूल नियमावली के नियम 9 का खण्ड (ञ) निम्नवत् संषोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

''9 (ञ) आवेदकों के लिए योग्यता षर्तेंः–

यह कि जिला आबकारी अधिकारी अथवा आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 द्वारा जारी किया गया बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराषि के रूप में प्रस्तुत करेगा। धरोहर धनराषि लाईसेंस फीस की 10 प्रतिषत होगी अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। आवेदक के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराषि के अनुज्ञापन फीस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में, चयन प्रकिया पूरी होने के उपरान्त इसे उसी रूप में आवेदक को

लौटा दिया जायेगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीन माह के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त ऐसे मूल्य का जो आबकारी आयुक्त द्वारा षासन के निर्देषों के अनुसार निर्धारित किया जाये, संषोधन क्षमता (सालवेंसी) प्रमाण–पत्र अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञापी को दुकान आवंटन के तीस दिन के भीतर अपने जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।''

4. नियम 13 का संषोधन

मूल नियमावली के नियम 13 निम्नवत् संषोधित कर दिया जायेगा; अर्थात्–

13. लाईसेंस षुल्क और सुरक्षा राषि का भुगतान

''यदि आवेदक लाईसेंसधारी के रूप में चुना जाता है तो उसके तुरन्त अनुज्ञप्ति षुल्क (लाईसेंस षुल्क) की सम्पूर्ण धनराषि दुकान के आवंटन के पष्चात् जमा करनी होगी एवं प्रतिभूति राषि जो कि कम से कम एक महिने की गारण्टी षुल्क के रूप में होगी, सात दिन के अन्दर नगद तथा एक माह की न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर नगद या बैक गारन्टी के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक अथवा बैंक गारन्टी जो उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम बनायी जायेगी एवं इसकी वैधिकता सम्बन्धी दुकानों के समस्त दावे के अन्तिम समाधान एवं राज्य सरकार के समस्त दावों का जो कि दुकानों के सम्बन्ध में है एवं जिसका विवरण नियम 6 (ख) के अनुसार है, देय होगी। यदि आवेदक लाईसेंस षुल्क, सुरक्षा धनराषिद्व बैंक गारण्टी इत्यादि को निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करने में असफल रहता है, तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराषि, लाईसेंस षुल्क एवं सुरक्षा धनराषि (यदि कोई हो तो राज्य सरकार के पक्ष में) जब्त कर दी जायेगी एवं खाली दुकान का पूर्ण आवंटन किया जायेगाा। बकायेदार लाईसेंसी को भविश्य में राज्य के अन्दर, कोई आबकारी बकायेदार लाईसेंसी की एक समय की सूची नियम 6 (ख) के अधीन, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उनकी सम्पूर्ण पते सहित तैयार कर आबकारी आयुक्त को प्रेशित की जायेगीद्व जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लाईसेंसिग प्राधिकारियों का सूचित किया जायेगा।''

(नवीन चन्द्र षर्मा)
सचिव।

संख्याः402 / (1) / ग्ग्प्प्/ 2006 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल षासन।
2. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल षासन।
5. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल षासन देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. संयुक्त निदेषक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आषय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाषन उत्तरांचल षासन के असाधारण गजट के दिनांक 13 मार्च, 2006 के विधायी परिषिश्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल षासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

आज्ञा से,

(जी०बी०ओली)
संयुक्त सचिव

संख्याः440 / ग्ग्ग्/ 06 / 115 / 2005 /

प्रेशक,

नवीन चन्द षर्मा
आबकारी आयुक्त
उत्तराचंल देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराचंल ।

देहरादून दिनांक : 18 मार्च, 2006

विशयः— वर्श 2006—07 हेतु आबकारी नीति के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक संयुक्त सचिव, आबकारी उत्तराचंल षासन के पत्र संख्या 370 / ग्ग्ग् / 06 / 115 / 2005 / दिनांक 6.3.2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें जिसके द्वारा आगामी वर्श के लिए घोशित आबकारी नीति के अनुरूप देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु कार्यकम निर्धारित कर आपको सूचित किया गया था।

उपरोक्त के संबंध में समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय जनपदों में मदिरा की दुकानों के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट वर्श 2006—07 की आबकारी नीति घोशित करने के काफी समय पूर्व के हैं। इस संबंध में सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी स्थिति स्पश्ट की गयी और यह पाया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों में आबकारी नीति घोशित होने के पूर्व की तिथि के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं। उक्त स्थिति के फलस्वरूप आबकारी नीति के कियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता अपनाये जाने तथा सभी शंकाओं के निराकरण करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आवेदन जिनमें आबकारी नीति घोशित होने के पूर्व के बैंक ड्राफ्ट लगाये गये हैं, वे चाहें प्रदेश के बाहर के हों अथवा प्रदेश के अन्दर, ऐसे समस्त आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाये। चूंकि मदिरा की दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि 16 मार्च, 2006 निर्धारित की गयी थी अतः सभी आवदकों को समान अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्श 2006—2007 के लिए उत्तरांचल राज्य की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु पूर्व में निर्गत कार्यकम को संशोधित करते हुए निम्नवत् संशोधित कार्यकम निर्धारित किया जाता है।

1. दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र

आमंत्रित करने की अन्तिम तिथि	22 मार्च, 2006
2. लाटरी द्वारा प्रथम चरण में दुकानों का आबंटन	24 मार्च, 2006
3. प्रथम चरण में अवशेश दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	25 एवं 26 मार्च, 2006
4. लाटरी द्वारा द्वितीय चरण में दुकानों का आबंटन	27 मार्च, 2006
5. द्वितीय चरण में अवशेश दुकानों हेतु आवेदन आमंत्रित करने की तिथि	28 एवं 29 मार्च, 2006
6. लाटरी द्वारा तृतीय चरण में दुकानों का आबंटन	30 मार्च, 2006

अतः कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुरूप वर्श 2006–07 की आबकारी नीति घोशित होने के पूर्व की तिथि के बैंक ड्राफ्ट सहित ऐसे समस्त आवेदकों के आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उपरोक्त संशोधित कार्यकम के अनुसार दुकानों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करने का कश्ट करें।

शासनादेश दिनांकः06 मार्च, 2006 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंग।

भवदीय
(नवीन चन्द षर्मा)
सचिव

संख्याः440(1)/ग्ग्ब्/06/115/2005/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– आबकारी आयुक्त को शासन के पूर्व प्रेशित पत्र दिनांक 06 मार्च, 2006 के कम में इस आशय से प्रेशित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से भी सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश निर्गत करने का कश्ट करें। साथ ही साथ प्रश्नगत प्रकरण में जांच कर, जांच आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 21 मार्च, 2006 तक उपलब्ध कराने का कश्ट करें। शासनादेश दिनांक 06 मार्च, 2006 मैं उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से
(जी0बी0 औली)
संयुक्त सचिव

सरकारी गजट, उत्तरांचल
उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

देहरादून, सोमवार, 10 अप्रैल,, 2006 ई0
चैत्र 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या– 72/सात लाई–1 टैक्स/30ए/देहरादून, 10 अप्रैल, 2006

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणषालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्श 2006–07 की उत्तरांचल प्रदेष की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन षुल्क, उत्पाद षुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

क्र0 सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर
1	2	3	4
	ी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली	क देशी मदिरा सप्लाई के सी0एल0–1 लाइसेंस।	
		(क)10 लाख ब0ली0 तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 3,76,417/–
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 7,52,834/–
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 12,54,723/–

		(घ) 40 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख ब0ली0 तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 16,72,963/—
		(ड.) 60 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख ब0ली0 तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद।	रू0 20,91,204/—
	2. देशी मदिरा क बिक्री प्रणाली	बी0डब्लू0एफ0एल0—2(बाण्ड) (विदेषी मदिरा एवं बियर) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिए	3,34,593/— (तीन लाख चौतीस हजार पांच सौ तिरानबे रूपये) प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए।
		ी0डब्लू0एफ0एल0—2बी (बाण्ड)(केवल बियर) प्रदेष के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	1,67,297/—(एक लाख सड़सठ हजार दो सौ सत्तानवे रूपये)वर्श या वर्श के भाग के लिए
		एफ0एल0—1 (प्रदेष की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेषी मदिरा एवं बियर एफ0एल0—2 को बेचने हेतु देय लाइसेंस)	83,649/— (रू0 तिरासी हजार छःसौ उन्नचास)वर्श या वर्श के भाग के लिए।
		4.एफ0एल0—2(ड्यिूटी पेड विदेशी मदिरा एवं बियर की थोक बिक्री लाईसेंस)	वार्षिक या वर्श के किसी भाग के लिए

		1. देहरादून 2. पौड़ी गढ़वाल 3. टिहरी गढ़वाल 4. उत्तरकाषी 5. चमोली 6. रूद्रप्रयाग 7. नैनीताल 8. ऊधमसिंहनगर 9. अल्मोड़ा 10. पिथौरागढ़ 11. बागेष्वर 12. चम्पावत 13. हरिद्वार	रू0 46,87,500/— रू0 27,00,000/— रू0 16,50,000/— रू0 8,25,000/— रू0 19,25,000/— रू0 7,50,000/— रू0 36,00,000/— रू0 14,75,000/— रू0 17,50,000/— रू0 15,00,000/— रू0 6,25,000/— रू0 6,50,000/— रू0 17,00,000/—
		5.एफ0एल0—2बी (केवल डियुटी पेड बियर की थोक बिकी लाइसेंस)	8,36,482/— प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
		6. एफ0एल0—2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं	3,307/— प्रति वर्श या वर्श के भाग के

		बियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाइसेंस	लिए

3. पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला प्रति किलोलीटर अनुज्ञापन) रू0 25.0953

4. एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन (विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

तेवर्श 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।	) 8,36,482/–वर्श या वर्श के भाग हेतु
ते वर्श 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।	) 16,72,963/– वर्श या वर्श के भाग हेतु
तेवर्श 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु	) 25,09,444/– वर्श या वर्श के भाग हेतु

5. देशी व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें के लाईसेंस फीस के स्लैब के निर्धारण (सी0एल0–5सी व एफ0एल0–5डी)

देषी मदिरा

क्रं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	2005–06	2006–07(15ः बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (त्वनदकमक थ्यहनतम)
1	0 से 12000तक	76,044	88,000
2	12001से 30000तक	1,52,088	1,75,000
3	30001से 60000तक	3,04,175	3,50,000
4	60001से 1,00,000तक	6,08,350	7,00,000
5	1,00,001 से 1,50,000तक	9,12,525	10,50,000
6	1,50,001 से 3,00,000तक	12,16,700	14,00,000
7	3,00,000 से अधिक	15,20,875	17,50,000

विदेशी मदिरा

क्रं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	2005–06	2006–07(15ः बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (त्वनदकमक थ्यहनतम)
1	0 से 6000तक	76,044	88,000
2	6001से 12,000तक	1,52,088	1,75,000
3	12,001से 25,000तक	3,04,175	3,50,000
4	25,001से 50,000तक	6,08,350	7,00,000
5	50,001 से 75,000तक	9,12,525	10,50,000
6	75,001 से 1,00,000तक	12,16,700	14,00,000
7	1,00,000 से अधिक	15,20,875	17,50,000

6 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार

तीन सितारा होटलों तक ।	00,000/– रूपये प्रतिवर्श या वर्श के भाग के लिए ।
चार सितारा होटलों में स्थित बार ।	4,00,000/–रूपये वर्श या वर्श के भाग के लिए।
पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।	00,000/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(4)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	00,000/– रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

6 (ब) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	),000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	),000/–रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

6 (स) क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	),500/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	),750/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	21,000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए

7. बार व क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत बिकी की जाने वाली विदेशी मदिरा पर ड्यूटी की दरः–

(अ) बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक
प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

मदिरा पर देय परमिट फीस

(ब) 20000 बोतल वार्शिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिषत वृद्धि पर बोतलों की बिकी पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से ।

8. उत्पाद शुल्क की दरें

वेदेषी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	55.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
बियर (5 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	11.55 रू0 प्रति बल्क लीटर ।

बियर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	23.10 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
ैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	45.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमषः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	सकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

9.एसेस्मेंट षुल्क की दरें

एफ0एल0–9/9एः– निष्चित लाइसेंस फीस 92/–रू0 प्रति लाईसेंस वार्शिक देय होगी व विदेषी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिकी पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी।

1.	विदेषी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	रियायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल ।
3.	बियर (5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	बियर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल ।

10.आयात की दरेंः–

1.	विदेषी मदिरा (बोतलों में)	0 रू0 प्रति बोतल ।
2.	विदेषी मदिरा (ब0ली0 में)	0 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
3.	बियर	0 रू0 प्रति बोतल ।
4.	माल्ट स्प्रिट	0 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	0 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विकृत सुरा/विषेश विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।(भ्वेचपजंसेए क्पेचमदेंतपमे ंदक वजीमत बींतपजंइसम ंदक मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदें के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी ।)	षून्य।

	थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर ।	1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0

11. निर्यात फीस की दरें

1.	षोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2006तक प्रभावी है तथा आगामी वर्श में संषोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
2.	ई0एन0ए0	0 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2006तक प्रभावी है तथा आगामी वर्श में संषोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0 रू0 प्रति बल्कलीटर
4.	देषी मदिरा	0 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	विदेषी मदिरा (बोतलों में)	7 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विदेषी मदिरा (ब0ली0 में)	0 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
7.	बियर	0 रू0 प्रति बल्क लीटर
8.	माल्ट स्प्रिट	0 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
9.	भांग	0 रू0 प्रति किलोग्राम

12. (अ) विदेशी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी, द्वारा देय) जो दिनांक 1.4.2006 से प्रभावी होगी।

एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्शिक गारन्टीड राषि में से देय प्रति बोतल अभिकर
22.00/– रू0 तक	55.00/– रू0 प्रति बोतल
22.01/– रू0 से 35.00/– रू0 तक	65.00/– रू0 प्रति बोतल
35.01/– रू0 से 55.00/–रू0 तक	75.00/– रू0 प्रति बोतल
55.01/– रू0 से 75.00 रू0 तक	85.00/– रू0 प्रति बोतल
75.01/– रू0 से 150.00 रू0 तक	100.00/– रू0 प्रति बोतल
150.00/–रू0 से अधिक	110.00/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राषि देय नहीं होगी ।

13. (अ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रतिवर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

कमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	0.75 रू0 प्रति बोतल
3.	500मिलीलीटर बोतल	0.55 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.45 रू0 प्रति अदधा
5.	180मिलीलीटर पौव्वा	0.30 रू0 प्रति पौवा

13. (ब) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

कमांक	बोतल का प्रकार	0एल0–3 ए व एफ0एल0एम0–3 हेतु
1.	750मिलीलीटर बोतल	4.50 रू0 प्रति बोतल
2.	375 मिलीलीटर अद्धा	2.25 रू0 प्रति अद्धा
3.	180मिलीलीटर पौवा	1.15 रू0 प्रति पौव्वा

13 (स) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिुवरी(यवासवनी) के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

(1) 650एम0एल0की बोतल पर	रू0 0.25 प्रति बोतल
(2) 350एम0एल0या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.15 प्रति बोतल

14.देशी मदिरा पर उत्पाद षुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क 70/– रूपये प्रति ब0ली0 (36 प्रतिषत वी/वी तीव्रता) की दर से देय होगा।

15. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–टप्प् के सेक्शन–ग्ट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्शन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत हैः–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घंटा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा।

16.षीरा पर प्रषासनिक षुल्क

1.	राज्य की इकाईयों हेतु षीरा की बिकी पर प्रषासनिक षुल्क	11/– प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेष की अल्कोहल/षीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी षीरा की बिकी पर	11/– प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त षीरा के निर्यात पर	15/– प्रति कुंटल

आज्ञा से
(नवीन चन्द्र षर्मा)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरांचल,देहरादून।

संख्या 303/ग्ग्प्प्ध्07ध्11ध्2007देहरादून, 06 मई, 2007

अधिसूचना

आबकारी नीति 2007–08

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या–1 सन! 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेष आबकारी, अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देषी एवं विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिकी को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2007–08 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोशित करते हैंः–

यह नीति दिनांक 01 जून, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक प्रभावी रहेगी।

1– लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

वित्तीय वर्श 2007–08 की लाईसेंस फीस के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्श 2006–07 के लिये निर्धारित देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों की श्रेणी देषी मदिरा के लिये बल्क लीटर में एवं विदेषी मदिरा के लिये बोतलों में वित्तीय वर्श 2006–07 की भांति स्लैबवार

यथावत रखी जायेगी तथा प्रत्येक स्लैब के लिये निर्धारित लाईसेंस फीस में 16 प्रतिषत की वृद्वि की जायेगी एवं इसे एक हजार के पूर्णांक में (राउण्ड अप) करते हुए निर्धारित की जायेगी।

2—न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारणः—

देषी/विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्श 2007—08 में निम्नानुसार वृद्वि की जायेगीः—

क0सं0	वर्श 2006—07 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	वृद्वि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 600 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए	20 प्रतिषत
2	जिन दुकानों पर 450 या उससे अधिक परन्तु 600 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	19 प्रतिषत
3	जिन दुकानों पर 300 या उससे अधिक परन्तु 450 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	18 प्रतिषत
4	जिन दुकानों पर 150 या उससे अधिक परन्तु 300 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	17 प्रतिषत
5	जिन दुकानों पर 50 या उससे अधिक परन्तु 150 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	16 प्रतिषत
6	जिन दुकानों पर 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	15 प्रतिषत

वर्श ह2006—07 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राषि को दुकान के वार्शिक निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़का वृद्वि की गणना की जायेगी।

3— राजस्व निर्धारणः—

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु—2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित किये गये न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु—1 के अनुसार निर्धारित लाईसेंस फीस की राषि को जोड़कर दुकानवार राजस्व की राषि का आगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्श के दौरान निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिकी होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी।

4—देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के राजस्व का निर्धारणः—

बिन्दु 1, 2 व 3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व को जोड़ते हुए जनपद का वर्श 2007—08 हेतु राजस्व निर्धारित किया जायेगा।

5—देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :—

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निजी आवेदकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से निर्धारित राजस्व पर देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में

प्रकाषित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,000/—रू0 की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कॉपरेटिव बैंक अथवा राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रकिया षुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जिमा कराना होगाद्व जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्ननैस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोशित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन—पत्र षुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोश में पूर्व की भांति यथावत् जमा की जायेगी। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दषा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है,

परन्तु यदि वित्तीय वर्श 2007—08 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है। इसके लिये अन्य के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थाई निवासियों के आावेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देषी या विदेषी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रकिया से विचलन की आवष्यकता हो तो षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेषन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम् राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6—पात्रताः—

देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की षर्ते अग्रलिखित षर्तो के अतिरिक्त वित्तीय वर्श 2004—05 के अनुरूप होंगी किन्तु अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण—पत्र संलग्न न होने की दषा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दषा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृश्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम

अचत सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को हैसियत प्रमाण–पत्र के रूप में लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम डवतहंहमक कर हैसियत प्रमाण पत्र प्रापत कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण–पत्र की राषि की कमी के एवज में उस राषि के बराबर राषि के बने बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। अनुज्ञापी का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवष्यक होगा।

7–देषी एवं विदेषी मदिरा की निकासी में न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

निकासी हेतु वर्श 2007–08 के लिये निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के विपरीत देषी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेषी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी। यदि सम्बन्धित दुकान पर बिकी हेतु अधिक मदिरा सकी आवष्यकता हो तो लाईसेंस फीस की श्रेणी के अधिकतम् सीमा तक निर्धारित प्रति बल्क लीटर/प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के आधार पर मदिरा का उठान कर सकता है।

8– देषी एवं विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरः–

(एक) विदेषी मदिरा संदेह उत्पाद षुल्क की दर रू0 56.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा(36 वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 75.00 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) बियर पर अभिकर दर में वर्श 2001–02 से कोई परिवर्तन/वृद्वि न होने के फलस्वरूप 5 प्रतिषत एल्कोहल तीब्रता की बियर पर 13 रू0 प्रति ब्लक लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक तथा 8 प्रतिषत एल्कोहल तीब्रता तक की बियर पर 25 रू0 प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

9–विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैंः–

1. रू0 25.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 60.00
2. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
4. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
5. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0100.00

6. रू0 150.01 से रू0 400.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 115.00
7. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 150.00

उपरोक्त के अतिरिक्त लेबिल रजिस्ट्रेषन फीस भी निर्धारित की जायेगी।

10—सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरः—
वर्श 2007—08 के लिए एफ0एल0—2ए अनुज्ञापन (थोक बिकी) के लिए 5,000/— रू0 लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।
(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगीः—
(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (रम छोड़कर) रू0 56.00 प्रति ए0एल0
(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0
(स) बियर—एफ0एल0—9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0—5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।
(दो) असेस्मेंट फी की दरेंः—
(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (स्प्रिट)/रियायती रमः वर्श 2006—07 की निर्धारित दरों पर।
(ब) बियर—कोई वृद्वि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्श 2006—07 की भांति रहेगी।
11— मदिरा का विकय मूल्यः—
वित्तीय वर्श 2006—07 की भांति मदिरा के विकय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देष्य से देषी/विदेषी मदिरा का अधिकतम् फुटकर बिकी मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु समस्त कार्यवाही षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा की जायेगी।
12—विदेषी मदिरा के थोक (एफ0एल0—2) अनुज्ञापन :—
वित्तीय वर्श 2007—08 हेतु एफ0एल0—2 अनुज्ञापन केवल विदेषी मदिरा के निर्माता (डंदनबिजनतमतेध्क्पेजपससमतपमेध ठतमूमतपमे) को अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वित्तीय वर्श 2007—08 में एफ0एल0—2 के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिकी की अनुमति भी दी जायेगी।
वर्श 2007—08 हेतु विभिन्न जनपदों के एफ0एल0—2 अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस को उनकी विदेषी मदिरा की खपत के आधार पर षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा समय निर्धारित की जायेगी।
सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा को प्रदेष के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रदेष स्थित सहकारी क्षेत्र की आसवनियों के विदेषी मदिरा के इस श्रेणी के ब्राण्डस (न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी के ब्राण्डस) की एक निष्चित प्रतिषत

मात्रा में उठान को एफ0एल0–2 अनुज्ञापन से उठाया जाना फुटकर अनुज्ञापियों के लिए बाध्यकारी बनाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपनी आसवनी के विदेषी मदिरा के ब्राण्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। यदि कोई निर्माता किसी अन्य आसवनी/निर्माता के ब्राण्डस की बांटलिंग अपनी इकाई में करता है तो दूसरे विनिर्माता के इन ब्रान्डस को अपने बाण्ड से बेचने की अनुमति ऐसे बाण्ड धारक निर्माता को नहीं दी जायेगी। इसके लिये उत्पादकवार अलग से बाण्ड लाईसेंस लेना होगा। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा।

13–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देषी मदिरा की दुकानों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाषी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्श 2006–07 की भॉति केवल विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेगीं। दुकानों का स्थल निर्धारण सम्बधित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गढ़वाल मण्डल के आंषिक मध्य निशेध क्षेत्र के जनपदों में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 षैया) वाले होटल/रिसार्टस, जो मुख्य बियर यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगें।

14–जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तनः–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकार रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व, दुकान की स्थिति यथा– स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राश्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप न हों, एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त के माध्यम से षासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवष्यक होगी। स्थान परिवर्तन की जाने वाली दुकान का राजस्व, जनपद की अन्य दुकानों के राजस्व के अतिरिक्त होगा। यदि कोई दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राश्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप खोली जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित लाईसेंसिंग प्राधिकारी/जिलाधिकारी का होगा।

15– जनपदों में देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवष्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर 13 एवं 14 में उल्लिखित मानको के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जनपद का

आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित रहेगा। यदि जनपद की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 13 एवं 14 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं हो सकेगा।

16—बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः—

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयटी की दर निम्नानुसार होंगीः—

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
2. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
4. रू0 150.01 से रू0 400.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 115.00
5. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिकी बार एवं क्लब बारों में प्रतिबन्धित रहेगी।

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से समन्धित अन्य व्यवस्था एवं षर्तें वित्तीय वर्श 2004—05 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृश्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा जिनकी, आवेदन किये जाने वाले वर्श में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्श से पूर्व वित्तीय वर्श में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 5. 50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17—बियर बार लाईसेन्सः—

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्श 2004—05 की नीतियों/मानकों का अनुकरण किया जायेगा। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृश्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्श में पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपयें (तीन लाख रूपये) वार्शिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000/— (बीस हजार रूपयें) प्रतिवर्श की दर से अनुज्ञापन षुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगें एवं सीजनल बीयर बार हेतु लाईसेंस फीस,

बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमॉयू मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों के लिए बिक्री उपरोक्त सीमा से छूट षासन की पूर्वानुमति से गुणावगुण के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी।

18–आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः–

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थ रखा जायेगीः–

(क) आसवनियों की स्थापना हेतु अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ख) बाटलिंगग प्लान्ट लगाने के लिए पूर्व वर्श की नीति के अनुरूप इस व्यवसाय में पूर्व से ही प्रतिश्ठित एवं ख्यातिप्राप्त निर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

एफ0एल0–3 ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर कमषः रू0 4.50/–, रू0 2.25/– एवं रू0 1.15/– बाटलिंग फीस देय होगी किन्तु यदि ऐसे लाईसेंस धारक अपने उत्पाद की बिक्री प्रदेष के बाहर निर्यात करते हैं तो ऐसी दषा में प्रदेष के बाहर निर्यात होने वाली विदेषी मदिरा पर बॉटलिंग फीस की दरें वही होंगी जो प्रदेष के अन्दर स्थापित आसवनियों के लिए निर्धारित की गई हैं किन्तु निर्यात की दषा में सम्बन्धित विनिर्माणषाला को निर्यात फीस एवं अन्य ऐसे देय जो षासन समय–समय पर निर्धारित करेगा, अदा करने होंगे।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेखनीय है कि वर्श 2001–02 से वर्श 2006–07 तक एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बाटलिंग फीस की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः वर्श 2007–08 के लिए एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेषी मदिरा व बियर की बोतल भराई पर (बाटलिंग फी) की दरें निम्नवत् की जानी हैः–

कमांक	बोतल का प्रकार (भारत निर्मित मदिरा)	एफ0एल0–3 हेतु
(क)	1000 मिली लीटर बोतल	रू0 2.00 प्रति बोतल
(ख)	750 मिली लीटर बोतल	रू0 1.50 प्रति बोतल
(ग)	500 मिली लीटर बोतल	रू0 1.00 प्रति बोतल

(घ)	375 मिली लीटर अद्धा	रू0 0.75 प्रति बोतल
(च)	180 मिली लीटर पौवा	रू0 0.60 प्रति बोतल

बियर बोतल भराई हेतु बाटलिंग फी की दरें एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत निम्न प्रकार निर्धारित की जाति हैः–

कमांक	बोतल का प्रकार (बियर)	एफ0एल0–3 हेतु
(क)	650 मिली लीटर की बोतल पर	रू0 0.50 प्रति बोतल
(ख)	650 मिली लीटर या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.30 प्रति बोतल

प्रदेष के बाहर निर्यात हेतु विदेषी मदिरा पैट (च्वसलमजीलसमदम ज्मजतं चैजींसंजम) बोतलों मे भी भरी जा सकेगी परन्तु अनुज्ञापी को इस सम्बन्ध मं सक्षम संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्श के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/कैन्टीनों में भी दी जा सकेगी।

19–गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्टः–

उत्तराखण्ड के षीरा डेफिसिट राज्य होने के कारण गैसोहोल/इथेनाल प्लान्ट स्थापित करने हेतु अनुमति नहीं दी जायेगी।

20–देषी एवं विदेषी मदिरा की बोतलों (सी0एस0डी0 कैन्टीनां/अर्द्ध सैनिक बलों के कैन्टीनों को आपूतित बोतलों को सम्मिलित करते हुए) पर वर्तमान में होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था यथावत् रखी जायेगी। राजस्व सुरक्षा की दृश्टि से फुटकर दुकानों से बेची जाने वाली बियर की बोतलों पर भी सुरक्षा होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था की जायेगी, परन्तु होलोग्राम के वर्तमान डिजाईन को बदल दिया जायेगा। भारत सरकार द्वारा लेबिल्स के लिए निर्धारित बार कोडिंग की व्यवस्था राज्य में भी यथाषीघ्र लागू की जायेगी।

21–देषी मदिरा की षत प्रतिषत भराई वर्श 2005–06 के अनुरूप कांच की नई बोतलों में ही की जायेगी। पॉली पाउचों तथा पैट बोतलों में भरी देषी मदिरा की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

22—जनहित में देषी मदिरा की गुणवक्ता में सुधार हेतु भविश्य में देषी मदिरा का निर्माण ई0एन0ए0 से ही कराया जायेगा। जनपद में देषी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृश्टि से सी0एल0—2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, जिसका अनुज्ञापन षुल्क षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा जनपद में देषी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी। यदि सी0एल0—2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामो के परिसर से देषी मदिरा की थोक बिक्री करना चाहते हैं तो उसे सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराया का निर्धारण लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धाति किया जायेगा।

23—विदेषी मदिरा एवं बियर की पॉली पाउचों/प्लास्टिक की बोतलों में बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सैन्य कैन्टीनों पर भी लागू रहेगा, परन्तु जिन प्रदेषों में पैट बोतलों में भरी विदेषी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है उन प्रदेषों को निर्यात की जाने वाली विदेषी मदिरा पैट बोतलों में इस षर्त के साथ भरी जा सकेगी कि मदिरा निर्माता को सक्षम संस्थ का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इन बोतलों में भरी गयी मदिरा मानव उपभोग हेतु सुरक्षित होगी।

इसके अतिरिक्त विदेषी मुद्रा अर्जन के लिए विदेषी मदिरा व बियर को देष के बाहर निर्यात हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा।

24—भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित नीति यथावत् रहेगी।

25—रेस्त्रांबार/होटल बार/क्लब बार की लाईसेंस फीस में कोई वृद्धि वर्तमान वित्तीय वर्श में नहीं की जायेगी।

26—वित्तीय वर्श 2007—08 में मदिरा की दुकानों प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक खोली जायेंगी।

27—फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्श के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राषियों को वर्श के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

28—अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेषों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा प्रदेष के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहन की जा रही देषी/विदेषी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (त्वनजम) से ही अनुमन्य होगा तथा मार्ग पर पड़ने वाली आबकारी जॉच चौकियों पर प्रविश्टि कराना बाध्यकारी होगा। मार्ग का निर्धारण आबकारी आयुक्त, उत्राखण्ड द्वारा किया जायेगा।

निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुए राज्य के पक्ष में जब्त किया जायेगा तथा तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

29—अन्य षेश व्यवस्थाऐं वर्श 2006—07 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

30—उपरोक्त नीति के कियान्वयन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आवष्यकतानुसार षासन के पूर्व अनुमादेन से संषोधित नियम उपबंधित किये जा सकेंगे।

आज्ञा से,

हरिष्चन्द्र जोषी,

सचिव।

वर्श 2007—08 की आबकारी नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित टैक्स स्ट्रैक्चर

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणषालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्श 2007—08 की उत्तराखण्ड प्रदेष की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन षुल्क, उत्पाद षुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः—

क्र0 सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर (वार्शिक या वर्श के भाग के लिए)
1	2	3	4
	देषी मदिरा थोक बिक्री प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में निर्धारित एम0 जी0 क्यू0 के 1/3 भाग के बाराबर राज्य की तीनों आसवनिय	1—थोक देषी मदिरा सप्लाई के सी0एल0—2 लाइसेंस।	
		विकल्प—1 (क)10 लाख ब0ली0 तक एम0जी0क्यू0वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 1,00,000/—(एक लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		(ख)10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख ब0ली0 तक एम0जी0 क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 3,00,000/— (दो लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		(ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख ब0ली0 तक एम0जी0 क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 3,00,000/— (तीन लाख) या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।

	ों के लिए सी0 एल0–2 अनुज्ञापन की व्यवस्था	(घ) 40 लाख ब0ली0से अधिक एम0जी0क्यू0 वाले जनपद।	न्यूनतम रू0 5,00,000/– या 0.40 पैसा प्रति बल्क लीटर की दर से जो भी अधिक हो।
		विकल्प–2:–वर्श 2006–07 के अनुमानित सी0एल0–1 अनुज्ञापनों की बिकी के आधार पर अनुज्ञापन षुल्क का इन्सीडेंन्स प्रति बल्क लीटर 0.39 पैसा आता है। सी0एल0–2 अनुज्ञापन के लिए अनुज्ञापन षुल्क 0.45पैसे प्रति बल्क लीटर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। इससे अनुज्ञापन षुल्क के रूप में 82,80,000/– की धनराषि प्राप्त हो सकती है जो गत वर्श की तुलना में रू0 10,44,000/– अधिक होगी या (0.40 पैसे प्रति बल्क लीटर भी विचार करना चाहें।)	
2.	वेदेषी मदिरा थोक बिकी प्रणाली	2. (अ) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेषी मदिरा एवं बियर) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिए बिकी के स्लैबवार लाईसेंस फीस।	
		1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000पेटियें से अधिक	रू0 3,50,000.00/– रू0 2,50,000.00/– रू0 3,00,000.00/–
		(ब) बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी 1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000से अधिक	 रू0 1,80,000/– रू0 2,50,000/– रू0 3,00,000/–

		(स) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (एस) 1. 600 पेटी की बिक्री तक 2. 600 पेटी से अधिकतम 1200 पेटियां तक की बिक्री पर	रू0 50,000/– प्रत्येक 100पेटी पर रू0 10,000/–अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
		(द) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)	रू0 1,75,000/–
		3– एफ0एल0–2:– थोक बिक्री लाईसेंस 1–एफ0एल0–2(विदेषी मदिरा की थोक बिक्री हेतु)	रू0 1,00,000/– या रू0 96.00 (छियानवे मात्र) प्रति पेटी की दर से दोनों में से जो भी अधिक हो,देय होगा।
		2– एफ0एल0–2बी (बियर की थोक बिक्री हेतु)	रू0 50,000/– या रू0 60.00 (साठ रूपये) प्रति पेटी की दर से दोनों में से जो भी अधिक हो,देय होगा।
		3. एफ0एल0–2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिक्री लाईसेंस	रू0 5,000/– (पांच हजार)प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए

6. पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला रू0 25.0953 प्रति किलोलीटर
अनुज्ञापन)

7. एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन (विदेषी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

प्रतिवर्श 15 लाख मानक बोतलों से कम भराई तक।	0 8,36,482/–वर्श या वर्श के भाग हेतु
प्रति वर्श 15 लाख से अधिक परन्तु 20 लाख से कम बोतलों की भराई हेतु ।	0 16,72,963/– वर्श या वर्श के भाग हेतु
प्रतिवर्श 20 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख तक बोतलों की भराई हेतु	0 25,09,444/– वर्श या वर्श के भाग हेतु

1. पद्रह लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	पये आठ लाख छत्तीस हजार चार सौ बयासी मात्र प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
2. पद्रह लाख से अधिक और पच्चीस लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	पये सोलह लाख बहत्तर हजार नौ सौ तिरेसठ मात्र प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
3. पच्चीस लाख से अधिक और पचास लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	पये पच्चीस लाख नौ हजार चार सौ चवालीस मात्र प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
4. पचास लाख से अधिक और पिचहत्तर लाख मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	ड़तीस लाख प्रति वर्श या उसके भाग के लिए।
5. पिचहत्तर लाख से अधिक और एक करोड़ मान्य क्वार्ट बोतल से कम भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	पये पचास लाख प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।

8. देषी व विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानें के लाईसेंस फीस के स्लैब के निर्धारण (सी0एल0–5सी व एफ0एल0–5डी)

देषी मदिरा

कं0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	2006–07	2007–08(16ः बढ़ोतरी के साथ पूर्णांक में (त्वनदकमक थ्पहनतम)
1	0 से 12000तक	88,000	1,03,000
2	12001से 30000तक	1,75,000	2,03,000
3	30001से 60000तक	3,50,000	4,06,000
4	60001से 1,00,000तक	7,00,000	8,12,000
5	1,00,001 से 1,50,000तक	10,50,000	12,18,000
6	1,50,001 से 3,00,000तक	14,00,000	16,24,000
7	3,00,000 से अधिक	17,50,000	20,30,000

विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	2006–07	2007–08(16ः बढ़ोतरी के साथ पूर्णक में (त्वनदकमक थ्यहनतम)
1	0 से 6000तक	88,000	1,03,000
2	6001से 12,000तक	1,75,000	2,03,000
3	12,001से 25,000तक	3,50,000	4,06,000
4	25,001से 50,000तक	7,00,000	8,12,000
5	50,001 से 75,000तक	10,50,000	12,18,000
6	75,001 से 1,00,000तक	14,00,000	16,24,000
7	1,00,000 से अधिक	17,50,000	20,30,000

9 (अ) होटल एंण्ड रेस्टोरेन्ट बार

(1) तीन सितारा होटलों तक ।	00,000/– रूपये प्रतिवर्श या वर्श के भाग के लिए ।
(2) चार सितारा होटलों में स्थित बार ।	4,00,000/–रूपये वर्श या वर्श के भाग के लिए।
(3) पांच सितारा होटलों में स्थित बार ।	00,000/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(4)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए	00,000/– रू0 प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

(ब) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	),000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	),000/–रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

(स) क्लब बार परमिट

(1) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	),500/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	),750/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(3) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	21,000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए

10. बार व क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली विदेषी मदिरा पर ड्यूटी की दरः–

(अ) बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
2. रू0 55.01 से 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00
4. रू0 150.01 से 400 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 115.00
5. रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 150.00

मदिरा पर देय परमिट फीस

(ब) 20000 बोतल वार्शिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिषत वृद्धि पर बोतलों की बिक्री पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से ।

11. विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरेंः–

1. विदेषी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर।	6.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
2. बियर (5 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	3.00 रू0 प्रति बल्क लीटर।
3. बियर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	5.00 रू0 प्रति बल्क लीटर।
4.सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमषः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम ।	षासकीय अधिसूचना संख्या 27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

12. विदेषी मदिरा निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–

रू0 25.00प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 60.00
रू0 25.01 से रू0 35.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
रू0 35.01 से रू0 55.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00
रू0 55.01 से रू0 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 85.00

रू0 75.01 से रू0 150.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 100.00

रू0 150.01 से रू0 400.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 115.00

रू0 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 150.00

13.एसेस्मेंट षुल्क की दरें

एफ0एल0–9/9एः– निष्चित लाइसेंस फीस 92/–रू0 प्रति लाईसेंस वार्शिक देय होगी व विदेषी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार एसेसमेंट फीस देय होगी।

	देषी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल।
	यायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल।
	यर (5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता तक)	2.00 रू0 प्रति बोतल।
	यर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक एःल्कोहल तीव्रता वाली)	3.00 रू0 प्रति बोतल।

14.आयात की दरेंः–

1.	देषी मदिरा (बोतलों में)	5.00 रू0 प्रति बोतल ।
2.	विदेषी मदिरा (ब0ली0 में)	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
3.	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल ।
4.	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0
5.	रेक्टिफाईड स्प्रिट	1.00रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
6.	विकृत सुरा/विषेश विकृत सुरा (अ)उत्तराचंल स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर । (भ्वेचपजंसेए क्पेचमदेंतपमे ंदक वजीमत बींतपजंइसम ंदक मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदें के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।)	षून्य।
	(ब)थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	रू0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति ब0ली0

15. निर्यात फीस की दरें

1.	षोधित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03.2007 तक प्रभावी थी तथा आगामी वर्श में संषोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)

2.	ई0एन0ए0	1.00 रू0 प्रति बल्कलीटर । (दिनांक 31.03. 2007तक प्रभावी थी तथा आगामी वर्श में संषोधन होने पर सूचित किया जायेगा।)
3	विकृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्कलीटर।
4.	देषी मदिरा	4.00 रू0 प्रति अल्कोहल ली0 ।
5.	विदेषी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
6.	विदेषी मदिरा (ब0ली0 में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
7.	बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
8.	माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
9.	भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

16. (अ) विदेषी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी, द्वारा देय) जो दिनांक 1.6. 2007 से प्रभावी होगी।

	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	न्यूनतम वार्शिक गारन्टीड राषि में से देय प्रति बोतल अभिकर
1	50 25.00प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 60.00
2	50 25.01 से रू0 35.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 65.00
3	50 35.01 से रू0 55.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
4	50 55.01 से रू0 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
5	50 75.01 से रू0 150.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 100.00
6	50 150.01 से रू0 400.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 115.00
7	50 400.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00

एफ0एल0–2से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राषि देय नहीं हेागी।

एफ0एल0–2 से बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राषि देय नहीं होगी ।

17. (अ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

क्रमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु
1.	1000मिलीलीटर बोतल	2.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750मिलीलीटर बोतल	1.50 रू0 प्रति बोतल

3.	500मिलीलीटर बोतल	1.00 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	0.75 रू0 प्रति अदधा
5.	180मिलीलीटर पौव्वा	0.60 रू0 प्रति पौवा

17. (ब) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

ंमांक	बोतल का प्रकार	राज्य में बिक्री हेतु	निर्यात हेतु
	1000मिलीलीटर बोतल	–	रू0 2.00प्रति बोतल
	750मिलीलीटर बोतल	4.50 रू0 प्रति बोतल	रू0 1.50 प्रति बोतल
	500मिलीलीटर बोतल	–	रू0 1.00प्रति बोतल
	375 मिलीलीटर अद्धा	2.25 रू0 प्रति अद्धा	रू0 0.75 प्रति अद्धा
	180मिलीलीटर पौवा	1.15 रू0 प्रति पौव्वा	रू0 0.60 प्रति पौव्वा

18 (स) विदेषी मदिरा/बियर के लेबिलों का अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रेषन फीस

1. विदेषी मदिरा– विदेषी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्श रू0 5000/–(पांच हजार) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।
2. बियर/वाईन आदि – इसी प्रकार बियर के लेबुलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 2500/–(दो हजार पांच सौ मात्र) धारितावार अनुमोदन षुल्क लिया जायेगा।

18.(द) सी0एस0डी0आपूर्ति के लिए–

(1) विदेषी मदिराः– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 2000/–(दो हजार मात्र)षुल्क देय होगा।

(2) बियर/वाईन :– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 1000/–(एक हजार मात्र) षुल्क लिया जायेगा।

19 (द) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिुवरी(यवासवनी) के अन्तर्गत न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी।

(1) 650एम0एल0की बोतल पर	रू0 0.50 प्रति बोतल
(2) 350एम0एल0या इससे कम धारिता की बोतल पर	रू0 0.30 प्रति बोतल

20.देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय)

देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क 75/– रूपये प्रति ब0ली0 (36 प्रतिषत वी/वी तीव्रता) की दर से देय होगा।

21. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–टप्प् के सेक्षन–ग्ग्ट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई

नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्षन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत हैः–

आबकारी निरीक्षक के लिए रू0 60.00 प्रति घण्टा ।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक रू0 36.00 प्रति घण्टा ।
आबकारी सिपाही रू0 32.00 प्रति घण्टा।

22.षीरा पर प्रषासनिक षुल्क

1.	राज्य की इकाईयों हेतु षीरा की बिक्री पर प्रषासनिक षुल्क	011/– प्रति कुंटल
2.	उत्तर प्रदेष की अल्कोहल/षीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी षीरा की बिक्री पर	0 11/– प्रति कुंटल
3.	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त षीरा के निर्यात पर	0 15/– प्रति कुंटल

(हरिष्चन्द्र जोषी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या /सात–लाईसेंस(30)टैक्स स्ट्रैक्चर/2007–08
दिनांकःयथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशितः–

1. समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी,बंधित गोदाम/आसवनियॉ,उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी,चीनी मिलें,उत्तराखण्ड।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी,मुख्यालय।
6. गार्ड फाईल।

(हरिष्चन्द्र जोषी)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

उत्तरांचल षासन

आबकारी अनुभाग

संख्याः728 / ग्ग्ब्ब् / 2006 / 115 / 2003—ज्ब्

देहरादूनः दिनांकः 10, मई, 2006

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 वर्श 1904) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संषोधन) नियमावली, 2006

1.संक्षिप्त षीर्शक और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (देशी षराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (दसवाँ संषोधन) नियमावली, 2006 है।

(2) यह 01 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 6,8,15 एवं 17 में संषोधनः–

उत्तरांचल आबकारी (देशी षराब की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 समय–समय पर यथा संषोधित, के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 6,5,8, व 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंकित नियम रखे जायेंगेः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
6– लाईसेंस फीस और गारन्टीड राषि का भुगतान– प्रपत्र दे0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः–	6– लाईसेंस फीस और गारन्टीड राषि का भुगतान– प्रपत्र दे0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिये निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त् स्वीकृत किये जायेंगेः–
(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त षासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूर वर्श या वर्श के भाग के लिये।	(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त षासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूर वर्श या वर्श के भाग के लिये।
नोटः– 36 प्रतिषत वी/वी की देषी मसालेदार मदिरा का एक बल्क लीटर	नोटः– 36 प्रतिषत वी/वी की देषी मसालेदार मदिरा का एक बल्क लीटर

25/36 बल्क लीटर 25 प्रतिषत वी/वी सादा देषी षराब के बराबर होगा।

(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित गारन्टी के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवसीापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।

25/36 बल्क लीटर 25 प्रतिषत वी/वी सादा देषी षराब के बराबर होगा।

(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित गारन्टी के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवसीापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।

अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी गारन्टी की राषि को आबकारी वर्श के अन्तिम माहों में उसकी देयता के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

8 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्ष से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्श 2005–06 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।

8 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया जायेगा एवं जिसे जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस, जिसे समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्ष से तय किया जायेगा, को कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में , जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। वर्श 2006–07 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।

15. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का

15. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का

उठानः—

अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परनतु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की समस्त राषि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते है।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड डयूटी के विपरीत देषी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में देषी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साईज डयूटी से पांच रूपये प्रति बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की प्रत्येक 10 प्रतिषत राषि के बराबरी अतिरिक्त उठान पर डयूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

17. बिक्री की अवधी और दुकानों की बन्दीः—

उठानः—

अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परनतु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की समस्त राषि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते है।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड डयूटी के विपरीत देषी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में देषी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साईज डयूटी से पांच रूपये प्रति बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की प्रत्येक 10 प्रतिषत राषि के बराबरी अतिरिक्त उठान पर डयूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

किसी दुकान के लिये निर्धारित वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के 10 प्रतिषत तक अतिरिक्त उठान पर कोई लाईसेंस फीस देय नहीं होगी परन्तु यदि वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के 10 प्रतिषत से अधिक उठान पर यदि दुकान लाईसेंस फीस के ऊपरी स्लैब की लाईसेंस फीस जमा करनी होगी।

17. बिक्री की अवधी और दुकानों की बन्दीः—

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर, 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्श के 31 मार्च तक की अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, दिसम्बर तथा जनवरी माहों में, प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 तक तथा आबकारी वर्श की षेश अवधि में प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक बिक्री के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित गतिविधियों के लिए सुसंगत विधि के उपबन्धों के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

(नवीन चन्द्र षर्मा)

सचिव।

संख्याः 728 /ग्प्प्/2006/115/2005—ज्ब तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

9. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल षासन।
10. निजी सचिव मा0 आबकारी मंत्रीजी को मा0 मत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल षासन।
13. आबकारी आयुक्त उत्तरांचल षासन देहरादून।
14. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
15. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
16. संयुक्त निदेषक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के प्रति इस आषय से कि कृपया अधिसूचना का प्रकाषन उत्तरांचल षासन के असाधारण गजट के दिनांक 10 मई, 2006 के विधायी परिषिश्ट भाग—4 खण्ड—क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियां सचिव, आबकारी विभाग उत्तरांचल षासन देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र षर्मा)
सचिव।

प्द चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे वि ब्संनेम ;3द्ध वि ।तजपबसम 348 वि जीम ब्वदेजपजनजपवद वि प्दकपंए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपेी जतंदेसंजपवद वि दवजपपिबंजपवद छव 728 क्ंजमक 10ण्05ण्06 वित हमदमतंस पदवितउंजपवदण्

ळवअमतदउमदज वि न्जजंतंदबींस

क्मचंतजउमदज वि म्गबपेम

छवण्रू 728ध्ग्प्प्ध्2006ध्115ध्2005.ज्ब्

क्मीतंकनदरूक्ंजमकरू 10ए ड्लए 2006

<u>छवजपपिबंजपवद</u>

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक इल मबजपवद 40 वि जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्च्य ।बज छवण् प्ट वि 1910द्धए ;। उमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम दक चचसपबंइसम जव जीम जंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए तमंक पूजी मबजपवद 21 वि जीम न्जजंत च्तंकमी ळमदमतंस ब्संनेमे ।बजए 1904 ;न्च्य ।बज छवण् 1 वि 1904द्ध ;। ।उमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम दक चचसपबंइसम पद जीम जंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए जीम ळवअमतदमत पे चसमेंमक जव उंाम जीम विससवूपदह तनसमे नितजीमत जव उमदक पद जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमे, 2001ण्

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ;ज्मदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण्

1ण् ौवतज ज्पजसम दक ;पद्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ब्वउउमदबमउमदज ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस सम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध ;ज्मदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण्

;पपद्ध प्ज ींसस इम कममउमक जव ींअम बवउम पदजव वितबम वद जीम पितेज कंल वि ।चतपस 2006ण्

2ण् ।उमदकउमदज वि त्नसम 6ए8ए15 दक 17

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबमे वित त्मजंपस सम वि ब्वनदजतल स्पुनवतद्ध त्नसमेए 2001 उमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम ीमतमपदंजिमत तममिततमक जव जीम पक त्नसमेए वित तनसमे 6ए8ए15 दक 17 मज वनज पद बवसनउद छवण्ण् इमसवूए जीम तनसमे मज वनज पद बवसनउद छवण् प्ींसस इम नइेजपजनजमकरू.

ब्वसनउद प

6ण् स्पबमदबम मिम दक मबनतपजल कमचवेपजरू

जीम स्पबमदबम पद वितउ ब्ण्स्ण्5ध्6ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि द म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वरूि

;द्ध ।ज जीम जपउम वि मजजसमउमदज वि ीवच सपबमदबम मिम पद कअंदबम वद जीम तंजमे पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद पूजी जीम जंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

छवजमरू. व्दम इनसा सपजमत वि चपबमक ब्वनदजतल स्पुनवत वि 36ः अध्अ पूसस इम मुनपअंसमदज वज 36ध्25 इनसा सपजमत वि च्संपद ब्वनदजतल स्पुनवत वि 25ः अध्अण्

;इद्ध। नउ मुनंस जव पदम उवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद हवअजण् जतमेंनतल पदजमतमेज तिमम मबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम पूजीपद मअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ीवच दक बी वत इंदा हनंतंदजमम वि उवनदज मुनंस जव वदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ बीमकनसमक इंदा वत न्जजतंदबींस जंजम ब्वचमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतए अंसपक जपससस जीम पिदंस मजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे दक कनमे जव जीम जंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम मजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम मबनतपजल कमचवेपज पूजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम

ब्वसनउद प

6ण् स्पबमदबम मिम दक मबनतपजल कमचवेपजरू

जीम स्पबमदबम पद वितउ ब्ण्स्ण्5ध्6ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि द म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वरूि

;इद्ध ।ज जीम जपउम वि मजजसमउमदज वि ीवच सपबमदबम मिम पद कअंदबम वद जीम तंजमे पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद पूजी जीम जंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउम वित जीम ीवसम वि जीम म्गबपेम लमंत वत चंतज जीमतमवण्

छवजमरू. व्दम इनसा सपजमत वि चपबमक ब्वनदजतल स्पुनवत वि 36ः अध्अ पूसस इम मुनपअंसमदज वज 36ध्25 इनसा सपजमत वि च्संपद ब्वनदजतल स्पुनवत वि 25ः अध्अण्

;इद्ध। नउ मुनंस जव पदम उवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद हवअजण् जतमेंनतल पदजमतमेज तिमम मबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम पूजीपद मअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ीवच दक बी वत इंदा हनंतंदजमम वि उवनदज मुनंस जव वदम उवदजीशे डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल तिवउ बीमकनसमक इंदा वत न्जजतंदबींस जंजम ब्वचमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वपिबमतए अंसपक जपससस जीम पिदंस मजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे दक कनमे जव जीम जंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम मजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम मबनतपजल कमचवेपज पूजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम

वि मजजसमउमदज वि ीवचण

8ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबमरू

;बद्ध ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ौंसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउए ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत वद चंलउमदज वि जीम चचसपबंजपवद मिमध्वतवबमेपदह मिमए ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमए पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण जीपे मिम ीं इमद पिगमक ं रे 200ध्द वित जीम लमंत 2005.06

15ण स्पजिपदह वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलरू

जीम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंस डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7ज्ी कंल वि जीम दमगज उवदजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम चचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक ब्वनदजतल स्पुनवत ंहपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं उवदजी ंदक जीमतम पे बवचम वित नितजीमत ंसम पद ीपे ौवचए ीम ूपसस इम ससवूमक जव सपजि ंद ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि ब्वनदजतल स्पुनवतए वद चंलउमदज वि ककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ंज ीपहीमत तंजम वि ंदे 5ध्द चमत इनसा सपजमत उवतम जींद जीम वतपहपदंस चमत इनसा सपजमत तंजम वि कनजल चतमेबतपइमक वित जींज ौवचए वित पेनमे वि ब्वनदजतल स्पुनवत ंहपदेज मअमतल ंककपजपवदंस 10ः उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलण स्पबमदेमम ौंसस ींअम जव सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित जीम उवदजी वि डंतबी इल 26ज्ी डंतबी च्वेपजपअमसलण

17ण भ्वनते वि सम ंदक बसवेनमत वि जीम ौवचरू

जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ौंसस तमउंपद वचमद वित ंसम तिवउ 10रू ।ड जव 11रू च्ड कनतपदह चमतपवक 1 वबजवइमत जव 31 डंतबी वि जीम बवउपदह लमंतए मगबमचज वद ।चतपस 14 ; ।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26 ;त्मचनइसपब क्लद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले ं दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवेनतम वि ीवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ौंसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ीवच वद इवअम हतवनदकेण

वि मजजसमउमदज वि ीवचण

जीम ंमबनतपजल कमचवेपजे उंकम इल जीम सपबमदेमम ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज ीपे कनमे कनतपदह जीम सेंज उवदजी वि जीम म्गबपेम लमंतण

8ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबमरू

;बद्ध ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ौंसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउए ूपबी ौंसस इम चनइसपेीमक पद ंजसमेंज जूव चतमेजपहपवने दमूचंचमते वि जीम ंतमं ंदक ूपबी बवनसक ंसेव इम वइजंपदमक तिवउ जीम वंपिबम वि जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण । चतवबमेपदह मिमए ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमए ौंसस इम कमचवेपजमक ूपजी जीम चचसपबंजपवद वितउ पद बी वत ठंदा क्तंजि ;चंलंइसम जव जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतद्ध पद जीम वंपिबम वि क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण जीपे मिम ीं इमद पिगमक ं रे 200ध्द वित जीम लमंत 2006.07

15ण स्पजिपदह वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजलरू

जीम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंस डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7ज्ी कंल वि जीम दमगज उवदजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम चचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक ब्वनदजतल स्पुनवत ंहपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं उवदजी ंदक जीमतम पे बवचम वित नितजीमत ंसम पद ीपे ौवचए ीम ूपसस इम ससवूमक जव सपजि ंद ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि ब्वनदजतल स्पुनवतए वद चंलउमदज वि ककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ंज ीपहीमत तंजम वि ंदे 5ध्द चमत इनसा सपजमत उवतम जींद जीम वतपहपदंस चमत इनसा सपजमत तंजम वि कनजल चतमेबतपइमक वित जींज ौवचए वित पेनमे वि ब्वनदजतल स्पुनवत ंहपदेज मअमतल ंककपजपवदंस 10ः उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलण स्पबमदेमम ौंसस ींअमजव सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित जीम उवदजी वि डंतबी इल 26ज्ी डंतबी च्वेपजपअमसलण

छव उवनदज वि सपबमदेमम मिम ौंसस इम बींतहमक वद मगजतं पेनमे उंकम ंहपदेज नचजव 10ः उवनदज वि जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं ौवचए इनज पद बेंम वि पेनमे इवअम 10ः वि जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलए पि ौवच बवउमे पद जीम दमगज नचचमत संइ वि जीम सपबमदबम मिमए जीम सपबमदेमम ौंसस ींअम जव चंल जीम सपबमदबम मिम पिगमक वित जींज नचचमत संइए वित पे ौवचण

17ण भ्वनते वि सम ंदक बसवेनमत वि जीम ौवचरू

जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ौंसस तमउंपद वचमद वित ंसम तिवउ 10रू ।ड जव 10रू च्ड कनतपदह क्मबमउइमत ंदक श्रंदनंतल ंदक तिवउ 10रू ।ड जव 11रू च्ड कनतपदह जीम तमेज चमतपवक वि जीम म्गबपेम लमंतए मगबमचज वद ।चतपस 14 ; ।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26 ;त्मचनइसपब क्लद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले ं दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवेनतम वि ीवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वि तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ौंसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ीवच वद इवअम हतवनदकेण

;छंअपद बिंदकतं ौंतउद्ध
ैमबतमजंतलण

उत्तरांचल षासन
आबकारी अनुभाग
संख्या 729 / ग्ग्प्प्ध्2006ध्115ध्2005.ज्ण्ब
देहरादून, 10 मई, 2006
अधिसूचना

सा0 प0 नि0–09

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त)

के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) (समय–समय पर यथा संषोधित एवं उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी (विदेशी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 में अग्रेत्तर संषोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेषी एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन संषोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी (विदेशी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) (ग्यारहवां संषोधन नियमावली, 2006) है।

(2) यह 1 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 6, 7, 13, 14 एंव 16 में संषोधनः–

उत्तरांचल आबकारी (विदेषी षराब एवं बियर की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली 2001 (समय समय पर यथा संषोधित) के नीचे स्तम्भ–1 में अंकित नियम 6,7,13,14 एंव 16 के स्थान पर स्तम्भ–2 में अंमित नियम रखे जायेंगेः–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
6. लाईसेंस फीस और गारन्टीड राषि का भुगतान–प्रपत्र वि0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिए निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त स्वीकृत किये जोयेंगेः–	6. लाईसेंस फीस और गारन्टीड राषि का भुगतान–प्रपत्र वि0म0–5ग में लाईसेंस एक आबकारी वर्श या उसके भाग के लिए निम्नानुसार भुगतान के उपरान्त स्वीकृत किये जोयेंगेः–
(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त षासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूरे वर्श या वर्श के भाग के लिये।	(क) दुकान के व्यवस्थापन के समय आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर प्राप्त षासन की स्वीकृति के आधार पर लाईसेंस फीस के अग्रिम भुगतान करने पर पूरे वर्श या वर्श के भाग के लिये।
(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित प्रतिभूत के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी	(ख) एक माह के न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के बराबर की राषि राजकोश में ब्याज रहित प्रतिभूत के रूप में दुकान के व्यवस्थापन की तिथि से 07 दिन के भीतर संदाय की की जायेगी और एक माह के बराबर की राषि या अनुसूचित बैंक अथवा उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0 या जिला सहकारी

बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।

बैंक लि0 से आबकारी आयुक्त या जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में सभी दावे और अवषेश अन्तिम व्यवस्थापन तक विधिमान्य राज्य सरकार के सन्दर्भ में व्यवस्थापित दुकान की गारन्टी के रूप में दुकान की व्यवस्थापन की तारीख से एक माह के भीतर गारन्टी के रूप में संदाय की जायेगी।

अनुज्ञापी द्वारा जमा की गयी गारन्टी की राषि को आबकारी वर्श के अन्तिम माहों में उसकी देयता के विरूद्ध समायेजित किया जायेगा।

7 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्ष से तय किये गये आवेदन फीस/प्रोसेसिंग फीस को कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट देकर प्राप्त किया जा सकता है। वर्श 2005–06 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।

7 (ग) लाईसेंस प्राप्ति के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिया जायेगा जिसे, सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया जायेगा एवं जिसे जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस जिसे समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्ष से तय किया जायेगा, को कैष अथवा जिला आबकारी अधिकारी को देय बैंक ड्राफ्ट के रूप में, जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। वर्श 2006–07 हेतु यह फीस 200/– रू0 निर्धारित की गयी है।

13– इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, जमा करने के पष्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (एफ0एल0–2) से विदेषी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि किसी विषिश्ट ब्राण्ड की विदेषी मदिरा उसके जिला के थोक अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त

13– इस नियमावली के अधीन अनुज्ञापी विदेषी षराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, षुल्क और उपकर, जो समय–समय पर उद्ग्रहीत किये जायें, जमा करने के पष्चात् जिले के किसी थोक अनुज्ञापी (एफ0एल0–2) से विदेषी मदिरा की आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि किसी विषिश्ट ब्राण्ड की विदेषी मदिरा उसके जिला के थोक अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों के पास उपलब्ध नहीं है तो उत्तरांचल के मुख्यालय के उप आबकारी आयुक्त

(लाईसेंसिग) की पूर्व अनुमति से प्रदेष के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेषी मदिरा प्राप्त कर सकेगा।

भारत निर्मित विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की राषि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा।

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	मासिक न्यून्तम गारन्टीड ड्यूटी की राषि।
20/– रू0 तक	55/– रू0 प्रति बोतल
20.01 से 35/– रू0 तक	65/– रू0 प्रति बोतल
35.01 से 75/– रू0 तक	80/– रू0 प्रति बोतल
75.01 से 150/– रू0 तक	100/– रू0 प्रति बोतल
150/– रू0 से ऊपर	110/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 व एफ0एल0–2बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का कोइ समायेजन नहीं किया जायेगा।

(लाईसेंसिग) की पूर्व अनुमति से प्रदेष के किसी थोक अनुज्ञापी से विदेषी मदिरा प्राप्त कर सकेगा।

भारत निर्मित विदेषी मदिरा एफ0एल0–2 से निकासी पर प्रति बोतल (केवल स्प्रिट्स) पर मासिक न्यूनतम गारन्टीड डयूटी की राषि का निम्नानुसार समायोजन किया जायेगा।

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि।
20/– रू0 तक	55/– रू0 प्रति बोतल
20.01 से 35/– रू0 तक	65/– रू0 प्रति बोतल
35.01 से 75/– रू0 तक	80/– रू0 प्रति बोतल
75.01 से 150/– रू0 तक	100/– रू0 प्रति बोतल
150/– रू0 से ऊपर	110/– रू0 प्रति बोतल

एफ0एल0–2 व एफ0एल0–2बी से वि0म0–5 डी अनुज्ञापियों को दी गई बियर की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की राषि का कोइ समायेजन नहीं किया जायेगा।

बार अनुज्ञापियों को दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 55.00
2. रू0 22.01 या उससे अधिक रू0 35.00 तक प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00
3. रू0 35.01 या उससे अधिक

प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 80.00

14. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठानः— अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की समस्त राषि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते हैं।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के विपरीत विदेषी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में विदेषी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जो मूल ड्यूटी से पांच बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की प्रत्येक 10 प्रतिषत राषि के बराबर अतिरिक्त उठान पर ड्यूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

14. मासिक न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठानः— अनुज्ञापी किसी माह के लिए निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड मात्रा का उठान माह के अंतिम कार्य दिवस तक कर सकता है। परन्तु यदि अनुज्ञापी ने मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की समस्त राषि जमा कर दी हो, तो जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञापी की लिखित प्रार्थना पर कारण अभिलिखित करते हुए उसे मदिरा के उठान हेतु अगले माह की 07 तारीख तक का समय दे सकते हैं।

अगर अनुज्ञापी ने किसी माह हेतु निर्धारित समस्त न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी के विपरीत विदेषी मदिरा का उठान कर लिया हो और उसकी दुकान में मदिरा की बिक्री की और आवष्यकता हो तो, अनुज्ञापी को अतिरिक्त मात्रा में विदेषी मदिरा के उठान की अनुमति, अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी जो मूल ड्यूटी से पांच बोतल अधिक होगी का भुगतान करने पर अतिरिक्त उठान की अनुमति दे दी जायेगी। मासिक न्यूनतम गारन्टीड ड्यूटी की प्रत्येक 10 प्रतिषत राषि के बराबर अतिरिक्त उठान पर ड्यूटी की दर पांच रूपये बढ़ती जायेगी। अनुज्ञापी को मार्च माह हेतु निर्धारित न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के विपरीत मदिरा का उठान 26 मार्च तक करना अनिवार्य होगा।

किसी दुकान के लिये निर्धारित वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के 10 प्रतिषत तक अतिरिक्त उठान पर कोई लाईसेंस फीस देय नहीं होगी परन्तु यदि वार्शिक न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की राषि के 10 प्रतिषत से अधिक उठान पर यदि दुकान लाईसेंस फीस के ऊपरी स्लैब में आ जाती है तो

16. बिकी की अवधि और दुकानों की बन्दीः—

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, सभी दिवसों पर , 01 अप्रैल से 30 दिसम्बर तक की अवधी में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक तथा 01 अक्टूबर से आगामी वर्श के 31 मार्च तक की अवधि में प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 तक बिकी के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के एि सुसंगत विधि के उपबन्धें के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

लाईसेंसी को ऊपरी स्लैब की लाईसेंस फीस जमा करने होगी।

16. बिकी की अवधि और दुकानों की बन्दीः—

अनुज्ञापित परिसर, 14 अप्रैल (अम्बेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गाँधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतन्त्र दिवस) और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निष्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त, दिसम्बर तथा जनवरी माहों में, प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा आबकारी वर्श की षेश अवधी में प्रात5 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक बिकी के लिए खुला रहेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से सम्बन्धित गतिविधियों के एि सुसंगत विधि के उपबन्धें के अधीन दुकान की बंदी का आदेष दे सकता है। उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

नवीन चन्द्र षर्मा,
सचिव।

प्द चनतेनंदबम वि जीम चतवअपेपवदे वि ब्संनेम ;3द्ध वि ।तजपबंस 348 वि जीम ब्वदेजपजनजपवदए जीम ळवअमतदवत पे चसमेंमक जव वतकमत जीम चनइसपबंजपवद वि जीम विससवूपदह म्दहसपेी जतंदेंसंजपवद वि दवजपपिबंजपवद दवण 729ध्ग्प्प्ध2006ध115ध2005कृज्ण्ब्ए कंजमक डंल 10ए 2006 वित हमदमतंस पदवितउंजपवदरू

छवण 729ध्ग्प्प्ध2006ध115ध2005कृज्ण्ध

क्ंजमक क्मीतंकनदए डंल 10ए 2006

छव्ज्थ्ध।ज्प्छ

प्द मगमतबपेम वि जीम चवूमते बवदमिततमक इल ेमबजपवद 40 वि जीम न्दपजमक च्तवअपदबमे म्गबपेम ।बजए 1910 ;न्च्ण् ।बज छवण प्ट वि 1910द्धए ;। ेउमदकमक तिवउ जपउम जव जपउम ंदक ं चचसपबंइसम जव जीम ैजंजम वि न्जजंतंदबींसद्धए जीम ळवअमतदमत पे चसमेंमक जव उंाम जीम विससवूपदह तनसमे नितजीमत जव ंउमदक पद जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमे, 2001ण

जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;म्समअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण

1ण ैवतज ज्पजसम ंदक ब्वउउमदबमउमदज

;पद्ध जीमेम त्नसमे उंल इम बंससमक जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध ;म्समअमदजी ।उमदकउमदजद्ध त्नसमेए 2006ण

;पपद्ध प्ज ींसस इम कममउमक जव ींअम बवउम पदजव वितबम वद जीम पितेज कंल वि ।चतपस 2006ण

2ण ।उमदकउमदज वि त्नसम 6ए7ए13ए14 ंदक 16

प्द जीम न्जजंतंदबींस म्गबपेम ;मजजसमउमदज वि स्पबमदबम वित त्मजंपस ैसम वि थ्वतमपहद स्पुनवत – ठममतद्ध त्नसमेए 2001 ; ंउमदकमक तिवउ जपउम जव जपउमद्ध वित तनसमे 6ए7ए13ए14 ंदक 16 ेमज वनज पद बवसवनउद छवण 1 इमसवूए जीम तनसमे ेमज वनज पद बवसनउद छवण्ण् ींसस इम ेनइेजपजनजमकरू.

ब्स्न्डछ.ए

6ण स्पबदबम मिम ंदक ेमबनतपजल कमचवेपजरू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वरूि

;द्ध ।ज जीम जपउम वि ेमजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद जीम तंजमेए पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद जीम बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजए तिवउ जपउम जव जपउमए वित जीम ीवसम वि जीम म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवणि

;इद्ध । ेनउ मुनंस जव वदम डवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल ं पदजमतमेज तिमम ेमबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद ेमअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ीवच ंदक ं बी वत ठंदा ळनतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम डवदजीशे डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल तिवउ ं ेबीमकनसमक इंदा वत न्जजतंदबींस ैजंजम ब्व.वचमतंजपअम ठंदो ंदक क्पेजतपबज ब्व.व्वमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ेमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ेमजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम ं ेमबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ीवचण

7ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबदबमरू

ब्स्न्डछ.प्

6ण स्पबदबम मिम ंदक ेमबनतपजल कमचवेपजरू

जीम सपबमदबम पद वितउ थ्स्ण्5क ींसस इम हतंदजमक वित जीम चमतपवक वि ंद म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवि वद चंलउमदज वरूि

;बद्ध ।ज जीम जपउम वि ेमजजसमउमदज वि ीवचए सपबमदबम मिम पद ंकअंदबम वद जीम तंजमेए पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद जीम बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदजए तिवउ जपउम जव जपउमए वित जीम ीवसम वि जीम म्गबपेम ल्मंत वत चंतज जीमतमवणि

;कद्ध । ेनउ मुनंस जव वदम डवदजीशे डवदजीसल डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल पद बी जव इम कमचवेपजमक पद ळवअमतदउमदज ज्तमेंनतल ं पदजमतमेज तिमम ेमबनतपजल कमचवेपज ींसस इम चंलंइसम ूपजीपद ेमअमद कंले तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि जीम ीवच ंदक ं बी वत ठंदा ळनतंदजमम वि ंउवनदज मुनंस जव वदम डवदजीशे डपदपउनउ ळनतंदजममक क्नजल तिवउ ं ेबीमकनसमक इंदा वत न्जजतंदबींस ैजंजम ब्व.वचमतंजपअम ठंदो ंदक क्पेजतपबज ब्व.व्वमतंजपअम ठंदो पद अिवनत वि म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत वत क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतए अंसपक जपसस जीम पिदंस ेमजजसमउमदज वि ंसस जीम बसंपउे ंदक कनमे जव जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज पद तमेचमबज वि जीम ेमजजसमक ीवचए ींसस इम चंलंइसम ं ेमबनतपजल कमचवेपज ूपजीपद वदम उवदजी तिवउ जीम कंजम वि मजजसमउमदज वि ीवचण

जीम ेमबनतपजल कमचवेपजे उंकम इल जीम सपबमदेमम ींसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज ीपे कनमे कनतपदह जीम सेंज उवदजी वि जीम म्गबपेम लमंतण

7ण ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबदबमरू

;बद्ध ।चचसपबंजपवद वित हतंदज वि सपबमदबम ौंसस इम उंकम वद चतमेबतपइमक वितउए ूपबी बंद इम वइजंपदमक तिवउ जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमत वद चंलउमदज वि जीम ंचचसपबंजपवद मिमध्चतवबमेपदह मिमए ं पिगमक इल जीम म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत पद बवदेनसजंजपवद ूपजी जीम ैजंजम ळवअमतदउमदज तिवउ जपउम जव जपउमए पद बी वत ठंदा क्तंजि चंलंइसम जव जीम क्पेजतपबज म्गबपेम वंपिबमतण जैपे मिम ीं इममद पिगमक ं दे 200ध्. वित जीम लमंत 2005.06

ब्स्न्डछ.ए

13ण् स्पजिपदह वि स्पुनवतरू

जैम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ौंसस वइजंपद ंनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवतध्छममत तिवउ ंदल ूवसमेंसम सपबमदबम ;श्र्.2ध्श्र्.2ठद्ध वि जीम कपेबजपबज ंजिमत उंापदह निसस चंलउमदज वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समंअपमक तिवउव जपउम जव जपउमण् पि ंदल ंचमबपपिबध्चंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज अंपसंइसम पद ूवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ंउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सपबमदबम वि जीम ैजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजतंदबींस ंज क्मीतंकनदण् जैम ंउवनदज वि डवदजीसल ळनंतंदजममक क्नजल ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ;ंचतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्र्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमतरू.

च्मत ठवजजसम म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम	।उज वि उपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल
न्चजव ेण् 20ध्. चमत इवजजसम	55ध्.
थ्तवउ ेण् दे 20ण्01 जव दे 35ण्00	65ध्.
थ्तवउ ेण् दे 35ण्01 जव दे 75ण्00	80ध्.
थ्तवउ ेण् दे 75ण्01 जव दे 150ण्00	100ध्.
।इवअम दे 150ण्00 चमत इवससजम	110ध्.

छव ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज पेनमे वि इममत तिवउ थ्र्स्ण्.2ध्2ठ जव थ्र्स्ण्.5क सपबमदेममेण्

ब्स्न्डछ.ब्

13ण् स्पजिपदह वि स्पुनवतरू

जैम स्पबमदेमम नदकमत जीमेम तनसमे ौंसस वइजंपद ंनचचसपमे वि वितमपहद सपुनवतध्छममत तिवउ ंदल ूवसमेंसम सपबमदबम ;श्र्.2ध्श्र्.2ठद्ध वि जीम कपेबजपबज ंजिमत उंापदह निसस चंलउमदज वि बवेज चतपबम वि वितमपहद सपुनवत पदबसनकपदह ंसस जंगमेए कनजपमे ंदक बमे ं समंअपमक तिवउव जपउम जव जपउमण् पि ंदल ंचमबपपिबध्चंतजपबनसंत इतंदक वि वितमपहद सपुनवत पे दवज अंपसंइसम पद ूवसमेंसम सपबमदबम वत सपबमदबमे वि ीपे कपेजतपबज जीम ंउम उंल इम चतवबनतमक तिवउ ंदल वजीमत ूवसमेंसम सपबमदबम वि जीम ैजंजम ूपजी चतपवत चमतउपेपवद वि जीम क्मचनजल म्गबपेम ब्वउउपेपवदमत ;सपबमदबपदहद्ध भ्मंक फनंतजमतए न्जजतंदबींस ंज क्मीतंकनदण् जैम ंउवनदज वि डवदजीसल ळनंतंदजममक क्नजल ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ;ंचतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्र्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमतरू.

च्मत ठवजजसम म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम	।उज वि उपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल
न्चजव ेण् 22ध्. चमत इवजजसम	55ध्.
थ्तवउ ेण् दे 20ण्01 जव दे 35ण्00	65ध्.
थ्तवउ ेण् दे 35ण्01 जव दे 55ण्00	75ध्.
थ्तवउ ेण् दे 55ण्01 जव दे 75ण्00	85ध्.
थ्तवउ ेण् दे 75ण्01 जव दे 150ण्00 चमत इवजजसम	100ध्.
।इवअम दे 150ण्00 चमत इवससजम	110ध्.

छव ंउवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदेज पेनमे वि इममत तिवउ थ्र्स्ण्.2ध्2ठ जव थ्र्स्ण्.5क सपबमदेममेण्

प्द बेंम वि पेनमे जव इंत सपबमदेमम जीम ंउवनदज वि डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल ौंसस इम ंकरनेजमक ंहपदपेज चमत इवजजसम पेनम वि प्दकपंद डंकम थ्वतमपहद स्पुनवत ;ंचपतपजे वदसलद्ध तिवउ थ्र्.2 पद जीम विससवूपदह उंददमतरू.

च्मत ठवजजसम म्ग.क्पेजपससमतल च्तपबम	।उज वि उपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल
न्चजव ेण् 22ध्. चमत इवजजसम	55ध्.
थ्तवउ ेण् दे 20ण्01 जव दे 35ण्00	65ध्.
थ्तवउ ेण् दे 35ण्01 वत इवअम ठवजजसम	80ध्.

ब्स्न्डछ.ए

14ण् स्पजिपदह डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल

जैम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण् भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस डववदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपमे वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7ज्ी कंल वि जीम दमगज उवदवजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम ंचचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण् प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत हंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं उवदजी ंदक जीमतम पे ेबवचम वित नितजीमत ंसम पद ीपे ौवचए ीम ूपसस इम ंससवूमक जव सपजि ंद ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि वितमपहद सपुनवतए वद चंलउमदज वि ककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ंज ीपहीमत तंजम वि दे 5ध्. चमत इवजजसम ;750 उसद्ध उवतम जींद जीम वतपहपदंस चमत इवससजम तंजम वि कनजल चतमेबतपइमक वित जींज ौवचए वित पेनमे वि थ्वतपमदह स्पुनवत हंपदेज मअमतल ंककपजपवदंस 10ः उवनदज

ब्स्न्डछ.ब्

14ण् स्पजिपदह डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल

जैम स्पबमदेमम बंद सपजि जीम डवदजीसल डपदपउउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित ं उवदजी जपसस जीम सेंज ूवतापदह कंल वि जींज उवदजीण् भ्वूमअमत पि जीम सपबमदेमम ीं कमचवेपजमक ंसस डववदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल जीम क्पेजतपबज म्गबपमे वंपिबमत उंल चमतउपज सपजिपदह वि सपुनवत जपसस जीम 7ज्ी कंल वि जीम दमगज उवदवजीए तमबवतकपदह तमेंवदे पद ूतपजपदह वद जीम ंचचसपबंजपवद वि जीम सपबमदेममण् प्द बेंम जीम सपबमदेमम ीं सपजिमक थ्वतमपहद स्पुनवत हंपदेज जीम मदजपतम उवनदज वि डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ं उवदजी ंदक जीमतम पे ेबवचम वित नितजीमत ंसम पद ीपे ौवचए ीम ूपसस इम ंससवूमक जव सपजि ंद ंककपजपवदंस ुनंदजपजल वि वितमपहद सपुनवतए वद चंलउमदज वि ककपजपवदंस म्गबपेम क्नजल ंज ीपहीमत तंजम वि दे 5ध्. चमत इवजजसम ;750 उसद्ध उवतम जींद जीम वतपहपदंस चमत इवससजम तंजम वि कनजल चतमेबतपइमक वित जींज ौवचए वित पेनमे वि थ्वतपमदह स्पुनवत हंपदेज मअमतल ंककपजपवदंस 10ः उवनदज वि डवदजसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलण् स्पबमदेमम ौंसस ैंअम जव सपजि जीम

वि डवदजसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजलण स्पबमदेमम ौंसस ींअम जव सपजि जीम डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित उवदजी वि डंतबी इल 26जी डंतबी च्वेपजपअमसलण

16ण भ्वनते वि सम ंदक बसवेनतम वि जीम ौवचरू

जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ौंसस तमउंपद वचमद वित सम तिवउ 10रू।ड जव 11रू च्ड कनतपदह चमतपवक 1ज ।चतपस जव 30जी मचजमउइमत ंदक तिवउ 10रू ।ड जव 10रूच्ड कनतपदह चमतपवक 01ज ब्वजवइमत जव 31ज डंतबी वि जीम बवउउपदह लमंतए मगबमचज वद ।चतपस 14जी ;।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए ।नहनेज 15जी ;प्दकमचमदकमदबम क्ंलद्धए ब्वजवइमत 2दक ;ळंदकीप श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26जी ;त्मचनइसपब क्ंलद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवनेमत वि ौवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वत तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ौंसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ौवच वद ंइवअम हतवनदके

डवदजीसल डपदपउनउ ळनंतंदजममक फनंदजपजल वित उवदजी वि डंतबी इल 26जी डंतबी च्वेपजपअमसलण

छव उवनदज वि स्पबमदबम मिम ौंसस इम बींतहमक वद मगजतं पेनमे उंकम ंहंपदेज नचजव 10: उवनदज वि जीम ।ददनंस डपदपउनउ ळनंतंदजममक क्नजल पिगमक वित ंौवचए इनज पद बेंम वि पेनमे ंइवअम 10: वि जीम ।ददनंस डपदपउउ ळनंतंदजममक क्नजलए पि ौवच बवउमे पद जीम दमगज नचचमत संइ वि जीम सपबमदबम मिमए जीम सपबमदेमम ौंसस ींअम जव चंल जीम सपबमदबम मिम पिगमक वित जींज नचचमत संइए वित पे ौवचण

16ण भ्वनते वि सम ंदक बसवेनतम वि जीम ौवचरू

जीम सपबमदबमक चतमउपेमे ौंसस तमउंपद वचमद वित सम तिवउ 10रू।ड जव 10रू च्ड कनतपदह क्मबमउइमत ंदक श्रंदनंतल ंदक तिवउ 10रू ।ड जव 11रूच्ड कनतपदह जीम तमेज चमतपवक वि म्पबपेम लमंतए मगबमचज वद ।चतपस 14जी ;।उइमकांत श्रंलंदजपद्धए ।नहनेज 15जी ;प्दकमचमदकमदबम क्ंलद्धए ब्वजवइमत 2दक ;ळंदकीप श्रंलंदजपद्धए श्रंदनंतल 26जी ;त्मचनइसपब क्ंलद्ध ंदक नचजव जीतमम उवतम कंले दवजपपिमक वित बसवेनतम इल जीम सपबमदेपदह ंनजीवतपजलण स्पबमदेपदह ंनजीवतपजल उंल ंसेव वतकमत वित बसवनेमत वि ौवच वद ंबबवनदज वि सूं ंदक वतकमत वत हमदमतंस मसमबजपवद तमसंजमक ंबजपअपजल नदकमत जीम चतवअपेपवदे वत तमसमअंदज सूंण छव बवउचमदेंजपवद ौंसस इम हपअमद वित जीम बसवेनतम वि ौवच वद ंइवअम हतवनदके

ठल व्तकमतए

छ।टप्छ ब्।छक्त।ैभ।त्ड।ए

ैमबतमजंतलण

संख्या 267/ग्ग्प्प्ध08ध77ध2007
देहरादून, 27 मई, 2008
अधिसूचना
आबकारी नीति 2008–09

श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या–1 सन! 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के साथ पठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेष आबकारी, अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देषी एवं विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिकी को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2008–09 के लिए निम्नवत् आबकारी नीति घोशित करते हैंः–

यह नियम दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगें।

1— लाईसेंस फीस का निर्धारणः—

वित्तीय वर्श 2008—09 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई स्लैव दरें निम्नवत् हैः—

देषी मदिराः—

क0सं0	न्यूनतम् गारन्टीड मात्रा ब0ली0 में	वर्श 2008—09 हेतु लाईसेंस फीस रू0 में
1.	0 से 12000 तक	1,16,000/—
2.	12001 से 30000 तक	2,52,000/—
3.	30001 से 60000 तक	5,03,000/—
4.	60001 से 100000 तक	9,07,000/—
5.	100001 से 150000 तक	13,59,000/—
6.	150001 से 200000 तक	18,12,000/—
7.	200001 से 250000 तक	20,93,000/—
8.	250001 से 300000 तक	25,11,000/—
9.	300001 से अधिक	27,79,000/—

विदेषी मदिरा

क0सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्श 2008—09
1.	0 से 6000 तक	1,16,000/—
2.	6001 से 12000 तक	2,27,000/—
3.	12001 से 25000 तक	4,53,000/—
4.	25001 से 50000 तक	9,05,000/—
5.	50001 से 75000 तक	13,57,000/—
6.	75001 से 100000 तक	18,10,000/—
7.	100001 से 125000 तक	22,62,000/—
8.	125001 से 150000 तक	25,07,000/—
9.	150000 से अधिक	28,25,000/—

टिप्पणीः—किसी भी दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्श की लाईसेंस फीस से कम निर्धारित नहीं की जायेगी। प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्श 2008—09 की नीति के अनुरूप वर्श 2007—08 के वास्तविक उठान के आधार पर तय की जायेगी।

2—न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारणः—

देषी/विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्श 2008—09 में निम्नानुसार वृद्वि की जायेगीः—

क0सं0 वर्श 2007—08 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या व अतिरिक्त वृद्वि लक्ष्य उठान

1	जिन दुकानों पर 100 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए अथवा जिन पर वर्श के दौरान अतिरिक्त उठान किया गया।	27 प्रतिषत
2	जिन दुकानों पर 51 या उससे अधिक परन्तु 99 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	25 प्रतिषत
3	जिन दुकानों पर 25 या उससे अधिक परन्तु 50 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	20 प्रतिषत
4	जिन दुकानों पर 15 या उससे अधिक परन्तु 24 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	17 प्रतिषत
5	जिन दुकानों पर 2 या उससे अधिक परन्तु 14 से कम आवेदन पत्र प्राप्त हुए	15 प्रतिषत
6	जिन दुकानों पर 1 अथवा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।	10 प्रतिषत

वर्श 2007–08 में दुकानों पर अतिरिक्त उठान की राषि को दुकान की वार्शिक निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर आई राषि पर उपरोक्तानुसार वृद्वि की गणना की जायेगी।

3– राजस्व निर्धारणः–

प्रस्तावित नीति के उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित की गई न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु–1 के अनुसार निर्धारित लाईसेंस फीस की राषि को जोड़कर वर्श 2008–09 हेतु दुकानवार राजस्व की राषि का आगणन किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वर्श के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर उस दुकान के अनुज्ञापी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी।

4–देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :–

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारी द्वारा निजी आवेदकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से निर्धारित राजस्व पर देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ 10,000/–रू0 की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कॉपरेटिव बैंक अथवा राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रकिया षुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्ननैस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोशित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा

और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र षुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोश में पूर्व की भांति यथावत् जमा की जायेगी। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दषा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया तब तक अपनाई जायेगी, जब तक कि समस्त दुकानें व्यवस्थापित नहीं हो जाती है,

परन्तु यदि वित्तीय वर्श 2008–09 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है। इसके लिये अन्य के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित राजस्व के सापेक्ष दैनिक मूल्य पर दुकान संचालित करने की अनुमति प्रदान किये जाने पर भी विचार किया जा सकेगा।

दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थाई निवासियों के आावेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देषी या विदेषी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रकिया से विचलन की आवष्यकता हो तो षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेषन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम् राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

5–पात्रताः–

देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन के सम्बन्ध में पात्रता की षर्ते अग्रलिखित षर्तो के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संषोधित) के अनुरूप होंगी किन्तु अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दषा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दषा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदनों को प्रथम दृश्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिंग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम अचत सम्पत्ति नहीं है तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को हैसियत प्रमाण–पत्र के रूप में लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम डवतहंहमक कर हैसियत प्रमाण पत्र प्रापत कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण–पत्र की राषि की कमी के एवज में उस राषि के बराबर राषि के बने बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। अनुज्ञापी का स्थाई रूप से

उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य है, अतः दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना आवष्यक होगा।

6–देषी एवं विदेषी मदिरा की निकासी में न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

निकासी हेतु वर्श 2008–09 के लिये निर्धारित न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के विपरीत देषी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेषी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के आधार पर दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त वर्श के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेंस फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम् सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा, अधिकतम् सीमा से अधिक मदिरा की बिकी होने पर उस दुकान के अनुज्ञापनी को लाईसेंस फीस हेतु निर्धारित अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस देनी होगी। जिसके उपरान्त वह उस अगली उच्च श्रेणी की लाईसेंस फीस के विपरीत देय मदिरा की अधिकतम् मात्रा को न्यूनतम् गारन्टीड अभिकर की मूल दर पर उठान सकेगा।

विदेषी मदिरा तथा बियर की निकासी पर फुटकर अनुज्ञापी को प्रति पेटी एसेसमेंट फीस देनी होगी।

7– देषी एवं विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरः–

(एक) विदेषी मदिरा संदेह उत्पाद षुल्क की दर रू0 56.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा(36 वी0/वी0 तीव्रता) पर ड्यूटी रू0 75.00 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) बियर पर अभिकर की दर गत वर्श के समान 5 प्रतिषत एल्कोहल तीब्रता की बियर पर 13 रू0 प्रति ब्लक लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक तथा 8 प्रतिषत एल्कोहल तीब्रता तक की बियर पर 25 रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

8–विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी की गणनाः–

विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैंः–

1. रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 58.00 प्रति बोतल
2. रू0 22.01 से रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 60.00 प्रति बोतल
3. रू0 25.01 से रू035.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 65.00 प्रति बोतल
4. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू0 75.00 प्रति बोतल

5. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर बोतल — रू0 85.00 प्रति
6. रू0 75.01 से रू0150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर बोतल — रू0 110.00 प्रति
7. रू0 150.01 से रू0 300 तक एक्स आसवनी मूल्य पर बोतल — रू0 120.00 प्रति
8. रू0 300.01 से 450.00 एक्स आसवनी मूल्य पर बोतल — रू0 150.00 प्रति
9. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर प्रति बोतल — रू0 200.00

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित लेबिल रजिस्ट्रेषन फीस भी जमा करानी होगी।

9—सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेंट फीस की दरें :—

सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेसमेंट फीस की दरें गत वर्श के समान रहेंगी।

वर्श 2008—09 के लिए एफ0एल0—2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए 5,000/— रू0 लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगीः—

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (रम छोड़कर) — रू0 56.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) — रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर—एफ0एल0—9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0—5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(दो) असेस्मेंट फी की दरेंः—

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (स्प्रिट)/रियायती रमः वर्श 2007—08 की निर्धारित दरों पर।

(ब) बियर—कोई वृद्वि प्रस्तावित नहीं है। वित्तीय वर्श 2007—08 की भांति रहेगी।

10— मदिरा का विकय मूल्यः—

वित्तीय वर्श 2007—08 की भांति मदिरा के विकय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देष्य से देषी/विदेषी मदिरा का अधिकतम् फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

11—विदेषी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0—2/2बी) अनुज्ञापन :—

वित्तीय वर्श 2008—09 हेतु एफ0एल0— 2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेषी मदिरा के निर्माता (डंदनबिजनतमतेध्क्पेजपससमतपमेध्ठतमूमतपमे) को अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

वित्तीय वर्श 2008–09 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक के सम्बन्ध में षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्श 2008–09 में प्रदेष के थोक विदेषी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.00 लाख एवं एफ0एल0–2बी के लिये रू0 1.00/– लाख रजिस्ट्रेष फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी की लाईसेंस फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी, जिससे कम बिक्री वाले विदेषी मदिरा के निर्माता (डंदनबिजनतमतेध्क्पेजपससमतपमेध्ठतमूमतपमे) भी अपने ब्राण्डस् प्रदेष में बेच सकेंगे।

प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल0–2 हेतु लाईसेंस फीस वर्श या वर्श के भाग के लिए	प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल0–2 बी हेतु लाईसेंस फीस वर्श या वर्श के भाग के लिए
न्यूनतम् दो लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2 की लाईसेंस फीस विदेषी मदिरा की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।	न्यूनतम् एक लाख रूपये के अधीन रहते हुये एफ0एल0–2बी की लाईसेंस फीस बियर की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।

विदेषी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस की राषि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क0सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयों में)
1.	रू0 25.00 तक	80/–
2.	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3.	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	140/–
5.	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	150/–
6.	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	160/–
7.	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	180/–
8.	450 से ऊपर	200/–
9.	बियॅर एवं वाईन	60/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी राषि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देगें। सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा को प्रदेष के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपने ब्राण्डस् ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैववार होगा। विदेषी मदिरा व बियर के आयात पर गत वर्श के समान आयात फीस ली जायेगी।

प्रदेषी के प्रत्येक जिले में एफ0एल0–2 हेतु गोदाम की व्यवस्था आबकारी विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 की दरों पर प्रत्येक एफ0एल0–2 लाईसेंसी को उपलब्ध कराई जायेगी, इस गोदाम पर आबकारी विभाग के पूर्ण नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग का ताला लगा होगा, जिसकी चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के पास रहेगी।

12–गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों में देषी मदिरा की दुकानों/बारों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाषी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्श 2007–08 की भॉति केवल विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेगीं। दुकानों का स्थल निर्धारण सम्बधित जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा। गढ़वाल मण्डल के उपरोक्त पांच जनपदों में बार/बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (षैया) वाले होटल/रिसार्टस, जो मुख्य बियर यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेगें।

13–जनपदों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकानें :–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकार रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु नई दुकान को खोलने से पूर्व दुकान का राजस्व, दुकान की स्थिति यथा– स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राश्ट्रीय/राज मार्ग, यात्रा मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप न हों, एवं दुकान खोलने के आधार सहित आबकारी आयुक्त के माध्यम से षासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवष्यक होगी।

14– जिलों में देषी एवं विदेषी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवष्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर 13 में उल्लिखित मानको के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर 13 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगें परन्तु ऐसी स्थिति में किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

15—बार एवं क्लब बार लाईसेन्सः—

बार अनुज्ञापन के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयटी की दर निम्नानुसार होंगीः—

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 75.00
2. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 85.00
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 110.00
4. रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 120.00
5. रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 150.00
6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 200.00

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बारों में प्रतिबन्धित रहेगी।

होटल एवं रेस्त्राओं के अलावा गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमायूँ मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों द्वारा मांग किये जाने पर बार लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से समन्धित अन्य व्यवस्था एवं षर्तें पूर्वानुसार रहेंगी।

बड़े व्यवसायिक होटलों को दृश्टिगत रखते हुए ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्श में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्श से पूर्व वित्तीय वर्श में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

16—बियर बार लाईसेन्सः—

बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु नीति गत वर्श के समान रहेगी। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की दृश्टि से उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्श में पके हुए भोजन की बिक्री 3.00 लाख रूपयें (तीन लाख रूपये) वार्शिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 20,000/— (बीस हजार रूपयें) प्रतिवर्श की दर से अनुज्ञापन षुल्क के आधार पर बियर बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगें एवं सीजनल बीयर बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 10,000/— (दस हजार रूपये मात्र) होगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बियर बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनके आवेदन किये जाने की तिथि तक उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 3.00 लाख अथवा उससे अधिक हो।

17—आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापनाः—

आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्थ रखा जायेगीः–

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा, इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदको को षीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

(ख) बाटलिंगग प्लान्ट लगाने के लिए प्रतिश्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेषी मदिरा के ब्राण्डस् की भराई हेतु प्रस्वाव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा। छोटे निर्माताओं के लिए एफ0एल0एम0–3 लाईसेंस की कम बोतल भराई की श्रेणी समानुपातिक लाईसेंस फीस के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा षासन की पूर्वानुमति से बनाई जायेगी।

व्हिस्की,ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर कमषः रू0 4.00/–, रू0 2.00/– तथा रू0 1.00/– बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेषी मदिरा समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। निर्यात की दषा में सम्बन्धित विनिर्माणषाला को निर्यात फीस एवं अन्य ऐसे देय जो षासन समय–समय पर निर्धारित करेगा, अदा करने होंगे।

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.50 प्रति बोतल व रू0 0.30 प्रति अद्वा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्वा एफ0एल0–3ए की लाईसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की भराई की स्थिति में प्रत्येक बोतल/अद्वा/पव्वा पर कमषः रू0 2.00, 1.00, 0.70 बाटलिंग फीस देय होगी। अन्य पैकों में भरी विदेषी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी। प्रदेष से निर्यात की जाने वाली विदेषी मदिरा पर एफ0एल0–3, एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 लाईसेंस के अन्तर्गत बॉटलिंग फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जायेगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्श के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे। इसके अतिरिक्त गत वर्श के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/कैन्टीनों में दी जा सकेगी। राज्य के फल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेष में नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का षत–प्रतिषत निर्यात किया जायेगा, तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्शो तक बॉटलिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(घ) वित्तीय वर्श 2008–09 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीब्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिसमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 56.00 प्रति अल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद षुल्क वसूल किया जायेगा। इस प्रकार के ब्रिवरेजस किन धाारिता की बोतलों में बेची जायेगी, इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा षासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

18–गैसोहोल/इथेनॉल प्लान्टः–

पेट्रोल में मिलाने हेतु एनहाइड्रस अल्कोहल का निर्माण करने के लिए आसवनी स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस दिये जाने पर विचार किया जायेगा, परन्तु ऐसे आवेदकों को षीरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी।

19– देषी एवं विदेषी मदिरा(केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल जगाये जायेंगे। विदेषी मदिरा के लेबिल्स पर बार कोडिंग की व्यवस्था राज्य में भी यथाषीघ्र लागू की जायेगी।

20–विदेषी मदिरा की भराई के लिए पुरानी बोतलों के पूर्व से हो रहे उपयोग को देखते हुये देषी मदिरा की भराई हेतु भी नई बोतलों के साथ–साथ उततराखण्ड एम्बोस्ड पुरानी साफ षीषे की बोतलों को देषी मदिरा भरने हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा।

21– जनपद में देषी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृश्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, जिसका अनुज्ञापन षुल्क षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा जनपद में देषी मदिरा के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में राज्य स्तर पर विभिन्न जनपदों की मांग अनुसार यथासंभव कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी। यदि सी0एल0–2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामो के परिसर से देषी मदिरा की थोक बिक्री करना चाहते हैं तो उसे सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराया का निर्धारण लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धाति किया जायेगा।

22–विदेषी मुद्रा अर्जन के लिए विदेषी मदिरा, बियर एवं ई0एन0ए0 को देष के बाहर निर्यात किये जाने हेतु नियमों में आवष्यक व्यवस्थायें बनायी जायेंगी।

23–भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत् रहेगी।

25—रेस्त्रां बार, तीन सितारा एवं पांच सितार होटलों की लाईसेंस फीस विगत वर्श 2007—08 में निर्धारित लाईसेंस फीस के डेढ़ गुना होगी। क्लब बार परमिट धारकों की वार्शिक फीस में 25 प्रतिषत की वृद्धि की जायेगी। ओकेजनल बार लाईसेंस हेतु रू0 2000/— प्रतिदिन लाईसेंस फीस होगी। प्राइवेट बैक्वेट (ठंदुनमज) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेषन फीस रू0 1,000/— होगी।

25—वित्तीय वर्श 2008—09 में मदिरा की दुकानों प्रातः 11:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खोली जायेंगी।

27—अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य प्रदेषों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा प्रदेष के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहित की जा रही देषी/विदेषी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (त्वनजम) से ही अनुमन्य होगा एवं वर्श 2007—08 में लागू की गई व्यवस्था वर्श 2008—09 में भी जारी रहेगी। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर उसे अवैध मानते हुए राज्य के पक्ष में जब्त किया जायेगा तथा तद्नुसार सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

28—राज्य में मदिरा के अर्वध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेगी।

29—अन्य षेश व्यवस्थाऐं विगत वर्श 2007—08 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

डा0
रणबीर सिंह,
सचिव।

उत्तराखण्ड षासन
आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड
2008—09 की आबकारी नीति के अन्तर्गत टैक्स स्ट्रक्चर
20 जून, 2008 ई0

संख्या 1549/सात लाई0—1 टैक्स/30ए—विभिन्न मादक पदार्थों की विनिर्माणषालाओं तथा थोक एंव फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्श 2008—09

की उत्तराखण्ड प्रदेष की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन षुल्क, उत्पाद षुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः—

क0सं0	मादक पदार्थ का नाम	लाईसेंस के प्रकार	लाईसेंस फीस की दर
1	2	3	4
1.	देषी मदिरा की थोक बिक्री प्रणाली	<u>थोक देषी मदिरा सप्लाई के सी0एल—2 लाईसेन्स</u> सी0एल0—2 अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेगें, जिनका अनुज्ञापन षुल्क आबकारी आयुक्त द्वारा देषी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर तीनों आसवनियों में राज्य स्तर पर विभिन्न जनपदों की मांग अनुसार यथासम्भव कम से कम तीन बराबर भागों में विभाजित कर निर्धारित की जायेगी । यदि सी0एल0—2 अनुज्ञापी सरकारी गोदामों के परिसर से देषी मदिरा की थोग बिक्री करना चाहते हैं तो उन्हें सम्बन्धित परिसर का बाजार मूल्य पर किराया देना होगा। किराया लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। जिस जनपद में जिस आसवनी की जितनी प्रतिषत सप्लाई वर्श के दौरान होगी, उसी प्रतिषत में जनपद की देषी मदिरा की थोक सप्लाई हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी से वसूल की जायेगी। सी0एल0—2 अपुज्ञापन लाईसेंस फीस निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः—	वर्श या वर्श के भाग के लिए (क) 10 लाख बल्क लीटर तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद — रू0 4,14,100/— (ख) 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख बल्क लीटर तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद — रू0 8,28,200/— (ग) 20 लाख से अधिक किन्तु 40 लाख बल्क लीटर तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद — रू0 13,80,200/— (घ) 40 लाख से अधिक किन्तु 60 लाख बल्क लीटर तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद — रू0 18,40,300/—

		(ङ) 60 लाख से अधिक किन्तु 80 लाख बल्क लीटर तक देषी मदिरा सप्लाई वाले जनपद	रू0 23,00,400/–
2.	विदेषी मदिरा की थोक बिक्री प्रणाली	1–बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेषी मदिरा बियॅर एवं वाईन) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिए।	वर्श या वर्श के भाग के लिए
		1. 50,000 पेटियों तक	रू0 3,50,000/–
		2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 5,00,000/–
		3. 1,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 7,00,000/–
		2–बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड) (केवल बियर के लिए) प्रदेष के बाहर की ब्रिवरीज के लिए।	वर्श या वर्श के भाग के लिए
		1. 50,000 पेटियों तक	रू0 1,80,000/–
		2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	रू0 2,50,000/–
		3. 1,00,000 पेटियों से अधिक	रू0 3,00,000/–
		3–बी0डब्लू0एफ0एल0–एस (बाण्ड) (केवल स्कॉच के लिए)	वर्श या वर्श के भाग के लिए
		1. 600 पेटी की बिक्री तक	रू0 55,000/–
		2. 600 पेटी से अधिकतम 1200 पेटियों तक की बिक्री पर	प्रत्येक 100 पेटी पर रू0 11,000/– अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी
		4–बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू) (केवल वाईन के लिए)	वर्श या वर्श के भाग के लिए रू 1,92,500/–
		5–एफ0एल0–1 (प्रदेष की आसवनियों को स्वयं निर्मित	वर्श या वर्श के भाग के लिए रू 1,00,000/–

विदेषी मदिरा एवं बियॅर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाईसेंस)

6–एफ0एल0–2 थोक बिकी लाईसेंस)

1. एफ0एल0–2 (विदेषी मदिरा, बियॅर तथा वाईन की थोक बिकी हेतु)

वित्तीय वर्श 2008–09 हेतु एफ0एल0–2 /2बी अनुज्ञापन केवल विदेषी मदिरा के निर्माता (डंदनबिजनतमतेध्क्पेजपससमतपमेध्ठतमूमतपमे) को अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वर्श 2008–09 में प्रदेष के थोक विदेषी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिए 2.0 लाख एवं एफ0एल0–2बी के लिए रू0 1. 00 लाख रजिस्ट्रेषन फीस (मुख्यालय पर जमा करायी जायेगी) देनी होगी। इसके इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी की लाईसेंस फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगीः–

प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल–2 हेतु लाईसेंस फीस वर्श या वर्श के भाग के लिए।	प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिए एफ0एल–2बी हेतु लाईसेंस फीस वर्श या वर्श के भाग के लिए।
न्यूनतम 2.00 लाख रूपये (एडवान्स) के अधीन रहते हुए एफ0एल–2 की लाईसेंस फीस विदेषी मदिरा/बियॅर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिकी पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।	न्यूनतम 1.00 लाख रूपये (एडवान्स) के अधीन रहते हुए एफ0एल–2बी की लाईसेंस फीस बियॅर की प्रत्येक पेटी की बिकी पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी वसूल की जायेगी।

विदेषी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राषि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क0 सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/ 2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयों में)
1.	रू0 25.00 तक	80/–
2.	रू0 25.01 से रू0	115/–

	35.00 तक	
3.	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4.	रू0 55.01 से रू0 75.00 तक	140/–
5.	रू0 75.01 से रू0 150.00 तक	150/–
6.	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	160/–
7.	रू0 300.01 से रू0 450.00 तक	180/–
8.	450 से ऊपर	200/–
9.	बियॅर एवं वाईन	60/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी राषि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देगें।

2. एफ0एल0–2ए (सैन्य इकाईयों को मदिरा एवं बियर की सप्लाई हेतु थोक बिकी लाईसेंस) रू0 5,000/– प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए।

3. पी0डी0–2 अनुज्ञापन (आसवनी में स्प्रिट के उत्पादन हेतु दिया जाने वाला अनुज्ञापन) लाईसेंस फीस रू0 27.61 प्रति किलालीटर

4. एफ0एल0एम–3 अनुज्ञापन (बॉटलिंग लाईसेंस)
(विदेषी मदिरा की बोतल भराई इकाई को दिया जाने वाला अनुज्ञापन)

(एक)	पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 3,06,800/– (तीन लाख छः हजार आठ सौ मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए
(दो)	पांच लाख बोतल से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 6,13,600/– (छः लाख तेरह हजार छः सौ मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए
(तीन)	छः लाख बोतल से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 9,20,200/– (नौ लाख बीस हजार दो सौ मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए
(चार)	पन्द्रह लाख बोतल से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 18,40,300/– (अठारह लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए
(पांच)	पच्चीस लाख बोतल से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 27,60,400/– (सत्ताईस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए

(छः)	पचास लाख बोतल से अधिक परन्तु पिच्छतर लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 41,80,000/– (इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए
(सात)	पिच्छतर लाख बोतल से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में	रूपये 55,00,000/– (पच्पन लाख मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिए

5. देषी व विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाईसेंस फीस के स्लैबों का निर्धारण (सी0एल–5सी व एफ0एल0–5डी)

देषी मदिरा

क0सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्श 2008–09
1.	0 से 12000 तक	1,16,000/–
2.	12001 से 30000 तक	2,52,000/–
3.	30001 से 60000 तक	5,03,000/–
4.	60001 से 100000 तक	9,07,000/–
5.	100001 से 150000 तक	13,59,000/–
6.	150001 से 200000 तक	18,12,000/–
7.	200001 से 250000 तक	20,93,000/–
8.	250001 से 300000 तक	25,11,000/–
9.	300001 से अधिक	27,79,000/–

विदेषी मदिरा

क0सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्श 2008–09
1.	0 से 6000 तक	1,16,000/–
2.	6001 से 12000 तक	2,27,000/–
3.	12001 से 25000 तक	4,53,000/–
4.	25001 से 50000 तक	9,05,000/–
5.	50001 से 75000 तक	13,57,000/–
6.	75001 से 100000 तक	18,10,000/–
7.	100001 से 125000 तक	22,62,000/–
8.	125001 से 150000 तक	25,07,000/–
9.	150000 से अधिक	28,25,000/–

किसी भी दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्श की लाईसेंस फीस से कम निर्धारित नहीं की जायेगी। प्रत्येक दुकान की लाईसेंस फीस गत वर्श 2008–09 की नीति के अनुरूप वर्श 2007–08 के वास्तविक उठान के आधार पर तय की जायेगी।

6. (अ) होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट बार

(1)	तीन सितारा होटलों तक	3,00,000/– रूपये प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)	चार सितारा होटलों में स्थित बार	6,00,000/– रूपये प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(3)	पाँच सितारा होटलों में स्थित बार	7,50,000/– रूपये प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(4)	सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिए दिये जाने वाले बार लाईसेंस तीन सितार होटलों तक के स्तर के लिए	1,50,000/– रूपये प्रति प्रति सीजन अधिकतम छः माह के हेतु।
6.	(ब) बियर बार अनुज्ञापन	
(1)	बियॅर बार अनुज्ञापन	20,000/– रूपये प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)	सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिए दिये जाने वाले बियॅर बार लाईसेंस	10,000/– रूपये प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
6.	(स) क्लब बार परमिट	
(1)	ऐसे क्लब जहाँ सदस्यों की संख्या 100 तक हो	75,625/– रू0 प्रतिवर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)	ऐसे क्लब जहाँ सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	1,13,438/– रू0 प्रतिवर्श या वर्श के भाग के लिए
(3)	ऐसे क्लब जहाँ सदस्यों की संख्या 500 तक हो	1,51,250/– रू0 प्रतिवर्श या वर्श के भाग के लिए

6. (द) ओकेजनल बार लाईसेंस हेतु रू0 20,000/– प्रतिदिन लाईसेंस फीस होगी। बैंक्वेट (ठंदुपमज) हाल एवं होटलों एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेंस प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग में रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेषन फीस रू0 1,000/– होगी।

7. बार व क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत बिक्री की जाने वाली विदेषी मदिरा पर ड्यूटी की दर

(अ) बार व क्लब बार अनुज्ञापन परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी (वर्श में 20000 बोतल तक) पर ड्यूटी की दर निम्नानुसार होगीः–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 75.00 प्रति बोतल
2. रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 85.00 प्रति बोतल
3. रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 110.00 प्रति बोतल
4. रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर — रू0 120.00 प्रति बोतल

5. रू0 300.01 से रू0 450.00 तक रू0 150.00 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य पर

6. रू0 450.00 से अधिक एक्स रू0 200.00 प्रति बोतल आसवनी मूल्य पर

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बारों में प्रतिबन्धित रहेगी।

(ब) 20000 बोतल वार्शिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिषत अधिक बोतलों की निकासी पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से देय होगी।

8 विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरें

(1)	विदेषी मदिरा (स्प्रिट) की अभिकर की दर	56.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(2)	08 प्रतिषत तक तीव्रता वाली एल्कोहल बिव्ररेजस् में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर	56.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(3)	बियर (5 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	13.00 रू0 प्रति बल्क लीटर
(4)	बियर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता वाली) की अभिकर की दर	25.00 रू0 प्रति बल्क लीटर
(5)	सैन्य कैन्टीन को दी जाने वाली रियायती रम	45.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(6)	भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम– उत्तरांचल राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली क्रमषः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम	षासकीय अधिसूचना संख्या 27/ आब/2002/दिनांक 14.01.2002 के द्वारा इस सीमा तक रम अभिकर मुक्त कर दी गयी है।

9. एसेसमेंट षुल्क की दरें

एफ0एल0–9/9ए– निष्चित लाईसेंस फीस 100/–रू0 प्रति लाईसेंस वार्शिक देय होगी व विदेषी मदिरा रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार एसंसमेंट फीस देय होगीः–

(1)	विदेषी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी एवं जिन)	32.00 रू0 प्रति बोतल
(2)	रियायती रम	20.00 रू0 प्रति बोतल
(3)	बियर (5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता तक)	02.00 रू0 प्रति बोतल
(4)	बियर (5 प्रतिषत से अधिक परन्तु 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता वाली)	03.00 रू0 प्रति बोतल

10. आयात की दरें

(1)	विदेषी मदिरा (बोतलों में)	05.00 रू0 प्रति बोतल
(2)	विदेषी मदिरा (बल्क लीटर में)	02.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(3)	बियर	1.00 रू0 प्रति बोतल
(4)	माल्ट स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति बोतल
(5)	रेक्टिफाईड स्प्रिट	2.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(6)	विकृत सूरा/विषेश विकृत सूरा	
	(अ) उत्तराखण्ड स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर (भ्वेचपजंसेए क्पेचमदेंतपमे ंदक वजीमत बींतपजंइसम ंदक मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदे) के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।	षून्य
	(ब) थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	रू0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर।

षासनादेष संख्या 274/ग्ग्ब्/08/77/2007, दिनांक 29.05.2008 के द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुरूप सबसे कम न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा से आषय गत वर्श की भांति रू0 60.00 अथवा उससे कम न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा से लिया जायेगा एवं इस श्रेणी की मदिरा के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. निर्यात फीस की दरें

(1)	षोधित आसव (पेय मदिरा एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	2.25 रू0 प्रति बल्क लीटर
(2)	ई0एन0ए0	2.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
(3)	विकृत सूरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
(4)	देषी मदिरा	4.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(5)	विदेषी मदिरा (बोतलों में)	2.67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(6)	विदेषी मदिरा (बल्क लीटर में)	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(7)	बियर	0.50 रू0 प्रति बल्क लीटर
(8)	माल्ट स्प्रिट	5.00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर
(9)	भांग	3.00 रू0 प्रति किलोग्राम

12. विदेषी मदिरा के एक्स डिस्टिलरी मूल्य पर स्लैबवार देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एफ0एल0–5डी अनुज्ञापी, द्वारा देय) जो दिनांक 01.06.2008 से प्रभावी होगी।

विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

(1) रू0 22.00 प्रति बोतल तक एक्स आसवनी मूल्य रू 58.00 प्रति बोतल पर
(2) रू0 22.01 से रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 60.00 प्रति बोतल
(3) रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 65.00 प्रति बोतल
(4) रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 75.00 प्रति बोतल
(5) रू0 55.01 से रू0 75.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 85.00 प्रति बोतल
(6) रू0 75.01 से रू0 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 110.00 प्रति बोतल
(7) रू0 150.01 से रू0 300.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 120.00 प्रति बोतल
(8) रू0 300.01 से रू0 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 150.00 प्रति बोतल
(9) रू0 450.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर रू 200.00 प्रति बोतल

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्धारित लेबिल रजिस्ट्रेषन फीस भी जमा करानी होगी।

एफ0एल0–2 से बियर तथा वाईन की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई राषि देय नहीं होगी।

13. (अ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विषेश मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगीः–

क्रमांक	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 के अन्तर्गत	
		राज्य में बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
1.	1000 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	2.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750 मिलीलीटर बोतल	2.00 रू0 प्रति बोतल	1.50 रू0 प्रति बोतल
3.	500 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	1.00 रू0 प्रति बोतल

4.	375 मिलीलीटर अद्धा	1.00 रू0 प्रति अद्धा	0.75 रू0 प्रति अद्धा
5.	180 मिलीलीटर पौव्वा	0.70 रू0 प्रति पौव्वा	0.60 रू0 प्रति पौव्वा
6.	90 मिलीलीटर पैक	0.35 रू0 प्रति पैक	0.30 रू0 प्रति पैक

13. (ब) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

1.	1000 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	2.00 रू0 प्रति बोतल
2.	750 मिलीलीटर बोतल	4.00 रू0 प्रति बोतल	1.50 रू0 प्रति बोतल
3.	500 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	1.00 रू0 प्रति बोतल
4.	375 मिलीलीटर अद्धा	2.00 रू0 प्रति अद्धा	0.75 रू0 प्रति अद्धा
5.	180 मिलीलीटर पौव्वा	1.00 रू0 प्रति पौव्वा	0.60 रू0 प्रति पौव्वा
6.	90 मिलीलीटर पैक	0.50 रू0 प्रति पैक	0.30 रू0 प्रति पैक

13. (स) एफ0एल0–3 व एफ0एल0 –3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिवरी (यवासवनी) में न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

क0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेंस फीस
1.	(1) 650 एम0एल की बोतल पर	रू0 0.50 प्रति बोतल	रू0 0.50 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल
2.	(2) 350 एम0एल की बोतल पर	रू0 0.30 प्रति बोतल	रू0 0.30 प्रति बोतल	रू0 0.15 प्रति बोतल

13.(द) नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का षत–प्रतिषत निर्यात किया जायेगा, तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्शों तक बाटलिंग फीस नहीं ली जायेगी।

14. सी0एस0डी0 आपूर्ति के लिए

(1) विदेषी मदिरा–प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 2,200/–(दो हजार दो सौ मात्र) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।

(2) बियर/वाईन–प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 1,100/–(एक हजार एक सौ मात्र) रजिस्ट्रेषन षुल्क लिया जायेगा।

15. विदेषी मदिरा/बियर के लेबिलों का अनुमोदन हेतु रजिस्ट्रेषन फीस

(1) विदेषी मदिरा–विदेषी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्श रू0 5,500/–(पाँच हजार पाँच सौ मात्र) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।

(2) बियर/वाईन आदि इसी प्रकार बियर–वाईन के लेबिलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 2750/–(दो हजार सात सौ पच्चास मात्र) धारितावार रजिस्ट्रेषन षुल्क लिया जायेगा।

16. देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क (सी0एल0–5सी अनुज्ञापी द्वारा देय):–
देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क 75/– रूपये प्रति ब0ली0 (36 प्रतिषत वी/बी तीव्रता) की दर से देय होगा।

17. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–ट्प्प् के सेक्षन–ग्ट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्षन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत् है:–

आबकारी निरीक्षक के लिए	रू0 60.00 प्रति घण्टा।
आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक	रू0 36.00 प्रति घण्टा।
आबकारी सिपाही	रू0 32.00 प्रति घण्टा।

18. षीरा पर प्रषासनिक षुल्क:–

(1)	राज्य की इकाईयों हेतु षीरा की बिक्री पर प्रषासनिक षुल्क	रू0 11/–	प्रति कुंटल
(2)	उत्तर प्रदेष की एल्कोहल/षीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी षीरा की बिक्री पर	रू0 11/–	प्रति कुंटल
(3)	उपरोक्त (2) के अतिरिक्त षीरा के निर्यात पर	रू0 15/–	प्रति कुंटल

डा0 रणबीर सिंह,
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23.08.2008, भाग–1–क में प्रकाषित।
(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेशित––)
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 आबकारी/649–26–8–2008–250 (कम्प्यूटर/रीजियो)

सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड षासन

संख्या–204 / ग्ग्ध्ध्/2010 / 17 / 2010
देहरादूनः दिनांक 08 अप्रैल, 2010
2010–11 की आबकारी नीति के अनुसार टैक्स स्ट्रक्चर

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणषालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों के लिए वर्श 2010–11 की उत्तराखण्ड प्रदेष की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन षुल्क, उत्पाद षुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

वर्श 2010–11 हेतु देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस नियमानुसार निर्धारित कुल राजस्व के कमषः 11 प्रतिषत एवं 15 प्रतिषत के बराबर निकटतम रू0 1000 / – के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रू0 45.00 लाख से अधिक लाईसेंस फीस होने की स्थिति में रू0 45.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुष्त तथा षेश धनराषि मासिक किष्तों में माह सितम्बर, 2010 तक या उससे पूर्व वसूल की जायेगी।

मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय लाईसेंस फीसः–

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा लाइसेन्स फीस निम्नानुसार देय होगीः–

देषी मदिरा.....रू0 11 / – प्रति बल्क लीटर ।
विदेषी मदिरा.....रू0 22 / – प्रति बोतल।

मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) से 20ः अतिरिक्त उठानः–

देशी / विदेषी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम गारन्टीड अभिकर के वार्शिक राषि के 1 / 12 भाग के बराबर राषि के 20ः (बीस प्रतिषत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा। परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर–3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी। परन्तु यह और कि यदि यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

अहाता षुल्क की व्यवस्थाः–

देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर उपभोक्ताओं के बैठने हेतु अहाता (कैन्टीन) में गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स आदि की व्यवस्था अनुज्ञापी द्वारा की जायेगी, जिसके लिये अहाता (कैन्टीन) का वार्षिक शुल्क नगर पालिका / नगर महापालिका क्षेत्रों में रू० 10,000 / – प्रति दुकान एवं टाउन एरिया व ग्रामीण क्षेत्रो में रू० 5,000 / – प्रति दुकान निर्धारित किया जाता है।

विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याजः–

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्श के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिषत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दरः–

(एक) विदेषी मदिरा पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर रू0 61.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर डयूटी (उत्पाद षुल्क) रू0 105.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

(दो) बियर पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर 5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक व 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 30/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

अवषेश स्टॉक का निस्तारणः–

(क) वित्तीय वर्श 2009–10 की समाप्ति पर दिनांक 31–03–2010 की बिक्री के पष्चात देषी मदिरा (सी0एल0–5) व विदेषी मदिरा/बियर (एफ0एल0–5डी) के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों पर अवषिश्ट एवं अविकीत मात्रा पर बढ़े हुये उत्पाद षुल्क एवं एम0जी0डी0 के अन्तर की धनराषि जमा कराते हुये मदिरा का निस्तारण सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड षासन की अधिसूचना संख्या–142/ग्यारह/2010/64/2009/ देहरादूनः दिनांक 05 मार्च, 2010 के बिन्दु संख्या–14 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुनिष्चित किया जायेगा। देषी मदिरा (सी0एल0–5) व विदेषी मदिरा/बियर (एफ0 एल0–5डी) अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2010 के अविकीत/अवषेश मदिरा की दिनांक 30–04–2010 तक बिक्री की गई मात्रा के पष्चात अवषेश मात्रा पर आबकारी नीति वर्श 2010–11 के अन्तर्गत नई निकासी मानते हुये समस्त एम0जी0डी0 एवं असेसमेंट फीस देय होगी, जिसे मई 2010 की मासिक निकासी में समायोजित किया जायेगा।

(ख) उक्त के अतिरिक्त देषी/विदेषी मदिरा के अन्य फुटकर व थोक अनुज्ञापनों (जैसे बार /सैन्य कैन्टीन/एफ0एल0–2 आदि) पर दिनांक 31–03–2010 को अवषेश एवं अविकीत स्टाक पर नियमानुसार बढ़ी हुई दर से देय समस्त षुल्क की अन्तर की धनराषि जमा करनी होगी।

विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणनाः–

विदेषी मदिरा की एफ0एल0–5 डी दुकानों की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

(1) रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ..... रू0 79.00 प्रति बोतल

(2) रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 86.00 प्रति बोतल

(3) रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 99.00 प्रति

बोतल

(4) रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 112.00 प्रति बोतल

(5) रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 145.00 प्रति बोतल

(6) रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 158.00 प्रति बोतल

(7) रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर ..... रू0 198.00 प्रति बोतल

(8) रू0 450.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर ..... रू0 264.00 प्रति बोतल

एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्वा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी;

परन्तु यह कि अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमषः रू0 25/– तथा रू0 50/–से अधिक अन्तर की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर ड्यूटी तथा एसेस्मेन्ट फीस की दरः–

वर्श 2010–11 के लिये एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिये रू0 10,000/–लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी :–

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (रम छोड़कर)

वर्श 2009–10 की तरह सिविल मार्केट के बराबर रू0 61.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर–एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5डी) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 30/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।)

(दो) एफ0.एल0–9/9ए निश्चित लाईसेन्स फीस वार्षिक रू0 100/– देय होगी व विदेशी मदिरा,रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार असेसमेन्ट फीस देय होगीः–

(1) भारत निर्मित विदेषी मदिरा(व्हिस्की,ब्रान्डी,जिन).....रू0 34/–प्रति बोतल।

(2)रियायती रम.....रू0 25/–प्रति बोतल।

(3) बियर.....रू0 05/–प्रति बोतल।

0. आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन /ब्राण्डी/बियर आदि) की सुविधाः–

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को एफ0एल0–9ए अनुज्ञापन के अतिरिक्त एफ0एल0–9बी लाईसेंस के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेषी मदिरा तथा विदेष निर्मित विदेषी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति एफ0एल0–2 से एफ0एल0–5 की भांति देय षुल्कों के साथ अनुमन्य होगी।

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को दिये जाने वाले एफ0 एल0–9बी अनुज्ञापन की वर्श या वर्श के भाग के लिए लाईसेंस फीस रू0 100/– (रूपये एक सौ) मात्र होगी।

1. भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली अभिकर मुक्त रमः–उत्तराखण्ड राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमषः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम षासकीय अधिसूचना संख्या27/आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के अन्तर्गत इस सीमा तक अभिकर मुक्त रहेगी ।

2. (क) विदेशी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2डब्लू) अनुज्ञापनः–

वर्श 2010–11 में प्रदेष में थोक विदेषी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.50 लाख, एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–2(डब्लू)के लिये रू 1.25 लाख रजिस्ट्रेषन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2(डब्लू) की लाईसेन्स फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी :–

(1) प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेन्स फीस विदेषी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

(2) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0 2बीं/2(स्कॉच)/2डब्लू हेतु लाईसेंस फीस बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

वित्तीय वर्श 2010–11 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक की भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। उच्च स्टार श्रेणी होटलों (तीन स्टार व उच्च श्रेणी) को 330 एम0एल0 एवं 325 एम0एल0 के पैकिंग व टिन्स में बियर की बिक्री अनुमन्य की जायेगी। इन होटलों को ओवर सीज लिकर के 60 एम0एल0 व 90 एम0एल0 की बिक्री करने की अनुमति भी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक के सम्बन्ध में षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

''ऐसी भारतीय इकाईयां, जो आयातित ब्रॉड्स की स्कॉच व्हिस्की,जिन, बीयर, वाईन, ब्राण्डेड मदिरा की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त स्कॉच की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं अथवा विदेष में निर्मित विदेषी मदिरा ब्राण्डस को भारत में बिकय करने के विधिक अधिकार प्राप्त हैं इन्हें ऐसे ब्राण्डस के निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।''

(ख) <u>विदेषी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राषि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी</u>:–

क्र0 स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयेा में)
1	रू0 25.00 तक	80/–
2	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4	रू0 55.01 से 75.00 तक	140/–
5	रू0 75.01 से 150.00 तक	150/–
6	रू0 150.01 से 300 तक	160/–
7	रू0 300.01 से 450.00 तक	180/–
8	450 से ऊपर	200/–
9	बियर (650एम0एल0 की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल0 की 24 बोतल की पेटी) एवं वाईन (750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी) ।	60/–
10	500 एम0एल0 के 24 केन की पेटी ।	92.31/–
11	330 एम0एल0 के 24 केन की पेटी।	60.93/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेन्ट षुल्क की राषि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

विदेषी मदिरा/बियर बॉण्ड अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीसः–

3. प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपने ब्रान्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बॉण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिकी की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा। बॉण्ड लाईसेन्सो की फीस वर्श 2010–11 हेतु निम्नानुसार होगी :–

) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेषी मदिरा बियर एवं वाईन) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिएः– 1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000पेटियेां से अधिक	ि या वर्ष के भाग के लिए 0 4,83,000/– 0 6,90,000/– 0 9,66,000/–
) बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड) (केवल बियर के लिये) प्रदेष के बाहर की ब्रिवरीज के लिएः– 50,000 पेटियों तक 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 1,00,000से अधिक	ि या वर्ष के भाग के लिए 0 2,48,000/– 0 3,45,000/– 0 4,14,000/–
) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 एस(बाण्ड)(केवल स्कॉच के लिये):– 600 पेटी की बिकी तक। 600 पेटी से ऊपर ।	ि या वर्ष के भाग के लिए 0 76,000/– येक 100 पेटी पर रू0 13,200/–अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
(4) बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)(केवल वाईन के लिये)	ि या वर्ष के भाग के लिए 50 10,000/–
(5) एफ0एल0–1(प्रदेष की आसवनियों को स्वंय निर्मित विदेषी मदिरा/बियर एफ0एल0–2/2बी को बेचने हेतु देय लाईसेन्स)	ि या वर्ष के भाग के लिए 0 2,00,000/–

(क) बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटीः–

4. बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगी :–

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 125.00 प्रति बोतल

2. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 150.00 प्रति बोतल

3. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 175.00 प्रति बोतल

4. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 200.00 प्रति बोतल

5. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 250.00 प्रति बोतल

6. रू0 450.01 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 350.00 प्रति बोतल

(ख) उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिकी बार एवं क्लब बार परमिट धारको के परिसरों में प्रतिबन्धित रहेगी।

देषी/विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु गोदाम की व्यवस्थाः–

5. फुटकर दुकानों देषी मदिरा (सी0एल0–5) व विदेषी मदिरा (एफ0एल0–5डी) के अस्थाई गोदाम हेतु लाईसेंस फीस वर्श या वर्श के भाग के लिए नगर महापालिका/नगर पालिका क्षेत्र हेतु रू0 50,000/– तथा टाउन एरिया व ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 30,000/–होगी।

6. (क) वित्तीय वर्श 2010–11 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस् को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिनमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर बीयर के समान प्रति बल्क लीटर की दर से उत्पाद षुल्क वसूला जायेगा।

7. एफ0एल0एम0–3 की लाईसेन्स षुल्क की दरें निम्नानुसार होंगीः–

(1) पांच लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 3,53,000/–(तीन लाख त्रेपन हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(2)पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 7,06,000/–(सात लाख छः हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(3) दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 10,58,000/–(दस लाख अठावन हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(4) पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल (750 एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 21,16,000/–(इक्कीस लाख सोलह हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(5) पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल (750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 31,74,000/–(इकतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(6) पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल (750 एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 48,07,000/–(अडतालीस लाख सात हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(7) पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड बोतल (750 एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 63,25,000/–(त्रेसठ लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(8) एक करोड से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल (750एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपये 79,06,000/–(उनासी लाख छः हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।
(9) एक करोड पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड पचास लाख बोतल (750 एम0एल0)तक भराई की क्षमता की विनिर्माणशाला के मामले में।	रूपर्ये 94,88,000/–(चौरानवे लाख अठ्ठासी हजार मात्र) प्रतिवर्ष या उसके भाग के लिये।

ङ) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगीः–

क्र0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 के अन्तर्गत	
		राज्य मे बिकी हेतु	ज्य के बाहर बिकी हेतु त वर्श से 5 प्रतिषत कम)
	00मिलीलीटर बोतल	तेबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
	0मिलीलीटर बोतल	30 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
	0 मिलीलीटर बोतल	तेबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल
	5 मिलीलीटर अद्धा	40 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
	0मिलीलीटर पौव्वा	90 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
	मिलीलीटर पैक	42 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

0स0	तल का प्रकार	राज्य में बिकी हेतु	राज्य के बाहर बिकी हेतु (गत वर्श से 5 प्रतिषत कम)
1.	00मिलीलीटर बोतल	तेबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
2.	0मिलीलीटर बोतल	30 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
3.	0मिलीलीटर बोतल	तेबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल
4.	5 मिलीलीटर अद्धा	90 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
5.	0मिलीलीटर पौवा	95 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
6.	मिलीलीटर पैक	47 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

ग) एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिुवरी(यवासवनी) में न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

0स0	तल का प्रकार	0एल0–3 हेतु टलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			टलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	) 650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	0 0.60 प्रति बोतल	0 0.25 प्रति बोतल

2	) 350एम0एल0 बोतल पर	0 0.36 प्रति बोतल	0 0.36 प्रति बोतल	0 0.15 प्रति बोतल

(ड.) बियर के निर्यात पर बाटलिंग/लाईसेन्स फीस निम्नानुसार देय होगीः–

0स0	तल का प्रकार	0एल0–3 हेतु टलिंग फीस	0एल0–3ए हेतु	
			टलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	) 650एम0एल0 बोतल पर	0 0.48 प्रति बोतल	0 0.48 प्रति बोतल	0 0.24 प्रति बोतल
2	) 350एम0एल0 बोतल पर	0 0.29 प्रति बोतल	0 0.29 प्रति बोतल	0 0.14 प्रति बोतल

बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु बाटलिंग फीस :–व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गयी विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर कमषः रू0 3.80, रू0 1.90 तथा रू0 0.95 बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेषी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी।

(च) नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का षत–प्रतिषत निर्यात किया जायेगा,तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्शो तक बाटलिंग फीस नही ली जायेगी।

0एल0–2 की लाईसेंस फीसः–

8. प्रदेष मे देषी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 50.00 लाख लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा।

आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस् का पंजीयन करना होगा, इस हेतु पंजीयन षुल्क रू0 1,00,000/– (एक लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है।

पी0डी0–2 लाईसेंस फीसः–

9. आसवनियों को देय पी0डी0–2 अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस रू0 60.00 प्रति किलोलीटर देनी होगी।

बियर बोतल भराई हेतु बॉटलिंग फीसः–

0. एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.60 प्रति बोतल व रू0 0.36 प्रति अद्धा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति

बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्वा एफ0एल0–3ए की लाईसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।

1. ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित जाती है:–

(एक) अधिश्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तक – रू0 10,000.00

(दो) अधिश्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक – रू0 20,000.00

(तीन) अधिश्ठापित क्षमता 10000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 2.00 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

) होटल बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:–

2. टल बार लाईसेंस एफ0एल0–6 (समिश्र) की लाईसेंस होटल के वार्शिक टर्न ओवर (2009–10) के आधार पर वर्श या वर्श के भाग के लिये निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है:–

)	) 2.00 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले होटल	50 लाख रूपये
)	) 2.00 करोड़ से 5.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	00 लाख रूपये
)	) 5.00 करोड़ से अधिक 10.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	.00 लाख रूपये
)	) 10.00 करोड़ से अधिक 20.00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	.00 लाख रूपये
)	) 20.00 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले होटल	.00 लाख रूपये

) बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस लिया जाना प्रस्तावित है:–

क्र0सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस (रू0में)
(1)	स्टोरेन्ट बार	50 लाख
(2)	यर बार	
	) रेगुलर बियर बार	,000(रू0 तीस हजार मात्र)
	) सीजनल बियर बार	,000(रू0पन्द्रह हजार मात्र)
(3)	नब बार	
	) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिये)	20 लाख
	) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिये)	30 लाख
	) क्लंब बार (500 से अधिक सदस्यों तक के लिये)	40 लाख
(4)	केजनल बार परमिट (प्रतिदिन)	) दो हजार
(5)	दी/पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु प्राइवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स	

	<u>के पंजीकरण की व्यवस्थाः–</u> ार–होटल बार लाईसेन्स धारी प्राइवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज मे मदिरा परोसने हेतु इन्हें सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी रजिस्ट्रेषन फीस रू० 1,00,000/– (एक लाख) वर्श या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा। गत वर्ष के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/सैन्य केन्टीनों में दी जा सकेगी।

ायात षुल्क की दरेंः–

3.

1.	देषी मदिरा (बोतलों में)	00 रू0 प्रति बोतल ।
	देशी मदिरा (ब0ली0 में)	00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	यर	00 रू0 प्रति बोतल ।
	ल्ट स्प्रिट	00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	क्टिफाईड स्प्रिट	00रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
	कृत सुरा/विषेश विकृत सुरा (अ)उत्तराखण्ड स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर । (भ्वेचपजंसेए क्पेचमदेंतपमे ंदक वजीमत बींतपजंइसम ंदक मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदें के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।)	षून्य।
	)थोक व फुटकर विकेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर।

सबसे कम न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की विदेषी मदिरा के आयात की

. ार्यात फीस की दरेंः–

1.	धित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
2.	एन0ए0	50 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
3	कृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	50 रू0 प्रति बल्कलीटर।
4.	ी मदिरा	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
5.	देषी मदिरा (बोतलों में)	67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
6.	देषी मदिरा (ब0ली0 में)	00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
7.	यर	05रू0 प्रति बल्क लीटर ।

8.	ल्ट स्प्रिट	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
9.	ग	00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

. लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

(अ) सी0एस0डी0 आपूर्ति के लिएः–

1. विदेशी मदिराः– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 5,000/(पांच हजार मात्र) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।
2. बियर/वाईनः– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 2,500/(दो हजार पांच सौ मात्र) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।

(ब) सिविल सप्लाई हेतु विदेशी मदिरा/बियर/वाईनः–

1. विदेषी मदिराः– विदेषी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्श रू0 9,500/–(नौ हजार पांच सौ मात्र) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।
2. बियर/वाईन आदिः– बियर/वाईन के लेबिलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल प्रति वर्श रू0 4,750/– (चार हजार सात सौ पचास मात्र) धारितावार रजिस्ट्रेषन षुल्क लिया जायेगा।

. आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–ट्प्प् के सेक्शन–ग्ग्ट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली,1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्शन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत हैः–

आबकारी निरीक्षक के लिए रू0 60.00 प्रति घण्टा ।

आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक रू0 36.00 प्रति घण्टा ।

आबकारी सिपाही रू0 32.00 प्रति घण्टा।

. ारा पर प्रशासनिक शुल्कः–

	ज्य की इकाईयों हेतु षीरा की बिक्री पर प्रषासनिक षुल्क	रू011/– प्रति कुंटल
	त्तर प्रदेष की अल्कोहल/षीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी षीरा की बिक्री पर	0 11/– प्रति कुंटल
	परोक्त (2) के अतिरिक्त षीरा के निर्यात पर	0 15/– प्रति कुंटल

28– अन्य षेश व्यवस्थाऐं वित्तीय वर्श 2009–10 के अनुरूप यथावत् रहेंगी।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तरखण्ड।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाषित

असाधारण

विधायी परिषिश्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेष)

देहरादून, सोमवार, 02 फरवरी, 2009 ई0

माघ 13, 1930 षक् सम्वत्

उत्तराखण्ड षासन

आबकारी विभाग

संख्या 98 / ग्ग्प्प्ध्09ध्43 / वी0आई0पी0 / 2002

देहरादून, 02 फरवरी, 2008

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–29

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4, वर्श 1910) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 31 और धारा 40 सपठित उत्तर प्रदेष, साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्श 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेष विकृत स्प्रिट को छोड़कर विदेषी मदिरा की फुटकर बिकी से सम्बन्धित उत्तर प्रदेष आबकारी मैनुअल के पृश्ठ सं0 252–256 के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को, उत्तराखण्ड राज्य में, संषोधन के परिप्रेक्ष्य में, संषोधन करने की दृश्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट को छोड़कर विदेषी मदिरा की फुटकर बिकी (संषोधन) नियमावली, 2009

1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विकृत स्प्रिट को छोड़कर विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री (संषोधन) नियमावली, 2009 है।
(संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ)

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से लागू होगी।

2- उत्तर प्रदेष विकृत स्प्रिट को छोड़कर विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री से सम्बन्धित उत्तर प्रदेष आबकारी मैनुअल के पृश्ठ 252–256 के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 8 के उपनियम (5) के उपनियम (5) के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

नियम 8 के उपनियम (5) के उपखण्ड (3) के उपखण्ड (ख) में संषोधन

स्तम्भ–1 (वर्तमान उपखण्ड)	स्तम्भ–2 (संषोधित उपखण्ड)
8 (5)(3)(ख):– एफ0एल0–9ए प्ररूप में भारत–तिब्बत सीमा पुलिस को रियायती षुल्क रम के लिए फुटकर बिक्री हेतु महानिदेषक की कैन्टीनों/इकाईयों को भी जिलाधिकारी द्वारा मंजूर ओर जारी किया जा सकेगा, किन्तु जब कभी ऐसा लाईसेन्स जारी किया जाय, आबकारी आयुक्त को इसकी सूचना दी जायेगी। यह अनुज्ञा–पत्र उप महानिदेषक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस के अनुरोध पर समुचित जांच एवं समुचित संवीक्षण के बाद दिया जायेगा। इस लाईसेंस के अन्तर्गत बिक्री केवल रम कैन्टीनों अथवा विषेश रूप से पृथक रक्षित स्थान, जो उप महानिरीक्षक भारत–तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा चिन्हित हों, पर केवल उन व्यक्तियों को दी जायेगी, जो इकाई से, जिसके लिए लाईसेंस दिया जाय, सम्बद्ध	8(5)(3)(ख):–जिलाधिकारी द्वारा भारत – तिब्बत सीमा पुलिस तथा सषस्त्र सीमा बल की केवल उत्तराखण्ड राज्य में स्थित ऐसी कैन्टीनों/इकाईयों को भी जिन्हें कमषः महानिदेषक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ता महानिदेष, सषस्त्र सीमा बल द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, कैन्टीन लाइसेन्स एफ0एल0–9ए प्रपत्र में रियायती दरों पर रम की फुटकर बिक्री के लिए दिया जा सकता है, किन्तु जब कभी ऐसा लाइसेन्स जारी किया जाय, आबकारी आयुक्त को इसकी सूचना दी जायेगी। यह लाइसेन्स उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और उप महानिरीक्षक, सषस्त्र सीमा बल के अनुरोध पर समुचित जांच और छानबीन के बाद दिया जायेगा। इस लाइसेन्स के अन्तर्गत बिक्री केवल रम कैन्टीनों अथवा

हों।

विषेश रूप से पृथक रक्षित स्थान (नों) पर, जो उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा उप महानिरीक्षक, सषस्त्र सममा बल द्वारा नियत किये गये हों, केवल उन व्यक्तियों को की जायेगी, जो उस इकाई से सम्बद्ध हों, जिसके लिए लाइसेन्स दिया जाय।

संख्याः 14 / ग्ग्ध्ध्09ध्37ध्2006

प्रेशक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड षासन।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 07 जनवरी, 2009।

विशयः— विदेषी स्कॉच की भारतीय बॉटलिंग इकाईयों को प्रदेष में स्कॉच की बिक्री की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक आपके पत्र सं0 2958/सात—लाईसेन्स—बी—119/2009 दिनांक 09.09.2008 के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त षासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी भारतीय इकाईयां, जो आयतित ब्रॉडस् की स्कॉच व्हिस्की की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त स्कॉच की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इन्हें आबकारी नीति के बिन्दु सं0 11 के अन्तर्गत निर्माता माना जाएगा तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 31 / ग्ग्ग्ध09ध46ध2008

प्रेशक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

1. आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड षासन।

2. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 15 जनवरी, 2009।

विशयः— प्रदेष में संचालित समस्त बार अनुज्ञापरों का नवीनीकरण षासन की पूर्व सहमति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासनादेष सं0 431 / ग्ग्ग् / 08 / 46 / 2008 दिनांकः 29, अगस्त, 2008 (प्रति संलग्न) के प्रस्तर—02 के सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पश्ट करने का निदेष हुआ है कि प्रदेष में संचालित बार अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्श 2008—09 हेतु नवीनीकरण की कार्यवाही जिलाधिकारी के स्तर पर पूर्वतः सम्पादित की जाय तथा वित्तीय वर्श 2009—10 हेतु बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु सुस्पश्ट प्रस्ताव प्रेशित करते हुए षासन की सहमति से किये जायें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 152 / ग्ग्ध्ध08ध06 बारध्2008

प्रेशक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 27.03.2008

विशयः— <u>होटल एवं रेस्टोरेटों को बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विशयक की ओर आपका ध्यान आकृश्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि राज्य में होटल एंव रेस्टोरेंटों को बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने हेतु सचिव/आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत आदेष संख्याः110—122/सात—लाइसेन्स/बार—नीति/2001—2002/ उत्तरांचल दिनांक :06 अप्रैल, 2001 तथा षासनादेष संख्याः 2354/ग्ग्ध्/2006 /01 सू0अ0/ 2005 दिनांकः 04.12.2006 में उल्लिखित प्राविधानों के अतिरिक्त बार अनुज्ञापन की संस्तुति किये जाने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का भी गहनता से परीक्षण किये जाने के पश्चात् स्पश्ट आख्या षासन को प्रेशित की जायः—

1. प्रस्तावित बार की पार्किंग का कुल क्षेत्रफल तथा पार्किंग के क्षेत्रफल के अनुसार कुल कितने ज्ूव ैममसमत तथा कुल कितने थ्वनत ैममसमत एक समय में पार्किंग स्थल पर खड़े हो सकते हैं।
2. बार कक्ष का कुल क्षेत्रफल तथा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त स्थान बैठने को दृश्टिगत रखते हुए प्रस्तावित बार कक्ष में कुल कितने व्यक्ति एक समय में बैठ सकते हैं।
3. समबिन्धत होटल/रेस्टोरेंट जिसमें बार प्रस्तावित है, का सम्पूर्ण (सभी मंजिलों का) मानचित्र जो संबंधित षहर/कस्बे की मानचित्र स्वीकृत करने वाले प्राधिकरण/ नगर पालिका आदि अधिकृत वास्तु—निर्माता (।तबीपजमबज) से अनुमादित हो।
4. सम्बन्धित होटल/रेस्टोरेंट से सटे चारों दिषाओं में स्थित भवन/मार्ग आदि का विवरण।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 152(प)/ग्ग्ग्/08/06 बार/2008 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 667 / ग्ग्ग्ध08ध46ध2008

प्रेशक,

ओ0 पी0 तिवारी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड
देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 31 दिसम्बर, 2008।

विशयः— वित्तीय वर्श 2009—10 हेतु प्रदेष में वर्तमान में संचालित समस्त बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण षासन की पूर्व सहमति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासन के पत्र सं0 431 / ग्ग्ग् / 08 / 46 / 2008 दिनांकः 29, अगस्त, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें।

2 उक्त पत्र में यह अपेक्षा की गयी थी कि वित्तीय वर्श 2009—10 के लिए प्रदेष के समस्त बारों के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण, षासन की पूर्व सहमति से ही किये जायेंगें साथ ही यह भी अपेक्षा की गई थी कि प्रदेष में वर्तमान में संचालित समस्त बारों की सूची (बार अनुज्ञापी के नाम, बार का स्थल, बार प्रारम्भ होने की तिथि / आदेष सहित) तत्काल षासन को उपलब्ध करा दी जाय। तत्क्रम में अभी तक प्रदेष के समस्त बारों की सूची षासन को प्राप्त नहीं हुई है, अतः बारों की सूची तत्काल उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्श 2009—10 के लिए बारों के नवीनीकरण षासन की पूर्वानुमति से किये जाने की कार्यवाही यथासमय सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

भवदीय,

(ओ0 पी0 तिवारी)
उप सचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्याः 431 / ग्यारह08ध46ध2008

प्रेशक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 29, अगस्त, 2008।

विशयः— वित्तीय वर्श 2009—10 हेतु प्रदेष में वर्तमान में संचालित समस्त बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण षासन की पूर्व सहमति से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक षासन के पत्र सं0 151 / ग्यारह / 08 / 06 बार / 2008 दिनांकः 27, मार्च, 2008 एवं पत्र संख्याः 198 / ग्यारह / 2008 / 06 बार / 2008 दिनांकः 24, अप्रैल, 2008 की ओर आपका ध्यान आकृश्ट कराते हुए अवगत कराना है कि प्रष्नगत षासनादेषों द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि वित्तीय वर्श 2008—09 में समस्त बारों के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण, षासन की पूर्व सहमति से ही किये जांय।

2 उक्त पत्र में षासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा विगत वित्तीय वर्श 2008—09 में बारों के अनुज्ञापन के नवीनीकरण की कार्यवाही षासनादेष निर्गत होने से पूर्व ही कर दी गई थी। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि वित्तीय वर्श 2009—10 में किसी भी बार के अनुज्ञापन का नवीनीकरण षासन की पूर्व सहमति से ही किया जाय। षासन को बारों के अनुज्ञापन के नवीनीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बार अनुज्ञापन विशयक निर्गत षासनादेषों के अनुसार पूर्ण परीक्षण किया जाय तथा प्रत्येक बार का प्रस्ताव स्पश्ट संस्तुति सहित, इस तरह से षासन को सन्दर्भित किया जाय, जैसे कि प्रथम बार किसी होटल / रेसटोरेंट को बार अनुज्ञापन स्वीकृत हेतु प्रस्ताव किया जाता है।

3 उक्त के अतिरिक्त प्रदेष में वर्तमान में संचालित समस्त बारों की सूची (बार अनुज्ञापी के नाम, बार का स्थल, बार प्रारम्भ होने की तिथि / आदेष सहित) भी षासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

4 कृपया उक्त आदेषों का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

भवदीय,
(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 431(प)/ग्ग्ग्/08/46/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आषय से कि उक्त का पालन किये जाने हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिष्चित कर ली जाय।

आज्ञा से,

(एन0एस डुंगरियाल)
अनु सचिव

संख्या /सात–लाई0 बार नीति/दिनांकः सितम्बर, ,2008

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देष के साथ प्रेशित कि षासन के उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार वांछित बिन्दुओं पर स्पश्ट आख्या/संस्तुति जिलाधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को तत्काल उपलब्ध करना सुनिष्चित करें, जिससे प्रकरण षासन को सन्दर्भित किया जा सके।

(डा0 रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड षासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 198/ग्ग्ध्2008ध्06 बार/2008
देहरादूनः दिनांकः 24 अप्रैल, 2008

षुद्धि पत्र

आबकारी अनुभाग, उत्तराखण्ड षासन के षासनादेष संख्याः 151/ग्ग्/08/06 बार/2008 दिनांकः 27 मार्च, 2008 में आंषिक संषोधन करते हुए उक्त षासनादेष के प्रथम पैराग्राफ में अंकित ''बारों का नवीनीकरण षासन स्तर'' के स्थान पर ''बारों का नवीनीकरण जिलाधिकारी द्वारा षासन की पूर्व सहमति से'' पढ़ा जायेगा।

2. उपरोक्त षासनादेष दिनांकः 27 मार्च, 2008 को उपरोक्त सीमा तक संषोधित समझा जायेगा। षासनादेष की षेश षर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 198/ग्ग्/08/06 बार/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस डुंगरियाल)
अनु सचिव

संख्याः 151 / ग्ग्ध्ध08ध्06 बारध्2008

प्रेशक,

डा0 रणबीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 27.03.2008।

विशयः— उत्तराखण्ड राज्य में संचालित समस्त बार अनुज्ञापनों का वित्तीय वर्श 2008—09 नवीनीकरण षासन स्तर से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विशयक की ओर आपका ध्यान आकृश्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेष हुआ है कि वित्तीय वर्श 2008—09 हेतु राज्य में स्थित बारों का नवीनीकरण षासन स्तर पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः कृपया बार अनुज्ञापन नवीनीकरण के प्रस्ताव षासन को प्रेशित किये जाने से पूर्व बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आदेषों में उल्लिखित प्राविधानों, विगत 05 वर्शों में प्राप्त आबकारी राजस्व व अन्य राजस्व का पुनः परीक्षण कर बार अनुज्ञापन की उपयुक्तता सुनिष्चित होने के पश्चात् स्पश्ट आख्या/संस्तुति सहित प्रस्ताव षासन को उपलब्ध कराने का कश्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
सचिव

संख्याः 151 / ग्ग्ध्ध / 08 / 06 बार / 2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एस डुंगरियाल)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड षासन
आबकारी अनुभाग
संख्याः 174 /ग्ग्प्प्/ 09/24/2009
देहरादूनः दिनांकः 27.2.2009

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेष साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा समय–समय पर यथा संषोधित) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेष आबकारी, अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेष, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देषी एवं विदेषी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृश्टि से वित्तीय वर्श 2009–10 के लिए निम्न नियम बनाते हैं :–

यह नियम दिनांकः 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे।

1– लाईसेन्स फीस का निर्धारण :–

वर्श 2009–10 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई स्लैब दरें निम्नवत् होंगी :–

देषी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्श 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 12000 तक	1,18,000
2	12001से 30000 तक	2,90,000
3	30001से 60000 तक	5,80,000
4	60001से 1,00,000 तक	9,70,000
5	1,00,001 से 1,50,000 तक	14,50,000
6	1,50,001 से 2,00,000 तक	19,34,000
7	2,00,001 से 2,50,000 तक	24,17,000
8	2,50,001 से 3,00,000 तक	29,00,000
9	3,00,001 से 3,50,000 तक	33,84,000
10	3,50,001 से 4,00,000 तक	38,67,000
11	4,00,000 से अधिक ड्ण्ळण्फ की सीमा तक	40,00,000

विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	वर्श 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 6000 तक	1,18,000
2	6001से 12,000 तक	2,32,000
3	12,001से 25,000 तक	4,84,000
4	25,001से 50,000 तक	9,67,000
5	50,001 से 75,000 तक	14,50,000
6	75,001 से 1,00,000 तक	19,34,000
7	1,00,001 से 1,25,000 तक	24,17,000
8	1,25,001 से 1,50,000 तक	29,00,000
9	1,50,001 से 1,75,000 तक	33,84,000
10	1,75,001 से 2,00,000 तक	38,67,000
11	2,00,000 से अधिक डण्ळण्फ की सीमा तक	45,00,000

टिप्पणी – बिन्दु–2 के अनुसार निर्धारित दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से वर्श 2009–10 में दुकानवार सम्भावित उठान के आधार पर प्रत्येक दुकान की लाईसेन्स फीस निर्धारित की जायेगी।

वर्श के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेन्स फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा। अधिकतम सीमा से अधिक मदिरा की बिकी होने पर प्रति बोतल लाईसेन्स फीस निम्नलिखित दर से देय होगीः–

देषी मदिरा.....रू0 11/– प्रति बल्क लीटर ।

विदेषी मदिरा.....रू0 22/– प्रति बोतल।

2— न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण :—

देषी/विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में वर्श 2009—10 में निम्नानुसार वृद्धि की जायेगी :—

क0स0	वर्श 2008—09 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या व अतिरिक्त उठान	वृद्धि लक्ष्य
1	जिन दुकानों पर 100 या उससे अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	27.0 प्रतिषत
2	जिन दुकानों पर 51 या उससे अधिक परन्तु 99 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	.0 प्रतिषत
3	जिन दुकानों पर 25 या उससे अधिक परन्तु 50 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	.0 प्रतिषत
4	जिन दुकानों पर 15 या उससे अधिक परन्तु 24 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए।	.0 प्रतिषत
5	जिन दुकानों पर 2 या उससे अधिक परन्तु 14 तक आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।	.0 प्रतिषत
6	जिन दुकानों पर एक अथवा कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।	.0 प्रतिषत

वर्श 2008—09 में दुकान पर अतिरिक्त उठान की राषि को दुकान की वार्शिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में जोड़कर आयी राषि पर उपरोक्तानुसार वृद्धि की गणना की जायेगी।

दुकानवार मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की गणनाः—

(अ) देषी मदिराः— दुकान के लिये निर्धारित वार्शिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी को 95(प्रति बल्क लीटर देय न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी) से भाग देकर वार्शिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा(बल्क लीटर में) की गणना की जायेगी।

(ब) विदेषी मदिराः— दुकान के लिये निर्धारित वार्शिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी को 97.2(प्रदेष की वर्श 2008—09 की विदेषी मदिरा की प्रति बोतल अनुमानित औसत न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी, की राषि को 20 प्रतिषत बढ़ाकर) से भाग देकर निकाला जायेगा।

3— विदेषी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा के बीस प्रतिषत तक रू0 90/— प्रति बोतल या उससे अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी वाली मदिरा के प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा। यदि यह मासिक अतिरिक्त अनुमन्य उठान माह में नहीं किया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगीं।

देषी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा की राषि के बीस प्रतिषत तक प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा। अगर यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नही उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

4— राजस्व निर्धारण :—

नीति के उपरोक्त बिन्दु 2 के अनुसार दुकानवार निर्धारित की गयी न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा उपरोक्त बिन्दु 1 के अनुसार निर्धारित लाईसेन्स फीस की राषि को जोड़कर वर्श 2009—10 हेतु दुकानवार राजस्व की राषि का आगणन किया जायेगा।

निकासी हेतु वर्श 2009—10 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के विपरीत देषी मदिरा की प्रति बल्क लीटर तथा विदेषी मदिरा की प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राषि के आधार पर उपरोक्त प्रस्तर—3 की व्यवस्था के अनुसार दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

5— देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवंटन :—

उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार दुकानवार राजस्व निर्धारित हो जाने के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित राजस्व पर देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप (जिसे सम्बन्धित क्षेत्र

के दो प्रतिश्ठित समाचार पत्रों में प्रकाषित कराया जायेगा) पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 12,000/– (बारह हजार रूपये मात्र) की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन को–ओपरेटिव बैंक अथवा राश्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया षुल्क के रूप में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप मे नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोशित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन–पत्र षुल्क (प्रोसेसिंग फी) नॉन रिफन्डेबिल (छवद.त्मनिदकंइसम) होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोश में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बन्धित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे, जहां एक दुकान के लिये एक ही आवेदक हो, उसे दुकान आवंटित की जा सकेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दषा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। देषी एवं विदेषी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रकिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

उपरोक्त प्रकिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य षर्ते समान रहते हुये जिले का निवासी दुकान हेतु पात्र माना जायेगा। यदि तृतीय चरण के उपरान्त भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त के अनुसार किया जा सकेगा।

यदि वित्तीय वर्श 2009–10 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रकिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर चलायी जायेगी।

परन्तु यह भी कि यदि उपरोक्त प्रकिया में कोई देषी या विदेषी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त प्रकिया से विचलन की आवष्यकता हो तो षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेषन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

6– पात्रता :–

देषी एवं विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में पात्रता की षर्तें अग्रलिखित षर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित नियमावली, 2001 (अद्यतन संषोधित) के अनुरूप होंगी किन्तु अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। गत वर्श का हैसियत प्रमाण पत्र इस षर्त के साथ अन्तरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आषय का षपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विकय/हस्तान्तरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारन्टी स्वीकार की जा सकेगी। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दषा में ऐसे आवेदनों पर किसी भी दषा में विचार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवदेनों को प्रथम दृश्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेन्सिग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के नाम

अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार की सम्पत्ति को लाईसेन्सिग प्राधिकारी के नाम डवतजहंहम कर हैसियत प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकता हैं। हैसियत प्रमाण पत्र की राषि की कमी के एवज में कम राषि के बराबर राषि के बैंक ड्राफ्ट (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे जमा कराये जा सकेंगे। दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को आवेदन पत्र में अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, परन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं होगा, तो उसे यह षपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, यदि उसके नाम दुकान लाटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

7 देषी एवं विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दर :–

(एक) विदेषी मदिरा पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर रू0 58.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर डयूटी रू0 95.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी ।

(दो) बियर पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर 5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक व 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 28/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।

8– विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना :–

विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :–

1. रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 72.00 प्रति बोतल
2. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 78.00 प्रति बोतल
3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 90.00 प्रति बोतल
4. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 102.00 प्रति बोतल
5. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 132.00 प्रति बोतल
6. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 144.00 प्रति बोतल
7. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 180.00 प्रति बोतल
8. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 240.00 प्रति बोतल

उपरोक्त के अतिरिक्त गत वर्श निर्धारित लेबिल रजिस्ट्रेषन फीस की दरों में 50 प्रतिषत की वृद्धि की जायेगी।

9– सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिकी पर ड्यूटी तथा एसेस्मेन्ट फीस की दर :–

वर्श 2009–10 के लिये एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिकी) के लिये रू0 5,000/–लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी :–

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (रम छोड़कर)

वर्श 2008–09 की तरह सिविल मार्केट के बराबर रू0 58.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर – एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(दो) असेस्मेन्ट फीस की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा(व्हिस्की,ब्रान्डी,जिन).....
32/–रू0 प्रति बोतल।

(ब)रियायती रम.....
20/–रू0 प्रति बोतल

(स) बियर(5 प्रतिषत तक अल्कोहल युक्त).....
2/–रू0 प्रति बोतल

(द) बियर(5 प्रतिषत से अधिक 8 प्रतिषत तक अल्कोहल युक्त).....
3/–रू0 प्रति बोतल

10– मदिरा का विक्रय मूल्य :–

वित्तीय वर्श 2008–09 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित किये जाने के उद्देष्य से देषी/विदेषी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

किसी भी आसवनी जिसके द्वारा दिल्ली में भी आपूर्ति की जा रही हो, वही ब्रान्ड उत्तराखण्ड में बेचे जा सकेंगे जो दिल्ली में बेचे जा रहें हों। ऐसे ब्रान्डस की ई0डी0पी0 दिल्ली में आपूर्ति किये जा रहे ब्रान्डस की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी।

विदेषी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की पैंकिग्स की ई0डी0पी0 घोशित किये जाने सम्बन्धी दिये गये षपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोशित की गयी है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर रू0 1 लाख(एक लाख रूपये मात्र) पेनाल्टी आरोपित किये जाने के साथ–साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

11 – विदेषी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0–2/2 बी/2 डब्लू) अनुज्ञापन :–

वित्तीय वर्श 2009–10 हेतु एफ0एल0–2/2बी अनुज्ञापन केवल विदेषी मदिरा के निर्माता (डंदनबिजनतमतेध्क्पेजपससमते ध्ठतमूमते) को अपने उत्पाद बेचने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। वित्तीय वर्श 2009–10 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 500 एम0एल0 एवं 330 एम0एल0 के पैक में भरी बियर की बिक्री की अनुमति भी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य पैक के सम्बन्ध में षासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

वर्श 2009–10 में प्रदेष में थोक विदेषी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.50 लाख, एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–2(डब्लू)के लिये रू 1.25 लाख रजिस्ट्रेषन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2(डब्लू) की लाईसेन्स फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी :–

(1.) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेन्स फीस विदेषी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

(2.) राज्य के प्रत्येक जिले के लिये एफ0एल0–2बी/डब्लू हेतु लाईसेन्स फीस बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

''ऐसी भारतीय इकाईयां, जो आयातित ब्रॉड्स की स्कॉच व्हिस्की की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त स्कॉच की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इन्हें निर्माता माना जाएगा तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।''

विदेषी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राषि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क्र0 स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपयों

		में)
1	रू0 25.00 तक	80/–
2	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–
4	रू0 55.01 से 75.00 तक	140/–
5	रू0 75.01 से 150.00 तक	150/–
6	रू0 150.01 से 300 तक	160/–
7	रू0 300.01 से 450.00 तक	180/–
8	450 से ऊपर	200/–
9	बियर (650एम0एल0 की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल0 की 24 बोतल की पेटी) एवं वाईन (750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी) ।	60/–
10	500 एम0एल0 के 24 केन की पेटी ।	92.31/–
11	330 एम0एल0 के 24 केन की पेटी।	60.93/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेन्ट षुल्क की राषि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

12– देषी मदिरा एवं सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेषी मदिरा को प्रदेष के बाहर से आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विदेषी मदिरा व बियर के आयात पर गत वर्श के समान आयात फीस ली जायेगी।

13– राज्य के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपने ब्रान्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सो की फीस वर्श 2009–10 निम्नानुसार होगी :–

बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेषी मदिरा बियर एवं वाईन) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिए	वर्श या वर्श के भाग के लिये
1. 50,000 पेटियों तक	) 4,20,000/–
2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	) 6,00,000/–
3. 1,00,000पेटियेां से अधिक	) 8,40,000/–
–बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड) (केवल बियर के लिये) प्रदेष के बाहर की ब्रिवरीज के लिए	वर्श या वर्श के भाग के लिए
50,000 पेटियों तक	) 2,16,000/–
50,001 से 1,00,000 पेटियों तक	) 3,00,000/–
1,00,000से अधिक	) 3,60,000/–
0डब्लू0एफ0एल0–2 एस(बाण्ड)(केवल स्कॉच के लिये)	वर्श या वर्श के भाग के लिए
600 पेटी की बिकी तक।	) 66,000/–(छियासठ हजार)
600 पेटी से ऊपर ।	येक 100 पेटी पर रू0 13,200/–अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
4–बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)(केवल वाईन के लिये)	वर्श या वर्श के भाग के लिए
	रू0 1,25,000/–/–(एक लाख पच्चीस हजार मात्र)

;5) एफ0एल0–1(प्रदेष की आसवनियों को स्वंय निर्मित विदेषी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाईसेन्स)	वर्श या वर्श के भाग के लिए 0 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार मात्र)

राज्य के प्रत्येक जिले में एफ0एल0–2 हेतु गोदाम की व्यवस्था आबकारी विभाग द्वारा पी0डब्लू0डी0 की दरों पर प्रत्येक एफ0एल0–2 लाईसेन्सी को उपलब्ध करायी जायेगी, इस गोदाम पर आबकारी विभाग के पूर्ण नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग का ताला लगा होगा, जिसकी चाबी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के पास रहेगी।

14– गढ़वाल मण्डल के पांच जिलों में देषी मदिरा की दुकानों/बारों का संचालनः–

गढ़वाल मण्डल के पांच जिलों पौड़ी, चमोली, उत्तरकाषी, टिहरी व रूद्रप्रयाग में वित्तीय वर्श 2008–09 की भांति केवल विदेषी मदिरा की फुटकर दुकानें ही संचालित की जायेंगी। गढ़वाल मण्डल के उपरोक्त पांच जनपदों में बार/बियरबार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 षैया) वाले होटल/रिर्सोट जो मुख्य यात्रा मार्ग से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर स्थित हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेंगे। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

15– जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नयी दुकानें :–

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार नई दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेंगें परन्तु नयी दुकान को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से षासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवष्यक होगी। फुटकर दुकान की स्थिति षासनादेष संख्या 311/ग्ग्ग्/2008/18/2008 दिनांक 16.6.2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

16— जिलों में देषी एवं विदेषी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवष्यकतानुसार स्वविवेकानुसार उपरोक्त प्रस्तर—15 में उल्लिखित मानकों के अनुरूप निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है। किन्तु यह सुनिष्चित किया जाये कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा। यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में भी जिलाधिकारी स्वविवेकानुसार आबकारी अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों तथा उपरोक्त प्रस्तर—15 में उल्लिखित मानकों के अन्तर्गत निर्णय ले सकेंगें परन्तु ऐसी स्थिति में सुनिष्चित किया जाये कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित जोन नहीं होने दिया जायेगा।

17— बार एवं क्लब बार लाईसेन्स :—

बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगी :—

1. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 113.00 प्रति बोतल
2. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 128.00 प्रति बोतल
3. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 165.00 प्रति बोतल
4. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 180.00 प्रति बोतल
5. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 225.00 प्रति बोतल
6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 300.00 प्रति बोतल

उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिकी बार एवं क्लब बार परमिट धारकों के परिसरों में प्रतिबन्धित रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बन्धित अन्य व्यवस्था एवं षर्ते पूर्वानुसार रहेगी।

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को भी बार लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्श में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्श से पूर्व वित्तीय वर्श में उनके होटल/रेस्त्राओं में पके हुए भोजन की बिकी रू0 5.50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

18– बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स :–

बियर एव वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किये जाने हेतु नीति गत वर्श के समान रहेगी। उन होटल एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्श में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिकी 3.00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्शिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 30,000/–(तीस हजार रूपये) प्रतिवर्श की दर से अनुज्ञापन षुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेन्स स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये छः माह की अवधि के लिये भी लाईसेन्स दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर एवं वाईन बार हेतु लाईसेन्स फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेन्स फीस की आधी अर्थात रू0 15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी।

बियर बार पर वाईन की बिकी की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

19– आसवनियों, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना :–

आसवनियों, बाटलिग प्लान्ट, ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी :–

(क) पेय मदिरा बनाने हेतु आसवनियों की स्थापना के लिये अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा, इन्डस्ट्रियल/एनहाईड्रस अल्कोहल का निर्माण करने हेतु आसवनी की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हे लाईसेन्स दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ख) बाटलिंग प्लान्ट लगाने के लिये प्रतिश्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेषी मदिरा के ब्रान्डस की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाटलिंग प्लान्ट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

व्हिस्की, ब्रान्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0–3 ए लाईसेन्स के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान लाईसेन्स फीस संदेय होगी। इन लाईसेन्सों के अन्तर्गत भरी गयी विदेषी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर कमषः रू0 4.80/–, 2.40/– तथा 1.20/– बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेषी मदिरा पर समानुपातिक दर से बाटलिंग फीस देय होगी।

एफ0एल0–3ए के अन्तर्गत बियर की भराई की स्थिति में बोतल भराई फीस रू0 0.60 प्रति बोतल व रू0 0.36 प्रति अद्धा के अतिरिक्त रू0 0.25 प्रति बोतल व रू0 0.15 प्रति अद्धा एफ0एल0–3ए की लाईसेन्स फीस अधिरोपित की जायेगी।

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेषी मदिरा की भराई की स्थिति में प्रत्येक बोतल/अद्धा/पौव्वा पर कमषः रू0 2.40/–, 1.20/– तथा 0.84/– बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेषी मदिरा पर समानुपातिक दर से बाटलिंग फीस देय होगी।

(ग) ब्रुअरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्श के अनुरूप लाईसेन्स देने पर विचार किया जायेगा तथा वाईन किन धारिता की बोतलों में भरी जायेगी इसके निर्धारण हेतु आबकारी आयुक्त अधिकृत होंगे।

(घ) राज्य के फल उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुये प्रदेष में नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का षत–प्रतिषत निर्यात किया जायेगा, तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्शो तक बाटलिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(ञ) वित्तीय वर्श 2009–10 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस् को बेचने की अनुमति दी

जायेगी, जिनमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 58/– प्रति एल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद षुल्क वसूला जायेगा। इस प्रकार के ब्रिवरेजस् किन धारिता की बोतलों में बेचे जायेंगे, इसका निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा षासन की पूर्वानुमति से किया जायेगा।

एफ0एल0एम0–3 की लाईसेन्स षुल्क की दरें निम्नानुसार होंगीः–

(एक) पांच लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 3,06,800/–(तीन लाख छः हजार आठ सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(दो) पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 6,13,600/–(छः लाख तेरह हजार छः सौ मात्र)प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(तीन)दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 9,20,200/– (नौ लाख बीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(चार) पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 18,40,300/– (अठारह लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(पांच) पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 27,60,400/– (सत्ताईस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(छः) पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 41,80,000/– (इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।
(सात) पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 55,00,000/– (पछपन लाख मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।

(आठ) एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड़ पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 68,75,000/– (अड्सठ लाख पिच्छत्तर हजार मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।
(नौ) एक करोड़ पच्चीस लाख बोतलों से अधिक परन्तु एक करोड़ पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 82,50,000/– (बयासी लाख पचास हजार मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।

एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम रूपये 1,00,000/– प्रति वर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

क0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 के अन्तर्गत	
		राज्य मे बिकी हेतु	राज्य के बाहर बिकी हेतु गत वर्श से 5 प्रतिषत कम)
1.	00 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
2.	0 मिलीलीटर बोतल	40 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
3.	0 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल
4.	5 मिलीलीटर अद्धा	20 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
5	0 मिलीलीटर पौव्वा	34 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
6	मिलीलीटर पैक	42 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

क0 स0	बोतल का प्रकार	राज्य में बिकी हेतु	ज्य के बाहर बिकी हेतु (गत वर्श से 5 प्रतिषत कम)
	00 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
	0 मिलीलीटर बोतल	30 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
	0 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल
	5 मिलीलीटर अद्धा	10 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
	0 मिलीलीटर पौवा	20 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
	मिलीलीटर पैक	60 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिुवरी(यवासवनी) में न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

क0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
	650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	0.60 प्रति बोतल	0.25 प्रति बोतल
2	350एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.36 प्रति बोतल	0.36 प्रति बोतल	0.15 प्रति बोतल

बियर के निर्यात पर गत वर्श से 5 प्रतिषत कम बाटलिंग/लाईसेन्स फीस ली जायेगी, जो निम्नानुसार रहेगीः–

क0 स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग फीस	एफ0एल0–3ए हेतु	
			बाटलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
	650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.48 प्रति बोतल	0.48 प्रति बोतल	0.24 प्रति बोतल
2	350एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.29 प्रति बोतल	0.29 प्रति बोतल	0.14 प्रति बोतल

20– देषी एवं विदेषी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडिसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

21– विदेषी मदिरा की भराई के लिये पुरानी बोतलों के पूर्व से हो रहे उपयोग को देखते हुये देषी मदिरा की भराई हेतु भी नयी बोतलों के साथ–साथ पुरानी साफ षीषे की बोतलों को देषी मदिरा भरने हेतु प्रयोग में लाया जा सकेगा। बोतल के ढक्कन पर ''उत्तराखण्ड आबकारी'' छपवाया जाना अनिवार्य होगा।

22– जिलों में देषी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृश्टि से सी0एल0–2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत थोक बिक्री के बंधित गोदाम प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे, सहकारी क्षेत्र की आसवनी बाजपुर की आपूर्ति प्रदेष स्तर पर कम से कम 1/3 सुनिष्चित की जायेगी।

राज्य में देषी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 38.00 लाख लाईसेन्स फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा।

आसवनियों को देय पी0डी0–2 लाईसेन्स की लाईसेन्स फीस में 100 प्रतिषत वृद्धि प्रस्तावित है, इससे यह लाईसेन्स फीस रू0 27.61/– प्रति किलोलीटर से बढ़कर रू0 55.22/– प्रति किलोलीटर नियत की जाती है।

23– भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत रहेगी।

24– बार लाईसेन्स हेतु निम्नानुसार लाईसेन्स फीस लिया जाना प्रस्तावित हैः–

1. रेस्टोरेन्ट एवं तीन सितारा होटलों तक.....रू0 4,50,000/–(चार लाख पचास हजार रूपये) वर्श या वर्श के भाग के लिये।
2. चार सितारा होटलों हेतु.....रू0 9,00,000/–(नौ लाख रूपये) वर्श या वर्श के भाग के लिये।
3. पांच सितारा होटलों हेतु..... रू011,25,000/–(ग्यारह लाख पच्चीस हजार रूपये) वर्श या वर्श के भाग के लिये।

क्लब बार परमिट धारकों की वार्शिक फीस भी गत वर्श निर्धारित फीस की डेढ़ गुनी कर दी जायेगी। ओकेजनल बार परमिट हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन परमिट फीस होगी। प्राइवेट बैंक्वेट (ठंदुनमज) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेषन फीस रू0 1,000/– होगी।

गत वर्श के समान ड्राफ्ट बियर की बिक्री की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में दी जा सकेगी।

25– वित्तीय वर्श 2009–10 में मदिरा की दुकानें प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक खोली जायेंगी।

26— फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्श के प्रारम्भ में एडवान्स में जमा की गयी राषियों को वर्श के अन्तिम माहों में अनुज्ञापी की देयता के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

27— अनुज्ञापियों/बॉण्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से लाई जा रही मदिरा/बियर तथा राज्य के अन्दर थोक आपूर्ति हेतु परिवहित की जा रही देषी/विदेषी मदिरा/बियर का परिवहन केवल निर्धारित मार्ग (त्वनजम) से ही अनुमन्य होगा एवं वर्श 2008—09 में लागू की गयी व्यवस्था वर्श 2009—10 में भी जारी रहेगी। निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त मदिरा का परिवहन होने पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उसे अवैध मानते हुये राज्य के पक्ष मे जब्त किया जायेगा तथा सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

28— राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों को रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध करायी जायेगी।

29— निर्यात फीस की दरें

1.	धित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
	एन0ए0	60 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
	कृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	60 रू0 प्रति बल्कलीटर।
	ी मदिरा	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	देषी मदिरा (बोतलों में)	67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	देषी मदिरा (ब0ली0 में)	00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
	यर	05 रू0 प्रति बल्क लीटर ।
	ल्ट स्प्रिट	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	ग	00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

30—सषस्त्र सीमा बल की ईकाईयों द्वारा संचालित कैन्टीनों में भी कन्सेषनल रम की सुविधा प्रदान की जायेगी।

31— अन्य व्यवस्थायें विगत वित्तीय वर्श 2008—09 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

डा0 रणबीर सिंह
सचिव

संख्याः (1)/ग्ग्ध्/ 09/24/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि संयुक्त निदेषक, मुद्रण एवं लेखन, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार, उत्तराखण्ड को अधिसूचना की प्रति इस आषय से प्रेशित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाषन उत्तराखण्ड षासन के असाधारण गजट के विधायी परिषिश्ट भाग–4 खण्ड 'क' में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियॉ सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड षासन, देहरादून तथा 200 प्रतियॉ आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराया जाना सुनिष्चित करने का कश्ट करें।

आज्ञा से,

बी0आर0टम्टा
अपर सचिव

संख्याः (2)/ग्ग्ध्/ 09/24/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड षासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमॉयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेषक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग

संख्या 186 ग्ग्ध्ध्2011ध्02ध्2011
देहरादून 15 मार्च, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 1904) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश, 2002 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य में देशी एवं विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

यह नियम दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक प्रभावी रहेंगे।

1. मदिरा दुकानों से कुल राजस्व का निर्धारण :-

दुकानवार देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के कुल राजस्व (न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी तथा लाईसेंस फीस की राशि का योग) का निर्धारण वर्ष 2010-11 का कुल राजस्व तथा फरवरी तक 20: उठान के न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) तथा अतिरिक्त उठान के राजस्व को जोड़कर दुकानवार कुल बेस राजस्व को दुकान हेतु वर्ष 2010-11 की लाटरी में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर इस प्रतिबंध कि बेस राजस्व से कम निर्धारण नहीं किया जायेगाए के अधीन निम्नलिखित सूत्र द्वारा आगणित भिन्नांक से गुणा करके निर्धारित किया जाएगारू.

$$0.917 + \frac{1.834 \times \sqrt{\text{Number of applications}}}{100}$$

2ण् मदिरा दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-

वर्ष 2011-12 हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाईसेंस फीस प्रस्तर-1 के अनुसार निर्धारित कुल राजस्व के क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत के बराबर निकटतम रू0 1000/- के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी। रूपये 35.00 लाख से अधिक लाईसेन्स फीस होने की स्थिति में रूपये 35.00 लाख व्यवस्थापन के समय एकमुश्त तथा शेष धनराशि मासिक किश्तों में माह सितम्बर, 2011 तक या उससे पूर्व वसूल की जाएगी।

3ण् मदिरा के अतिरिक्त उठान पर देय लाईसेंस फीस :-

वर्ष के दौरान दुकानवार निर्धारण न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि के सापेक्ष अनुमन्य सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री पर अतिरिक्त न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी तथा निम्नलिखित दरों पर लाईसेंस फीस देय होगी :-

देशी मदिरा .....रू0 15/- प्रति बल्क लीटर ।

विदेशी मदिरा.....रू0 24/- प्रति बोतल।

4ण मदिरा दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का निर्धारण:-

उपरोक्त प्रस्तर-1 के अन्तर्गत निर्धारित कुल राजस्व में से प्रस्तर-2 के अन्तर्गत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर निर्धारित किया जायगा। निकासी हेतु वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के सापेक्ष देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा की प्रति बोतल के आधार पर निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर की राशि के विपरीत दुकानवार मदिरा की निकासी प्राप्त की जा सकेगी।

5ण मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) से 20 : अतिरिक्त उठान :-

देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1ध्12 भाग के बराबर राशि के 20% (बीस प्रतिशत) प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा,

परन्तु यह कि उपरोक्त प्रस्तर .3 के अनुसार अतिरिक्त लाईसेंस फीस ली जायेगी।

परन्तु यह और कि यदि मासिक अतिरिक्त उठान माह में नहीं उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

6ण देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :-

(एक) दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान चलाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। आवंटन की समस्त अग्रेत्तर कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू0 13,400/- की फीस नकद अथवा उत्तराखण्ड राज्य स्थित किसी अनुसूचित राज्य एवं जिला सहकारी बैंक, अरबन कौपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट प्रक्रिया शुल्क के रूप में सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी के नाम से जमा कराना होगा, जो प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप में नहीं होंगे तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट (अर्नेस्ट मनी सहित) आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के होंगे, ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) नॉन रिफन्डेबिल होगी। प्रोसेसिंग फी राजकोष में अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया से जमा की जायेगी। दुकान जिस तहसील के अन्तर्गत आती हो, उसी तहसील के स्थायी निवासियों के आवेदन पत्र सम्बंधित दुकान हेतु स्वीकार किये जायेंगे। जहां एक दुकान के लिए एक ही आवेदक हो, उसे लाटरी प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व दुकान आवंटित की जायेगी तथा एक से अधिक आवेदकों की दशा में लाटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा। पूरे राज्य में एक आवेदक को एक से अधिक

देशी/विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित नहीं की जायेंगी। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु उपरोक्त प्रक्रिया दो चरणों तक अपनाई जायेगी।

;दो॒ उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दो चरणों में भी यदि दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है तो पात्रता की अन्य शर्तें समान रहते हुये जिले के निवासी दुकान हेतु पात्र माने जायेंगे। यदि तृतीय चरण के उपरांत भी दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है एवं कोई पात्र व्यक्ति जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर दुकान लेने के लिये आवेदन करता है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा दुकान का आवंटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यदि वित्तीय वर्ष 2011.12 की किसी अवधि में दुकान व्यवस्थापन की प्रक्रिया में समय लगता है तो व्यवस्थापन की अवधि में दुकान दैनिक आधार पर भी चलायी जा सकती है;

परन्तु यह और कि यदि उपरोक्त प्रक्रिया में कोई देशी/विदेशी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है तो उसके व्यवस्थापन के लिए यदि उपरोक्त प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता हो तो शासन की पूर्वानुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा इन दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी के स्तर पर आफर मांग कर एवं जिलाधिकारी स्तर पर निगोसियेशन के उपरान्त प्राप्त अधिकतम राजस्व आफर पर दुकानों को व्यवस्थापित कराया जा सकेगा।

7॒ मदिरा दुकानों की ब्रिक्री की समय अवधि:-

राज्य में दुकानों के खुलने का समय 11रू00 बजे प्रात: से रात्रि 09रू00 तक रहेगा।

परन्तु जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर की सीमाओं में स्थित ऐसी दुकानें जो दूसरे राज्यों की सीमा से दस किलोमीटर के अन्दर अवस्थित हो, के बंद होने का समय रात्रि 10:00 बजे रखा जायेगा।

8॒ विलम्बित प्रतिभूति पर दण्डक ब्याज:-

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में जमा की जाने वाली प्रतिभूति (नकद/बैंक गारन्टी के रूप में) विलम्ब से जमा किये जाने पर 18 प्रतिशत की दर से दण्डक ब्याज देय होगा।

9॒ अग्रिम जमा प्रत्याभूति का समायोजन:-

फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में अग्रिम रूप में जमा की गयी राशियों को वर्ष के अंतिम माहों में अनुज्ञापी की देयताओं के विरूद्ध समायोजित कर लिया जायेगा।

10. विदेशी मदिरा फुटकर दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था

प्रत्येक ज़िले में अधिकतम राजस्व वाली विदेशी मदिरा फुटकर दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ0एल0-5 डी लाईसेंसी द्वारा दुकान परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था हेतु एफ0एल0-5ई लाईसेंस लेना होगा। एफ0एल0-5ई की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 2 (दो) प्रतिशत के बराबर होगी।

11ण मदिरा के अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बंध में:-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि पर मदिरा की फुटकर दुकानों पर अवशेष स्टॉक का हस्तांतरण पूर्व अनुज्ञापी द्वारा नये अनुज्ञापी को पूर्व वर्ष की एफ0एल0-2/ सी0एल-2 दरों पर किया जायेगा। नया अनुज्ञापी इस मदिरा की बिक्री एक माह के भीतर गत वर्ष की एम0आर0पी0 पर सुनिश्चित करेगा। ऐसे स्टाक को दुकान की न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) के विपरीत समायोजित नहीं किया जायेगा किंतु यदि यह स्टाक किसी कारणवश एक माह के उपरांत भी अविक्रित बच जाता है, तो इस स्टाक पर चलित वर्ष की दरों पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) एवं निर्धारण फीस (एसेस्मेंट फीस) देय होगी।

12ण गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों में विदेशी मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन:-

गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों (पौड़ी/टिहरी/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली) में विदेशी मदिरा की दुकानों का संचालन गत वर्ष की भांति किया जायेगा।

13ण जिलों में दुकान का स्थान परिवर्तन व नई दुकाने:-

जिलाधिकारियों द्वारा दुकान रहित स्थानों में स्वविवेकानुसार दुकान खोलने के निर्णय लिये जा सकेगें;

परन्तु यह कि नई दुकानों को खोलने से पूर्व दुकान खोलने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। फुटकर दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) शासनादेश संख्या 311ध्एग्प्ध्2008ध्18ध्2008 दिनांक 16.06.2008 की व्यवस्था के अनुसार रखी जायेगी।

14ण किसी मदिरा दुकान को बंद/ स्थानान्तरित करना:-

(1) **जिलों में देशी एवं विदेशी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बंध में भी जिलाधिकारियों को जनपद की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है।**

परन्तु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बंधित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

(2) **यदि जिलों की सीमान्तर्गत कोई दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित हो तो इस सम्बंध में भी जिलाधिकारी, आबकारी आयुक्त की पूर्व सहमति से निर्णय ले सकेंगे।**

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में सुनिश्चित किया जाए कि किसी दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित ज़ोन नही होने दिया जायेगा।

15ण पात्रता:-

देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन के सम्बंध में पात्रता की शर्तें अग्रलिखित शर्तों के अतिरिक्त फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से सम्बंधित नियमावली, 2001 (अद्यतन संशोधित) के अनुरूप होंगी;

परन्तु यह कि अनुज्ञापी को दुकान आवंटन हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यदि हैसियत प्रमाण पत्र अद्यतन न हो तो इस शर्त के साथ अंतरिम रूप से स्वीकार किया जायेगा कि आवेदक इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि इस दौरान (हैसियत प्रमाण-पत्र की तिथि से अद्यतन) प्रार्थी के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में अंकित चल/अचल सम्पत्ति का विक्रय/हस्तांतरण नहीं किया गया है। हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की बैंक गारन्टी स्वीकार की जा सकेगी। आवेदन पत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न न होने की दशा में आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसे आवेदनों को प्रथम दृष्टया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार लाईसेंसिग प्राधिकारी को होगा। यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पत्ति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिग प्राधिकारी के नाम बंधक (डवतजहंहमद्ध कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। हैसियत प्रमाणपत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने) जो जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेगे। आवेदक का स्थाई रूप से उत्तराखण्ड का निवासी होना अनिवार्य होगा, अत: दुकान हेतु आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदक को आवेदन पत्र मे अपना आयकर विभाग से प्राप्त पैन नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि किसी आवेदक के पास पैन नम्बर नहीं हो तो उसे यह शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि उसके नाम दुकान लॉटरी में निकलती है, तो वह दुकान चलाना प्रारम्भ करने से पूर्व आयकर विभाग से पैन नम्बर प्राप्त करने हेतु आवेदन देकर विभाग को सूचित करेगा अन्यथा उसे दिया गया लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

चयनित आवेदक को आवेदन करने पर आवेदन हेतु पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण करने वाले अधिकतम एक साझीदार को सम्मिलित करने की अनुमति नियमानुसार दी जा सकेगी।

16ण देशी एवं विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर:-

(एक) देशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क नहीं होगा तथा विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क की दर रू0 65/- प्रति अल्कोहलिक लीटर के आधार पर देय होगा।

;दोद्ध 5 प्रतिशत एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर संदेय उत्पाद शुल्क की दर रू0 15/- प्रति बल्क लीटर तथा 5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर रू0 30ध्- प्रति बल्क लीटर रहेगी।

17ण देशी एवं विदेशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत डयूटी की गणना:-

(एक) देशी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी रू0 115/- प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित की जाती है।

;दो½ विदेशी मिदरा की निकासी पर न्यूनतम् प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एम0जी0डी0 (प्रति बोतल)
(1)	रू0 25ण00 तक	रू0 86ण00
(2)	रू0 25ण01 से रू0 35ण00 तक	रू0 94ण00
(3)	रू0 35ण01 से रू0 55ण00 तक	रू0 108ण00
(4)	रू0 55ण01 से रू0 75ण00 तक	रू0 123ण00
(5)	रू0 75ण01 से रू0 150ण00 तक	रू0 159ण00
(6)	रू0 150ण01 से रू0 300ण00 तक	रू0 173ण00
(7)	रू0 300ण01 से रू0 450ण00 तक	रू0 217ण00
(8)	रू0 450ण01 से अधिक	रू0 290ण00

;तीन½ अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- की सीमांतर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी।

18ण सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन शुल्क, ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें:-

(एक) वर्ष 2011-12 के लिए एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू0 10,000/- लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(दो) एक्साईज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी:-

(अ) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) रू0 65ण00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम रू0 50ण00 प्रति ए0एल0

(स) बियर-एफ0एल0-9 के अन्तर्गत एफ0एल0-5 के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(तीन) असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस (प्रति बोतल)
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर)	रू0 45ण00
(2)	रियायती रम	रू0 30ण00
(3)	बियर	रू0 05ण00

19ण आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को (विदेशी मदिरा विहस्की/जिन/ब्राण्डी/बियर आदि) की सुविधा:-

आई0टी0बी0पी0/सशस्त्र सीमा बल (एस0एस0बी0) को एफ0एल0-9ए अनुज्ञापन के अतिरिक्त एफ0एल0-9बी लाईसेंस के अन्तर्गत भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा विदेश निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर की आपूर्ति एफ0एल0-2 पी0एम0 अनुज्ञापन से सिविल की भांति देयों के साथ अनुमन्य होगी।

20ण मदिरा का विक्रय मूल्य:-

वित्तीय वर्ष 2010-11 की भांति मदिरा के विक्रय मूल्य के परिप्रेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बियर/वाईन का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

उन कम्पनियों जिनके द्वारा दिल्ली राज्य में आपूर्ति की जा रही है, के केवल वही ब्राण्डस उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य होंगे जिनकी बिक्री दिल्ली राज्य में की जा रही हो। उनके ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 दिल्ली राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 से अधिक नहीं रखी जा सकेगी। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे ब्राण्ड जिनकी ई0डी0पी0 दिल्ली में बिक्री किये जा रहे समतुल्य ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से कम अथवा समान होगी की उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। समतुल्य ब्रांड का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा सभी तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरांत किया जाएगा।

उपरोक्त के होते हुए भी अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- अधिक नियत करने की अनुमति दी जा सकेगी।

जो आपूर्तक दिल्ली राज्य में आपूर्ति नहीं कर रहे है वे अन्य किसी राज्य में आपूर्ति किये जा रहे ब्राण्ड की ई0डी0पी0 से अधिक नही रख सकेगें। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बंधी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गई है, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर रू0 1,00,000 (एक लाख रूपये मात्र) पेनाल्टी आरोपित किये जाने के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

21ण देशी मदिरा/विदेशी मदिरा का आयात:-

देशी मदिरा एवं सबसे कम प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की विदेशी मदिरा को प्रदेश के बाहर से आयात करने की अनुमति नही दी जायेगी।

22ण विदेशी मदिरा/बियर/वाईन के थोक (एफ0एल0-2/ 2बी/ 2एस/ 2डब्लू) अनुज्ञापन:-

(1) **वित्तीय वर्ष** 2011-12 **हेतु एफ**0**एल**0-2/2**बी अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माता को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगें।**

(2) **निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयां जो, आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है, अथवा जिन्हे विदेश में निर्मित/बाटल्ड विदेशी मदिरा को भारत में विक्रय करने की विधिक अधिकार** ;स्मइंस तपहीजेद्ध **प्राप्त है इन्हें ऐसे ब्राण्डस के निर्माता माना जायेगा तदनुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।**

(3) **वर्ष** 2011-12 **में प्रदेश के थोक विदेशी मदिरा व्यापार हेतु एफ**0**एल**0-2 **के लिए रू**0 2,50,000/- (**रू**0 **दो लाख पचास हजार**) **एवं एफ**0**एल**0-2**बी**0/ 2**एस**/ 2**डब्लू**0 **के लिए रू**0 1,25,000/- (**रू**0 **एक लाख पच्चीस हजार**) **रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी।**

प्रतिबन्ध यह है कि 2000 (**दो हजार**) **पेटी तक बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस केवल रू**0 20,000/- (**रू**0 **बीस हजार मात्र**) **देय होगी।**

(4) **उपरोक्त के अतिरिक्त एफ**0**एल**0-2/ 2**बी**0/ 2**डब्लू**0 **की लाईसेंस फीस की प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी**:-

(क) राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एफ0**एल**0-2/ 2**बी**0/ 2**एस**/ 2**डब्लू**0 **हेतु लाईसेंस फीस विदेशी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के** 12 **प्रतिशत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी। ओवरसीज लिकर की ई**0**डी**0**पी**0 **एक्स-कस्टम-बाण्ड मूल्य मानी जायेगी।**

23. जिलों में खोले गये एफ0एल0-2 को न चलाया जाना:-

यदि किसी लाईसेंसी द्वारा किसी जिले में खोले गये एफ0**एल**0-2 **को नहीं चलाया जाना है, तो उसे एक माह के भीतर उस एफ**0**एल**0-2 **गोदाम में रखी गई मदिरा की नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करनी होगी अथवा आयुक्त की अनुमति से अन्य एफ**0**एल**0-2 **को स्थानांतरित करना होगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है और एफ**0**एल**0-2 **से बिक्री का कार्य एक माह या उससे अधिक समय तक बन्द रहता है तो उसकी एफ**0**एल**0-2 **की प्रतिभूति एवं**

रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा गोदाम में रखे स्टाक का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।

24ण विदेशी मदिरा की निकासी पर एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0-2/2बी0 स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेंट फीस (रूपयों में)
(1)	रू0 25ण00 तक	94
(2)	रू0 25ण01 से रू0 35ण00 तक	135
(3)	रू0 35ण01 से रू0 55ण00 तक	147
(4)	रू0 55ण01 से रू0 75ण00 तक	164
(5)	रू0 75ण01 से रू0 150ण00 तक	176
(6)	रू0 150ण01 से रू0 300ण00 तक	187
(7)	रू0 300ण01 से रू0 450ण00 तक	211
(8)	रू0 450ण00 से ऊपर	234
(9)	<u>बियर</u> (एक) बियर 650 एम0एल की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल के 24 पैक की पेटी	72
	;दो॒ 500 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	108
	(तीन) 330 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	72
(10)	वाईन 750 एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी	72
(11)	8 प्रतिशत तक तीव्रता वाली एल्कोहल बेवरेज के 275 एम0एल0 के 24 पैक की पेटी	72

उपरोक्त तालिका में जहां अन्य उल्लेख न हो, पेटी से आशय 750 एम0एल0 की 12 बोतलों अथवा 375 एम0एल0 के 24 अद्वों अथवा 180 एम0एल0 के 48 पव्वों से होगा।

;दो॒ अद्धा तथा पौवा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमश: रू0 25/- तथा रू0 50/- की सीमांतर्गत होने की स्थिति में एक ही ब्राण्ड के बोतल, अद्धा एवं पौवा पर निर्धारित एसेसमेंट शुल्क की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर एक समान रखी जायेगी।

(तीन) जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेंट शुल्क की राशि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरांत निकासी की अनुमति देंगे।

25. राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माताओं के उत्पादों की थोक बिक्री:-

राज्य के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा के ब्राण्डस उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेंसों एवं एफ0एल0-2/ 2बी/ 2एस/ 2डब्लू लाईसेंसों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेंस फीस का निर्धारण बिक्री की श्रेणी के अनुसार श्रेणीवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सों की फीस वर्ष 2011-12 में निम्नानुसार होगी:-

(1)	**बी0डब्लू0एफ0एल0-2 बाण्ड (विदेशी मदिरा बियर एवं वाईन)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिए**
	(1) 25,000 **पेटियों तक**	रू0 2,41,500/-
	(2) 25,001 **से** 50,000 **पेटियों तक**	रू0 4,83,000/-
	(3) 50,001 **से** 1,00,000 **पेटियों तक**	रू0 6,90,000/-
	(4) 1,00,000 **पेटियों से अधिक**	रू0 9,66,000/-
(2)	**बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी बाण्ड (केवल बियर के लिये) प्रदेश के बाहर की ब्रिवरीज के लिए**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिए**
	(1) 50,000 **पेटियों तक**	रू0 2,48,000/-
	(2) 50,001 **से** 1,00,000 **पेटियों तक**	रू0 3,45,000/-
	(3) 1,00,000 **पेटियों से अधिक**	रू0 4,14,000/-
(3)	**बी0डब्लू0एफ0एल0-2एस बाण्ड (केवल स्कॉच के लिये)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिए**
	(1) 100 **पेटियों की बिक्री तक**	रू013,000/- (**तेरह हजार मात्र**)
	(2) 100 **पेटी से ऊपर।**	रू0 6,500/- (रु0 **छः हजार पांच सौ**) **प्रत्येक** 50 **पेटी पर अतिरिक्त लाईसेंस फीस देय होगी।**
(4)	**बी0डब्लू0एफ0एल0-2 डब्लू बान्ड (केवल वाईन के लिये)**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिए** रू0 10,000/- (**दस हजार मात्र**)
(5)	**एफ0एल0-1 (प्रदेश की आसवनियों को स्वयं निर्मित विदेशी मदिरा एवं बियर उत्पादकों को थोक में एफ0एल0-2 को बेचने हेतु लाईसेंस)** ;1द्ध 25000 **पेटियों तक**	**वर्ष या वर्ष के भाग के लिए** रू0 1,00,000/- (**एक लाख मात्र**)
	(2) 25000 **पेटियों से अधिक**	रू0 2,00,000/- (**दो लाख मात्र**)

26ण लेबिल रजिस्ट्रेशन फीस की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैं:-

(एक) **विदेशी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व धारितावार प्रति लेबिल प्रति वर्ष** रू0 9,500/- (रु0 **नौ हजार पाँच सौ**) **लेबल रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।**

;दोद्ध **बियर/ वाईन/ साईडर/ कम तीव्रता की अल्कोहोलिक बेवरेज**:-

के लेबिलों के अनुमोदन के लिए धारितावार प्रति लेबिल प्रति वर्ष रू0 4ए750/- (रु0 चार हजार सात सौ पचास) लेबल रजिस्ट्रीकरण शुल्क देय होगा।

उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होंगी।

27ए होटलों बारों की लाईसेंस फीस का निर्धारण:-

होटल बार लाईसेंस एफ0एल0-6 (समिश्र) की लाईसेंस फीस, होटल के वार्षिक टर्न ओवर (वर्ष 2010-11) के आधार पर वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

(1)	रू0 2ए00 करोड़ से कम टर्न ओवर वाले होटल	4ए50 लाख रूपये
(2)	रू0 2ए00 करोड़ से 5ए00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	5ए00 लाख रूपये
(3)	रू0 5ए00 करोड़ से अधिक 10ए00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	10ए00 लाख रूपये
(4)	रू0 10ए00 करोड़ से अधिक 20ए00 करोड़ तक टर्न ओवर वाले होटल	15ए00 लाख रूपये
(5)	रू0 20ए00 करोड़ से अधिक टर्न ओवर वाले होटल	25ए00 लाख रूपये

28ए रेस्त्राबार/क्लब बार लाईसेंस हेतु निम्नानुसार लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है:-

क्र0सं0	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस (रूपये में)
(1)	रेस्टोरेन्ट बार	रू0 4ए50 लाख
(2)	बियर बार	
	(1) रेगुलर बियर बार	रू0 30ए000 (रू0 तीस हजार)
	(2) सीजनल बियर बार	रू0 15ए000 (रू0 पन्द्रह हजार)
(3)	क्लब बार	
	(1) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए)	रू0 1ए20 लाख
	(2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए)	रू0 1ए80 लाख
	(3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए)	रू0 2ए40 लाख
(4)	अकेजनल बार परमिट (प्रतिदिन)	रू0 2000.00 (रु0 दो हजार)

गैर-होटल बार लाईसेंस धारी प्राईवेट बैंक्वेट हॉल्स/वैडिंग हॉल्स में पार्टीज में मदिरा परोसने हेतु इन्हें सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0

25000/- (पच्चीस हज़ार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। मदिरा के उपभोग हेतु पंजीकरण के बिना कोई परमिट नहीं दिया जायेगा।

ड्राफ्ट बियर की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में पूर्ववत्त दी जा सकेगी।

29ण बार एवं क्लब बार लाईसेंस के अन्तर्गत निकासी पर देय ड्यूटी :-

एफ0एल0-2 से निकासी हेतु अनुमन्य विदेशी मदिरा पर ड्यूटी की दर प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर प्रति बोतल निम्नानुसार होगी:-

(1)	रू0 35ण01 से रू0 55ण00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 138/-
(2)	रू0 55ण01 से रू0 75ण00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 165/-
(3)	रू0 75ण01 से रू0 150ण00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 193/-
(4)	रू0 150ण01 से रू0 300ण00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 220 /-
(5)	रू0 300ण01 से रू0 450ण00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 275 /-
(6)	रू0 450ण00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर	रू0 385/-
(7)	बियर एवं वाईन की बोतलों पर	शून्य
(8)	बियर 330 एम0एल0 एवं 325 एम0एल0 के पैक , ओवरसीज लिकर के 60 एम0एल0 व 90 एम0एल0 के पैक (केवल 5 करोड से अधिक टर्न ओवर वाले होटल बारों हेतु)	रू0 10/- प्रति पैक (चंबा)

निकटतम सम्बद्व एफ0एल0-5डी दुकानों से निम्नवत् श्रेणियों की मदिरा भी नियमानुसार परमिट फीस के आधार पर अनुमन्य होगी:-

(1)	बियर 325, 330 एवं 500 एम0एल0 पैक, कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के 275एम0एल0 के पैक	रू0 1/- प्रति पैक (चंबा)

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुज्ञापन से सम्बंधित अन्य व्यवस्थाऐं एवं शर्तें पूर्ववत्त रहेंगी।

30ण होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिए आवेदकों की अर्हता:-

ऐसे होटलों एवं रेस्त्राओं को बार लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा, जिनकी आवेदन किये जाने वाले वर्ष में आवेदन किये जाने की तिथि तक अथवा आवेदन किये जाने वाले वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5ण50 लाख अथवा उससे अधिक हो।

होटलों के लिए प्रथम वर्ष में उक्त शर्त में छूट होगी।

किसी भी होटल/रेस्त्रां बार जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री रू0 5.50 लाख से कम रही हो, का लाईसेंस नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

31ण गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों में बारों का संचालन:-

गढ़वाल मण्डल के पाँच जनपदों (पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली) में बार /बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे (20 शैय्या) वाले होटल/रिसोर्टस, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेगें। अन्य मानक बार/बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

32ण बियर एवं वाईन बार लाईसेंस:-

उन होटलों एवं रेस्त्राओं, जिनकी विगत वर्ष में या आवेदन किये जाने की तिथि तक पके हुए भोजन की बिक्री 3ण्00 लाख रूपये (तीन लाख रूपये) वार्षिक या उससे अधिक रही हो उन्हें रू0 30ए000ध् (तीस हज़ार रूपयें) प्रतिवर्ष की दर से अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर बियर एवं वाईन बार लाईसेंस स्वीकृत किया जायेगा। सीजनल पर्यटक स्थलों के लिए छः माह की अवधि के लिए भी लाईसेंस दिये जा सकेंगे एवं सीजनल बियर एव वाईन बार हेतु लाईसेंस फीस, बियर बार हेतु निर्धारित लाईसेंस फीस की आधी अर्थात रू0 15ए000ध् (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) होगी। बियर बार पर वाईन की बिक्री की अनुमति प्रदान की जायेगी।

33ण् आसवनियों, बाटलिंग प्लांट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना:-

आसवनियों, बाटलिंग प्लांट, ब्रुवरी विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बंध में निम्न व्यवस्था रखी जायेगी :-

;कद्ध पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

;खद्ध बाटलिंग प्लांट लगाने के लिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त विदेशी मदिरा के ब्राण्ड्स की भराई हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर बॉटलिंग प्लांट का अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

;गद्ध ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु गत वित्तीय वर्ष के अनुरूप लाईसेंस देने पर विचार किया जायेगा।

34ण् बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0-3ए एवं एफ0एल0एम0-3 हेतु बाटलिंग फीस:-

व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन की भराई हेतु एफ0एल0-3ए लाईसेंस के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0-3 के समान लाईसेंस फीस संदेय होगी। इन लाईसेंसों के अन्तर्गत भरी गई विदेशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/अद्धा/पव्वा पर क्रमशः रू0 3ण्80, रू0 1ण्90, रू0 0ण्95 बाटलिंग फीस देय होगी अन्य पैकों में भरी विदेशी मदिरा पर समानुपातिक दर से बॉटलिंग फीस देय होगी।

35ण् ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती है:-

(एक) अधिष्ठापित क्षमता 5000 किलो लीटर तकः रू0 10ए000ण्00 (रु0 दस हज़ार)

;दोद्ध अधिष्ठापित क्षमता 5001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 20ए000ण्00 (रु0 बीस हज़ार)

;तीनद्ध अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 2ण्00 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त।

36ण् एफ0एल0एम0- 3 की लाईसेंस शुल्क दरें निम्नानुसार होंगी:-

क्र0सं0	विनिर्माणशाला की भराई क्षमता	लाईसेंस शुल्क (प्रति वर्ष या उसके भाग के लिए)
1	पांच लाख बोतल (750एम0एल0) तक।	रूपये 3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार मात्र)।

2	**पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 7,10,000/- (**सात लाख दस हजार मात्र**)।
3	**दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 10,60,000/- (**दस लाख साठ हजार मात्र**)।
4	**पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 21,10,000/- (**इक्कीस लाख दस हजार मात्र**) ।
5	**पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 31,80,000/- (**इकतीस लाख असी हजार मात्र**)।
6	**पचास लाख से अधिक परन्तु पिचहत्तर लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 48,10,000/- (**अड़तालीस लाख दस हजार मात्र**)।
7	**पिचहत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 63,30,000/- (**त्रेसठ लाख तीस हजार मात्र**)।
8	**एक करोड़ से अधिक परन्तु एक करोड़ पच्चीस लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 79,10,000/- (**उन्नासी लाख दस हजार मात्र**)।
9	**एक करोड़ पच्चीस लाख से अधिक परन्तु एक करोड़ पचास लाख बोतल** (750**एम**0**एल**0) **तक।**	**रूपये** 94,90,000/- (**चौरानवे लाख नवे हजार मात्र**)।

37ण **विदेशी मदिरा की बोतल भराई हेतु बॉटलिंग फीस:-**

एफ0**एल**0-3 **अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को वर्ष के लिए न्यूनतम रूपये** 1,00,000/- (**रूपये एक लाख मात्र**) **के अधीन बॉटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेशी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी**:-

क्र0सं0	**बोतल का प्रकार**	**राज्य में बिक्री हेतु**	**राज्य के बाहर बिक्री हेतु**
1	1000 **मि**0**ली**0 **बोतल**	**प्रतिबन्धित**	1.90 **रू**0 **प्रति बोतल**
2	750 **मि**0**ली**0 **बोतल**	2.80 **रू**0 **प्रति बोतल**	1.43 **रू**0 **प्रति बोतल**
3	500 **मि**0**ली**0 **पैक**	**प्रतिबन्धित**	0.95 **रू**0 **प्रति पैक**
4	375 **मि**0**ली**0 **अद्धा**	1.40 **रू**0 **प्रति अद्धा**	0.72 **रू**0 **प्रति अद्धा**
5	180 **मि**0**ली**0 **पौव्वा**	0.90 **रू**0 **प्रति पौव्वा**	0.57 **रू**0 **प्रति पौव्वा**
6	90 **मि**0**ली**0 **पैक**	0.42 **रू**0 **प्रति पैक**	0.29 **रू**0 **प्रति पैक**

38ण **एफ0एल0-3ए व एफ0एल0एम0-3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत देय बॉटलिंग फीस:-**

एफ0**एल**0-3**ए के अन्तर्गत बॉटलिंग व एफ**0**एल**0**एम**0-3 **अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ**0**एल**0-3**बी में बॉटलिंग अनुज्ञापन में वर्ष के लिए न्यूनतम रू**0 1,00,000/- (**रूपये एक लाख मात्र**) **के अधीन विदेशी मदिरा पर बॉटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी**:-

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	राज्य में बिक्री हेतु	राज्य के बाहर बिक्री हेतु
1	1000 मि0ली0 बोतल	प्रतिबन्धित	1.90 रू0 प्रति बोतल
2	750 मि0ली0 बोतल	3.80 रू0 प्रति बोतल	1.43 रू0 प्रति बोतल
3	500 मि0ली0 पैक	प्रतिबन्धित	0.95 रू0 प्रति पैक
4	375 मि0ली0 अद्धा	1.90 रू0 प्रति अद्धा	0.72 रू0 प्रति अद्धा
5	180 मि0ली0 पौव्वा	0.95 रू0 प्रति पौव्वा	0.57 रू0 प्रति पौव्वा
6	90 मि0ली0 पैक	0.47 रू0 प्रति पैक	0.29 रू0 प्रति पैक

39ण एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत बियर पर देय बॉटलिंग फीस:-

एफ0एल0-3 व एफ0एल0-3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) के अधीन बियर पर बॉटलिंग फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0-3 हेतु बॉटलिंग फीस	एफ0एल0-3ए हेतु बॉटलिंग फीस	
			बॉटलिंग फीस	लाइसेंस फीस
1	650 मि0ली0 बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.60 प्रति बोतल	रू0 0.25 प्रति बोतल
2	325/ 330 मि0ली0 के पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.36 प्रति पैक	रू0 0.15 प्रति पैक

40ण बियर के निर्यात पर बॉटलिंग/लाईसेंस फीस निम्नानुसार देय होगी:-

क्र0सं0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0-3 हेतु बॉटलिंग फीस	एफ0एल0-3ए हेतु	
			बॉटलिंग फीस	लाइसेंस फीस
1	650 मि0ली0 बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.48 प्रति बोतल	रू0 0.24 प्रति बोतल
2	325/ 330 मि0ली0 के पैक	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.29 प्रति पैक	रू0 0.14 प्रति पैक

41ण देशी एवं विदेशी मदिरा की बोतलों पर होलोग्राम युक्त एडहीसिव लेबिल का लगाया जाना:-

देशी एवं विदेशी मदिरा (केवल सिविल सप्लाई हेतु) की बोतलों पर होलाग्राम युक्त एडहेसिव लेबिल लगाये जायेंगे।

42ण राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री अनुज्ञापन की व्यवस्था:-

जिलों में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से सी0एल0-2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत थोक बिक्री के बंधित गोदाम (ठवदकमक ूतमीवनेमद्ध प्रत्येक जिले में राज्य की तीनों आसवनियों द्वारा खोले जायेंगे। सहकारी क्षेत्र की आसवनी बाजपुर की आपूर्ति प्रदेश स्तर पर कम से कम 1/3 सुनिश्चित की जायेगी। राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) लाईसेंस फीस देय होगी, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्राण्डस का पंजीयन कराना होगा। इस हेतु पंजीयन शुल्क रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है।

आसवनियों के पी0डी0-2 लाईसेंस की फीस रू0 60.00 प्रति किलो लीटर निर्धारित की जाती है।

43. शीरा, अल्कोहल व मदिरा के नमूनों का परीक्षण:-

प्रदेश की चीनी मिलों, आसवनियों, फार्मेसियों व मदिरा गोदामों/दुकानों से प्राप्त शीरे, अल्कोहल, पेय-मदिरा व अल्कोहल युक्त औषधियों की गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से नमूनों का विश्लेषण प्रदेश व प्रदेश के बाहर स्थित ख्याति प्राप्त निजी/सरकारी प्रयोगशालाओं से कराये जाने हेतु प्रयोगशालाऐं अधिसूचित की जायेंगी।

44ण मदिरा तस्करी/अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण:-

राज्य में मदिरा के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग के प्रिवेन्टिव क्षेत्रों में नियुक्त आबकारी निरीक्षकों रिवाल्वर तथा उप आबकारी निरीक्षकों, प्रधान आबकारी सिपाहियों व आबकारी सिपाहियों को बन्दूकें उपलब्ध कराई जायेंगी।

45. कम तीव्रता की एल्कोहल बेवरेज पर निर्यात शुल्क:-

कम तीव्रता की अल्कोहल बेवरेज पर रू0 0.05 प्रति बल्क लीटर निर्यात शुल्क देय होगा।

46. आयात शुल्क की दरें:-

ई0एन0ए0,रेक्टीफाईड स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट एल्कोहल पर रू0 1.00 प्रति एल्कोहल लीटर आयात शुल्क देय होगा।

बियर पर रु. 2ण00 प्रति बोतल लिया जायेगा।

47ण आबकारी आयुक्त के नाम बैंक खाता:-

राज्य के विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञापियों को विभिन्न ड्यूटीज एवं शुल्कों को ऑनलाईन जमा करने की सुविधा प्रदान करने तथा ऑफलाईन जमा कराई गई ड्यूटीज एवं शुल्कों का ऑनलाईन सत्यापन करने हेतु आबकारी आयुक्त के नाम से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में एक नया खाता खोला जायेगा। बैंक को इस खाते में जमा धनराशि को प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में राज्य के खाते में स्थानान्तरित करने के स्थाई निर्देश दिये जायेंगे।

48ण भांग के अनुज्ञापन हेतु पूर्व से निर्धारित व्यवस्था यथावत्त लागू रहेगी।

49ण अन्य व्यवस्थाऐं वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुरूप यथावत्त रहेंगी।

डा0 रणबीर सिंह
प्रमुख सिचव।

संख्या: / ग्ग्ग्ध्2011ध्02ध्2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1ण निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनपद-हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया अधिसूचना का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 200 प्रतिया प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासनए 4-सुभाष रोड, देहरादून तथा 100 प्रतियां आबकारी आयुक्त, गांधी रोड़ उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2ण निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।

3ण निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

4ण निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

5ण समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

6ण आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

7ण आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
8ण आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9ण समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10ण निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11ण गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनःदिनांकःफरवरी 09 ,2011

विशयः— जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन/नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या—2280—92/सात—लाईसेंस—टैक्स—2/2011—12/समय सारणी—अनुज्ञा0/नवी0 दिनांक 13—01—2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कश्ट करें, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के सम्बन्ध में समयसारणी के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये हैं। जनपदों में कार्यरत निम्नलिखित अनुज्ञापनों के वर्श 2011—12 के व्यवस्थापन/नवीनीकरण/अग्रसारण के सम्बन्ध में भी इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देषों के अनुसार कार्यवाही करने का कश्ट करेंः—

देषी षराब/विदेषी मदिरा/बियर/वाइन के बॉण्ड/थोक अनुज्ञापनः—

क0सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
1	बी0डब्लू0एफ0एल0—2	28.02.2011
2	बी0डब्लू0एफ0एल0—2बी	28.02.2011
3	बी0डब्लू0एफ0एल0—2 (एस)	28.02.2011
4	बी0डब्लू0एफ0एल0—2 (डब्लू)	28.02.2011
5	एफ0एल0—2	28.02.2011
6	एफ0एल0—2बी	28.02.2011
7	एफ0एल0—2(एस)	28.02.2011
8	एफ0एल0—2डब्लू	28.02.2011
9	सी0एल0—2	28.02.2011

भवदीय

(डा०रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2634—46/सात—लाईसेंस—टैक्स—2/2011—12/समयसारणी—अनुज्ञा0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड को इस निर्देष के साथ प्रेशित कि वे अपने जनपद से सम्बन्धित अनुज्ञापनों के नवीनीकरण/अग्रसारण की कृत कार्यवाही तथा अपने जनपद में कार्यरत समस्त अनुज्ञापनों की सूची दिनांक 28.02.2011 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।

(डा०रणबीर सिंह)

संख्या 2280–92 / सात–लाईसेंस–टैक्स–2 / 2011–12 / समयसारणी–अनुज्ञा0 / नवी0

प्रेशक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादूनः दिनांकः जनवरी 13 ,2011

विशयः– जनपद में कार्यरत अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन / नवीनीकरण के संबंध में निर्धारित समयसारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आबकारी मैनुअल खण्ड–प्रथम के नियम–332 में आबकारी अनुज्ञापनों की समयावधि एक वर्श (अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के लिए दी गयी हैं। अतः सभी थोक / फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों व आसवनी / बाटलिंग प्लान्ट / फार्मेसी के अनुज्ञापनों के वित्तीय वर्श 2011–12 हेतु नवीनीकरण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 28, फरवरी, 2011 तक अवष्य प्राप्त हो जाने चाहिए। अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ वर्श 2010–11 हेतु निर्धारित टैक्स स्ट्रक्चर के अनुसार लाईसेंस फीस का चालान संलग्न होना चाहिए। साथ ही अनुज्ञापी से रू0 10/– के स्टाम्प पेपर पर षपथ–पत्र लिया जायेगा कि ''यदि आबकारी नीति / टैक्स स्ट्रक्चर वर्श 2011–12 में लाईसेंस फीस में कोई वृद्वि होती है तो वे लाईसेंस में वृद्वि करने की तिथि से वृद्वि की धनराषि को जमा करने के लिए बाध्य होंगे और यदि धनराषि विलम्ब से जमा की जाती है तो उस पर नियमानुसार दण्डक ब्याज जमा करने के लिए भी बाध्य होंगे।''

वित्तीय वर्श 2010–11 हेतु विभिन्न अनुज्ञापनों के नवीनीकरण / अगसारण आदि के संबंध में इस अनुरोध के साथ प्रेशित की जा रही है कि अपने जनपद में सभी कार्यरत अनुज्ञापनों के नवीनीकरण / अग्रसारण के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कश्ट करेंः–

क्र०सं०	देषी / विदेषी मदिरा के उत्पादन ईकाईयों	
	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	आसवनी के पी०डी०–2अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2011
2	ब्रुवरी के बी०–1 अनुज्ञापन	28.02.2011
3	विन्टनरी वी०–2 अनुज्ञापन	28.02.2011
4	एफ०एल०–3 / एफ०एल०–3ए / एफ०एल०–3 बी० अनुज्ञापन का नवीनीकरण	28.02.2011
5	डी०एस०–1 अनुज्ञापन के नवीनीकरण	28.02.2011
6	एफ०एल०एम०–3(बाटलिंग प्लान्ट)	28.02.2011
7	एफ0एल0–1	28.02.2011

देषी षराब / विदेषी मदिरा / बियर / वाइन के बॉण्ड / थोक अनुज्ञापनः–

क0सं0	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि
1	बी0डब्लू0एफ0एल0–2	28.02.2011
2	बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी	28.02.2011
3	बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (एस)	28.02.2011
4	बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)	28.02.2011

5	एफ0एल0–2	28.02.2011
6	एफ0एल0–2बी	28.02.2011
7	एफ0एल0–2डब्लू	28.02.2011
8	सी0एल0–2	28.02.2011

बार/बीयर बार/क्लब बार

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–6 (सम्मिश्र)/एफ०एल०–7	28.02.2011
2	एफ०एल०–7 बी /एफ०एल०–7 सी	28.02.2011

सैनिक यूनिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–9/एफ०एल०–9ए/एफ0एल0–2ए	28.02.2011

डिनेचर्ड स्प्रिट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–16/एफ०एल०–17	28.02.2011

औद्योगिक ईकाईयों का अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एफ०एल०–39/एफ०एल०–40/एफ० एल०–41	28.02.2011

एम०एन०टी०पी०एक्ट के अनुज्ञापन

क्र०सं०	अनुज्ञापन का प्रकार	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि
1	एल०–1/एल०–2/एन०डी०एल०डी०	28.02.2011

षासन/आबकारी आयुक्त के स्तर नवीनीकृत/अनुमोदित किये जाने वाले अनुज्ञापनों को जिला आबकारी अधिकारी अपने कार्यालय में आवेदन पत्रों को प्राप्त कर 05 दिन के भीतर जिलाधिकारी के सम्मुख अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगें तथा जिलाधिकारी अपने स्तर से 05 दिवस के भीतर आबकारी आयुक्त कार्यालय को 10 मार्च, 2011 तक अपनी आख्या प्रेशित करेंगें। इसके अतिरिक्त जनपद में कार्यरत अन्य आबकारी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण 25 मार्च, 2011 तक कर लिया जाय। 01 अप्रैल, 2011 को वित्तीय वर्श 2011–12 के लिये नवीनीकृत अनुज्ञापनो को ही बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय

(डा०रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2293–2305/सात–लाईसेंस–टैक्स–2/2011–12/समयसारणी–अनुज्ञा0/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त जिला आबकारी अधिकारी,उत्तराखण्ड को इस निर्देष के साथ प्रेशित कि वे अपने जनपद से सम्बन्धित अनुज्ञापनों के नवीनीकरण/अग्रसारण की कृत कार्यवाही तथा अपने जनपद में कार्यरत समस्त अनुज्ञापनों की सूची दिनांक 28.02.2011 तक आयुक्तालय को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।

(डा०रणबीर सिंह)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाषित

असाधारण

विधायी परिषिश्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, षुकवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 षक सम्वत्

उत्तराखण्ड षासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 146/ग्ग्टप्;3द्ध/2010/15(1)/2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संषोधन) विधेयक, 2010' पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 21, वर्श 2010 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाषित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संषोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 21, वर्श 2010)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संषोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्श में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम, विस्ता और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संषोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा 28 का

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा

संषोधन

प्रवृत्त) की धारा 28 की उपधारा (3) में निम्नलिखित संषोधन कर दिये जोयेंगें; अर्थातः—

(क) धारा 12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात की गयी देषी षराब (ताड़ी को छोड़कर) में उत्पाद षुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये देषी षराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) उत्पाद षुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ग) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन किये गये देषी षराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद षुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स के अन्तर्गत देषी षराब (ताड़ी को छोड़कर) निर्मित, कर्शित या संग्रहीत उत्पाद षुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

(ड.) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेन्स प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद देषी षराब (ताड़ी को छोड़कर) षुल्कारोप्य ''रू0 90.00 प्रति बल्क लीटर'' के स्थान पर ''200.00 प्रति बल्क लीटर'' रख दिया जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

उत्तराखण्ड षासन
आबकारी विभाग
संख्याः 205/ग्ग्ग्/2010/64/2009
देहरादूनः दिनॉकः 30 मार्च, 2010

षुद्धि–पत्र

आबकारी अनुभाग, उत्तराखण्ड षासन द्वारा वर्श 2010–11 में उत्तराखण्ड राज्य में देषी एवं विदेषी मदिरा एवं बियॅर की फुटकर बिकी को विनियमित करने हेतु नियमावली विशयक अधिसूचना संख्याः 142/ग्ग्ग्/2010/64/2009 दिनांकः 05.03.2010 के नियम 30 के वाक्यांष ''निम्न प्रकार निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है'' के स्थान पर ''निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है'' पढ़ा जाय।

2. उक्त नियमावली के नियम 31 में वाक्यांष ''लिया जाना प्रस्तावित है'' के स्थान पर ''ली जायेगी'' पढ़ा जाय।

3. उक्त अधिसूचना संख्याः 142/ग्ग्ग्/2010/64/2009 दिनांकः 05.03.2010 को उक्त सीमा तक संषोधित समझा जाय।

डॉ0 रणबीर सिंह
सचिव

संख्याः 205/ग्ग्ग्/2010/64/2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड षासन।
2. निजी सचिव, मा0 आबकारी मंत्री, उत्तराखण्ड षासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड षासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ
4. समस्त प्रमुख/सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेषक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं,

(ओ0पी0 तिवारी)

उप सचिव

2009–10 की आबकारी नीति के अन्तर्गत टैक्स स्ट्रैक्चर

विभिन्न मादक पदार्थो के विनिर्माणषालाओं तथा थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के लिए वर्श 2009–10 की उत्तराखण्ड प्रदेष की लाईसेंसिंग प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन षुल्क, उत्पाद षुल्क, निर्यात, आयात, एसेस्ड फीस आदि का संक्षिप्त विवरणः–

लाईसेन्स फीस का निर्धारण :–

वर्श 2009–10 हेतु मदिरा की फुटकर दुकानों की नई स्लैब दरें निम्नवत् होंगी :–

देषी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बल्क लीटर	वर्श 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 12000 तक	1,18,000
2	12001से 30000 तक	2,90,000
3	30001से 60000 तक	5,80,000
4	60001से 1,00,000 तक	9,70,000
5	1,00,001 से 1,50,000 तक	14,50,000
6	1,50,001 से 2,00,000 तक	19,34,000
7	2,00,001 से 2,50,000 तक	24,17,000
8	2,50,001 से 3,00,000 तक	29,00,000
9	3,00,001 से 3,50,000 तक	33,84,000
10	3,50,001 से 4,00,000 तक	38,67,000
11	4,00,000 से अधिक डण्ळण्फ की सीमा तक	40,00,000

विदेशी मदिरा

क्र0 सं0	न्यूनतम गारन्टीड मात्रा बोतल में	वर्श 2009–10 हेतु लाईसेंस फीस (रूपये में)
1	0 से 6000 तक	1,18,000
2	6001से 12,000 तक	2,32,000
3	12,001से 25,000 तक	4,84,000
4	25,001से 50,000 तक	9,67,000
5	50,001 से 75,000 तक	14,50,000
6	75,001 से 1,00,000 तक	19,34,000
7	1,00,001 से 1,25,000 तक	24,17,000
8	1,25,001 से 1,50,000 तक	29,00,000
9	1,50,001 से 1,75,000 तक	33,84,000
10	1,75,001 से 2,00,000 तक	38,67,000
11	2,00,000 से अधिक डण्ळण्फ की सीमा तक	45,00,000

वर्श के दौरान दुकानवार निर्धारित लाईसेन्स फीस के अनुरूप श्रेणीवार अधिकतम सीमा तक मदिरा का उठान अनुमन्य होगा। अधिकतम सीमा से अधिक मदिरा की बिक्री होने पर प्रति बोतल लाईसेन्स फीस निम्नलिखित दर से देय होगीः–

ी मदिरा.....रू0 11/– प्रति बल्क लीटर ।

देषी मदिरा.....रू0 22/– प्रति बोतल।

विदेषी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा के बीस प्रतिषत तक रू0 90/– प्रति बोतल या उससे अधिक न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी वाली मदिरा के प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा।

	यदि यह मासिक अतिरिक्त अनुमन्य उठान माह में नहीं किया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगीं। देषी मदिरा की किसी दुकान की उठान की मासिक अधिकतम अनुमन्य सीमा की राषि के बीस प्रतिषत तक प्रति माह अतिरिक्त उठान पर लाईसेन्स फीस व न्यूनतम गारन्टीड अभिकर नहीं लिया जायेगा। अगर यह मासिक अतिरिक्त उठान माह में नही उठाया गया तो उसे अगले माहों में उठाने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगीं। देषी मदिरा के मामलें में प्रति बल्क लीटर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर का आषय प्रति बल्क लीटर देय उत्पाद षुल्क से होगा। किसी देषी/विदेषी मदिरा की दुकान की मासिक अधिकतम अनुमन्य उठान सीमा से आषय दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की वार्शिक राषि के 1/12 भाग के बराबर राषि के विपरीत देय मदिरा की मात्रा से लिया जाय।
	<u>देषी एवं विदेषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क की दर :–</u> (एक) विदेषी मदिरा पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर रू0 58.00 प्रति अल्कोहलिक लीटर होगी। देषी मदिरा (36वी0/वी0 तीव्रता) पर डयूटी (उत्पाद षुल्क) रू0 95.00 प्रति बल्क लीटर रहेगी।) देषी मदिरा पर उत्पाद षुल्क सी0एल0–5 अनुज्ञापी द्वारा देय होगा। (तीन) बियर पर संदेय उत्पाद षुल्क की दर 5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक व 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 28/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।
	(क) विदेषी मदिरा की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना :– विदेषी मदिरा की एफ0एल0–5डी दुकानों की निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की गणना हेतु दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :– 1. रू0 25.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 72.00 प्रति बोतल 2. रू0 25.01 से रू0 35.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 78.00 प्रति बोतल 3. रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 90.00 प्रति बोतल 4. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 102.00 प्रति बोतल 5. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 132.00 प्रति बोतल 6. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 144.00 प्रति बोतल 7. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 180.00 प्रति बोतल 8. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 240.00 प्रति बोतल (ख) एफ0एल0–2 से बीयर तथा वाईन की निकासी पर न्यूनतम गारन्टीड अभिकर की कोई धनराषि देय नहीं होगी।

सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर ड्यूटी तथा एसेस्मेन्ट फीस की दर :–

वर्श 2009–10 के लिये एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिये रू0 5,000/–लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है।

(एक) एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार होगी :–

(अ) भारत निर्मित विदेषी मदिरा (रम छोड़कर)

वर्श 2008–09 की तरह सिविल मार्केट के बराबर रू0 58.00 प्रति ए0एल0

(ब) रियायती रम (कोई परिवर्तन नही) रू0 45.00 प्रति ए0एल0

(स) बियर – एफ0एल0–9 के अन्तर्गत सिविल मार्केट (एफ0एल0–5डी) के समान अभिकर की दर पर देय होगी।

(5 प्रतिषत एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 15/– रू0 प्रतिबल्क लीटर तथा 5 प्रतिषत से अधिक व 8 प्रतिषत तक एल्कोहल तीव्रता की बियर पर 28/– रू0 प्रति बल्क लीटर रहेगी।)

(दो) एफ0.एल0–9/9ए निष्चित लाईसेन्स फीस वार्शिक रू0 100/– देय होगी व विदेषी मदिरा, रियायती रम तथा बियर की बिक्री पर निम्नानुसार असेसमेन्ट फीस देय होगी :–

(1) भारत निर्मित विदेषी मदिरा(व्हिस्की,ब्रान्डी,जिन).....रू0 32/–प्रति बोतल।

(2)रियायती रम.....20/–रू0 प्रति बोतल

(3) बियर(5 प्रतिषत तक अल्कोहल युक्त)..... 2/–रू0 प्रति बोतल

(4) बियर(5 प्रतिषत से अधिक 8 प्रतिषत तक अल्कोहल युक्त).....3/–रू0 प्रति बोतल

भारतीय सेना एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को दी जाने वाली रम–उत्तराखण्ड राज्य के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों एवं भारत तिब्बत सीमा पुलिस को प्रतिवर्श दी जाने वाली कमषः 1,80,180 लीटर एवं 41,168 लीटर की सीमा तक रम षासकीय अधिसूचना संख्या 27/ आब/2002/दिनांक 14.1.2002 के अन्तर्गत इस सीमा तक अभिकर मुक्त रहेगी ।

(क) विदेषी मदिरा/बियर के थोक (एफ0एल0–2/2बी/2डब्लू) अनुज्ञापन :–

वर्श 2009–10 में प्रदेष में थोक विदेषी मदिरा व्यापार हेतु एफ0एल0–2 के लिये रू0 2.50 लाख, एफ0एल0–2बी एवं एफ0एल0–2(डब्लू)के लिये रू 1.25 लाख रजिस्ट्रेषन फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त एफ0एल0–2/2बी/2(डब्लू) की लाईसेन्स फीस प्रति पेटी निम्नानुसार वसूल की जायेगी :–

1. प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2 हेतु लाईसेन्स फीस विदेषी मदिरा/बियर/वाईन की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।
2. प्रदेष के प्रत्येक जनपद के लिये एफ0एल0–2बी/डब्लू हेतु लाईसेन्स फीस बियर की प्रत्येक पेटी की बिक्री पर उस पेटी के एक्स आसवनी मूल्य के 12 प्रतिषत के बराबर प्रति पेटी अग्रिम वसूल की जायेगी।

'' ऐसी भारतीय इकाईयां, जो आयातित ब्रॉड्स की स्कॉच व्हिस्की की बॉटलिंग भारत में करती हैं तथा जिन्हें भारत में उक्त स्कॉच की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, इन्हें निर्माता माना जाएगा तद्नुसार इन्हें बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा।''

(ख) विदेषी मदिरा की निकासी पर एसेसमेन्ट फीस की राषि निम्नानुसार निर्धारित की जायेगीः–

क्र0 स0	प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य	एफ0एल0–2/2बी स्तर पर प्रति पेटी एसेसमेन्ट फीस का प्रस्तावित भार (रूपये में)
1	रू0 25.00 तक	80/–
2	रू0 25.01 से रू0 35.00 तक	115/–
3	रू0 35.01 से रू0 55.00 तक	125/–

5	रू0 75.01 से 150.00 तक	150/–
6	रू0 150.01 से 300 तक	160/–
7	रू0 300.01 से 450.00 तक	180/–
8	450 से ऊपर	200/–
9	बियर (650एम0एल0 की 12 बोतल अथवा 325 एम0एल0 की 24 बोतल की पेटी) एवं वाईन (750एम0एल0 की 12 बोतल की पेटी) ।	60/–
10	500 एम0एल0 के 24 केन की पेटी ।	92.31/–
11	330 एम0एल0 के 24 केन की पेटी।	60.93/–

जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार प्रति पेटी देय एसेस्मेन्ट षुल्क की राषि फुटकर अनुज्ञापी से अग्रिम जमा कराने के उपरान्त निकासी की अनुमति देंगे।

प्रदेष के बाहर के विदेषी मदिरा के निर्माता विदेषी मदिरा के केवल अपने ब्रान्डस ही उत्तराखण्ड स्थित अपने बाण्ड लाईसेन्सों एवं एफ0एल0–2/2बी लाईसेन्सों के माध्यम से उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे। बाण्ड अनुज्ञापन की लाईसेन्स फीस का निर्धारण बिकी की श्रेणी के अनुसार स्लैबवार होगा। बाण्ड लाईसेन्सो की फीस वर्श 2009–10 निम्नानुसार होगी :–

बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (बाण्ड) (विदेषी मदिरा बियर एवं वाईन) प्रदेष के बाहर की आसवनियों के लिए 1. 50,000 पेटियों तक 2. 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 3. 1,00,000पेटियेां से अधिक	या वर्श के भाग के लिये 0 4,20,000/– 0 6,00,000/– 0 8,40,000/–
–बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (बाण्ड) (केवल बियर के लिये) प्रदेष के बाहर की ब्रिवरीज के लिए 50,000 पेटियों तक 50,001 से 1,00,000 पेटियों तक 1,00,000से अधिक	र्ा या वर्श के भाग के लिए 0 2,16,000/– 0 3,00,000/– 0 3,60,000/–
0डब्लू0एफ0एल0–2 एस(बाण्ड)(केवल स्कॉच के लिये) 600 पेटी की बिकी तक। 600 पेटी से ऊपर ।	र्ा या वर्श के भाग के लिए 0 66,000/–(छियासठ हजार) त्येक 100 पेटी पर रू0 13,200/–अतिरिक्त लाईसेन्स फीस देय होगी''
4–बी0डब्लू0एफ0एल0–2 (डब्लू)(केवल वाईन के लिये)	र्ा या वर्श के भाग के लिए क0 1,25,000/–/–(एक लाख पच्चीस हजार मात्र)
;5) एफ0एल0–1(प्रदेष की आसवनियों को स्वंय निर्मित विदेषी मदिरा एवं बियर एफ0एल0–2 को बेचने हेतु देय लाईसेन्स)	र्ा या वर्श के भाग के लिए 0 1,20,000/–(एक लाख बीस हजार मात्र)

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क) बार एवं क्लब बार लाईसेन्स :–
बार एवं क्लब बार अनुज्ञापन/परमिट के फलस्वरूप दी जाने वाली विदेषी मदिरा की निकासी पर डयूटी की दर निम्नानुसार होगी :–
1 . रू0 35.01 से रू0 55.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 113.00 प्रति बोतल
2. रू0 55.01 से 75.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 128.00 प्रति बोतल
3. रू0 75.01 से 150.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 165.00 प्रति बोतल
4. रू0 150.01 से रू0 300.00तक एक्स आसवनी मूल्य पर ....रू0 180.00 प्रति बोतल
5. रू0 300.01 से 450.00 तक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 225.00 प्रति बोतल
6. रू0 450.00 से अधिक एक्स आसवनी मूल्य पर .....रू0 300.00 प्रति बोतल
(ख) उक्त दरों से निम्न दरों की विदेषी मदिरा की बिक्री बार एवं क्लब बार परमिट धारको के परिसरों में प्रतिबन्धित रहेगी।
(ग) 20,000 बोतल वार्शिक की सीमा से अधिक प्रत्येक 10 प्रतिषत अधिक बोतलों की निकासी पर रू0 5/– प्रति बोतल की बढ़ी दर से देय होगी।</td></tr>
<tr><td>0</td><td>(क) वित्तीय वर्श 2009–10 में एफ0एल0–2/2बी के अन्तर्गत 8 प्रतिषत तक अल्कोहल तीव्रता वाली अल्कोहलिक ब्रिवरेजस् को बेचने की अनुमति दी जायेगी, जिनमें उपस्थित अल्कोहल की मात्रा पर रू0 58/– प्रति एल्कोहल लीटर की दर से उत्पाद षुल्क वसूला जायेगा।
एफ0एल0एम0–3 की लाईसेन्स षुल्क की दरें निम्नानुसार होंगीः–
<table>
<tr><td>(एक) पांच लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 3,06,800/–(तीन लाख छः हजार आठ सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(दो) पांच लाख से अधिक परन्तु दस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई की क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 6,13,600/–(छः लाख तेरह हजार छः सौ मात्र)प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(तीन)दस लाख से अधिक परन्तु पन्द्रह लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 9,20,200/– (नौ लाख बीस हजार दो सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(चार) पन्द्रह लाख से अधिक परन्तु पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 18,40,300/– (अठारह लाख चालीस हजार तीन सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(पांच) पच्चीस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 27,60,400/– (सत्ताईस लाख साठ हजार चार सौ मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(छः) पचास लाख से अधिक परन्तु पिचछतर लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 41,80,000/– (इकतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) प्रतिवर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
<tr><td>(सात) पिच्छत्तर लाख से अधिक परन्तु एक करोड बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।</td><td>रूपये 55,00,000/– (पछपन लाख मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(आठ) एक करोड से अधिक परन्तु एक करोड पच्चीस लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 68,75,000/– (अड्सठ लाख पिच्छत्तर हजार मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।
(नौ) एक करोड पच्चीस लाख बोतलो से अधिक परन्तु एक करोड़ पचास लाख बोतल(750 एम0एल0) तक भराई क्षमता की विनिर्माणषाला के मामले में।	रूपये 82,50,000/– (बयासी लाख पचास हजार मात्र) प्रति वर्श या उसके भाग के लिये।

I) एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को न्यूनतम 1,00,000/– रूपये प्रति वर्श की दर से बाटलिंग फीस निम्न दरों पर विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई पर देय होगी :–

⁄0स0	बोतल का प्रकार	एफ0एल0–3 के अन्तर्गत	
		राज्य मे बिक्री हेतु	ज्य के बाहर बिक्री हेतु गत वर्श से 5 प्रतिषत कम)
	00 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
	0मिलीलीटर बोतल	40 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
	0 मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल
	5 मिलीलीटर अद्धा	20 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
	0मिलीलीटर पौव्वा	34 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
	मिलीलीटर पैक	42 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

) एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से विदेषी मदिरा की बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगी:–

0	तल का प्रकार	राज्य में बिक्री हेतु	ज्य के बाहर बिक्री हेतु (गत वर्श से 5 प्रतिषत कम)
	00मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	90 रू0 प्रति बोतल
	0मिलीलीटर बोतल	30 रू0 प्रति बोतल	43 रू0 प्रति बोतल
	0मिलीलीटर बोतल	प्रतिबन्धित	95 रू0 प्रति बोतल

	5 मिलीलीटर अद्धा	40 रू0 प्रति अद्धा	72 रू0 प्रति अद्धा
	0मिलीलीटर पौवा	20 रू0 प्रति पौव्वा	57 रू0 प्रति पौव्वा
	मिलीलीटर पैक	60 रू0 प्रति पैक	29 रू0 प्रति पैक

ा)एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रिवरी(यवासवनी) में न्यूनतम 1,00,000/–प्रति वर्श की दर से बियर बोतल भराई पर (बाटलिंग फीस) निम्नानुसार देय होगीः–

0 क 0	तल का प्रकार	0एल0–3 हेतु टलिंग फीस	0एल0–3ए हेतु	
			टलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	) 650एम0एल0 बोतल पर	रू0 0.60 प्रति बोतल	0 0.60 प्रति बोतल	0 0.25 प्रति बोतल
2	) 350एम0एल0 बोतल पर	0 0.36 प्रति बोतल	0 0.36 प्रति बोतल	0 0.15 प्रति बोतल

(ड.) बियर के निर्यात पर गत वर्श से 5 प्रतिषत कम बाटलिंग/लाईसेन्स फीस ली जायेगी, जो निम्नानुसार रहेगीः–

0 क 0	तल का प्रकार	0एल0–3 हेतु टलिंग फीस	0एल0–3ए हेतु	
			टलिंग फीस	लाईसेन्स फीस
1	) 650एम0एल0 बोतल पर	0 0.48 प्रति बोतल	0 0.48 प्रति बोतल	0 0.24 प्रति बोतल
2	) 350एम0एल0 बोतल पर	0 0.29 प्रति बोतल	0 0.29 प्रति बोतल	0 0.14 प्रति बोतल

(च) नयी विन्टनरी द्वारा यदि उत्पादित वाईन का षत–प्रतिषत निर्यात किया जायेगा,तो विन्टनरी की स्थापना के पांच वर्शो तक बाटलिंग फीस नही ली जायेगी।

1	प्रदेष मे देषी मदिरा की आपूर्ति हेतु रू0 38.00 लाख लाईसेन्स फीस निर्धारित की जाती है, जिसे मुख्यालय स्तर पर जमा कराया जायेगा।
2	आसवनियों को देय पी0डी0–2 लाईसेन्स की लाईसेन्स फीस रू0 55.22/– प्रति किलोलीटर देनी होगी।
3	) बार लाईसेन्स हेतु निम्नानुसार लाईसेन्स फीस ली जायेगीः– 4. रेस्टोरेन्ट एवं तीन सितारा होटलों तक.....रू0 4,50,000/–(चार लाख पचास हजार रूपये) वर्श या वर्श के भाग के लिये। 5. चार सितारा होटलों हेतु.....रू0 9,00,000/–(नौ लाख रूपये) वर्श या वर्श के भाग के लिये। 6. पांच सितारा होटलों हेतु.....रू011,25,000/–(ग्यारह

लाख पच्चीस हजार रूपये) वर्श या वर्श के
भाग के लिये।

7. सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये दिये जाने .....रू0 2,25,000/–(दो लाख पच्चीस हजार)
वाले बार लाइसेंस तीन सितारा होटलों तक के स्तर के लिए

(ख) बियर बार अनुज्ञापन

(1) बियर बार अनुज्ञापन	,000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
(2)सीजनल पर्यटकों हेतु छः माह के लिये जाने वाले बियर बार लाइसेंस	5,000/–रू0प्रति सीजन अधिकतम छः माह हेतु ।

बियर बार पर वाईन की बिकी की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

(ग) क्लब बार परमिट

) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 100 तक हो	14,000/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
) ऐसे क्लब जहां सदस्यों की संख्या 101 से 500 तक हो	71,000/– रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए
) ऐसे क्लब जहॉ सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो	27,000/–रू0 प्रति वर्श या वर्श के भाग के लिए

य) ओकेजनल बार परमिट हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन परमिट फीस होगी। प्राइवेट बैंक्वेट (ठंदुनमज) हाल एवं होटलों को ओकेजनल बार लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेषन कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेषन फीस रू0 1,000/– होगी।

) गत वर्श के समान ड्राफ्ट बियर की बिकी की अनुमति बारों/सैन्य कैन्टीनों में दी जा सकेगी।

4 यात की दरेंः–

1.	देषी मदिरा (बोतलों में)	00 रू0 प्रति बोतल ।
	देषी मदिरा (ब0ली0 में)	00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	यर	00 रू0 प्रति बोतल ।
	ल्ट स्प्रिट	00 रू0 प्रति अल्कोहल लीटर।
	क्टिफाईड स्प्रिट	00रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।

	कृत सुरा/विषेश विकृत सुरा (अ)उत्तराखण्ड स्थित औद्योगिक रासायनिक इकाईयों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर । (भ्वेचपजंसेए क्पेचमदेंतपमे ंदक वजीमत बींतपजंइसम ंदक मकनबंजपवदंस पदेजपजनजपवदें के लिए भी छूट पूर्ववत जारी रहेगी।)	षून्य।
	)थोक व फुटकर विक्रेताओं तथा प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा विषेशतः विकृत स्प्रिट (एस0डी0एस0) व विकृत स्प्रिट (डी0एस0) आयात किये जाने पर।	0 1.10/– (रूपये एक एवं दस पैसे मात्र) प्रति बल्क लीटर।

सबसे कम न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी की विदेषी मदिरा के आयात की अनुमति नही दी जायेगी।

र्यात फीस की दरें

1.	धित आसव (पेय मदिरा अथवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	25 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
	एन0ए0	50 रू0 प्रति बल्कलीटर ।
	कृत सुरा (औद्योगिक प्रयोजनार्थ)	50 रू0 प्रति बल्कलीटर।
	ी मदिरा	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	देषी मदिरा (बोतलों में)	67 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	देषी मदिरा (ब0ली0 में)	00 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर।
	यर	05रू0 प्रति बल्क लीटर ।
	ल्ट स्प्रिट	05 रू0 प्रति एल्कोहल लीटर ।
	ंग	00 रू0 प्रति किलोग्राम ।

बिल रजिस्ट्रेषन फीस (विदेषी मदिरा/बियर/वाईन)

) सी0एस0डी0आपूर्ति के लिए :–

1 विदेषी मदिराः– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 3300/–(तीने हजार तीन सौ मात्र)रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा।

2 बियर/वाईन :– प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 1650/–(एक हजार छः सौ पचास मात्र)रजिस्ट्रेषन षुल्क लिया जायेगा।

) सिविल सप्लाई हेतु विदेषी मदिरा/बियर/वाईन :–

	1. विदेषी मदिरा– विदेषी मदिरा के लेबिलों के अनुमोदन के पूर्व प्रति लेबिल फीस धारितावार प्रति वर्श रू0 8250/–(आठ हजार दो सौ पचास) (बोतल/अद्धा/पौव्वा) रजिस्ट्रेषन षुल्क देय होगा। . बियर/वाईन आदि – इसी प्रकार बियर/वाईन के लेबुलों के अनुमोदन के लिए प्रति लेबिल फीस प्रति वर्श रू0 4125/–(चार हजार एक सौ पच्चीस मात्र) धारितावार रजिस्ट्रेषन षुल्क लिया जायेगा।
	आबकारी मैनुअल खण्ड–1 के भाग–2 के चैप्टर–टप्प् के सेक्षन–ग्ग्ट के नियम–12 के अन्तर्गत आसवनी/विदेषी मदिरा की बोतलों की भराई नियमावली, 1969 (यथासंषोधित) के अन्तर्गत तथा आसवनी में किसी सेक्षन में ओवर टाईम फीस का निर्धारण निम्नवत हैः– आबकारी निरीक्षक .के लिए रू0 60.00 प्रति घण्टा । आबकारी लिपिक/उप आबकारी निरीक्षक रू0 36.00 प्रति घण्टा । बकारी सिपाही रू0 32.00 प्रति घण्टा।
	ीरा पर प्रषासनिक षुल्क

	ज्य की इकाईयों हेतु षीरा की बिकी पर प्रषासनिक षुल्क	011/– प्रति कुंटल
	त्तर प्रदेष की अल्कोहल/षीरा पर आधारित रासायनिक उद्योगों हेतु की गयी षीरा की बिकी पर	11/– प्रति कुंटल
	रोक्त (2) के अतिरिक्त षीरा के निर्यात पर	15/– प्रति कुंटल

(डा0रणबीर सिंह)
सचिव,
आबकारी,
उत्तराखण्ड षासन, देहरादून।

लोक प्राधिकारी–आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मैनुअल संख्या 4 : लोक प्राधिकारी द्वारा नीति या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके प्रतिनिधित्व के लिये कोई व्यवस्था की गयी हो तो उस सम्बन्ध में सूचना :–

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था –

विभाग द्वारा आबकारी नीति/शीरा नीति के निरूपण के पूर्व निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है –

1. फील्ड स्तर से विभागीय अधिकारियों, जो वास्तव में शासन की नीतियों के आधार पर अधिनियम, नियमावलियों, आदेशों, अनुदेशों का क्रियान्वयन करने के लिए उत्तरदायी हैं और जनता के मध्य कार्य करते हैं, के द्वारा स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों से परामर्श उपरान्त नीतियों के निर्धारण के पूर्व उनके सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
2. आबकारी विभाग के अनुज्ञापियों, जिनके माध्यम से राजस्व अर्जन किया जाता है, से भी समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर बैठक आयोजित कर उनके सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।
3. इस प्रकार फील्ड स्तर से प्राप्त सुझावों की समुचित समीक्षा उपरान्त विभाग द्वारा शासन को नीति निर्धारण के सम्बन्ध में समुचित प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं।
4. शासन द्वारा विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्तावों को सम्यक परीक्षणोपरान्त नीति निर्धारण विषयक प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं और मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त विभागीय आबकारी शीरा व अन्य विषयों पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
5. नीति निर्धारण के लिए विभाग द्वारा प्रवर्तित विभिन्न नियमों एवं अधिनियमों में लाईसेंसिंग बोर्ड, एडवाईजरी बोर्ड आदि की व्यवस्था पूर्व से ही प्राविधानित है, जिनके अन्तर्गत अनुज्ञापनों के स्वीकृत किये जाने से पूर्व विचार–विमर्श किया जाता है।
   (1) उत्तर प्रदेश नम्बर एण्ड लोकेशन आफ एक्साईज शॉप रूल्स के नियम–5 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत आबकारी दुकानों के स्थलों के चयन के समय मिलिट्री कन्टोनमेन्ट बोर्ड एवं नगरीय क्षेत्र में नगरमहापालिका, टाउन एरिया या नोटिफाईड एरिया एवं ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद से विचार–विमर्श किया जाता है और प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त आबकारी दुकानों के स्थलों का चयन किया जाता है। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन के निकट खोले जाने वाली आबकारी दुकानों के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन से भी विचार–विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं।
   (2) आसवनियों, ब्रिवरीज आदि के अनुज्ञापनों की स्वीकृति के समय उनसे उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में स्थानीय जनता से प्रदूषण बोर्ड के माध्यम से

विचार–विमर्श के पश्चात ही आसवनी, ब्रिवरी स्थापना के अनुज्ञापनों को स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाता है।

(3) आबकारी अधिनियम की धारा 56 के अन्तर्गत अन्य विभागों यथा पुलिस, सॉल्ट, ओ0पी0एम0 तथा भू–राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत होने वाले अपराधों की तत्काल सूचना आबकारी विभाग के अधिकारियों को देने का दायित्व निर्धारित हैं।

(4) आबकारी अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत प्रत्येक ऐसे व्यक्ति,जो भूमि एवं भवन के स्वामी हैं, लेखपाल एवं गांव के चौकीदार हैं, को उनके स्थानों पर आबकारी अपराधों के होने से तत्काल आबकारी, पुलिस एवं भू–राजस्व के सक्षम अधिकारियों को अपराधों की सूचना देने एवं उसके निवारण के दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

(5) किसी भी क्षेत्र में जन शान्ति को बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी को अधिनियम की धारा–59 के अन्तर्गत किसी भी आबकारी दुकान को बन्द रखने का अधिकार प्रदत्त है।

(6) जनता की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मादक द्रव्यों के आपत्तिजनक विज्ञापनों को सिनेमेटोग्राफिक प्रदर्शन, लोक स्थानों पर, दीवारों पर, भवनों पर, विज्ञापनों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश इन्टॉक्सिकेन्ट लीकर (ब्इरमबजपवदंइसम ।कअमतजपेमउमदज) एक्ट 1976 (उत्तरांचल में यथा अनुकूलित) प्रभावी है।

(7) होटल एवं बार अनुज्ञापनों के स्वीकृति के समय भी उसकी जनहित में उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य विभागीय यथा पुलिस द्वारा लोक शान्ति के सम्बन्ध में, पर्यटन विभाग से पर्यटन की संभावनाओं के सम्बन्ध में विचार–विमर्श एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं।

(8) शीरा अधिनियम के अन्तर्गत शीरा एडवाइजरी कमेटी नियमावली 1965 (यथासंशोधित) प्रख्यापित है, जिसमें एडवाईजरी कमेटी के गठन के प्राविधान हैं, जिनमें शीरा नियंत्रक के साथ–साथ उद्योग निर्देशालाय, गन्ना विभाग, चीनी मिलों/आसवनियों का प्रतिनिधित्व यथा एल्कोहल के उपभोग करने वाली इकाईयों का प्रतिनिधित्व, मोल्डिंग एण्ड फाउन्ड्री उद्योग का प्रतिनिधित्व आदि को नामित किये जाने के प्राविधान हैं, जिसके अन्तर्गत समिति विभिन्न स्तरों से प्राप्त सुझावों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार को उपलब्ध कराती है और नीति निर्धारण में सहायक होती है।

6. मेडिसन एण्ड टायलेट प्रिपरेशन एक्साईज डयूटीज नियमावली 1956 के नियम 68 में स्टेडिंग कमेटी के गठन का प्राविधान है, जिसमें भारत सरकार के ड्रग कन्ट्रोलर, सेन्ट्रल रिवेन्यू कन्ट्रोल लेबोरेटरी के चीफ कैमिस्ट, भारत सरकार के द्वारा नामित एक फार्मोकोलोजिस्ट तथा विभिन्न औषधि पद्धतियां यथा एलोपैथिक, होमोपैथिक, तिब्बती यूनानी, आयुर्वेदिक के, भारत सरकार की स्वास्थ्य परिवार कल्याण निर्देशालय के द्वारा नामित, एडवाइजर्स सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य औषधियों का प्रतिबन्धन (त्मेजतपबजमक ंदक छवद तमेजतपबजमक) का वर्गीकरण किया जाना है।